चतुर्दश माला, खंड 5, अंक 10

मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2004
23 अग्रहायण, 1926 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FD-025
Block 'G'
Acc No .....57.....
Dated.....8/7/04.....

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय-सूची

*चतुर्दश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)*

**अंक 10, मंगलवार 14 दिसम्बर, 2004/23 अग्रहायण, .1926 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 184 | 1-26 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 185 से 200 | 27-111 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 2044 से 2273 | 111-462 |
| **अध्यक्ष द्वारा घोषणा** | |
| संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करने हेतु दो समर्पित सेटेलाइट चैनलों का आरम्भ | 461-462 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 463-470 |
| **राज्य सभा से संदेश** | 471 |
| **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति** | |
| पांचवें से दसवां प्रतिवेदन | 471-472 |
| **''सर्वशिक्षा अभियान'' के बारे में दिनांक 6.7.2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि किए जाने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण** | |
| श्री अर्जुन सिंह | 472-486 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | |
| पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के कारण कॉफी, चाय, काली मिर्च, वैनिला, इलायची तथा सुपारी की कीमतों में भारी गिरावट से उत्पन्न स्थिति | |
| श्री पी.सी. थामस | 486 |
| श्री कमलनाथ | 486-493 |
| श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार | 493-495 |
| श्री वरकला राधाकृष्णन | 495-496 |
| श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज | 496-498 |
| श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश | 498-507 |
| **सदस्यों द्वारा निवेदन** | |
| (एक) इंडो-नेपाल समझौते के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात के कारण पूर्वी क्षेत्र में घरेलू वनस्पति उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में | 507-512 |
| (दो) कर्नाटक के किसानों को फसल बीमा देयों का भुगतान न किए जाने के बारे में | 512-516 |
| **मंत्री द्वारा वक्तव्य** | |
| उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जालंधर पठानकोट खंड पर रेल दुर्घटना | |
| श्री लालू प्रसाद | 516-517 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु में नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन ..... 517-518

(दो) जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवकों के लिए केन्द्रीय तथा अर्द्धसैनिक सेवाओं में रोजगार पैकेज तैयार करने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा ..... 518

(तीन) पोलोवरम और पुलिचिंतला सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़े जाने पर विचार किया गया है, संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.एस. राव ..... 519

(चार) उत्तरांचल में रानीखेत छावनी बोर्ड को नगरपालिका का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत ''बचदा'' ..... 519-520

(पांच) महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग और सिंचाई संबंधी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए वन संबंधी कानून में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज जी. अहीर ..... 520-521

(छह) श्रीगंगानगर, राजस्थान के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए ''नरमा-कपास'' के समर्थन मूलय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द ..... 521

(सात) उड़ीसा में कोनिहा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहीत करने के कारण तल्चर तहसील के लोगों को एक समान दर पर मुआवजा मिलना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ..... 521

(आठ) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सुनिश्चित रोजगार का उपबंध करने के लिए एक विधेयक लाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन ..... 522

(नौ) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र की हवाई पट्टी को एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति वर्धन सिंह ..... 522-523

(दस) बिहार में गोपालगंज स्थित अप्रयुक्त रक्षा हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ..... 523

(ग्यारह) तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में सूखा राहत उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल ..... 523-524

विषय कॉलम

(बारह) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील ..... 524

(तेरह) झारखंड में बीड़ी मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री फुरकान अंसारी ..... 524-525

(चौदह) मदुरै हवाई अड्डे को पुनः "मथुरामलिंगम थेवर हवाई अड्डा" नाम दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुव्रत बोस ..... 525

**नियम 193 के अधीन चर्चा**

देश में आंतरिक सुरक्षा-जारी

श्री शिवराज वि. पाटील ..... 525-555

**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प**

और

**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004**

विचार करने के लिए प्रस्ताव ..... 556

श्री बची सिंह रावत "बचदा" ..... 556

श्री अर्जुन सिंह ..... 556-567

श्री मधुसूदन मिस्त्री ..... 567-573

डा. सिबैस्टियन पॉल ..... 573-576

श्री मोहन सिंह ..... 576-579

श्री विजय कृष्ण ..... 579-581

श्री सुशील कुमार मोदी ..... 581-587

श्री आर.एल. जालप्पा ..... 587-590

श्री इलियास आज़मी ..... 590-593

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

# लोक सभा

मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2004/23 अग्रहायण, 1926 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

### पाकिस्तान और बांग्लादेशी नागरिकों की गतिविधियां

+

*181. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री काशीराम राणा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 04 के दौरान भारतीय सीमा पर विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या घुसपैठियों ने घुसपैठ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सीमा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में रह रहे विभिन्न देशों के कितने अवैध ागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा बल को प दिया गया है;

(घ) विभिन्न देशों ने ऐसे कितने प्रवासियों को स्वीकार कर या है;

(ङ) वर्ष 2004 के दौरान आज की तिथि तक दिल्ली में तने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किये गये और हें किस आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया;

(च) क्या सरकार का विचार आई.एम.डी.टी. के स्थान पर क नया अधिनियम बनाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार ने घुसपैठ को रोकने और घुसपैठियों को उनके ा वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से ञ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) जी हां, श्रीमान। चूंकि यह गतिविधि गुप्त प होती है इसलिए भारत में अवैध अप्रवास की सीमा के बारे में शिष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में रह रहे विभिन्न देशों के अवैध प्रवासियों की सही-सही संख्या का सही-सही आकलन करना संभव नहीं है। जब कभी अवैध अप्रवासियों का पता चलता है तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके देश वापस भेज दिया जाता है। 2004 के दौरान (30 जून, 2004 तक) 11285 विदेशियों को उनके अपने-अपने देश भेज दिया गया।

(ङ) दिल्ली में 2004 (30 नवम्बर, 2004 तक) में 13 पाकिस्तानी और 127 बांग्लादेशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को शासकीय गुप्त बात अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी राष्ट्रिकों को मुख्यत: डकैती, लूटपाट, सेंधमारी, हत्या और एन.डी.पी.एस. अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम तथा शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

(च) जी, नहीं श्रीमान।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) सीमा पार की घुसपैठ रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना;

(ii) रात और दिन गश्त लगाकर, अभियान चला कर और नाका/घात लगाकर सीमा पर चौबीसों घंटे चौकसी रखना;

(iii) विशेष अभियान चलाना;

(iv) काम चलाऊ बाड़ लगाकर नदी क्षेत्रों/संकरी खाड़ी के अंतर को दूर करना;

(v) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन करना;

(vi) रात को देखने वाले यंत्रों का उपयोग करना;

(vii) फूलोटिंग बी.ओ.पी. की स्थापना करना; और

(viii) सीमा चौकसी बलों का आधुनिकीकरण करना।

विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार की प्राप्त शक्तियां, देश के विभिन्न भागों में रह रहे अवैध प्रवासियों/विदेशियों की पहचान करने, उनका पता लगाने तथा उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्योजित कर दी गई है। जहां तक असम राज्य का संबंध है, अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के तहत अवैध प्रवासियों का पता लगाया जाता है। केन्द्र सरकार ने भी अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाने एवं उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** सभापति जी, प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि—चूंकि यह गतिविधि गुप-चुप हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान से वीजा लेकर भारत में आए और वापस नहीं गये, यह नियम है कि कोई भी पाकिस्तानी जब भारत में वीजा लेकर आता है या कोई भारतीय पाकिस्तान में जाता है, तो हर रोज उसे निकट के थाने में इंफॉर्म करना पड़ता है कि मैं यहां इस एड्रैस पर हूं। हर दिन उसे बताना पड़ता है। क्या यह ठीक है कि एक लाख से ऊपर पाकिस्तान से वीजा लेकर जो लोग भारत में आए थे परन्तु वापस नहीं गए और यहीं पर गायब हो गए, या आई.एस.आई. की गतिविधियों में शामिल हो गए, उन्होंने यहां राशन कार्ड बनवा लिए और वे मतदाता भी बन गए हैं। मतदाता बनने के बाद उन्होंने यहां पर आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी।

**पूर्वाह्न 11.06 बजे**

**(अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

सरकार ने वीजा लेकर यहां आने वालों की जितनी संख्या बताई है, वे लोग सीधे रास्ते से वापस नहीं गए। उनको देश से निकालने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और उनके बारे में अब क्या स्थिति है?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. रघुपति:** माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तीन तरह के अवैध अप्रवासी हैं। इनमें से एक तो वह है जो वैध दस्तावेजों जैसे वैध वीजा आदि लेकर आते हैं लेकिन निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद भी यहां रह रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार अब सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी कर रही है कि उन लोगों की पहचान करें जिनके पास वैध वीजा है लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी यहां रह रहे हैं। उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें उनके देशों में भेज दिया जाना चाहिए।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** उनकी संख्या कितनी है?

**श्री एस. रघुपति:** हम अभी उनकी संख्या तय नहीं कर सकते हैं।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** ऐसे कितने लोग हैं जो वैध वीजा लेकर यहां आए लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने पर भी यहीं रह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** कितने लोग यहां आए और कितने वापस नहीं गए, इस बात की तो आपके पास जानकारी होगी।

*[अनुवाद]*

**श्री एस. रघुपति:** वे वैध वीजा लेकर आए और निश्चित अवधि बीत जाने के बाद भी यहीं ठहर गए हैं। राज्य सरकारों से ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया है जो वैध वीजा लेकर आए हैं और निश्चित अवधि से अधिक ठहर गए हैं। हम उनकी पहचान कर रहे है और इसके बाद हम उन्हें उनके देश में भेज देंगे। बस मुझे यही कहना है।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैंने प्रश्न पूछा था कि कितने लोग यहां आए, कितने वापस नहीं गए, कितने पकड़े गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई—इसका जवाब नहीं आया। पहले यह तय हुआ था कि एक नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन्स बनाया जाएगा, क्योंकि हमारा देश एक धर्मशाला बन गया है। करीब ढाई करोड़ बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोग आकर यहां रह रहे हैं और ओवर स्टे कर रहे हैं। इनके अलावा अन्य देशों से भी आकर लोग यहां रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन्स नहीं है। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि इस देश में नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन्स बनाया जाए और भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनकी पहचान की जाए, जिससे यहां कोई आए तो पता चल जाए कि उसकी स्थिति क्या है? क्या सरकार ऐसा नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन्स बनाने का इरादा रखती है और क्या हर नागरिक को मल्टी पर्पज आइडेंटिटी कार्ड देने का सरकार का इरादा है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. रघुपति:** माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार को प्राप्त शक्तियां, देश के विभिन्न भागों में रह रहे अवैध प्रवासियों/विदेशियों की पहचान करने, उनका पता लगाने तथा उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई है।

जहां तक असम राज्य का संबंध है, अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम (आई.एम.डी.टी.) के उपबंधों के अधीन अवैध प्रवासियों का पता लगाया जाता है। इसके अनुसार, राज्य सरकार बांग्लादेशियों के संबंध में संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा किए गए

दावे के अनुसार उनके सत्यापन के लिए आवासीय पता, आदि का ब्यौरा केन्द्र सरकार को भेजेगी। 30 दिन के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। इन तीस दिनों की अवधि के दौरान, सक्षम प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्हें बात पूरी करने दीजिए और उसके बाद आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं।

**श्री एस. रघुपति :** केन्द्र सरकार अथवा गृह मंत्रालय राज्य सरकार से उन लोगों की पहचान करने का अनुरोध करता है जो निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद भी यहां रह रहे हैं। सभी सरकारों को यह जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही हमें स्थिति का पता चलेगा।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री महोदय, क्या आपके पास वह जानकारी है जो इन्होंने मांगी है? अन्यथा आप कहें कि आप सूचना चाहते हैं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैंने यह पूछा है कि सरकार की मंशा है या नहीं? मैं आंकड़े नहीं मांग रहा हूं। नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन्स बनाने का क्या कोई इरादा है?

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** आपने पूछा है कि क्या पहचान पत्र देने का और रजिस्टर बनाने का विचार है, मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर हम विचार कर रहे हैं। पहचान पत्र देने के सम्बन्ध में भी हम विचार कर रहे हैं। उसके लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स विचाराधीन हैं।

**श्री काशीराम राणा:** अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जितनी भी घुसपैठ होती है, जैसा जवाब में बताया गया है कि जून के आखिर तक करीब 11,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा हमारे देश में लाखों की तादाद में जो इल्लीगल प्रवासी बसे हुए हैं, उनको वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, वह बहुत धीमी है। जैसे 2003 में, एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि करीब 26 लाख 796 विदेशियों को वापस भेजा गया था, मैं जानना चाहता हूं कि जो गैरकानूनी तरीके से लोग भारत में बसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? अध्यक्ष जी, सितम्बर में जब बी.एस.एफ. और बंगलादेश रायफल्स की मीटिंग हुई थी, क्या उसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि जो इस तरह के लोग यहां बसे हुए हैं और जिनके कारण ज्यादा संख्या में घुसपैठ होती है, उसे कैसे रोका जाए? अध्यक्ष जी, गुजरात की सीमा पर 254 किलोमीटर की बाड़ लगनी थी, उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है? जो कदम सरकार को उठाने चाहिए, उसमें सरकार बहुत स्लो है। बी.एस.एफ. और बंगलादेश रायफल्स के बीच सितम्बर में जो मीटिंग हुई, उसमें इस मसले को उठाया गया या नहीं और दूसरे देशों से आए जो गैर-कानूनी रूप से लोग यहां बसे हुए हैं, उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. रघुपति:** जहां तक इस मामले का संबंध है, राज्य सरकारों को उन लोगों का पता लगाना चाहिए जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। हम राज्य सरकारों से ऐसा करने का अनुरोध करते हैं। मेरे विद्वान मित्र ने हमें बताया कि एक लाख से अधिक लोग यहां अवैध रूप से रह रहे हैं। वे आंकड़े गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं। लेकिन हम बता सकते हैं कि हमने कितने लोगों को उनके देश में भेज सकते हैं। इनकी संख्या हजार या इससे अधिक होगी। हमने वह संख्या भी आपको बताई है। हम प्रत्येक व्यक्ति की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। हम, अवैध रूप से रहने वाले लोगों को उनके देश में भेजने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री काशीराम राणा:** मैं सितम्बर के मध्य की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* यह एक उचित मुद्दा है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यो, यहां पूर्ण चर्चा हुई है। माननीय मंत्री आज उत्तर देंगे।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** इस महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर इतनी लापरवाही से दिया गया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे विश्वास है कि इस उत्तर में भी वे आपके द्वारा उठाए गए उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देंगे। श्री मल्होत्रा, कल ये मुद्दे बहुत प्रबल तरीके से उठाए गए थे। मुझे विश्वास है कि वह इसका उत्तर देंगे।

**श्री अनवर हुसैन:** मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि असम विशेषरूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र से रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और उनमें से कुछ को बांग्लादेश भेजा गया है। सरकार ने मेरी उस विशेष शिकायत के संबंध में क्या कार्यवाही की है जो मैंने चार माह पूर्व 7 भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश भेजे जाने के बारे में माननीय मंत्री से की थी?

**श्री एस. रघुपति:** माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार असम के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया है। उन लोगों को ही बांग्लादेश भेजा गया है जिनकी

पहचान बांग्लादेशियों के रूप में की गई है। हम उन्हें यहां रहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? इसलिए हमने उन्हें उनके देश में भेज दिया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब और प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आप प्रश्न पर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इस आदत को छोड़ा जाना चाहिए।

**श्री रूपचन्द पाल:** मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल तथा कुछ निकटवर्ती राज्यों के वास्तविक बांग्लाभाषी लोगों को विशेष रूप से महाराष्ट्र में आभूषणों का कार्य करने वाले तथा दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र में लगे लोगों को निरंतर परेशान किया जा रहा है। हमने भारत सरकार से कहा कि कुछ किया जाना चाहिए। उन्हें केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे बांग्लाभाषी लोग हैं। वे पश्चिम बंगाल के लोग है तथा उनमें से कुछ असम के हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल के असली बांग्लाभाषी लोगों की रक्षा हेतु ठोस कदम उठा सकती है जो अपने व्यवसाय विशेषरूप से आभूषण बनाने के क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य हेतु अन्य राज्यों में गए हैं।

**श्री एस. रघुपति:** सरकार यह पता लगाने के लिए ठोस कदम उठा रही है कि यदि उन बंग्लाभाषी लोगों के अपने पहचान पत्र हैं तो सरकार उन्हें क्यों परेशान करके उन्हें यहां से जाने के लिए कह रही है? उनके पास उनके पहचान पत्र हैं। वे अपने राशन कार्ड दिखा सकते हैं...*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल:** कौन से पहचान पत्र? क्या आप संसद सदस्यों के प्रमाणपत्र के बारे में कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह कहा गया है। क्या उन्हें कोई सुरक्षा दी जा रही है? उनके अनुसार, उन्हें सुरक्षा दी गई है।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। एक विदेशियों विषयक अधिनियम है। एक अन्य अधिनियम है जो असम में लागू होता है। उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा, जब कभी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच चर्चा होती है तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होती है। यदि किसी अधिकारी से जानकारी प्राप्त होती है तो उस जानकारी को उस राज्य में भेजा जाता है जहां वह व्यक्ति रह रहा हो। तथ्यों की पुष्टि के पश्चात् कार्यवाही की जाती है। यह प्रक्रिया भी सुरक्षा प्रदान करती है।

**श्री सर्बानन्द सोनोवाल:** मुझे माननीय मंत्री से एक विशेष प्रश्न पूछना है। असम सरकार तथा भारत सरकार ने शीर्ष न्यायालय को यह बताया है कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 एक पक्षपातपूर्ण कानून है। जब तक आई.एम.डी.टी. अधिनियम है, अवैध प्रवासियों की पहचान नहीं की जा सकती है। पिछली सरकार ने श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में असम के जिले से विभिन्न संगठनों से कठिनाइयों के बारे में उनके विचार जानने हेतु कुछ कदम भी उठाए थे। दूसरी ओर, हाल ही में असम में विदेशियों के विषयक अधिकरण के न्यायाधीश ने यह बात स्वीकार की कि अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम असम में रहने वाले अवैध विदेशियों का पता लगाने की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। इन परिस्थितियों में देश में स्थिति तथा प्रभुसत्ता की रक्षा तथा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम को निरस्त करने हेतु क्या कदम उठाएगी?

**श्री शिवराज वि. पाटील:** हमने सभा में देखा है कि दो प्रवृत्तियां है। एक प्रवृत्ति है कि इन लोगों को यथाशीघ्र उनके देश में भेज दिया जाना चाहिए। दूसरी प्रवृत्ति यह है कि पश्चिम बंगाल के बांग्लाभाषी लोगों को परेशान न किया जाए। इसलिए यह पता लगाने के लिए यहां कानून हैं कि कौन बंगलादेश से आया है और किसे उसके देश में भेजा जाना है। पिछली सरकार ने कानून को वापस लेने, निरस्त करने का निर्णय लिया था। इस सरकार ने यह निर्णय बदल दिया है और मुझे लगता है कि कानूनी पुस्तक में यह कानून होना चाहिए। यह कानूनी पुस्तक में क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह इस कानून के अधीन है, सरकार के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को उसके देश वापस भेजना है वह पड़ोसी देश से आया हो। पिछले कानून में यह आवश्यक नहीं था। यह उस व्यक्ति को सिद्ध करना होता है कि वह इस देश का है। दोनों के बीच यह अंतर है। इसके अलावा, मामला न्यायालय के अधीन है। मेरे विचार से आपने दिए गए निर्णय की किसी प्रासंगिक उक्ति का उल्लेख किया है। यह निर्णय नहीं दिया गया और वह निर्णय हम तक नहीं पहुंचा है।

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक:** अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि अभी मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, उसे या तो मैं ढाई साल के शासन में ठीक से समझ नहीं पाया हूं या आप अभी ठीक से बता नहीं पा रहे हैं? इल्लिगल माइग्रैंट्स डिटैक्शन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, 1983 (आई.एम.डी.टी.) में ऐसे प्रावधान हैं कि अगर कोई आदमी गैर कानूनी ढंग से घुसपैठ करके असम में आता है, तो उसकी जो शिकायत करेगा, वह खुद साबित करेगा कि अमुक आदमी घुसपैठ करके आया है या नहीं? आपने अपने उत्तर में बताया है कि जो

आदमी घुसपैठ करके आता है, उसे साबित करना पड़ता है कि उसने घुसपैठ की है या नहीं?...*(व्यवधान)* सरकार का अनुभव यह रहा है कि इस एक्ट के तहत किसी को आइडैंटिफाई करके बांग्लादेश वापस नहीं भेजा जा सकता। मैं अवैध प्रवासियों की बात कर रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है और चाहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़े ताकि उसे राजनीतिक लाभ मिले।...*(व्यवधान)* यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस एक्ट के अन्तर्गत किसी को देश से बाहर निकाला नहीं जाता। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में इस एक्ट के अन्तर्गत कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया और पिछले पांच साल में कितने गैर कानूनी घुसपैठियों को आई.एम.डी.टी. एक्ट के अन्तर्गत बांग्लादेश वापस भेजा गया? मंत्री जी इनकी पूरी फीगर्स बताएं।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** श्रीमन्, यह दृष्टिकोण का फर्क है। आप कहते हैं कि वे लोग दूसरे देश से आए हैं, उन्हें ऐसा कह कर, कुछ बात सिद्ध किए बगैर, वापस भेज दें, लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और यही बात कुछ माननीय सदस्यों ने यहां बतायी। वे लोग केवल बंगाली भाषा बोलते हैं, इसलिए उनको वापस भेज दिया जाए...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया आपस में बातचीत न करें, कोई व्यवधान उत्पन्न न करें।

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक:** मैं गैर कानूनी ढंग से घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। मैं बंगला भाषा बोलने वालों की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग बैठिये। मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, आप लोग इंटरप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** अध्यक्ष जी, इसीलिये आई.एम.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो यह बताता है कि कौन लोग बाहर से आये हैं। उसके बाद उसे वापस भेजा जाता है, न कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भेजना होता है। यहां हमने न्याय करने की कोशिश की है। हम यहां बैठकर अन्याय करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमें न्याय करना चाहिये, क्योंकि न्याय करने के लिए कानून बना हुआ है।

*[अनुवाद]*

**श्री हरिन पाठक:** महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंने आंकड़ों के बारे में पूछा है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। प्रश्न संख्या 182—श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)* *

**अध्यक्ष महोदय:** हरिनजी, यह आपकी सोच हो सकती है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपका एक मैम्बर महत्त्वपूर्ण प्रश्न करना चाहता है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह ठीक नहीं है। मैं आपके साथी को पहले ही बुला चुका हूं। कृपया बैठिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप बोलते जा रहे हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

डा. शर्मा, आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि देश की आतंरिक सुरक्षा के मुद्दे पर सभा में एक व्यापक बहस हुई है। ये सब मुद्दे उठाये जा चुके हैं और माननीय मंत्रीजी आज ही इस बहस का जवाब देंगे।

अब प्रश्न संख्या 182।

*[हिन्दी]*

## ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन

***182. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

---

*कार्यवाही—वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) से (घ) भारत के प्रधानमंत्री 14 दिसंबर, 2004 को ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय अभियान आरंभ करेंगे। राष्ट्रीय अभियान में जन जागरूकता पैदा करने, ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझने और ऊर्जा के उपयोग को इष्टतम बनाने के माध्यम से देश के लोगों से ऊर्जा संरक्षण अभियान का हिस्सा बनने के अनुरोध पर ध्यान देने की आयोजना बनाई गई है।

राष्ट्रीय अभियान में निम्नलिखित क्षेत्रों को लक्षित किया गया है—

- घरेलू क्षेत्र
- वाणिज्यिक क्षेत्र
- कृषि क्षेत्र
- औद्योगिक क्षेत्र
- सरकारी भवन अस्पतालों सहित
- सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटें और
- शैक्षिक संस्थान।

*[हिन्दी]*

**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय अभियान देश में आज से शुरू होने जा रहा है और इस अभियान में 7 क्षेत्रों को लक्षित किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण संबंधी क्या कार्यवाही की जाएगी?

*[अनुवाद]*

**श्री पी.एम. सईद:** अध्यक्ष महोदय, यह एक सुखद संयोग ही है कि आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आज प्रात: 9.30 बजे माननीय प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर एक अभियान शुरू कर चुके है जो पूरे वर्ष 2005 तथा उसके बाद भी जारी रहेगा। इस अभियान में सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शन केन्द्र, विज्ञापन, दूरदर्शन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वाद-विवाद, चित्रकला प्रतियोगिताएं, निबन्ध प्रतियोगिताएं, पुरस्कार योजनाएं और अन्य योजनाएं शामिल की जाएंगी जो कि देश में विद्युत का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगी।

महोदय, यह विरोधाभास ही है कि वह राष्ट्र जहां विद्युत की भारी कमी है और उसकी व्यापक मांग है वे ऊर्जा का समुचित उपयोग नहीं करते परन्तु वे राष्ट्र जहां अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध है वे ऊर्जा का समुचित उपयोग करते हैं। भारत में, औसत 6 से 7 प्रतिशत विद्युत की कमी है। अधिकतम खपत के समय यह कमी 10 से 11 प्रतिशत हो जाती है। कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किये गए अध्ययनों के अनुसार 23 प्रतिशत तक ऊर्जा बचायी जा सकती है।

इसका मतलब है कि यदि 23 प्रतिशत ऊर्जा बचायी जा सकती है तो 25,000 मेगावाट विद्युत बचायी जा सकती है। ऊर्जा बचाना इतना महत्त्वपूर्ण है कि हम यह चाहेंगे कि इस संदेश का प्रसार पूरे वर्ष 2005 में हो। यहां उपस्थित सभी सदस्यों से यह मेरी विशेष अपील है कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों तथा संसदीय क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रयास करें कि यह संदेश अधिकाधिक लोगों के बीच फैले। एक प्रतिशत बिजली बचाने का मतलब 1140 मेगावाट विद्युत बचाना है। निवेश के मामले में एक प्रतिशत का अर्थ 4500 करोड़ रुपये है। अत: इसका महत्त्व महसूस किया जाता है। विद्युत मंत्रालय ने इसे गम्भीरता से लिया है। मेरी आप सबसे अपील है कि इस मुद्दे को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसी तरह उठाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ऊर्जा की बचत के लिए राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम बताये हैं, लेकिन जहां ऊर्जा का ज्यादा लॉस होता है, वितरण में जो लॉसेज होते हैं, उन लॉसेज को कम करने या रोकने के बारे में इस मिशन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मिशन के तहत जो राष्ट्रीय अभियान चला रही है, उसमें वितरण लॉसेज को कम करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने वितरण घाटे के बारे में पूछा है।

**श्री पी.एम. सईद:** उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के बारे में पूछा है। यही इस प्रश्न की मुख्य बात है। परन्तु पारेषण और वितरण हमारे विद्युत क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी है। अब भारत सरकार ने विशेषतया नई सरकार ने अपने अधिदेश में राज्य सरकारों से कहा है कि पांच वर्षों के भीतर अर्थात् वर्ष 2009 तक गांव के हर घर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए हमने रणनीति और योजना पहले ही तैयार कर ली हैं। उनका प्रश्न केवल पारेषण और वितरण घाटे तक ही सीमित है। वे मुझे इस बारे में एक अलग प्रश्न पूछ सकते है। मैं उसका जवाब दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय:** आप एक अन्य सूचना दें और आपको अन्य प्रश्न पूछने की अनुमति मिलेगी।

**श्री पवन कुमार बंसल:** अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विद्युत शुल्कों के संबंध में विशेषकर घरेलू विद्युत उपयोग के मामले में बिना विद्युत यूनिटों की संख्या की परवाह किये एक न्यूनतम विद्युत शुल्क वसूल करने की प्रणाली या शर्त ऊर्जा संरक्षण में प्रोत्साहन के विरुद्ध कार्य करती है, मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों में न्यूनतम शुल्क वसूल करने की प्रणाली समाप्त करने के बारे में कोई राय देगी। क्योंकि यदि यह प्रावधान बना रहता है तो लोगों की प्रवृत्ति कम से कम उतनी विद्युत की मात्रा का उपयोग करने की रहती है और इससे बजाय विद्युत बचाने के उसकी बर्बादी होती है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह इस प्रश्न का भाग नहीं है और इस प्रश्न से संबंधित भी नहीं है। आपने बड़ी बुद्धिमता से यह प्रश्न रखा है।

**श्री पवन कुमार बंसल:** यह विद्युत की बचत से संबंधित है।

**श्री पी.एम. सईद:** यह विनियामक आयोग से संबंधित है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में है...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि ग्रामीण विद्युत आपूर्ति नीति में इस मुद्दे का ध्यान रखा जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

**श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव:** भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 पारित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने राज्य विद्युत विनियमन अधिनियम का पालन या कार्यान्वयन कर रहे हैं।

**श्री पी.एम. सईद:** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार विद्युत मंत्रालय ने एक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का गठन किया है। अगस्त 2002 में एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी बनायी जा चुकी है। ऊर्जा संरक्षण, विशेषकर उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक ईकाइयां जैसे अल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरो अलकली, उर्वरक आदि जिनमें विद्युत की अधिक मात्रा में खपत होती है, पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

जैसे ही उद्योग को निर्धारित उपभोक्ता मान लिया जाता है, ऊर्जा लैखा परीक्षा तथा ऊर्जा लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति को पहले ही अनिवार्य बना दिया जाता है।

घरेलू खपत के मामलों में भी यह अभियान चलाया जा रहा है कि ऊर्जा बचत प्रणाली और ऊर्जा बचत दर्शाने वाले लेबल लगाये जाएं इस एक वर्षीय विशेष अभियान में इन सभी पक्षों पर विचार किया जाएगा। मान लीजिए कि 'क' कम्पनी द्वारा निर्मित रेफ्रीजरेटर की कीमत 20,000 रुपये है तथा 'ख' कम्पनी द्वारा निर्मित रेफ्रीजरेटर की कीमत 25,000 रुपये है यदि उत्पाद पर लगे लेबल से उपभोक्ता को पता चलता है कि 25,000 रुपये की कीमत वाले उत्पाद में बिजली की न्यूनतम खपत होगी तो वह उसी उत्पाद को खरीदने की प्राथमिकता देगा। अन्यथा वह कम मूल्य के रेफ्रीजरेटर को खरीदने का विकल्प अपनाएगा। यह सब बातें हमारे रिकार्ड में है। हमारा प्रयास है कि अभियान को लेबल लगाने पर केन्द्रित किया जाए ताकि ग्राहक इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके...*(व्यवधान)*

**श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव:** मेरा विशेष प्रश्न है। मैं इसे कार्यान्वित कर रहे राज्यों की संख्या जानना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपकी ओर से इस प्रश्न को रख देता हूं। क्या आपके पास राज्यों की संख्या के संबंध में कोई सूचना है?

**श्री पी.एम. सईद:** हमें प्राप्त सूचना के अनुसार सभी राज्य इसका पालन कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है।

**श्री अबदुल्लाकुट्टी:** महोदय, अनेक राज्यों में ऊर्जा की हानि एक गम्भीर समस्या है। यदि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण आयोग बनाया जाता है तो क्या ऊर्जा के दुरुपयोग के विषय का क्या सरकार प्रस्तावित आयोग के अधिकार में लाना चाहेगी?

**श्री पी.एम. सईद:** राष्ट्रीय कार्ययोजना में यह बात पहले ही सम्मिलित कर ली गयी है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा भी इसका ध्यान रखा जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्री आलोक कुमार मेहता:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ऊर्जा वितरण व्यवस्था में पुरानी तकनीक के आधार पर निर्मित उपकरणों और मशीनों की वजह से ऊर्जा की हानि होती रही है? क्या सरकार वितरण व्यवस्था में ऐसे उपकरणों और मशीनों की रीप्लेसमैंट, नई तकनीक से बने उपकरणों को प्रयोग करने और उनके आधुनिकीकरण के बारे में इस मिशन के तहत कोई विचार रखती है?

*[अनुवाद]*

**श्री पी.एम. सईद:** यद्यपि यह प्रश्न प्रत्यक्षत: संबंधित नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि सरकार ने वितरण और पारेषण क्षेत्र पर अधिकतम ध्यान दिया है जबकि इस क्षेत्र पर अभी तक बहुत कम ध्यान दिया जाता रहा है। ए.पी.डी.आर.पी. योजना शुरू की गयी है और लगभग सभी राज्य इसका उपयोग

कर रहे हैं। अब पुरानी मशीनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और उत्पादकता बढ़ायी जा रही है। इससे वित्तीय हालत में भी सुधार हुआ है। इसीलिए अब विद्युत बोर्ड केन्द्र में सरकारी उपक्रमों की बकाया राशि का भुगतान कर पाने की स्थिति में आ सके हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** अब श्री रामदास आठवले; कृपया संबंधित प्रश्न पूछें अन्यथा उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले:** अध्यक्ष महोदय, बिजली की चोरी पूरे देश में हो रही है,. जिसके कारण आपके विभाग को बहुत घाटा हो रहा है। बिजली की चोरी में अधिकारियों की मिलीभगत भी होती है। बिजली चोरी को रोकने और बिजली का संरक्षण करने का अभियान अभी प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। बिजली का संरक्षण नहीं होगा तो देश का भी संरक्षण नहीं हो सकता।

मेरा सवाल है कि बिजली की चोरी करने वाले और उनका साथ देने वाले जो आपके विभाग के अधिकारी हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की है और इसे रोकने के लिए आप कोई नीति बनाने वाले हैं या नहीं?

**श्री पी.एम. सईद:** अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, परंतु मैं इतना ही कहूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में चोरी सबसे बड़ी बीमारी रही है। इसलिए विद्युत अधिनियम 2003 के कानून के अंतर्गत हमने ऐसे बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्रवाई के प्रावधान किये हैं।

महोदय, कई राज्य सरकारों ने इन पर अमल भी किया है और स्पीकर साहब, आपकी स्टेट ने इस मामले में सराहनीय काम किया है, क्योंकि वहां ऐसे कई लोगों को पकड़ा गया है और उन पर मुटकमे भी चलाए जा रहे है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रशंसा के लिए धन्यवाद।

*(व्यवधान)*

**श्रीमती जयाप्रदा:** अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2009 तक एक कार्य योजना के माध्यम से सभी गांवों और घरों में बिजली प्रदान करेंगे। क्या उन्होंने कार्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जैसे वर्ष 2005-06 में कवर किये जाने वाले गांवों को चिह्नित कर लिया है क्या उन्होंने इसका कोई सर्वेक्षण किया है कि गांव में कितने घरों तक बिजली पहुंचेगी?

**अध्यक्ष महोदय:** यह प्रश्न ऊर्जा संरक्षण के संबंध में है।

*(व्यवधान)*

**श्री पी.एम. सईद:** हमारे देश में 1,25,000 गांवों में अभी बिजली नहीं पहुंची है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमने फिर से अपनी नीति बनायी है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** पांच वर्षों के अंदर।

*(व्यवधान)*

**श्री पी.एम. सईद:** जी हां, महोदय राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत पांच वर्ष के अंदर ही ऐसा किये जाने के निर्देश दिये गये है। यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि 2009 तक देश के प्रत्येक गांव को बिजली मिल जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया आउट साइड बिहार प्रश्न पूछिए।

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** अध्यक्ष महोदय, पहले सारा देश और सारे देश में बिहार है।

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है, बोलिए।

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि प्रधान मंत्री जी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया है और वह अभियान आज प्रारम्भ भी हो गया है। अभी मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने घरेलू क्षेत्रों, वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों को ऊर्जा संरक्षण के लिए लक्षित किया है। निजी क्षेत्रों में जो बिजली दी जाती है, मैं समझता हूं कि उसमें पैसा लगता है, इसलिए लोग स्वयं कम बिजली जलाना चाहते हैं, कम बिजली खर्च करना चाहते हैं।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी तक क्या उन्होंने इस बात का सर्वेक्षण कराया है कि घरेलू क्षेत्र में कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, जहां बिजली की खपत ज्यादा होती है और चोरी भी ज्यादा होती है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जहां तक चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, चोरी रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, क्या उन्होंने राज्य सरकारों से मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था की है जिससे बिजली की चोरी पर अंकुश लग सके?

महोदय, जब बिजली देंगे ही नहीं, तो किस चीज का संरक्षण करेंगे? कल लोक सभा में थोड़ी देर के लिए बिजली नहीं थी। दूसरी तरफ इस देश में बिहार जैसे राज्य भी हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 60 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं

हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आपने जो घोषणा की है कि वर्ष 2009 तक आप पूरे देश का विद्युतीकरण करेंगे, क्या आप ऐसे राज्यों को, जिनमें ज्यादा प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं है, जैसे बिहार है, क्या आप उन राज्यों को ज्यादा निधि उपलब्ध कराएंगे, जिससे वर्ष 2009 तक आप लक्ष्य की पूर्ति कर सकें?

**श्री पी.एम. सईद:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न यह किया है कि क्या हमारे पास घरों के आंकड़े हैं जिनका हमने विद्युतीकरण किया है, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के आंकड़े अभी हमारे पास नहीं हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जब हम बिजली नहीं देंगे, तो उसका यूज कैसे होगा और चोरी कहां से होगी, मैं बताना चाहता हूं कि देश में सिर्फ पांच-छः राज्य ऐसे हैं जो बिजली के मामले में सरकार के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बने हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** आप उनके नाम बताईए।...*(व्यवधान)*

**श्री पी.एम. सईद:** आप नाम मत पूछिए। नाम जानकर आपको खुशी नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पूछा कि बिजली उत्पादन के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 41,110 मैगावाट बिजली उत्पादन का हमने टारगेट रखा है जिसे हम पूरा भी करेंगे और अगली पंचवर्षीय योजना, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, हमने उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 60 हजार मैगावाट रखा है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** महोदय, मंत्री जी ने बताया कि पारेषण और वितरण घाटे ऐसे दो पहलू हैं जिनमें बिजली का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई मूल्यांकन कराया है कि उन्हें कितनी ऊर्जा की हानि पारेषण घाटे और चोरी के जरिए हो रही है तथा इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं।

**श्री पी.एम. सईद:** महोदय, पारेषण और वितरण घाटे के बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। हमने ए.पी.डी.आर.पी.—योजना बनाई है जिसके जरिए हम बिजली घाटे पर नियंत्रण कर रहे हैं। इस योजना के द्वारा सभी राज्यों के बिजली विभागों ने अपनी स्थिति बेहतर बनाई है।

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आठ-नौ दलों को आठ से नौ अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया है।

*...(व्यवधान)*

**प्रतिभा पलायन**

***183. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय इंजीनियरों और तकनीकविदों को विदेशों द्वारा आकर्षक पैकेज देकर ललचाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय प्रतिभा के इस पलायन को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

देश छोड़कर जाने वाले इंजीनियरों और तकनीकविदों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। भारतीय इंजीनियर और तकनीकीविद उच्चतर अध्ययन अथवा रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तकनीकी कार्मिकों का विदेश जाना न केवल अवश्यम्भावी है अपितु अनेक मामलों में यह देश के लिए लाभप्रद भी है। कुशल इंजीनियरों और तकनीकविदों को विदेश जाने से रोकने के लिए कोई विनियामक कार्यढांचा बनाना न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय है।

*[हिन्दी]*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि "भारतीय अभियंता और प्रौद्योगिकविद उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए विदेश जाते है।" इसमें हम कोई दखल नहीं देना चाहते और देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसके कारण "हाल के कई मामलों में यह देश को सकारात्मक लाभ दे सकता है।" इससे देश को लाभ भी हो रहा है, ऐसा मंत्री जी ने उत्तर में कहा है। आपको पता है कि देश में कई आई.आई.टीज, यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन उनकी खास फेकल्टीज में आजकल प्रोफेसर्स नहीं हैं। इसी कारण शिक्षा ठीक न मिलने के कारण विद्यार्थी विदेश जा रहे हैं। क्या उन्हें विदेशों में जाने से रोकने के लिए आप कोई अच्छा पैकेज बनाएंगे, ताकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में, होस्पिटल, मेडीकल और यूनिवर्सिटीज में वे लोग आ सकें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब—संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा बी.पी.ओ. आउटसोर्सिंग—इस देश में हो रहा है, इससे हमारा कितना टेलेंट अरेस्ट हुआ है।

*श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्तर में कहा गया है कि जब इंजीनियर्स, टैक्नोक्रेट्स को बाहर जाने में रुकावट नहीं हैं, ट्रेनिंग और जॉब के लिए भी नहीं है, उनके ऊपर किस प्रकार का बंधन लगाया जाए, जो इनफोर्सेबल हो—जो किया जाना पसंद हो, परन्तु लागू नहीं किया जा सकता है—बाध्यकरण का कोई मतलब नहीं होता। मैंने कारण भी बताए कि ऐसा क्यों है।*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील:** अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इसका देश में पॉजिटिव इम्पेक्ट क्या हो रहा है? दूसरा, आपको पता है कि अच्छी शिक्षा और एम्प्लायमेंट के लिए विद्यार्थी विदेश जा रहे हैं, क्या सरकार की कोई ऐसी सोच है ताकि विदेशी विश्वविद्यालय को हिन्दुस्तान में इजाजत दे दी जाए या यहां कोई प्राईवेट यूनिवर्सिटी खोल कर अच्छी शिक्षा का प्रावधान करें जिससे विदेश में जो बच्चे जा रहे हैं, उनमें जिन परिवारों की आमदनी ज्यादा है, केवल वही बच्चे विदेश जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* पिछले साल 2002-2003 में 75 हजार बच्चे अमेरिका में गए हैं, इस दिशा में सरकार की क्या सोच है कि यहां रहते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, हिन्दुस्तान में ही उन्हें फायदा मिले?

**श्री अर्जुन सिंह:** महोदय, यह विषय सीधा मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह विषय महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि इस विषय पर एक राष्ट्रीय नीति बने। उस नीति के अनुसार ही बाहर से यूनिवर्सिटी, प्राईवेट या जो भी आए, इस प्रकार की यहां यूनिवर्सिटी हों या उनका समावेश हो, यह देश के हित में नहीं है। इसलिए इस विषय पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रयास हो रहा है। इस संबंध में मैं जल्दी ही सदन के सामने एक स्टेटमेंट रखूंगा।

*[अनुवाद]*

**श्री सुरेश अंगड़ि:** अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त ने उन प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के निरस्तीकरण का आदेश जारी किया है जिन्होंने इस पद पर राजग सरकार के दौरान वर्ष 2000 के बाद पदभार सम्भाला था। पूरे देश में इनकी संख्या 300 से भी ज्यादा है। ये प्रधानाचार्य जिन्होंने पद ग्रहण किया वे शुरुआत में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए थे। इस पद पर रहते हुए इनमें से कुछ ने काफी बेहतर परिणाम दिए। इन्हें प्रतिनियुक्ति विस्तार भी दिया गया है। पिछले चार वर्षों में पूरे देश में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालयों में सभी तरह के क्रियाकलापों में सुधार आया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह इन सभी प्रधानाचार्यों द्वारा किए गए कठिन कार्य का परिणाम है।

मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय ने जो परिणाम दिए हैं वह निम्नलिखित है : वर्ष 2000 के लिए यह आंकड़ा 76 प्रतिशत था और बाद का 80 प्रतिशत; वर्ष 2004 के लिए यह आंकड़ा 92 प्रतिशत था और बाद का 98 प्रतिशत।...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्हें बाद में क्यों बदला गया है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता है।

**श्री सुरेश अंगड़ि:** उन्हें कृपया यह बताना चाहिए क्योंकि शिक्षा में राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे खेद है। आपको उस प्रश्न के लिए अलग से सूचना देनी चाहिये। मैं इसकी अनुमति दूंगा।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** यह सवाल भा.भा.भा. के बारे में है—भारत से भागा हुआ भारतीय—पहले ऐसा कहा जाता था, बाद में उसे दूसरे नाम भी दिये गये हैं। मैं यह नहीं चाहता कि उनके ऊपर डीसेंसिटिव के जरिए रुकावट पैदा की जाये, लेकिन हमारा जो दिमाग है, उन्हें भारत में ही काम करने की अगर सहूलियत मिलती है, तो इसमें कुछ इन्सेंटिव देने की जरूरत है। हम उनके लिए रिसर्च एण्ड डैवलपमेंट में प्रावधान नहीं करते, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो। इससे हमारा उनको तैयार करने में जो खर्च होता है, जो नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे बाद में जो भी फायदा हो, आज के वैश्वीकरण के जमाने में, हम अपने टेक्नोक्रेट्स को या मैडिकल प्रैक्टिशनर्स को बाहर भेजने से ज्यादा, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वह इस देश में रहकर बी.पी.ओ. की शक्ल में हो। उससे हमारा टिकल डाउन इफैक्ट भी कुछ होगा और हमारी संस्थाएं वहां जाकर काम कर सकती हैं, हमारे विश्वविद्यालय वहां जाकर शिक्षा दे सकते हैं। हमारे इतने संसाधन हैं, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। मैं सरकार से चाहूंगा कि आप जवाब में यह कहते कि ऐसा कोई आंकड़ा यहां नहीं रखते, जो सरासर मेरी समझ से गलत है, चूंकि मैं इल्लीगल एक्सोडस की बात नहीं कर रहा...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप प्रश्न पूछिए।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** क्वैश्चन है कि जो लोग विदेश जाते हैं, वे आपका पासपोर्ट लेकर पासपोर्ट दफ्तर से इम्मीग्रेशन क्लियरेंस लेकर जाते हैं। सवाल सिर्फ रीकन्सीलिएशन का है कि जो तथ्य पासपोर्ट दफ्तर में है, उसके रिकन्सीलिएशन की जरूरत है। क्या सरकार यह प्रावधान करेगी कि हम आंकड़ा इकट्ठा करके रीकन्साइल करें

और सदन को बतायें कि हर साल कितने लोग ऐसे जाते हैं, चाहे शिक्षा के नाम पर जायें या ट्रेनिंग के लिए जायें, लेकिन वापस नहीं आते हैं? यह आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में है, उसे इकट्ठा करने का काम, क्या आप दूसरे दफ्तर से लेकर, करेंगे या नहीं?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री जी, क्या आप इस खास जानकारी को जुटा सकते हैं? यह वह कह रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री अर्जुन सिंह:** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह आंकड़ा अलग-अलग स्रोतों से इकट्ठे भले ही हो जाये, लेकिन जब तक ऐसा कोई प्रावधान सामने नहीं आये, जिनसे जाने वालों को रोका जा सके, तब तक ये आंकड़े भी क्या दिखाएंगे। आज की स्थिति में किसी को रोकने के लिए कौन सा प्रावधान है।..*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने 'नहीं' कहा। यह कोई नहीं जानता कि कौन नहीं लौटेगा।

**श्री अर्जुन सिंह:** महोदय, वे लौटेंगे कि नहीं यह नहीं मालूम परन्तु यह संभव नहीं है कि किसी को रोका जा सके।

**श्री तथागत सत्पथी:** महोदय, इस देश में ज्यादातर समस्याएं शिक्षा के अभाव या कम शिक्षा से उपजती हैं। कई देशों में, संयुक्त राज्य अमरीका जैसे विकसित देशों में भी उच्च तकनीकी शिक्षा सरकार या समाज द्वारा राजसहायता प्राप्त है। जब कोई छात्र उस स्तर की उच्च तकनीकी शिक्षा हासिल करने के बाद विदेश जाकर काम करना और पैसे कमाना चाहता है तब समाज द्वारा उस पर किए गए निवेश को उसे वापस करना पड़ता है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह उन छात्रों से जो विदेश जाना चाहते हैं, उनको पासपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार या समाज द्वारा उनकी शिक्षा अथवा राजसहायता पर किये गए व्यय का भुगतान करने के लिए कहेगी।

**अध्यक्ष महोदय:** वह उन पर कुछ लेवी लगाने की बात कर रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह:** महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही विचारशील प्रश्न उठाया है। मैं मात्र यह अनुरोध करूंगा कि कुछ सुझाव भी दिया जाना चाहिए कि कैसे इस विनियम को लागू करवाया जा सकता है।..*(व्यवधान)* हमें बहुत प्रसन्नता होगी।

**अध्यक्ष महोदय:** आप उनसे सही समय पर मिलिए।

**श्री अर्जुन सिंह:** यही तो सारी समस्या है।

**श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अनुसंधान और विकास संस्थानों में उपयुक्त कार्य वातावरण के अभाव के कारण अधिक प्रतिभा पलायन हो रहा है। अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थिति को सुधारने के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है?

**श्री अर्जुन सिंह:** महोदय, देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना अपने आप में एक उद्देश्य है। इसका उन लोगों पर प्रभाव जो विदेश जा रहे हैं एक अलग मामला है। निस्संदेह, उन सभी संभव उपायों को अपनाया जा रहा है जो हमारे संस्थानों के स्तर को सुधारने में सक्षम हैं। इसके अलावा और अधिक कदम भी उठाए जा सकते हैं, परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को विदेश जाने से रोकने का मामला तब तक नहीं सुलझ सकता है जब तक कुछ अन्य उपाय भी न किए जाएं।

**श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि विदेशों में काम करते हुए अपने संबंधित क्षेत्रों में अच्छे कार्यों के लिए भारतीय मूल के कितने लोगों, प्रौद्योगिकविद् और अभियंताओं ने नोबेल पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ मेरिट जैसे पुरस्कार प्राप्त किये हैं? क्या उनमें से कोई उसके बाद भारत लौटा है? इस संबंध में क्या सरकार ने कोई अध्ययन कराया है? क्या उन्हें सिर्फ यहां रहने के लिए कोई खास तवज्जो देने की मंशा है ताकि वो विदेश वापस जाने के लिए आकर्षण महसूस न करें?

**अध्यक्ष महोदय:** वह कार्रवाई के लिए सुझाव मांग रहे हैं। आप कृपया उन्हें सुझाव दीजिए कि यह कैसे किया जाए।

**श्री अर्जुन सिंह:** महोदय, मैं इसका स्वागत कर रहा हूं। यदि सुझाव आएंगे तब निस्संदेह हम इन पर विचार करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** बहुत अच्छा। आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप कृपया इसे उन्हें दे दीजिए।

**श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** महोदय, केन्द्रीय विद्यालयों में 300 से ज्यादा प्रधानाचार्यों को बरखास्तगी की सूचना दी गई है, जिनकी नियुक्ति राजग सरकार के दौरान की गई थी।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न क्या है?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह प्रश्न उठता ही नहीं है। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, परन्तु यह अनुपूरक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। कृपया अलग से प्रश्न पूछिए। इस प्रश्न से संबंधित अंतिम अनुपूरक प्रश्न श्री मोहन सिंह द्वारा पूछा जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह:** अध्यक्ष महोदय, देश की आई.आई.टी. से एक टैक्नोक्रैट तैयार करने में भारत सरकार का 10-12 लाख रुपया खर्च होता है। इस गरीब देश का इतना रुपया खर्च करके जब हम एक तेजस्वी और होनहार नौजवान को तैयार करते हैं और किसी सुख-सुविधा के प्रलोभन में वह इस देश के बजाए दूसरे देश में जाकर अपनी सेवाओं, अनुभव और ज्ञान का लाभ देता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह भारत के लिए चिन्ता का विषय है और विदेश जाने वाले ऐसे टैक्नोक्रैट्स को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसे तैयार करने में भारत सरकार ने, इस गरीब देश का जो रुपया खर्च किया है, क्या उसकी एवज में कुछ लेने की व्यवस्था भारत सरकार करेगी?

**श्री अर्जुन सिंह:** अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव विचार योग्य है।

*[अनुवाद]*

**एल.बी.जेड. के स्वरूप में परिवर्तन**

+

***184. श्री चंद्रकांत खैरे:**
**श्री एन.एस.वी. चित्तन:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान बंगलों को गिराकर वी.आई.पी. व्यक्तियों के लिए डुप्लैक्स मकानों का परिसर बनाकर लुटियंस दिल्ली के स्वरूप में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या वर्तमान बंगलों का जीवनकाल पूरा हो गया है और उनका रख-रखाव करना महंगा हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लुटियंस बंगलों जोन (एल.बी.जैड.) के स्वरूप को सुरक्षित रखने को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के नए मास्टर प्लान में लुटियंस जोन और सैण्ट्रल दिल्ली के लिए 1988 के दिशानिदेशों तथा कानून को लागू करने का कड़ाई से पालन करने का है;

(छ) क्या सरकार का विचार एल.बी.जेड. में किसी परिवर्तन की पहचान करने हेतु एक सर्वेक्षण करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विरासत को बचाने और लुटियंस जोन की यथास्थिति बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

लुटियन्स दिल्ली के स्वरूप में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में, सरकार का यह दृढ़ मत है कि लुटियन्स बंगलों जोन (एल.बी.जेड.) के स्वरूप और परिवेश को अवश्य बनाये रखा जाना चाहिए।

इस जोन में मौजूदा बंगले 70 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उन्होंने अपनी जीवन अवधि पूरी कर ली है तथा उनका रखरखाव महंगा हो गया है। इनमें से कुछ बंगलों को खतरनाक भी घोषित किया गया है/उन्हें गिरा दिया गया है। एल.बी.जेड. दिशानिर्देशों के पैरामीटरों के भीतर रहते हुए पुराने बंगलों के स्थान पर पुनर्विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सरकार एल.बी.जेड. दिशानिर्देशों को लागू कर रही है जिन्हें वर्ष 1988 में जारी किया गया था तथा जिन्हें नई दिल्ली जोन की जोनल विकास योजना में अधिसूचित भी किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित लोकहित वाद के संबंध में बंगलों में परिवर्तन/अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और संपदा निदेशालय के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा "लुटियन्स बंगलों जोन" में स्थित बंगलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्री चंद्रकांत खैरे:** अध्यक्ष जी, दिल्ली में लेट ब्रिटिश आर्किटैक्ट सर ऐडविन लुटियन्स के मार्गदर्शन और कल्पना से एल.बी.जैड., यानी लुटियन्स बंगलों जोन 70 साल पहले बनाए गए थे। आज उनकी स्थिति बहुत ही असुरक्षित है। आज हेरीटेज होने के कारण उन्हें आल्टर नहीं किया जा सकता। उनमें कई वी.आई.पीज, मंत्रीगण, सांसद और अधिकारीगण रहते हैं। उनकी हालत खराब होने के बावजूद उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस मामले में डायरैक्शन दी हैं कि उनको मौनूमैंट्स की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन आज प्रधान मंत्री के बंगले में क्रैक आ गया है, ऐसा एक न्यूजपेपर में आया था। क्या यह सच है कि उसमें क्रैक आया है और वह असुरक्षित है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कई बंगलों में सी.पी.डब्ल्यू.डी. या और किसी माध्यम से आप कंस्ट्रक्शन या रिपेयर करवाना चाहते हैं? उनमें और क्या बदलाव करना चाहते हैं, इसका ब्यौरा दीजिए?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपका अनुपूरक (ज) के बाद है। आपने छह प्रश्न एक में ही पूछे है।

*[हिन्दी]*

**श्री गुलाम नबी आजाद:** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रधान मंत्री निवास का सवाल है, वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसमें किसी किस्म की असुरक्षा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री रामदास आठवले, कृपया बैठिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री गुलाम नबी आजाद:** लेकिन यह हकीकत है कि जो लुटियन्स बंगलो हैं, उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। कुछ बंगले जैसे 2, जनपथ, 7, मोती लाल नेहरू प्लेस, 7, मोती लाल नेहरू मार्ग, 2 सुनहरी बाग रोड असुरक्षित माने जा रहे हैं। इसलिए इनमें से तीन मकानों को गिरा दिया गया है। जहां तक 2, सुनहरी बाग रोड बंगले का सवाल है, इसे गिराया नहीं गया है लेकिन अभी तक हमने इसे किसी को एलॉट नहीं किया है।

आपने दूसरा, तीसरा और चौथा मिलाकर जो प्रश्न पूछा है, यह हकीकत है कि इन एरियाज में हम अभी नये मकान नहीं बना रहे। यह ठीक है कि एम.पीज, सैक्रैट्रीज, जजेज वगैरह के लिए जगह की कमी है लेकिन तकरीबन इन चार बंगलों को छोड़कर बाकी सभी बंगले भरे हैं। अब हम नये बंगले बनायें तो कैसे बनायें? इसलिए अर्बन मिनिस्ट्री ने एक ऑल्टरनेट प्लान बनाया है कि जो एल.बी.जेड. एरिया से बाहर के एरियाज हैं, जैसे नेताजी नगर और मोती बाग है, उनमें हम तकरीबन 14 बंगले टाइप आठ के बनाना चाहते हैं, 100 के करीब सात टाइप के और 350 के करीब छ: टाइप के बंगले बनाना चाहते हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे लगता है कि यह संपूर्ण उत्तर है।

*[हिन्दी]*

**श्री चंद्रकांत खैरे:** अध्यक्ष जी, मंत्री जी एल.बी.जेड. के डेवलपमैंट नार्म्स क्या बनाने वाले हैं, आपने यह नहीं बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि कई सांसदों तथा मंत्रियों को अभी तक निवास नहीं मिले हैं। आप मंत्रियों की बात तो छोड़ दीजिए, मैं सांसदों की बात कर रहा हूं कि उनको अभी तक रिहायशी मकान नहीं मिले हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अभी जो दो-तीन नयी बिल्डिंग्स बनाई हैं, उसी तरह से क्या कोई और नये रिहायशी बंगलो बनाने का आपका प्लान है? इसी के साथ आप एल.बी.जेड. एरिया में क्या डेवलपमैंट नार्म्स बनाने जा रहे हैं, वे भी बताइये।

**श्री गुलाम नबी आजाद:** अध्यक्ष जी, इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया है। जहां तक एम.पीज का सवाल है, सभी एम.पीज बंगलो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जगह की कमी है। माननीय सांसदों को दो किस्म के मकान दिये जाते हैं चाहे वे इस सदन के माननीय सदस्य हों या दूसरे सदन के माननीय सदस्य हों, लेकिन ऑफ लेट सभी माननीय सदस्य बंगलो प्रिफर करते हैं। अब फ्लैट्स में कोई जाना नहीं चाहता इसलिए जगह की कमी पैदा हो रही है। जैसा मैंने पहले कहा कि कुल मिलाकर चाहे वे मिनिस्टर्स हों, सैक्रेट्रीज हों, जजेज हों या कमीशन्स के चेयरमेन हों, उनके लिए जगह की कमी है। अब हम एल.बी.जेड. एरिया के बाहर, जैसे मैंने दो जगहों की चर्चा की, वहां हम छ:, सात और आठ टाइप के बंगलो बनाने जा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री एन.एस.वी. चित्तन:** महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि लुटियन्स बंगला क्षेत्र की रूपरेखा और निर्माण सर एडवर्ड लुटियन्स द्वारा 1924 में किया गया था। हालांकि निर्माण क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी आती जा रही है परन्तु इन भवनों को इनकी विरासत और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ बंगले अच्छी स्थिति में नहीं है तथा इन्हें खतरनाक घोषित किया गया है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि यदि इन्हें खतरनाक घोषित किया जा चुका है तब इन विद्यमान इमारतों के बदलाव या पुनर्निर्माण पर सरकार खर्च क्यों कर रही है? चौदहवीं लोकसभा के गठन के बाद छह महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, परन्तु अब तक कई संसद सदस्यों को उचित आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप सीधे प्रश्न पूछिये।

**श्री गुलाम नबी आजाद:** मैं पहले ही कह चुका हूं कि खतरनाक घोषित किए गये चार में से तीन बंगलों को पहले ही गिराया जा चुका है, तथा चौथा बंगला किसी को भी आवंटित नहीं किया गया है। ये वही भवन हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया था।

जहां तक माननीय संसद सदस्यों को आवंटन का संबंध है, मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि माननीय संसद सदस्यों के लिए आवास की ऐसी कोई कमी नहीं है। यदि कोई समस्या है तो वह इसलिए है क्योंकि ज्यादातर संसद सदस्य फ्लैटों के बजाए बंगला लेना चाहते हैं।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### 'फ्लाई ऐश' से बनी ईंटों का प्रयोग

*185. श्री विजय कृष्ण:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी भवनों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे भवनों की स्थिरता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ''फेडरेशन ऑफ आल इंडिया किल्न ओनर्स एसोसिएशन'' ने फ्लाई ऐश के प्रयोग संबंधी सरकार की 1999 की अधिसूचना से प्रभावित हुए बिना कार्य करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि फ्लाई ऐश के प्रयोग से रेडियोधर्मिता पैदा होती है तथा इसके फलस्वरूप रेडियोधर्मी भवनों में वृद्धि हुई है जिसके अपने प्रभाव होते हैं तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी इस संबंध में अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा फ्लाई ऐश के खतरे को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (छ) सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 27.8.2003 की अधिसूचना सं. 773 द्वारा यथा संशोधित दिनांक 14.9.1999 की अधिसूचना संख्या 563 द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों के 100 किमी. के दायरे के भीतर सरकारी भवनों सहित निर्माण कार्यकलापों में फ्लाईऐश ईंटों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है।

प्रौद्योगिकी सूचना पुर्वानुमान तथा आकलन परिषद् (टैक्नोलॉजी इंफोर्मेसन फोरकॉस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल) (टी.आई.एफ.ए.सी.) के तहत फ्लाईऐश मिशन ने देश में चार प्रयोगशालाओं में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के परिणाम से यह पता चलता है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के अनुसार निर्मित फ्लाईऐश ईंटें मिट्टी से निर्मित ईंटों के समान ही टिकाऊ है।

अखिल भारतीय ईंट तथा टाइल निर्माता संघ सामान्यत: यह अनुरोध करता रहा है कि ताप ऊर्जा केन्द्रों के 100 किमी. के भीतर स्थित ईंट भट्टों के लिए मिट्टी से निर्मित ईंटों में फ्लाईऐश का उपयोग वैकल्पिक रखा जाए। सरकार ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की है क्योंकि इस अधिसूचना का उद्देश्य मिट्टी से निर्मित ईंटों के निर्माण में प्रयोग की जा रही सतही मिट्टी को संरक्षित करना है।

टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा कराए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि फ्लाईऐश से रेडियो धर्मिता संकेन्द्रण परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) द्वारा निर्धारित मानकों से काफी कम है। ए.ई.आर.बी. और परमाणु ऊर्जा विभाग के परिणामों और निष्कर्षों ने यह पुष्टि की है कि फ्लाईऐश का रेडियो धर्मिता स्तर अनुमत्य सीमा से काफी कम है और निर्माण प्रयोजनों के लिए फ्लाईऐश के प्रयोग की अनुमति देने पर ए.ई.आर.बी. को कोई आपत्ति नहीं है।

*[हिन्दी]*

### दिल्ली में पेयजल का संकट

*186. **श्री अवतार सिंह भड़ाना:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कई भागों में पेयजल का गंभीर संकट है;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रभावित क्षेत्रों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्लीवासियों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि अभी दिल्ली में जल की आकलित मांग 850 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम.जी.डी.) है। वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड 675 मिलियन गैलन जल का प्रतिदिन उत्पादन/आपूर्ति कर रहा है जो कुल मांग से 175 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम है और जिसे जल वितरण को युक्तिसंगत बनाकर पूरा किया जा रहा है। वितरण तंत्र के बिल्कुल अंतिम सिरे पर स्थित या अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों को जल की तुलनात्मक रूप से कम आपूर्ति होती है।

(ग) मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्यों/प्रस्तावों को शुरू किया गया है/की योजना बनाई गई है:—

(i) सोनिया विहार में 140 एम.जी.डी. का जल शोधन संयंत्र

(ii) नांगलोई में 40 एम.जी.डी. का जल शोधन संयंत्र

(iii) (1) बवाना में 20 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र का निर्माण

(2) ओखला में 20 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र का निर्माण

(3) द्वारका में 20 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र का निर्माण

*[अनुवाद]*

**प्राथमिक शिक्षा में विदेशी निवेश**

***187. श्री लोनाप्पन नम्बाडन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक शिक्षा में विदेशी निवेश स्वीकार करने के लिए उपयुक्त नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नयन विभाग द्वारा 11 फरवरी, 2000 को जारी आदेश सं. 7(4)/2000-आई.पी. के जरिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा भी शामिल है, में फरवरी, 2000 से बिना कोई क्षेत्रीय सीमा निर्धारित किए ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है।

यह मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के संबंध में सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके एक क्षेत्रीय नीति तैयार कर रहा है।

*[हिन्दी]*

**नक्सलवाद**

***188. श्री मोहन सिंह:**

**श्री तथागत सत्पथी:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नक्सलियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नक्सलियों द्वारा नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों की जान तथा माल हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 'पीपल्स वार ग्रुप' के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसकी नक्सलवादी समस्या संबंधी समन्वय समिति की 15वीं बैठक में चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्यों द्वारा किये जा रहे प्रयासों तथा अपनाई गई रणनीति की समीक्षा की है;

(ङ) क्या नक्सल समस्या के समाधान के लिए कश्मीर तथा पूर्वोत्तर की तरह ही संयुक्त कमान बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में नक्सलवाद को बढ़ने से रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) 2003 की तदनुरूपी अवधि के तुलना में चालू वर्ष में 30 नवम्बर तक छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| राज्य | घटनायें | |
|---|---|---|
| | 2003 (30 नवम्बर तक) | 2004 (30 नवम्बर तक) |
| छत्तीसगढ़ | 201 | 325 |
| बिहार | 227 | 297 |
| झारखंड | 332 | 344 |
| महाराष्ट्र | 69 | 77 |

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नक्सलियों के हाथों हताहत हुए सिविलियनों, सुरक्षा कार्मिकों तथा क्षतिग्रस्त संपत्ति का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

| राज्य | 2001 | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 (30 नवबर तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक | क्षतिग्रस्त संपत्ति | मारे गए सिविलियन | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक | क्षतिग्रस्त संपत्ति | मारे गए सिविलियन | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक | क्षतिग्रस्त संपत्ति | मारे गए सिविलियन | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक | क्षतिग्रस्त संपत्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| आंध्र प्रदेश | 39 | 21,19,07,000 | 84 | 12 | 17,17,28,466 | 127 | 12 | 9,32,77,120 | 68 | 6 | 2,29,92,800 |
| झारखंड | 46 | 3,30,40,000 | 94 | 63 | 6,35,15,000 | 101 | 16 | 41,61,000 | 111 | 39 | 90,83,577 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 7 | 1,37,000 | 46 | 9 | 3,07,91,669 | 44 | 30 | 71,19,760 | 67 | 8 | 1,15,84,550 |
| बिहार | 24 | 9,00,000 | 111 | 6 | 1,21,75,000 | 102 | 26 | 1,75,87,000 | 150 | 5 | 73,25,000 |
| महाराष्ट्र | 1 | 54,64,000 | 26 | 3 | 78,10,000 | 23 | 8 | 1,06,98,417 | 9 | 6 | 33,90,000 |
| उड़ीसा | 8 | — | 4 | 7 | 58,14,599 | 3 | 12 | 69,55,000 | 4 | 4 | 2,00,000 |
| उत्तर प्रदेश | — | 1,00,000 | 6 | — | 4,00,000 | 8 | — | — | 6 | 17 | — |
| मध्य प्रदेश | — | 29,40,000 | 3 | — | 46,000 | 1 | — | 56,00,000 | 3 | — | 1,83,500 |
| पश्चिम बंगाल | — | — | 7 | — | — | 1 | — | — | 1 | 13 | — |
| केरल | — | — | — | — | 1,28,500 | — | — | — | — | — | — |
| कर्नाटक | — | — | | | — | — | | — | 1 | | — |
| तमिलनाडु | — | — | 1 | 0 | — | — | | — | — | 9 | — |
| कुल | 125 | 25,44,88,000 | 382 | 100 | 29,24,09,097 | 410 | 104 | 14,53,98,297 | 420 | 98 | 5,47,59,427 |

(ग) और (घ) समन्वय केन्द्र ने 5 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली में हुई अपनी 15वीं बैठक में पीपुल्स वार ग्रुप (पी.डब्ल्यू.जी.) के साथ शांति वार्ता आयोजित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल सहित देश में नक्सली परिदृश्य की पुनरीक्षा की थी। बैठक में नक्सलवाद से निपटने के लिए व्यापक रणनीति पर जोर दिया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों द्वारा नक्सली गुटों के साथ, जहां कहीं व्यवहार्य हो, शांति वार्ता आयोजित करना; निरंतर आसूचना पर आधारित सु-समन्वित नक्सल-विरोधी अभियान चलाना और प्रभावित क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए पिछड़े जिलों के लिए पहल (बी.डी.आई.) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) जैसी वर्तमान विकासात्मक योजनाओं का पूर्ण उपयोग करना शामिल है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) संघ सरकार ने देश में नक्सलवाद के फैलाव को रोकने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। इस रणनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:—

(i) प्रशासनिक तंत्र को और अधिक जिम्मेदार, पारदर्शी और संवेदनशील बनाने के लिए इसे मजबूत करना ताकि नक्सल प्रभावित जिलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थानीय प्रतिरोधी दलों का सृजन करने और नक्सली प्रचार/हिंसा का शिकार होने की गलतियों के बारे में सिविल समाज को जागरूक करने सहित तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से लोक शिकायतों को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके और बेहतर वितरण तंत्र बनाया जा सके।

(ii) बेहतर आसूचना एकत्र करने और तंत्रों का आदान-प्रदान करने तथा विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं साजो-सामान से लैस पुलिस बलों के संदर्भ में प्रभावित राज्यों द्वारा स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करना ताकि सतत् और समन्वित रूप से प्रभावी पुलिस कार्रवाई को सुकर बनाया जा सके।

(iii) प्रभावी राज्यों द्वारा, जहां कहीं व्यवहार्य हो, उन नक्सली ग्रुपों के साथ शांति वार्ता आयोजित करना जो हिंसा त्यागने के इच्छुक हों।

*[अनुवाद]*

## शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं

*189. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त रैन-बसेरों और अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के कारण बड़ी संख्या में शहरी गरीब लोग अस्वास्थ्यकर स्थिति में रहते है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में राज्य-वार कितने शहरी गरीब लोग रह रहे है; और

(ग) उन्हें बसेरा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) जी, हां। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के अनुसार वर्ष 2001 के लिए अनुमानित स्लम आबादी के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने दिनांक 2.12.2001 को वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन शहरी स्लम वासियों की स्थिति में सुधार करना है, जिनके पास पर्याप्त आवास नहीं है। स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य स्लम वासियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण व सुधार करना तथा स्कीम के एक घटक, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत समुदाय शौचालयों का निर्माण करके स्वस्थ्य एवं रहने योग्य शहरी वातावरण मुहैया कराना है। दिनांक 31.10.2004 तक कुल मिलाकर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 546.66 करोड़ रु. की केन्द्रीय सब्सिडी जारी की जा चुकी है, जो 2.53 लाख रिहायशी मकानों तथा 30,273 समुदाय शौचालय सीटों से संबंधित है। स्कीम के अंतर्गत संचयी वित्तीय और वास्तविक उपलब्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

सरकार ने दिनांक 1.12.1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है अथवा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार का प्रावधान करना है। दिनांक 31.10.2004 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 1,254 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है (पूर्व शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से खर्च नहीं हुई शेष राशि सहित)। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 6.57 लाख लघु उद्यम स्थापित किए गए हैं, 6.61 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, तथा 5.20 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

सरकार ने अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) नामक एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण में सुधार तथा आवास सुधार सहित भौतिक सुविधाओं व अवस्थापना में सुधार करके शहरी स्लम वासियों की स्थिति को सुधारना है। 30.11.2004 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 2,486 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी है, जिसके परिणामत: 2547 कस्बों में 67,491 स्लम पाकेटों में रहने वाले 3.88 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

*विवरण-I*

*शहरी स्लम आबादी*

| क्र.सं. | राज्य/सं.शा.क्षे. | अनुमानित स्लम आबादी (लाख में) | स्लम आबादी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 60.166 | 9.73% |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.375 | 0.06% |
| 3. | असम | 5.826 | 0.94% |
| 4. | बिहार | 26.583 | 4.30% |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 7.548 | 1.22% |
| 6. | गोवा | 1.141 | 0.18% |
| 7. | गुजरात | 34.388 | 5.56% |
| 8. | हरियाणा | 10.067 | 1.63% |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1.614 | 0.26% |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 7.783 | 1.26% |
| 11. | झारखंड | 8.861 | 1.43% |
| 12. | कर्नाटक | 17.761 | 2.87% |
| 13. | केरल | 16.452 | 2.66% |
| 14. | मध्य प्रदेश | 20.406 | 3.30% |
| 15. | महाराष्ट्र | 107.367 | 17.37% |
| 16. | मणिपुर | 1.132 | 0.18% |
| 17. | मेघालय | 1.161 | 0.19% |
| 18. | मिजोरम | 1.156 | 0.19% |
| 19. | नागालैंड | 0.609 | 0.10% |
| 20. | उड़ीसा | 11.207 | 1.81% |
| 21. | पंजाब | 18.936 | 3.06% |
| 22. | राजस्थान | 32.651 | 5.28% |
| 23. | सिक्किम | 0.123 | 0.02% |
| 24. | तमिलनाडु | 43.585 | 7.05% |
| 25. | त्रिपुरा | 0.893 | 0.14% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 26. | उत्तरांचल | 3.855 | 0.62% |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 73.243 | 11.85% |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 65.78 | 10.64% |
| 29. | अंडमान निकोबार द्वीप | 0.512 | 0.08% |
| 30. | चंडीगढ़ | 2.133 | 0.35% |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 0.039 | 0.01% |
| 32. | दमन और दीव | 0.139 | 0.02% |
| 33. | दिल्ली | 32.566 | 5.27% |
| 34. | पांडिचेरी | 2.128 | 0.34% |
| 35. | लक्षद्वीप | 0.072 | 0.01% |
| | कुल | 618.258 | 90.27% |

*वर्ष 2001 के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के अनुमानों के अनुसार

*विवरण-II*

*31.10.2004 की स्थिति के अनुसार बाम्बे के अंतर्गत राज्य-वार संचित वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धि*

| क्र.सं. | राज्य/सं.शा.क्षे. | भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी लाख रु. में (31.10.04 की स्थिति) | रिहायशी भवनों की सं. | शौचालय सीटों की सं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 12709.330 | 53895 | 392 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.000 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 0.000 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 10.000 | 50 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 964.400 | 4360 | 462 |
| 6. | गोवा | 0.000 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 3473.000 | 20312 | 1460 |
| 8. | हरियाणा | 652.600 | 3263 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.000 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 224.770 | 999 | 0 |
| 11. | झारखंड | 718.800 | 3504 | 90 |
| 12. | कर्नाटक | 6826.700 | 25290 | 5880 |
| 13. | केरल | 3956.850 | 19784 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1390.750 | 5881 | 170 |
| 15. | महाराष्ट्र | 8651.225 | 33284 | 5507 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | मणिपुर | 199.795 | 888 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0.000 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0.000 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 181.350 | 806 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 107.600 | 538 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0.000 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 1240.000 | 5700 | 0 |
| 23. | सिक्किम | 0.000 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 6091.500 | 44520 | 14880 |
| 25. | त्रिपुरा | 374.628 | 1665 | 0 |
| 26. | उत्तरांचल | 401.350 | 1979 | 100 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 3451.330 | 16091 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2010.860 | 8328 | 1212 |
| 29. | अंडमान निकोबार द्वीप | 0.000 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0.000 | 0 | 0 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 0.000 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0.000 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 50.000 | 167 | 0 |
| 34. | पांडिचेरी | 110.700 | 578 | 120 |
| 35. | लक्षद्वीप | 0.000 | 0 | 0 |
| | कुल | 53797.538 | 251882 | 30273 |
| विभिन्न उपघटकों, यथा प्रदर्शन परियोजनाएं, एम.आई.एस., सूचना प्रसार कर्मचारी प्रशिक्षण इत्यादि के अंतर्गत जारी राशि | | 868.600 | 1165 | 0 |
| सकल योग | | 54666.138 | 253047 | 30273 |

*विवरण-III*

*स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्यवार संचित वास्तविक उपलब्धि के ब्यौरे*

*(दिनांक 31.10.2004 की स्थिति)*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम | | | यू.डब्ल्यू.ई.पी. के अंतर्गत सृजित श्रम कार्य दिवस |
|---|---|---|---|---|---|
| | | यू.एस.ई.पी. के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थी | डी.डब्ल्यू.सी.ए. के अंतर्गत महिला लाभार्थी | प्रशिक्षित व्यक्तियों के संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 79756 | 41080 | 25839 | 82.63 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 414 | 39 | 211 | 7.80 |
| 3. | असम | 5448 | 195 | 4993 | 5.11 |
| 4. | बिहार | 590 | 0 | 629 | 24.87 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 5947 | 738 | 5955 | 3.73 |
| 6. | गोवा | 291 | 30 | 711 | 1.41 |
| 7. | गुजरात | 25395 | 39 | 45715 | 21.61 |
| 8. | हरियाणा | 11901 | 2047 | 13633 | 2.28 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1452 | 237 | 2633 | 6.05 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 9254 | 240 | 12917 | 0.82 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | N.R. |
| 12. | कर्नाटक | 30883 | 8977 | 134450 | 72.70 |
| 13. | केरल | 13791 | 12306 | 28656 | 1.95 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 86725 | 6833 | 71115 | 26.65 |
| 15. | महाराष्ट्र | 60406 | 4958 | 118897 | 32.73 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 39 | 2.36 |
| 17. | मेघालय | 1710 | 1 | 1345 | 1.83 |
| 18. | मिजोरम | 296 | 0 | 958 | 2.06 |
| 19. | नागालैंड | 1357 | 1120 | 1970 | 1.57 |
| 20. | उड़ीसा | 18062 | 10219 | 17252 | 22.98 |
| 21. | पंजाब | 8142 | 220 | 11670 | 4.98 |
| 22. | राजस्थान | 35997 | 741 | 13942 | 22.16 |
| 23. | सिक्किम | 413 | 0 | 1131 | 8.93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | तमिलनाडु | 23789 | 7240 | 11932 | 64.14 |
| 25. | त्रिपुरा | 3408 | 740 | 7030 | 3.65 |
| 26. | उत्तरांचल | 659 | 170 | 202 | 0.15 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 112948 | 7618 | 63266 | 56.18 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 9560 | 330 | 57819 | 33.78 |
| 29. | अंडमान निकोबार द्वीप | 23 | 0 | 0 | 2.91 |
| 30. | चंडीगढ़ | 177 | 22 | 1510 | लागू नहीं |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 67 | 0 | 219 | 0.94 |
| 32. | दमन और दीव | 68 | 0 | 0 | 0.04 |
| 33. | दिल्ली | 731 | 0 | 1545 | लागू नहीं |
| 34. | पांडिचेरी | 1037 | 169 | 3280 | 0.80 |
| | कुल | 550647 | 106309 | 661464 | 519.80 |

**गरीबी उपशमन हेतु निधि आबंटन**

*190. **श्री वी. विनोद कुमार:**

**श्री एन.एन. कृष्णदास:**

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उपशमन हेतु आबंटित निधियों का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त आबंटित धनराशि का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितना उपयोग किया गया है और इस धनराशि के उपयोग से क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें गरीबी उपशमन हेतु आबंटित उक्त निधियों का उपयोग करने में पीछे चल रही है और इन निधियों का अन्यत्र उपयोग कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने राज्यों को गरीबी उपशमन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र से अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई है और इसके क्या परिणाम आए हैं; और

(च) गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने में बैंकों की क्या भूमिका है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान किया गया बजट आवंटन 807.67 करोड़ रु. था और दसवीं योजना (2002-2007) के लिए 541 करोड़ रु. है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में विभिन्न कारणों से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रूप से धीरे हो रहा है। तथापि, गरीबी उपशमन के लिए आवंटित धनराशि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मंत्रालय स्कीम के कार्यान्वयन की पूरी निगरानी कर रहा है और राज्यों से अपना कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए नियमित रूप से कहा जा रहा है।

(ङ) बेहतर कार्यनिष्पादन कर रहे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके आवंटन के अलावा अतिरिक्त धनराशि जारी की जाती है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो और पहले जारी की गई धनराशि के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो गए हों।

(च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम घटक के कार्यान्वयन में सामूहिक/व्यक्तिगत लघु उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में ऋण-दाता के रूप में बैंकों की मुख्य भूमिका होती है।

*विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम | राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल धनराशि (अधिशेष+केन्द्र अंश+राज्य अंश) (लाख रु. में) | सूचित व्यय (लाख रु. में) | शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या | शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित लाभग्राहियों की संख्या | डीडब्ल्यूसीयू के तहत महिला लाभग्राहियों की सं. | शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत सृजित कार्य दिवस (लाख रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18758.91 | 15207.91 | 79756 | 41080 | 25839 | 82.63 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 720.64 | 511.98 | 414 | 39 | 211 | 7.80 |
| 3. | असम | 3857.38 | 1791.64 | 5448 | 195 | 4993 | 5.11 |
| 4. | बिहार | 7748.34 | 4333.26 | 590 | 0 | 629 | 24.87 |
| 5. | छत्तीसगढ़* | 1483.74 | 1022.34 | 5947 | 738 | 5955 | 3.73 |
| 6. | गोवा | 351.99 | 228.13 | 291 | 30 | 711 | 1.41 |
| 7. | गुजरात | 8556.57 | 5720.19 | 25395 | 39 | 45715 | 21.61 |
| 8. | हरियाणा | 2420.14 | 2148.55 | 11901 | 2047 | 13633 | 2.28 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1247.64 | 1160.09 | 1452 | 237 | 2633 | 6.05 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 2200.92 | 1695.13 | 9254 | 240 | 12917 | 0.82 |
| 11. | झारखंड* | 268.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.R. |
| 12. | कर्नाटक | 12588.15 | 11325.29 | 30833 | 8977 | 134450 | 72.70 |
| 13. | केरल | 4364.90 | 3497.35 | 13791 | 12306 | 28656 | 1.95 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 12298.13 | 11456.63 | 86725 | 6833 | 71115 | 26.65 |
| 15. | महाराष्ट्र | 12226.62 | 11892.6 | 60406 | 4958 | 118897 | 32.73 |
| 16. | मणिपुर | 959.78 | 474.98 | 0 | 0 | 39 | 2.36 |
| 17. | मेघालय | 677.05 | 466.51 | 1710 | 1 | 1345 | 1.83 |
| 18. | मिजोरम | 1538.03 | 813.95 | 296 | 0 | 958 | 2.06 |
| 19. | नागालैंड | 1068.40 | 915.86 | 1357 | 1120 | 1970 | 1.57 |
| 20. | उड़ीसा | 3585.35 | 3598.14 | 18062 | 10219 | 17252 | 22.98 |
| 21. | पंजाब | 2136.92 | 2207.89 | 8142 | 220 | 11670 | 4.98 |
| 22. | राजस्थान | 6244.66 | 5031.66 | 35997 | 741 | 13942 | 22.16 |
| 23. | सिक्किम | 499.57 | 423.63 | 413 | 0 | 1131 | 8.93 |
| 24. | तमिलनाडु | 15178.52 | 13987.84 | 23789 | 7240 | 11932 | 64.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | त्रिपुरा | 1446.46 | 1035.57 | 3408 | 740 | 7030 | 3.65 |
| 26. | उत्तरांचल* | 237.06 | 226.33 | 659 | 170 | 202 | 0.15 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 22590.08 | 20672 | 112948 | 7618 | 63266 | 56.18 |
| 28. | प. बंगाल | 8265.87 | 7430.25 | 9560 | 330 | 57819 | 33.78 |
| 29. | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 381.37 | 175.69 | 23 | 0 | 0 | 2.91 |
| 30. | चंडीगढ़ | 754.56 | 142.66 | 177 | 22 | 1510 | NOT APPLICABLE |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | 369.11 | 305.57 | 67 | 0 | 219 | 0.94 |
| 32. | दमन और दीव | 243.28 | 43.72 | 68 | 0 | 0 | 0.04 |
| 33. | दिल्ली | 819.32 | 284.68 | 731 | 0 | 1545 | NOT APPLICABLE |
| 34. | पांडिचेरी | 1181.51 | 521.45 | 1037 | 169 | 3280 | 0.80 |
| | कुल | 157269.71 | 130749.47 | 550647 | 106309 | 661464 | 519.80 |

**शहरी क्षेत्रों में आवासों का निर्माण**

*191. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1998 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर बल देते हुए शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष दो मिलियन आवासों के निर्माण की परिकल्पना की एक "नेशनल हाउसिंग एण्ड हैबिटैट पालिसी" तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998 के पश्चात् उक्त श्रेणी के लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष कितने आवासों का निर्माण किया गया है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां। वर्ष 1998 में तैयार की गई राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति में प्रत्येक वर्ष दो मिलियन आवासों के निर्माण की व्यवस्था की गई है जिसमें गरीबों तथा निराश्रितों पर ज्यादा जोर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 20 लाख मकानों के लक्ष्य में से, 7 लाख शहरी क्षेत्रों के लिए तथा 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। यद्यपि, इस स्कीम में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं तथापि इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई अलग श्रेणी का उल्लेख नहीं है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उन रिहायशी यूनिटों की वर्षवार संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है, इस प्रकार हैं:—

| वर्ष | लक्ष्य | हडको* | एनसीएचएफ** | एचएफआई*** | कुल रिहायशी यूनिटों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत यूनिटों की कुल संख्या (शहरी) | स्वीकृत यूनिटों की कुल संख्या (शहरी) | स्वीकृत यूनिटों की कुल संख्या (शहरी) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1998-99 | 700000 | 430399 | 174944 | 193671 | 799014 |
| 1999-2000 | 700000 | 460218 | 88218 | 226495 | 774931 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 700000 | 470881 | 80899 | 333736 | 885516 |
| 2001-02 | 700000 | 401078 | 73659 | 458615 | 933352 |
| 2002-03 | 700000 | 459969 | 73461 | 637107 | 1170537 |
| 2003-04 | 700000 | 427455 | 89948 | 621331 | 1138734 |
| कुल | 4200000 | 2650000 | 581129 | 2470955 | 5702084 |

* हडको—आवास एवं नगर विकास निगम लि.

** एनसीएचएफ—भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ

*** एचएफआई—सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों सहित आवास वित्त संस्थान

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वर्षवार लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**गैर-सरकारी विद्युत कंपनियों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन**

***192. श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**

**श्री संतोष गंगवार:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की कई कंपनियों ने देश में विद्युत उत्पादन हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनी कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस जारी किये और इनके नाम, क्षेत्र और अन्य ब्यौरे क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों के मामले में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टी.ई.सी.) की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। किंतु जल विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सी.ई.ए. की सहमति की आवश्यकता है।

गत दो वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2002-03, 2003-04 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 (30 नवंबर, 2004 तक) में सी.ई.ए. ने निम्नलिखित तीन जल विद्युत परियोजनाओं को टी.ई.सी. प्रदान की है—

| क्र.सं. | परियोजना/राज्य का नाम | क्षमता (मेगावाट) | अनुमानित पूर्णता लागत (करोड़ रु. में) | प्रवर्तक | टीईसी प्रदान करने की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अलाइन दुहंगन, हिमाचल प्रदेश | 2×96=192 | 922.355 | मै. राजस्थान स्पीनिंग एंड वेविंग मिल्स लि. | 20.08.2002 |
| 2. | जलापुट बांध टो, उड़ीसा/आंध्र प्रदेश | 3×6=18 | 69.68 | मै. उड़ीसा पावर कंसोर्टियम लिमिटेड | 31.01.2003 |
| 3. | करछाम वांग्टू, हिमाचल प्रदेश | 4×250=1000 | 5909.59 | मै. जेपी करछाम हाइडल पावर कारपोरेशन लि. | 31.03.2003 |
| | कुल | 1210 | | | |

वर्तमान में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में निजी क्षेत्र कंपनी का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार के किसी भी उल्लंघन की घटना नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

*[अनुवाद]*

**पवन ऊर्जा उत्पादन**

*193. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पवन ऊर्जा के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5000 मेगावाट पवन ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की गई है; और

(च) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) देश में अब तक 2900 मेवा. से अधिक की समग्र पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है।

(ख) और (ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए लक्ष्य 800 मेवा. था जिसकी तुलना में उपलब्धि 727 मेवा. रही जो लक्ष्य के 90 प्रतिशत के बराबर है। योजना लक्ष्य की प्राप्ति में मामूली कमी प्रमुख संभाव्यता वाले क्षेत्रों में अपर्याप्त विद्युत निकासी सुविधाओं, पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए कुछ राज्यों में भूमि के आबंटन, वन अनापत्ति और अन्य आवश्यक अनुमोदनों में समय लगने सहित विभिन्न कारणों से हुई।

(घ) और (ङ) जी नहीं। 10वीं योजना अवधि के दौरान ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए लक्ष्य 1500 मेवा. है जिसमें से उक्त योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान 857 मेवा. की क्षमता पहले ही संस्थापित कर ली गई है।

(च) ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत कार्यक्रम मुख्यतया निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। ऐसी पवन विद्युत को संबंधित राज्यों में अधिमान्य शुल्क दरें दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण रूप से निर्मित यूनिटों पर निम्न आयात शुल्क के अलावा कुछ पवन उप-प्रणालियों, संघटकों और कल-पुर्जों पर रियायती आयात शुल्क लागू है। त्वरित ह्रास का लाभ पवन विद्युत परियोजनाओं को भी दिया जा रहा है। ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत में अब तक हुई प्रगति अत्यधिक संतोषजनक है।

**केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु नया आयोग**

*194. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर:**
**श्री गुरूदास दासगुप्त:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल बंटवारे सहित केन्द्र-राज्य संबंधों की जांच करने हेतु एक नया आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) इस आयोग के कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विचारार्थ विषयों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) निकट भविष्य में।

**राष्ट्रीय गंदी-बस्ती विकास नीति**

*195. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय गंदी-बस्ती विकास नीति तैयार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या देश में गंदी बस्तियों की संख्या और प्रभावित लोगों की पहचान करने हेतु कोई व्यापक अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में गंदी बस्तियों के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) स्लम विकास राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न नगरों में स्लमों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं, कार्यक्रम तथा स्कीमें तैयार करती हैं और अपने राज्य योजनाओं में उनके लिए आवश्यक प्रावधान करती हैं।

(ग) राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में स्लमों का सर्वेक्षण करके उनकी स्थिति का जायजा लेती हैं। तथापि, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टी.सी.पी.ओ.) ने स्लमों का एक बार अध्ययन किया और "ए कंपेडियम ऑन इंडियन स्लमस्—1996" शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 1991 तथा 2001 में अनुमानित स्लम आबादी क्रमश: 462.608 लाख तथा 618.258 लाख थी। भारत के महापंजीयक द्वारा पहली बार जनगणना, 2001 के दौरान देश के स्लम क्षेत्रों विशेषकर जनगणना 1991 के आधार पर 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले नगरों/कस्बों में स्लम क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत आंकड़े एकत्र करने का प्रयास किया गया। जनगणना 2001 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार स्लमों वाले कस्बों की संख्या 607 है तथा इन कस्बों की कुल अंतरिम स्लम आबादी 402.97 लाख बताई गई है।

(घ) और (ङ) मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्लम निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए "राज्य क्षेत्र" में शहरी स्लम पर्यावास सुधार स्कीम (ई.आई.यू.एस.) चलाई जा रही है। इसके अलावा, स्लम निवासियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मूल सुविधाओं के प्रावधान के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। शहरी स्लमों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास मुहैया कराने अथवा उनके मौजूदा आवास में सुधार करने के लिए वर्ष 2001 में बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (बी.ए.एम.बी.ए.वाई.) शुरू की गई थी। सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था करना भी निर्मल भारत अभियान का एक घटक है।

### छोटे और मध्यम आकार के नगरों का विकास

*196. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विकास के लिए चुने गए कस्बों के राज्य-वार और योजनावार नाम क्या है और ऐसे प्रत्येक कस्बे, विशेषकर गुजरात में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) विकास के उद्देश्य के लिए कस्बों के चयन के लिए क्या मानदंड नियत किये है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अभी तक धनराशियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र जमा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी बची अवधि के चुने जाने वाले संभावित कस्बों और प्रत्येक के लिए राज्य-वार उपलब्ध कराई जाने वाली संभावित धनराशि कितनी है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के तहत नौवीं योजना अवधि (1997-98 से 2001-02) के दौरान विकास के लिए 590 कस्बों को हाथ में लिया गया (सहायता दी गई) है। जिनमें से 268 कस्बों में नई योजनाएं और 322 कस्बों में पहले से चली आ रही योजनाएं लागू की गईं। दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 9.12.2004 तक) के दौरान विकास के लिए 643 कस्बों को हाथ में लिया गया (सहायता ली गई) है जिनमें से 514 में नई योजनाएं लागू की गई हैं और 129 में पहले से चली आ रही योजनाएं लागू की गई हैं। इन कस्बों के नाम और उन्हें दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

गुजरात राज्य में नौवीं योजना के दौरान 37 कस्बों में नई एवं पहले से चली आ रही योजनाओं के लिए इन कस्बों को 2035.43 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई और दसवीं योजना के दौरान 47 कस्बों में नई एवं पहले से चली आ रही योजनाओं के लिए इन कस्बों को 2088.35 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई।

(ख) दिशा निर्देश (अगस्त, 1995) के अनुसार विकास के उद्देश्य से कस्बों के चयन के लिए निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार हैं:—

(i) 1991 की जनगणना के अनुसार कस्बे की आबादी 5 लाख तक होनी चाहिए।

(ii) इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी शहरी कार्यनीति के आधार पर राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा कस्बे की पहचान तथा उसकी प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए।

(iii) कस्बे में एक निर्वाचित निकाय होना चाहिए तथा यह निकाय कार्यरत होना चाहिए।

(iv) कस्बे में क्षेत्रीय विकास केन्द्र के रूप में विकास की क्षमता होनी चाहिए। सर्वप्रथम जिलों के मुख्यालयों, इसके बाद मण्डी कस्बों एवं औद्योगिकीय विकास केन्द्रों, पर्यटक स्थलों तथा तीर्थ यात्री स्थलों इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) और (घ) नौवीं तथा दसवीं योजनाओं (9.12.2004 तक) के दौरान दी गई कुल 16784.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के संबंध में 479 कस्बों के बारे में विभिन्न राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गये हैं। इसमें से नौवीं योजना के दौरान 334 कस्बों के संबंध में 11400.88 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता तथा दसवीं योजना के दौरान 145 कस्बों के संबंध में 5383.62 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के बारे में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गये हैं।

(ङ) छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अधीन शामिल किए जाने वाले कस्बों का चयन राज्य स्तर पर किया जाता है तथा परियोजनाएं राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत की जाती हैं, इसलिए दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान शामिल किए जाने वाले कस्बों की संख्या तथा आवश्यक निधियां बता पाना संभव नहीं है।

*विवरण-I*

*नौवीं योजना (7 दिसम्बर, 2004 तक) के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत जारी की गई राज्यवार तथा नगरवार केन्द्रीय सहायता*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | नगर/राज्य | शामिल होने का वर्ष | जारी केंद्रीय सहायता नौवीं योजना |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **आंध्र प्रदेश** | | |
| 1. | वाणपर्ति | 1992.93 | 20.48 |
| 2. | काकिनाड़ा | 1992.93 | 14.50 |
| 3. | जगैयापेटा | 1992.93 | 23.00 |
| 4. | करनूल | 1992.93 | 42.51 |
| 5. | कुडाप्पा | 1993.94 | 70.00 |
| 6. | रेपाल्ली | 1993.94 | 18.00 |
| 7. | नारायणपेट | 1993.94 | 24.00 |
| 8. | जगितियाल | 1993.94 | 37.00 |
| 9. | श्रीकलाहस्ती | 1993.94 | 40.00 |
| 10. | निजामाबाद | 1993.94 | 60.00 |
| 11. | अंनन्तपुर | 1993.94 | 47.00 |
| 12. | विकाराबाद | 1993.94 | 24.00 |
| 13. | चिलाकालुरीपेट | 1993.94 | 26.00 |
| 14. | अमलपुरम | 1993.94 | 24.50 |
| 15. | मिरयालागुड़ा | 1994.95 | 29.00 |
| 16. | अदोनी | 1994.95 | 27.77 |
| 17. | संगारेड्डी | 1994.95 | 26.50 |
| 18. | गुडुर | 1994.95 | 2.59 |
| 19. | हिन्दुपुर | 1994.95 | 32.00 |
| 20. | बोधन | 1994.95 | 30.43 |
| 21. | अमालदालवालसा | 1995.96 | 58.00 |
| 22. | विजियानगरम I | 1995.96 | 100.00 |
| 23. | राजमुंद्री | 1995.96 | 90.00 |
| 24. | गुन्टुर | 1995.96 | 100.00 |
| 25. | चित्तुर I | 1995.96 | 131.00 |
| 26. | वारंगल | 1995.96 | 90.00 |
| 27. | टुनी | 1996.97 | 60.00 |
| 28. | तिरूपति I | 1996.97 | 52.00 |
| 29. | नेल्लोर | 1996.97 | 54.00 |
| 30. | गडवाल | 1996.97 | 20.00 |
| 31. | भोंगिर | 1996.97 | 34.00 |
| 32. | कुप्पम | 1996.97 | 6.00 |
| 33. | एलुरू | 1996.97 | 65.00 |
| 34. | बोब्बिली | 1996.97 | 53.94 |
| 35. | मछलीपट्टनम | 1997.98 | 58.00 |
| 36. | करीमनगर | 1998.99 | 43.00 |
| 37. | मचेरला | 1998.99 | 20.00 |
| 38. | गजुवाका | 1999.2000 | 55.00 |
| 39. | रामागुंडम | 1999.2000 | 70.00 |
| 40. | महबूबनगर | 1999.2000 | 64.00 |
| 41. | मंडापेट | 1999.2000 | 30.00 |
| 42. | तेनाली | 2000.01 | 58.00 |
| 43. | नालगोंडा | 2000.01 | 36.50 |
| 44. | नांदियाल | 2001.02 | 63.00 |
| 45. | सूर्यापेट | 2001.02 | 75.00 |
| 46. | बापतला | 2001.02 | 58.00 |
| 47. | कोव्वूर | 2001.02 | 45.00 |
| 48. | नूजीविडु | 2001.02 | 45.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 49. | सिरसिल्ला | 2001.02 | 41.90 |
| 50. | पेदाना | 2001.02 | 14.20 |
| 51. | अनन्तपुर | 2001.02 | 57.50 |
| 52. | सदाशिवपेट | 2001.02 | 37.50 |
| 53. | अनकापल्ली | 2001.02 | 48.00 |
| 54. | कादिरी | 2001.02 | 70.00 |
| | जोड़ | | 2521.82 |
| | **अरुणाचल प्रदेश** | | |
| 55. | तेजु | 1997.98 | 12.00 |
| 56. | चांगलांग | 1999.2000 | 23.00 |
| 57. | सेप्पा | 1999.2000 | 10.00 |
| 58. | रोयंग | 2001.02 | 16.00 |
| | जोड़ | | 61.00 |
| | **असम** | | |
| 59. | दिपु | सातवीं योजना | 2.50 |
| 60. | बोंगाईगांव | सातवीं योजना | 1.25 |
| 61. | उत्तरी लखीमपुर | 1991.92 | 27.11 |
| 62. | नालबाड़ी | 1994.95 | 21.57 |
| 63. | मंगोलडोई | 1994.95 | 22.54 |
| 64. | गोलपाड़ा | 1996.97 | 55.00 |
| 65. | रंगिया | 1996.97 | 29.30 |
| 66. | बारपेटा | 1997.98 | 21.00 |
| 67. | मारीगांव | 1998.99 | 15.00 |
| 68. | हैलाकंडी | 1999.2000 | 20.00 |
| 69. | धीमाजी | 1999.2000 | 16.00 |
| 70. | बोकाखाट | 2000.01 | 15.00 |
| 71. | डिबगोई | 2000.01 | 16.00 |
| 72. | डिब्रुगढ़ | 2001.02 | 105.00 |
| 73. | होजाई | 2001.02 | 45.00 |
| 74. | विश्वनाथ चरियाली | 2001.02 | 24.00 |
| | जोड़ | | 436.27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **बिहार** | | |
| 75. | फोर्बसगंज | 1996.97 | 69.99 |
| 76. | माधेपुरा | 1998.99 | 10.00 |
| 77. | रक्सौल | 1998-99 | 10.00 |
| 78. | अररिया | 2000.01 | 15.00 |
| 79. | खगड़िया | 2000.01 | 15.00 |
| 80. | नरकटियागंज | 2001.02 | 41.00 |
| 81. | औरंगाबाद | 2001.02 | 45.00 |
| 82. | भाभुआ | 2001.02 | 44.50 |
| | उपजोड़ | | 250.49 |
| | **छत्तीसगढ़** | | |
| 83. | बैकुंठपुर | 2001.02 | 22.20 |
| 84. | कवर्धा | 1994.95 | 18.00 |
| 85. | कांकेर | 1995.96 | 53.00 |
| 86. | चांपा | 1996.97 | 43.00 |
| 87. | जांजगीर | 1996.97 | 43.90 |
| 88. | बलौद | 1998.99 | 32.00 |
| 89. | भाटापारा | 1999.2000 | 30.00 |
| 90. | रायपुर | 2000.01 | 90.00 |
| 91. | काठघोड़ा | 2001.02 | 16.00 |
| 92. | धमतरी | 2001.02 | 50.00 |
| 93. | कोरबा | 2001.02 | 70.00 |
| | जोड़ | | 468.10 |
| | **गोवा** | | |
| 94. | मपुसा | 1999.2000 | 17.00 |
| 95. | पर्णेम | 1999.2000 | 12.50 |
| 96. | काणाकोणा | 2000.01 | 8.00 |
| | जोड़ | | 37.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **गुजरात** | | |
| 97. | बोताद | 1990.91 | 31.00 |
| 98. | वाधवान | 1993.94 | 24.00 |
| 99. | नादियाड़ | 1993.94 | 122.76 |
| 100. | पलितान | 1994.95 | 47.48 |
| 101. | बोरसाद | 1994.95 | 44.09 |
| 102. | धोराजी | 1994.95 | 14.93 |
| 103. | पेतलाद | 1994.95 | 16.17 |
| 104. | पादरा | 1994.95 | 36.00 |
| 105. | सवरकुंडला | 1994.95 | 8.50 |
| 106. | बावला | 1995.96 | 60.00 |
| 107. | मोदासा | 1995.96 | 60.00 |
| 108. | इदर | 1995.96 | 70.00 |
| 109. | आनंद I | 1995.96 | 140.00 |
| 110. | बरदोली | 1996.97 | 60.00 |
| 111. | जामनगर | 1996.97 | 237.00 |
| 112. | भावनगर | 1996.97 | 201.40 |
| 113. | द्वारका | 1996.97 | 46.00 |
| 114. | अम्बाजी | 1997.98 | 27.00 |
| 115. | मांडवी | 1997.98 | 57.50 |
| 116. | दकोर | 1997.98 | 48.00 |
| 117. | ढोकला | 1999.2000 | 27.60 |
| 118. | अन्जर | 1999.2000 | 30.00 |
| 119. | उना | 1999.2000 | 30.00 |
| 120. | उमरेठ | 1999.2000 | 30.00 |
| 121. | गांधीधाम | 2000.01 | 70.00 |
| 122. | जेतपुर | 2000.01 | 50.00 |
| 123. | धरंगधरा | 2000.01 | 48.00 |
| 124. | कापड़वांज | 2000.01 | 30.00 |
| 125. | कोदिनार | 2001.02 | 33.00 |
| 126. | वांकानेर | 2001.02 | 45.00 |
| 127. | लिम्बडी | 2001.02 | 45.00 |
| 128. | धनढुका | 2001.02 | 45.00 |
| 129. | खेड़ा | 2001.02 | 45.00 |
| 130. | प्रान्तीज | 2001.02 | 45.00 |
| 131. | कडी | 2001.02 | 30.00 |
| 132. | बागसरा | 2001.02 | 40.00 |
| 133. | खंबालिया | 2001.02 | 40.00 |
| | जोड़ | | 2035.43 |
| | **हरियाणा** | | |
| 134. | बारवाला | 1995.96 | 60.00 |
| 135. | चरखी दादरी | 1995.96 | 60.00 |
| 136. | यमुना नगर | 1997.98 | 120.00 |
| 137. | पेहोवा | 1997.98 | 60.00 |
| 138. | भिवाणी | 2000.01 | 60.00 |
| 139. | अंबाला सिटी | 2000.01 | 65.00 |
| 140. | सिरसा | 2000.02 | 70.00 |
| 141. | हांसी | 2000.02 | 50.00 |
| 142. | कुरूक्षेत्र | 2000.02 | 75.00 |
| | जोड़ | | 620 |
| | **हिमाचल प्रदेश** | | |
| 143. | नाहन | 1995.96 | 64.65 |
| 144. | उना | 1996.97 | 30.29 |
| 145. | रामपुर | 1997.98 | 48.00 |
| 146. | धर्मशाला | 1998.99 | 90.00 |
| 147. | सोलन | 1999.2000 | 30.00 |
| 148. | चंबा | 1999.2000 | 16.00 |
| 149. | थ्योग | 1999.2000 | 12.00 |
| 150. | कुल्लु | 1999.2000 | 16.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 151. | पालमपुर | 2000.01 | 16.00 |
| 152. | नालगढ़ | 2000.01 | 48.00 |
| 153. | ज्वालामुखी | 2001.02 | 16.00 |
| 154. | पोंटा साहिब | 2001.02 | 8.00 |
| | जोड़ | | 394.94 |
| | **जम्मू और कश्मीर** | | |
| 155. | सांबा | 1993.94 | 19.00 |
| 156. | सोपोर | 1993.94 | 38.24 |
| 157. | जम्मू | 1996.97 | 215.00 |
| 158. | अनन्तनाग | 2001.02 | 75.00 |
| | जोड़ | | 347.24 |
| | **कर्नाटक** | | |
| 159. | तिपतुर | 1992.93 | 33.68 |
| 160. | गौरीबिदानुर | 1992.93 | 30.84 |
| 161. | बदामी | 1992.93 | 4.29 |
| 162. | गुरूमिटकल | 1992.93 | 1.08 |
| 163. | ब्यादगी | 1992.93 | 16.63 |
| 164. | कारवाड़ | 1992.93 | 22.00 |
| 165. | बिदड़ | 1993.94 | 33.16 |
| 166. | हवेरी | 1993.94 | 28.55 |
| 167. | बेल्लारी | 1993.94 | 19.04 |
| 168. | निप्पाणी | 1993.94 | 32.90 |
| 169. | दोदाबालापुर | 1993.94 | 30.50 |
| 170. | बैलहोंगल | 1993.94 | 46.98 |
| 171. | मुदलगी | 1993.94 | 47.00 |
| 172. | मांड्या | 1994.95 | 115.47 |
| 173. | बीजापुर | 1994.95 | 85.95 |
| 174. | लक्ष्मेश्वर | 1994.95 | 38.91 |
| 175. | शिगांव | 1994.95 | 20.06 |
| 176. | सावानुर | 1994.95 | 36.65 |
| 177. | गडाग-बेटागिरी | 1994.95 | 115.12 |
| 178. | कोट्टरू | 1994.95 | 24.00 |
| 179. | मालुर | 1994.95 | 47.82 |
| 180. | शोरापुर | 1994.95 | 36.80 |
| 181. | कुंडापुरा | 1994.95 | 46.94 |
| 182. | सिदलाघट्टा | 1994.95 | 38.20 |
| 183. | आरसीकेरी | 1995.96 | 54.58 |
| 184. | हंसुर | 1995.96 | 56.43 |
| 185. | गजेंद्रगढ़ | 1995.96 | 60.00 |
| 186. | सिरा | 1995.96 | 60.00 |
| 187. | बंगारपेट | 1995.96 | 43.70 |
| 188. | कोप्पल | 1995.96 | 60.00 |
| 189. | कदुर | 1996.97 | 56.28 |
| 190. | होलेनरसिपुर I | 1996.97 | 59.00 |
| 191. | चिंचोली | 1996.97 | 32.00 |
| 192. | मुद्देबिहल | 1996.97 | 30.00 |
| 193. | हरपनहल्ली | 1996.97 | 60.00 |
| 194. | चेन्नागिरि | 1996.97 | 36.00 |
| 195. | रोन | 1996.97 | 36.00 |
| 196. | हसन | 1996.97 | 155.00 |
| 197. | सिमोगा | 1997.98 | 30.00 |
| 198. | होसकोट | 1998.99 | 30.00 |
| 199. | गुंडलुपेट | 1998.99 | 15.00 |
| 200. | नवलगुंड | 1999.2000 | 13.00 |
| 201. | मांन्वी | 1999.2000 | 26.00 |
| 202. | दावणगेरे | 1999.2000 | 70.00 |
| 203. | गुलबर्गा | 1999.2000 | 83.00 |
| 204. | अठानी | 2000.01 | 15.00 |
| 205. | अलन्द | 2000.01 | 30.00 |
| 206. | बिरूर | 2000.01 | 30.00 |
| 207. | देवनहल्ली | 2000.01 | 14.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 208. | चामराजनगर | 2001.02 | 30.00 |
| 209. | मुंदरगी | 2001.02 | 12.30 |
| 210. | केरूर | 2001.02 | 22.90 |
| 211. | हनगल | 2001.02 | 45.00 |
| 212. | इंदि | 2001.02 | 45.00 |
| 213. | तुमकुर | 2001.02 | 50.00 |
| | जोड़ | | 2312.76 |
| | केरल | | |
| 214. | पठानमिठा | 1991.92 | 5.50 |
| 215. | अलपुजा | 1992.93 | 80.00 |
| 216. | कोल्लम | 1993.94 | 70.00 |
| 217. | अलुवा | 1994.95 | 30.92 |
| 218. | कोजीकोड | 1995.96 | 208.00 |
| 219. | चेंगलूर | 1995.96 | 72.00 |
| 220. | वरकला | 1995.96 | 72.16 |
| 221. | नेदुमंगाड | 1996.97 | 77.50 |
| 222. | पठानमिठा | 1998.99 | 62.00 |
| 223. | मूवातुपूझा | 1999.2000 | 44.00 |
| 224. | ओट्टापलम | 1999.2000 | 30.00 |
| 225. | कोठमंगलम | 2000.01 | 30.00 |
| 226. | उत्तरी पेरावूर | 2001.02 | 30.00 |
| 227. | कुदुंगल्लुर | 2001.02 | 15.00 |
| 228. | इरंजलकुडा | 2001.02 | 45.00 |
| 229. | पाला | 2001.02 | 40.00 |
| 230. | पोन्नानी | 2001.02 | 50.00 |
| | जोड़ | | 962.08 |
| | मध्य प्रदेश | | |
| 231. | शहडोल | सातवीं योजना | 1.00 |
| 232. | छतरपुर | सातवीं योजना | 22.00 |
| 233. | बैतुल | 1990.91 | 11.00 |
| 234. | विदिशा | 1990.91 | 35.04 |
| 235. | सागर | 1992.93 | 50.00 |
| 236. | मंदसौर | 1992.93 | 22.42 |
| 237. | मंडला | 1993.94 | 48.00 |
| 238. | मुल्ताई | 1993.94 | 21.35 |
| 239. | पांढुरना | 1994.95 | 22.00 |
| 240. | सौसर | 1994.95 | 11.00 |
| 241. | खंडवा | 1994.95 | 60.44 |
| 242. | जौरा | 1994.95 | 33.00 |
| 243. | चित्रकूट | 1994.95 | 28.00 |
| 244. | नरसिंहपुर | 1994.95 | 25.00 |
| 245. | अजयगढ़ | 1994.95 | 14.00 |
| 246. | गरौथ | 1994.95 | 28.00 |
| 247. | राजगढ़ | 1995.96 | 31.00 |
| 248. | बियौरा | 1995.96 | 60.00 |
| 249. | बेरासिया | 1995.96 | 32.00 |
| 250. | नरसिंहगढ़ | 1995.96 | 54.98 |
| 251. | अशोक नगर | 1995.96 | 48.78 |
| 252. | गंज बसौदा | 1995.96 | 58.00 |
| 253. | सिहोर | 1996.97 | 42.00 |
| 254. | अमरपाटन | 1996.97 | 38.00 |
| 255. | उमरिया | 1996.97 | 72.00 |
| 256. | कसारवाड़ | 1996.97 | 27.00 |
| 257. | मैहर | 1996.97 | 39.00 |
| 258. | आस्था | 1997.98 | 30.00 |
| 259. | खजुराहो | 1999.2000 | 16.00 |
| 260. | झाबुआ | 1999.2000 | 30.00 |
| 261. | खुरै | 1999.2000 | 30.00 |
| 262. | धानपुरी | 2000.01 | 16.00 |
| 263. | नागौड़ | 2000.01 | 16.00 |
| 264. | नावगांव | 2000.01 | 30.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 265. | सोनकच्छ | 2000.01 | 13.00 |
| 266. | बरवानी | 2001.02 | 45.00 |
| 267. | जवाड | 2001.02 | 24.00 |
| 268. | राजपुर | 2001.02 | 24.00 |
| 269. | चौराई | 2001.02 | 24.00 |
| 270. | गढ़कोटा | 2001.02 | 45.00 |
| 271. | सीधी | 2001.02 | 40.00 |
| 272. | रायसेन | 2001.02 | 45.00 |
| 273. | चुरहट | 2001.02 | 24.00 |
| 274. | लहर | 2001.02 | 24.00 |
| 275. | हट्टा | 2001.02 | 45.00 |
| | जोड़ | | 1456.01 |
| | **महाराष्ट्र** | | |
| 276. | नीलंगा | सातवीं योजना | 5.19 |
| 277. | इगतपुरी | सातवीं योजना | 20.00 |
| 278. | चंद्रपुर | सातवीं योजना | 6.00 |
| 279. | गढचिरौली | 1990.91 | 12.00 |
| 280. | गोदिया | 1990.91 | 24.00 |
| 281. | चोपड़ा | 1990.91 | 6.00 |
| 282. | नारखेड़ | 1990.91 | 12.00 |
| 283. | मल्कापुर | 1990.91 | 3.50 |
| 284. | नान्दुरबार | 1990.91 | 3.50 |
| 285. | चालीसगांव | 1991.92 | 13.97 |
| 286. | हिंगोली | 1991.92 | 11.00 |
| 287. | बुलढाना | 1991.92 | 11.00 |
| 288. | नांदेड़ | 1991.92 | 26.00 |
| 289. | सावनेर | 1991.92 | 36.00 |
| 290. | अचलपुर | 1991.92 | 6.00 |
| 291. | जलगांव | 1992.93 | 19.57 |
| 292. | वाणी | 1992.93 | 21.00 |
| 293. | अम्बद | 1992.93 | 26.00 |
| 294. | अहमदनगर | 1992.93 | 66.50 |
| 295. | कोपरगांव | 1992.93 | 7.30 |
| 296. | फल्टन | 1992.93 | 23.44 |
| 297. | सांगमनेर | 1993.94 | 20.00 |
| 298. | सांगली | 1993.94 | 70.00 |
| 299. | धुले | 1993.94 | 60.00 |
| 300. | पचौरा | 1993.94 | 48.00 |
| 301. | वरोरा | 1993.94 | 48.00 |
| 302. | भुसावल | 1993.94 | 109.25 |
| 303. | देगलुर | 1993.94 | 48.00 |
| 304. | गांधीगलज | 1993.94 | 23.20 |
| 305. | पारतुर | 1993.94 | 24.00 |
| 306. | बासमत नगर | 1994.95 | 51.00 |
| 307. | विता | 1994.95 | 18.20 |
| 308. | मंवात | 1994.95 | 57.00 |
| 309. | महद | 1994.95 | 18.00 |
| 310. | कागल | 1994.95 | 15.56 |
| 311. | ओसा | 1994.95 | 23.20 |
| 312. | गेवराई | 1994.95 | 36.00 |
| 313. | सावंतवाड़ी | 1994.95 | 50.50 |
| 314. | मुर्तिजापुर | 1994.95 | 37.67 |
| 315. | शिमांव | 1994.95 | 26.95 |
| 316. | परोला | 1994.95 | 36.00 |
| 317. | तुमसर | 1994.95 | 30.21 |
| 318. | अलीबाग | 1994.95 | 28.00 |
| 319. | पुलगांव | 1994.95 | 58.00 |
| 320. | उमरेद | 1994.95 | 58.00 |
| 321. | वैजपुर | 1994.95 | 58.00 |
| 322. | इचलकरंजी | 1995.96 | 140.00 |
| 323. | वाई | 1995.96 | 60.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 324. | अंजनगांव सुरजी | 1995.96 | 60.00 |
| 325. | मेहकर | 1995.96 | 60.00 |
| 326. | कलम्ब | 1995.96 | 32.00 |
| 327. | दरियापुर | 1995.96 | 71.00 |
| 328. | अमरावती | 1996.97 | 192.00 |
| 329. | शहाड़ा | 1996.97 | 64.00 |
| 330. | नवपुर | 1996.97 | 64.00 |
| 331. | कुरूंदवाड़ | 1996.97 | 67.00 |
| 332. | सांगोला | 1996.97 | 64.00 |
| 333. | घटंजी | 1996.97 | 34.00 |
| 334. | गंगाखेड़ | 1998.99 | 75.60 |
| 335. | सिल्लौद | 1998.99 | 90.00 |
| 336. | सतना | 1999.2000 | 30.00 |
| 337. | धामनगांव | 1999.2000 | 30.00 |
| 338. | रोहा | 1999.2000 | 48.00 |
| 339. | कोल्हापुर | 1999.2000 | 270.00 |
| 340. | उमरखेड़ | 2000.01 | 30.00 |
| 341. | फेजपुर | 2000.01 | 30.00 |
| 342. | रावेड | 2000.01 | 30.00 |
| 343. | जिन्तुर | 2000.01 | 90.00 |
| 344. | देसाईगंज | 2001.02 | 16.00 |
| 345. | अकोला | 2001.02 | 135.00 |
| | जोड़ | | 3195.31 |
| | मणिपुर | | |
| 346. | थौबल | 1992.93 | 10.50 |
| 347. | नामबोल | 1992.93 | 11.00 |
| 348. | मयंग इम्फाल | 1995.96 | 32.00 |
| 349. | मोरेह | 1996.97 | 9.00 |
| 350. | मौयरंग | 2001.02 | 24.00 |
| 351. | कुम्बी | 2001.02 | 24.00 |
| | जोड़ | | 110.50 |
| | मेघालय | | |
| 352. | जोवाई | सातवीं योजना | 19.60 |
| 353. | शिलांग | 1999.2000 | 61.80 |
| | जोड़ | | 81.40 |
| | मिजोरम | | |
| 354. | कोलासिब | 1994.95 | 24.00 |
| 355. | आइजोल I | 1996.97 | 46.40 |
| 356. | चम्फई | 1999.2000 | 90.00 |
| 357. | ह्नानथियाल | 1999.2000 | 48.00 |
| 358. | साइहा | 1999.2000 | 48.00 |
| 359. | लेंगपुई | 2001.02 | 24.00 |
| | जोड़ | | 280.40 |
| | नागालैंड | | |
| 360. | वोखा | 1995.96 | 32.00 |
| 361. | फेक | 1996.97 | 24.00 |
| 362. | दिमापुर | 2000.01 | 50.00 |
| 363. | किपहायर | 2000.01 | 15.00 |
| | जोड़ | | 121.00 |
| | उड़ीसा | | |
| 364. | जाजपुर | 1992.93 | 32.74 |
| 365. | आठगढ़ | 1992.93 | 26.00 |
| 366. | उमरकोट | 1994.95 | 12.00 |
| 367. | चौद्वार | 1994.95 | 16.00 |
| 368. | तर्भा | 1994.95 | 12.00 |
| 369. | छतरपुर | 1994.95 | 7.60 |
| 370. | कामाख्यानगर | 1994.95 | 27.00 |
| 371. | नबरंगपुर | 1994.95 | 57.00 |
| 372. | बरहमपुर | 1995.96 | 158.00 |
| 373. | पुरी | 1995.96 | 29.00 |
| 374. | नीलगिरि | 1996.97 | 35.00 |
| 375. | आठमल्लिक | 1996.97 | 36.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 376. | पट्टामुंडाई | 1998.99 | 30.00 |
| 377. | आनन्दपुर | 1999.2000 | 26.00 |
| 378. | सोरो | 1999.2000 | 27.00 |
| 379. | बरपाली | 1999.2000 | 16.00 |
| 380. | बालेश्वर | 1999.2000 | 70.00 |
| 381. | आस्का | 2000.01 | 16.00 |
| 382. | बांकी | 2000.01 | 16.00 |
| 383. | करंजिया | 2001.02 | 16.00 |
| 384. | केसिंगा | 2001.02 | 24.00 |
| 385. | बालुगांव | 2001.02 | 24.00 |
| 386. | राजगांगपुर | 2001.02 | 45.00 |
| 387. | चिकति | 2001.02 | 24.00 |
| 388. | तालचेर | 2001.02 | 40.00 |
| 389. | गुणपुर | 2001.02 | 24.00 |
| 390. | रायरंगपुर | 2001.02 | 24.00 |
| | जोड़ | | 870.34 |
| | **पंजाब** | | |
| 391. | मन्सा | 1994.95 | 81.49 |
| 392. | सिरहिंद | 1995.96 | 33 00 |
| 393. | तरन तारण | 1995.96 | 34.50 |
| 394. | मुखेरिया | 1996.97 | 16.00 |
| 395. | आनन्दपुर साहिब | 1997.98 | 28.00 |
| 396. | फतेहगढ़ साहिब | 1997.98 | 48.00 |
| 397. | पट्टी | 1997.98 | 14.00 |
| 398. | मुक्तसर | 1998.99 | 150.00 |
| 399 | सुलतानपुर लोधी | 1999.2000 | 16.00 |
| 400. | कपूरथला | 1999.2000 | 46.00 |
| 401. | नकोदर | 1999.2000 | 30.00 |
| 402. | जगरांव | 2000.01 | 30.00 |
| 403. | दसूया | 2000.01 | 16.00 |
| 404. | गढ़शंकर | 2001.02 | 16.00 |
| | जोड़ | | 558.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **राजस्थान** | | |
| 405. | निंबहेड़ा | 1992.93 | 27.00 |
| 406. | राजसमंद | 1992.93 | 32.00 |
| 407. | झुनझुनु | 1992.93 | 33.00 |
| 408. | विजयनगर | 1993.94 | 15.00 |
| 409. | चाकसू | 1993.94 | 37.31 |
| 410. | सरदार शहर | 1994.95 | 40.00 |
| 411. | नोखा | 1995.96 | 60.00 |
| 412. | प्रतापगढ़ | 1995.96 | 20.00 |
| 413. | शाहपुरा | 1995.96 | 65.00 |
| 414. | कापसन | 1995.96 | 33.00 |
| 415. | जैसलमेर | 1995.96 | 65.00 |
| 416. | उदयपुर | 1996.97 | 105.00 |
| 417. | बीकानेर | 1996.97 | 206.00 |
| 418. | सालुम्बेर | 1997.98 | 11.00 |
| 419. | देशनोक | 1997.98 | 48.00 |
| 420. | हनुमानगढ़ | 2000.01 | 50.00 |
| 421. | बलोतरा | 2000.01 | 30.00 |
| 422. | दिदवाणा | 2000.01 | 30.00 |
| 423. | नाथद्वारा | 2001.02 | 45.00 |
| 424. | भिंडेर | 2001.02 | 24.00 |
| 425. | सूरतगढ़ | 2001.02 | 45.00 |
| | जोड़ | | 1021.31 |
| | **सिक्किम** | | |
| 426. | सिंगतम | 1997.98 | 48.00 |
| 427. | जोरेथांग | 1999.2000 | 15.00 |
| 428. | पैक्योंग | 1999.2000 | 15.00 |
| 429. | घिजिंग | 2000.01 | 16.00 |
| 430. | सोरेंग | 2000.01 | 16.00 |
| 431. | रांगली बाजार | 2001.02 | 24.00 |
| | जोड़ | | 134.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | तमिलनाडु | | |
| 432. | बरगुड़ | 1992.93 | 13.25 |
| 433. | इडपड़ी | 1992.93 | 19.00 |
| 434. | तेनकाशी | 1992.93 | 26.40 |
| 435. | कुडालोर | 1992.93 | 44.66 |
| 436. | भवानी | 1992.93 | 5.66 |
| 437. | कुमारपलैयम | 1992.93 | 17.16 |
| 438. | कुरीची | 1992.93 | 6.88 |
| 439. | अवनाशी | 1993.94 | 15.36 |
| 440. | सुलुर | 1993.94 | 13.73 |
| 441. | मनमदुरै | 1993.94 | 32.00 |
| 442. | पोन्नेरी | 1993.94 | 15.97 |
| 443. | पाल्लदम | 1993.94 | 25.56 |
| 444. | कंगायम | 1994.95 | 19.96 |
| 445. | वीरप्पनचतिरम | 1994.95 | 7.74 |
| 446. | कासीपलैयम | 1994.95 | 6.17 |
| 447. | पुवीरूनीवली | 1994.95 | 2.15 |
| 448. | इनाम करूर | 1994.95 | 19.43 |
| 449. | तिरूचेंदुर | 1994.95 | 14.93 |
| 450. | शोलिंगर | 1994.95 | 25.79 |
| 451. | वणियामबाड़ी | 1994.95 | 10.32 |
| 452. | कुट्टानलुर | 1994.95 | 10.00 |
| 453. | पौनामरावती | 1995.96 | 28.09 |
| 454. | तत्ता यंगारपेट्टै | 1995.96 | 28.20 |
| 455. | तुरैयुर | 1995.96 | 24.90 |
| 456. | चिन्नामन्नुर | 1995.96 | 37.87 |
| 457. | ओमालुर | 1995.96 | 7.12 |
| 458. | नटरसंकोट्टै | 1995.96 | 19.31 |
| 459. | देंकानिकोटा | 1995.96 | 23.19 |
| 460. | किरनुर | 1995.96 | 25.15 |
| 461. | सुरमपट्टी | 1998.99 | 77.17 |
| 462. | ओडाचतरम | 1998.99 | 29.74 |
| 463. | डिंडिगल | 1999.2000 | 70.00 |
| 464. | देवकोट्टै | 1999.2000 | 16.20 |
| 465. | वेल्लुर | 1999.2000 | 28.00 |
| 466. | कन्याकुमारी | 1999.2000 | 16.00 |
| 467. | किनातुकाडवु | 2000.01 | 16.00 |
| 468. | विलातिकुलम | 2000.01 | 16.00 |
| 469. | पेरावुरानी | 2000.01 | 16.00 |
| 470. | चेंगम | 2000.01 | 16.00 |
| 471. | पेरियाकुलम | 2001.02 | 30.00 |
| 472. | तंजवुर | 2001.02 | 105.00 |
| 473. | राजपालयम | 2001.02 | 105.00 |
| 474. | पालातुर | 2001.02 | 21.00 |
| 475. | शिवकाशी | 2001.02 | 64.00 |
| 476. | उल्लंदुरपेट | 2001.02 | 24.00 |
| 477. | गुडलुर | 2001.02 | 45.00 |
| 478. | तोंडी | 2001.02 | 24.00 |
| 479. | आर.एस. मंगलम | 2001.02 | 24.00 |
| 480. | चिन्नासलाम | 2001.02 | 24.00 |
| 481. | कालाकुड्डु | 2001.02 | 35.97 |
| | जोड़ | | 1349.03 |
| | त्रिपुरा | | |
| 482. | बेलोनिया | 1991.92 | 26.00 |
| 483. | खोवाई | 1993.94 | 16.56 |
| 484. | कुमारघाट | 1996.97 | 30.00 |
| 485. | सोनमुरा | 1997.98 | 48.00 |
| 486. | कमालपुर | 1998.99 | 48.00 |
| 487. | तेलियामुरा | 1999.2000 | 76.50 |
| 488. | सबरूम | 1999.2000 | 13.00 |
| 489. | रानीरबाजार | 2000.01 | 16.00 |
| | जोड़ | | 274.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | उत्तरांचल | | |
| 490. | देहरादून | 2001.02 | 105.00 |
| 491. | हल्दवानी-काठगोदाम | 2001.02 | 95.00 |
| 492. | पिथौरागढ़ | 2001.02 | 40.00 |
| | जोड़ | | 240.00 |
| | उत्तर प्रदेश | | |
| 493. | बस्ती | 1994.95 | 79.18 |
| 494. | बुढाना | 1994.95 | 27.00 |
| 495. | खलीलाबाद | 1995.96 | 49.90 |
| 496. | मुरादनगर | 1995.96 | 60.00 |
| 497. | दादरी | 1995.96 | 51.74 |
| 498. | लोनी | 1995.96 | 59.23 |
| 499. | मुरादाबाद | 1995.96 | 180.00 |
| 500. | मघर | 1996.97 | 31.49 |
| 501. | बंसी | 1996.97 | 24.25 |
| 502. | फुंद | 1996.97 | 32.00 |
| 503. | पल्लिया कलां | 1996.97 | 37.40 |
| 504. | मलीहाबाद | 1996.97 | 25.53 |
| 505. | साहरनपुर | 1996.97 | 164.96 |
| 506. | फैजाबाद | 1996.97 | 83.13 |
| 507. | अयोध्या | 1996.97 | 71.00 |
| 508. | कुशीनगर | 1998.99 | 16.00 |
| 509. | उझानी | 1998.99 | 30.00 |
| 510. | ननौता | 1998.99 | 12.00 |
| 511. | नवाबगंज | 1998.99 | 16.00 |
| 512. | जलालाबाद | 1999.2000 | 9.00 |
| 513. | कुंडा | 1999.2000 | 13.00 |
| 514. | केमारी | 1999.2000 | 16.00 |
| 515. | चित्रकूटधाम | 1999.2000 | 30.00 |
| 516. | हरिहरपुर | 2000.01 | 10.00 |
| 517. | महाराजगंज | 2000.01 | 15.00 |
| 518. | काकोरी | 2000.01 | 16.00 |
| 519. | नियोतानी | 2000.01 | 14.00 |
| 520. | हरैया | 2001.02 | 12.00 |
| 521. | अमेठी | 2001.02 | 24.00 |
| 522. | खतौली | 2001.02 | 41.20 |
| 523. | सरधाना | 2001.02 | 36.90 |
| 524. | खेकड़ा | 2001.02 | 29.10 |
| 525. | बाबरपुर-अजीतमल | 2001.02 | 24.00 |
| 526. | ओल धकवा | 2001.02 | 24.00 |
| 527. | गोहंद | 2001.02 | 19.00 |
| 528. | मिलक | 2001.02 | 24.00 |
| 529. | हंडिया | 2001.02 | 24.00 |
| 530. | झिंझाना | 2001.02 | 22.30 |
| 531. | झांसी | 2001.02 | 135.00 |
| 532. | मथुरा | 2001.02 | 93.70 |
| 533. | बांसगांव | 2001.02 | 24.00 |
| 534. | बानत | 2001.02 | 24.00 |
| 535. | दोस्तपुर | 2001.02 | 19.00 |
| 536. | निवाड़ी | 2001.02 | 19.00 |
| 537. | तिलहर | 2001.02 | 20.00 |
| 538. | देवबंद | 2001.02 | 66.10 |
| | जोड़ | | 1855.07 |
| | पश्चिम बंगाल | | |
| 539. | रघुनाथपुर | 1990.91 | 3.50 |
| 540. | घटल | 1991.92 | 5.00 |
| 541. | इस्लामपुर | 1991.92 | 5.00 |
| 542. | झालदा | 1993.94 | 7.00 |
| 543. | माल | 1993.94 | 13.90 |
| 544. | मिरिक | 1993.94 | 3.00 |
| 545. | चकडाहा | 1993.94 | 6.05 |
| 546. | रामपुर हाट | 1993.94 | 11.50 |
| 547. | डायमंड हार्बर | 1993.94 | 13.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 548. | नवद्वीप | 1993.94 | 30.54 |
| 549. | तामलुक | 1993.94 | 6.00 |
| 550. | सोनामुखी | 1993.94 | 10.53 |
| 551. | मथा भंगा | 1993.94 | 14.60 |
| 552. | अशोक नगर | 1993.94 | 10.00 |
| 553. | पुराना मालदा | 1993.94 | 7.00 |
| 554. | बीरनगर | 1994.95 | 18.95 |
| 555. | कुल्टी | 1994.95 | 15.00 |
| 556. | मेमारी | 1994.95 | 13.28 |
| 557. | कालियागंज | 1994.95 | 12.00 |
| 558. | गोबर डांगा | 1994.95 | 26.18 |
| 559. | चंद्रकोणा | 1994.95 | 14.60 |
| 560. | कांडी | 1994.95 | 14.06 |
| 561. | गुस्कारा | 1994.95 | 14.34 |
| 562. | बर्द्धमान | 1995.96 | 135.12 |
| 563. | आसनसोल | 1995.96 | 201.40 |
| 564. | तूफानगंज | 1995.96 | 35.00 |
| 565. | गंगारामपुर | 1995.96 | 60.76 |
| 566. | मेखलीगंज | 1996.97 | 33.00 |
| 567. | सैथिया | 1996.97 | 44.00 |
| 568. | दिनहाट | 1996.97 | 33.00 |
| 569. | बदुरिया | 1996.97 | 67.00 |
| 570. | हल्दीबाड़ी | 1996.97 | 34.00 |
| 571. | धुलियां | 1996.97 | 70.00 |
| 572. | जायनगर | 1998.99 | 22.50 |
| 573. | दुबराजपुर | 1998.99 | 81.00 |
| 574. | दैनहाट | 1999.2000 | 15.00 |
| 575. | टाकी | 1999.2000 | 90.00 |
| 576. | एगरा | 1999.2000 | 25.50 |
| 577. | दुर्गापुर | 1999.2000 | 68.00 |
| 578. | बांगांव | 2000.01 | 50.00 |
| 579. | रामजीबानपुर | 2000.01 | 16.00 |
| 580. | खरार | 2000.01 | 13.50 |
| 581. | खिर्पई | 2000.01 | 14.00 |
| 582. | ताहिरपुर | 2001.02 | 13.50 |
| 583. | बेलडांगा | 2001.02 | 15.00 |
| 584. | जमुरिया | 2001.02 | 79.00 |
| 585. | जियागंज-आजिमगंज | 2001.02 | 32.00 |
| 586. | कूपर्स कैम्प | 2001.02 | 22.00 |
| 587. | नालहटी | 2001.02 | 40.00 |
| | जोड़ | | 1585.31 |
| | दादर और नगर हवेली | | |
| 588. | सिलवासा I | 1995.96 | 12.00 |
| | जोड़ | | 12.00 |
| | दमन और दिउ | | |
| 589. | दिउ | 1995.96 | 18.00 |
| | जोड़ | | 18.00 |
| | पांडिचेरी | | |
| 590. | औल गारेट | 1999.2000 | 30.00 |
| | जोड़ | | 30.00 |
| | सकल जोड़ | | 23640.36 |

*विवरण-II*

*दसवीं योजना (7 दिसम्बर, 2004 तक) के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत जारी की गई राज्य वार तथा नगरवार केन्द्रीय सहायता*

| क्र.सं. | नगर | शामिल होने का वर्ष | जारी केंद्रीय सहायता दसवीं योजना |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | आंध्र प्रदेश | | |
| 1. | तिरूपति | 1996.97 | 53.14 |
| 2. | गड़वाल | 1996.97 | 18.91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | भोंगीर | 1996.97 | 26.40 |
| 4. | ईलूरू | 1996.97 | 105.67 |
| 5. | करीमनगर | 1998.99 | 142.04 |
| 6. | मच्छेरला | 1998.99 | 40.34 |
| 7. | महबूब नगर | 99.2000 | 120.10 |
| 8. | मण्डापेटा | 99.2000 | 60.00 |
| 9. | नांडियाल | 2001.02 | 127.48 |
| 10. | सूर्यापट | 2001.02 | 75.00 |
| 11. | कोव्वूर | 2001.02 | 45.00 |
| 12. | पेडाना | 2001.02 | 30.80 |
| 13. | अनन्तपुर | 2001.02 | 57.50 |
| 14. | कादिरी | 2001.02 | 4.00 |
| 15. | मंचरियाल | 2002.03 | 75.00 |
| 16. | नरसापुर | 2002.03 | 67.50 |
| 17. | बेलमपल्ली | 2002.03 | 29.00 |
| 18. | सामलकोट | 2002.03 | 45.00 |
| 19. | सलूर | 2002.03 | 45.00 |
| 20. | पीठापुरम | 2002.03 | 44.00 |
| 21. | रायदूर्ग | 2002.03 | 45.00 |
| 22. | पालाकोल | 2003.04 | 75.00 |
| 23. | पुंगानुर | 2003.04 | 24.00 |
| 24. | गुंटाकाल | 2003.04 | 104.00 |
| 25. | साथेनापल्ली | 2003.04 | 45.00 |
| 26. | यम्मीगापुर | 2003.04 | 70.75 |
| 27. | ताडीपातरी | 2003.04 | 52.00 |
| 28. | पेडापुरम | 2003.04 | 35.00 |
| 29. | तन्दूर | 2003.04 | 28.00 |
| 30. | जागीतियाल | 2003.04 | 26.25 |
| 31. | बैंसा | 2003.04 | 45.00 |
| 32. | कुतुबुल्लापुर | 2003.04 | 105.00 |
| 33. | कापरा | 2003.04 | 75.00 |
| 34. | उपरकलां | 2003.04 | 75.00 |
| 35. | निरमल | 2004.05 | 45.50 |
| 36. | मंगलगिरी | 2004.05 | 30.50 |
| 37. | पलासाकालीबुग्गा | 2004.05 | 45.00 |
| 38. | नरसारावपेट | 2004.05 | 61.25 |
| 39. | फरूकनगर (शादनगर) | 2004.05 | 28.25 |
| 40. | जलगांव | 2004.05 | 34.50 |
| | जोड़ | | 2261.88 |
| | **अरुणाचल प्रदेश** | | |
| 41. | तेजू | 1997.98 | 25.00 |
| 42. | सेप्पा | 99.2000 | 38.00 |
| 43. | रोईंग | 2001.02 | 8.00 |
| 44. | पासीघाट | 2003.04 | 24.00 |
| 45. | खोंसा | 2003.04 | 24.00 |
| 46. | दियोमाली | 2003.04 | 24.00 |
| 47. | यूपीया | 2003.04 | 24.00 |
| 48. | जीरो | 2003.04 | 24.00 |
| 49. | दापोरीजो | 2003.04 | 24.00 |
| 50. | अलोंग | 2003.04 | 24.00 |
| 51. | बासर | 2003.04 | 24.00 |
| | जोड़ | | 263.00 |
| | **असम** | | |
| 52. | बारपेटा | 1997.98 | 40.00 |
| 53. | गोसाईगांव | 2002.03 | 24.00 |
| 54. | सोनारी | 2002.03 | 24.00 |
| 55. | गोहपूर | 2002.03 | 24.00 |
| 56. | उदलगुड़ी | 2002.03 | 24.00 |
| 57. | बिजनी | 2002.03 | 24.00 |
| 58. | नोर्थ गुवाहटी | 2002.03 | 24.00 |
| 59. | बिलासीपारा | 2002.03 | 24.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 60. | डेरगांव | 2004.05 | 24.00 |
| 61. | गोलाघाट | 2004.05 | 32.50 |
| 62. | नजीरा | 2004.05 | 24.00 |
| 63. | दीफू | 2004.05 | 24.00 |
| 64. | जोरहट | 2004.05 | 75.00 |
| 65. | अमगुड़ी | 2004.05 | 11.00 |
| 66. | मारभेरीटा | 2004.05 | 42.34 |
| 67. | थियु | 2004.05 | 24.00 |
| 68. | बिहुपुरिया | 2004.05 | 10.00 |
| 69. | पाठशाला | 2004.05 | 24.00 |
| 70. | लखीपुर | 2004.05 | 24.00 |
| | जोड़ | | 522.84 |
| | बिहार | | |
| 71. | दरभंगा | 2002.03 | 90.00 |
| 72. | मोतीपुर | 2002.03 | 24.00 |
| 73. | कांति | 2002.03 | 23.50 |
| 74. | बारह | 2002.03 | 39.00 |
| 75. | जामूई | 2002.03 | 44.50 |
| 76. | फतुआ | 2002.03 | 36.00 |
| 77. | लालगंज | 2002.03 | 25.00 |
| 78. | मोतीहारी | 2002.03 | 55.00 |
| 79. | देहरी | 2002.03 | 70.00 |
| | जोड़ | | 407.00 |
| | छत्तीसगढ़ | | |
| 80. | दुर्ग | 2002.03 | 105.00 |
| 81. | पेंडरा | 2002.03 | 24.00 |
| 82. | दल्ली-राजहाड़ा | 2002.03 | 61.00 |
| 83. | आरंग | 2002.03 | 24.00 |
| 84. | रतनपुर | 2002.03 | 24.00 |
| 85. | कुम्हारी | 2003.04 | 45.00 |
| 86. | महासामुंड | 2003.04 | 45.00 |
| 87. | अम्बिकापुर | 2003.04 | 72.82 |
| 88. | कुरूद | 2003.04 | 12.00 |
| 89. | गंडल | 2003.04 | 12.00 |
| 90. | तिलदान्योरा | 2004.05 | 45.00 |
| 91. | साक्ति | 2004.05 | 24.00 |
| 92. | बलोड़ | 1998-99 | 16.00 |
| 93. | भाटापारा | 99.2000 | 60.00 |
| 94. | कथगोरा | 2001.02 | 8.00 |
| 95. | घामतारी | 2001.02 | 100.00 |
| 96. | कोरबा | 2001.02 | 35.00 |
| | जोड़ | | 712.82 |
| | गोवा | | |
| 97. | कानाकोना | 2000.01 | 16.08 |
| | जोड़ | | 16.08 |
| | गुजरात | | |
| 98. | अम्बाजी | 1997.98 | 14.75 |
| 99. | डोलका | 99.2000 | 62.40 |
| 100. | ऊना | 99.2000 | 60.00 |
| 101. | उमरेह | 99.2000 | 60.00 |
| 102. | गांधीधाम | 2000.01 | 140.00 |
| 103. | धारंगाधरा | 2000.01 | 102.00 |
| 104. | कापडवंज | 2000.01 | 60.00 |
| 105. | लिम्बडी | 2001.02 | 45.00 |
| 106. | धांधुका | 2001.02 | 45.00 |
| 107. | खेडा | 2001.02 | 45.00 |
| 108. | परानतिज | 2001.02 | 45.00 |
| 109. | काडी | 2001.02 | 43.00 |
| 110. | बागासारा | 2001.02 | 50.00 |
| 111. | खम्भालिया | 2001.02 | 5.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 112. | मानसा | 2002.03 | 90.00 |
| 113. | बालासीनोर | 2002.03 | 45.00 |
| 114. | थांगाध | 2002.03 | 45.00 |
| 115. | विजापुर | 2002.03 | 45.00 |
| 116. | वाडनगर | 2003.04 | 45.00 |
| 117. | जम्बुसार | 2003.04 | 45.00 |
| 118. | खेरालू | 2003.04 | 48.00 |
| 119. | गारलयाधर | 2003.04 | 24.00 |
| 120. | वापी | 2003.04 | 44.00 |
| 121. | छोटा उदयपुर | 2003.04 | 24.00 |
| 122. | शिहोर | 2003.04 | 90.00 |
| 123. | हलोर | 2003.04 | 45.00 |
| 124. | मांगरोल | 2003.04 | 45.00 |
| 125. | जासदान | 2003.04 | 45.00 |
| 126. | लूनावाड़ा | 2003.04 | 45.00 |
| 127. | राजूला | 2003.04 | 45.00 |
| 128. | घारी | 2003.04 | 44.00 |
| 129. | गधादा | 2003.04 | 45.00 |
| 130. | कलोर | 2003.04 | 21.00 |
| 131. | जमजोधपुर | 2003.04 | 45.00 |
| 132. | सालाया | 2003.04 | 24.00 |
| 133. | थरड़ | 2003.04 | 24.00 |
| 134. | तलाजा | 2003.04 | 24.00 |
| 135. | देवागड़बारिया | 2003.04 | 24.00 |
| 136. | कुटियाना | 2003.04 | 24.00 |
| 137. | खेदबरहमा | 2003.04 | 24.00 |
| 138. | धर्मापुर | 2003.04 | 24.00 |
| 139. | चानासमा | 2003.04 | 24.00 |
| 140. | तलोड | 2003.04 | 24.00 |
| 141. | राजपिपला | 2004.05 | 45.00 |
| 142. | व्यारा | 2004.05 | 45.00 |
| 143. | राधनपुर | 2004.05 | 45.00 |
| 144. | मानवादर | 2004.05 | 36.85 |
| | जोड़ | | 2088.35 |
| | हरियाणा | | |
| 145. | यमुनानगर | 1997.98 | 62.58 |
| 146. | पेहवा | 1997.98 | 30.00 |
| 147. | भिवानी | 2000.01 | 109.82 |
| 148. | अम्बाला सिटी | 2000.01 | 131.14 |
| 149. | सिरसा | 2001.02 | 35.00 |
| 150. | हांसी | 2001.02 | 100.00 |
| 151. | शाहबाद मारकंडा | 2002.03 | 45.00 |
| 152. | चीका | 2002.03 | 90.00 |
| 153. | लालदूआ | 2003.04 | 24.00 |
| 154. | इन्दरी | 2003.04 | 24.00 |
| 155. | असंध | 2003.04 | 48.00 |
| 156. | कैथल | 2003.04 | 75.00 |
| 157. | सफीदो | 2003.04 | 90.00 |
| 158. | गोहाना | 2003.04 | 45.00 |
| 159. | रोहतक | 2003.04 | 84.44 |
| 160. | नरवाना | 2003.04 | 45.00 |
| | जोड़ | | 1038.98 |
| | हिमाचल प्रदेश | | |
| 161. | सोलन | 99.2000 | 60.00 |
| 162. | थियोग | 99.2000 | 27.64 |
| 163. | कुल्लु | 99.2000 | 32.00 |
| 164. | ज्वालामुखी | 2001.02 | 8.00 |
| 165. | पौंटासाहिब | 2001.02 | 16.00 |
| 166. | बिलासपुर | 2002.03 | 24.00 |
| 167. | सुन्दरनगर | 2002.03 | 45.00 |
| 168. | कोटखाई | 2002.03 | 24.00 |
| 169. | चडडी | 2002.03 | 24.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 170. | मनाली | 2002.03 | 24.00 |
| 171. | नारकंडा | 2003.04 | 14.00 |
| 172. | नारपुर | 2003.04 | 14.00 |
| | जोड़ | | 312.64 |
| | **जम्मू और कश्मीर** | | |
| 173. | पुलवामा | 2002.03 | 44.40 |
| 174. | उधमपुर | 2003.04 | 65.00 |
| 175. | कटरा | 2003.04 | 20.00 |
| 176. | रामनगर | 2003.04 | 20.00 |
| 177. | राजोरी | 2003.04 | 38.00 |
| 178. | बारामूला | 2003.04 | 70.00 |
| 179. | कुंजर | 2003.04 | 20.00 |
| 180. | कुलगाम | 2003.04 | 20.00 |
| | जोड़ | | 297.40 |
| | **झारखंड** | | |
| 181. | हजारीबाग | 2002.03 | 75.00 |
| | जोड़ | | 75.00 |
| | **कर्नाटक** | | |
| 182. | शिमोगा | 1997.98 | 73.73 |
| 183. | होसकोट | 1998.99 | 60.00 |
| 184. | गुण्डलुपट | 1998.99 | 72.50 |
| 185. | नवलगुंड | 99.2000 | 30.00 |
| 186. | मानवी | 99.2000 | 49.01 |
| 187. | दावानगेर | 99.2000 | 140.00 |
| 188. | अथानी | 2000.01 | 31.50 |
| 189. | बिरूपुर | 2000.01 | 60.00 |
| 190. | देवनहल्ली | 2000.01 | 27.49 |
| 191. | चामराजनगर | 2001.02 | 15.00 |
| 192. | इन्डी | 2001.02 | 45.00 |
| 193. | तुमकुर | 2001.02 | 55.00 |
| 194. | कोन्नुर | 2002.03 | 24.00 |
| 195. | खानापुर | 2002.03 | 19.00 |
| 196. | यादगिरी | 2002.03 | 35.50 |
| 197. | आराकलगुड | 2002.03 | 8.50 |
| 198. | महालिंगापुर | 2002.03 | 77.33 |
| 199. | मुलगुंड | 2002.03 | 24.00 |
| 200. | भालकी | 2002.03 | 43.70 |
| 201. | चिट्टागुप्पा | 2002.03 | 23.17 |
| 202. | अनेकल | 2002.03 | 32.62 |
| 203. | नेलमंगला | 2002.03 | 16.80 |
| 204. | हलियाला | 2002.03 | 19.80 |
| 205. | चन्नरायापट्टना | 2002.03 | 30.51 |
| 206. | बंतवाला | 2002.03 | 25.98 |
| 207. | अलनावर | 2002.03 | 24.00 |
| 208. | अन्नीगेरी | 2002.03 | 45.00 |
| 209. | होसादुर्गा | 2002.03 | 14.32 |
| 210. | बलेरी | 2002.03 | 105.96 |
| 211. | बागलकोट | 2002.03 | 68.64 |
| 212. | हुमनाबाद | 2002.03 | 45.00 |
| 213. | कनकापुरा | 2003.04 | 28.36 |
| 214. | मुदाबिदरे | 2003.04 | 36.75 |
| 215. | नारागुंडा | 2003.04 | 38.67 |
| 216. | कुनीगल | 2003.04 | 25.25 |
| 217. | तिपतुर | 2003.04 | 18.16 |
| 218. | गुब्बी | 2003.04 | 16.32 |
| 219. | रायबाग | 2003.04 | 48.00 |
| 220. | गोकक | 2003.04 | 52.00 |
| 221. | तुरूवुकेरे | 2003.04 | 17.16 |
| 222. | कुडुची | 2003.04 | 48.00 |
| 223. | मोलाकालमुरू | 2003.04 | 17.28 |
| 224. | बासावानाबागेवाड़ी | 2003.04 | 45.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 225. | मुधोल | 2003.04 | 42.82 |
| 226. | श्रृंगेरी | 2003.04 | 24.00 |
| 227. | सागारा | 2003.04 | 36.61 |
| 228. | बेलूर | 2003.04 | 24.00 |
| 229. | तारीकेरी | 2003.04 | 32.38 |
| 230. | कोपा | 2003.04 | 13.99 |
| 231. | चिक्कानायाकानाहल्ली | 2003.04 | 28.80 |
| 232. | सिरूगुप्पा | 2003.04 | 19.18 |
| 233. | जोग कारगल | 2003.04 | 20.19 |
| 234. | कमालपुर | 2003.04 | 24.00 |
| 235. | रामादुर्गा | 2003.04 | 27.62 |
| 236. | थिरथाहल्ली | 2003.04 | 17.70 |
| 237. | सूलया | 2003.04 | 17.66 |
| 238. | नरसिम्हाराजपुरा | 2003.04 | 17.84 |
| 239. | टेक्कलाकोट | 2003.04 | 20.40 |
| 240. | मादाकेरी | 2003.04 | 34.08 |
| 241. | सोराबा | 2003.04 | 13.20 |
| 242. | जेवारगी | 2004.05 | 18.91 |
| 243. | सिंधागी | 2004.05 | 23.30 |
| 244. | तालीकोट | 2004.05 | 45.00 |
| 245. | चिट्टापुरा | 2004.05 | 22.30 |
| 246. | हुनागंडा | 2004.05 | 24.00 |
| 247. | हुवीनाहादागली | 2004.05 | 24.00 |
| 248. | होनावारा | 2004.05 | 15.50 |
| 249. | बासवाकल्याणा | 2004.05 | 33.23 |
| 250. | तेरदाल | 2004.05 | 17.63 |
| 251. | यालापुरा | 2004.05 | 11.53 |
| 252. | चिकमागुलूर | 2004.05 | 56.48 |
| 253. | होनाली | 2004.05 | 21.84 |
| 254. | चिकबल्लापुर | 2004.05 | 49.54 |
| 255. | राबकावी-बानाहट्टी | 2004.05 | 70.00 |
| 256. | अंकोला | 2004.05 | 17.74 |
| 257. | पुटुर | 2004.05 | 33.73 |
| | जोड़ | | 2633.21 |
| | **केरल** | | |
| 258. | ओटापालम | 99.2000 | 60.00 |
| 259. | कोथामंगलम | 99.2000 | 60.00 |
| 260. | कुदुनगलूर | 2001.02 | 7.50 |
| 261. | पाला | 2001.02 | 50.00 |
| 262. | पोनानी | 2001.02 | 25.00 |
| 263. | कुनामकुल्लम | 2002.03 | 24.00 |
| 264. | अंगामेली | 2002.03 | 45.00 |
| 265. | पैरम्बवूर | 2002.03 | 45.00 |
| 266. | वालकोम | 2003.04 | 43.00 |
| 267. | आटीगल | 2003.04 | 36.00 |
| 268. | मावेलीकारा | 2003.04 | 45.00 |
| 269. | कालामसेरी | 2003.04 | 75.00 |
| 270. | तिरूपुनीतरा | 2003.04 | 65.80 |
| 271. | थालीपारंबा | 2003.04 | 75.00 |
| 272. | कोईलैडी | 2003.04 | 75.00 |
| | जोड़ | | 731.30 |
| | **मध्य प्रदेश** | | |
| 273. | आस्था | 1998.99 | 60.00 |
| 274. | झाबुआ | 99.2000 | 60.00 |
| 275. | खुराई | 99.2000 | 60.00 |
| 276. | सिंधी | 2001.02 | 5.00 |
| 277. | अकोडिया | 2002.03 | 24.00 |
| 278. | जीरापूर | 2002.03 | 24.00 |
| 279. | मांगवान | 2002.03 | 22.92 |
| 280. | बीरसिंगपुर | 2002.03 | 24.00 |
| 281. | खिलचीपुर | 2002.03 | 24.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 282. | तेंदूखेड़ा | 2002.03 | 24.00 |
| 283. | रामपुर-नैकिन | 2002.03 | 24.00 |
| 284. | मानसा | 2002.03 | 24.00 |
| 285. | शाजापुर | 2002.03 | 45.00 |
| 286. | रामपुर-बागेलन | 2002.03 | 24.00 |
| 287. | शिवपुरी | 2002.03 | 86.95 |
| 288. | सुजलपुर | 2002.03 | 45.00 |
| 289. | अरोन | 2002.03 | 24.00 |
| 290. | रघुगढ़ | 2002.03 | 45.00 |
| 291. | भींड | 2002.03 | 91.25 |
| 292. | मच्छलपुर | 2002.03 | 24.00 |
| 293. | अमरवाड़ा | 2002.03 | 24.00 |
| 294. | खुजनर | 2002.03 | 24.00 |
| 295. | गोविंदगढ़ | 2002.03 | 24.00 |
| 296. | आगर | 2003.04 | 45.00 |
| 297. | चाकघाट | 2003.04 | 24.00 |
| 298. | करेरा | 2003.04 | 16.50 |
| 299. | बैकुठपुर | 2003.04 | 24.00 |
| 300. | सांवेर | 2003.04 | 24.00 |
| 301. | चन्देरी | 2003.04 | 10.00 |
| 302. | अकाडा | 2003.04 | 10.25 |
| 303. | कारेली | 2003.04 | 15.00 |
| 304. | काटांगी | 2003.04 | 18.00 |
| 305. | सिरोंजी | 2003.04 | 45.00 |
| 306. | वारा-सिओनी | 2003.04 | 35.00 |
| 307. | उदयपुर | 2003.04 | 20.00 |
| 308. | सामारिया | 2003.04 | 23.50 |
| 309. | बड़गांव (टीकमगढ़) | 2003.04 | 24.00 |
| 310. | कनाड | 2003.04 | 21.00 |
| 311. | बड़गांव (शाहपुर) | 2003.04 | 21.00 |
| 312. | सुसनेर | 2003.04 | 21.00 |
| 313. | बड़ा मालहरा | 2003.04 | 21.00 |
| 314. | अमनगंज | 2003.04 | 21.00 |
| 315. | कोठी | 2003.04 | 21.00 |
| 316. | शाहपुर | 2003.04 | 21.00 |
| 317. | पृथ्वीपुर | 2003.04 | 21.00 |
| 318. | जुनारदेव | 2003.04 | 45.00 |
| 319. | बारही | 2003.04 | 21.00 |
| 320. | महेश्वर | 2004.05 | 24.00 |
| 321. | देवेन्द्र नगर | 2004.05 | 24.00 |
| 322. | बान्दरा | 2004.05 | 24.00 |
| 323. | जीरन | 2004.05 | 23.26 |
| 324. | सैलाना | 2004.05 | 24.00 |
| 325. | बीजमगंज | 2004.05 | 45.00 |
| 326. | सिंगोली | 2004.05 | 24.00 |
| 327. | मुण्डी | 2004.05 | 24.00 |
| 328. | डीकन | 2004.05 | 24.00 |
| 329. | तराना | 2004.05 | 24.00 |
| 330. | ओंकारेश्वर | 2004.05 | 24.00 |
| 331. | हरपालपुर | 2004.05 | 24.00 |
| 332. | नसरूल्लागंज | 2004.05 | 24.00 |
| 333. | रेवा | 2004.05 | 42.74 |
| | जोड़ | | 1776.37 |
| | महाराष्ट्र | | |
| 334. | गंगखेड़ | 1998.99 | 12.48 |
| 335. | सतना | 99.2000 | 60.00 |
| 336. | उमेरखेड़ | 2000.01 | 60.00 |
| 337. | फेजपूर | 2000.01 | 60.00 |
| 338. | रावेर | 2000.01 | 36.28 |
| 339. | खेड़ | 2002.03 | 24.00 |
| 340. | राजापुर | 2002.03 | 24.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 341. | जवाहर | 2002.03 | 24.00 |
| 342. | लटूर | 2002.03 | 75.00 |
| 343. | तुमसार | 2002.03 | 23.00 |
| 344. | वानी | 2002.03 | 24.50 |
| 345. | जलगांव | 2002.03 | 55.00 |
| 346. | घूले | 2002.03 | 55.00 |
| 347. | सांगली-मिराज-कुपवाड़ | 2002.03 | 80.00 |
| 348. | श्रीरामपुर | 2002.03 | 32.50 |
| 349. | शिरपुर-वारवड़े | 2002.03 | 25.00 |
| 350. | गांधीगलाज | 2002.03 | 22.00 |
| 351. | उदगिर | 2002.03 | 75.00 |
| 352. | नन्देड़-वाघेला | 2002.03 | 112.00 |
| 353. | चन्दरपुर | 2002.03 | 82.00 |
| 354. | इस्लामपुर | 2002.03 | 45.00 |
| 355. | पारबानी | 2002.03 | 105.00 |
| 356. | बीड | 2002.03 | 80.25 |
| 357. | शिरडी | 2002.03 | 15.00 |
| 358. | शिंगांव | 2002.03 | 18.00 |
| 359. | अहमदनगर | 2002.03 | 54.00 |
| 360. | खेमागांव | 2002.03 | 54.00 |
| 361. | पंढरपुर | 2002.03 | 25.00 |
| 362. | गढ़चिरौली | 2003.04 | 25.00 |
| 363. | यावतमल | 2003.04 | 105.00 |
| 364. | रतनागिरी | 2003.04 | 75.00 |
| 365. | पारलीवैजनाथ | 2003.04 | 75.00 |
| 366. | अम्बाजोगाई | 2003.04 | 75.00 |
| 367. | भंडारा | 2003.04 | 75.00 |
| 368. | जलाना | 2003.04 | 20.00 |
| 369. | कनरंजिया | 2003.04 | 45.00 |
| 370. | चोपड़ा | 2003.04 | 22.00 |
| 371. | बारशी | 2003.04 | 75.00 |
| 372. | हिंगोली | 2003.04 | 57.00 |
| 373. | ओसमानाबाद | 2003.04 | 75.00 |
| 374. | चिपलुन | 2003.04 | 25.00 |
| 375. | पुसाद | 2004.05 | 48.00 |
| 376. | सिनमार | 2004.05 | 45.00 |
| 377. | मलकापुर | 2004.05 | 52.00 |
| 378. | नन्दूरबार | 2004.05 | 52.00 |
| 379. | सैलू | 2004.05 | 45.00 |
| 380. | पंढरकवादा | 2004.05 | 45.00 |
| 381. | बुलडाना | 2004.05 | 42.50 |
| 382. | वाशिम | 2004.05 | 45.00 |
| 383. | हिंगनघाट | 2004.05 | 75.00 |
| 384. | सतारा | 2004.05 | 75.00 |
| 385. | अचलपुर | 2004.05 | 24.00 |
| 386. | अमलनेर | 2004.05 | 75.00 |
| 387. | कालमेश्वर | 2004.05 | 24.00 |
| 388. | वर्धा | 2004.05 | 51.00 |
| 389. | खरड | 2004.05 | 52.00 |
| 390. | मोरशी | 2004.05 | 45.00 |
| 391. | कटोल | 2004.05 | 45.00 |
| | जोड़ | | 2947.51 |
| | मणिपुर | | |
| 392. | सुगनु | 2002.03 | 21.00 |
| 393. | काकचिंग-खौनू | 2002.03 | 24.00 |
| 394. | कवाता | 2002.03 | 24.00 |
| 395. | वागनोई | 2002.03 | 24.00 |
| 396. | सामुराव | 2002.03 | 24.00 |
| 397. | ओईनम | 2002.03 | 24.00 |
| 398. | अन्डरो | 2002.03 | 24.00 |
| 399. | सिखोग-सेकमाई | 2002.03 | 24.00 |
| 400. | हिरोक | 2002.03 | 24.00 |
| | जोड़ | | 213.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **मेघालय** | | |
| 401. | शिलोंग | 1999.2000 | 123.60 |
| | जोड़ | | 123.60 |
| | **मिजोरम** | | |
| 402. | मामित | 2002.03 | 24.00 |
| 403. | बैराबी | 2004.05 | 24.00 |
| 404. | तलाबुंग | 2004.05 | 24.00 |
| | जोड़ | | 72.00 |
| | **नागालैंड** | | |
| 405. | फेक | 1996-97 | 16.00 |
| 406. | दीमापुर | 2000.01 | 100.00 |
| 407. | किफिर | 2000.01 | 30.00 |
| 408. | कोहिमा | 2003.04 | 33.00 |
| | जोड़ | | 179.00 |
| | **उड़ीसा** | | |
| 409. | बांकी | 2000.01 | 32.00 |
| 410. | कारांजिया | 2001.02 | 8.00 |
| 411. | तालचेर | 2001.02 | 5.00 |
| 412. | सोनपुर | 2002.03 | 24.00 |
| 413. | नयागढ़ | 2002.03 | 24.00 |
| 414. | खुरदा | 2002.03 | 44.68 |
| 415. | हिंजालीकट | 2002.03 | 24.00 |
| 416. | बोध | 2002.03 | 24.00 |
| 417. | उदाला (टी) | 2002.03 | 22.84 |
| 418. | कटटक | 2003.04 | 106.00 |
| 419. | बारबिल | 2004.05 | 45.00 |
| 420. | मलकानगिरी | 2004.05 | 24.00 |
| 421. | खरीर | 2004.05 | 24.00 |
| 422. | खरीआर-रोड | 2004.05 | 24.00 |
| | जोड़ | | 431.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **पंजाब** | | |
| 423. | आनन्दपुर साहिब | 1997.98 | 14.24 |
| 424. | पट्टी | 1997.98 | 76.00 |
| 425. | सुलतानपुर-लोधी | 99.2000 | 32.00 |
| 426. | कपूरथला | 99.2000 | 94.70 |
| 427. | ग्रहशंकर | 2001.02 | 8.00 |
| 428. | रमन-मण्डी | 2002.03 | 24.00 |
| 429. | सरदूलगढ़ | 2002.03 | 24.00 |
| 430. | समाना | 2003.04 | 45.00 |
| 431. | सुजनपुर | 2003.04 | 24.00 |
| 432. | दीनानागर | 2004.05 | 24.00 |
| | जोड़ | | 365.94 |
| | **राजस्थान** | | |
| 433. | सैलूम्बर | 1997.98 | 21.80 |
| 434. | हनुमानगढ़ | 2000.01 | 100.00 |
| 435. | बालोतरा | 2000.01 | 60.00 |
| 436. | सूरतगढ़ | 2001.02 | 45.00 |
| 437. | रावतभाटा | 2002.03 | 45.00 |
| 438. | टोंक | 2002.03 | 45.00 |
| 439. | पोकरान | 2002.03 | 24.00 |
| 440. | अमेठ | 2002.03 | 24.00 |
| 441. | भीलवाड़ा | 2002.03 | 105.00 |
| 442. | अनूपगढ़ | 2003.04 | 45.00 |
| 443. | फालोदी | 2003.04 | 45.00 |
| 444. | सादुलशहर | 2003.04 | 24.00 |
| 445. | सुजनगढ़ | 2003.04 | 75.00 |
| 446. | सांगरिया | 2003.04 | 45.00 |
| 447. | पीलीबंगा | 2003.04 | 45.00 |
| 448. | रावतसर | 2004.05 | 45.00 |
| 449. | भादरा | 2004.05 | 45.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 450. | मंडलगढ़ | 2004.05 | 24.00 |
| 451. | केशोरायपट्टा | 2004.05 | 24.00 |
| 452. | बारी-सादारी | 2004.05 | 24.00 |
| 453. | नोहर | 2004.05 | 45.00 |
| 454. | किशनगढ़ | 2004.05 | 52.00 |
| | जोड़ | | 1007.80 |
| | तमिलनाडु | | |
| 455. | डिंडीगल | 99.2000 | 140.00 |
| 456. | वेल्लूर | 99.2000 | 54.00 |
| 457. | विलाठीकुलम | 2000.01 | 31.52 |
| 458. | पेरावूरानी | 2000.01 | 31.47 |
| 459. | चेनगांम | 2000.01 | 30.66 |
| 460. | पेरियाकुलम | 2001.02 | 15.00 |
| 461. | राजापालायम | 2001.02 | 105.00 |
| 462. | पल्लाथुर | 2001.02 | 21.66 |
| 463. | शिवाकाशी | 2001.02 | 86.00 |
| 464. | उलनदुरपेट | 2001.02 | 24.00 |
| 465. | गुडालुर | 2001.02 | 45.00 |
| 466. | थोंडी | 2001.02 | 24.00 |
| 467. | आर.एस. मंगलम | 2001.02 | 24.00 |
| 468. | चिन्नासेलम | 2001.02 | 24.00 |
| 469. | कालाक्काडू | 2001.02 | 43.90 |
| 470. | तिरूपपुर | 2002.03 | 105.00 |
| 471. | ओरथानाडू | 2002.03 | 48.00 |
| 472. | पुडुवालयाल | 2002.03 | 32.02 |
| 473. | ईरोड़ | 2002.03 | 88.57 |
| 474. | आलमपालयम | 2002.03 | 24.00 |
| 475. | पुडुकोट्टाई | 2002.03 | 117.85 |
| 476. | पाटुकोट्टाई | 2002.03 | 31.75 |
| 477. | लालगुडी | 2002.03 | 48.00 |
| 478. | अन्नूर | 2002.03 | 48.00 |
| 479. | मुसिरी | 2002.03 | 89.98 |
| 480. | थिरूकाटुपल्ली | 2002.03 | 33.12 |
| 481. | तिरूनवेली | 2002.03 | 72.90 |
| 482. | जलगंडापुरम | 2002.03 | 48.00 |
| 483. | कालिदाकुरिची | 2003.04 | 77.80 |
| 484. | सिंगमपुनारी | 2003.04 | 47.52 |
| 485. | करियपट्टी | 2003.04 | 20.09 |
| 486. | कोर्टल्लम | 2003.04 | 22.75 |
| 487. | अम्बासामुदरम | 2003.04 | 8.64 |
| 488. | नागेरकोइल | 2003.04 | 105.00 |
| 489. | ईडनगंगासलाई | 2003.04 | 43.71 |
| 490. | विरूद्धनगर | 2003.04 | 71.30 |
| 491. | अरनथांगी | 2003.04 | 14.80 |
| 492. | थुथुकुडी | 2003.04 | 13.02 |
| 493. | ओमलपुर | 2003.04 | 13.00 |
| 494. | कंगायम | 2003.04 | 7.27 |
| 495. | चेरम्माहदेवी | 2003.04 | 21.03 |
| 496. | उडनगुडी | 2003.04 | 24.00 |
| 497. | कृष्णागिरी | 2003.04 | 65.00 |
| 498. | थिंगलनगर | 2003.04 | 22.62 |
| 499. | नेरानम्बलपुरम | 2003.04 | 23.66 |
| 500. | भावानी | 2003.04 | 7.67 |
| 501. | अरूमगानेरी | 2004.05 | 25.61 |
| 502. | सतनाकुलम | 2004.05 | 24.00 |
| | जोड़ | | 2145.89 |
| | त्रिपुरा | | |
| 503. | सबरोम | 99-2000 | 13.60 |
| 504. | रानिरबाजार | 2000-01 | 32.00 |
| 505. | अगरतला | 2003-04 | 88.12 |
| | जोड़ | | 133.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **उत्तरांचल** | | |
| 506. | कोटद्वार | 2003-04 | 38.00 |
| 507. | उत्तरकांशी | 2003-04 | 24.00 |
| 508. | श्रीनगर | 2003-04 | 24.00 |
| | **जोड़** | | 86.00 |
| | **उत्तर प्रदेश** | | |
| 509. | खुशीनगर | 1998-99 | 32.00 |
| 510. | नानौता | 1998-99 | 22.65 |
| 511. | नवाबगंज | 1998-99 | 32.00 |
| 512. | जलालाबाद | 99-2000 | 16.67 |
| 513. | कुंडा | 99-2000 | 27.05 |
| 514. | केमारी | 99-2000 | 32.00 |
| 515. | हरिहरपुर | 2000-01 | 19.92 |
| 516. | नियोतांजी | 2000-01 | 27.18 |
| 517. | हरैया | 2001-02 | 6.00 |
| 518. | मथुरा | 2001-02 | 93.72 |
| 519. | देवबंद | 2001-02 | 8.90 |
| 520. | गंगोह | 2002-03 | 25.00 |
| 521. | अग्रवाल तातिरी | 2002-03 | 24.00 |
| 522. | रानीपुर | 2002-03 | 24.00 |
| 523. | नागराम | 2002-03 | 24.00 |
| 524. | महमूदाबाद | 2002-03 | 18.00 |
| 525. | मऊ | 2002-03 | 80.00 |
| 526. | कासगंज | 2002-03 | 72.50 |
| 527. | गढ़मुक्तेश्वर | 2002-03 | 45.00 |
| 528. | करनावल | 2002-03 | 24.00 |
| 529. | पिलखुआ | 2002-03 | 30.44 |
| 530. | मवाना | 2002-03 | 12.50 |
| 531. | सैदाबाद | 2002-03 | 79.92 |
| 532. | भिरौर | 2002-03 | 24.00 |
| 533. | चैरथावल | 2002-03 | 23.00 |
| 534. | मुगलसराय | 2002-03 | 60.00 |
| 535. | मोदीनगर | 2002-03 | 19.00 |
| 536. | मिर्जापुर | 2002-03 | 26.00 |
| 537. | मांझापुर | 2002-03 | 24.00 |
| 538. | बलरामपुर | 2002-03 | 45.00 |
| 539. | बस्ती | 2002-03 | 15.00 |
| 540. | प्रतापगढ़ | 2002-03 | 75.00 |
| 541. | निचलौल | 2002-03 | 24.00 |
| 542. | हैदरगढ़ | 2002-03 | 24.00 |
| 543. | बिसवान | 2002-03 | 23.00 |
| 544. | अमेठी | 2002-03 | 24.00 |
| 545. | हरदोई | 2003-04 | 90.00 |
| 546. | महमूदाबाद | 2003-04 | 32.00 |
| 547. | शिंझक | 2003-04 | 23.50 |
| 548. | सिकन्दरा | 2003-04 | 23.50 |
| 549. | सैदपूर | 2003-04 | 14.00 |
| 550. | बिठूर | 2003-04 | 24.00 |
| 551. | साकित | 2003-04 | 24.00 |
| 552. | अलीगढ़ | 2003-04 | 135.00 |
| 553. | वृंदावन | 2003-04 | 43.30 |
| 554. | सिसवाबाजार | 2003-04 | 13.70 |
| 555. | इरिच | 2003-04 | 24.00 |
| 556. | खुर्जा | 2003-04 | 68.35 |
| 557. | काकराला | 2003-04 | 29.57 |
| 558. | मेहरोनी | 2003-04 | 24.00 |
| 559. | बाहेरी | 2003-04 | 40.72 |
| 560. | मुबारकपुर | 2003-04 | 23.50 |
| 561. | सिंघाई | 2003-04 | 24.00 |
| 562. | घाटमपुर | 2003-04 | 44.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 563. | बिहौर | 2003-04 | 23.28 |
| 564. | रासरा | 2003-04 | 29.45 |
| 565. | बुधाना | 2003-04 | 22.23 |
| 566. | सिसौली | 2003-04 | 14.10 |
| 567. | बेवार | 2003-04 | 24.00 |
| 568. | नवाबगंज | 2003-04 | 16.35 |
| 569. | सौरजपुर | 2003-04 | 24.00 |
| 570. | मुरसान | 2003-04 | 15.78 |
| 571. | आवागढ़ | 2004-05 | 24.00 |
| 572. | हाथरस | 2004-05 | 88.38 |
| 573. | ललितपुर | 2004-05 | 52.03 |
| 574. | शियोली | 2004-05 | 24.00 |
| 575. | बोकरहेड़ी | 2004-05 | 24.00 |
| 576. | रूदाली | 2004-05 | 26.55 |
| 577. | बाकेवार | 2004-05 | 24.00 |
| 578. | पुरदिलनगर | 2004-05 | 23.91 |
| 579. | भागेन | 2004-05 | 24.00 |
| 580. | उनाओ | 2004-05 | 83.43 |
| 581. | मेहोनी | 2004-05 | 24.00 |
| 582. | लखना | 2004-05 | 24.00 |
| 583. | दासना | 2004-05 | 24.00 |
| 584. | काकोद | 2004-05 | 24.00 |
| 585. | अतरौली | 2004-05 | 45.00 |
| 586. | भारथाना | 2004-05 | 45.00 |
| 587. | कुरौली | 2004-05 | 24.00 |
| 588. | राया | 2004-05 | 21.18 |
| 589. | फराह | 2004-05 | 23.85 |
| 590. | सिकन्दरा-राव | 2004-05 | 36.70 |
| 591. | ओराई | 2004-05 | 53.65 |
| 592. | गंगाघाट | 2004-05 | 63.85 |
| 593. | अजमतगढ़ | 2004-05 | 24.00 |
| 594. | छाता | 2004-05 | 20.64 |
| 595. | बागपथ | 2004-05 | 32.60 |
| 596. | अकबरपुर | 2004-05 | 24.00 |
| 597. | ऐलम | 2004-05 | 23.35 |
| 598. | छौमुहा | 2004-05 | 17.85 |
| 599. | गोकुल | 2004-05 | 22.90 |
| 600. | सिधौली | 2004-05 | 22.25 |
| 601. | ननपाड़ा | 2004-05 | 22.00 |
| 602. | बाहरेच | 2004-05 | 10.00 |
| 603. | ओउन | 2004-05 | 11.35 |
| 604. | मोहन | 2004-05 | 16.00 |
| | जोड़ | | 3105.00 |
| | पश्चिम बंगाल | | |
| 605. | जोयनगर | 1998-99 | 59.85 |
| 606. | दुबराजपुर | 1998-99 | 9.00 |
| 607. | दानीहट | 99-2000 | 30.00 |
| 608. | ईगरा | 99-2000 | 64.50 |
| 609. | दुर्गापुर | 99-2000 | 202.00 |
| 610. | रामजी बानपुर | 2000-01 | 32.00 |
| 611. | खरार | 2000-01 | 27.09 |
| 612. | खिरपाई | 2000-01 | 34.00 |
| 613. | तेहरपुर | 2000-01 | 76.50 |
| 614. | बेलदंगा | 2000-01 | 75.00 |
| 615. | दार्जिलिंग | 2002-03 | 50.00 |
| 616. | रायगंज | 2002-03 | 65.00 |
| 617. | जलपाईगुडी | 2002-03 | 50.00 |
| 618. | बलूरघाट | 2002-03 | 70.00 |
| 619. | पुरूलिया | 2002-03 | 150.00 |
| 620. | कालना | 2002-03 | 48.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 621. | कटवा | 2002-03 | 150.00 |
| 622. | हल्दिया | 2002-03 | 166.00 |
| 623. | बेहरामपुर | 2002-03 | 210.00 |
| 624. | सिलीगुड़ी | 2002-03 | 130.50 |
| 625. | हाबड़ा | 2003-04 | 84.00 |
| 626. | इंगलिश बाजार | 2003-04 | 88.50 |
| 627. | तारकेश्वर | 2003-04 | 45.00 |
| 628. | धूपगुड़ी | 2003-04 | 45.00 |
| 629. | कूचबिहार | 2003-04 | 75.00 |
| 630. | बासीरहट | 2003-04 | 105.00 |
| 631. | मिदनापुर | 2003-04 | 105.00 |
| 632. | खड़गपुर | 2004-05 | 105.00 |
| 633. | बांकुरा | 2004-05 | 105.00 |
| 634. | कलीमपोंग | 2004-05 | 45.00 |
| 635. | कृष्णानगर | 2004-05 | 105.00 |
| 636. | सूरी | 2004-05 | 75.00 |
| 637. | बिष्णुपुर | 2004-05 | 75.00 |
| 638. | रानाघाट | 2004-05 | 75.00 |
| 639. | बोलपुर | 2004-05 | 52.00 |
| 640. | आरामबाग | 2004-05 | 22.00 |
| 641. | कोन्टाई | 2004-05 | 57.27 |
| 642. | रानीगंज | 2004-05 | 55.00 |
| | जोड़ | | 3018.71 |
| | **पाण्डिचेरी** | | |
| 643. | पाण्डिचेरी | 2003-04 | 36.00 |
| | जोड़ | | 36.00 |
| | कुल जोड़ | | 27002.56 |

*[हिन्दी]*

**पाक सीमा पर सड़कों को खोलना**

***197. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पाकिस्तान सीमा के साथ सड़कें खोलने, विशेषकर राजस्थान में मुनावाव-खोखरापार सड़क, के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान से इन सड़कों को खोलने और सीमा पार से घुसपैठ और तस्करी रोकने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस सड़क के खुलने के फलस्वरूप आतंकवाद, घुसपैठ और तस्करी में होने वाली संभावित वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(च) क्या पाकिस्तान बाढ़ लगाने के कार्य को पूरा करने में पूरी मदद कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) वर्ष 1965 और 1972 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् भारत आने वाले हिन्दू शरणार्थियों को कब तक भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(झ) ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मार्च, 2004 में इस्लामाबाद में तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव भारत द्वारा किया गया है।

(ङ) पाकिस्तान के साथ सड़क सम्पर्क खोले जाने के परिणामस्वरूप बढ़ने वाली तस्करी/घुसपैठ को रोकने हेतु सीमा जांच चौकी पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे एक्स-रे मशीनें, स्केनर, मेटल डिटेक्टर्स, प्रशिक्षित स्टाफ इत्यादि लगाए जाएंगे।

(च) और (छ) भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ भारतीय क्षेत्र के अंदर बाड़ लगाई जा रही है। यह पहल भारत सरकार द्वारा की गई है और इस संपूर्ण परियोजना का वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा जम्मू सेक्टर में पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत द्वारा लगाई जा रही बाड़ पर कोई आपत्ति नहीं की है। संघर्ष-विराम अर्थात्

नवम्बर, 2003 से पहले पाकिस्तानी सैनिक जम्मू क्षेत्र में बाड़ लगाने के कार्य को रोकने/उसमें अड़चन डालने के लिए नियमित रूप से गोलीबारी करते रहते थे। चूंकि अब संघर्ष-विराम हो गया है, इसलिए बाड़ के निर्माण का कार्य पाकिस्तान द्वारा कोई बाधा डाले बिना चल रहा है।

(ज) और (झ) 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय के राष्ट्रिक पाकिस्तान से क्रमशः राजस्थान और गुजरात राज्यों में पलायन कर गए थे। इन लोगों को शीघ्रता से नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से, इन राज्यों को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2004 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए अपेक्षित शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। भारत सरकार ने ऐसे 916 आवेदन राजस्थान सरकार को और 440 आवेदन गुजरात सरकार को भेज दिए हैं।

*[अनुवाद]*

**ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत धनराशि जारी करना**

***198. श्री सुनील खां:**

**श्री पी. करुणाकरण:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे को कम करने के लिए प्रोत्साहन राशि जारी करने हेतु किन्हीं राज्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को जिस अनुपात में प्रोत्साहन दिये गये वह अन्य राज्यों से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) और (ख) प्रोत्साहन राशि की मांग प्रस्तुत करने वाले राज्य हैं असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल। असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। वे राज्य, जिन्हें प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र पाया गया और जिन्हें इसका भुगतान किया गया, निम्नलिखित हैं—गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और प. बंगाल। इन्हें दी गई प्रोत्साहन राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | नकदी हानि में कमी | जारी की गई प्रोत्साहन राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | महाराष्ट्र | 275.78 | 137.89 |
| 2. | गुजरात | 472.76 | 236.38 |
| 3. | हरियाणा | 210.98 | 105.49 |
| 4. | राजस्थान | 275.42 | 137.71 |
| 5. | आंध्र प्रदेश | 530.22 | 265.11 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 146.00 | 73.00 |
| | कुल | 1911.6 | 955.58 |

(ग) से (ङ) राज्य को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का निर्धारण उस राज्य द्वारा आधार वर्ष 2000-01 के पश्चात् नकदी हानि में की गई वास्तविक कमी के आधार पर किया जाता है। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के भुगतान संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान नकदी कमी में हासिल वास्तविक कमी के लिए 73 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है।

*[हिन्दी]*

**चरवाहा विद्यालय खोलना**

***199. श्री सुशील कुमार मोदी:**

**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देशभर में गांधीवादी अवधारणा पर आधारित चरवाहा विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसे और बेसिक विद्यालय खोलने के लिए एक योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को 'सर्व शिक्षा अभियान' के साथ मिलाने का है और सरकार ने इस योजना के

कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस धनराशि को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान की योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन हेतु अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को दर्शाते हुए जिला-विशिष्ट योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। वे गांधीवादी विचारधारा पर आधारित योजना/परियोजना सहित किसी भी योजना/परियोजना को समाविष्ट कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास संपूर्ण देश में इस प्रकार की किसी योजना को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

## विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले और गैस की मांग व आपूर्ति

***200. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री रामदास आठवले:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय प्रत्येक विद्युत परियोजना में कोयले और गैस की राज्यवार कुल कितनी मांग रही और कितनी आपूर्ति की गयी;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कोयले और गैस की कितनी आपूर्ति की गयी;

(ग) क्या कोयले और गैस की आपूर्ति में गिरावट दर्ज की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मांग की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) अक्तूबर, 2004 में विद्युत संयंत्रों के संबंध में कोयले की राज्यवार मांग व आपूर्ति संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

अप्रैल-नवंबर, 2004 की अवधि में प्राकृतिक गैस का विद्युत संयंत्र-वार आबंटन व आपूर्ति संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान विद्युत संयंत्रों को की गई कोयला आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

| वर्ष | मिलियन टन में लिंकेज (एम.टी.) | मिलियन टन में कोयला आपूर्ति (एम.टी.) |
|---|---|---|
| 2000-01 | 241.881 | 232.467 |
| 2001-02 | 250.554 | 243.564 |
| 2002-03 | 267.255 | 249.799 |
| 2003-04 | 294.301 | 264.796 |
| 2004-05 (अप्रैल-अक्तूबर, 04) | 174.499 | 157.227 |

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार गत 5 वर्षों के दौरान विद्युत संयंत्रों को की गयी आपूर्ति निम्नवत है—

| वर्ष | गैस आबंटन (एमएमएससीएमडी) | गैस आपूर्ति (एमएमएससीएमडी) |
|---|---|---|
| 2000-01 | 36.67 | 24.40 |
| 2001-02 | 38.76 | 24.33 |
| 2002-03 | 39.47 | 25.12 |
| 2003-04 | 39.47 | 25.62 |
| अप्रैल-नवंबर, 04 | 40.95 | 29.18 |

एमएमएससीएमडी—मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन।

(ग) गत 5 वर्षों के दौरान विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति जैसे कि भाग (ख) में इंगित है लिंकेज से कम रही है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी इन वर्षों के दौरान आबंटन से कम रही है।

(घ) विद्युत संयंत्रों की कोयला मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

(i) सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडलीय सचिवालय की अध्यक्षता वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसर्ट्रेंट्स कमेटी देश में ताप विद्युत स्टेशनों को की जाने वाली कोयला आपूर्ति की मासिक समीक्षा करती है।

(ii) संयुक्त सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता वाला एक उप समूह (इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसर्ट्रेंट्स कमेटी) जिसमें विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेल मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड से सदस्य शामिल हैं, कोयला आपूर्ति

की स्थिति की समीक्षा करता है और ताप विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करता है। उप समिति एक माह में 3-4 बार बैठकें करती है।

(iii) कुछेक विद्युत स्टेशनों द्वारा कोयले का आयात।

(iv) कोयला मंत्रालय के अनुसार कोल इंडिया लि. ने वर्ष 2004-05 से समग्र कोयला उत्पादन का अपना लक्ष्य विद्यमान 314 मिलियन से संशोधित करके 331 मिलियन टन कर दिया है और कोयला क्षेत्र के लिए 240 मिलियन टन से संशोधित कर 248 मिलियन टन कर दिया है।

प्राकृतिक गैस की मांग व पूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए सरकार न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत देश के विभिन्न सेडिमेंटरी बेसिनों में खोज एवं उत्पादन (ई. एंड पी.) कार्यों के लिए लगभग 90 ब्लॉकों का ठेका कार्य सौंपकर घरेलू स्रोतों से प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के रूप में गैस का आयात करने को प्रोत्साहित कर रही है और देशपारीय पाईपलाइन परियोजनाओं के माध्यम से गैस आयात करने के प्रयास भी कर रही है।

*विवरण-I*

*वर्तमान में (अक्तूबर, 2004 के दौरान) कोयले की मांग (लिंकेज) और पूर्ति (प्राप्ति) का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण*

मात्रा 000 टन

| क्र.सं. | टीपीएस का नाम | मांग (लिंकेज) | आपूर्ति (प्राप्ति) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **उत्तरी क्षेत्र** | | |
| | **दिल्ली** | | |
| 1. | बदरपुर | 370 | 354 |
| 2. | इंद्रप्रस्थ स्टेशन (आईपीजेनको) | 70 | 77 |
| 3. | राजघाट (आईपीजेनको) | 70 | 60 |
| | **हरियाणा** | | |
| 4. | फरीदाबाद | 85 | 49 |
| 5. | पानीपत | 500 | 398 |
| | **पंजाब** | | |
| 6. | भटिंडा | 165 | 158 |
| 7. | लेहरा मुहब्बत | 230 | 194 |
| 8. | रोपड़ | 585 | 563 |
| | **राजस्थान** | | |
| 9. | कोटा | 450 | 403 |
| 10. | सूरतगढ़ | 550 | 507 |
| | **उत्तर प्रदेश** | | |
| 11. | अनपरा | 730 | 726 |
| 12. | हरदुआगंज | 80 | 59 |
| 13. | ओबरा | 500 | 388 |
| 14. | पनकी विस्तार | 90 | 51 |
| 15. | परीचा | 90 | 83 |
| 16. | टांडा (एनटीपीसी) | 260 | 195 |
| 17. | ऊंचाहार (एनटीपीसी) | 400 | 356 |
| 18. | रिहंद एसटीपीएस | 440 | 308 |
| 19. | सिंगरौली (एसटीपीएस) | 850 | 840 |
| 20. | एनसीटीपीपी (दादरी) | 400 | 370 |
| | कुल उ. क्षेत्र | 6915 | 6139 |
| | **पश्चिमी क्षेत्र** | | |
| | **गुजरात** | | |
| 21. | अहमदाबाद | 120 | 82 |
| 22. | गांधीनगर | 250 | 279 |
| 23. | सिक्का | 80 | 61 |
| 24. | उकाई | 310 | 259 |
| 25. | वनाकबोरी | 685 | 659 |
| | **मध्य प्रदेश** | | |
| 26. | अमरकंटक | 100 | 97 |
| 27. | बीरसिंगपुर | 410 | 361 |
| 28. | सतपुड़ा | 630 | 458 |
| 29. | विंध्याचल एसटीपीएस | 918 | 890 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **छत्तीसगढ़** | | |
| 30. | कोरबा ईस्ट | 240 | 192 |
| 31. | कोरबा वेस्ट | 420 | 438 |
| 32. | कोरबा एसटीपीएस | 900 | 889 |
| | **महाराष्ट्र** | | |
| 33. | भुसावल | 225 | 213 |
| 34. | चंद्रपुर | 1100 | 1020 |
| 35. | कोराडी | 450 | 443 |
| 36. | खापरखेड़ा | 400 | 411 |
| 37. | नासिक | 360 | 318 |
| 38. | पारली | 268 | 319 |
| 39. | पारस | 30 | 30 |
| 40. | दहाणु | 260 | 184 |
| | कुल प. क्षेत्र | 8156 | 7603 |
| | **दक्षिणी क्षेत्र** | | |
| | **आंध्र प्रदेश** | | |
| 41. | कोठागुडम | 535 | 528 |
| 42. | रामागुंडम बी | 25 | 24 |
| 43. | विजयवाड़ा | 650 | 527 |
| 44. | रामागुंडम एसटीपीएस | 950 | 756 |
| 45. | नैल्लोर | 15 | 20 |
| 46. | रायलसीमा | 210 | 205 |
| 47. | सिम्हाद्री | 420 | 521 |
| | **कर्नाटक** | | |
| 48. | रायचूर | 785 | 589 |
| | **तमिलनाडु** | | |
| 49. | एन्नौर | 155 | 90 |
| 50. | मेत्तूर | 445 | 462 |
| 51. | तूतीकोरिन | 470 | 476 |
| 52. | उत्तर मद्रास | 305 | 176 |
| | कुल द. क्षेत्र | 4965 | 4374 |
| | **पूर्वी क्षेत्र** | | |
| | **बिहार** | | |
| 53. | बरौनी | 30 | 10 |
| 54. | मुजफ्फरपुर | 5 | 0 |
| 55. | कहलगांव एसटीपीएस | 410 | 448 |
| | **झारखंड** | | |
| 56. | पतरातू | 125 | 53 |
| 57. | तेनुघाट | 90 | 81 |
| 58. | बोकारो (डीवीसी) | 165 | 131 |
| 59. | चंद्रपुरा (डीवीसी) | 80 | 95 |
| | **पश्चिम बंगाल** | | |
| 60. | दुर्गापुर (डीवीसी) | 120 | 117 |
| 61. | भेजिया (डीवीसी) | 325 | 208 |
| 62. | बांडेल | 145 | 127 |
| 63. | संथालडीह | 90 | 85 |
| 64. | कोलाघाट | 500 | 476 |
| 65. | बक्रेश्वर | 200 | 181 |
| 66. | कलकत्ता (सीईएससी) | 35 | 36 |
| 67. | टीटागढ़ (सीईएससी) | 100 | 107 |
| 68. | एस.जी. एसटी (सीईएससी) | 55 | 53 |
| 69. | बजबज (सीईएससी) | 185 | 154 |
| 70. | दुर्गापुर (डीपीएल) | 140 | 137 |
| 71. | फरक्का एसटीपीएस | 773 | 610 |
| | **उड़ीसा** | | |
| 72. | तालचेर ओल्ड | 200 | 238 |
| 73. | तालचेर एसटीपीएस | 1135 | 1081 |
| 74. | इब वैली | 230 | 237 |
| | कुल पू. क्षेत्र | 5138 | 4665 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | | |
| | **असम** | | |
| 75. | बोंगईगांव | 0 | 0 |
| | कुल अखिल भारत (स्वदेशी कोयला) | 25174 | 22781 |
| | **आयातित कोयला** | | |
| | लेहर मुहब्बत | 0 | 0 |
| | अहमदाबाद | 30 | 79 |
| | गांधीनगर | 80 | 84 |
| | बज बज | 15 | 25 |
| | उकाई | 0 | 0 |
| | टीटागढ़ (सीईएससी) | 10 | 10 |
| | कुल | 135 | 198 |
| | कुल योग | 25309 | 22979 |
| | **बिना लिंकेज के** | | |
| | ट्रांबे | 0 | 176 |
| | दहाणु | 0 | 110 |
| | भुसावल | 0 | 20 |
| | नासिक | 0 | 24 |
| | अखिल भारत योग | 25309 | 23309 |

*विवरण-II*

*विद्युत क्षेत्र-गैस आबंटन एवं आपूर्ति*

(एमएमएससीएमडी)

| क्र.सं. | उपभोक्ता | आबंटन | | कुल आबंटन | औसत आपूर्ति (अप्रैल-नवंबर, 2004) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सुनिश्चित | वैकल्पिक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **उत्तर प्रदेश** | | | | |
| 1. | एनटीपीसी, औरैया | 2.43 | | 2.43 | 2.20 |
| 2. | एनटीपीसी, दादरी | 2.93 | | 2.93 | 2.74 |
| | उप जोड़ | 5.36 | | 5.36 | 4.94 |
| | **हरियाणा** | | | | |
| 3. | एनटीपीसी, फरीदाबाद | 1.95 | | 1.95 | 1.68 |
| | उप जोड़ | 1.95 | | 1.95 | 1.68 |
| | **दिल्ली** | | | | |
| 4. | इंद्रप्रस्थ पावर | 0.84 | | 0.84 | 0.72 |
| 5. | प्रगति पावर | 1.75 | | 1.75 | 1.47 |
| | उप जोड़ | 2.59 | | 2.59 | 2.19 |
| | **गुजरात** | | | | |
| 6. | एनटीपीसी, कवास/गांधीनगर | 2.19 | | 2.19 | 2.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | एनटीपीसी, झनौर | 1.50 | 0.75 | 2.25 | 0.36 |
| 8. | जीटीईसी | 1.50 | | 1.50 | 0.00 |
| 9. | जीआईपीसीएल | 0.70 | | 0.70 | 0.90 |
| 10. | जीईबी, धुन्नण | 0.50 | | 0.50 | 0.41 |
| 11. | जीईबी उत्तरान | 0.70 | | 0.70 | 0.00 |
| 12. | एईसी अहमदाबाद | 0.40 | | 0.40 | 0.00 |
| | उप जोड़ | **7.49** | **0.75** | **8.24** | **3.90** |
| | **आंध्र प्रदेश** | | | | |
| 13. | आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लि. | 1.22 | 0.10 | 1.32 | 1.11 |
| 14. | जीवीके इंडस्ट्रीज | 0.90 | 0.15 | 1.05 | 0.81 |
| 15. | स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि. | 0.90 | 0.15 | 1.05 | 0.80 |
| 16. | लेनको कोंडापल्ली पावर लि. | 1.46 | 0.29 | 1.75 | 1.28 |
| 17. | वथसा पावर प्रोजैक्ट लि. | 0.07 | | 0.07 | 0.07 |
| 18. | बीएसईएस आंध्र प्रदेश | 0.64 | 0.36 | 1.00 | 0.71 |
| | उप जोड़ | **5.19** | **1.05** | **6.24** | **4.78** |
| | **कावेरी बेसिन** | | | | |
| 19. | टीएनईबी कुटटालम | 0.45 | | 0.45 | 0.31 |
| 20. | टीएनईबी कोविलकल्लपल | 0.45 | | 0.45 | 0.41 |
| 21. | पीपीसीएल | 0.18 | 0.32 | 0.50 | 0.18 |
| 22. | पीपीएन पावर जेनरेटिंग कंपनी | | 1.46 | 1.46 | 0.0027 |
| 23. | टीएनईबी पेरूंगलम | 0.45 | | 0.45 | 0.29 |
| 24. | ओपीजी एनर्जी | 0.08 | | 0.08 | 0.09 |
| | उप जोड़ | **1.61** | **1.78** | **3.39** | **1.28** |
| | **महाराष्ट्र** | | | | |
| 25. | एमएसईबी उरान | 3.50 | | 3.50 | 2.58 |
| 26. | टीईसी, ट्रांबे | 1.50 | | 1.50 | 0.92 |
| | उप जोड़ | **5.00** | | **5.00** | **3.50** |
| | **असम** | | | | |
| 27. | असम राज्य बिजली बोर्ड, एमएआईबी | 0.80 | | 0.80 | 0.35 |
| 28. | असम राज्य बिजली बोर्ड, जीईएलआई | 0.07 | | 0.07 | 0.04 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | डीएलएफ पावर, बांशकंडी | | 0.05 | | 0.05 | 0.05 |
| 30. | डीएलएफ पावर, आदमटिल्ला | | 0.10 | | 0.10 | 0.10 |
| 31. | नीपको, कैथालगुड़ी | | 1.00 | | 1.00 | 1.24 |
| 32. | एएसईबी, नामरूप | | 0.66 | | 0.66 | 0.55 |
| | | कुल जोड़ | 2.68 | | 2.68 | 2.33 |
| | त्रिपुरा | | | | | |
| 33. | टीएसईडी, रोखिया | | 0.60 | | 0.60 | 0.47 |
| 34. | टीएसईडी, बारामूरा | | 0.30 | | 0.30 | 0.19 |
| 35. | नीपको, आर.सी. नगर | | 0.75 | | 0.75 | 0.64 |
| | | कुल जोड़ | 1.65 | | 1.65 | 1.30 |
| | राजस्थान | | | | | |
| 36. | एनटीपीसीएल अंता | | 1.71 | | 1.71 | 1.54 |
| 37. | आरएसईबी | | 0.75 | | 0.75 | 0.52 |
| | | कुल जोड़ | 2.46 | | 2.46 | 2.06 |
| | कुल विद्युत—एपीएम | | 35.97 | 3.58 | 39.55 | 27.96 |
| | आर.एल.एन.जी. आबंटन | | | | | |
| 1. | इंद्रप्रस्थ पावर-आरएलएनजी गैस | | 0.60 | | 0.60 | 0.47 |
| 2. | जीएसईसीएल-धुव्रण-आरएलएनजी | | 0.25 | | 0.25 | 0.18 |
| 3. | जीएसईसी, उत्तरान-आरएलएनजी | | 0.25 | | 0.25 | 0.26 |
| 4. | जीआईपीसीएल-आरएलएनजी | | 0.30 | | 0.30 | 0.31 |
| | कुल विद्युत-आरएलएनजी | | 1.40 | | 1.40 | 1.22 |
| | कुल योग-विद्युत | | 37.37 | 3.58 | 40.95 | 29.18 |

स्रोत—पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

*[हिन्दी]*

**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकास योजना**

**2044. श्री रामसेवक सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकास योजना की वास्तविक स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस परियोजना के अंतर्गत ग्वालियर के किसी स्थानीय निकाय को कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) पक्षियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा विमानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कुल 99.35 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित 10 चुने गए भारतीय वायुसेना एयरफील्ड कस्बों में ठोस कचरा निपटान और

जल निकासी की एक नई केन्द्र प्रवर्तित योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) ने ग्वालियर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत कर दी है जिसे तकनीकी जांच व अनुमोदन के लिए केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) को भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति, परियोजना मानीटरिंग समिति का गठन किया है और इस मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति में राज्य का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आशा है कि स्थायी वित्त समिति (एस.एस.सी.) द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद यह परियोजना 2005 में कार्यान्वित की जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**परिवार परामर्श केन्द्र**

**2045. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए परिवार परामर्श केन्द्र चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार ऐसे कितने केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(घ) क्या ऐसे पारिवारिक केन्द्रों का विस्तार राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों तक किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस योजना के अंतर्गत पूरे देश को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार कुटुम्ब न्यायालयों में इस प्रणाली का अनुसरण करने का है जैसा कि लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के क्रम में लोक अदालतों में अनुपालन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या परिवार परामर्श केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को विवाह पूर्व परामर्श, महिला अधिकारों, कानूनी सहायता आदि जैसे विभिन्न कानूनी परामर्श दिए जाते हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम का उद्देश्य परिवार तथा समाज के अत्याचारों व अनबन की शिकार महिलाओं को परामर्श, विशेषज्ञ तथा पुनर्वासीय सेवाएं प्रदान करना है। यह स्कीम विपदाग्रस्त महिलाओं को संकट समाधान सेवाएं भी प्रदान करती है।

(ग) परिवार परामर्श केन्द्रों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अधिकांश जिला मुख्यालयों में परिवार परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गई है। मांग तथा आवश्यकता के आधार पर Xवीं योजना से अन्त तक कुछ और जिला मुख्यालयों को शामिल किया जाना है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) जी, हां। परिवार परामर्श केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

*परिवार परामर्श केन्द्र*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | परिवार परामर्श केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 39 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 03 |
| 3. | असम | 18 |
| 4. | बिहार/झारखंड | 61 |
| 5. | गोवा | 02 |
| 6. | गुजरात | 43 |
| 7. | हरियाणा | 18 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 10 |
| 9. | जम्मू कश्मीर | 08 |
| 10. | कर्नाटक | 56 |
| 11. | केरल | 36 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 59 |
| 13. | महाराष्ट्र | 64 |
| 14. | मणिपुर | 09 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. | मेघालय | 02 |
| 16. | मिजोरम | 02 |
| 17. | नागालैंड | 02 |
| 18. | उड़ीसा | 31 |
| 19. | पंजाब | 12 |
| 20. | राजस्थान | 30 |
| 21. | सिक्किम | 03 |
| 22. | तमिलनाडु | 50 |
| 23. | त्रिपुरा | 09 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 54 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 37 |
| 26. | चण्डीगढ़ | 03 |
| 27. | दिल्ली | 33 |
| 28. | पांडिचेरी | 04 |
| 29. | छत्तीसगढ़ | 05 |
| 30. | उत्तरांचल | 06 |
| | कुल | 709 |

*[अनुवाद]*

**चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बसों की खरीद**

**2046. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा हाल ही में खरीदी गई बसों में खामियां पाई गई हैं;

(ख) कितनी बसें खरीदी गईं और उनका कुल मूल्य कितना है;

(ग) प्रत्येक बस की औसत रख-रखाव लागत कितनी है;

(घ) क्या प्रशासन का विचार खामियों को बताए जाने के बावजूद समान इंजनों सहित इसी तरह के बसों की खरीद करने का है; और

(ङ) चंडीगढ़ में स्थानीय परिवहन प्रणाली को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान। लेकिन अधिकांश खराबियां, विनिर्माता द्वारा मुफ्त मरम्मत करके/पुर्जे बदलकर दूर कर दी गई।

(ख) 1,86,59,844/-रु. की कुल लागत पर चौदह सेमी-लो फ्लोर बसें खरीदी गई हैं।

(ग) प्रत्येक बस की औसत रख-रखाव लागत 0.22 पैसे प्रति किलोमीटर है।

(घ) प्रशासन का आशोधित विशिष्टियों के साथ 102 सेमी-लो फ्लोर वाली और बसें खरीदने का प्रस्ताव है।

(ङ) चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के बेड़े में 102 सेमी-लो फ्लोर बसें शामिल करने के पश्चात् एक नये ग्रिड (जी.आर.आई.डी.) परिवहन प्रणाली की शुरुआत करने का प्रस्ताव है।

**समुद्रतट स्थित इस्पात संयंत्र**

**2047. श्री परसुराम माझी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में समुद्र तट स्थित कुछ इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-से राज्य हैं जहां इन समुद्र तट स्थित इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ग) क्या ऐसे दो समुद्र तट स्थित इस्पात संयंत्रों को उड़ीसा में पारादीप और गोपालपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. के नियंत्रणाधीन विजॉग इस्पात संयंत्र के चालू हो जाने के बाद सरकार का देश में तट आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**शहरी विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता**

**2048. श्री गिरिधारी यादव:**
**श्री वीर सिंह महतो:**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत किन-किन शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव है और इसमें राज्य-वार कितनी राशि व्यय होगी; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पावर ग्रिड का आधुनिकीकरण**

**2049. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पावन ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड के पश्चिमी ग्रिड के आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (ग) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल.) पश्चिमी क्षेत्र में विभिन्न पारेषण स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। पी.जी.सी.आई.एल. ने क्षेत्र में पारेषण प्रणाली के सुधार हेतु कुछ स्कीमों की आयोजना भी की है। नियोजित स्कीमों की सूची उनकी अनुमानित लागत के साथ संलग्न विवरण में दी गयी है।

इन पारेषण स्कीमों की आयोजना पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र को विद्युत के अंतरण को सुगम बनाने, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों से आयातित विद्युत का पारेषण करने, पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की निकासी करने तथा ग्रिड की सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त लाभभोगी राज्यों को विद्युत का पारेषण करने के लिए की गई है।

*विवरण*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सीपत-II सप्लीमेंट्री ट्रांसमिशन सिस्टम | 739 करोड़ रुपये |
| 2. | पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-II | 4930 करोड़ रुपये |
| 3. | गांधार-II व कवास-II विद्युत परियोजनाओं से संबद्ध पारेषण प्रणाली | 1100 करोड़ रुपये |
| 4. | पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-III | 30 करोड़ रुपये |
| 5. | ईस्ट-वेस्ट सुदृढ़ीकरण स्कीम | 690 करोड़ रुपये |

*[अनुवाद]*

**डी.डी.ए. के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच**

**2050. श्री जोवाकिम बखला:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. के सतर्कता विभाग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में वास्तविक लागत से भिन्नता पाये जाने पर जांच तथा सैम्पलिंग के आधार पर तैयार अंतरिम रिपोर्ट के बाद अपनी 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली "मेगा हाउसिंह परियोजना" की लागत को स्पष्ट करने हेतु उक्त अधिकारियों को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो सतर्कता जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई;

(ग) अभी तक सतर्कता जांच पूरी न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) जांच और सैम्पलिंग पर आधारित अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित प्रति फ्लैट भिन्नता की मात्रा कितनी है तथा इसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप डी.डी.ए. को कुल कितनी हानि हुई?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने बताया है कि उसके सतर्कता विंग ने मेगा आवास परियोजना के मामले में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन जारी किया है।

(ख) से (ङ) डी.डी.ए. ने बताया है कि अधिकारियों के उत्तरों के संबंध में विस्तृत जांच की गयी है तथा तत्पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके आगे कार्रवाई की जायेगी।

**भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्**

**2051. श्री महबूब जाहेदी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संबंधित विभाग से हमारे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कई रिकार्ड/फाइल लापता हो गए हैं;

(ख) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने "टुवार्ड्स फ्रीडम" शीर्षक से ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलनों से संबंधित एक पूर्ण वृत्तचित्र तैयार करने संबंधी उद्यम शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की ऐसी गतिविधियों की गहराई से जांच करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि "टुवार्डस फ्रीडम" परियोजना सम्बन्धी उनकी फाईल मिल नहीं रही है।

(ख) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने वर्ष 1937-47 की अवधि के भारत के इतिहास पर दस खण्ड प्रकाशित करने के लिए 'टुवार्डस फ्रीडम' नाम से परियोजना आरंभ की है।

(ग) और (घ) सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के कार्य की समीक्षा करने और उसके कार्यकलापों की जांच करने के लिए श्री डी. बंदोपाध्याय कार्यकारी अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद्, तथा पूर्व सचिव, भारत सरकार को 6 सितम्बर, 2004 को नियुक्त किया। समीक्षा के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:—

(i) परिषद् के संगम ज्ञापन/नियमों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों के संबंध में इसके प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यकरण की समीक्षा;

(ii) "टुवार्डस फ्रीडम" परियोजना के खंडों को प्रकाशित न करने/प्रकाशन को बंद करने की जांच;

(iii) परिषद् ने 1995-96 से 2000-2001 के दौरान जिस अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधानकर्त्ताओं को अध्येतावृत्ति प्रदान की थी उसे प्रस्तुत न किए जाने की जांच करना जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2002-03 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(iv) परिषद् के कार्यकरण के संबंध में मंत्रालय को प्राप्त हुए अथवा मंत्रालय द्वारा विचारार्थ भेजे गए अथवा लम्बित मामलों/शिकायतों की जांच;

(v) समीक्षाधीन किसी मामले पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रसिद्ध इतिहासकारों/शिक्षाविदों से परामर्श करना; तथा

(vi) परिषद् के कार्यकरण में आवश्यक सुधार करने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यथावश्यक सिफारिशें करना तथा उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देना;

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**मुम्बई में "साल्ट पैन लैण्ड"**

**2052. श्रीमती कल्पना रमेश भरहिरे:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई में "साल्ट पैन लैण्ड" का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से क्रमश: मलिन बस्तियों के निवासियों और अन्य द्वारा पहले से ही अतिक्रमित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) बेकार पड़ी "साल्ट पैन लैण्ड" का ब्यौरा क्या है और कितनी भूमि का उपयोग हो रहा है; और

(घ) बेकार पड़ी "साल्ट पैन लैण्ड" के उपयोग के संबंध में केन्द्र सरकार की नीति क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के अधीन साल्ट कमिश्नरेट ने यह सूचित किया है कि मुंबई क्षेत्र में 13079 एकड़ खार भूमि (साल्ट पैन लैण्ड) है। इसमें से लगभग 545 एकड़ विभिन्न उपयोगों के लिए अतिक्रमित है।

(ग) साल्ट कमिश्नरेट द्वारा यथा सूचित घास उगी, अतिक्रमित और खाली पड़े क्षेत्रों सहित बेकार पड़ी भूमि के तहत मुंबई में खार भूमि का क्षेत्रफल लगभग 2765 एकड़ है। नमक उत्पादन के लिए वर्तमान में प्रयुक्त मुंबई में खार भूमि लगभग 6083 एकड़ है।

(घ) बेकार पड़ी खार भूमि का उपयोग तटीय और विकास विनियमनों पर निर्भर करेगा।

*[हिन्दी]*

**एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा राजस्थान में विकास**

**2053. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के जिलों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.सी.आर.पी.बी. ने कितनी परियोजनाओं के लिए राजस्थान को ऋण प्रदान किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान को वे सुविधायें/सहायता नहीं प्रदान कर रही है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले राज्यों को दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले राज्यों को दी जा रही सुविधाओं/सहायता का ब्यौरा क्या है;

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2001 बनाई है। इस योजना का लक्ष्य दिल्ली में जनसंख्या का दबाव कम करना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संतुलित एवं समन्वित विकास करना है। अभी पूरा अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत है। तथापि, विकास के लिए विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जाते हैं और इसके लिए ऋण सहायता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से मांगी जाती है। गत तीन वर्षों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अम्बेडकर नगर, अलवर के लिए रिहायशी स्कीम हेतु 2.50 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता दी है।

(ङ) से (ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड शहरी विकास मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है जो राज्य सरकारों तथा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों की अवस्थापना परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना के विकास को आगे बढ़ाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के क्षेत्रों की 46 अवस्थापना परियोजनाओं के लिए अभी तक कुल 155.01 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले अन्य राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश (63 परियोजनाएं), हरियाणा (64 परियोजनाएं) तथा काउंटर मैग्नेट क्षेत्र (10 परियोजनाएं) के क्षेत्रों के लिए भी ऋण सहायता मुहैया कराई है।

*[अनुवाद]*

## नई आवास नीति

**2054. श्री ए.के. मूर्ति:**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवास प्रदान करने पर विशेष बल देते हुए नई आवास नीति बनाने और शहरी सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बना रही है जैसा कि दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 को "हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने नई नीति में शामिल करने हेतु राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में कुछ सुझाव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नई नीति पूर्व की नीति से भिन्न है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा गरीब लोगों के समान विकास हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ज) चूंकि पहले की आवास नीति 1998 में घोषित की गई थी इसलिए हाल ही में नई दिल्ली में 29-30 नवम्बर, 2004 को संपन्न राज्य आवास मंत्रियों के सम्मेलन में सभी के लिए आवास और आवास स्टाक बढ़ाने के लिए आवश्यक शहरी सुधारों को भी ध्यान में रखते हुए अन्य मुद्दों के अलावा आवास नीति के संशोधन पर चर्चा की गई। विचार विमर्श और सम्मेलन के दौरान राज्य सरकारों की राय लेने के बाद यह सिफारिश सामने आई कि आवास और पर्यावास नीति 1998 को परामर्शी प्रक्रिया के जरिए उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाए जिससे विशेष रूप से ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. श्रेणी के संदर्भ में, और आर्थिक विकास जीवन गुणता, समानता तथा सामाजिक न्याय के संदर्भ में सहायक अवस्थापना और बुनियादी सेवाओं के विकास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सेवा सुविधायुक्त भूमि और आवास की आपूर्ति बढ़ाई जा सके।

## अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

**2055. श्री नवीन जिन्दल:**
**श्री बालेश्वर यादव:**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने विकास शुल्क का प्रभार लगा कर दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित किये जाने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार प्रस्ताव पर किस स्तर पर विचार किया जा रहा है;

(घ) सरकार द्वारा अपने निर्णय को कब तक घोषित किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या जल और जल-मल-व्ययन संबंधी कनेक्शन के लिए इन कालोनियों के निवासियों से कोई विकास शुल्क/प्रभार वसूल किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो कौन-सी एजेंसी व्यय वहन करेगी?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (छ) केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण हेतु दिशानिर्देश तैयार किया तथा उन्हें दिनांक 20.2.2001 को दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल किया। विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त होने के बाद सरकार ने फरवरी, 2004 में दिशानिर्देशों को संशोधित किया। रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सरकारी भूमि के लिए प्रभारित भूमि-दर इत्यादि सहित संशोधित दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए पुन: अनुरोध किया है। इस मामले पर रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ चर्चा की जानी है। अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए आगे की कार्रवाई प्रविधियों को अंतिम रूप देने के साथ-साथ दिशानिर्देशों में और किसी संशोधन, यदि कोई हो, पर निर्भर करती है।

*[हिन्दी]*

## केन्द्रीय विद्यालय

**2056. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भवन और मूलभूत सुविधाओं के बिना चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य-वार विशेषकर हिमाचल प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालय सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ अपने भवनों में चल रहे हैं; और

(ग) मंत्रालय द्वारा उन विद्यालयों के लिए कब तक भवन निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है जो अपने भवन में नहीं चल रहे हैं और इस संबंध में क्या कार्य योजना बनाई गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) आज तक की स्थिति के अनुसार बिना भवन के कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। कार्य कर रहे सभी केन्द्रीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) 550 केन्द्रीय विद्यालय सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अपने भवनों में कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा 133 केन्द्रीय विद्यालय परियोजना क्षेत्र/उच्चतर अध्ययन संस्थान/विदेश में हैं जिनके लिए भवन परियोजना प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) स्कूल भवनों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है जो भूमि हस्तांतरण/लीज डीड करने, योजनागत बजट में निधियों की उपलब्धता सहित निर्माण एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक नक्शों और आकलनों को तैयार करने एवं उन्हें प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है और इसलिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

*विवरण-I*

*राज्यवार ब्यौरा*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | केन्द्रीय विद्यालय के निर्माणाधीन भवन | केन्द्रीय विद्यालय के भवन जो अभी योजनाधीन हैं | वे केन्द्रीय विद्यालय जिसके लिए अभी भूमि का हस्तांतरण किया जाना बाकी है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अंडमान व निकोबार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 1. मछलीपट्टनम | 1. गूटी | शून्य |
| | | | 2. बावनपल्ली | |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1. त्वांग | 1. रूपा | 1. रोइंग |
| | | 2. किमीन | 2. एलांग डब्ल्यू. सिआंग | 2. मियाऊं |
| | | | | 3. खोसना |
| 4. | असम | 1. तिनसुकिया | 1. धोलचेरा | 1. बारपेटा |
| | | 2. कोकराझार | 2. अमेरीगोग | 2. डिब्रूगढ़ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. खटखटी | 3. मोहनबाड़ी | 3. लखीमपुर |
| | | 4. पनबरी | 4. हॉफ लांग (एस.एस.बी.) | 4. मंगलदोई |
| | | 5. नवगांव | 5. आई.आई.टी., गुवाहाटी | 5. आर.आर.एल. जोरहट |
| | | 6. करीमगंज | | |
| 5. | बिहार | 1. खगौल | 1. ए.एफ.एस., बिहटा | 1. लखीसराय |
| | | 2. खगड़िया | | 2. सहरसा |
| | | 3. ए.एफ.एस. दरंभाग | | 3. जहानाबाद |
| | | | | 4. बक्सर |
| | | | | 5. बेतिया |
| | | | | 6. हाजीपुर |
| | | | | 7. मशरख |
| | | | | 8. मोतीहारी |
| | | | | 9. छपरा |
| | | | | 10. गोपालगंज |
| | | | | 11. नं. 2 दरभंगा |
| | | | | 12. बरौनी |
| | | | | 13. सीवान |
| | | | | 14. बांका |
| 6. | चंडीगढ़ | शून्य | शून्य | शून्य |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 1. मनेन्द्रगढ़ | शून्य | 1. नं. 2 रायपुर |
| | | 2. रायगढ़ | | 2. जशपुर |
| | | 3. महासमुन्द | | 3. बेल्लाडिला दांतेवाड़ा |
| | | 4. जगदलपुर | | |
| 8. | दादरा व नगर हवेली | शून्य | शून्य | 1. सिलवासा |
| 9. | दिल्ली | 1. झड़ौदा कलां | शून्य | 1. दिल्ली कैंट-II/ |
| | | 2. अर्जुनगढ़ | | 2. रोहिणी सेक्टर-22 |
| | | 3. बी.एस.एफ. छावला | | 3. रोहिणी सेक्टर-25 |
| | | 4. रोहिणी सेक्टर-3 | | 4. द्वारका |
| | | 5. रोहिणी सेक्टर-8 | | 5. नरेला |
| 10. | गोवा | 1. पोन्डा | शून्य | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | गुजरात | 1. ए.एफ.एस. मकरपुरा | शून्य | 1. विरामगांव |
| | | | | 2. ए.एफ.एस. समाना |
| | | | | 3. द्वारका |
| | | | | 4. जैतपुर |
| 12. | हरियाणा | शून्य | 1. भानू कैम्प | 1. मोहम्मदपुर |
| | | | | 2. करनाल |
| | | | | 3. नं. 4 अंबाला |
| | | | | 4. नं. 3 फरीदाबाद |
| | | | | 5. नं. 2 गुड़गांव |
| | | | | 6. हरसिंगपुरा (करनाल) |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 1. नलेटी | 1. सरहन (आई.टी.बी.पी.) | 1. मंडी |
| | | 2. रानीखेत | 2. जटगोघ कैंट | 2. सुबाथू |
| | | 3. बकलोह | 3. भनाला | 3. अल्हीलाल |
| | | | 4. नादौन | 4. धर्मशाला कैंट |
| | | | | 5. आई.टी.बी.पी. रेकोंगपिओ |
| 14. | जम्मू व कश्मीर | 1. नं. 1 श्रीनगर | 1. नं. 2 अखनूर | 1. नं. 1 अखनूर |
| | | | 2. बी.एस.एफ., बांदीपुर | 2. राजौरी |
| | | | | 3. मिरान साहिब |
| | | | | 4. बारामूला |
| | | | | 5. नं. 2 उधमपुर |
| | | | | 6. श्रीनगर |
| | | | | 7. अवंतीपुरा |
| | | | | 8. धमाना |
| | | | | 9. सांबा |
| | | | | 10. अनंतनाग |
| | | | | 11. पहलगाम |
| | | | | 12. खंडकार |
| | | | | 13. कारगिल |
| | | | | 14. नूबरा |
| | | | | 15. चुसूल (न्योमा) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 16. हीरानगर |
| | | | | 17. कठुआ |
| | | | | 18. बदरवाह |
| | | | | 19. चेनानी एट कुद |
| | | | | 20. गुलमर्ग |
| 15. | झारखंड | 1. टाटानगर | 1. रांची (सी.आर.पी.एफ.) | 1. ओल्ड डी.वी.एस. धनबाद |
| | | 2. बरकाकाना | 2. रांची (नामकुम) | 2. धनबाद |
| | | | | 3. भुरकुंडा |
| 16. | कर्नाटक | 1. रायचूर | 1. नं. 2 हुबली | शून्य |
| | | 2. ए.एफ.एस. साम्बरा | 2. नं. 2 मेंगलौर | |
| | | 3. बीजापुर | 3. तुमकुर | |
| 17. | केरल | 1. ए.एफ.एस. त्रिवेन्द्रम | 1. कलपेट्टा | शून्य |
| 18. | मध्य प्रदेश | 1. सागर नं. 2 | 1. विदिशा | 1. नं. 3 भोपाल |
| | | 2. ओ.एफ. इटारसी नं. 1 | | 2. मांडला |
| | | 3. नं. 5 ग्वालियर | | 3. नं. 2 रीवा |
| | | 4. भिंड | | 4. नं. 3 सागर |
| | | 5. सिधी | | 5. शाजापुर |
| 19. | महाराष्ट्र | 1. मडखेड | 1. अजनी (नागपुर) | शून्य |
| | | 2. मनमाड | | |
| 20. | मणिपुर | शून्य | 1. लीमाखांग | 1. नं. 2 इम्फाल |
| 21. | मेघालय | 1. एन.ई.पी.ए. बारापानी | शून्य | शून्य |
| | | 2. हैप्पी वैली, शिलांग | | |
| | | 3. उमरई कैंट | | |
| 22. | मिजोरम | शून्य | 1. आइजोल | 1. लुंगलेह |
| 23. | नागालैंड | 1. दीमापुर | 1. कोहिमा | 1. जखामा |
| | | | | 2. रंगापहाड़ |
| 24. | उड़ीसा | 1. धेनकनाल | 1. एन.ए.डी. सुनेबेडा | 1. नं. 2, भुवनेश्वर |
| | | 2. कटक | | |
| | | 3. नं. 2 भुवनेश्वर | | |
| | | 4. सुन्दरगढ़ | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. बारगढ़ | | |
| | | 6. गोपालपुर कैंट | | |
| | | 7. क्योंझर | | |
| | | 8. भवानीपटना | | |
| 25. | पांडिचेरी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 26. | पंजाब | 1. आदमपुर नं. 2 | 1. भटिंडा नं. 5 | 1. नं. 2 हलवारा |
| | | 2. मल्लनपुर | 2. शिकारपुर | 2. बड्डोवाल कैंट |
| | | 3. जलालाबाद | | 3. नाभा कैंट |
| | | | | 4. दापर |
| | | | | 5. नं. 4 जालंधर कैंट |
| | | | | 6. नं. 2 अमृतसर कैंट |
| 27. | राजस्थान | 1. नं. 6, जयपुर | 1. नं. 2 जोधपुर | 1. नं. 1 सूरतगढ़ |
| | | 2. भीलवाड़ा | 2. अनूपगढ़ | 2. बी.एस.एफ., पोखरन |
| | | 3. नं. 2, ए.एफ.एस. जोधपुर | | 3. गंगापुर सिटी |
| | | 4. बारन | | 4. करौली |
| | | 5. दाबला | | |
| | | 6. सीकर | | |
| | | 7, बेवर (अजमेर) | | |
| 28. | सिक्किम | शून्य | शून्य | शून्य |
| 29. | तमिलनाडु | 1. वेलिंगटन | शून्य | 1. रामेश्वरम |
| | | 2. अरवनकाडू | | 2. नं. 2 मदुरती |
| | | 3. सी.आई.एस.एफ. एराकोनम | | |
| 30. | त्रिपुरा | 1. कैलाशहर | 1. पानीसागर | शून्य |
| | | | 2. बगाफा | |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1. चोपान | 1. ओल्ड कैंट इलाहाबाद, | 1. नं. 3 चकेरी कानपुर |
| | | 2. बक्शी का तालाब | 2. चांदीनगर, मेरठ | 2. अलीगढ़ |
| | | 3. बलिया | 3. ए.एफ.एस. दादरी | 3. गाजीपुर |
| | | | 4. सी.आर.पी.एफ., रामपुर | 4. आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद |
| | | | 5. ग्रेटर नोएडा | 5. रक्षा विहार, कानपुर |
| | | | | 6. सी.आर.पी.एफ., लखनऊ |
| | | | | 7. वाराणसी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 8. गोरखपुर |
| | | | | 9. देवरिया |
| | | | | 10. बलरामपुर |
| 32. | उत्तरांचल | 1. जोशीमठ | 1. हलद्वानी कैंट | 1. नं. 1 बनबासा |
| | | 2. एस.एस.बी. श्रीनगर | 2. आई.टी.बी.पी., गौचर | 2. कलेमेंट टाउन, देहरादून |
| | | 3. ग्वालधन | 3. नं. 2 रूड़की | 3. पौड़ी गढ़वाल |
| | | 4. भीमताल | | 4. सौरखंड टिहरी |
| | | 5. कसौनी | | 5. आई.टी.बी.पी., मिरथी |
| | | | | 6. लोहाघाट, चम्पावत |
| | | | | 7. अगस्तमुनि, चमौली |
| | | | | 8. राजगढ़ी |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 1. आई.आई.एम. जोका | 1. सी.आर.पी.एफ. दुर्गापुर | 1. कलीमपोंग |
| | | 2. सीवोक रोड | | 2. कुरसोंग |
| | | 3. बर्दवान | | |
| | | 4. गार्डन रीच | | |
| | | 5. नं. 2 कंचरापाड़ा | | |
| 34. | दमन व दीव | शून्य | शून्य | 1. दीव |
| 35. | लक्षद्वीप | शून्य | शून्य | 1. कावरती |
| | कुल | 79 | 44 | 113 |

कुल योग (79 + 44 + 113) = 236

*विवरण-II*

*केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्मित स्कूल भवनों का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | निर्मित भवनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 03 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 33 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 05 |
| 4. | असम | 18 |
| 5. | बिहार | 17 |
| 6. | चंडीगढ़ | 05 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 06 |
| 8. | दिल्ली | 27 |
| 9. | गोवा | 04 |
| 10. | गुजरात | 26 |
| 11. | हरियाणा | 20 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 05 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 10 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. | झारखंड | 10 |
| 15. | कर्नाटक | 19 |
| 16. | केरल | 22 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 52 |
| 18. | महाराष्ट्र | 43 |
| 19. | मणिपुर | 02 |
| 20. | मेघालय | 03 |
| 21. | नागालैंड | 01 |
| 22. | उड़ीसा | 15 |
| 23. | पांडिचेरी | 01 |
| 24. | पंजाब | 27 |
| 25. | राजस्थान | 37 |
| 26. | सिक्किम | 01 |
| 27. | तमिलनाडु | 21 |
| 28. | त्रिपुरा | 01 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 63 |
| 30. | उत्तरांचल | 19 |
| 31. | प. बंगाल | 34 |
| | कुल | 550 |

**बी.एस.एफ. को प्रशिक्षण**

**2057. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एफ. के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष कई जवान और अधिकारी प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षकों की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बी.एस.एफ. की सभी कंपनियों के लिए नियमित ग्रुप-प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु क्या नए उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बी.एस.एफ. के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों की कमी को फील्ड प्रतिष्ठानों से अधिकारियों का पूल बना कर कमी को पूरा किया जाता है। बी.पी.आर. एंड डी. द्वारा "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" पाठ्यक्रम आयोजित करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता प्रदान की जाती है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भी भेजा जाता है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. आयोग का विभाजन**

**2058. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अ.जा. और अ.ज.जा. आयोग को दो भागों में एक अनुसूचित जाति और दूसरे अनुसूचित जनजाति में विभाजित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को पिछले 9 महीने से कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पुराने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों, नामत: संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 (क) के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, में विभाजित किया गया है।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश: कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। चूंकि यह प्रस्ताव पिछली सरकार में प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से भेजा गया था इसलिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि नई सरकार के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर गृह मंत्रालय को सूचित

करें। नई सरकार के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन 9 दिसम्बर, 2004 को गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**पुन:प्रयोज्य ऊर्जा योजनाओं की निगरानी**

2059. **श्री बालेश्वर यादव:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पुन: प्रयोज्य ऊर्जा योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने हेतु पूरे देश में जिला परामर्श समितियां गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों की गतिविधियों और शक्तियों का ब्यौरा क्या है और उक्त समिति के सदस्यों के लिए पात्रता संबंधी क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इन समितियों को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

**अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) से (ग) जी हां। राज्य सरकारों को सभी जिलों में जिला अक्षय ऊर्जा सलाहकार समितियां (डी.ए.सी.) गठित करने की सलाह दी गई है। इस समिति का व्यापक आधार होगा और जिला कलक्टर इसके अध्यक्ष तथा परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसके सदस्य-सचिव होंगे। अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र; जिला वन अधिकारी/सामाजिक वानिकी के उप-निदेशक; सिविल सर्जन; जिला स्वास्थ्य अधिकारी; जिला सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र; अग्रणी बैंक प्रबंधक; अध्यक्ष, जिला बार काउंसिल या जिला सरकारी वकील; स्थानीय उद्योग एसोसिएशनों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि; रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब और अन्य प्रमुख नागरिक जैसे वैज्ञानिक, संसद सदस्यों द्वारा नामित दो सदस्य, राज्य नोडल एजेंसियां आदि। जिला सलाहकार समिति के प्रस्तावित विचारार्थ विषय होंगे: (i) संबंधित जिलों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों/युक्तियों के लाभों के बारे में जनजागरूकता पैदा करना तथा विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों की योजना तैयार करने तथा कार्यान्वयन करने में इस मंत्रालय की सहायता करना; (ii) अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के साथ विभिन्न विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करना, और (iii) जिले में संस्थापित अक्षय ऊर्जा युक्तियों/प्रणालियों की संस्थापना के उपरांत सर्विसिंग में सहायता करना। जिला सलाहकार समितियों के कार्यकलाप/बैठकों के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) राज्य सरकारें इन समितियों की स्थापना यथाशीघ्र करने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही हैं।

**पैदल पार पथ इन्कलेव की स्थापना**

2060. **श्री कैलाश बैठा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु व्यापक अभियान चलाने और पैदल यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और गरिमा प्रदान करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो नगर में पैदल यात्रा को बढ़ावा देने और पैदल पारपथ इन्कलेव एवं गलियां बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) जी, हां। दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु सशक्त आंदोलन चलाये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, परिवहन के लिए दिल्ली की मास्टर प्लान का एक लक्ष्य पैदल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है, इसे अभी पूर्णतया प्राप्त किया जाना है।

(ख) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और लोक निर्माण विभाग जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों ने सूचित किया है कि भूमि की उपलब्धता और मार्केट एसोसिएशनों के सहयोग के अध्यधीन जहां कहीं आवश्यक है वहां सुरक्षा के लिए सड़कों पर रेम्प और रेलिंग लगाकर पैदल यात्रियों के अनुकूल फुटपाथ, उप मार्ग, फुट-ओवर ब्रिज, सड़क संकेत आदि उपलब्ध कराये गये हैं।

**'सेल' के साथ 'एम.ई.एल.' का विलय**

2061. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.), चन्द्रपुर का विलय भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विलय का भारतीय इस्पात प्राधिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### नाबालिग लड़कियों का विवाह

2062. श्रीमती करुणा शुक्ला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देश के नागरिकों के साथ अल्प अवधि के लिए अनुबंध आधार पर गरीब युवा लड़कियों के विवाह के मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एजेन्टों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और ऐसी गरीब लड़कियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के विवाह के मामले में, जिसे डोम्बिवली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में रहने वाली उसकी नजदीकी महिला रिश्तेदार द्वारा विवाह का बहाना बनाकर यामिनी नागरिक को 10,000 रुपए में बेचा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया है।

(ग) से (ङ) इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दल का गठन किया गया था। जांच के पश्चात् ऐसी घटनाओं को फिर से न होने देने हेतु उपाय करने के लिए इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया।

(च) इस मामले को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि खाड़ी के देशों में भारत के राजनयिक मिशनों को कहा गया कि वे भ्रमण के प्रयोजन की वास्तविकता का पता लगाने के लिए वीजा मांगने वालों का बारीकी से प्रबोधन करें। इन दूतावासों के साथ खाड़ी प्रभाग की वार्ता के दौरान खाड़ी देशों के दूतावासों को इस मुद्दे से अवगत करवा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि जहां तक लॉज और होटलों में विदेशी नागरिक अधिनियम को लागू करने का संबंध है, अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि समस्त होटलों तथा लॉज के प्रबन्धकों द्वारा उनके होटलों में किसी विदेशी के पहुंचने के 24 घण्टे के भीतर पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। उनसे विदेशियों के ब्यौरे अर्थात् नाम, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट नम्बर आदि दर्शाने वाले निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

### असम को धनराशि जारी करना

2063. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुवाहाटी शहर के विकास हेतु असम को कितनी धनराशि जारी की गयी है; और

(ख) छोटे शहरों के विकास के लिए असम को कितनी धनराशि जारी की गयी है और इन शहरों के नाम क्या हैं तथा विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को कितनी धनराशि जारी की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) "सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के हित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौसन गुवाहाटी शहर के विकास के लिए 3660.84 लाख रु. की राशि दी गई है। ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) (i) "सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के हित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत असम के छोटे कस्बों के विकास के लिए 715.21 लाख रु. की राशि दी गई है। ब्योरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ii) छोटे एवं मझोले कस्बों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत असम राज्य के 46 कस्बों को शामिल किया गया है तथा 1580.61 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता और 657.13 लाख रु. का राज्य अंश दिया गया है। राज्य सरकार ने 1349.04 लाख रु. का व्यय सूचित किया है। कस्बा-वार ब्योरे संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(iii) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान 1279.73 लाख रु. दिए हैं। कस्बा-वार ब्योरे संलग्न विवरण-IV में दिये गये हैं।

*विवरण-I*

*सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एक मुश्त प्रावधान गुवाहाटी शहर के लिए गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में जारी धनराशि*

(लाख रु. में)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृत धनराशि | जारी धनराशि | स्वीकृति/जारी की तारीख | जारी की जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गुवाहाटी म्युनिसिपल कारपोरेशन की सड़कों/बाईलेनों का एकीकृत विकास, असम | 2426.54 | 1213.37 | 18.7.2000/ 6.8.2002 | पूरी राशि जारी कर दी गई है। |
| | (निष्पादन एजेंसी एन.बी.सी.सी.) | | 926.71 | 3.2.2004 | |
| | | | 286.56 | 9.11.2004 | |
| | | | | 10.12.2004 | |
| 2. | गुवाहाटी, असम के नूनमति क्षेत्र के लिए बरसाती पानी के निपटान की योजना (निष्पादन एजेंसी एन.बी.सी.सी.) | 2468.59 | 1234.30 | 9.11.2002/ 28.11.2002 | 1234.29 |
| | योग | 4895.13 | 3660.84 | | 1234.29 |

*विवरण-II*

*सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एक मुश्त प्रावधान असम में छोटे कस्बों के विकास के लिए गत तीन वर्षों में जारी धनराशि*

(लाख रु. में)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृत धनराशि | जारी धनराशि | स्वीकृति/जारी की तारीख | जारी की जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सिलपाथर कस्बा, असम में बरसाती पानी की निकास प्रणाली का निर्माण | 2240.84 | 679.13 + 36.0845 | 14.01.2004 | 1525.6255 |
| | कुल | 2240.84 | 715.2145 | | 1525.6255 |

*विवरण-III*

*असम राज्य में छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास से संबंधित विवरण*

(नवम्बर, 2004 तक)

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | कस्बा | लाभान्वित करने का वर्ष | अनुमोदित लागत | जारी केन्द्रीय सहायता | जारी राज्य अंश | सूचित व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| असम | | | | | | |
| | छठी योजना | | | | | |
| 1. | तिनसुकिया | छठी यो. | 99.82 | 40.00 | 51.32 | 91.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | सिलचर | छठी यो. | 83.65 | 40.00 | 43.65 | 83.65 |
| 3. | तेजपुर | छठी यो. | 79.61 | 40.00 | 39.81 | 79.61 |
| 4. | जोरहट | छठी यो. | 86.67 | 40.00 | 46.67 | 86.67 |
| 5. | डिबरूगढ़ | छठी यो. | 90.60 | 40.00 | 62.06 | 102.06 |
| | **उपयोग** | | **440.15** | **200.00** | **243.51** | **443.31** |
| | 7वीं योजना | | | | | |
| 1. | डिपु | 7वीं योजना | 87.00 | 42.50 | 31.50 | 75.00 |
| 2. | करीमगंज | 7वीं योजना | 103.49 | 46.00 | 52.28 | 81.49 |
| 3. | नागांव | 7वीं योजना | 74.00 | 36.00 | 39.56 | 64.22 |
| 4. | हफलॉग | 7वीं योजना | 82.72 | 29.75 | 12.28 | 40.09 |
| 5. | बंगाईगांव | 7वीं योजना | 105.67 | 46.00 | 51.64 | 85.65 |
| | **उपयोग** | | **452.88** | **200.25** | **187.26** | **346.45** |
| | 1990-91 | | | | | |
| 1. | शिवसागर | 1990-91 | 116.36 | 40.00 | 23.33 | 63.33 |
| 2. | धुवरी | 1990-91 | 100.00 | 40.00 | 51.50 | 89.27 |
| 3. | गोलाघाट | 1990-91 | 53.80 | 25.00 | 26.90 | 51.90 |
| | **उप योग** | | **270.16** | **105.00** | **101.73** | **204.50** |
| | 1991-92 | | | | | |
| 1. | उत्तरी लखीमपुर | 1991-92 | 84.22 | 42.11 | 24.79 | 66.95 |
| | **उपयोग** | | **84.22** | **42.11** | **24.79** | **66.95** |
| | 8वीं योजना | | | | | |
| 1. | नलवाडी | 1994-95 | 87.70 | 31.57 | 12.27 | 38.96 |
| 2. | मंगोलडोई | 1994-95 | 93.18 | 33.54 | 7.20 | 35.35 |
| 3. | कोकराझार | 1994-95 | 134.28 | 24.00 | 27.30 | 32.39 |
| 4. | गोलपरा | 1996-97 | 200.00 | 90.00 | 16.05 | 57.17 |
| 5. | रंगिया | 1996-97 | 120.57 | 54.30 | 18.02 | 35.11 |
| | **उपयोग** | | **635.73** | **233.41** | **80.84** | **198.98** |
| | 9वीं योजना | | | | | |
| 1. | बारपेट | 1997-98 | 135.20 | 61.00 | 7.29 | 28.28 |
| 2. | मारीगांव | 1998-99 | 93.00 | 15.00 | 7.71 | 18.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | हैलाकंडी | 1999-2000 | 131.96 | 20.00 | 2.00 | 9.00 |
| 4. | धेमाजी | 1999-2000 | 98.00 | 16.00 | 2.00 | 18.00 |
| 5. | बोकाखाट | 2000-01 | 100.02 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | डिगबोई | 2000-01 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 15.49 |
| 7. | डिबरूगढ़ | 2001-02 | 550.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | होजाई | 2001-02 | 200.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | विश्वनाथचरयाली | 2001-02 | 99.97 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| | उपयोग | | 1506.15 | 317.00 | 19.00 | 88.85 |
| | 10वीं योजना | | | | | |
| 1. | गुसाई गांव | 2002-03 | 100.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | सौनारी | 2002-03 | 175.03 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | गोहपुर | 2002-03 | 100.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | उदलगुरी | 2002-03 | 100.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | बिजनी | 2002-03 | 100.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | उत्तरी गुवाहाटी | 2002-03 | 101.39 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | बिलासीपारा | 2002-03 | 196.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | डेरगांव | 2004-05 | 140.98 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | गोलाघाट | 2004-05 | 200.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | नजीरा | 2004-05 | 140.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | डिफू | 2004-05 | 200.82 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | जोरहट | 2004-05 | 350.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | आमगुरी | 2004-05 | 47.02 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | मारघेरीटा | 2004-05 | 188.17 | 42.34 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | टिहू | 2004-05 | 100.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | बिहपुरिया | 2004-05 | 39.75 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | पाठशाला | 2004-05 | 116.23 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | लखीपुर | 2004-05 | 100.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | उपयोग | 2495.39 | 482.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल योग | 5886.68 | 1580.61 | 657.13 | 1349.04 |
| | | सकल योग | 5886.68 | 1580.61 | 657.13 | 1349.04 |

*विवरण-IV*

असम

स्वीकृत परियोजना 6.12.2004 की स्थिति

(लाख रु. में)

| क्र. सं. | कस्बा | जिला | आबादी (1991 की जनगणना) | स्वीकृति की तारीख | परियोजना लागत | प्रति व्यक्ति लागत (रु. में) | केन्द्रीय अंश | दी गई राशि | | जून, 2004 तक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | केन्द्र सरकार द्वारा | राज्य सरकार द्वारा | |
| 1. | नामरूप | डिबरूगढ़ | 19684 | मार्च, 95 | 135.31 | 687.41 | 67.66 | 26.06 | 848.22 | 358.90 |
| 2. | सोनारी | सिबसागर | 12398 | सितम्बर, 96 | 206.57@@ | 1666.16 | 103.29 | (1993-94) | (संचयी) | 383.05 |
| 3. | पलसबारी | कामरूप | 4683 | मार्च, 97 | 69.30 | 1479.82 | 34.65 | 168.05 | | 117.15 |
| 4. | बिलासीपारा | धूबरी | 17994 | अगस्त, 97 | 187.00 | 1039.24 | 93.50 | (1996-97) | | 89.40 |
| 5. | सरथेबारी | बारपेटा | 7705 | अक्तूबर, 97 | 81.15 | 1053.21 | 40.58 | 140.00 | | 16.00 |
| 6. | नजीरा | सिबसागर | 8336 | अक्तूबर, 97 | 97.35 | 1167.83 | 48.68 | (1997-98) | | 19.30 |
| 7. | बिहुपुरिया | लखीमपुर | 8506 | फरवरी, 99 | 180.60 | 2123.21 | 90.30 | 198.87 | | 83.90 |
| 8. | लखीपुर | गोलपाड़ा | 8991 | फरवरी, 99 | 143.18 | 1592.48 | 71.59 | (1998-99) | | 15.88 |
| 9. | नहारकटिया | डिबरूगढ़ | 15037 | मार्च, 2000 | 302.12 | 2009.18 | 151.06 | 324.26 | | 76.27 |
| 10. | बोकाखाट | गोलाघाट | 6997 | मार्च, 2000 | 313.90 | 4486.21 | 156.95 | (1999-2000) | | 65.15 |
| 11. | लाला | हेलाकंडी | 8631 | मार्च, 2000 | 338.42 | 3920.98 | 169.21 | 0.00 | | 132.11 |
| 12. | रंगापारा | सोनितपुर | 18526 | मार्च, 2000 | 302.87 | 1634.84 | 151.44 | (2000-2001) | | 84.86 |
| 13. | नालबारी | नालबाड़ी | 18949 | मई, 2002 | 734.94 | 3878.52 | 367.47 | 0.00 | | NR |
| 14. | बिजनी | बोगईगांव | 11313 | मई, 2002 | 264.84 | 2341.02 | 132.42 | (2001-2002) | | NR |
| 15. | पथशाला | बारपेटा | 7236 | मार्च, 2004 | 281.86 | 3895.25 | 140.93 | 571.60 | | — |
| 16. | अमगुरी | सिबसागर | 3583 | मार्च, 2004 | 342.52 | 9559.59 | 171.26 | (2002-2003) | | — |
| 17. | अभयपुरी | बोगईगांव | 11686 | मार्च, 2004 | 570.84 | 4884.82 | 285.42 | 256.22 | | — |
| 18. | ढेकियाजुली | तेजपुर | 15459 | मार्च, 2004 | 623.72 | 4034.67 | 311.86 | (2003-2004) | | — |
| | | | | | | | | 448.45 | | |
| | | | | | | | | (2004-2005) | | |
| | कुल | | 205714 | | 5176.49 | | 2588.25 | 2133.51 | 848.22 | 1442.57 |

●● संशोधित लागत।

* पूरी कर दी गई है।

**राजभाषा की घोषणा**

**2064. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने 7 अक्तूबर, 2004 को नयी दिल्ली में कहा था कि केन्द्र शीघ्र ही सभी 18 भाषाओं को राजभाषा घोषित करने की व्यवहार्यता संबंधी समिति गठित करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में मलिन बस्तियों और झुग्गियों का विकास**

**2065. श्री राजेश वर्मा:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के बड़े शहरों में मलिन बस्तियों और झुग्गियों के विकास हेतु कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मलिन बस्तियों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है, इसका शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे उपायों से मलिन बस्तियों में रहने वाले कितने लोगों को लाभ मिलने की संभावना है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत का आवंटन**

**2066. श्री देविदास पिंगले:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संपूर्ण विद्युत खपत में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत है तथा विद्युत की औद्योगिक खपत की तुलना में इसका अनुपात कितना है;

(ख) कृषि क्षेत्र में विद्युत खपत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार नए क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) वर्ष 2003-04 के दौरान देश में कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का अनुमानित प्रतिशत इस प्रकार है—

| श्रेणी | 2003-04 के दौरान उपभोग (मि.यू.) | 2003-04 में कुल % उपभोग |
|---|---|---|
| कृषि | 87,089.25 | 24.13 |
| उद्योग | 1,24,573.07 | 34.51 |
| अखिल भारतीय योग | 3,60,937.24 | |

(ख) चूंकि विद्युत समवर्ती विषय है, राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित जिम्मेदारी राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की है, जोकि राज्य में उपभोक्ता/क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में विद्युत की आपूर्ति की प्राथमिकता का निर्णय करती है। भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पंपसेट ऊर्जीकरण कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को अधिक बिजली देने हेतु कई अन्य कदम उठाए हैं। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) में ग्रामीण विद्युतीकरण भी शामिल है।

(ग) से (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 41,110 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है, जो केंद्रीय क्षेत्र में 22,832 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 11,157 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 7,121 मेगावाट होनी है।

**यूरिया का नियंत्रणमुक्त मूल्य**

**2067. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री मुंशी राम:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इफको ने केंद्र सरकार से नियंत्रणमुक्त मूल्य निर्धारण और अधिष्ठापित क्षमता से अधिक यूरिया के उत्पादन की नीति पर विचार करने का अनुरोध किया है जैसाकि 23 नवंबर, 2004 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में इस समय यूरिया की वार्षिक मांग कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादन की मात्रा के संबंध में निवेशकों को प्रदत्त अनुमति के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं के माध्यम से यूरिया की बिक्री की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार इस समय यूरिया पर कितनी राजसहायता देती है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) इफको ने यूरिया मूल्य निर्धारण नीति पर अपने सुझाव देते हुए विचार-विमर्श के लिए कागजात भेजे हैं। वर्तमान में, नियंत्रणमुक्त मूल्यनिर्धारण और स्थापित क्षमता से अधिक यूरिया के उत्पादन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2000-01 के बाद यूरिया की वार्षिक मांग/खपत दर्शाई गई है:—

| वर्ष | यूरिया की मांग/खपत (लाख मी. टन में) |
|---|---|
| 2000-01 | 191.86 |
| 2001-02 | 199.17 |
| 2002-03 | 184.93 |
| 2003-04 | 197.67 |
| 2004-05 (अनुमानित) | 206.33 |

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) वर्ष 2003-04 के दौरान यूरिया पर 8521 करोड़ रुपए की राजसहायता दी गई थी। वर्ष 2004-05 के दौरान यूरिया पर राजसहायता के लिए 8616.15 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

**आदिम जनजातीय लोगों में निम्न साक्षरता दर**

2068. **श्री जुएल ओराम:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदिम जनजातीय समूहों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को ऐसे आदिम जनजातीय समूहों में निम्न साक्षरता दर की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनमें साक्षरता दर बढ़ाने के लिए उन्हें उचित शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) आदिम जनजाति समूहों के नाम एवं वर्ष 1961, 1971, 1981 एवं 1991 के जनगणनानुसार एवं जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आदिम जन समूहों का वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनसंख्या के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए है।

(ख) जी हां। कुछ जनजातीय समूहों को आदिम जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत करने हेतु कम साक्षरता एक मानदंड है।

(ग) आदिम जनजाति समूहों की कम साक्षरता का कारण उनका आर्थिक पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव, बृहत स्तर पर अन्य समूहों के साथ संपर्क से संकोच तथा सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में बदहाल आधारभूत ढांचे का होना है।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना से आदिम जन जातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आदिम जनजाति समूहों समेत जनजातियों के शैक्षणिक विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान, छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों को निर्माण, बुक बैंक, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर, गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान योजनाएं आदि कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आदिम जनजातीय समूहों के लिए एक विशेष विकास योजना वर्ष 1998-99 में प्रारंभ की गई जिसके तहत इनके सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय ने आदिम जनजाति समूहों के लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु उन्हें भारतीय जीवन-बीमा निगम की "जनश्री योजना" के तहत चरणबद्ध रूप से बीमा कवरेज का लाभ देने का निर्णय किया है।

***विवरण***

***भारत में आदिम जनजातीय समूहों की 1961 से 1991 की जनसंख्या***

(वास्तविक आंकड़े)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आदिम जनजाति समूह का नाम | जनसंख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 1. चेंचू | 17609 | 24178 | 28434 | 40869 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2. बोडो गाडाबा | 21840 | 25108 | 27732 | 33127 |
| | 3. गुटोब गाडाबा | | | | |
| | 4. डोंगरिया खोण्ड | 21754 | 34382 | 39408 | 66629 |
| | 5. कुलतिया खोण्ड | | | | |
| | 6. कोलाम | 16731 | 26498 | 21842 | 41254 |
| | 7. कोण्डा रेड्डी | 35439 | 42777 | 54685 | 76391 |
| | 8. कोण्डासवारा | | 28189 | | |
| | 9. बोण्डो पोरजा | | | | |
| | 10. खोण्ड पोरजा | 9350 | 12347 | 16479 | 24154 |
| | 11. पारेंगी पोरजा | | | | |
| | 12. थोटी | 546 | 1785 | 1388 | 3654 |
| | योग | 123269 | 195264 | 189968 | 286078 |
| बिहार (झारखण्ड सहित) | 13. असुर | 5819 | 7026 | 7783 | 9623 |
| | 14. बिरहोर | 2438 | 3461 | 4377 | 8083 |
| | 15. बिरजिया | 4029 | 3628 | 4057 | 6191 |
| | 16. हिल खारिया | 108983 | 127002 | 141771 | 151634 |
| | 17. कोरवा | 21162 | 18717 | 219940 | 24871 |
| | 18. मल पहारिया | 45423 | 48636 | 79322 | 86790 |
| | 19. परहइया | 12268 | 14651 | 24012 | 30421 |
| | 20. सौरिया पहारिया | 55605 | 59047 | 39269 | 48761 |
| | 21. सावर | 1561 | 3548 | 3014 | 4264 |
| | योग | 257289 | 285719 | 325545 | 370638 |
| गुजरात | 22. कोलघा | — | 29464 | 62232 | 82679 |
| | 23. काथोडी | — | 2939 | 2546 | 4773 |
| | 24. कोतवालिया | — | 12902 | 17759 | 19569 |
| | 25. पधार | — | 4758 | 10587 | 15896 |
| | 26. सिद्दी | — | 4482 | 5429 | 6336 |
| | योग | — | 54545 | 98553 | 129253 |
| कर्नाटक | 27. जेनू कुरूबा | 3623 | 6656 | 34747 | 29371 |
| | 28. कोरागा | 6382 | 7620 | 15146 | 16322 |
| | योग | 10005 | 14276 | 49893 | 45693 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| केरल | 29. चोलानाइकान | — | 306 | 234 | — |
| | 30. कदार | — | 1120 | 1503 | 2021 |
| | 31. कट्टूनायकन | — | 5565 | 8803 | 12155 |
| | 32. कोरागा | — | 1200 | 1098 | 1651 |
| | 33. कुरूम्बा | — | 1319 | 1283 | 1820 |
| | योग | — | 9510 | 12921 | 17647 |
| मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) | 34. अबूझ मारिया | 11115 | 13000 | 15500 | — |
| | 35. बैगा | — | 6194 | 248949 | 317549 |
| | 36. भारिया | — | 1589 | 1614 | — |
| | 37. बिरहोर | 513 | 738 | 561 | 2206 |
| | 38. हिल कोरबा | 23605 | 67000 | 19041 | — |
| | 39. कमार | — | 13600 | 17517 | 20565 |
| | 40. सहरिया | 174320 | 207174 | 281816 | 332748 |
| | योग | 209551 | 309295 | 564998 | 673068 |
| महाराष्ट्र | 41. कथारी/कथोडी | — | 146785 | 174602 | 202203 |
| | 42. कोलाम | — | 56061 | 118073 | 147843 |
| | 43. मारिआ गोण्ड | — | 53400 | 66750 | — |
| | योग | — | 256246 | 359425 | 350046 |
| मणिपुर | 44. मारम नागा | — | 5123 | 6544 | 9592 |
| उड़ीसा | 45. चुकतिया भूंजिया | — | — | — | — |
| | 46. बिरहोर | — | 248 | 142 | 825 |
| | 47. बोनाडो | — | 3870 | 5895 | 7315 |
| | 48. डिडाई | — | 3055 | 1978 | 5471 |
| | 49. डोंगरिया खोण्ड | — | 2676 | 6067 | — |
| | 50. जुआंग | — | 3181 | 30876 | 35665 |
| | 51. खारिया | — | 1259 | 1259 | — |
| | 52. कुटिया खोण्ड | — | 3016 | 4735 | — |
| | 53. लानजिया सावर | — | 4233 | 8421 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54. लोधा | — | 1598 | 5100 | 7458 |
| | 55. मनकिरडिया | — | 133 | 1005 | 1491 |
| | 56. पौड़ी भूयान | — | 4424 | 8872 | — |
| | 57. साउरा | — | 2845 | 2917 | — |
| | योग | — | 30528 | 77267 | 58225 |
| राजस्थान | 58. सहरिया | 23125 | 26796 | 40945 | 59810 |
| तमिलनाडु | 59. इरूलर | 79835 | 89025 | 105757 | 138827 |
| | 60. कट्टूनायकन | 6459 | 5042 | 26383 | 42761 |
| | 61. कोटा | 833 | 1188 | 604 | 752 |
| | 62. कोरूम्बा | 1174 | 2754 | 4354 | 4768 |
| | 63. पानियान | 4779 | 6093 | 6393 | 7124 |
| | 64. टोडा | 714 | 930 | 875 | 1100 |
| | योग | 93794 | 105032 | 144366 | 195332 |
| त्रिपुरा | 65. रियांग | 56579 | 64722 | 84004 | 111606 |
| उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) | 66. बुकसा | — | — | 31807 | 34621 |
| | 67. राजी | — | — | 1087 | 1728 |
| | योग | — | — | 32894 | 36349 |
| पश्चिम बंगाल | 68. बिरहोर | — | — | 658 | 855 |
| | 69. लोधा | — | 45906 | 53718 | 68095 |
| | 70. टोटो | — | — | 675 | — |
| | योग | — | 45906 | 55051 | 68950 |
| अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 71. ग्रेट अण्डमानीज | — | — | 42 | 32 |
| | 72. जरावा | — | — | 31 | 89 |
| | 73. ओन्गे | — | — | 97 | 101 |
| | 74. सेंटेनलेस्ट | — | — | — | 24 |
| | 75. शोम पेन | 71 | 212 | 223 | 131 |
| | योग | 71 | 212 | 393 | 377 |
| अखिल भारत | कुल योग | 773704 | 1403174 | 2042767 | 2412664 |

**ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण**

**2069. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शहरी जिलों के शहरीकरण की कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) कोई ऐसा प्रस्ताव अभी इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**ज्वारीय ऊर्जा की संभावना**

**2070. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय ज्वारीय ऊर्जा की कितनी संभावना है;

(ख) देश में इसका कितना प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है;

(ग) विश्व में सफलतापूर्वक ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देशों के नाम और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तकनीकी सहयोग के लिए ऐसे देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) देश में गुजरात में कच्छ की खाड़ी और काम्बे की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में दुर्गाद्वानी क्रीक में 15,000 मेवा. से अधिक ज्वारीय विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) देश में अब तक कोई ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित नहीं की गई है।

(ग) प्रमुख ज्वारीय विद्युत परियोजनाएं फ्रांस (240 मेवा.), कनाडा (20 मेवा.) और रूस (0.4 मेवा.) में प्रचालित हैं।

(घ) से (च) ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किसी देश के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है क्योंकि अब तक भारतीय परिस्थितियों के लिए उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध नहीं हुई है।

**तमिलनाडु में कचरे से विद्युत उत्पादन**

**2071. श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु से कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में राज्य में ऐसी कितनी परियोजनाएं कार्य कर रही हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं से अलग-अलग कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है?

**अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) और (ख) जी नहीं। तथापि इस समय तमिलनाडु राज्य में बायोगैस/बिजली उत्पादन के लिए औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित चार परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

*विवरण*

*तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित परियोजनाओं से उत्पादित की जा रही ऊर्जा का ब्यौरा*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अनुमानित ऊर्जा उत्पादन/वर्ष |
|---|---|---|
| 1. | वारालक्ष्मी स्टार्च कम्पनी, सेलम, तमिलनाडु में साबूदाना उद्योग अपशिष्ट पर आधारित बायोगैस उत्पादन परियोजना | 6 लाख घनमीटर बायोगैस |
| 2. | तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमि., करूर, तमिलनाडु में पेपर मिल बहिस्रावों के लिए बायोगैस उत्पादन परियोजना | 42 लाख घनमीटर बायोगैस |
| 3. | मेलविश्राम, तमिलनाडु में चर्मशाला शोधन अपशिष्ट और स्लज का प्रयोग करते हुए विद्युत उत्पादन परियोजना | 1.72 लाख यूनिट बिजली |
| 4. | वारालक्ष्मी स्टार्च इंडस्ट्री लिमिटेड, सेलम, तमिलनाडु में टैपियोका प्रसंस्करण उद्योग अवशिष्ट हेतु विद्युत उत्पादन परियोजना | 28.80 लाख यूनिट बिजली |

*[अनुवाद]*

**इफको में आरक्षित बकाया पदों को भरा जाना**

**2072. श्री लालमणि प्रसाद:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑल इण्डिया एसोसिएशन फार एस.सी./एस.टी. और फिजीकली हैंडिकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमेंट (रजि.) ने सरकार से इफको में आरक्षित बकाया पदों को भरने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस एसोसिएशन द्वारा की गई अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये मांगें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश पर आधारित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन मांगों के क्रियान्वयन हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**सेल द्वारा स्पंज आयरन संयंत्र की स्थापना**

**2073. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) का विचार देश में विशेषत: गुजरात में अपना स्पंज आयरन संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेल की स्पंज लोहे की अपनी भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन आधार पर अथवा बिल्ड ऑन आपरेट (बी.ओ.ओ.) आधार पर स्थापित इकाइयों से सामग्री प्राप्त करने की योजना है।

**आवास मंत्रियों का सम्मेलन**

**2074. श्री के.एस. राव :** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राजधानी में सभी राज्यों के आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसका ब्यौरा क्या है तथा प्रतिभागियों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी, हां। राज्य आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर, 2004 को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गयी, वे हैं:—आवास एवं पर्यावास नीति, 1998; सामाजिक आवास, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे), दो मिलियन आवास कार्यक्रम, शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यू.आर.आई.एफ.), राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.), कम लागत आवास एवं सरकारी-निजी साझेदारी। प्रतिभागियों द्वारा दिये गये मुख्य सुझावों में ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. श्रेणी पर विशेष ध्यान देते हुए आवास एवं पर्यावास नीति का संशोधन करना, शहरी पुनर्नवीकरण के लिए एक मिशन रूपी दृष्टिकोण अपनाना, वाम्बे तथा एन.एस.डी.पी. के दिशानिर्देशों में संशोधन करना, किराया आवास को प्रोत्साहन देना, संपत्ति कर का यौक्तिकीकरण करना, वित्तीय प्रोत्साहन देना, प्रत्येक राज्य में निर्मिति केन्द्र की स्थापना करना, यू.आर.आई.एफ. के तहत अतिरिक्त सुधार क्षेत्रों को अंतिम रूप देना तथा आवास स्कीमों के तहत सरकारी-निजी साझेदारी के एक भाग के रूप में सामुदायिक समूहों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सी.जी.ओ. को प्रोत्साहन देना शामिल है।

(ग) सम्मेलन में आये सुझावों को इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अच्छी तरह से नोट कर लिया गया है।

**महिलाओं को लाभ**

**2075. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साक्षरता दर, श्रम भागीदारी दर और आय इत्यादि के संदर्भ में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कई अलाभकारी स्थिति का सामना करती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन अलाभकारी स्थितियों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत में महिलाओं की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण करके समाज में उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता की 75.3 प्रतिशत की दर की तुलना में समस्त भारत में महिला साक्षरता दर 53.7 प्रतिशत थी। पुरुषों की 51.7 प्रतिशत श्रम भागीदारी की दर की तुलना में महिला श्रम भागीदारी की दर 25.6 प्रतिशत थी। आय के संबंध में इस तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न अलाभकारी स्थितियों का निवारण करने तथा महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए संस्थागत तंत्र, कानून और नीतियों तथा कार्यक्रम पहले से मौजूद हैं। इस समय, इस उद्देश्य हेतु एक अलग से समिति गठित करना आवश्यक नहीं है।

(ङ) जी, नहीं। इस विषय पर सरकार द्वारा कई रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, 2001-2002 में 'भारतीय महिलाओं की स्थिति' पर एक अध्याय भी मौजूद है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति, 2001 को अंगीकृत किया है तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बल दिया जा रहा है।

### नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन

**2076. प्रो. एम. रामदास:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों को नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम और राज्य किराया नियंत्रण कानूनों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निरसन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निम्न, मध्यम और उच्च आय वर्ग में विभिन्न सामाजिक समूहों को आवास वित्त के संवितरण में विसंगति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूरोप में चल रहे किराये के आवास कार्यक्रम के समान बड़ा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) जी नहीं, केवल नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976, को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 द्वारा निरस्त किया गया था तथा भूमि के संबंध में इसके द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 18 में यथा उल्लिखित राज्यों की संवैधानिक और वैधानिक शक्तियां राज्यों को बहाल हो गई हैं।

(ख) यह निरसन अधिनियम पहले ही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पांडिचेरी तथा चंडीगढ़ में प्रवृत्त हो चुका है।

(ग) और (घ) ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. जैसे विभिन्न वर्गों को मकानों के निर्माण हेतु आवासीय वित्त का संवितरण जिन विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, वे हैं—(i) आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको) (ii) आवासीय वित्तीय संस्था जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा सहकारी क्षेत्र भी शामिल हैं। हडको अपनी 55 प्रतिशत निधि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. ग्रुप हेतु आवासीय परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध करता है।

(ङ) और (च) "आवास निर्माण" राज्यों का विषय है तथा राज्य में किसी भी आवासीय गतिविधि के लिए कार्य योजना राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जानी होती है। राष्ट्रीय पर्यावास और आवास नीति 1998 में यह प्रावधान है कि मालिकाना तथा किराया आधार पर आवासों को बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसलिए इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है।

### स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधा

**2077. श्री रामचन्द्र पासवान:**

**श्री रमाकान्त यादव:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों को भूतपूर्व संसद सदस्यों के समतुल्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) देश में स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उन्हें कौन सी सुविधाएं दी जा रही है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इस योजना के शुरू होने से अब तक उनके आश्रितों सहित 1,68,906 व्यक्तियों को, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर की जा चुकी है। इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में कोई भी रिकार्ड सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। केन्द्र सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे निम्न प्रकार हैं:—

(i) स्वतंत्रता सेनानी/उनकी पत्नी के लिए एक परिचर समेत आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/ए.सी. 2 टायर स्लीपर);

(ii) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राईज के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(iii) टेलीफोन कनैक्शन, यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापित करने के प्रभार के बिना और केवल किराए की आधी राशि के भुगतान पर;

(iv) राष्ट्रीय हित में, स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में जनरल पूल का सरकारी रिहायशी आवास स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी/पति छह माह तक इस आवास को रख सकते हैं;

(v) जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास;

(vi) डीलर सैलेक्शन बोर्ड के माध्यम से आबंटित पैट्रोलियम उत्पादों की 2 प्रतिशत डीलरशीप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित है।

उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा, पूर्व-अण्डमान राजनैतिक कैदी और उनकी विधवाएं निम्नलिखित सुविधाओं की भी पात्र हैं:—

(क) वर्ष में एक बार एक साथी सहित पोर्ट ब्लेयर की नि:शुल्क समुद्री यात्रा सुविधा;

(ख) वर्ष में एक बार एक साथी समेत चेन्नै/कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर की नि:शुल्क हवाई यात्रा सुविधा;

(ग) एक साथी समेत शताब्दी/राजधानी एक्सप्रैस में यात्रा की सुविधा।

*[अनुवाद]*

## मिन्टो रोड प्रेस पूल क्वार्टरों का आबंटन

**2078. श्री अधीर चौधरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2003 से मार्च 2004 के दौरान मिन्टो रोड प्रेस पूल क्वार्टरों के प्रत्येक टाईप के क्वार्टर बड़ी संख्या में अनाबंटित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सरकार को कितना घाटा हुआ;

(ग) उक्त प्रेस के सभी प्रेस कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके पास दिल्ली/नयी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में टाईप-II क्वार्टर हैं और वे "डी" ब्लाक डी.आई.जैड. क्षेत्र, मंदिर मार्ग (मंजिल-वार प्राथमिकता सहित) मकान बदलने के लिए सूचीबद्ध है; और

(घ) उक्त प्रेस के अधिकारी का नाम और पदनाम क्या है जिसे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में सम्पदा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) फरवरी, 2003 से मार्च, 2004 के दौरान मिंटो रोड प्रेस पूल के तहत खाली पड़े क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है:—

| टाइप | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | शून्य | 37 | 27 | 8 | 1 |

चूंकि ये रिक्तियां मिन्टो रोड क्षेत्र को पुनर्विकसित करने की सरकारी योजना के परिणामस्वरूप हुई, इसलिए सरकार को इसकी वजह से हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड के उन सभी कर्मचारियों, जिनके पास टाईप-II क्वार्टर हैं तथा जिन्होंने तकनीकी रूप से टाइप-II क्वार्टर स्वीकार कर लिया है और परिवर्तन के रूप में सेक्टर-"डी", डी.आई.जेड. एरिया, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली (तल-वार वरीयता के साथ) में क्वार्टर के लिए पंजीकरण करा रखा है, की विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) भारत के राजपत्र में दिनांक 1 अगस्त, 1987 को प्रकाशित सा.आ. 1949 के अनुसार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, (लेटर प्रेस यूनिट) मिंटो रोड, नई दिल्ली को उनके नियंत्रणाधीन भूमि तथा भवनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया है।

*विवरण*

*भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली के टाइप-II क्वाटर्स में रहने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ जिन्होंने टाइप-II क्वाटर्स को तकनीकी रूप से स्वीकार कर लिया है तथा टाइप-II, से सेक्टर-डी, डी.आई.जेड. क्षेत्र, मंदिर मार्ग नई दिल्ली (तल-वार अग्रता) में बदलने के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों की दिनांक 1.12.2004 को प्रभावी प्रतीक्षा सूची।*

| अग्रता सं. | नाम तथा पदनाम | आवास | वांछित तल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री खेम चन्द, मजदूर | 67/826, मंदिर मार्ग | भूतल/प्रथम/द्वितीय |
| 2. | श्री अमरजीत, कम्पोजिटर | जी-700, श्रीनिवास पुरी | भूतल/प्रथम |
| 3. | श्री आर.डी. मल्हान, कम्पोजिटर | 78/273, से. I, डी.आई.जेड. क्षेत्र | कोई भी तल |
| 4. | श्री पी.एन. कौशल, कम्पोजिटर | जी/681, श्रीनिवास पुरी | भूतल/प्रथम/द्वितीय |
| 5. | श्री बंसीधर गौड़, आफिस दफ्तरी | जी-45, मीरदर्द रोड | भूतल/प्रथम |
| 6. | श्री सत्य देव मांझी, सहा. बाइंडर | के-178, आराम बाग | भूतल/प्रथम/द्वितीय |
| 7. | श्री सरबजीत सिंह रीडर | सी-134, अलबर्ट स्क्वायर | कोई भी तल |
| 8. | श्री देविन्दर सिंह, मशीन सहा. | ए-332, मिंटो रोड कॉम्पलेक्स | भूतल/प्रथम |
| 9. | श्री एन.के. निगम, रीडर | 23/2-सी, से. II, डी.आई.जेड. क्षेत्र | कोई भी तल |
| 10. | श्री धनपत सिंह, सहा. बाइंडर | 38/4, से. II, डी.आई.जेड. क्षेत्र | भूतल/प्रथम |
| 11. | श्री बाबू सिंह, बाइंडर | 13/3-सी, से. II, डी.आई.जेड. क्षेत्र | कोई भी तल |
| 12. | राजिंदर सिंह I, मशीन परिचारक | 63/48, से. III, डी.आई.जेड. क्षेत्र | कोई भी तल |
| 13. | श्री राम चरन, सहा. बाइंडर | एस-167, आराम बाग | भूतल/प्रथम |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | श्री हरि दास,<br>सहा. बाइंडर | 193-एफ, आराम बाग | कोई भी तल |
| 15. | श्री गोविन्द सिंह,<br>सहा. बाइंडर | 87/417, से. I, डी.आई.जेड. क्षेत्र | भूतल/प्रथम |
| 16. | श्री सुरेन्द्र सिंह,<br>सहा. बाइंडर | टी 582, से. IV, डी.आई.जेड. क्षेत्र | प्रथम/द्वितीय |
| 17. | श्री पूरन लाल,<br>मशीन मैन | जी-2, मीरदर्द रोड | भूतल |
| 18. | श्री देश राज,<br>अ.श्रे.लि. | डी-634, मंदिर मार्ग | भूतल/प्रथम |
| 19. | श्री खड़क सिंह,<br>रीडर | 103, टाइप-II, मिंटो रोड कॉम्पलेक्स | कोई भी तल |
| 20. | श्री बाल किशन,<br>सहा. बाइंडर | 23-पी, से. IV, डी.आई.जेड. क्षेत्र | कोई भी तल |
| 21. | श्रीमती सुधा देवी नाथानी,<br>सहा. बाइंडर | जी-132, श्रीनिवास पुरी | कोई भी तल |
| 22. | श्री सिखी ध्वज,<br>प्लेटमेकर | सी-137, मंदिर मार्ग | कोई भी तल |
| 23. | श्री जय शंकर सक्सेना,<br>कम्पोजिटर | एफ-2215, नेताजी नगर | कोई भी तल |
| 24. | श्री महेन्द्र सिंह,<br>जी.पी.पी. मैन | 88/426, से. I, डी.आई.जेड. क्षेत्र | कोई भी तल |
| 25. | श्री पी.के. बनर्जी,<br>मजदूर | 67/821, मंदिर मार्ग | कोई भी तल |
| 26. | श्री एम.एस. राठी,<br>रीडर | जी-99, श्रीनिवास पुरी | कोई भी तल |
| 27. | श्री करतार सिंह,<br>वेयर हाउस मैन, | 33/3-ए, डी.आई.जेड. क्षेत्र | कोई भी तल |
| 28. | श्री महेन्द्र सिंह,<br>अ.श्रे.लि. | 30/2ए, डी.आई.जेड. क्षेत्र | भूतल/प्रथम |
| 29. | श्री जगबीर सिंह,<br>चौकीदार | जी-11, मीरदर्द रोड | भूतल/प्रथम |
| 30. | श्रीमती पूर्णिमा कपूर,<br>अ.श्रे.लि. | ई-1663, नेताजी नगर | भूतल/प्रथम |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 31. | श्री जय प्रकाश भारद्वाज, आफिस दफ्तरी | जी-176, श्रीनिवास पुरी | भूतल/प्रथम/द्वितीय |
| 32. | श्रीमती शशि अजमानी, अ.श्रे.लि. | सी-35, हनुमान रोड | भूतल |
| 33. | श्री मुख्तियार सिंह सहा. बाइंडर | 32/2-बी, डी.आई.जेड. क्षेत्र | कोई भी तल |

**राज्य सरकारों को अधिक शक्ति**

2079. **श्री डी. विट्टल राव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें अधिक शक्तियों की मांग करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) से (ग) भारत सरकार ने "सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों और जिम्मेवारियों के संबंध में संघ और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं के कार्यकरण की जांच और समीक्षा करने और केन्द्र-राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन या अन्य उपायों की सिफारिश करने के लिए" जून, 1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इसने केन्द्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं पर अपनी सिफारिशें की है।

अन्तर्राज्यीय परिषद्, जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्यमंत्री और प्रशासक शामिल हैं, ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए कई सिफारिशें स्वीकार की। ये सिफारिशें राज्यों को प्रशासनिक, वैधानिक और वित्तीय शक्तियां आदि देने से संबंधित हैं। अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैठकों में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करते समय कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां देने संबंधी सिफारिशों के पक्ष में कहा। सरकारिया आयोग ने 247 सिफारिशें की थीं, उन सभी पर अभी तक हुई अन्तर्राज्यीय परिषद् की आठ बैठकों में विचार-विमर्श किया जा चुका है। जिन 247 सिफारिशों पर मत लिया जा चुका है, उनमें से 62 को अन्तर्राज्यीय परिषद्/प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, 179 को कार्यान्वित कर दिया गया है और 06 सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वयन के विभिन्न अवस्थाओं में है। अन्तर्राज्यीय परिषद् सचिवालय इन सिफारिशों के कार्यान्वयन का गहराई से प्रबोधन कर रहा है।

सरकार उचित निर्णय लेने के लिए इन मांगों की जांच कर रही है।

**पुलिस सुधार को बेहतर बनाने हेतु विशेषज्ञ समिति**

2080. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की पुलिस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए गठित सभी विगत की समितियों की सिफारिशों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पुलिस अधिनियम, 1961 को आदर्श पुलिस अधिनियम में बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ग) देश की पुलिस प्रणाली में सुधार लाने के लिए विगत में गठित सभी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जहां तक पुराने पुलिस अधिनियम, 1861 को आदर्श पुलिस अधिनियम के साथ बदलने का संबंध है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एन.पी.सी.) ने अपनी 8वीं रिपोर्ट में पुलिस अधिनियम, 1861 को बदलने के लिए नए पुलिस अधिनियम का मसौदा शामिल किया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की 8वीं रिपोर्ट, आदर्श पुलिस अधिनियम पर विचार करने के लिए, 1983 में राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी और उपलब्ध सूचना के अनुसार कई राज्य सरकारों ने पुराने पुलिस अधिनियम को बदलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय का शीघ्र ही सभी राज्यों में नया आदर्श पुलिस अधिनियम परिचालित करने का प्रस्ताव है।

**चीनी दूतावास के आसपास सुरक्षा**

**2081. श्री अर्जुन सेठी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी सरकार ने नई दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में अपने दूतावास/प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को मौजूदा खतरे की आशंका के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के निदेश दे दिए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**भारतीय लड़कियों को अवैध रूप से विदेश भेजना**

**2082. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए दुबई तथा अन्य देशों में भेजा जा रहा है जैसा कि दिनांक 13 सितम्बर, 2004 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में दिए गए विषय के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ऐसे कार्यकलापों को रोकने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) से (च) विदेश मंत्रालय को भारत के महाकांसुलावास से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें संयुक्त सचिव एवं उत्प्रवासी महा संरक्षक, श्रम मंत्रालय को कुछ मामलों के बारे में बताया गया है, जिनमें बेइमान एजेन्टों द्वारा भारत से कुछ युवतियों को पर्यटन/रोजगार वीजा पर लाया गया। संयुक्त अरब अमीरात में दलालों द्वारा इन युवतियों को अनैतिक गतिविधियों में जबरन लगाया गया।

संयुक्त अरब अमीरात में हमारा मिशन ऐसे मामलों के विषय में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सूचित करता रहा है तथा उनसे उपयुक्त कार्रवाई करने को कहता रहा है। तथापि, विदेश मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को निम्नलिखित एहतियाती उपाय करने को कहा है:

(i) राज्य सरकारों को निर्देश जारी करना कि वे मुद्रण/दृश्य प्रचार माध्यमों के द्वारा रोजगार खोजने वालों में उपयुक्त सत्यापन के बिना कोई रोजगार प्राप्त करने के सम्भावित खतरों के विषय में जागरूकता फैलाएं। वीजा दिलवाने वाले एजेन्टों को भी अभिनिर्धारित करना तथा ऐसी अवांछनीय गतिविधियों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना।

(ii) ऐसी महिलाओं को जो रोजगार वीजा पर आ रही हैं तथा उनके पासपोर्ट में 'उत्प्रवासी जांच आवश्यक नहीं' की मौहर नहीं लगी है, उत्प्रवास की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक वे कांसुलावास/राजदूतावास से सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत न करें और पर्यटन वीजा पर आने वाली महिलाओं को प्रायोजक हस्ताक्षरित एवं भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित प्रायोजित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

**महिलाओं के सशक्तिकरण में संस्थाओं का योगदान**

**2083. श्री रमाकान्त यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे 'राष्ट्रीय महिला कोष' और पंचायती राज संगठन का महिलाओं के सशक्तिकरण में कितना योगदान है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने महिलाओं के कल्याण हेतु आबंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) राज्यों को इस संबंध में आबंटित की गई धनराशि और अभी तक उनके कल्याण हेतु खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) राष्ट्रीय महिला कोष ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 121.30 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। स्वर्णजयन्ती

ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर गठित 50 प्रतिशत समूह महिला समूह होने चाहिएं तथा सहायता-प्राप्त कुल स्वरोजगारियों का 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिएं।

(ख) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस विभाग द्वारा निर्मुक्त अनुदान तथा किया गया खर्च दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*निर्मुक्त राशि तथा किए गए व्यय का ब्यौरा (रुपए लाखों में)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्मुक्त राशि | किया गया व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 51.98 | 5031.08 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 17.16 | 6.11 |
| 3. | असम | 122.68 | 77.5 |
| 4. | बिहार | 754.8 | 618.48 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 307.42 | 217.44 |
| 6. | गुजरात | 1197.1 | 1043.7 |
| 7. | हरियाणा | 766.78 | 616.26 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 319.45 | 296.35 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 87.92 | 49.97 |
| 10. | झारखंड | 676.22 | 452.02 |
| 11. | कर्नाटक | 2108.5 | 1755.9 |
| 12. | केरल | 628.64 | 599.43 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1970 | 1731.7 |
| 14. | महाराष्ट्र | 941.98 | 855.98 |
| 15. | मणिपुर | 142.05 | 129.66 |
| 16. | मेघालय | 31.86 | 18.51 |
| 17. | मिजोरम | 29.15 | 29.15 |
| 18. | नागालैंड | 49.14 | 39.57 |
| 19. | उड़ीसा | 746.67 | 630.55 |
| 20. | पंजाब | 55.28 | 0 |
| 21. | राजस्थान | 500.01 | 449.46 |
| 22. | सिक्किम | 28.41 | 22.48 |
| 23. | तमिलनाडु | 2872.4 | 2781.42 |
| 24. | त्रिपुरा | 28.91 | 21.62 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 2202.02 | 1895.4 |
| 26. | उत्तरांचल | 441.56 | 320.7 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 786.71 | 730.96 |
| 28. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 14 | 2.18 |
| 29. | चण्डीगढ़ | 7 | 0.9 |
| 30. | दादर और नागर हवेली | 13.1 | 0 |
| 31. | दिल्ली | 196.46 | 188.12 |
| 32. | लक्षद्वीप | 14 | 7.5 |
| 33. | पांडिचेरी | 29.4 | 24.33 |
| | कुल | 23284.96 | 20644.43 |

*[अनुवाद]*

**पारस्परिक कानूनी सहायता संधि**

**2084. श्री सुरेश कलमाडी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिका के साथ आपराधिक मामलों के संबंध में एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत का किन अन्य देशों के साथ ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस संधि का उद्देश्य, सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद, नारकोटिक्स, अवैध व्यापार,

आर्थिक अपराधों और संगठित अपराधों सहित अपराधों की जांच, अभियोजन, निवारण और उनका उन्मूलन करने के लिए दोनों देशों के कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों की कारगरता में सुधार लाना है।

(ग) इसी प्रकार की संधियों पर सिंगापुर, बेलारूस, स्पेन और हांग कांग के साथ हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

**प्रधान मंत्री का पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा**

**2085. श्री अजय चक्रवर्ती:**
**श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं को सुलझाने हेतु विभिन्न विद्रोही गुटों और अन्य संगठनों से हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(घ) प्रधान मंत्री द्वारा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के विभिन्न विद्रोही ग्रुपों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करने हेतु वार्ता के लिए आगे आये।

(घ) प्रधानमंत्री ने सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा की प्रगति और रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है।

**बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना**

**2086. श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अभी तक बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना के भाग्य का फैसला नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी परियोजना/प्रणाली के अभाव में, बंगलौर में यातायात समस्या एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी जिस पर नियंत्रण करना कठिन होगा और यह कर्नाटक की आर्थिक वृद्धि को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना को शीघ्र अनुमोदित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत की अनुदान सहायता से कराए गए एक अध्ययन के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने परामर्शदाता के तौर पर बंगलौर एम.आर.टी.एस. परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की है। इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड (यू.टी.आई.बी.एल.) द्वारा एक वित्तीय मूल्यांकन करवाया है तथा हाल ही में केन्द्र सरकार को इसके संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है।

इस परियोजना का उद्देश्य बंगलौर में यातायात की समस्याओं को कम करना है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास**

**2087. डा. टोकचोम मैन्या:** क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग केन्द्र सरकार द्वारा अपने बजटीय आवंटन की 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु आवंटित करने संबंधी अपनाई गई नीति का कड़ाई से पालन कर रहे हैं;

(ख) क्या खर्च न की गई राशि अभी भी व्यपगत नहीं होने वाले पूल में बेकार पड़ी हुई है और बाद में इसका उपयोग कुछ अन्य क्षेत्रों में किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह देखने के लिए कोई पर्यवेक्षण/निगरानी की जाती है कि मंत्रालय वास्तव में उपर्युक्त नीति का पालन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त शीर्ष में धनराशि का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों (विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर) को अपनी सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) का 10 प्रतिशत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए अलग से रखने का अधिदेश है। फिर भी, 2003-04 में 14 विभाग और 2004-05 में 11 विभाग 10 प्रतिशत के मानदण्ड

से हट गये हैं। इनमें से 2003-2004 में 3 विभागों और चालू वर्ष में 5 विभागों द्वारा एन.ई.आर. के लिए जी.बी.एस. के अधिदेशित 10 प्रतिशत आबंटन की अभी पुष्टि की जानी है। अन्य विभाग अपने जी.बी.एस. का 10 प्रतिशत भाग अलग से निर्धारित करने के लिए शोधक कार्रवाई करने के लिए सहमत हो गये हैं।

(ख) और (ग) अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के अन्तर्गत जमा, सभी मंत्रालयों/विभागों के जी.बी.एस. के 10 प्रतिशत में से खर्च न किये गये शेष का रख रखाव वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है जिसमें से एन.एल.सी.पी.आर. के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु विकासात्मक परियोजनाओं के लिए डोनर मंत्रालय को वार्षिक बजट आबंटित किया जाता है। एन.एल.सी.पी.आर. के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 के लिए 650.00 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जी.बी.एस. का 10 प्रतिशत अलग से निर्धारित करने और खर्च की प्रगति की स्थिति की निगरानी डोनर मंत्रालय द्वारा की जाती है ताकि उपर्युक्त नीति का क्रियान्वयन और अलग से रखी गई निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

**भोपाल गैस त्रासदी**

**2088. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
**श्री कैलाश मेघवाल:**
**श्री दलपत सिंह परस्ते:**
**श्री गुरूदास दासगुप्त:**
**श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:**
**श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी स्थल के नजदीक अभी भी हजारों टन विषैला अपशिष्ट पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसे हटाने विलंब के क्या कारण है;

(ग) इसे कब तक हटाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस बात की जानकारी है कि गैस त्रासदी स्थल पर तथा उसके आसपास जल संदूषण अभी भी काफी अधिक है; जैसा कि दिनांक 15 नवम्बर, 2004 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो समाचार में दिए गए विषय के तथ्य क्या हैं;

(च) क्या पेयजल के नमूनों का परीक्षण किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ग) त्रासदी स्थल के पास पड़े विषैले अपशिष्ट की मात्रा का आकलन करना कठिन है क्योंकि समस्या को पूरी तरह तभी जाना जा सकेगा जब परित्यक्त संयंत्र को ध्वस्त कर दिया जाए। वर्तमान में कारखाना स्थल और परिसर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के स्वामित्व और कब्जे में है। विद्यमान पर्यावरणीय विधियों के तहत स्थल के मालिक होने के चलते संयंत्र स्थल का उपचार राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, इस सिद्धांत के तहत कि प्रदूषणकारी भुगतान करता है, मूल कंपनी से व्यय के भुगतान के लिए कहा जा सकता है। इस मुद्दे पर न्यूयार्क, अमेरिका के दक्षिणी जिले के जिला न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से संयंत्र परिसर के पर्यावरणीय उपचार हेतु अपना "अनापत्ति प्रमाण पत्र" दे दिया है। इसके अलावा, विस्तृत पूर्वानुमान तैयार करने के लिए राज्य सरकार के पास संयंत्र और मशीनरी के रेखा-चित्र तथा डिजाइन उपलब्ध नहीं है। अत: स्थल की सफाई के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (छ) राज्य सरकार ने पेयजल के नमूनों की जांच करवाई है और पाया कि आस-पास के कुछ ट्यूबवैल और हैंडपंपों में पेस्टिसाइड है।

(ज) मध्य प्रदेश सरकार स्वच्छ पेयजल टैंकरों द्वारा उपलब्ध करा रही है। तथापि, पाइपलाइन के जरिए निवासियों को पेयजल आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं।

**सफाई कर्मियों को मैला ढोने के काम से मुक्ति**

**2089. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सफाईकर्मियों को मैला ढोने के काम से मुक्त करने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना राज्य के किन शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम उड़ीसा राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू है।

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति**

**2090. श्री मुन्शी राम:**
**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मैट्रिकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु एक लाख रुपये की आय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद उपर्युक्त राशि से अधिक वेतन ले रहे अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को इस छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आय सीमा को बढ़ाकर कम से कम दो लाख रुपये करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जी नहीं। आय सीमा में ऊपरी संशोधन की प्रक्रिया योजना में ही दी गई है क्योंकि इसे औद्योगिक कार्मिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक से जोड़ा गया है और इसमें प्रत्येक दो वर्ष में एक बार संशोधन किया जाता है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1-1-1996 से लागू की गई थी। तबसे आय सीमा में कई बार संशोधन किया गया है।

*[अनुवाद]*

**दहेज पर प्रतिबंध**

**2091. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लड़कियों की सुरक्षा के लिए दहेज पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) और (ख) दहेज देना, दहेज की मांग करना अथवा दहेज लेना दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निषिद्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**कन्नड़ भाषा को 'क्लासिकल' भाषा का दर्जा देना**

**2092. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक से कन्नड़ भाषा को 'क्लासिकल' भाषा का दर्जा देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) जी, हां श्रीमान्।

(ख) सरकार द्वारा गठित भाषाई विशेषज्ञों की समिति, क्लासिकल भाषाओं के रूप में भाषाओं के वर्गीकरण संबंधी भविष्य की मांगों पर विचार करेगी।

*[हिन्दी]*

**देह व्यापार**

**2093. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में नियंत्रण और पंजीकरण के बिना काम कर रहे रोजगार ब्यूरो पर चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गांव की लड़कियों को शहर लाकर उन्हें इनके माध्यम से देह व्यापार के लिए बेच दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन रोजगार ब्यूरो को नियंत्रित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा है कि क्या घरेलू बाल श्रमिकों से संबंधित अधिकरणों के कामकाज के तौर-तरीकों को विनियमित करने हेतु किशोर न्याय अपराध अधिनियम, 2000 की धारा 31 के साथ पठित धारा 68 के अन्तर्गत कोई नियम बनाये गये हैं अथवा बनाये जा सकते हैं?

(ग) काम दिलाने वाले किसी ब्यूरो को ग्रामीण बालिकाओं के देह-व्यापार संबंधी गतिविधियों में लिप्त नहीं पाया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**मेट्रो ट्रेन में तकनीकी खराबी**

**2094. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वचालित ब्रेक में तकनीकी खराबी आने के कारण शाहदरा, दिल्ली से रिठाला के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन के यात्रियों को असुविधा हुई थी जैसाकि दिनांक 18 अगस्त, 2004 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यात्रियों को सुरक्षा/संरक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) दिनांक 18.10.2004 के दैनिक जागरण में इस दुर्घटना के संबंध में एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

शाहदरा-रिठाला कॉरीडोर पर ट्रेन-सेट में कैब के अन्दर ड्राइवर मशीन इंटरफेस (डी.एम.आई.) नामक एक नया उपकरण लगाया जा रहा है। ड्राइवर मशीन इंटरफेस एक प्रयोक्ता-अनुकूल उपकरण है, जो ड्राइवर को ट्रेन-चालन से संबंधित विस्तृत सचित्र सूचना मुहैया कराता है। ट्रेन सेट नं. 16 में एक तकनीकी खराबी के कारण (जो ड्राइवर के कैब में लगे डी.एम.आई. के साथ प्रचालन में पहली बार आरंभ किया गया था) इमरजेंसी ब्रेक लग गया। सुरक्षा संबंधी मानदंडों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया।

(ग) ड्राइवर मशीन इंटरफेस लगी सभी ट्रेनों में आवश्यक उपचारी उपाय किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**मैला ढोने वाले**

**2095. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ राज्यों ने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त नहीं किया है जबकि इसको समाप्त करने के लिए एक विधान पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तरांचल राज्यों ने ''मैला ढोने वालों को रोजगार एवं शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993'' को नहीं अपनाया है।

(ग) सरकार द्वारा मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गयी है।

*[हिन्दी]*

**पेयजल की मांग और आपूर्ति**

**2096. श्री रामदास आठवले:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी से जल की कितनी मात्रा की मांग की है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को वर्ष-वार कितनी मात्रा में जल की आपूर्ति की गयी;

(ग) क्या यह मात्रा मांग के अनुसार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पिछले वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के कारण पेयजल की मांग में भी भारी वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को उसकी मांग के अनुसार यमुना नदी से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती राज्यों के बीच यमुना जल समझौते के अंतर्गत अपर यमुना रिवर बोर्ड (सांविधिक संस्था) द्वारा आकलित अपने अंतरिम शेयर वितरण के अनुरूप ही यमुना नदी से पानी की मांग की है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दिल्ली को यमुना नदी से निम्नलिखित विवरण के अनुसार पानी सप्लाई किया गया है:—

| अवधि | कुल नियतन (क्यूसेक में) | वापसी प्रवाह (क्यूसेक में) | शुद्ध वितरण (क्यूसेक में) |
|---|---|---|---|
| मार्च से जून तक | 750 | 495 | 255 |
| जुलाई से अक्तूबर तक | 1293 | 495 | 798 |
| नवंबर से फरवरी तक | 723 | 495 | 228 |

(ग) और (घ) यमुना जल समझौते में दिल्ली का शेयर नियतन वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ङ) से (छ) यह सही है कि दिल्ली की आबादी में वृद्धि होने के कारण पीने के पानी की मांग बढ़ गई है। पानी की वर्तमान आकलित मांग 850 मिलियन गैलन प्रति दिन (एम.जी.डी.) हैं और दिल्ली जल बोर्ड यमुना नदी सहित समस्त स्रोतों से लगभग 675 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन का उत्पादन कर रहा है।

दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं:—

1. सोनिया विहार में 140 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र चालू होने के लिए तैयार है।
2. वितरण प्रणाली में रिसाव से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मुनाक से हैदरपुर तक (102 किमी०) समानांतर लाइन चैनल का निर्माण और इससे करीब .80 एम.जी.डी. पानी की बचत होगी। इस बचे हुए पानी से दिल्ली जल बोर्ड का निम्नलिखित शोधन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है:—
   (i) बवाना (20 एम.जी.डी.)
   (ii) द्वारका (40 एम.जी.डी.)
   (iii) ओखला (20 एम.जी.डी.)
3. पल्ला क्षेत्र में 100 ट्यूबवेल लगाना। लगभग 70 ट्यूबवेल पहले ही लगा दिए गए हैं और चालू कर दिए गए हैं।

**आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि**

2097. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
**श्री थावरचन्द गेहलोत:**
**योगी आदित्यनाथ:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और आज की तारीख तक आंगनवाड़ी केन्द्रों पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार आंगनवाड़ी केन्द्रों को और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह राशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) आंगनवाड़ी केन्द्र समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र बिन्दु हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान एवं वर्तमान वर्ष में (9.12.2004 तक) निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता; जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों पर होने वाला खर्च भी शामिल है, आई.सी.डी.एस. अवसंरचना के आकार अर्थात् परिचालित परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या, सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजना/जिला/राज्य स्तरीय प्रकोष्ठों आदि में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा सरकार द्वारा समय-समय पर व्यय की विभिन्न मदों हेतु निर्धारित वित्तीय मानकों पर आधारित होती है।

***विवरण***

*आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा*

(रुपये लाखों में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आई.सी.डी.एस. (सामान्य), विश्व बैंक तथा उदिशा के अंतर्गत निधियां | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 (9.12.2004 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 12530.61 | 14884.25 | 11135.88 | 7277.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1970.39 | 2530.72 | 1552.73 | 1050.65 |
| 3. | असम | 6243.61 | 8121.08 | 4489.45 | 4355.16 |
| 4. | बिहार | 3145.11 | 7833.94 | 5354.59 | 10511.47 |
| 5. | गोवा | 344.35 | 435.75 | 420.70 | 294.52 |
| 6. | गुजरात | 8170.09 | 7055.28 | 9894.54 | 9405.58 |
| 7. | हरियाणा | 3730.50 | 4349.41 | 4446.88 | 4425.10 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2029.42 | 2194.40 | 1603.66 | 2657.26 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 2824.16 | 3728.75 | 2415.88 | 1965.07 |
| 10. | कर्नाटक | 7710.68 | 10699.29 | 11341.87 | 10654.35 |
| 11. | केरल | 6666.30 | 6621.08 | 9585.50 | 5714.10 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 10346.08 | 15528.51 | 16002.77 | 9573.86 |
| 13. | महाराष्ट्र | 10643.48 | 18935.09 | 19598.87 | 9398.19 |
| 14. | मणिपुर | 961.07 | 2360.06 | 1453.55 | 1246.90 |
| 15. | मेघालय | 1105.15 | 1181.87 | 881.52 | 1369.16 |
| 16. | मिजोरम | 617.95 | 1149.44 | 852.63 | 673.54 |
| 17. | नागालैंड | 1957.00 | 2416.47 | 1509.28 | 1087.50 |
| 18. | उड़ीसा | 7131.86 | 8726.42 | 11523.81 | 10666.93 |
| 19. | पंजाब | 3730.77 | 3777.09 | 4943.21 | 3904.27 |
| 20. | राजस्थान | 9997.07 | 11625.54 | 11727.65 | 11853.17 |
| 21. | सिक्किम | 192.35 | 280.97 | 173.69 | 289.14 |
| 22. | तमिलनाडु | 9289.80 | 13459.18 | 10855.27 | 14397.55 |
| 23. | त्रिपुरा | 1521.36 | 1403.95 | 1822.82 | 1109.46 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 15972.42 | 13659.04 | 19095.23 | 19499.37 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 12800.02 | 16629.63 | 15873.69 | 8631.59 |
| 26. | छत्तीसगढ़ | 2700.79 | 7294.93 | 6581.19 | 4327.21 |
| 27. | झारखंड | 1246.76 | 947.15 | 1862.83 | 4319.66 |
| 28. | उत्तरांचल | 2381.66 | 6495.63 | 3081.25 | 2398.77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| संघ राज्य क्षेत्र | | | | | |
| 29. | दिल्ली | 821.41 | 1014.18 | 1172.42 | 815.74 |
| 30. | पांडिचेरी | 159.85 | 241.05 | 205.54 | 175.78 |
| 31. | अण्डमान व निकोबार | 154.85 | 164.32 | 193.18 | 157.52 |
| 32. | चण्डीगढ़ | 97.35 | 121.50 | 142.54 | 121.49 |
| 33. | दादरा व नगर हवेली | 33.85 | 42.00 | 48.50 | 45.13 |
| 34. | दमन व दीव | 37.45 | 43.24 | 41.41 | 38.98 |
| 35. | लक्षद्वीप | 33.12 | 30.83 | 39.64 | 25.15 |
| | कुल | 149298.69 | 195982.03 | 191924.17 | 164436.66 |

**धनराशि का कम उपयोग**

**2098. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
**श्री संतोष गंगवार:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मंत्रालय ने आवंटित धनराशि का कम उपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) जी हां, गत दो वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय को आबंटित की गई सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) के उपयोग में कमी निम्नवत है:—

| वर्ष | बी.ई. जी.बी.एस. | वास्तविक जी.बी.एस. | कमी जी.बी.एस. |
|---|---|---|---|
| 2002-03 | 3300.00 | 1830.46 | 1469.54 |
| 2002-03 | 3500.00 | 1846.46 | 1653.54 |

इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों को विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए पी.बी.एस. प्रदान की गई थी।

(ख) 2002-03 और 2003-04 के दौरान जी.बी.एस. के कम उपयोग के कारण संस्था-वार रूप में क्रमश: विवरण-I और II में दर्शाये गए हैं।

विद्युत मंत्रालय ने परियोजनाओं के बेहतर संचालन और पुनरावलोकन द्वारा बजटीय धनराशि के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपचारात्मक कदम उठाए हैं। उठाए गए कदम निम्नलिखित है:—

(i) नई परियोजनाओं के निवेश अनुमोदन की स्थिति की सचिव (विद्युत) द्वारा साप्ताहिक समीक्षा। बजटीय व्यय के उपयोग को सुगम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को तीव्र करने के लिए अन्य मंत्रालयों/संगठनों के साथ निरंतरण संपर्क।

(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सभी परियोजनाओं की मासिक समीक्षा।

(iii) जल परियोजनाओं हेतु पर्याप्त सर्वेक्षण एवं जांच, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व निर्माण को शुरू करने के लिए अपेक्षित संपूर्ण अनिवार्य ढांचे की रचना को सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया।

(iv) सभी चालू और नई परियोजनाओं की स्थिति का सचिव (विद्युत) द्वारा व्यापक अंत:मंत्रालयी त्रैमासिक समीक्षा।

(v) परियोजना के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए समय-समय पर परियोजना दौरे।

*विवरण-I*

2002-03 के दौरान जी.बी.एस. के कम उपयोग के कारण निम्नलिखित है:—

(राशि करोड़ रुपये में)

| निगम | बी.ई. | वास्तविक व्यय | बचत के कारण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| एन.टी.पी.सी. | 167.63 | 0.00 | एन.टी.पी.सी. ने अपने आंतरिक संसाधनों से नई योजनाओं को धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है और इसलिए इनके लिए जी.बी.एस. की कोई आवश्यकता नहीं है। |
| एन.जे.पी.सी. | 256.00 | 0.00 | वित्तीय वर्ष 2002-03 में होने वाली 256 करोड़ रुपये की बचत इस तथ्य के कारण हुई कि परियोजना प्राधिकारी ने उनको आबंटित की गई जी.बी.एस. नहीं ली इसके बजाय हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ताजी मांग और शेष इक्विटी द्वारा परियोजना को पूरा किया। |
| नीपको | 200.48 | 49.26 | नीपको के अंतर्गत 151.22 करोड़ रुपये की बचत उनकी नई परियोजनाओं अर्थात् तिपाईमुख (15 करोड़ रुपये), टूरियल एच.ई.पी. (5 करोड़ रुपये), तुवाई एच.ई.पी. (41 करोड़ रुपये) लोअर कोपीली एच.ई.पी. (10 करोड़ रुपये), रंगानदी स्टेज-2 (20 करोड़ रुपये) और त्रिपुरा गैस आधारित परियोजना (47.10 करोड़ रुपये) को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थी। |
| एन.एच.पी.सी. | 1800.00 | 874.71 | एन.एच.पी.सी. के अंतर्गत 925.29 करोड़ रुपये की बचत उनकी योजनाओं अर्थात् तीस्ता लो डैम-III (25 करोड़ रुपये), सेवा-II (100 करोड़ रुपये) ओंकारेश्वर (415 करोड़ रुपये) सुआनसिरी लोअर (200 करोड़ रुपये), पारबती-III (14.75 करोड़ रुपये), तीस्ता लो डैम-IV (25 करोड़ रुपये), पुरुलिया (79.02 करोड़ रुपये), चमेरा एच.ई.पी.-III (23.25 करोड़ रुपये), यूरी-II एच.ई.पी. (25.10 करोड़ रुपये) को अनुमोदन न प्रदान किए जाने के कारण थी और उनकी पूरी हो चुकी परियोजनाओं (टनकपुर और चमेरा-I) के लिए उनको 94.26 करोड़ रुपये के आई.डी.सी. घटक को अनुमोदित/जारी न किए जाने के कारण थी। |
| पी.टी.सी. | 1.00 | 0.00 | पी.टी.सी. के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये की बचत थी क्योंकि बाद में पावरग्रिड, एन.टी.पी.सी, आदि की ओर से समान भागीदारी के साथ कंपनी को पुन: गठित करने का निर्णय लिया गया था। |
| सी.ई.ए. | 40.24 | 14.65 | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 25.59 करोड़ रुपये की बचत हुई। यह मुख्य रूप से नई योजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थी अर्थात्:—<br>1. सी.ई.ए. में उप-पारेषण एवं वितरण विंग का निर्माण (राजस्व में 5.5 करोड़ रुपये और पूंजी में 2.5 करोड़ रुपये)।<br>2. ग्रिड प्रचालन में तकनीकी सुधार (राजस्व में 1.1 करोड़ रुपये)<br>3. ई.पी.बी.एक्स. के प्रावधान सहित कम ऊंचाई वाले विभाजन के साथ सी.ई.ए. का आधुनिकीकरण (1.5 करोड़ का राजस्व)। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 4. सी.ई.ए में सूचना प्रौद्योगिकी का उच्चीकरण (2.26 करोड़ रुपये राजस्व में)<br>5. थर्मल विद्युत क्षेत्र में तकनीकी सुधार (राजस्व में 3.06 करोड़ रुपये राजस्व और पूंजी में 54 लाख रुपये)।<br>बचत निम्न योजनाओं की धीमी प्रगति के कारण भी थी:—<br>1. जल विद्युत क्षमता की समीक्षा और शेष जल विद्युत योजनाओं के रैंकिंग अध्ययन (राजस्व में 5.57 करोड़ रुपये)।<br>2. साफ्टवेयर पैकेजों की प्राप्ति सहित विद्युत प्रणाली में तकनीकी सुधार (राजस्व में 74 लाख रुपये और कैपिटल में 79 लाख रुपये)।<br>3. क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों का सुदृढ़ीकरण (कैपिटल में 56 लाख रुपये)।<br>4. नार्थ अमेरिकन इलैक्ट्रिसिटी रिलाएबिलिटी काउंसिल के साथ इन्टरएक्शन (एन.ई.आर.सी.) (कैपिटल में 28 लाख रुपये)। |

*विवरण-II*

2003-04 के दौरान जी.बी.एस. के कम उपयोग के कारण संगठन वार रूप में निम्नवत हैं।

(राशि करोड़ रुपये में)

| निगम | बोर्ड | वास्तविक व्यय | बचत के कारण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| एन.टी.पी.सी. | 5.00 | 0.00 | आंतरिक संसाधनों से परियोजनाओं को धन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। अत: बचत 5 करोड़ रुपये हैं। |
| नीपको | 216.49 | 21.26 | नीपको के मामले में 195.23 करोड़ रुपये की बचत नई परियोजनाओं अर्थात् तिनरईमुख एच.ई.पी., त्रिपुरा गैस और कामेंग को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थी। तिपाईमुख, सुरक्षा व्यवस्था और टैरिफ की व्यवसायिक गैर-व्यवहार्यता में वृद्धि अनुमोदन प्रदान न किए जाने का कारण थी। त्रिपुरा गैस परियोजना को गैस की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 280 मेगा वाट तक पूर्ण रूप दिया जाना था जबकि कमेंग जल विद्युत परियोजना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था। |
| एन.एच.पी.सी. | 2131.14 | 1388.42 | एन.एच.पी.सी. के मामले में 742.72 करोड़ रुपये की बचत निम्नलिखित कारणों के कारण थी :—<br>➢ पुरूलिया पम्प स्टोरेज योजनाओं का अननुमोदन (पश्चिम बंगाल के लिए स्पष्टीकरण/स्वीकृति न होने के कारण)<br>➢ किशन गंगा, पारवती-III, चमेरा-III परियोजनाएं अनुमोदन के लिए तैयार नहीं थी।<br>➢ जांच के सर्वेक्षण और अन्य नई योजनाओं के लिए बजटीय धनराशि के संबंध में, यह निर्णय लिया गया था कि एन.एच.पी.सी. अपने प्रत्यायोजित अधिकारियों के |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | अंतर्गत अपने आंतरिक संसाधनों का प्रयोग करेगी। इससे सर्वेक्षण एवं जांच कार्य में तेजी आई है। किन्तु इसके परिणामस्वरूप जी.बी.एस. का प्रयोग प्रभावित हुआ पूरी हो चुकी योजनाओं के लिए आई.डी.सी. के कैपीटेलाइजेशन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता था। |
| सी.पी.आर.आई. | 25.00 | 5.00 | सी.पी.आर.आई. में 23.52 करोड़ रुपये की बचत नई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण और चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण थी। |
| आर.ई.सी. (ए.आर.ई.पी.) | 100.00 | 0.00 | आर.ई.सी. (ए.आर.ई.पी.) को ब्याज सब्सिडी की योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित ग्रामीण (ए.आर.ई.पी.) विद्युतीकरण की अन्य योजनाओं के साथ मिलाया जा रहा है। व्यय को आगामी वर्ष के लिए पुनः निर्धारित किया गया है। अतः 100 करोड़ रुपये की बचत हुई। |
| पी.एफ.सी. (ए.जी. एंड एस.पी.) | 300.00 | 191.91 | पी.एफ.सी. (ए.जी. व एस.पी.) को ब्याज सब्सिडी की योजना हेतु राज्य क्षेत्र में आर. एंड एम. परियोजनाओं हेतु प्राप्त किए गए कम दावों के कारण है जिसके कारण 108.09 करोड़ रुपये की बचत हुई। |
| पावरग्रिड | 80.00 | 50.18 | पावरग्रिड अनुदान के संबंध में, एन.ई.आर. एल.डी.सी. की योजना को कम से कम मूल्य पर पूरा किया गया था और इसलिए 29.87 करोड़ रुपये की बचत हुई। |
| विद्युत मंत्रालय की नई योजनाएं | 20.00 | 0.00 | विद्युत मंत्रालय की नई योजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका था इसलिए प्रदान की गई 20 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण राशि खर्च नहीं की जा सकी थी। |
| टी.एच.डी.सी. | 467.31 | 75.75 | टी.एच.डी.सी. के मामले में यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित मूल्य अनुमानों के गैर अनुमोदन के कारण है। (391.56 करोड़ रुपये) टिहरी पी.एस.पी. की ओर से विद्युत उपलब्ध कराने के लिए एन.आर. घटकों की अरूचि के कारण भी परियोजना को अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सका था। |

**एन.ए.ए.सी.**

**2099. श्रीमती पी. सतीदेवी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल एसेसमेंट एंड एकीडीशिन काउंसिल (एन.ए.ए.सी.) के माध्यम से कितने विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया और मान्यता दी गई;

(ख) क्या एन.ए.ए.सी. द्वारा किया गया रेटिंग विश्वविद्यालयों और कालेजों को स्वीकृत किए गए अनुदान से जुड़ा है;

(ग) यदि हां, तो अंडर रेटिंग सरकारी संस्थानों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों और उनके रोजगार का भविष्य क्या है;

(घ) क्या सरकार विद्यार्थियों को उबारने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक 113 विश्वविद्यालयों तथा 2028 कालेजों को प्रत्यायित किया जा चुका है।

(ख) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा दी गई रेटिंग का विश्वविद्यालयों/कालेजों को संस्वीकृत अनुदानों के साथ कोई संबंध नहीं है।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार किसी केन्द्रीय अधिनियम, मूल्य अधिनियम द्वारा अथवा इसके अंतर्गत स्थापित अथवा समाविष्ट विश्वविद्यालयों अथवा किसी सम-विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित डिग्रियां प्रदान करने

का अधिकार सौंपा गया है। ये डिग्रियां रोजगार सहित सभी प्रयोजनों हेतु मान्य हैं, यहां तक कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा दी गई इसकी रेटिंग कम ही क्यों न हो।

*[अनुवाद]*

**रिहायशी भवनों का अतिक्रमण तथा वाणिज्यिक उपयोग**

2100. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की दिल्ली में रिहायशी भवनों के अतिक्रमण तथा वाणिज्यिक उपयोग की पहचान करने के लिए स्थानीय दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की सहायता लेने की योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रिहायशी इलाकों में बेसमेंटों तथा भवनों के अवैध अतिक्रमण तथा इनके वाणिज्यिक उपयोग की पहचान करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कौन सा तरीका अपनाये जाने की योजना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि रिहायशी क्षेत्रों में बेसमेंट तथा भवनों के वाणिज्यिक उपयोग का पता चलते ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

**निर्माण कार्य में एन.एच.पी.सी. का शामिल होना**

2101. **श्री मुनव्वर हसन:**
**श्रीमती मनोरमा माधवराज:**
**श्री विजय कृष्ण:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख सरकारी उपक्रम नेशनल हाइड्रो-पावर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.) ने बिहार में सड़कों का निर्माण तथा अन्य ग्रामीण विकास परियोजना शुरू की है जैसा कि 24 नवम्बर, 2004 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राज्य में एन.एच.पी.सी. द्वारा शुरू की गई सड़कों के निर्माण की लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन.एच.पी.सी. का विचार देश के अन्य भागों में इस प्रकार के कार्य शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या एन.एच.पी.सी. जल विद्युत उत्पादन के अलावा परियोजनाएं शुरू करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मानकों के दायरे में अपनी धनराशि का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अधीन बिहार के 6 जिलों अर्थात् पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली में एन.एच.पी.सी. द्वारा सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.), ग्रामीण विकास विभाग (बिहार सरकार), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के बीच दिनांक 31.8.2004 को एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए। बिहार में एन.एच.पी.सी. द्वारा लिए गए सड़कों के निर्माण की लागत का पता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर लगेगा।

(घ) एन.एच.पी.सी. द्वारा देश के अन्य भागों में इसी प्रकार के कार्यों को हाथ में लेने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) एन.एच.पी.सी. के संस्था ज्ञापन में यह व्यवस्था की गई है कि निगम आर्थिक क्षेत्र के नए क्षेत्रों का पता लगाने या ऐसे निवेशों को हाथ में लेने या सहायता करने में भारत सरकार के उद्यमी के रूप में कार्य कर सकता है। एन.एच.पी.सी. ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की है क्योंकि पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही है।

(छ) उपर्युक्त (ङ) और (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मास्टर प्लान में संशोधन**

2102. **श्री राम कृपाल यादव:**
**श्री सुकदेव पासवान:**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मास्टर प्लान में संशोधन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो नये मास्टर प्लान की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मास्टर प्लान में संशोधन करने का निर्णय किन घटकों के कारण किया गया?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) मसौदा क्षेत्रीय योजना-2021 का उद्देश्य निम्नलिखित के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उन्नति तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देना है:—

(i) दिल्ली के आर्थिक विकास की गति को समाहित करने में सक्षम क्षेत्रीय बसावों की पहचान व विकास के द्वारा भावी उन्नति के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया कराना।

(ii) एकीकृत परिवहन प्रणाली का प्रावधान।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।

(iv) अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।

(v) एक तर्कसंगत भू-उपयोग पद्धति का प्रावधान, तथा

(vi) जीवन स्तर में सुधार के लिए सुसंगत विकास को बढ़ावा देना।

आबादी की मौजूदा और संभावित जरूरतों के मद्देनजर समय-समय पर शहरी नियोजन के मानदंडों के भीतर क्षेत्र विकास योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

**डी.डी.ए. द्वारा अधिक संख्या में फार्म स्वीकार किया जाना**

**2103. श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ विनिर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से 3500 रुपए प्रति फार्म के भुगतान पर दिल्ली की विभिन्न कालोनियो में फ्लैट प्रदान करने के लिए एक फैस्टिवल हाऊसिंग स्कीम 2004 शुरू की है, जैसाकि 23 नवम्बर, 2004 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या डी.डी.ए. ने उक्त योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति से एक से अधिक फार्म स्वीकार किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एक ही व्यक्ति से केवल 3500 रुपए के भुगतान पर एक से अधिक फार्म स्वीकार करके उसे लाटरी द्वारा ड्रा के लिए पात्र बनाकर उन जरूरत मंद व्यक्तियों का अधिकार नहीं छिनेगा, जिन्होंने 1,00,000 रुपए की पंजीकरण राशि के भुगतान सहित केवल एक फार्म भरा है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त बैंकों तथा डी.डी.ए. की इस पैसा कमाने वाली योजना से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा नहीं मिलेगा;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने 20.10.2004 से 24.11.2004 तक 2500 फ्लैटों के आबंटन हेतु फैस्टिवल हाउसिंग स्कीम, 2004 की शुरुआत की है। फार्म की लागत 100 रुपया थी और आवेदकों को एक्सपेंडेनल मकानों टाइप ए मकानों जिसके लिए पंजीकरण राशि 25000 रुपया स्वीकृत थी को छोड़कर सभी श्रेणियों के फ्लैटों के लिए 1,00,000/-रुपया जमा करनी थी। जैसाकि दिनांक 23.11.2004 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार में बताया गया है 3500 रुपया भुगतान की इस योजना के लिए कुछ बैंकों ने पंजीकरण राशि के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु स्वयं प्रस्ताव किया था।

(ख) और (ग) किसी भी एक व्यक्ति द्वारा दो या दो से अधिक आवेदन जमा कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तथापि, यदि ड्रा में एक आवेदक के नाम से अधिक आबंटन निकलते हैं तो नीति के अनुसार उसके अथवा उसके परिवार के नाम में एक फ्लैट का ही आबंटन किया जाएगा।

(घ) से (छ) चूंकि एक आवेदक अथवा उसके परिवार को केवल एक फ्लैट ही आबंटित किया जा सकता है, अत: उससे अन्यों को आबंटन से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

**केरल विधान सभा द्वारा पारित अनुदान और लीज विधेयक, 1999 को स्वीकृति**

**2104. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल विधान सभा द्वारा पारित अनुदान और लीज़ (अधिकारों का संशोधन) विधेयक, 1999 को अभी तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है;

(ख) क्या केरल सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा मांगे गए सभी स्पष्टीकरण दे दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक विधेयक को लम्बित रखने के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राज्य विधायनों की तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात् (क) किसी केन्द्रीय कानून के साथ असंगति, (ख) राष्ट्रीय या केन्द्रीय नीति से अपसरण और (ग) विधिक और संवैधानिक वैधता। इस मामले में ऐसे कतिपय नीतिगत मुद्दे हैं जिन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके हल किया जाना है। अत: इस बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*[हिन्दी]*

**केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्डों के अंतर्गत सघन पाठ्यक्रम**

**2105. श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
**श्री मनोरंजन भक्त:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विशेष रूप से गरीबों, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं के लिए शिक्षा/व्यवसायिक प्रशिक्षण के संबंध में शुरू किए गए सघन पाठ्यक्रमों की स्थिति क्या है;

(ख) उन केन्द्रों का विशेष रूप से दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में ब्यौरा क्या है जहां ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके बाद महिला लाभार्थियों की राज्य-वार और पाठ्यक्रम-वार संख्या कितनी है;

(घ) अब तक इस कार्यक्रम पर सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती कान्ति सिंह ):** (क), (ङ) और (च) शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीम है और इस स्कीम का क्रियान्वयन वर्ष 1958 से किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत जरूरतमंद महिलाओं, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं को शिक्षा तथा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यत: स्कूल न जा सकी गरीब विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी सहायता की जाती है। 15 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं को इस स्कीम में शामिल किया जाता है। कौशल उन्नयन भी इस स्कीम का ही अभिन्न भाग है।

विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिये गए। वर्ष 2004-05 के दौरान आबंटित 538 पाठ्यक्रमों में से 294 पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और ये पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आशा है कि इस वर्ष भी लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

(ख) दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को दर्शाने वाला ब्योरा विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(घ) दसवीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों में 6.00 करोड़ रुपए के सम्पूर्ण आबंटन का उपयोग कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 2.38 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है।

***विवरण-I***

*उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम एवं पते, जिन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान (अब तक) शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम स्कीम के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत किए गए हैं:*

**राज्य: अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह**

| क्र.सं. | संस्थाओं के नाम | पाठ्यक्रम | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | तिरुवल्लुवर क्लब, वाई. एम.सी.ए. परिसर, पोर्ट ब्लेयर | एस.एस.एल.सी. | जंगलीघाट, पोर्ट ब्लेयर |
| 2. | युवा शक्ति, सी-50/47, सिविल गुरुद्वारा, लाइन, शादीपुर पोर्ट ब्लेयर | एस.एस.एल.सी. | शादीपुर, पोर्ट ब्लेयर |

**राज्य : दिल्ली**

| क्र.सं. | संस्थाओं के नाम | पाठ्यक्रम | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | हिमालय इकोलाजिकल सोशल एण्ड कलचरल सोसायटी, जी-4/87, चांद नगर कॉलोनी तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली | मिडिल | तुगलकाबाद |
| 2. | अनमोल आर.जेड.-8-88, निहाल विहार, नई दिल्ली | पी.एल.सी. | निहाल विहार |

*विवरण-II*

*कार्यक्रम: शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | महिला लाभार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 350 | 375 | 375 |
| अरुणाचल प्रदेश | 150 | — | 200 |
| असम | 300 | — | 450 |
| बिहार | 725 | 50 | 1675 |
| दिल्ली | 625 | 50 | 175 |
| गोवा | 25 | — | 50 |
| गुजरात | 100 | 25 | 200 |
| हरियाणा | 75 | — | 150 |
| हिमाचल प्रदेश | 75 | 25 | 150 |
| जम्मू-कश्मीर | 225 | — | — |
| कर्नाटक | 250 | 250 | 375 |
| केरल | 290 | 400 | 325 |
| मध्य प्रदेश | 1650 | 1175 | 875 |
| महाराष्ट्र | 200 | 125 | 600 |
| मणिपुर | — | — | 175 |
| मेघालय | 250 | — | 175 |
| मिजोरम | 375 | 75 | 600 |
| नागालैण्ड | — | — | 125 |
| उड़ीसा | 125 | — | 400 |
| पंजाब | 175 | — | 175 |
| राजस्थान | 350 | 25 | 450 |
| सिक्किम | 25 | — | 75 |
| तमिलनाडु | 500 | 225 | 375 |
| त्रिपुरा | 125 | — | 175 |
| उत्तर प्रदेश | 2300 | 375 | 875 |
| पश्चिम बंगाल | 300 | 275 | 325 |
| अण्डमान व निकोबार | — | — | 25 |
| चण्डीगढ़ | 25 | — | 75 |
| लक्षद्वीप | 25 | — | 50 |
| पाण्डिचेरी | 50 | 25 | — |
| छत्तीसगढ़ | — | — | 425 |
| कुल | 9665 | 3475 | 10100 |

**पोटा समीक्षा समितियां**

**2106. श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक गठित पोटा समीक्षा समितियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन समितियों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इन समितियों द्वारा राज्य-वार कितने मामलों की जांच की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) केन्द्र सरकार द्वारा निरस्त पोटा के तहत एक समीक्षा समिति गठित की थी। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने निरस्त पोटा के तहत समीक्षा समितियों का गठन किया था। केन्द्रीय सरकार ने 21.9.2004 को प्रख्यापित आतंकवाद निवारण (निरस्त), अध्यादेश, 2004 के तहत तीन समीक्षा समितियां गठित की थी।

(ख) गठित तीनों केन्द्रीय समीक्षा समितियों में, प्रत्येक की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इनमें भारतीय पुलिस सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी समेत दो सदस्य हैं। इन तीन केन्द्रीय समीक्षा समितियों में भारतीय पुलिस सेवा के तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:—

(i) श्री आर.सी. झा

(ii) श्री डी.के. आर्य

(iii) श्री बी.जे.एस. सियाल

(ग) केन्द्रीय समीक्षा समितियों से पीटा के अधीन दर्ज सभी मामलों की समीक्षा अध्यादेश के प्रख्यापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् 20.9.2005 तक वैधानिक रूप से पूरी करना अपेक्षित है।

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनजातीय संस्कृति का विकास**

2107. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री सुनिल कुमार महतो:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनजातीय संस्कृति की समस्याओं तथा इसके विकास का अध्ययन करने के लिए कोई केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनजातीय अध्ययन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ये प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ङ) किसी विश्वविद्यालय में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने, जो उस विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, की शक्ति स्वयं उस विश्वविद्यालय में निहित होती है। यद्यपि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनजातीय संस्कृति की समस्याओं तथा विकास का अध्ययन करने के लिए कोई अलग केन्द्र विद्यमान नहीं है, इससे संबंधित प्रस्तावों, यदि कोई हों तथा जब कभी प्राप्त किए जाते हैं तो उन पर संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप विचार किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**कालेजों में रैगिंग**

2108. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पूरे देश के कालेजों में वरिष्ठ छात्रों द्वारा नए छात्रों की रैगिंग और अधिक भद्दी तथा अश्लील होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में सरकार की जानकारी में कुछ शिकायतें आई हैं जहां नए छात्रों को समलैंगिकता तथा पशुता करने पर मजबूर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के सभी शैक्षिक संस्थानों विशेष रूप से कालेजों और विश्वविद्यालयों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) आयोजना और वास्तुकला विद्यालय (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली परिसर में अगस्त, 2004 में रैगिंग की एक घटना हुई। मंत्रालय ने इस मामले की जांच करने के लिए एक द्विसदस्यीय दल का गठन किया। रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि रैगिंग अधिकांशत: गाली-गलौज तथा गन्दी भाषा के प्रयोग द्वारा तथा संभवत: पीड़ित छात्र को कुछ अश्लील हरकतों की नकल के लिए मजबूर करके की गई।

सभी दोषी छात्रों को कक्षाओं से तीन सप्ताह के लिए निलम्बित कर दिया गया और उनमें से कुछ पर आर्थिक दंड भी लगाए गए।

(घ) सरकार ने विश्वविद्यालयों/कालेजों में रैगिंग की समस्या पर ध्यान दिया है। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में रैगिंग रोकने के उपायों का पता लगाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 1999 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित की गई थी। इसके अतिरिक्त, शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग के खतरे को नियंत्रित करने संबंधी 1998 की सिविल याचिका सं.-656 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/ विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दिया गया है ताकि वे इनका सख्ती से अनुपालन करें। आयोग ने विश्वविद्यालयों का ध्यान रैगिंग को प्रतिबंधित करने संबंधी उपायों के संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की ओर भी आकृष्ट किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भी संस्थाओं में रैगिंग को समाप्त करने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए सभी राज्य सचिवों (तकनीकी शिक्षा) तथा तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अनुदेश जारी किए हैं।

*[हिन्दी]*

**दिल्ली पुलिस द्वारा फर्जी मामलों का पंजीकरण**

**2109. श्री इलियास आजमी:**
**श्री सुनिल कुमार महतो:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गत तीन वर्षों के दौरान फर्जी मामले दायर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) और (ख) जी नहीं। कोई फर्जी मामला दायर नहीं किया गया था; तथापि ऐसे तीन मामले जानकारी में आए हैं जिनमें निर्दोष लोगों को बुक/गिरफ्तार किया गया।

(ग) एक मामले में संबंधित उप-निरीक्षक का तबादला कर दिया गया; दूसरे मामले में संबंधित हैड कांस्टेबल की निंदा की गई; और तीसरे मामले में संबंधित पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को सलाह भेज दी गई है तथा संबंधित एक निरीक्षक और दो उप-निरीक्षकों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

*[अनुवाद]*

**लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध**

**2110. श्री प्रबोध पाण्डा:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन लौह अयस्क निर्यातक कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने का है जो इसका स्वयं उत्पादन नहीं कर रही हैं जैसा कि 24 सितंबर, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में उत्पादित लौह अयस्क के दाम बढ़ाने का है; और

(छ) यदि हां, तो निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस समय लाइसेंस के अंतर्गत उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के निर्यात के लिए केवल उन्हीं उत्पादकों को निर्यात की अनुमति देने पर विचार किया जाता है जिनकी अपनी स्वयं की खानें हैं। अत: निर्यात लाइसेंस रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(च) और (छ) सरकार देश में उत्पादित लौह अयस्क के मूल्यों को विनियमित/नियंत्रित नहीं करती है। लौह अयस्क के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों मूल्य बाजार शक्तियों से निर्धारित होते हैं।

*[हिन्दी]*

**दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्ति**

**2111. श्री निखिल कुमार चौधरी:**
**श्री रघुराज सिंह शाक्य:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.जी.सी. के निर्देशों के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय में मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय की चयन समिति के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में मनमानी करने के संबंध में आयोग को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय की चयन समितियों की बैठकें आयोजित करने की कार्यविधि विश्वविद्यालय की संविधियों में पहले ही निर्धारित की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**दवाइयों पर सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क की छूट**

**2112. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई जीवनरक्षक औषधियों को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधियों के नाम क्या हैं जिन्हें यह छूट दी गई है और इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) करों की छूट का लाभ गरीबों तक सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) कस्टम-शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 1.3.2002 की यथा संशोधित चौथी सूची में जो सभी औषध होते हैं उन्हें सरकार सीमा-शुल्क से मुक्त कर चुकी है। इन औषधों को यथा संशोधित उत्पाद अधिसूचना सं. 6/2002 दिनांक 1.3.2002 के द्वारा उत्पाद शुल्क से भी मुक्त किया जा चुका है।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा डी.पी.सी.ओ., 95 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-सूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा स्वयं विभिन्न पहलुओं यथा उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्ययों, आर. एण्ड डी. व्ययों, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि को ध्यान में रख कर तय किए जाते हैं। जहां पाया जाता है कि जनहित प्रभावित हो रहा है, वहां सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

**डी.डी.ए. द्वारा भूमि की नीलामी**

**2113. श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर वाणिज्यिक तथा रिहायशी प्रयोजनार्थ भूमि की नीलामी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो भूमि के प्रत्येक प्लाट के आरक्षित मूल्य तथा नीलामी मूल्यों सहित 1 जनवरी, 2004 से चालू वर्ष के दौरान ऐसी सभी नीलामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डरों तथा भूमि माफिया के साथ मिलकर "आरक्षित मूल्य" को बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम रखा है;

(घ) यदि हां, तो क्या "आरक्षित मूल्य" को कम रखकर प्लाटों को आरक्षित मूल्य से थोड़े से ऊंचे मूल्य पर नीलाम किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या डी.डी.ए. की बाजार मूल्य के अनुरूप सही आरक्षित मूल्य का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन समिति है;

(च) यदि हां, तो इस समिति की संरचना संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो ऐसी समिति गठित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 1 जनवरी, 2004 से 10 दिसम्बर, 2004 तक उन्होंने 865.68 करोड़ रुपये के कुल आरक्षित मूल्य की तुलना में 86 वाणिज्यिक प्लाटों की नीलामी द्वारा 1204.71 करोड़ रु. की राशि प्राप्त की है। प्राधिकरण ने उक्त अवधि के दौरान 299 रिहायशी प्लाटों की नीलामी की है और करीब 136.53 करोड़ रु. के आरक्षित मूल्य की तुलना में करीब 244.57 करोड़ रु. प्राप्त किए हैं। इस प्रकार प्राप्त आय प्लाटों के लिए नियम आरक्षित मूल्य से अधिक है।

(ग) से (छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वाणिज्यिक भूमि के संबंध में आरक्षित मूल्य आयुक्त (भूमि निपटान) की अध्यक्षता में गठित मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जिसमें प्रबंध विंग, योजना विंग तथा वित्त विंग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। रिहायशी प्लाटों की मूल्य निर्धारण समिति में आयुक्त (भूमि निपटान), निदेशक (भूमि निपटान), निदेशक (भूमि मूल्य निर्धारण) तथा निदेशक (योजना) शामिल हैं। पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त औसत नीलामी दरों के आधार पर समिति प्लाटों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करती है। नीलामी से पहले समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्त सदस्य तथा उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षित मूल्य बाजार प्रवृत्ति के अनुरूप है।

## लॉटरियां

**2114. श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वयं की लॉटरियां चलाने वाले कुछ राज्यों ने एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में अपने क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा चलाई जा रही लॉटरियों की बिक्री का अनुवीक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्यों को उनके नियम बनाने के अधिकार को केवल उनके अपने राज्य की लॉटरियों तक सीमित रखने के लिए विद्यमान लॉटरीज (रेगूलेशन) एक्ट, 1998 का संशोधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का केन्द्र तथा संबद्ध राज्य के बीच बांटे जाने वाले स्रोत पर एकमुश्त कर लगाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केरल राज्य ने केरल राज्य लाटरियां और आन-लाइन लाटरियां (विनियमन) नियम, 2003 तैयार किए हैं जिन्हें एक राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

*[हिन्दी]*

## भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्

**2115. श्री वाई.जी. महाजन:**
**श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा किन विषयों पर अनुसंधान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उच्च स्तरीय अनुसंधानों के लिए कितना वित्तीय अनुदान दिया गया;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी एक रिपोर्ट में इन अनुसंधानों के लिए दिए गए अनुदानों में गंभीर धोखाधड़ी का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(छ) क्या इस चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने जानकारी दी है कि ग्यारह विशेष शोध परियोजनाओं पर शोध कार्य किए गए हैं। शोध संबंधी विषयों का उल्लेख करते हुए इन परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। इन परियोजनाओं पर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा 22.47 लाख रु. की राशि खर्च की गई।

(ग) से (ज) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2003-2004 की निरीक्षण रिपोर्ट में "पुरातत्व विज्ञान तथा परंपराएं : भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आर्य भाषाएं और पुरातत्व" नामक परियोजना के संबंध में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया है।

सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के कामकाज की समीक्षा करने और इससे संबंधित मामलों के बारे में पूछताछ करने के लिए श्री डी. बंदोपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद् और भारत सरकार के पूर्व सचिव को 6 सितम्बर, 2004 को नियुक्त किया है। इस समीक्षा के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:—

(i) इसके संघ ज्ञापन/नियमों में उल्लिखित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के संबंध में परिषद् के प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यकरण की समीक्षा करना;

(ii) "टुवर्ड्स द फ्रीडम प्रोजैक्ट" के खंडों का प्रकाशन न करने/रोकने संबंधी मामले की जांच करना;

(iii) उन अध्येताओं द्वारा शोध कार्य प्रस्तुत न किए जाने संबंधी मामले की जांच करना, जिन्हें वर्ष 1995-96 ..... 2000-2001 के दौरान परिषद् द्वारा फेलोशिप दिया गया था, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2002-03 की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है;

(iv) परिषद् के कार्यकरण के संबंध में लम्बित अथवा प्राप्त हो सकने वाली अथवा मंत्रालय द्वारा भेजी जानी वाली शिकायतें/मुद्दों की जांच करना;

(v) यदि आवश्यक हो तो समीक्षाधीन किसी भी मामले पर लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकारों/शिक्षाविदों के साथ परामर्श करना; और

(vi) ऐसी सिफारिशें करना तथा उपचारी उपाय सुझाना जो परिषद् के कार्यकरण को सुधारने तथा इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो।

***विवरण***

*विशेष अनुसंधान परियोजनाओं की सूची*

1. एटलस ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन
2. आर्केलॉजिकल रिसर्च मैथडोलॉजी
3. ग्रीक सोर्सेज इन एन्सीएन्ट इंडिया
4. आर्केलॉजी एंड ट्रेडिशंस:ए स्टडी ऑफ इन्डो-यूरोपियन एंड इन्डो-आर्यन लैंग्वेजेज एंड आर्केलॉजी
5. ग्रोथ ऑफ सिटीज ड्यूरिंग द सेकंड अर्बनाईजेशन इन इंडिया 1000 बी.सी.—100 ए.डी.
6. द डॉक्यूमेन्टेशन ऑफ ब्रिटिश सैंसश पॉलिसी 1871-1941
7. पॉटरीज इन एंसिएन्ट एंड मिडिएवल इंडिया
8. हिस्टोरिकल एंड आर्केलॉजीकल वर्क्स ऑफ पारसीस/ जोराष्ट्रीयन रिलिजियस प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेन्स इन वेस्टर्न इंडिया (विथ स्पेशल रेफरेंस टू बारत केव)
9. सॅल्वेजिंग एंड कन्जर्विंग दी डैमेज्ड सोर्स मैटेरियल ऑफ हिस्ट्री एंड आर्केलॉजी इन गुजरात
10. इंडियन पैट्रोग्लिफ्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डेटिंग बाई इंटरनेशनल कमीशन
11. हिस्ट्री एंड आर्केलॉजी ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड:रोमन अरब एंड चाइनिज (200 बी.सी.—1200 ए.डी.)

**स्वायत्तशासी महाविद्यालय**

**2116. श्रीमती पी. सतीदेवी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की राज्यवार विश्वविद्यालयवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकारी संस्थानों को मिलने वाली सहायता में कटौती करके उन्हें स्वायत्तशासी संस्थानों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में इस समय 165 स्वायत्त कॉलेज हैं। इन कालेजों के राज्यवार और विश्वविद्यालय वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकारी कॉलेजों/संस्थाओं को स्वायत्त कॉलेजों/ संस्थाओं का दर्जा देने से उनके अनुदानों में कटौती नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप तो इससे उनकी निधियों में वृद्धि होती है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षकों के प्रबोधन और पुन: प्रबोधन, पाठ्यक्रमों की पुन: अभिकल्पना और शिक्षण/अधिगम सामग्री के विकास, परीक्षा सुधार, तथा उपकरणों, फर्नीचर, पुस्तकें और पत्रिकाएं आदि खरीदने के लिए एक स्वायत्त कॉलेज को प्रतिवर्ष 12.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

***विवरण***

*स्वायत्त कॉलेजों का राज्य-वार/विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | विश्वविद्यालय का नाम | स्वायत्त कालेजों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | (I) आन्ध्रा विश्वविद्यालय | 8 |
| | | (II) नागार्जुन विश्वविद्यालय | 4 |
| | | (III) उस्मानिया विश्वविद्यालय | 9 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | छत्तीसगढ़ | (I) | गुरू घासीदास विश्वविद्यालय | 4 |
| | | (II) | पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय | 7 |
| 3. | गुजरात | (I) | गुजरात विश्वविद्यालय | 1 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | (I) | हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय | 5 |
| 5. | कर्नाटक | (I) | बंगलौर विश्वविद्यालय | 5 |
| | | (II) | गुलबर्गा विश्वविद्यालय | 3 |
| 6. | मध्य प्रदेश | (I) | अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय | 4 |
| | | (II) | बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय | 2 |
| | | (III) | देवी अहिल्या विश्वविद्यालय | 6 |
| | | (IV) | डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय | 4 |
| | | (V) | जीवाजी विश्वविद्यालय | 3 |
| | | (VI) | रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय | 5 |
| | | (VII) | विक्रम विश्वविद्यालय | 1 |
| 7. | महाराष्ट्र | (I) | डा. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय | 1 |
| | | (II) | पुणे विश्वविद्यालय | 1 |
| | | (III) | शिवाजी विश्वविद्यालय | 1 |
| | | (IV) | एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय | 1 |
| 8. | उड़ीसा | (I) | ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय | 4 |
| | | (II) | संबलपुर विश्वविद्यालय | 5 |
| | | (III) | उत्कल विश्वविद्यालय | 9 |
| | | (IV) | उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय | 1 |
| 9. | पांडिचेरी | (I) | पांडिचेरी विश्वविद्यालय | 1 |
| 10. | तमिलनाडु | (I) | भारतियार विश्वविद्यालय | 16 |
| | | (II) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 16 |
| | | (III) | मद्रास विश्वविद्यालय | 18 |
| | | (IV) | मदुरै कामराज विश्वविद्यालय | 10 |
| | | (V) | मनोनमणियम सुन्दरनर विश्वविद्यालय | 2 |
| | | (VI) | पेरियार विश्वविद्यालय | 2 |
| | | (VII) | मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय | 2 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | (I) | इलाहाबाद विश्वविद्यालय | 1 |
| | | (II) | कानपुर विश्वविद्यालय | 1 |
| | | (III) | पूर्वांचल विश्वविद्यालय | 2 |

*[अनुवाद]*

**मध्याह्न भोजन योजना**

**2117. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
**श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव:**
**श्री प्रभुनाथ सिंह:**
**श्री ए.के. मूर्ति:**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों की संख्या कितनी है जहां उचित कैलोरी, प्रोटीन तथा फैट सहित मध्याह्न भोजन योजना क्रियान्वित की गई है;

(ख) अच्छी स्थिति में चल रहे स्कूलों की संख्या कितनी है जिनमें खाना पकाने हेतु उपयुक्त रसोई सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) भोजन पकाए जाने के स्थान पर पके पकाए भोजन/खाने के लिए तैयार भोजन हेतु सरकार द्वारा आयोजना नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) कुल मिलाकर, पके पकाए मध्याह्न भोजन के, जब उसे स्वच्छता, पौष्टिकता और विविधता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, पहले से पके/खाने के लिए तैयार भोजन की तुलना में विशिष्ट लाभ हैं।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान**

**2118. श्रीमती किरण माहेश्वरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से जिलों में इन मकानों के बनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन मकानों के निर्माण को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षेत्र) में कुछ सरकारी आवासों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कर दिया गया है। इस संबंध में अनेक परियोजनाएं प्रक्रिया भी विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय राजधानी/संघ राज्य दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य भागों में आवास स्टॉक बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**शहरों की स्थिति**

**2119. श्री उदय सिंह:**
**श्री अधीर चौधरी:**

**क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के शहरों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यकता से अधिक जनसंख्या, शहर की कम उत्पादनशीलता, अनियंत्रित प्रवासन, मलिन बस्तियों और पर्यावरणीय प्रदूषण के बढ़ते जाने से, इन शहरों की स्थिति दयनीय है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शहरों को ऐसी अव्यवस्था से बचाने के लिए उठाये गये कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) सरकार को शहरों की अवस्थापना समस्याओं की जानकारी है।

(ख) आबादी में वृद्धि के कारण अवस्थापना/बिजली जल आपूर्ति, सफाई, यातायात परिवहन तथा आवास जैसी सुविधाओं पर दबाव पड़ा है। अवस्थापना सुविधाओं को केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के जरिए बढ़ाया जाता है।

(ग) शहरी क्षेत्रों की अपर्याप्त अवस्थापना समस्याओं को निपटाने के लिए यह मंत्रालय छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास, मेगा शहरों का अवस्थापना विकास और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम जैसी केन्द्र प्रायोजित स्कीमें चलाता है इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपायों के जरिए अवस्थापना को और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है:—

- शहरी अवस्थापना विकास और जल आपूर्ति तथा सफाई के लिए नई स्कीमें शुरू करना जो सभी कस्बों तथा शहरों पर लागू होंगी।

- शहरी स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधार।
- अवस्थापना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पूंजी बाजार में पहुंच बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की साख परकता को सुधारना।
- नगरपालिकाओं में ई गवर्नेन्स।

*[हिन्दी]*

**भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विक्रय केन्द्र/डिपो का स्थानांतरण**

2120. **श्री रामसेवक सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विक्रय केन्द्र और डिपो को ग्वालियर से इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ग्वालियर से इस केन्द्र को इन तथ्यों के मद्देनजर चलने देने पर विचार कर रही है कि वर्ष 1998 में इस केन्द्र के आरम्भ से अब तक विभाग ने इसके अच्छे कार्यकरण के लिए पुरस्कार प्रदान किये हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र के उद्यमियों को इस विक्रय केन्द्र और डिपो के स्थानांतरण के कारण बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) सेल ने ग्वालियर स्थित अपने स्टाकयार्ड (डिपो) का प्रचालन इस क्षेत्र के ग्राहकों की सेवा के लिए जारी रखा है। तथापि, प्रचालन लागत को कम करने की दृष्टि से ग्वालियर स्थित शाखा बिक्री कार्यालय (बी.एस.ओ.) को दिसंबर, 2002 में ग्राहक संपर्क कार्यालय (सी.सी.ओ.) में परिवर्तित कर दिया गया और ग्वालियर शाखा के कार्यों का बी.एस.ओ., इंदौर में विलय कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्वालियर सी.सी.ओ. और स्टाकयार्ड इस क्षेत्र के ग्राहकों को सेवाएं मुहैया कर रहे हैं।

(ग) वर्तमान में सेल की ग्वालियर सी.सी.ओ. और स्टाकयार्ड को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**विश्व बैंक द्वारा गरीबी उपशमन योजनाओं के लिए ऋण**

2121. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में गरीबी उपशमन योजनाओं के लिए कोई ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में उक्त ऋण से चल रही योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जहां तक शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, विश्व बैंक ने कर्नाटक सहित पूरे देश में गरीबी उपशमन स्कीमों के लिए कोई ऋण नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आपदाएं**

2122. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैविक अथवा रासायनिक दुर्घटनाओं से उत्पन्न आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (नेशनल एमरजेंसी रेसपॉंस फोर्स) गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अर्द्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य पुलिस के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा और राज्यों को भी उपकरणों की खरीद के लिए आपदा राहत कोष में किये गये वार्षिक आवंटन से 10 प्रतिशत राशि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) नाभिकीय, जैविक और रासायनिक आकस्मिक संकट का मुकाबला करने के लिए चार बटालियनों सहित प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं का विशेष रूप से मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की वर्तमान संख्या में से आठ बटालियनों को अलग करके प्रशिक्षित करने तथा साजो-सामान से लैस करने का प्रस्ताव शुरू किया गया है।

(ख) इस समय नाभिकीय, जैविक और रासायनिक आकस्मिक संकट का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षिकों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वार्षिक आपदा राहत कोष आवंटन का 10 प्रतिशत, खोज और बचाव कार्य तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए संचार उपस्कर के प्रापण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

**विद्युत सुधारों के लिए विश्व बैंक की सहायता**

**2123. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश को देश में विद्युत सुधारों के लिए विश्व बैंक से कुल कितने करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई;

(ख) इस सहायता के नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) इस सहायता से विद्युत इकाइयों में कितनी विद्युत बढ़ गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व बैंक को देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की गति को और तीव्र करने के लिए कितनी राशि के सहायता पैकेज को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा वर्षवार रूप से किए गए संवितरण का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|
| 503.75 | 707.62 | 566.86 |

(ख) राज्यों को केन्द्र सरकार ने अपनी सहायता 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की है।

(ग) ये ऋण राज्यों में विद्युत क्षेत्र के सुधार एवं पुनर्गठन के लिए दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत तकनीकी हानियों में कमी तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से पारेषण एवं वितरण प्रणाली में निवेश के लिए निधि मुहैया कराई जाती है तथा सहायता का संवितरण राज्य विद्युत यूटिलिटियों के पृथक्करण तथा बेहतर वित्तीय निष्पादन के लिए पूर्व-निर्धारित सुधार मानदंडों पर आधारित है।

(घ) देश में विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के लिए विश्व बैंक के समक्ष जल विद्युत परियोजनाएं रखी गई हैं। इसके अलावा पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ पारेषण परियोजनाएं भी विश्व बैंक के सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं।

**महिलाओं और बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा**

**2124. श्रीमती मिनाती सेन:**
**श्री सनत कुमार मंडल:**
**श्री गिरधारी लाल भार्गव:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनाथों, विधवाओं और अत्याचार की शिकार महिलाओं तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा को रोकने हेतु योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राज्यों के लिए राज्यवार और योजनावार कितनी धनराशि का संवितरण किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से कितने अनाथ और विधवाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ङ) क्या महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और अपराध के विरोध में विधान बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है, जैसा कि राष्ट्रीय महिला संगठनों ने मांग की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) सरकार स्वाधार, अल्पावास गृह, महिला हैल्पलाइन्ज और परिवार परामर्श केन्द्र स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है।

इन स्कीमों का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदानों तथा लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला ब्योरा विवरण-II और III के रूप में संलग्न है।

(ङ) घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक 2002 का प्रारूप तैयार किया गया है तथा इसे संसद में पेश करने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस पर कार्यवाही की जा रही

है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर पृथक् कानून बनाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) घरेलू हिंसा के संरक्षण विधेयक, 2002 (जो 13वीं लोकसभा के समक्ष लंबित था तथा तद्नंतर संसद भंग होने पर समाप्त हो गया था) के उपबन्धों की पुन: जांच करने के पश्चात् तथा इस विधेयक पर संसदीय स्थायी समिति की 124वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके इस विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार किया है।

*विवरण-I*

*महिला एवं बाल विकास विभाग*

**स्वाधार**

स्वाधार स्कीम का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाली विभिन्न महिला समूहों की कठिनाइयों को गृह-आधारित समग्र और समेकित दृष्टिकोण के माध्यम से दूर करना है।

- कठिन परिस्थितियों में रह रही ऐसी सीमान्त महिलाओं/लड़कियों, जिन्हें कोई सामाजिक तथा आर्थिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है, की आश्रय, भोजन, वस्त्र तथा देखभाल की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना;
- ऐसी महिलाओं को भावनात्मक समर्थन तथा परामर्श प्रदान करना;
- शिक्षा, जागरूकता कौशल उन्नयन तथा व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के जरिए उनका सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पुनर्वास करना;
- सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत अन्य संगठनों के साथ सम्पर्क एवं नेटवर्किंग द्वारा ऐसी महिलाओं/लड़कियों के लिए विशिष्ट चिकित्सीय, कानूनी तथा अन्य सहायता का प्रबन्ध करना, जिन्हें इन महिलाओं की आवश्यकता है;
- विपत्तिग्रस्त ऐसी महिलाओं के लिए हैल्पलाइन्स अथवा अन्य सुविधाएं प्रदान करना;
- विपत्तिग्रस्त ऐसी महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास के लिए यथोचित अन्य सेवाएं प्रदान करना।

**अल्पावास गृह**

अल्पावास गृह नीचे दिए गए अनेक कारणों से ऐसी महिलाओं को जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता है, सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- जिन्हें वेश्यावृत्ति में जबरन धकेला जा रहा है।
- जिन्हें परिवार में तनाव अथवा झगड़े के कारण अपने घरों को छोड़ना पड़ता है तथा जिनके पास जीवन निर्वाह एवं सामाजिक सुरक्षा का कोई साधन नहीं है अथवा जो वैवाहिक विवादों के कारण मुकद्दमे लड़ रही हैं।
- ऐसी महिलाओं को, जो यौन प्रहार की शिकार हैं तथा परिवार अथवा समाज में पुन: स्थापित होने की समस्या का सामना कर रही हैं।
- मानसिक असमंजन, भावनात्मक उथल-पुथल तथा समाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाएं।

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय**

**सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता हेतु सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता हेतु सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम के अंतर्गत वृन्दावन, मथुरा की विधवाओं, अन्य विधवाओं, अनाथों, विकलांगों, वृद्ध व्यक्तियों तथा जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की।

(लाख रुपये)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|---|
| गिल्ड ऑफ सर्विस, नई दिल्ली, (वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में परियोजना) | 15.60 | 12.69 | 13.63 | 7.11 |
| विधवाओं, अनाथों, विकलांगों, वृद्ध व्यक्तियों, तथा आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु परिषद, समाज कल्याण विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार, कश्मीर | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 |

30.11.2004 तक

*विवरण-II*

*विगत तीन वर्षों के दौरान स्वाधार स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को निर्मुक्त अनुदानों तथा चालू वर्ष में आज तक निर्मुक्त अनुदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | निर्मुक्त राशि | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | — | 32.83 | — | 5.10 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | | — | |
| 3. | असम | — | | — | |
| 4. | बिहार | — | | — | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | — | | — | |
| 6. | गोवा | — | | — | |
| 7. | गुजरात | — | 95.50 | 16.69 | |
| 8. | हरियाणा | — | 7.90 | 12.88 | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | — | | — | |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | — | 7.65 | — | |
| 11. | झारखंड | — | | — | |
| 12. | कर्नाटक | — | 19.70 | 15.09 | 49.73 |
| 13. | केरल | — | | — | |
| 14. | मध्य प्रदेश | — | | — | |
| 15. | महाराष्ट्र | — | 50.00 | — | |
| 16. | मणिपुर | — | | 5.10 | |
| 17. | मेघालय | — | | — | |
| 18. | मिजोरम | — | | 5.10 | |
| 19. | नागालैंड | — | | — | |
| 20. | उड़ीसा | — | | 4.35 | 19.35 |
| 21. | पंजाब | — | | — | |
| 22. | राजस्थान | — | 3.99 | 4.58 | |
| 23. | सिक्किम | — | | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | तमिलनाडु | — | 29.35 | — | 4.60 |
| 25. | त्रिपुरा | — | | — | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 8.13 | 82.87 | — | 10.68 |
| 27. | उत्तरांचल | — | | 1.21 | |
| 28. | पश्चिम बंगाल | — | 4.23 | 11.66 | 0.56 |
| 29. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | — | | — | |
| 30. | चण्डीगढ़ | — | | — | |
| 31. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली | — | 6.70 | 3.25 | 16.79 |
| 32. | दादर व नागर हवेली | — | | — | |
| 33. | दमन एवं दीव | — | | — | |
| 34. | लक्षद्वीप | — | | — | |
| 35. | पांडिचेरी | — | | — | |
| 36. | केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली | | 63.52 | 30.56 | |
| कुल | | 8.13 | 404.24 | 110.47 | 106.81 |
| लाभार्थियों की कुल संख्या | | 150 | 2863 | 475 | 575 |

इसमें 120 बच्चे शामिल हैं।

*विवरण-III*

*विगत तीन वर्षों के दौरान अल्पावास गृह स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को निर्मुक्त अनुदानों तथा चालू वर्ष 2004-2005 में आज तक निर्मुक्त अनुदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | राज्य के नाम | निर्मुक्त राशि | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 आज तक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 82.39 | 176.22 | 128.31 | 72.12 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.91 | 7.00 | 10.60 | 6.46 |
| 3. | असम | 30.05 | 37.72 | 44.29 | 20.68 |
| 4. | बिहार | 67.35 | 124.25 | 76.55 | 47.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 4.91 | 0 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 19.29 | 20.06 | 15.57 | 13.77 |
| 8. | हरियाणा | 9.16 | 7.20 | 9.28 | 7.76 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3.32 | 2.33 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 5.47 | 6.94 | 7.52 | 0 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 23.54 | 9.05 |
| 12. | कर्नाटक | 72.35 | 65.00 | 82.88 | 55.28 |
| 13. | केरल | 17.82 | 23.00 | 17.40 | 16.63 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 47.74 | 75.43 | 95.01 | 50.02 |
| 15. | महाराष्ट्र | 79.75 | 126.60 | 146.87 | 81.07 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 20.25 | 39.29 | 21.65 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 1.87 | 4.42 | 2.59 |
| 19. | नागालैंड | 2.54 | 2.33 | 4.42 | 2.59 |
| 20. | उड़ीसा | 120.24 | 153.84 | 149.88 | 73.66 |
| 21. | पंजाब | 12.88 | 9.33 | 8.91 | 6.80 |
| 22. | राजस्थान | 26.18 | 45.57 | 36.39 | 22.59 |
| 23. | सिक्किम | 1.84 | 2.33 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 62.91 | 90.12 | 179.84 | 131.75 |
| 25. | त्रिपुरा | 13.33 | 18.54 | 25.52 | 7.76 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 88.43 | 161.57 | 138.41 | 92.10 |
| 27. | उत्तरांचल | 0 | 0 | 24.99 | 14.22 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 113.13 | 115.29 | 135.51 | 72.35 |
| 29. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 0 | 3.77 | 3.88 | 4.08 |
| 31. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली | 8.38 | 12.76 | 15.33 | 12.85 |
| 32. | दादर एवं नागर हवेली | 4.62 | 4.56 | 4.75 | 3.88 |
| 33. | दमन एवं दीव | 3.33 | 3.50 | 2.45 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 12.17 | 8.42 | 8.49 | 7.76 |
| कुल | | 909.58 | 1325.8 | 1445.21 | 857.32 |

## ट्राइफेड

2125. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर जम्मू और कश्मीर में चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) द्वारा आरंभ किये जाने वाले कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने जनजातीय लोगों को उनके उत्पादों के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) और (ग) जी हां। ट्राइफेड ने जनजातीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की ट्राइब्स दुकान के माध्यम से बिक्री की है। बिक्री के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए है:—

| वित्तीय वर्ष | की गयी बिक्री (लाख रुपये में) |
|---|---|
| 2001-2002 | 24.21 |
| 2002-2003 | 27.59 |
| 2003-2004 | 39.75 |

तथापि, राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) जैसा कि ऊपर पहले ही कहा गया है, नए उपनियमों के अनुसार ट्राइफेड अपना ध्यान प्रत्यक्ष व्यापार से हटाकर विपणन विकास पर केन्द्रित कर चुका है। फिर भी, ट्राइफेड के जनजातीय विकास सहकारी निगमों और वन विकास निगमों जैसे राज्य स्तरीय सदस्य संगठनों के माध्यम से उनके अधिदेश के अनुरूप प्रापण के क्रियाकलाप जारी हैं, जिनसे जनजातीय लोगों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

*विवरण*

ट्राइफेड के उपनियमों के अनुसार ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यों को व्यावसायिक, लोकतांत्रिक और स्वायत पद्धति से जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास हेतु एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए उनके हितों को स्व-सहायता और परस्पर सहयोग के माध्यम से पूरा करना है।

जम्मू एवं कश्मीर की जनजातियों के उत्थान में संलग्न राज्य सरकार संगठनों ने ट्राइफेड का सदस्य बनने के लिए ट्राइफेड से संपर्क किया, न ही उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर की जनजातियों के उत्थान से संबंधित कोई परियोजना ही प्रस्तुत किया है। तथापि, ट्राइफेड ने लद्दाख के कलाकारों की हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन के लिए पहल किया है। तदनुसार, उस क्षेत्र के चार कलाकारों को हस्तशिल्प के आपूर्तिकर्ता के रूप में नामिका में शामिल किया गया है।

ट्राइफेड द्वारा जनजातियों के लिए विभिन्न राज्यों में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किए जा रहे विकासात्मक गतिविधियों के ब्यौरे, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है, इस प्रकार है:

I. असम, गुजरात, कर्नाटक, एवं पश्चिम बंगाल में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना—

13 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक हस्तशिल्प विकास परियोजना बनायी गयी थी और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी थी। इसके पीछे यह विचार था कि उन राज्यों में जनजातियों का आत्मनिर्भर हस्तशिल्प समूह बनाए जाए जिससे ट्राइफेड एवं उसके सहयोगी संगठनों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण एवं अन्यों के माध्यम से उनके द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सामग्री को बाजार में स्थान मिलें और इस प्रकार कला/शिल्प कार्यों से जनजातीयों को अतिरिक्त रोजगार मिले। उपर्युक्त 4 राज्यों में से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने केवल 4 राज्यों असम, गुजरात, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में ट्राइफेड के हस्तक्षेप पर विचार किया। ट्राइफेड ने परिणामस्वरूप हस्तशिल्प कलाकारों के चयन के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया, उन्हें स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया और उन समूहों का बैंक में खाता खुलवाया। परिणामस्वरूप उपर्युक्त 4 राज्यों में 225 स्वयं सहायता समूह बनाए गए जिसमें 2756 जनजातीय कलाशिल्पी शामिल है। स्वयं सहायता समूह मितव्ययिता एवं साख का कार्य कर रहे हैं और उन्हें हस्तशिल्प क्रियाकलापों की ओर उन्मुख किया जा रहा है जिससे वे इसे अपने पेशे के रूप में अपना सकें। अब स्वयं सहायता

समूह के सदस्यों द्वारा कौशल उन्नयन और अभिकल्पना विकास के माध्यम से हस्तक्षेप के दूसरे चरण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

II. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की वित्तीय सहायता के अन्तर्गत जगदलपुर में सफेद मूसली और आंवला (मिश्रित खेती) की खेती एवं विपणन के रूप में औषधीय पौधों के विकास की प्रदर्शनात्मक परियोजना के साकार रूप दिया गया। 20 क्विंटल सफेद मूसली का प्रापण किया गया और उसे 4 एकड़ क्षेत्र में बोया गया। इस खेती से 100 क्विंटल उपज की आशा है। वहां तैनात ट्राइफेड के कर्मचारियों के माध्यम से देखरेख एवं विकास की निगरानी के क्रियाकलाप लगातार जारी है। सफेद मूसली की फसल अच्छी हुई है और वह फरवरी, 2005 में लावनी के लिए तैयार हो जाएगी। इस फसल के कुछ नमूने 2004 में नई दिल्ली के आरोग्य मेले में प्रदर्शित किए गए जिसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे है। इस परियोजना में आदिवासियों को खेती, फसल के लावनी-पूर्व एवं लावनी के उपरान्त प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रकार आसपास के जनजातीय क्षेत्रों तथा समान कृषि जलवायु वाले अन्य राज्यों में भी इसी कृषि प्रथा का प्रसार किया जाएगा।

III. छत्तीसगढ़ के नरायणपुर जिले के स्वयंसेवी समूहों की दो जनजातीय महिलाओं को कच्ची पहाड़ी घास से झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण दिया गया जिससे जनजातीय महिलाओं द्वारा वांछित कौशल एवं दक्षता हासिल करने के माध्यम से पहाड़ी घास को विपणन योग्य गुणवत्ता प्रदान की जा सके। इसके लिए दिल्ली के बाजार से नरायणपुर में एक प्रशिक्षक भेजा गया जिसने प्रशिक्षण दिया। कच्चे माल के रूप में छत्तीसगढ़ के अभुजमारह क्षेत्र की एक समिति से लगभग 240 क्विंटल पहाड़ी घास खरीदी गयी। अब तक जनजातीय महिलाओं द्वारा 21,000 झाड़ू बनाए जा चुके है जिसका विपणन ट्राइफेड द्वारा किया जा रहा है।

IV. ट्राइफेड ने वनों एवं वनों के आसपास रहने वाले जनजातियों के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी के माध्यम से आय एवं रोजगार सृजन के लिए आई.आई.टी. खड़गपुर के सहयोग से एक परियोजना शुरू की है। इसके लिए साल, सिमकी एवं वन्य पत्तों से दोना-पत्तल बनाने के लिए आई.आई.टी. खड़गपुर ने एक गैर विद्युतीय मशीन विकसित की है। ये मशीनें जो पौधों के सूखे भागों, टहनियों पत्तियों रेशों इत्यादि जैसे बायोमास से चलती है, जनजातियों द्वारा अपने घर पर रहकर ही चलायी जा सकती है जहां बिजली नहीं होती या बिजली की कमी होती है।

ट्राइफेड के पास आई.आई.टी. और ट्राइफेड के रिसोर्स व्यक्ति के माध्यम से इस मशीनों को चलाने के लिए पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में 213 प्रशिक्षित जनजातीय लोग है। इसके अलावा झारखंड राज्य में इस मशीन के प्रचालन का प्रदर्शन पर्यावरण मेलों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से किया गया है। अब तक ट्राइफेड द्वारा 44 मशीनें खरीदी गई हैं और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात, राज्यों में जनजातियों को वितरित की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसी मशीनों की तैनाती पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

V. जगदलपुर में ट्राइफेड के औद्योगिक परिसर में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना पर कार्य चल रहा है जहां देश की जनजातियों को लघु वन उत्पादों के वैज्ञानिक संग्रहण, पूर्व एवं उत्तर फसल प्रबंधन, भंडारण, पैकेजिंग, मूल्यवर्धन और विपणन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

IV. घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के माध्यम से बड़े बाजारों में जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली में आई.टी.डी.सी. और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के सहयोग से एक शुल्क मुक्त हस्तशिल्प दुकान की स्थापना की गई है।

VII. देश की जनजातियों की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और उनके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक/आर्गेनिक उत्पादों के प्रदर्शन और विकास हेतु ट्राइफेड द्वारा 9, महादेव रोड, नई दिल्ली में जनजातीय उत्पादों की एक विशिष्ट दुकान ट्राइब्स शाप चलाई जा रही है।

VIII. ट्राइफेड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर एण्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी 9 एण्ड 10, सिक्का काम्पलेक्स, प्रीत विहार, दिल्ली से चला रहा है जो जनजातीय उत्पादों की जांच, उनके गुणवत्ता मानकीकरण, विकास, भंडारण मानदण्ड आदि के कार्य में लगी है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला प्रयोगों, प्रयुक्त/अनुकूली अनुसंधान के जरिए जनजातीय उत्पादों के नए उपयोग खोजने हेतु अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा उनके उपयोगों का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। विकसित जांच प्रणालियों और उपयोगों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का उन्नयन किया जा रहा है।

IX. ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों, उनके उपभोक्ता, क्रेता, विक्रेता, व्यापारियों, संसाधकों, सम्बद्ध विकासीय एजेंसियों की व्यापार निर्देशिका के प्रकाशन की प्रक्रिया में है ताकि जनजातीय उत्पादों का विपणन विकास हो सके। इस प्रयास में लगभग 16000 पते राज्यों से एकत्र किए गए है जिनका समेकन किया जा रहा है।

X. ट्राइफेड की बेवसाइट निर्माणाधीन है जिसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ताकि इसको एन.आई.सी.एस.आई., भारत सरकार द्वारा तैयार कराया जा सके।

XI. राज्यस्तरीय एवं प्राथमिक स्तरीय जनजातीय विकास निगम के अपने उत्पादों यथा मधु, सिकाकाई, रीठा, त्रिफला, रामपत्ता एवं अन्य लघु वन उत्पादों के विपणन के प्रयास को समर्थन देने के लिए ट्राइफेड ने क्रेता-विक्रेता बैठकों के तहत लैम्पस फेडरेशन के प्रतिनिधियों, सरकारी विभागों, क्रेताओं एवं उपभोक्ताओं तथा उद्योग कर्मियों के सहयोग से हितधारियों का समूह बनाने का प्रयास किया है। ऐसी ही एक गतिविधि हाल ही में बंगलौर में 19.11.2004 को संचालित की गयी है।

XII. जनजातियों के, विशेषतया महिलाएं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा/स्वास्थ्यकर भोजन के उत्पादन एवं वितरण हेतु एक परियोजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के स्वीकृति हेतु उन्हें प्रस्तुत की गयी है ताकि जनजातीय क्षेत्रों में भुखमरी से होने वाली मौतों एवं कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सके। प्रथम चरण में इस प्रकार की परियोजना झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

## सर्व शिक्षा अभियान

**2126. श्री सुकदेव पासवान:**
**श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री रघुनाथ झा:**
**श्री सुशील कुमार मोदी:**
**श्री मुन्शी राम:**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के शीघ्र कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त करने में पिछड़ रहे राज्यों को पत्र लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं और इनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ प्राप्त धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन राज्यों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि तक इस पत्राचार के पश्चात् राज्यों ने इस स्थिति में कितना सुधार किया है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ङ) जी, हां। झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्रियों का ध्यान, इन राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की धीमी गति, विशेष रूप से इन राज्यों में व्यय के निम्न स्तर तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या की ओर दिलाया है।

उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब राज्य सरकारों ने कहा है कि वे अपने निष्पादन में सुधार करेंगी। भारत सरकार के अधिकारी इन राज्यों में कार्यक्रम की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा तथा मानीटरिंग करते हैं।

## राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

**2127. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
**श्री राम सिंह कस्वां:**
**श्री सीताराम सिंह:**

**क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) में तकनीकी सदस्य और लागत सदस्य के पद समाप्त कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त पदों के न होने पर, राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने अधिसूचित मानदंड कार्यान्वित किए हैं और इस प्रकार दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य बढ़ गए हैं;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) के कार्यकरण की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ङ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें भारत सरकार के सचिव स्तर के एक अध्यक्ष, भेषजों, अर्थशास्त्र और कॉस्ट एकाउटेन्सी के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सदस्य तथा भारत

सरकार के संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर के सदस्य-सचिव शामिल हैं। सरकार द्वारा नियुक्त तीन पदेन सदस्यों के माध्यम से एन.पी.पी.ए. द्वारा कॉस्टिंग, भेषज और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की जाती है:—

1. अपर मुख्य सलाहकार (कॉस्ट), व्यय विभाग
2. भारत का औषध महानियंत्रक, स्वास्थ्य मंत्रालय
3. आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत एन.पी.पी.ए. ने परिवर्तन लागत, पैकिंग प्रभारों और प्रसंस्करण हानि के लिए 11 अगस्त, 2004 को और पैकिंग सामग्री मानदंडों के लिए 19 अगस्त, 2004 को मानदंड अधिसूचित किए हैं।

**जनजातियों का उत्थान**

**2128. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय लोगों के बीच कार्यरत कई गैर सरकारी संगठनों ने सरकार से देश के अधिकांश भागों से समैकित जनजातीय विकास परियोजनाओं वाले क्षेत्रों के सभी जनजातीय लोगों को गारन्टीड संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) जनजाति कार्य मंत्रालय सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पहले ही केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित अनेक योजनाओं/ कार्यक्रमों को कार्यन्वित कर रहा है। मंत्रालय की यह योजनाएं सभी जनजातियों की आय और रोजगार सृजन, अवस्थापना विकास, शैक्षिक विकास और साक्षरता में सुधार से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं जनजाति कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छित प्रयासों को बढ़ावा देने के अलावा जनजातियों को लघु वन उत्पाद के उचित मूल्य और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने से संबंधित है। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यन्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। जनजाति कल्याण के प्रभारी विभागों को निधियां नियुक्त की जाती है और उनसे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि यह निधियां लाभार्थियों तक पहुंचे।

(ग) जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों से मंत्रालय को ऐसे कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

*अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम*

1. कोचिंग और सम्बद्ध योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान
2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
3. कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर
4. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को निवेश/मूल्य समर्थन
5. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान
6. ग्राम अन्न बैंक
7. आदिम जनजातीय समूहों का विकास
8. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन
9. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति बुक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की स्कीम
10. अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्कीम
11. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
12. अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य
13. जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
14. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान

**इस्पात संयंत्रों का उत्पादन/लाभ/घाटा**

**2129. श्री बसुदेव आचार्य:**
**श्रीमती निवेदिता माने:**

**क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों की जनशक्ति, उत्पादन, लाभ और घाटे का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादन की लागत प्रतिशतता के रूप में कच्चे माल, विद्युत, मूल्यह्रास, ब्याज और दिहाड़ी के योगदान का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र में ऊर्जा की खपत, उत्पादनशीलता, कोक की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र में कोक की मात्रा में राख कितने प्रतिशत थी;

(ङ) ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी, रूस, जापान और चीन जैसे अन्य देशों में कोक के उत्पादन, खपत, उत्पादनशीलता, राख की मात्रा, कोक की मात्रा और खपत की गयी विद्युत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(च) देश में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) सरकार निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण का प्रबोधन नहीं करती है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों की जनशक्ति, उत्पादन, लाभ और हानि का संयंत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उत्पादन की लागत और इसके घटकों से संबंधित सूचना वर्गीकृत सूचना है और इसे प्रकट करना संबंधित संगठनों के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान ऊर्जा खपत, उत्पादकता और कोक दर का संयंत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) राख प्रतिशत में 1 प्रतिशत के अंतर से कोक दर में सामान्यत: 2 प्रतिशत का परिवर्तन हो जाता है। तथापि, कोक दर धमन भट्टियों के प्रौद्योगिकीय स्तर, लौह अयस्क की गुणता, सिंटर पर भार का प्रतिशत, प्रचालनों की अनवरता आदि जैसे अनेक अन्य घटकों से भी प्रभावित होती है। अत: प्रत्येक संयंत्र में कोक दर के लिए राख प्रतिशतता को ही जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है।

(ङ) वर्ल्ड स्टील डायनेमिक्स से उपलब्ध सूचना के अनुसार यू.के., यू.एस.ए., जर्मनी, रूस, जापान और चीन में उत्पादन और खपत आदि निम्नानुसार हैं:

उत्पादन और खपत (मिलियन टन)

| देश | 2002 | | 2003 | |
|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन (अपरिष्कृत इस्पात) | खपत (परिसज्जित इस्पात) | उत्पादन (अपरिष्कृत इस्पात) | खपत (परिसज्जित इस्पात) |
| यू.के. | 11.7 | 12.8 | 13.3 | 12.9 |
| यू.एस.ए. | 91.6 | 103 | 90.4 | 100.5 |
| जर्मनी | 45 | 34.3 | 44.8 | 33.7 |
| रूस | 59.8 | 23.3 | 62.7 | 23.9 |
| जापान | 107.7 | 71.7 | 110.5 | 73.8 |
| चीन | 187.2 | 185.6 | 220.1 | 232.4 |

(च) सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(I) इस्पात उद्योग को लाइसेंसमुक्त करना और इसे सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटाना।

(II) कच्चे माल के नये ब्लॉक/खानें विकसित करना और मौजूदा खानों से वर्धित उत्पादन।

(III) समुचित सज्जीकरण द्वारा लौह अयस्क की गुणवत्ता में सुधार करना।

(IV) प्रचालनों को किफायती बनाकर प्रचालन दक्षता हासिल करना और जनशक्ति के दक्षता-स्तर में सुधार करना।

(V) आधुनिकीकरण और नवीनतम प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना।

(VI) स्वचालन के स्तरों में सुधार करना।

*विवरण-I*

| संयंत्र | 2002-2003 | | | 2003-2004 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जनशक्ति (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार) | उत्पादन (हजार टन) | लाभ (+) हानि (-) (करोड़ रुपए) | जनशक्ति (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार) | उत्पादन (हजार टन) | लाभ (+) हानि (-) (करोड़ रुपए) |
| भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) | 39070 | 3616 | 735 | 37585 | 4091 | 1932 |
| दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी.) | 17928 | 1585 | (-)247 | 16857 | 1612 | 81 |
| राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) | 24674 | 1527 | (-)593 | 23849 | 1575 | (-)109 |
| बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) | 37678 | 3358 | 311 | 36098 | 3450 | 1120 |
| मिश्र इस्पात संयंत्र (ए.एस.पी.) | 2855 | 99 | (-)180 | 2773 | 113 | (-)172 |
| सेलम इस्पात संयंत्र (एस.एस.पी.) | 1357 | 83 | (-)119 | 1351 | 85 | 2 |
| विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी.आई.एस.पी.) | 3020 | 84 | (-)136 | 2854 | 100 | (-)82 |
| इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी | 19471 | 288 | (-)182 | 16990 | 257 | 27 |
| विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी.) | 16894 | 3056 | 521 | 16755 | 3169 | 1547 |

*विवरण-II*

**धमन भट्ठी (बी.एफ.) उत्पादकता (टी./सी.यू.एम./दिन)**

| संयंत्र | 2002-2003 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) | 1.72 | 1.74 |
| दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी.) | 1.36 | 1.45 |
| राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) | 1.11 | 1.09 |
| बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) | 1.60 | 1.60 |
| इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी | 0.75 | 0.74 |
| विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी.) | 1.72 | 1.76 |

**ऊर्जा खपत (जी. कैल/टी.सी.एस.)**

| संयंत्र | 2002-2003 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) | 6.84 | 6.86 |
| दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी.) | 7.36 | 7.36 |
| राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) | 8.88 | 8.72 |
| बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) | 7.77 | 7.75 |
| इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी | 9.23 | 9.56 |
| विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी.) | 6.13 | 6.07 |

**कोक दर (किग्रा/टी.एच.एम.)**

| संयंत्र | 2002-2003 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) | 498 | 503 |
| दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी.) | 573 | 560 |
| राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) | 611 | 633 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) | 536 | 541 |
| इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी | 797 | 816 |
| विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी.) | 517 | 522 |

**केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी.)**

**2130. श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी.) के 12 केन्द्र होने के बावजूद, संस्थान युवाओं के बीच प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) सी.आई.पी.ई.टी. का वार्षिक बजट ब्यौरा क्या है;

(घ) सी.आई.पी.ई.टी. ने गत तीन वर्षों के दौरान; प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की शिक्षा के उन्नयन के लिए केन्द्रवार कितनी धनराशि खर्च की; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी का समाधान करने के लिए सी.आई.पी.ई.टी. का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान 30.27 करोड़ रुपए की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना और 3.38 करोड़ रुपए का गैर-योजना सहायता अनुदान सहित 34.92 करोड़ रुपए का प्लान बजट सिपेट को प्रदान किया गया है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि संस्थान द्वारा दिया गया प्रशिक्षण उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक हो। यह छात्रों को तकनीकी और प्रबंधकीय हैसियत में लाभकारी रोजगार दिलाने या अपना उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है।

*विवरण*

(रुपए लाख में)

| क्र.सं. | केन्द्र | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 55.00 | 20.00 | 28.00 |
| 2. | अमृतसर | 15.00 | 12.00 | 29.00 |
| 3. | भोपाल | 30.00 | 23.00 | — |
| 4. | भुवनेश्वर | 60.00 | 35.00 | 18.00 |
| 5. | चैन्नई | 60.00 | 38.00 | 97.50 |
| 6. | गुवाहाटी | — | 28.70 | 49.08 |
| 7. | हल्दिया | 100.00 | 40.00 | 80.50 |
| 8. | हाजीपुर | — | — | 0.60 |
| 9. | हैदराबाद | 45.00 | 36.00 | — |
| 10. | इम्फाल | — | — | — |
| 11. | लखनऊ | 20.00 | 50.00 | 17.00 |
| 12. | मैसूर | 45.00 | 34.00 | — |
| | योग | 430.00 | 588.00 | 761.43 |

*[हिन्दी]*

**निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ आई.एस.आई. की सांठ-गांठ**

**2131. श्री सीताराम सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की निजी सुरक्षा एजेंसियों की पड़ोसी देशों में आई.एस.आई. और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ सांठ-गांठ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी सुरक्षा एजेंसियां निजी सुरक्षा एजेंसियों और इन आतंकवादी गुटों की सांठ-गांठ को तोड़ने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन निजी सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ग) ऐसे कुछ उदाहरण है जिनमें निजी सुरक्षा एजेंसियों में कार्यरत कुछ व्यक्ति पाकिस्तान स्थित एजेंसियों के लिए जासूसी

करते हुए पाए गए। उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां ऐसे राष्ट्र-विरोधी तत्वों के विरुद्ध समुचित चौकसी रखती है।

(घ) निजी सुरक्षा गार्डों और निजी सुरक्षा एजेंसियों के विनियमन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए एक कानून सरकार के विचाराधीन हैं।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समेकित परिवहन प्रणाली**

**2132. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अक्तूबर, 2004 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समेकित परिवहन प्रणाली अपनाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में कौन-कौन से क्षेत्रों में समझौते किये?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 28.10.2004 को हुई 27वीं बैठक में रेल-सह-बस-परिवहन (आई.आर.बी.टी.) प्रणाली परियोजना पर कार्यसूची की मद के रूप में विचार विमर्श हुआ और परियोजना के कार्यान्वयन के पक्ष में मत व्यक्त किए गए।

**कृषि रसायनों का उत्पादन/निर्यात**

**2133. श्री सनत कुमार मंडल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कृषि रसायनों का उत्पादन कितना है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कृषि-रसायनों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि-रसायनों के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो देश के कृषि-रसायनों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि-रसायनों के उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कृषि-रसायनों का निर्यात 2000-01 में 1215 करोड़ रुपए से बढ़कर 2001-02 में 1356 करोड़ रुपए और आगे 2002-03 में 1487 करोड़ रुपए हो गया। प्रपुंज उत्पादन और निर्यात निजी क्षेत्र में है। तथापि, निर्यात में जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है उससे वृद्धि होने की आशा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

*कृषि रसायनों के उत्पादन*

(आंकड़े 000 मीट.ट. में)

| क्र.सं. | पेस्टिसाइड्स | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | अप्रैल-सित.,03 | अप्रैल-सित..04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | कीटनाशी | 70.10 | 69.60 | 59.50 | 53.70 | 54.00 | 31.60 | 29.87 |
| 2. | फफूंदनाशी | 12.54 | 12.14 | 13.58 | 12.60 | 19.30 | 8.48 | 10.40 |
| 3. | खरपतवारनाशी | 2.00 | 1.50 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.28 | 0.27 |
| 4. | अपतृणनाशी | 8.00 | 5.87 | 5.50 | 3.30 | 5.00 | 2.34 | 2.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | कृन्तकनाशी | 2.30 | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 1.40 | 0.88 | 0.97 |
| 6. | फ्युमिगेन्ट्स | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| | योग | 95.14 | 92.37 | 81.82 | 72.20 | 80.30 | 43.62 | 44.40 |

**लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत कर्नाटक द्वारा धनराशि का उपयोग**

**2134. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) तथा फुटपाथ पर रहने वालों के लिए आश्रय स्थल तथा स्वच्छता के क्रियान्वयन हेतु आबंटित धनराशि में से कर्नाटक सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना की योजना-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या अपेक्षित धनराशि की स्वीकृति के बावजूद भी कर्नाटक सरकार समय-सीमा में धनराशि का उपयोग करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो समय-सीमा में धनराशि का उपयोग नहीं कर पाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक सरकार को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त/अनुदेश जारी किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**आवासीय संपत्तियों पर दंड**

**2135. श्री गुरूदास कामत: क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी आवासीय सम्पत्तियों पर लगाया गया दंड केन्द्रीय संपत्ति मूल्य से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दंड प्रभारित करने के लिए कोई मानदंड हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचना दी है कि वह सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी रिहायशी संपत्तियों पर पैनल्टी/दुरूपयोग प्रभार लगाता है। दुरूपयोग प्रभार की मात्रा प्लाटों की स्थिति, दुरूपयोग वाले क्षेत्र, दुरूपयोग में बने रहने की अवधि, आबंटन के समय भूमि की दर और संबंधित क्षेत्र में चालू दरों के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

**बन्दूक विनिर्माण करने वाले एकक**

**2136. श्री राजाराम पाल:**
**श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बन्दूक विनिर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक कारखाने में वार्षिक विनिर्मित बन्दूकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मुंगेर में पर्याप्त कामगारों तथा एककों की सर्वाधिक संख्या के बावजूद भी मुंगेर एकक में विनिर्मित बन्दूकों की संख्या समानुपातिक रूप से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार मुंगेर बन्दूक कारखाने की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र में बंदूक निर्माण करने वाली इकाईयां केवल

रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक इकाई द्वारा विनिर्मित शस्त्रों की राज्य-वार संख्या निम्न प्रकार है:—

| इकाई का नाम | राज्य | विनिर्मित शस्त्रों की संख्या |
|---|---|---|
| भारत डायनमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद | आन्ध्र प्रदेश | 9000 |
| राइफल फैक्टरी, ईशापुर | पश्चिम बंगाल | 105057 |
| गन एंड शैल फैक्टरी, कासीपुर | पश्चिम बंगाल | 5250 |
| स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर | उत्तर प्रदेश | 34600 |
| आर्डिनेन्स फैक्टरी, त्रिची | तमिलनाडु | 42570 |
| गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर | मध्य प्रदेश | 1857 |

(ग) मुंघेर यूनिट नाम से गन का विनिर्माण करने वाली कोई भी लाइसेंस शुदा इकाई नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) मुंघेर गन फैक्टरी नाम से गन का विनिर्माण करने वाली कोई भी लाइसेंस शुदा इकाई नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

*[हिन्दी]*

**केन्द्रीय विद्यालयों में तरणताल का निर्माण**

**2137. श्री सज्जन कुमार:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तैराकी को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा चलाए जा रहे दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालय परिसरों में "तरणतालों" का निर्माण किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकारी भूमि पर बने "तरणताल" ठेकेदारों को भारी मात्रा में उपयोगिता प्रभार देकर बाहरी लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा विद्यालयों के छात्रों को भी प्रभार देना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय परिसरों में सरकारी भूमि पर बनाए गए तरणताल वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बनाए गए थे;

(घ) यदि नहीं, तो बाहरी लोगों द्वारा तरणताल उपयोग में लाए जाने के क्या कारण हैं तथा विद्यार्थियों से भी प्रभार लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्पूर्ण प्रकरण के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन तरणतालों का निर्माण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परिसर में "निर्माण, संचालन तथा हस्तांतरण" के आधार पर निजी निकायों द्वारा किया गया है। छात्रों को स्कूल समय के दौरान ये निकाय सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराते हैं तथापि, स्कूल समय के बाद ये सुविधाएं रियायत दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। चूंकि इन तरणतालों का निर्माण निजी निकायों ने अपने संसाधनों से किया है इसलिए स्कूल समय के बाद उन्हें व्यावसायिक दर पर साधारण लोगों के लिए उपयोग की अनुमति दी जाती है।

(ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा एवं केन्द्रीय राजस्व को इस मामले में लेखा परीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

**अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण**

**2138. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:** क्या जनजातीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के 50-50 अंशदान से 1024 लाख रुपये की लागत वाले 145 छात्रावासों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या राजीव गांधी खाद्यान्न मिशन के अन्तर्गत अनाज बैंक योजना के अन्तर्गत 687.72 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदन के लिए लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार को 145 छात्रावासों के निर्माण के लिए 1624 लाख रुपए केन्द्र के हिस्से के रूप में स्वीकृत किए गए। राज्य सरकार को अब तक वर्ष 2002-03 में 600 लाख रुपए पहली किश्त और वर्ष 2004-05 में दूसरी किश्त के रूप में 300 लाख रुपए निर्मुक्त कर दिए गए हैं। शेष राशि अगले वर्ष निर्मुक्त की जाएगी।

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्ताव अपूर्ण था क्योंकि इसके साथ पिछले वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने की राय दी गई है।

*[अनुवाद]*

**पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित परिवारों के दावे**

**2139. चौधरी लाल सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) से विस्थापित परिवारों के लम्बे समय से लम्बित दावों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार निपटाए गए/लम्बित पड़े दावों की संख्या क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार के पास दर्ज कुल 6051 आवेदनों में से आज की तारीख तक 4588 आवेदन सत्यापित कर लिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसे 1570 पात्र परिवारों, को अभी तक सहायता प्रदान की गई है।

(ग) जम्मू और कश्मीर की सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को राहत/पुनर्वास सहायता पर व्यय करना होता है और उसके बाद उसकी प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से दावा करना होता है। राहत उपायों के कार्यान्वयन का प्रबोधन डिविजनल आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जा रहा है। इस समिति में दो सदस्य गृह मंत्रालय से हैं। भारत सरकार ने सत्यापित और पात्र परिवारों में संवितरण हेतु मार्च 2004 तक जम्मू और कश्मीर सरकार को 6.17 करोड़ रु. की राशि मंजूर की है।

**'उल्फा चीफ' के साथ बातचीत**

**2140. श्री राजेन्द्र कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुश्री गोस्वामी से 'उल्फा चीफ' के साथ बातचीत हुई कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) सरकार को प्रोफेसर इन्दिरा गोस्वामी से युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ "शांति वार्ता" करने की अपील प्राप्त हुई है।

(ख) इस अपील में बिना किसी पूर्व शर्त के उल्फा द्वारा भारत सरकार के साथ वार्ता करने की इच्छा प्रकट की हुई है और संप्रभुता की अपनी "कोर डिमांड" का भी विशिष्ट उल्लेख किया गया है।

(ग) इस अपील के उत्तर में यह बात दोहराई गई है कि भारत सरकार ने निरंतर उन सभी ग्रुपों के साथ वार्ता करने की इच्छा प्रकट की है जो हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं।

*[हिन्दी]*

**दिल्ली में झुग्गियों का हटाया जाना**

**2141. श्री वी.के. दुग्मर:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की दिल्ली में झुग्गियों को हटाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या झुग्गीवासियों के पुनर्वास हेतु कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार इन झुग्गियों को कब तक हटाये जाने की संभावना है तथा इनका पुनर्वास कहां किया जाएगा; और

(घ) संभावित कार्यक्रमों का दिनांक-वार ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने झुग्गी-वासियों के संबंध में निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई है:—

(i) जहां झुग्गीवासी किसी ऐसी भूमि पर 31.12.1998 से पहले से ही रह रहे हो जिसकी भू-स्वामी एजेंसी को किसी जनहित परियोजना के निष्पादन के लिए तत्काल आवश्यकता हो तो इन झुग्गीवासियों को अन्यत्र पुनर्स्थापित कर दिया जाता है।

(ii) उन झुग्गी बस्तियों में स्वास्थाने सुधार किया जाता है जहां भू-स्वामी एजेंसी को निकट भविष्य में भूमि की आवश्यकता न हो और उसने इन बस्तियों में सुधार करने की अनुमति देते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया हो।

(iii) जो झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां उपर्युक्त श्रेणी (i) और (ii) में नहीं आती हैं उनमें जलापूर्ति, सड़क पर रोशनी, सड़कें, बरसाती पानी के नाले आदि मुहैया कराए जाते हैं।

झुग्गीवासियों का विस्थापन मुख्यत: स्लम और झुग्गी-झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) द्वारा किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भी अपनी भूमि पर से स्क्वाटरों का विस्थापन करता है।

इन झुग्गी बस्तियों के विस्थापन का कार्य भू-स्वामी एजेंसियों के अनुरोध पर स्लम और झुग्गी-झोंपड़ी विभाग द्वारा किया जाता है और उसे विस्थापन प्रभारों का भुगतान किया जाता है। झुग्गीवासियों का विस्थापन प्लाटों की उपलब्धता आदि पर भी निर्भर करता है।

*[अनुवाद]*

## फ्लाईएश का निर्यात

**2142. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एन.टी.पी. सी.-एफ. एस.टी.पी.एस., फरक्का से बांग्लादेश को फ्लाईएश के निर्यात के लिए निजी संगठनों से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) को एन.टी.पी.सी. के फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एस.टी.पी.एस.) से उड़न राख का संग्रह करने तथा इसे बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों सहित कई निजी संगठनों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। फरक्का एस.टी.पी.एस. से सभी पार्टियों को नि:शुल्क उड़न राख जारी की जा रही है और ये पार्टियां बाद में इसे भारत में सीमेंट अथवा अन्य उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों को अथवा सीमेंट विनिर्माण कंपनियों में उपयोग हेतु बांग्लादेश को भेजती हैं।

*विवरण*

| क्र. सं. | संगठन का नाम एवं पता | अंतिम उपभोक्ता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मै. लेनर्ड एक्सपोर्ट<br>171ए, शरतबोस रोड,<br>कोलकाता-700026 | - मै. होलिम, बांग्लादेश<br>- मै. सेवन सर्किल<br>- मै. सीमेक्स सीमेंट इंडस्ट्रीज, बांग्लादेश |
| 2. | मै. लोटस इंटरप्राइजेज, कालियाचक, मालदा | - मै. ओलम्पिक सीमेंट, बांग्लोदश<br>- मैं. यूनिक सीमेंट इंडस्ट्रीज, बांग्लादेश |
| 3. | मै. यूरेका एक्सपोर्ट | - मै. ओलम्पिक सीमेंट, बांग्लादेश<br>- मै. नॉर्थ एंड साउथ सीमेंट मिल्स, बांग्लादेश |
| 4. | मै. अल्फा इंटरनेशनल, कालीचरक, मालदा | - मै. सेवन सर्किल (बांग्लादेश) लि., बांग्लादेश |
| 5. | मै. इम्पीरियल कंस्ट्रक्शन, धुलियान, मुर्शिदाबाद | मै. मैट्रोपॉलिटन सीमेंट कंपनी लि., बांग्लादेश |
| 6. | मै. एम.आर. एक्सपोर्ट, 171 एक शरत बोस रोड, कोलकाता-700026 | - मै. होलकिम, बांग्लादेश |
| 7. | मै. नेहा इंटरप्राइजेज | - मै. सेवन सर्किल (बांग्लादेश) लि., बांग्लादेश लि. |
| 8. | मो. आजाद अली बिस्वा, अमलीताला, मालदा | - मै. पद्मा सीमेंट, बांग्लादेश |
| 9. | मै. एस.पी. इंटरप्राइजेज, कालीचरक, मालदा | - मै. नाहर सीमेंट मिल्स, बांग्लादेश<br>- मै. यूनिक सीमेंट इंडस्ट्रीज, बांग्लादेश<br>- मै. गाजी सीमेंट मिल्स, बांग्लादेश |
| 10. | मै. नूर इंटरप्राइजेज, जफरगंज, मुर्शिदाबाद | - मै. उत्तरा सीमेंट एवं क्लिंकर लि., राजशाही, बांग्लादेश |
| 11. | मै. ए.एम. इंटरप्राइजेज, कालियाचक, मालदा | मै. यूनिक सीमेंट, बांग्लादेश |
| 12. | मै. हक ट्रेडर्स, 8/2बी, अब्दुल हालिम लेन, कोलकाता-700016 | मै. इस्टर्न सीमेंट इंडस्ट्रीज, बांग्लादेश |
| 13. | मै. बिस्वास इंटरप्राइजेज, कालियाचक, मालदा | - मै. ओलम्पिक सीमेंट, बांग्लादेश |
| 14. | मै. प्रीमियर ट्रेडर्स, 70ए, नारकेलडंग मेन रोड, कोलकाता-700054 | मै. इमेक्स सर्विसेज लि., बांग्लादेश |
| 15. | मै. ए.एफ. इंटरप्राइज, कालियाचक, मालदा | मै. यूनिक सीमेंट, बांग्लादेश |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. | मै. जॉय मकाली कंस्ट्रक्शन कंपनी, ओल्ड गजुवाका, विशाखापटनम | मै. जाकिर ट्रेडर्स, बांग्लादेश |
| 17. | मै. जी.जे.पी. इंटरप्राइज, शुजापुर, मालदा | - मै. नाबर सीमेंट मिल्स, बांग्लादेश |

**गोवा सत्याग्रहियों को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन**

**2143. श्री अनंत कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गोवा सत्याग्रहियों द्वारा स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर करने की मांग के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री माणिकराव होडल्या गावित ):** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान (एस.एस.एस.) पेंशन योजना 1980 के अंतर्गत निर्धारित पात्र मानदंडों को पूरा करने वाले गोवा मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को इस योजना के तहत पहले ही पेंशन मंजूर की जा चुकी है। जहां तक गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-II, (1954-55) के स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध है, जिन्होंने 6 महीने की कारावास की सजा नहीं काटी थी और इस योजना के तहत पेंशन के पात्र नहीं थे, उन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए 4 फरवरी, 2003 को निर्णय लिया गया था, यदि वे उसी आन्दोलन के लिए 1 अगस्त, 2002 की स्थिति के अनुसार गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से राज्य पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

**मानवाधिकारों का उल्लंघन**

**2144. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
**श्रीमती निवेदिता माने:**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर राज्य के मुख्य सचिवों तथा पुलिस प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का विभिन्न राज्यों द्वारा उचित रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ध्यान में आई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ):** (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों, जैसे बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, अपंगता और अवैध व्यापार इत्यादि, पर जारी की गई सिफारिशों/निर्देशो के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में 14.12.2004 को राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई है।

सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सामान्य रूप से आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न कर रहे हैं तथापि कहीं-कहीं इनके अनुपालन में विलंब भी हुआ है।

**अमोनियम नाइट्रेट की कमी**

**2145. मो. मुकीम:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अमोनियम नाइट्रेट का राज्यवार कुल उत्पादन/खपत क्या है;

(ख) क्या अमोनियम नाइट्रेट जो कि विस्फोटक उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल है, की कमी है जैसा कि 30 नवंबर, 2004 के 'इकॉनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस कमी से बेरोजगारी बढ़ेगी तथा उत्पादन में कमी आएगी और कीमतें बढ़ेंगी एवं निर्यात घटेगा;

(ङ) क्या सरकार की आयात करने के सरल उपाय के अलावा स्थिति से निपटने के लिए कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**औषधियों की कीमत**

**2146. श्री किशन सिंह सांगवान:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषधि उत्पादन कंपनियां समान सामग्री वाली औषधियों को अन्य कंपनियों की तुलना में महंगी बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों कि विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (घ) सरकार पहली अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य, औषध (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित/ संशोधित करती है। यदि किसी सूचीबद्ध सूत्रयोग के अधिसूचित मूल्य का कोई उल्लंघन होता है, तो डी.पी.सी.ओ., 1995 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

गैर सूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा स्वयं विभिन्न पहलुओं यथा उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्ययों, आर. एण्ड डी. व्ययों, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि को ध्यान में रख कर तय किए जाते हैं। जहां पाया जाता है कि जनहित प्रभावित हो रहा है, वहां सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

चूंकि एक विनिर्माता के उत्पादन का अर्थ विधान दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि समान तत्वों वाले सभी औषधों की कीमत समान हो।

*[अनुवाद]*

**औषधियों पर राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की अध्ययन रिपोर्ट**

**2147. श्री राम सिंह कस्वां:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन विभाग ने औषधियों के एक्स फैक्टरी मूल्य तथा औषधियों पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य के सन्दर्भ में अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) को 254 औषधियों की सूची सौंपी गई थी;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ग) हरियाणा स्टेट केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन से प्राप्त 254 दवाइयों की सूची को रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने एक्स-फैक्ट्री मूल्य तथा अंकित खुदरा मूल्य के तुलनात्मक अध्ययन हेतु राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) को भेजा था। एन.पी.पी.ए. ने उक्त सूची को एक्स-फैक्ट्री मूल्यों संबंधी विवरण के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय को भेजा है।

*[हिन्दी]*

**बोकारो इस्पात संयंत्र की भूमि की बिक्री**

**2148. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने पांच सौ एकड़ से अधिक भूमि तथा भवन मुफ्त में निजी शैक्षणिक संस्थाओं तथा आवासीय सहकारी समितियों को बेच दिए हैं;

(ख) क्या संयंत्र के प्रबंधन को बिना मुआवजे के भूमि को पट्टे पर देने अथवा बेचने का अधिकार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बोकारो इस्पात संयंत्र की भूमि खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**गैर-सरकारी संगठनों को भूमि का आबंटन**

**2149. श्री सुदाम मरन्डी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि तथा विकास कार्यालय गैर सरकारी संगठनों को भूमि आबंटित करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान आज तक कितने गैर-सरकारी संगठनों को भूमि का आबंटन किया गया तथा इनमें से

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांगों द्वारा प्रचालित तथा संबंधित गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ग) "अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों का उद्धार संघ" से गर्ल्स/वीमैन होस्टल एंड एसोसिएशन के लिए भूमि आबंटन के लिए प्राप्त दिनांक 19.10.2004 के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि और विकास कार्यालय ने 64 गैर-सरकारी संगठनों को भूमि आवंटित की है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में अलग से रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) दिल्ली में लड़कियों/महिलाओं/विधवाओं के लिए होस्टल तथा "ऑल इंडिया एसोसिएशन फार एस.सी./एस.टी. एंड फिजीकली हैंडिकैप्ड पीपल्स अपलिफ्टमेंट" के कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने के संबंध में इस एसोसिएशन के महासचिव का दिनांक 19.10.2004 का पत्र प्राप्त हुआ था। इस एसोसिएशन से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

**किराया-खरीद आधार पर लघु आवासीय इकाइयां मुहैया करना**

**2150. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु आवासीय इकाई तथा 1975 की चण्डीगढ़ योजना में ट्रांजिट स्थलों के अंतर्गत आने वाले तथा लघु आवासीय इकाई और स्थल एवं सेवाएं, 1979 के अंतर्गत दिये जाने वाले लाइसेंस के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को किराये के रूप में लघु आवासीय इकाइयां मुहैया करायी गई;

(ख) क्या ज्यादा किराये खरीद वाली लघु आवासीय इकाइयों को कम किराये खरीद पर देने के संबंध में ये लाइसेंस उपयुक्त थे;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को किराया खरीद आधार पर ऐसी इकाइयों का आबंटन किया गया;

(घ) क्या सभी आबंटियों ने समस्त प्रीमियम की धनराशि चुका दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ये लघु आवासीय इकाइयां उन्हें 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा धारण करने के आधार पर उन्हें हस्तांतरित कर दी गई थीं;

(च) क्या पट्टा धारण अवधि को परिवर्तन योजना के अनुसार फ्री होल्ड में तब्दील कर दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) उक्त योजना के तहत कुल 4464 आवासीय इकाईयों और 6815 स्थलों, जिनमें ट्रांजिट स्थल, खाली (बेअर) स्थल और कुरसी (प्लिंथ) स्थल शामिल हैं, के लिए अनुमति प्रदान की गई थी।

(ख) आवासीय इकाइयों को किराया-खरीद आधार पर परिवर्तित करने के लिए 31.12.1986 तक आवेदन मांगे गए थे और वे सभी जो हर तरह से ठीक पाए गए थे उन्हें किराया-खरीद आधार पर बदलने की अनुमति दी गई थी।

(ग) 1862 आवासीय इकाइयों को किराया-खरीद आधार पर परिवर्तित किया गया था।

(घ) उनमें से अधिकांश लोगों, जिन्हें किराया-खरीद आधार पर बदलने की अनुमति प्रदान की गई थी, ने स्थलों के प्रीमियम का भुगतान कर दिया है।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

(छ) इस योजना में उन आवासीय इकाइयों, जिनके लिए पूर्ण राशि की अदायगी की जा चुकी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

**निर्दिष्ट बैंकों द्वारा भूमि किराये की वसूली**

**2151. श्री जोवाकिम बखला:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी लीज होल्ड संपत्तियों के आबंटियों को सुविधा देने हेतु कुछ निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से भूमि किराये की वसूली कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए बैंकों के नाम क्या हैं तथा बैंकों द्वारा इस संबंध में अभी तक कुल कितनी राशि की वसूली की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) जी, हां। सांस्थानिक औद्योगिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के बारे में भूमि किराए की वसूली का कार्य इंडस इण्ड बैंक को सौंपा गया है और यह कार्य चल रहा है।

(ग) यह एक निरंतर चलने वाला कार्य है क्योंकि भूमि किराया वार्षिक आधार पर लिया जाता है।

**विद्युत क्षेत्र में सुधार**

**2152. श्री मोहन रावले:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार से महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप विद्युत की कितनी बचत हुई है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में भावी सुधार की रूपरेखा तैयार कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे विद्युत पारेषण और वितरण में हानि किस हद तक कम होने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (ङ) जी हां, विद्युत क्षेत्र सुधारों के अंतर्गत बल सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग, ऊर्जा लेखा परीक्षा, बिलिंग एवं कलेक्शन दक्षता में सुधार, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, विद्युत की चोरी में कमी और विलोपन, राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन और प्रचालन, समयबद्ध तरीके से वाणिज्यिक व्यवहार्यता की प्राप्ति दिया जा रहा है। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र सुधारों पर राज्यों के साथ समझौता करार (एम.ओ.ए.) हस्ताक्षरित किया है जिसमें सहमत किए गए सुधार एजेंडों पर संतोषजनक रूप से प्रगति करने पर राज्यों को केन्द्र सरकार की सहायता देने पर विचार किया गया है।

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन 24 राज्यों में किया गया है। 18 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने टैरिफ आदेश जारी किए हैं।

फीडर मीटरिंग और उपभोक्ता मीटरिंग देश में 95 प्रतिशत और 87 प्रतिशत की सीमा तक प्राप्त की गई है।

विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु उदारवादी ढांचा प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 अधिनियमित किया गया है।

यह विद्युत आपूर्ति उद्योग के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश अवरोध को कम करता है। इससे प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलने और परिणामस्वरूप दक्षता सुधार होने की प्रत्याशा है। यह विद्युत की चोरी से निपटने के लिए सख्त उपायों की भी व्यवस्था करता है।

साथ-साथ तकनीकी हानियों को कम करने और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए तथा अनुदानों के माध्यम से नकद हानियों में कमी की प्रोत्साहित करने के लिए भी अभिज्ञात वितरण क्षेत्रों में निवेश हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

हानियों में वास्तविक कमी के लिए पांच राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

जारी किया गया प्रोत्साहन (करोड़ रुपये)

| क्र.सं. | राज्य | 2002-03 | 2003-04 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | | 265.11 | 265.11 |
| 2. | गुजरात | 236.38 | | 236.38 |
| 3. | हरियाणा | 5.01 | 100.48 | 105.49 |
| 4. | महाराष्ट्र | 137.89 | | 137.89 |
| 5. | राजस्थान | | 137.71 | 137.71 |
| | कुल | 379.28 | 503.30 | 882.58 |

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय राज्य विद्युत बोर्डों के पिछले ऋणों को त्रिपक्षीय समझौतों के अंतर्गत प्रत्याभूत किया गया है।

राज्य यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति में सुधार दिखाना शुरू हो गया है। 16 राज्यों के लिए पी.एफ.सी. द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य विद्युत यूटिलिटियों की प्रचालन हानियां 2001-02 में 25207 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 17593 करोड़ रुपये तक हो गई है। विद्युत क्षेत्र की केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यूटिलिटियों को देय राशि का भुगतान 2000-01 में 76 प्रतिशत से सुधार कर 2003-04 में लगभग 100 प्रतिशत तक हो गया है।

तकनीकी हानियों को कम करके, विद्युत की चोरी को नियंत्रित करके, ऊर्जा लेखा और ऊर्जा संरक्षण कदमों को अपनाकर, हानियों को साधारण स्तर तक लाया जाना अपेक्षित है।

*[हिन्दी]*

**शिक्षा विकास हेतु सहायता**

**2153. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान सरकार से राज्य में शिक्षा के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मांगों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**इस्पात संयंत्र**

**2154. श्री रघुनाथ झा:** क्या इस्पात मंत्री "मंत्रालय द्वारा पहल किए जाने की कमी" शीर्षक के अंतर्गत नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की 2003 (सरकारी उपक्रम) की रिपोर्ट सं. 4 के पृष्ठ 67 पर पैरा 3.1.4 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों की समिति ने इस्पात संयंत्रों की व्यावसायिक पुनर्गठन योजना की जांच और समीक्षा की है तथा आर्थिक मामलों संबंधी केबिनेट समिति को अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो जांच और समीक्षा कितनी बार की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या घाटे में चल रहे किसी संयंत्र को बेचा गया है अथवा बंद किया गया है अथवा वे अभी भी घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संयंत्र को हुई हानियों का ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) जी, हां। सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज के कार्यान्वयन की प्रगति की पांच बार क्रमश: 19/4/2000, 15/11/2000, 08/01/2002, 07/10/2003 और 03/08/2004 को समीक्षा की। तदोपरान्त, आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने तीन बार क्रमश: दिनांक 12/3/2001, 25/11/2002 तथा 02/12/2003 को समीक्षा की। दिनांक 25/11/2002 को सी.सी.ई.ए. की दिनांक 25.11.2002 को हुई बैठक में दिए गए निदेशानुसार मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा भी एक बार इसकी समीक्षा की गई। सी.ओ.एस. और सी.सी.इ.ए. के निदेशों/निर्णयों पर सरकार नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में हुए विकास से उन्हें सूचित करती रही है।

(ग) और (घ) फरवरी, 2000 में सेल के लिए अनुमोदित वित्तीय और कारोबार पुनर्संरचना पैकेज के अंतर्गत सेल के किसी भी संयंत्र को बंद नहीं किया गया है। तथापि, गैर-व्यवहार्य इकाइयों तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र के विद्युत संयंत्रों जैसे गैर-प्रमुख क्षेत्रों में कुछ इकाइयों का स्वत्वहरण किया गया है और एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाई हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के विद्युत संयंत्र का भी स्वत्वहरण किया गया है तथा दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) के साथ जे.वी. कंपनी बनाई गई है। सभी विद्युत संयंत्र जे.वी. कंपनियां सफलतापूर्वक प्रचालन कर रही हैं।

(ङ) गत पांच वर्षों में सेल संयंत्रों और इस्को का लाभ/हानि का विवरण निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)

| इस्पात संयंत्र | 99-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| भिलाई | 92 | 342 | 477 | 735 | 1932 |
| दुर्गापुर | -651 | -236 | -262 | -247 | 81 |
| राउरकेला | -704 | -445 | -1036 | -593 | -109 |
| बोकारो | 120 | 49 | -459 | 311 | 1120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| मिश्र इस्पात संयंत्र | -260 | -184 | -149 | -180 | -172 |
| सेलम | -142 | -155 | -153 | -119 | 2 |
| बी.आई.एस.एल. | -91 | -68 | -103 | -136 | -82 |
| अन्य* | -84 | -32 | -22 | -87 | -144 |
| सेल (कर-पूर्व लाभ) | -1720 | -729 | -1707 | -316 | 2628 |
| सेल (कर-पश्चात लाभ) | -1720 | -729 | -1707 | -304 | 2512 |
| इस्को | -210 | -187 | -180 | -182 | 27 |

*अन्य में सेल का कच्चा माल प्रभाग एवं केन्द्रीय इकाइयां सम्मिलित हैं।

**दिल्ली में प्रापर्टी डीलरों को लाइसेंस**

**2155. श्री विजय कृष्ण:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में प्रोपर्टी डीलरों को लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा करने से लोगों को क्या लाभ प्राप्त होंगे?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर**

**2156. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में निर्माणाधीन फ्लाईओवरों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) इन फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या और अधिक फ्लाईओवरों की निर्माण-योजना तैयार करने और निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवरों का ब्यौरा और उनका निर्माण पूरा होने में विलंब के कारण संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) योजनाधीन फ्लाईओवरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

*विवरण-I*

*निर्माणाधीन फ्लाईओवरों की सूची*

**लोक निर्माण विभाग**

| क्र.सं. | फ्लाईओवर का नाम | विलंब के कारण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बी एवेन्यू रिंग रोड | सेवाओं को स्थानांतरित करने के कारण प्रारंभ में विलंब हुआ। |
| 2. | नोयडा मोड़ से आई.टी.ओ. चुंगी तक मार्जिनल बंद रोड पर सड़क उपरिपुल | सेवाओं और झुग्गियों के स्थानांतरण के कारण। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | ब्रिटानिया चौक से रिंग रोड-लारेंस रोड चौराहा | बी.बी.एम.बी. की 220 किलोवाट लाइन और एच.पी.बी.एन. लिमिटेड की 33 किलोवाट लाइन हटाने में विलंब। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 900 एम.एम., 1108 एम.एम. और 1500 एम.एम. डाया (dia) जलापूर्ति की लाइन हटाने में विलंब। दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों को आपस में जोड़ेन की अनुमति प्राप्त करने, मार्डन फूड फैक्टरी की ओर भूमि की गैर-उपलब्धता, ड्रेन बंद करने, स्लिप रोड के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण विलंब। |
| 4. | पंचशील पार्क में फ्लाईओवर (खेल गांव और बाहरी रिंग रोड जंक्शन पर) | यातायात मार्ग में परिवर्तन स्कीमें तैयार करने, ट्रैफिक कर्मचारियों से अनुमति मिलने और सेवाओं के स्थानांतरण में विलंब के कारण (पूरा करने की लक्षित तिथि 28.12.2004) |
| 5. | रिंग रोड मोती नगर चौराहे पर फ्लाईओवर | पेड़ काटने की अनुमति मिलने में विलंब के कारण। |
| 6. | रिंग रोड.पंजाबीबाग क्लब रोड जंक्शन पर फ्लाईओवर | पेड़ काटने की अनुमति मिलने में विलंब के कारण। |
| **दिल्ली नगर निगम** | | |
| 1. | श्यामलाल कालेज के निकट ग्रांट ट्रंक रोड, शाहदरा | स्लिप रोड के मार्ग में आनेवाली निजी संपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया के कारण फ्लाईओवर के निर्माण में विलंब हुआ है। |
| 2. | शिवाजी मार्ग और पटेल रोड चौराहे पर मोतीनगर फ्लाईओवर | मोतीनगर फ्लाईओवर पूरा करने की लक्षित तिथि 22.7.05 है। |
| **दिल्ली विकास प्राधिकरण** | | |
| 1. | दिल्ली रेवाड़ी लाइन लेवल क्रासिंग पर सड़क उपरिपुल और स्टेशन रोड-पंखा रोड चौराहे पर अर्ध-फ्लाईओवर | विलंब के कारण निम्नलिखित है :— |
| 2. | जीटी रोड-रोड सं. 66 इंटर-क्रासिंग सबवे के चौराहे पर अर्ध-फ्लाईओवर | (i) सेवाओं अर्थात सीवर पानी के [illegible] एम.टी.एन.एल. की टेलीफोन लाइनों, बिजली के खंभो आदि जो फ्लाईओवरों के मार्ग पर मौजूद हों उन्हें हटाना |
| 3. | गाजीपुर फ्रेट काम्प्लेक्स के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर ग्रेड सेपरेटर | (ii) फ्लाईओवरों के मार्ग में झुग्गियों की मौजूदगी |
| 4. | जोसिप ब्रोज टिटो मार्ग-लाला लाजपत राय मार्ग चौराहे पर फ्लाईओवर/ग्रेड सेपरेटर का निर्माण | (iii) फ्लाईओवरों के मार्ग में मौजूद पेड़ों को काटने की अनुमति मिलने में विलंब। |

*विवरण-II*

*योजनाधीन फ्लाईओवरों की सूची*

**लोक निर्माण विभाग**

| क्र.सं. | फ्लाईओवर का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | आई.आई.टी. दिल्ली और आर.के. पुरम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के बीच बाहरी रिंग रोड पर तीन फ्लाईओवर और रिंग रोड में नारायणा में एक फ्लाईओवर |
| 2. | सड़क सं. 63 में मंडावली लेवल क्रासिंग 3 की रेलवे लाइन पर रोड ओवरब्रिज |
| 3. | आई.टी.ओ. चुंगी अंडरपास |
| 4. | सड़क अंडरब्रिज 58/64 |
| 5. | शास्त्री पार्क अंडरपास |
| 6. | आनंद विहार आई.एस.बी.टी. क्रासिंग पर फ्लाईओवर |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 7. | आजादपुर रिंग रोड में फ्लाईओवर |
| 8. | आउटर रोड और मुकरबा चौक में फ्लाईओवर |
| 9. | मालवीय नगर टी-जंक्शन पर फ्लाईओवर |
| 10. | नेहरू प्लेस बस टर्मिनल में फ्लाईओवर |
| 11. | भैरों रोड-रिंग रोड क्रासिंग में फ्लाईओवर |
| 12. | रिंग रोड-शांतिवन इंटरक्रासिंग पर फ्लाईओवर |
| 13. | रिंग रोड-राजघाट चौराहे पर फ्लाईओवर |
| 14. | डी.सी. कार्यालय चौराहे पर मार्जिनल बंद रोड में फ्लाईओवर |
| **दिल्ली नगर निगम** | |
| 1. | फिल्मिस्तान से बूलेवर्ड रोड तक रानी झांसी रोड |
| 2. | डाबरी मोड़-पंखा रोड चौराहा |
| 3. | समयपुर बादली लेवल क्रासिंग में सड़क ओवरब्रिज |
| 4. | नरेला में नरेला लामपुर सड़क पर लेवल क्रासिंग |

*[हिन्दी]*

**विद्युत परियोजनाओं को बंद किया जाना**

**2157. श्री बालेश्वर यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 सितम्बर, 2004 के अनुसार बंद पड़ी विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इनमें कितनी लागत लगी हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) और (ख) 30 सितंबर, 2004 के अनुसार लंबी बंदी के कारण बंद पड़ी विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। भारत सरकार ने दसवीं योजना के दौरान 106 पुरानी थर्मल यूनिटों को जीवन विस्तार (एल.ई.) कार्यों के लिए 9200 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर लगभग 10413 मेगावाट की क्षमता वाली यूनिटों को चिह्नित किया है।

*विवरण*

*30 सितंबर, 2004 की स्थितिनुसार बंद विद्युत परियोजनाओं की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | स्टेशन | यूनिट संख्या | बंद होने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | ओबरा | 1 | 20/06/91 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | ओबरा | 2 | 15/12/2000 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | ओबरा | 8 | 27/7/98 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | पनकी | 2 | 18/4/97 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | हरदुआगंज बी | 1 | 20/10/99 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | हरदुआगंज बी | 2 | 28/9/89 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | हरदुआगंज बी | 5 | 21/5/99 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | हरदुआगंज बी | 6 | 21/11/94 |
| 9. | तमिलनाडु | एन्नौर | 2 | 24/11/2002 |
| 10. | झारखंड | पतरातू | 1 | 9/1/2002 |
| 11. | झारखंड | पतरातू | 4 | 16/10/95 |
| 12. | बिहार | बरौनी | 4 | 24/4/96 |
| 13. | बिहार | बरौनी | 5 | 16/3/95 |
| 14. | डी.वी.सी. | बोकारो ए | 1 | 30/3/2000 |
| 15. | डी.वी.सी. | बोकारो ए | 2 | 17/3/2000 |
| 16. | डी.वी.सी. | बोकारो ए | 3 | 13/7/2001 |
| 17. | डी.वी.सी. | बोकारो ए | 4 | 1/2/89 |
| 18. | असम | चन्द्रपुर | 1 | 7/5/99 |
| 19. | असम | चन्द्रपुर | 2 | 16/6/99 |
| 20. | असम | बोंगईगांव | 1 | 23/6/91 |
| 21. | असम | बोंगईगांव | 2 | 9/2/2002 |
| 22. | असम | बोंगईगांव | 3 | 10/11/2001 |
| 23. | असम | बोंगईगांव | 4 | 12/4/98 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | रिहंद | 4 | 1/10/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | आंध्र प्रदेश | नागार्जुन सागर आर.बी.सी.-2 | 1 | 8/7/2002 |
| 26. | आंध्र प्रदेश | नागार्जुन सागर आर.बी.सी.-3 | 3 | 8/7/2002 |
| 27. | आंध्र प्रदेश | नागार्जुन सागर आर.बी.सी.-1 | 4 | 26/12/2000 |
| 28. | उड़ीसा | हीराकुण्ड | 3 | 16/10/2002 |
| 29. | उड़ीसा | हीराकुण्ड | 4 | 19/8/2002 |
| 30. | उड़ीसा | हीराकुण्ड | 9 | 27/11/2000 |

**आंध्र प्रदेश में स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं को बंद किया जाना**

**2158. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रारंभिक वित्तीय कमी और स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं को जल्दी बंद किए जाने संबंधी मामलों को वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थाओं के साथ उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आई.डी.बी.आई. द्वारा इस प्रकार से बंद किए जाने के समय त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र बनाए रखने पर जोर दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.डी.बी.आई. का यह कदम समझौता ज्ञापन की अवधारणा के विरुद्ध है जिससे ये प्रयास जोखिम में पड़ जाएंगे; और

(च) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र में 10वीं योजना अवधि के लिए आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं के शीघ्र वित्तीय समापन का अनुरोध किया था। इसके प्रत्युत्तर में आंध्र प्रदेश सरकार (जी.ओ.ए.पी.) से अनुरोध किया गया था कि वे शर्तें व निबंधन को शीघ्र पूरा करे ताकि वित्तीय संस्थान ऋण का संवितरण कर सकें। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित चार गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं ने अब वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है और इनके 10वीं योजना अवधि में कार्यान्वित हो जाने की प्रत्याशा है—

- मै. वेमागिरि पावर जेनरेशन लि. द्वारा 370 मेगावाट वेमागिरि विद्युत परियोजना
- मै. कोनासीमा ई.पी.एस. ओकवेल पावर लिमिटेड द्वारा 445 मेगावाट कोनासीमा विद्युत परियोजना
- मै. जी.वी.के. इंडस्ट्रीज लि. द्वारा 220 मेगावाट जेगरूपाडु कंबाईंड साइकिल पावर प्लांट (सी.सी.पी.पी.)
- मै. गौतमी पावर लिमिटेड द्वारा 464 मेगावाट पेद्दापुरम विद्युत परियोजना।

उपरोक्त चार परियोजनाओं ने सांस्थानिक ऋणदाताओं यथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) पावर फाइनेंस कारपोरेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इत्यादि से अपेक्षित वित्तपोषण सुनिश्चित कर लिया है।

(ग) और (घ) आई.डी.बी.आई. ने सूचित किया है कि वे विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय समापन के समय, जहां कि राज्य विद्युत बोर्ड स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) द्वारा उत्पादित विद्युत की खरीद करते हैं, त्रि-स्तरीय सुरक्षा तंत्र पर बल देता है जिसमें निम्न शामिल है—

(i) लैटर ऑफ, क्रेडिट

(ii) एस्क्रो और

(iii) राज्य सरकार गारंटी

(ङ) और (च) आई.डी.बी.आई. ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में करार ज्ञापन (एम.ओ.ए.) की सफलता एपीट्रांस्को द्वारा सुधार आधारित लक्ष्य प्राप्त करने और वित्तीय संस्थानों को एक विश्वसनीय बिजनेस प्लान प्रस्तुत करने पर भी निर्भर थी। सचिव (विद्युत) द्वारा वित्त मंत्रालय, जी.ओ.ए.पी., एपीट्रांस्को और आई.डी.बी.आई. के साथ दिनांक 13.5.2003 को बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जी.ओ.ए.पी. के साथ एपीट्रांस्को, आई.डी.बी.आई. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एम.ओ.ए. के संबंधित पैरों में विस्तार करने के प्रयास करने चाहिए ताकि ये उन्हें पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हो सके।

**आंध्र प्रदेश में शौचालयों का निर्माण**

**2159. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में शौचालयों के निर्माण हेतु स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत अब तक शामिल किए शहरों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य में नौवीं योजना के दौरान शामिल किए गए शहरों के नाम क्या हैं?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) एकीकृत कम लागत सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान शौचालय निर्माण के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी दी गई।

(ख) इसके अंतर्गत अभी तक शामिल किए गए 115 कस्बों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) राज्य में नौवीं योजना अवधि के दौरान शामिल किए गए 42 कस्बों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

*विवरण-I*

*दिनांक 30.11.2000 तक आन्ध्र प्रदेश में आई.एल.सी.एस. योजना के अंतर्गत कवर किये गये शहरों का ब्यौरा*

**राज्य : आन्ध्र प्रदेश**

| शहर का नाम | शहरों की सं. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आदिला बाद | 1 |
| अदोनी | 1 |
| अलवल | 1 |
| अमलापुरम | 1 |
| अमुदालावलासा | 1 |
| अनाकापैले | 1 |
| अनंतपुर | 1 |
| बपातला | 1 |
| बेलमपल्ली | 1 |
| भैंसा | 1 |
| भीमावरम | 1 |
| भीमुनीपटनम | 1 |
| भींगीर | 1 |
| बोबीली | 1 |
| बोधन | 1 |
| चिलाकालुरीपेटा | 1 |
| चिराला | 1 |
| चित्तूर | 1 |
| कुडपा | 1 |
| धरमवरम | 1 |
| एलीरू | 1 |
| गडवल | 1 |
| गजुआका | 1 |
| गुडीवड़ा | 1 |
| गुडूर | 1 |
| गुंटकार | 1 |
| गुंटूर | 1 |
| हिन्दूपुर | 1 |
| हैदराबाद | 1 |
| इचापुरम | 1 |
| जगईयापेट | 1 |
| जगतियाल | 1 |
| जनगांव | 1 |
| कादरी | 1 |
| कागजनगर | 1 |
| काकीनाड़ा | 1 |
| कामारेड्डी | 1 |
| कांडुकुर | 1 |
| कपरा | 1 |
| करीमनगर | 1 |
| काबाली | 1 |
| खंमम | 1 |
| कोलोतला | 1 |
| कोठागुदम | 1 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| कोवूर | 1 |
| कुकटपल्ली | 1 |
| कूरनूल | 1 |
| एन.बी. नगर | 1 |
| माचेरियल | 1 |
| माचेरला | 1 |
| मच्छलीपटनम | 1 |
| मदनपैले | 1 |
| महबूबनगर | 1 |
| मलकाजगिरी | 1 |
| मनापेट | 1 |
| मंदमारी | 1 |
| मंगलगिरी | 1 |
| मारकापुरम | 1 |
| मेढक | 1 |
| मिरियालगुडा | 1 |
| नालगौंडा | 1 |
| नांदयाल | 1 |
| नारसरावपेठ | 1 |
| नारायणपेट | 1 |
| नरसापुरम | 1 |
| नलौर | 1 |
| निडाडवोल | 1 |
| निरमल | 1 |
| निजामाबाद | 1 |
| नजबेद | 1 |
| ओंगोल | 1 |
| पालकोल | 1 |
| पालासाकासी बुग्गा | 1 |
| पलवांचा | 1 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| पारवती पुरम | 1 |
| पेडना | 1 |
| पेडपुरम | 1 |
| पीठपुरम | 1 |
| पोन्नूर | 1 |
| प्रोडातूर | 1 |
| पंगानूर | 1 |
| कुतुबुलापुर | 1 |
| राजमुदरी | 1 |
| राजेन्द्रनगर | 1 |
| रामचन्द्रपुरम | 1 |
| रामागुडम (एन.ऐ.सी.) | 1 |
| रायदुर्ग | 1 |
| रेपल्ले | 1 |
| सदाशिवपेट | 1 |
| सल्लोर | 1 |
| सामलकोट | 1 |
| सांगारेड्डी | 1 |
| सतेनपल्ली | 1 |
| श्रीलिंगपल्ले | 1 |
| सिदीपेट | 1 |
| सिरसिला | 1 |
| श्रीकाकुलम | 1 |
| श्रीकालाहस्ती | 1 |
| सूर्यपेट | 1 |
| तादीपत्री | 1 |
| तन्दूर | 1 |
| तानोकू | 1 |
| तेड़ापल्लीगुडम | 1 |
| तेनाली | 1 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| तिरूपती | 1 |
| टुनी | 1 |
| उप्पलकलां | 1 |
| विजयवाड़ा | 1 |
| विक्राबाद | 1 |
| विशाखापटनम | 1 |
| विजयननगरम | 1 |
| वानापारथी | 1 |
| वारंगल | 1 |
| येमीगनूर | 1 |
| जाहिराबाद | 1 |
| कुल | 115 |

*विवरण-II*

*1.4.1997 से 31.3.2002 तक आन्ध्र प्रदेश में आई.एल.सी.एस. योजना के अंतर्गत कवर किये गये शहरों का ब्यौरा*

राज्य : आन्ध्र प्रदेश

| शहर का नाम | शहरों की सं. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| अदोनी | 1 |
| अलवल | 1 |
| भौंगीर | 1 |
| बोगली | 1 |
| कुडापा | 1 |
| एलेरू | 1 |
| गुंटर | 1 |
| जगतियाल | 1 |
| जनगांव | 1 |
| कादरी | 1 |
| कागजनगर | 1 |
| कापरा | 1 |
| करीमनगर | 1 |
| कुकटपल्ली | 1 |
| कुरनूल | 1 |
| एल.बी. नगर | 1 |
| मचेरला | 1 |
| मलकाजगिरी | 1 |
| मनापेट | 1 |
| मंदमारी | 1 |
| मंगलागिरी | 1 |
| मैडक | 1 |
| नालगौंडा | 1 |
| नल्लौर | 1 |
| निरमल | 1 |
| नजिमाबाद | 1 |
| नजवेद | 1 |
| पलासाकासीबुग्गा | 1 |
| पीठपुरम | 1 |
| कुदुबुल्लापुर | 1 |
| राजमुंदरी | 1 |
| राजेंद्र नगर | 1 |
| सल्लोर | 1 |
| संगारेड्डी | 1 |
| सरलिंगमपल्ली | 1 |
| सिदीपेठ | 1 |
| उपलकलां | 1 |
| विक्राबाद | 1 |
| वानापारथी | 1 |
| वारंगल | 1 |
| येमीगिन्नूर | 1 |
| जाहिराबाद | 1 |
| कुल | 42 |

**एस्कोर्टस अस्पताल को आबंटित भूमि को रद्द किया जाना**

**2160. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रियायती दरों पर एस्कोर्टस अस्पताल को आबंटित भूमि को रद्द करने हेतु उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है क्योंकि अब यह चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अस्पताल के अधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने निम्नलिखित आधारों पर एस्कोर्ट्स अस्पताल के प्राधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं:

(1) समाज के गरीब वर्गों के लोगों को नि:शुल्क उपचार हेतु 25 प्रतिशत बिस्तर उपलब्ध न कराने तथा गरीबी श्रेणी में आने वाले मरीजों को ओ.पी.डी. में नि:शुल्क सेवा प्रदान न करने के लिए दिनांक 31.10.2003 का कारण बताओ नोटिस।

(2) मैसर्स एस्कोर्ट्स हार्ट इन्सटीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (ई.एच.आई. आर.सी.) का चंडीगढ़ में स्थापित समान नाम अर्थात् एस्कोर्ट्स हार्ट इन्सटीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर वाली अन्य सोसायटी जो एक चेरिटेबल सोसायटी नहीं है तथा इसे बाद में कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था, के साथ विलय किए जाने के परिणामत: हेतु दिनांक 21.4.2004 का कारण बताओ नोटिस।

(ग) पहले कारण बताओ नोटिस के उत्तर में एस्कोर्टस अस्पताल प्रबंधन ने नि:शुल्क उपचार के दायित्व से मुक्त होने के लिए भूमि का बाजार मूल्य अदा करने का प्रस्ताव किया है।

दूसरे कारण बताओ नोटिस के संबंध में एस्कोर्टस हार्ट इन्सटीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ने यह बताया है कि चंडीगढ़ स्थित एस्कोर्ट्स हार्ट इन्सटीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के साथ इसका विलय कानूनी रूप से वैध है। इन मुद्दों पर निर्णय आगे जांच और अनुमोदन पर निर्भर करता है।

**त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को विशेष दर्जा**

**2161. प्रो. रासा सिंह** रावत: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान और ऋण प्रदान करने हेतु कुछ पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में कितने राज्यों को शामिल किया गया है;

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को विशेष दर्जा देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार राजस्थान को एक सीमावर्ती और सूखा प्रवण राज्य होने के मद्देनजर विशेष दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) और (ख) जी हां। 11 राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तरांचल को विशेष श्रेणी राज्यों के अंतर्गत शामिल किया गया है ताकि वे त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सके।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) निम्नांकित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करती हैं।

- बार्डर पर पड़ोसी देशों के साथ सामरिक स्थिति;
- पवर्तीय क्षेत्र;
- अपर्याप्त आर्थिक तथा सामाजिक अवसंरचना;
- प्रमुखतया विशाल आदिवासी जनसंख्या, और
- विकसित जरूरतों की तुलना में सीमित तथा कमजोर संसाधन;

(घ) विद्युत मंत्रालय में राजस्थान को विशेष दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) एन.डी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ए.पी.डी. आर.पी. के अंतर्गत विशेष श्रेणी राज्यों को निधियां जारी करने के फंडिग पैटर्न को स्वीकार कर लिया गया है।

**राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित विधि जागरूकता कार्यक्रम**

**2162. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कितने विधि जागरूकता कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गयी है; और

(ख) इनमें से उन कार्यक्रमों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें आयोजित किया गया तथा इनमें से प्रत्येक पर कितना औसत व्यय हुआ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत पांच वर्षों में अर्थात् 1998-99 से 2002-03 तक आयोग द्वारा स्वीकृत कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या 406 है।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। स्वीकृत 406 कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों में से, 223 कार्यक्रम वर्ष 1998-99 से वर्ष 2002-03 के दौरान आयोजित किए गए। एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पर औसत व्यय लगभग 20,000/-रुपये है।

*[अनुवाद]*

## औषधियों का निर्यात

**2163. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और इसके बाद निर्यात की गयी औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात की गयी औषधियों की देश-वार कीमत कितनी है;

(ग) क्या सरकार विशेषकर गुजरात की कंपनियों द्वारा औषधियों, भेषजों आदि का निर्यात बढ़ाने हेतु कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औषधियों का निर्यात बढ़ाने हेतु भावी योजना क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) बड़ी संख्या में भारतीय औषधों का निर्यात यू.ए.एस., यूरोप, जापान और आस्ट्रेलिया के पूरी तरह विनियमित बाजारों सहित विश्व के लगभग 200 से अधिक देशों में किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधों, भेषजों और फाइन रसायनों के निर्यात का मूल्य निम्न प्रकार है:

| वर्ष | निर्यात का मूल्य (रुपए/करोड़ रु.) |
|---|---|
| 2001-02 | 9834.70 |
| 2002-03 | 12826 |
| 2003-04 | 14321 (अनंतिम) |

(स्रोत:— वाणिज्यिक आसूचना और स्टैटिस्टिक्स महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय)

(ग) और (घ) भारतीय निर्यात को समय-समय पर घोषित आयात-निर्यात नीतियों के माध्यम से सुकर बनाया जाता है।

भारत सरकार, निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सभी भारतीय निर्माताओं (औषधों, भेषजों और फाइन रसायनों के निर्यातकों सहित) को बाजार विकास सहायता योजना (एम.डी.ए.) और बाजार प्रवेश पहल योजना (एम.ए.आई.एस.) द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

*[हिन्दी]*

## एन.टी.पी.सी. द्वारा महाराष्ट्र में विद्युत परियोजना की स्थापना

**2164. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. का महाराष्ट्र के नागपुर में कोयला आधारित 1000 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या है तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (ग) एन.टी.पी.सी. ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मौडा नामक स्थान पर 1000 मे.वा. क्षमता वाले विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए एक स्थल का पता लगाया है। परियोजना के लिए इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिकता की जांच हेतु एन.टी.पी.सी. ने स्थलाकृति प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, भू-तकनीकी जांच, भूकंप संबंधी अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और वैकल्पिक जल अध्ययन आदि शुरू कर दी है। अब तक उपर्युक्त विभिन्न स्थल विशिष्ट अध्ययनों पर लगभग 21 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना से 50 मिलियन क्युबिक मीटर जल की उपलब्धता हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और निधि की व्यवस्था हो जाने पर परियोजना तीन वर्षों में पूरी हो जाएगी। सुनिश्चित जल आपूर्ति के लिए वित्तपोषण व्यवस्था और समय-सीमा की पुष्टि महाराष्ट्र सरकार से अभी भी प्रतीक्षित है। समीपवर्ती कोयला खदानों से कोयले की उपलब्धता की पुष्टि की जानी है।

परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता स्थापित होने पर इसकी स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा।

**निजी विद्यालयों द्वारा नियमों का उल्लंघन**

**2165. श्री के.एस. राव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में निजी विद्यालय सरकार द्वारा आबंटित भूमि का उपयोग नियमों का उल्लंघन करके आवासीय काम्पलेक्सों और भूमि को अन्य सोसाइटियों को स्थानांतरित करके अन्य प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ग) जब भी अनधिकृत अंतरण/दुरुपयोग/आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के मामलों की सूचना प्राप्त होती है अथवा उनका पता चलता है, भू-स्वामी एजेंसियों द्वारा आवंटन की शर्तों और निबंधनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

**पाठ्यचर्या की समीक्षा**

**2166. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय संचालन समिति की हाल ही में हुई बैठक के दौरान क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) क्या राज्यों ने भी उक्त समिति में अपने विशेषज्ञ नामित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्यों द्वारा नामित विशेषज्ञों ने कुछ सिफारिशें की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अंतिम दस्तावेज कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना की समीक्षा हेतु दिनांक 24.11.2004 को राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। समिति से अनुरोध किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मौजूदा संरचना और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् संकाय (आर.आई.ई. सहित) तथा देश के अन्य शीर्ष शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समीक्षा प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए स्कूल पाठ्यचर्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह समीक्षा प्रक्रिया मई, 2005 तक पूरी हो जाए।

*[अनुवाद]*

**दीवारों पर इश्तहार चिपकाने के संबंध में एन.डी.एम.सी. को न्यायालय का आदेश**

**2167. श्री संतोष गंगवार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के विरुद्ध शौचालयों की दीवारों पर विज्ञापन इश्तहार चिपकाने के संबंध में भ्रष्टाचार और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या काफी संख्या में ठेके निविदा मंगाए बगैर एक अनिवासी भारतीय के स्वामित्व वाली कम्पनी को दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करवाने का है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) से (ज) जी हां, श्रीमान। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है।

**केरल में सी.बी.आई. जांच**

**2168. श्री एन.एन. कृष्णदास::** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने पायनाड जिले में पुलिस और जनजातीय लोगों के बीच हुई एक आपराधिक घटना की जांच करने हेतु सी.बी.आई. से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिनांक 17 मई, 2003 की अधिसूचना के माध्यम से केरल सरकार ने 17.02.2003 से आगे मुतंगा वन क्षेत्र में हुई घटनाओं के सिलसिले में सुल्तान बाथेरी पुलिस स्टेशन, वायनाड जिले में दर्ज सात आपराधिक मामलों की जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा था। इनमें से एक मामला 19.2.2003 को पुलिस कार्रवाई में हुई एक व्यक्ति के मृत्यु से संबंधित है और छः मामले, मुतंगा वन क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों से खाली करवाते समय वन और पुलिस अधिकारियों के व्यपहरण, नजरबंदी और हमले की आरोपित घटनाओं से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 19.2.2003 को वन क्षेत्र में यातना देने के विभिन्न आरोपों सहित पुलिस गोली-बारी, ऐसी गोली-बारी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों और संबंधित घटनाओं की जांच का काम सौंपा है। ऐसा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस सिफारिश के अनुसरण में किया गया है कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच, वरीयतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए इन सभी मामलों की जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं। जहां तक पुलिस गोली-बारी का संबंध है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच से मुतंगा की स्थिति से निपटते समय पुलिस द्वारा की गई किसी चूक का पता नहीं चला है।

*[हिन्दी]*

## महाराष्ट्र में गांवों को एम.ए.डी.ए. क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाना

**2169. प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कुछ गांवों को एम.ए.डी.ए. घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण हेतु लौटा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव को पुनः भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव की समीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) किसी क्षेत्र को आई.टी.डी.पी., माडा पाकेट और कलस्टर घोषित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड नीचे दिए गए हैं—

1. किसी तहसील अथवा ब्लाक अथवा इससे बड़े आकार के क्षेत्र में शामिल ऐसे क्षेत्रों को **आई.टी.डी.पी.** कहा जाता है जिनमें कुल आबादी का 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक जनजातीय आबादी हो।
2. 10,000 अथवा इससे अधिक कुल आबादी वाले चुने हुए ऐसे पाकेट जिनमें 50 प्रतिशत अथवा अधिक जनजातीय आबादी हो, **माडा पाकेट** कहलाते हैं।
3. 5000 अथवा इससे अधिक कुल आबादी वाले चुने हुए ऐसे पाकेट, **कलस्टर** कहलाते हैं जिनमें 50 प्रतिशत अथवा अधिक जनजातीय आबादी हो।

(ख) से (ङ) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने माडा पाकेटों का पुनः संगठन करने और कुछ गांवों को माडा क्षेत्र घोषित करने के लिए इस मंत्रालय को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श करके उक्त प्रस्ताव की जांच की गई है। राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने को अनुरोध किया गया है।

## सरकारी आवासों का आबंटन

**2170. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकारी अधिकारियों के अलावा अन्य कितने व्यक्तियों को सरकारी आवासों का आबंटन किया गया है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनसे कोई किराया वसूल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं।

*विवरण*

*पिछले तीन वर्षों (1.12.2001 से 1.12.2004) के दौरान सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को आबंटित सरकारी आवास के ब्यौरे*

| क्र.सं. | नाम और पता | मासिक किराया |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | सर्वश्री | |
| 1. | दीक्षा राजपूत, प्रकाशन अधिकारी, 1329/एस. XII आर.के. पुरम | सामान्य लाइसेंस फीस |
| 2. | संदीपन चटर्जी, स्टाफ फोटोग्राफर, 540 ए/एस.3, आर.के. पुरम | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 3. | प्रवीण सिंह राणा, संवाददाता, 756/एस.3, आर.के. पुरम | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 4. | के.सी. द्विवेदी, 21/73 लोदी कालोनी | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 5. | सुरेन्द्र सिंह रावत, कैमरामैन, एम 532/एस 8, आर.के. पुरम | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 6. | प्रदीप कुमार, एम 240/एस 8, आर.के. पुरम | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 7. | सी.एल. मनोज, सीनियर रेजीडेंड, 182/एस 3, आर.के. पुरम | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 8. | ए. थांगेवाल, विशिष्ट संवाददाता | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 9. | जी.पी. पांडेय, 561/एस 3, आर.के. पुरम | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 10. | अरविंद कुमार सिंह, विशिष्ट संवाददाता, 126/एस 8, आर.के. पुरम | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 11. | प्रेश नाथ प्रधान, कार्टूनिस्ट, 148/एस 3, आर.के. पुरम | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 12. | दीपक कुमार अरोड़ा | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 13. | अमंत बगीतार | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 14. | जॉन बर्टीनेस | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 15. | सुमित मिश्रा | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 16. | रोशन लाल | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 17. | हरस्वरूप सिंह | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 18. | मो. इलियास | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 19. | जितेंद्र राणा | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 20. | अमलान | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 21. | के.पी. मलिक | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 22. | हरनाम सिंह | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 23. | कु. मायावती, सी-1/11, हुमायूं रोड | सामान्य लाइसेंस फीस |
| 24. | के.एन. साहनी, बी-1/एस 12 एस. 10 आर.के. पुरम | विशेष लाइसेंस फीस |
| 25. | सुश्री एस. कनका, डी-II/17/1, एंड्रूज गंज | एफ.आर.-45 बी. सहित विभागीय चार्ज |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | डा. सुनील कोठारी, 94, ए.जी.वी.सी. | एफ.आर.-45 बी. सहित विभागीय चार्ज |
| 27. | प्रो. मोहन महर्षि, 135, ए.जी.वी.सी. | एफ.आर.-45 बी. सहित विभागीय चार्ज |
| 28. | जी.आर. ईराना 790 ए.जी.वी.सी. | एफ.आर.-45 बी. सहित विभागीय चार्ज |
| 29. | सुश्री रानी सिंघल डी-II/डी-87, गुलमोहर पार्क | एफ.आर.-45 बी. सहित विभागीय चार्ज |
| 30. | के.आर. सुभाना, 774 ए.जी.वी.सी. | एफ.आर.-45 बी. सहित विभागीय चार्ज |
| 31. | सुश्री कमलनी अस्थाना, डी-II/211, किदवई नगर (वैस्ट) | एफ.आर.-45 बी. सहित विभागीय चार्ज |
| 32. | श्री गिरीश निकम, जे 11 एंड्रूजगंज एक्सटेंशन (टाइप-4 स्पेशल) | मार्केट रैंट |
| 33. | वाई.बी. माथुर, डी 15 एंड्रूजगंज एक्सटेंशन, (टाइप-4 स्पेशल) | रुपए 1000/- प्रतिमाह की दर से नियत प्रोविजनल रैंट |
| 34. | सुश्री नीलिमा माथुर, ई-4, एंड्रूजगंज एक्सटेंशन (टा. 4 स्पे.) | एच.आर.ए. + सामान्य लाइसेंस फीस |
| 35. | वी.वी. बिनु, के 5 एंड्रूजगंज एक्सटेंशन (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 36. | के. सुनील थामस, क्यू 4, एंड्रूजगंज एक्सटेंशन (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 37. | सुभव शुक्ला, एच 4, एंड्रूजगंज एक्स. (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 38. | संजय भटनागर, बी-4, एंड्रूजगंज एक्स. | — वही — |
| 39. | ए.के. भटनागर, 201/7, एम.बी. रोड (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 40. | पी.एस. सेनगुप्ता, 205/7 एम.बी. रोड (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 41. | रमेश भान, डब्ल्यू. 13, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 42. | एस.सी. जोशी, एक्स. 27, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 43. | एम.के. सिन्हा, डब्ल्यू-1, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 44. | डी.एस. बिष्ट, जैड-1, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 45. | रमेश चन्द, जैड-9, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 46. | मंजीत सिंह, टी-3, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 47. | आर.के यादव, वाई-8, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 48. | जितेन्द्र राणा, एस-58, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 49. | संजीव आचार्य, यू. 39, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 50. | यू. आनंद कुमार, यू-8, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 51. | अजय तिवारी, यू-35, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 52. | अक्षय कुमार जोशी, एस. 32, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 53. | वी.के. दीक्षित, यू. 23, हडको प्लेस, (टा. 4 स्पे.) | — वही — |
| 54. | बी.एस. रेड्डी, डी-II/73, पंडारा रोड | सामान्य लाइसेंस फीस |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 55. | महिला दक्षता समिति, डी.II/45, किदवई नगर (वैस्ट) | विशेष लाइसेंस फीस |
| 56. | सुश्री संतोष यादव, डी-II/319, चाणक्य पुरी | मार्केट रैंट |
| 57. | प्रो. विश्वनाथ मिश्रा, डी-II/70, नार्थ एवेन्यू | —वही— |
| 58. | विवेकानन्द रॉक मेमोरियल एवं विवेकानंद केन्द्र, वी-II/101, किदवई नगर (वैस्ट) | विशेष लाइसेंस फीस |

**राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का गठन**

**2171. श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चार राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) जी, नहीं। यद्यपि सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चार राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य नहीं पाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है, विभिन्न स्थानों पर मूलभूत विज्ञान विषयों में शिक्षण तथा अनुसंधान में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना की संभावना को मूर्त रूप देने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह आमंत्रित किया गया है।

**सरकारी आवास**

**2172. श्री गिरिधारी यादव:**

**श्री बीर सिंह महतो:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी हैं जिन्हें उनके परिवार के सदस्यों के नाम से आवास होने के बावजूद सरकारी आवास आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरकारी अधिकारियों के आबंटन को रद्द करने और उसे जरूरतमंद व्यक्तियों को आबंटित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि जिस सरकारी कर्मचारी के अपने नाम से अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से अपने ड्यूटी स्थान पर अथवा किसी संबद्ध नगरपालिका में कोई मकान है, वह सरकारी वास के आबंटन के लिए पात्र है।

*[अनुवाद]*

**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्तियां**

**2173. श्री चंद्रकांत खैरे:**

**श्री चन्द्र भूषण सिंह:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कई रिक्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार/रैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में राजपत्रित रैंक में 234 रिक्तियां और अराजपत्रित रैंक में 3071 रिक्तियां हैं।

**राजपत्रित अधिकारी**

| क्र.सं. | वर्ग | रैंक | रिक्तियां |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जी.डी. | वरिष्ठ कमांडेंट | 13 |
| 2. | जी.डी. | कमांडेंट | 01 |
| 3. | जी.डी. | उप कमांडेंट | 03 |
| 4. | जी.डी. | सहायक कमांडेंट | 197 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | लिपिक वर्ग | सहायक कमांडेंट/जे.ए.ओ. | 04 |
| 6. | अग्नि | उप महानिरीक्षक | 01 |
| 7. | अग्नि | वरिष्ठ कमांडेंट | 01 |
| 8. | अग्नि | कमांडेंट | 01 |
| 9. | अग्नि | उप कमांडेंट | 02 |
| 10. | अग्नि | सहायक कमांडेंट | 04 |
| 11. | कम्बेटाइण्ड | एम.ओ. | 06 |
| | | | 234 |

अराजपत्रित अधिकारी

| | |
|---|---|
| (क) कार्यकारी संवर्ग | |
| रैंक | कुल रिक्तियां |
| उप निरीक्षक/जी.डी | 167 |
| सहायक उप-निरीक्षक/जी.डी. | 48 |
| हैड कांस्टेबल/जी.डी. | 222 |
| कांस्टेबल | 1078 |
| (ख) लिपिक वर्गीय संवर्ग | |
| सहायक उप-निरीक्षक/क्लर्क | 247 |
| हैड कांस्टेबल | 253 |
| (ग) आशुलिपिक संवर्ग | |
| उप-निरीक्षक/आशुलिपिक | 45 |
| सहायक उप-निरीक्षक | 46 |
| (घ) चालक संवर्ग | |
| हैड कांस्टेबल/ड्राईवर | 420 |
| कांस्टेबल/ड्राईवर | 429 |
| (ङ) अग्नि संवर्ग | |
| हैड कांस्टेबल/डी.सी.पी.ओ. | 21 |
| (च) पैरा मेडिकल संवर्ग | |
| सहायक उप निरीक्षक/फार्मा | 24 |
| नर्सिंग सहायक | 8 |
| (छ) अनुचर संवर्ग | 63 |
| | 3071 |

(ग) ये रिक्तियां 2005-2006 तक भरे जाने की संभावना है।

**केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा**

**2174. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित विकास योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन योजनाओं को समुचित ढंग से क्रियान्वित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं से लोगों को होने वाले लाभों और इस पर हुए व्यय का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो योजनाओं का समुचित ढंग से क्रियान्वयन न करने के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा क्या मुख्य कारण बताए गए हैं; और

(ङ) गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय आवधिक रूप से केन्द्र प्रयोजित स्कीमों का पुनरीक्षण करता है। गुजरात राज्य में निम्नलिखित केन्द्र प्रयोजित स्कीमें कार्यान्वित की गई है:—

(i) **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)**—स्व रोजगार उद्यम स्थापित करने अथवा मजदूरी रोजगार का प्रावधान करने को प्रोत्साहन प्रदान करके शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत किए गए व्यय तथा लाभप्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ii) **वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)**—स्वास्थ्य और अनुकूल शहरी पर्यावरण के साथ स्लम रहित नगरों के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शहरी स्लमों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को आश्रय प्रदान करना अथवा मौजूद आश्रय का उन्नयन करना। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि तथा शामिल रिहायशी इकाईयों और शौचालय सीटों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(iii) **रैन बसेरा स्कीम:**—देश के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम मांग आधारित स्कीम है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से हडको में प्राप्त रैन बसेरों का निर्माण करने के प्रस्तावों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत गुजरात राज्य को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है।

(ङ) वर्ष 1999-2000 के योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति 28.09 लाख है।

*विवरण-I*

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय तथा लाभप्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्तियों का ब्यौरा*

| वर्ष | किया गया व्यय (लाख रुपये में) | निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत माक्रो-उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान किए गए लोगों की संख्या | | | प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 4897.19 | 3935 | 00 | 3935 | 23760 |
| 2002-03 | 5097.45 | 7574 | 10 | 7584 | 6679 |
| 2003-04 | 5522.03 | 1981 | 33 | 2014 | 4547 |

*विवरण-II*

*वाम्बे के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त धनराशि तथा निर्माण की गई रिहायशी इकाईयों/शौचालय सीटों की कुल संख्या का ब्यौरा*

| वर्ष | प्रदत्त धनराशि/व्यय (लाख रुपये में) | शामिल रिहायशी इकाईयां | शामिल शौचालय सीटें |
|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 384.00 | 1536 | 000 |
| 2002-2003 | 3089.000 | 18776 | 1460 |
| 2003-2004 | 000 | 000 | 000 |

*[हिन्दी]*

**डकार कार्य योजना**

2175. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:**
**श्री सुरेश चन्देल:**
**प्रो. चन्द्र कुमार:**
**श्रीमती प्रतिभा सिंह:**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने डकार कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं और वर्ष 2005 तक देश के विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के प्रवेश दर की प्रतिशतता को बराबर करने के लिए प्रतिबद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) सभी के लिए शिक्षा हेतु डकार कार्य योजना ढांचे को अप्रैल, 2000 में डकार, सेनेगल में आयोजित विश्व शिक्षा मंच की बैठक में अपनाया गया था। भारत डकार कार्य योजना के प्रारूप पर हस्ताक्षरकर्ता देश है।

डकार ढांचे की धारा 7 सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करती है कि वे छह उद्देश्यों को प्राप्त करें, जिनमें से एक उद्देश्य निम्नवत् है:—

"वर्ष 2005 तक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में स्त्री-पुरुष असमानताओं को समाप्त करना, तथा शिक्षा-क्षेत्र में वर्ष 2015 तक स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करना, जिसमें गुणवत्तामूलक बुनियादी शिक्षा में बालिकाओं की संपूर्ण तथा समान पहुंच एवं उपलब्धि सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।"

*[अनुवाद]*

**केरल में मास्थी समुदाय**

**2176. श्री पी. करुणाकरन:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कसूरगौड जिले के मास्थी समुदाय वर्ष 1951 से ही अनुसूचित जनजाति समुदाय की सूची में सम्मिलित रहे हैं और बिना किसी वैध कारण के वर्ष 2001 से उन्हें अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) मास्थी समुदाय को केरल की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**आतंकवादियों की गतिविधियां**

**2177. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
**श्री के.एस. राव:**
**श्री कैलाश मेघवाल:**
**श्री सीताराम सिंह:**
**डा. चिन्ता मोहन:**
**श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
**श्री नीतीश कुमार:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राष्ट्रविरोधी तत्व देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आतंकवाद से निपटने के लिए दीर्घकालीन नीति तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में कौन से आतंकवादी गुट सक्रिय हैं और इनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में पड़ोसी देशों से भी परामर्श किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(छ) उक्त आतंकवादी गुटों की गतिविधियों की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) देश में वर्तमान आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य की मुख्य चिंताएं जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवादी ग्रुपों की विध्वंसकारी गतिविधियां और कुछेक राज्यों में नक्सलवादी ग्रुपों द्वारा की गई हिंसा पर केन्द्रित रहीं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने आतंकवाद से लड़ने हेतु एक रणनीति अपनाई है जिसमें बातचीत, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और विधि सम्मत शासन को प्रमुखता दी गई है। आतंकवाद की समस्या से निपटने हेतु दृष्टिकोण यह रहा है कि इस समस्या से समग्र रूप से राजनीतिक, विकास और सुरक्षा मोर्चों पर निपटा जाए। जहां कहीं आवश्यकता होती है प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नाम विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) और (च) सीमा पार से होने वाले अपराधों और आतंकवाद से लड़ने के लिए नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ आपसी हित के सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए संयुक्त कार्य दल गठित किए गए हैं इसके अतिरिक्त, आतंकवाद और नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए पड़ोसी देशों के साथ गृह सचिव स्तरीय वार्ताएं करने संबंधी द्विपक्षीय तंत्र भी मौजूद हैं।

(छ) केन्द्र सरकार ने ऐसे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे घुसपैठ को रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण प्रदान करना, आतंकवादी गुटों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना और द्विपक्षीय सहयोग।

*विवरण*

*विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004 द्वारा यथा संशोधित विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित संगठनों के नामों की सूची*

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स
3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5. लश्कर-ए-तैयबा/पासबान-ए-अहले हदीस
6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान
7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
8. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट
9. अल-उमर-मुजाहिद्दीन
10. जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यू.एल.एफ.ए.)
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)
13. पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
14. यूनाईटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
15. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)
16. कानलेईपाक काम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
17. कानलेई याओल कन्बा लुप (के.वाई.के.एल.)
18. मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)
19. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
20. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21. लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल.टी.टी.ई.)
22. स्टूडेन्टस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया
23. दीनदार अंजुमन
24. कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-पीपल्स वार, इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
25. माओवादी कॉम्यूनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.), इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
26. अल बदर
27. जमायत-उल-मुजाहिद्दीन
28. अल-कायदा
29. दुख्तरन-ए-मिल्लत (डी.ई.एम.)
30. तमिलनाडु लिब्रेशन आर्मी (टी.एन.एल.ए.)
31. तमिल नेशनल रिट्रीवॅल ट्रुप्स (टी.एन.आर.टी.)
32. अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ए.बी.एन.ई.एस.)

*[अनुवाद]*

**सेल की विदेश स्थित खदानों में हिस्सेदारी**

**2178. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) द्वारा विदेश स्थित एक कोयला खनन कंपनी के विदेश में स्थित कोयला खदानों में हिस्सेदारी की खरीद करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) सेल की विदेशी खानों में साम्या शेयर धारिता का अधिग्रहण करने की योजना है और यह वर्तमान में विदेशी कोयला खनन कंपनियों के साथ फोर्जिंग नीतिपरक सहयोग की संभावनाओं की तलाश कर रही है। अभी तक किसी विदेशी खानों में साम्या शेयर धारिता का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(ग) तप्त धातु की गुणवत्ता और धमन भट्टी की उत्पादकता, दोनों, के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। घरेलू स्रोतों से उच्च श्रेणी एवं कम राखांश कोककर कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सेल कोककर कोयले की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिकांशत: आयात पर निर्भर करती है। विदेशी कोककर कोयला खानों में साम्या शेयर धारिता का अधिग्रहण इस महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री की सेल की सुरक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

*[हिन्दी]*

**खाद्य बैंकों की स्थापना**

**2179. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में भुखमरी प्रवण क्षेत्रों में खाद्य बैंकों की स्थापना करने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या न्यूनतम खाद्य कार्यक्रम में ऐसे खाद्य बैंकों को स्थापित किए जाने का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो देश में ऐसे खाद्य बैंकों को खोलने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) से (घ) वर्ष 2004-05 में जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम अन्न बैंकों की स्थापना हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए 32.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय में न्यूनतम आहार योजना की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि केन्द्रीय योजना समिति (सी.पी.सी.) द्वारा चिह्नित जनजातीय एवं चयनित दूरस्थ क्षेत्रों में बाल मृत्यु की रोक थाम हेतु मंत्रालय वर्ष 1996-97 से 13 राज्यों यथा, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल एवं महाराष्ट्र में ग्राम अन्न बैंक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये क्षेत्र सामान्यत: खाद्यान्न अभाव ग्रस्त/भुखमरी ग्रस्त क्षेत्र है।

इन चिह्नित क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के अतिरिक्त ,राज्य सरकारें किसी भी ऐसी जगह, जहां खाद्यान्न के अभाव का खतरा हो इस योजना को कार्यान्वित कर सकती है। अब तक 4858 ग्राम अन्न बैंकों की स्थापना हेतु राज्यों को 20.50 करोड़ रुपए का राशि निमुक्त की गई है।

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम**

**2180. श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले संस्थानों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित किए जाने वाले संस्थानों को भी रखा जाएगा;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन राज्यों के संस्थानों को रखा जाएगा;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो धन प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) देश में इस समय चल रहे 17 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 6 विश्वविद्यालयों नामत: दिल्ली विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय को अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर स्थित कॉलेजों एवं संस्थाओं को अपनी सुविधानुसार शामिल करने का अधिकार है। तथापि, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रतिपादित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग अध्यादेश, 2004 के प्रावधानों के तहत कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है।

(घ) और (ङ) कॉलेज एवं संस्थाओं को स्वीकृत करने संबंधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार सिर्फ शैक्षिक प्रयोजन के लिए है तथा उनका निधियन पैटर्न से कोई सीधा सरोकार नहीं है।

**अर्द्धसैनिक बलों हेतु धन**

**2181. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
**श्री बीर सिंह महतो:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों से जूझ रहे अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों के कल्याण हेतु बलवार कितना धन उपलब्ध कराया गया है और यह कुल बजटीय आबंटन का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या इन बलों हेतु आबंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा इन जवानों के कल्याण के बजाय इन बलों के उच्चाधिकारियों पर व्यय किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जवानों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान अनुग्रही मुआवजे की अदायगी समेत अर्द्धसैनिक बलों के कल्याण हेतु आबंटित और स्वीकृति निधियां (बल-वार) संलग्न विवरण में दी गई है।

अनुग्रही मुआवजा, ड्यूटी के दौरान मारे गए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के निकटतम संबंधी को अदा किया जाता है, जबकि कल्याण अनुदान का उपयोग यूनिटों और सीमा चौकियों पर जवानों द्वारा इस्तेमाल के लिए मनोरंजन का सामान, खेल उपकरणों और जनरेटर सेटों जैसी अन्य जरूरत की चीजों इत्यादि की खरीद के लिए किया जाता है। बलों की अपनी कल्याण योजनाएं और निधियां भी होती हैं जो जवानों और उनके परिवार की जरूरतों के लिए बल के स्तर पर संग्रहीत की जाती है।

*विवरण*

*गत तीन वर्षों के लिए अर्द्ध सैनिक बलों के लिए सहायता अनुदान का ब्यौरा*

| | |
|---|---|
| वर्ष 2001-2002 के लिए आवंटित कुल बजट अनुदान | 3400 लाख |
| वर्ष 2002-2003 के लिए आवंटित कुल बजट अनुदान | 3800 लाख |
| वर्ष 2003-2004 के लिए आवंटित कुल बजट अनुदान | 3800 लाख |

(रुपये लाखों में)

| संगठन का नाम | 2001-2002 | | 2001-2002 | | 2002-2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत अनुदान | कुल की प्रतिशतता | स्वीकृत अनुदान | कुल की प्रतिशतता | स्वीकृत अनुदान | कुल की प्रतिशतता |
| असम राइफल्स | 305.75 | 8.99 | 295.32 | 7.77 | 259.91 | 6.83 |
| सीमा सुरक्षा बल | 1609.74 | 47.35 | 1650.09 | 43.42 | 1419.40 | 37.35 |
| केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल | 1137.50 | 33.46 | 1044.59 | 27.49 | 1225.55 | 32.25 |
| केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 156.35 | 4.60 | 231.65 | 6.10 | 229.50 | 6.04 |
| भारत-तिब्बत सीमा पुलिस | 88.40 | 2.60 | 183.30 | 4.82 | 322.12 | 8.48 |
| सशस्त्र सीमा बल | 49.10 | 1.44 | 131.48 | 3.46 | 59.00 | 1.55 |
| राष्ट्रीय सुरक्षा गारद | 7.10 | 0.21 | 22.25 | 0.59 | 52.05 | 1.37 |
| कुल | 3353.94 | | 3558.68 | | 3567.33 | |

*[अनुवाद]*

**विद्युत उपकरणों पर ऊर्जा लेबल चिपकाने हेतु विधान**

**2182. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियों द्वारा घरेलू उपकरणों कृषि पंपसेटों और बिजली उपकरणों आदि पर वार्षिक ऊर्जा खपत का उल्लेख करने वाले ऊर्जा लेबल को चिपकाए जाने संबंधी कोई विधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अधिकतम अनुमत्य ऊर्जा खपत आदि का उल्लेख करने वाले ऊर्जा लेबलों को चिपकाए जाने की प्रणाली को लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए मानदंडों के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने ऊर्जा के दक्ष इस्तेमाल प्रदान करने एवं इसके संरक्षण तथा तत्संबंधी मामले या प्रासंगिक मामलों के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) का अधिनियमन

किया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14 के खंड (घ) में अन्य के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा ब्यूरो आफ एनर्जी एफिसियेन्सी के साथ परामर्श करके अधिनियमन की धारा 14 के खंड (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपस्कर या उपकरण के ऊपर लेबल पर ऐसे वितरण, उस तरीके से जैसा विनियमन द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है सीधे प्रदर्शित करने का निदेश दे सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उपस्कर या उपकरण की ऊर्जा की दक्षता के स्तर को इंगित करते हुए तुलनात्मक ग्रेडिंग (1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार आदि) पर आधारित ऊर्जा लेबल लगाने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के खंड (घ) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार है।

**राज्य विद्युत बोर्डों का बकाया**

2183. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
**श्री अनन्त नायक:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के उपक्रमों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों से बहुत अधिक बकाया धनराशि वसूल की जानी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड पर सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की बकाया धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान न करने के क्या कारण बताए गए हैं; और

(घ) राज्यों से बकाया धनराशि वसूल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) और (ख) दिनांक 31.10.2004 को कुल बकाया राशि 9862.53 करोड़ रुपये थी। राज्य-वार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय राशियों का भुगतान न करने के लिए प्रस्तुत किए गए कारण ये है:—

निम्नलिखित पांच राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी.) को छोड़कर किसी राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत विभाग ने देय राशियों का भुगतान न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए हैं। बी.एस.ई.बी. एवं जे.एस.ई.बी. और एम.पी.एस.ई.बी. एवं सी.एस.ई.बी. के बीच परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन के अंतरिम आदेश के बाद बिहार (बी.एस.ई.बी.), झारखंड (जे.एस.ई.बी.), मध्य प्रदेश (एम.पी.एस.ई.बी.) एवं छत्तीसगढ़ (सी.एस.ई.बी.) के चार नये रा.वि. बोर्डों ने अपनी बकाया राशि के भाग को सिक्यूरिटाइज नहीं किया है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) ने दिल्ली वित्त प्रदाय संस्थान (डी.ई.एस.यू.) के कार्यकाल से संबंधित देय राशियों को इस आधार पर सिक्यूरिटाइज नहीं किया है कि जी.एन.सी.टी.डी., डेसू का प्रबंधन नहीं कर रही थी।

(घ) 9862.53 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि में से 3588.12 करोड़ रुपए पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से संबंधित है जो कि एक मुश्त समाधान स्कीम में शामिल नहीं है।

3588.12 करोड़ रुपये की इस राशि में से अधिकांश राशि (3141.91 करोड़) आर.ई.सी. की थी। आर.ई.सी. ने सूचित किया है कि उसने एम.पी.एस.ई.बी. एवं जे.एस.ई.बी. के साथ बकाया राशि के निपटान के लिए एक अलग करार किया है। आर.ई.सी. ने अन्य सभी राज्य सरकारों के साथ बकाया राशि के भुगतान मामला उठाया है।

6274.41 करोड़ रुपए की बकाया राशि पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामश: नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. एवं दामोदर वेली कारपोरेशन को देय है। उपर्युक्त उल्लिखित पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देय 2211.25 करोड़ रुपए की राशि 30.9.2001 तक की अवधि से संबंधित है तथा इसे परिसंपत्तियों एवं देयताओं के आधार पर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों द्वारा सिक्यूरिटाइज किया जाना अपेक्षित है। जी.एन.सी.टी.डी. को डेसू एवं दिल्ली विद्युत बोर्ड की अवधि से संबंधित 1880.60 करोड़ रुपए की राशि सिक्यूरिटाइज करनी है। 01.10.2001 के बाद की अवधि की 2182.56 करोड़ रुपये की देय राशि राज्यों के केन्द्रीय अंतरण से टी.पी.ए. के खंड 17 के अधीन वसूली योग्य है, जबकि कभी संबंधित राज्यों एवं राज्य बिजली बोर्डों के साथ विचार विमर्श करने के बाद संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हो।

*विवरण*

*31.10.2004 तक राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को भुगतान की जाने वाली बकाया राशियों के राज्यवार विवरण*

| राज्य | एन.एच.पी.सी. कुल | एन.टी.पी.सी. कुल | पी.जी.सी.आई.एल. कुल | डी.वी.सी. कुल | नीपको कुल | आर.ई.सी. कुल | पी.एफ.सी. कुल | कुल जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.91 | 0 | 8.94 | 0 | 15.61 | 0 | 0 | 25.46 |
| असम | 3.31 | 0 | 0 | 0.21 | 129.23 | 374.48 | 0 | 507.23 |
| बिहार | 111.99 | 1260.19 | 159.61 | 643.5 | 0 | 0 | 7.01 | 2182.3 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 20.77 |
| हिमाचल प्रदेश | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.52 |
| जम्मू-कश्मीर | 42.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.87 |
| झारखंड | 0.31 | 256.46 | 105.39 | 982.89 | 0 | 240.35 | 1.07 | 1586.47 |
| कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 54.45 |
| मध्य प्रदेश | 0 | 309.55 | 0 | 0 | 0 | 2,479.98 | 54.58 | 2844.11 |
| मणिपुर | 48.32 | 0 | 17.32 | 0 | 81.78 | 26.89 | 0 | 174.31 |
| मेघालय | 0.65 | 0 | 2.11 | 0 | 28.19 | 0 | 0 | 30.95 |
| मिजोरम | 4.67 | 0 | 8.76 | 0 | 52.76 | 20.21 | 7.47 | 93.87 |
| नागालैंड | 3.32 | 0 | 1.87 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 13.13 |
| उड़ीसा | 2.48 | 0 | 3.96 | 1.18 | 0 | 0 | 300.86 | 308.48 |
| राजस्थान | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| सिक्किम | 3.2 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| त्रिपुरा | 6.23 | 0 | 11.08 | 0 | 64.98 | 0 | 0 | 82.29 |
| उत्तर प्रदेश | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| कुल : राज्य | 275.89 | 1,826.20 | 319.77 | 1,628.17 | 380.49 | 3,141.91 | 446.21 | 8,018.64 |
| दिल्ली | 357.62 | 1310.83 | 175.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.89 |
| कुल योग | 633.51 | 3,137.03 | 495.21 | 1,628.17 | 380.49 | 3,141.91 | 446.21 | 9,862.53 |

**बहुराष्ट्रीय कंपनियों/विदेशी कंपनियों द्वारा रसायन विनिर्माण इकाइयां**

**2184. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसायन विनिर्माण इकाइयों वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों/विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अपने भारतीय साझेदार के साथ रसायन विनिर्माण करने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित रसायनों का विनिर्माण नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) बी.ए.एस.एफ. इंडिया लि., बेयर क्रापसाइंस इंडिया लि., ई.आई. डू पोंट इंडिया लि., मैसर्स एवेंटिस फार्म लि., ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लि., मैसर्स एस्ट्रा-जेनेका लि. आदि जैसी विदेशी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में विनिर्माण एकक स्थापित किए हैं। कलर कैम लि., क्लेरियंट (इंडिया) लि., शेनेक्टेडी हरदिलिया लि. आदि जैसे कुछ एकक संयुक्त उपक्रम के रूप में रसायनों का विनिर्माण कर रहे हैं।

(ग) और (घ) संसद के विभिन्न अधिनियमों जैसे 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986', 'कीटनाशक अधिनियम-1968', 'दी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज एक्ट 1986' और 'औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940' आदि के माध्यम से देश में प्रतिबंधित रसायनों के विनिर्माण पर रोकथाम को सुनिश्चित किया जाता है।

**हथियार एवं स्वापकों की तस्करी**

**2185. श्री निखिल कुमार चौधरी:**
**डा. टोकचोम मैन्या:**
**श्री किरिप चालिहा:**
**श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
**श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
**श्रीमती मिनाती सेन:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी रिपोर्ट के अनुसार भारत अवैध रूप से मादक दवाओं का उत्पादन करने वाले देशों से लाने ले जाने के मार्गों वाले प्रमुख देशों की सूची में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2003 और 2004 के दौरान स्वापकों/मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए स्वापकों/मादक द्रव्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसमें संलिप्त पाए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या स्वापक तस्करी से प्राप्त होने वाले धन का कुछ हिस्सा देश में विभिन्न उग्रवादी गुटों द्वारा अस्त्रों की खरीद हेतु उपलब्ध कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो देश में स्वापकों/मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) भारत, अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई मादक दवाओं का उत्पादन करने वाले या मादक दवाओं को लाने-ले जाने के मार्गों वाले देशों की सूची में शामिल है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) ऐसी कोई विशिष्ट घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(च) भारत सरकार ने देश में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:—

(i) आयात और निर्यात स्थलों, भू सीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाक घरों इत्यादि पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन;

(ii) नशीली दवाईयां ले जाने के ज्ञात रास्तों के साथ-साथ गहन निवारक और निषेधात्मक प्रयास करना;

(iii) निषेधादेश हेतु व्यापक संशक्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उन्नत समन्वय;

(iv) अफीम पोपी की अवैध खेती तथा भांग को जंगली पैदावार की पहचान करना तथा आपूर्ति के इन स्रोतों को समाप्त करना;

(v) ऑपरेशनल आसूचना के एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रसार में सुधार लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ करना;

(vi) प्रीकर्सर रसायनों की आवाजाही पर नियंत्रण करने में सूचना के आदान-प्रदान और जांच-पड़ताल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना;

(vii) अपराधियों का एक इलैक्ट्रॉनिक डाटा बेस तैयार करना;

(viii) नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

विवरण

जब्त की गई नशीली दवाईयों/स्वापक पदार्थों और गिरफ्तारियों को दर्शाने वाला विवरण

| राज्य | | 2003 | | | | | | 2004 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गाजा | हशीश | हिरोईन | मेथाक्युलोन (मेड्रेक्स) | मोरफीन | अफीम | गाजा | हशीश | हिरोईन | मेथाक्युलोन (मेड्रेक्स) | मोरफीन | अफीम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| अंडमान और निकोबार | मात्रा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | मात्रा | 5670.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151.44 | 0 | 0 | 1586.08 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश | मात्रा | 21 | 0 | 1.03 | 0 | 1.15 | 4.31 | 53.00 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0.17 |
| | गिरफ्तारियां | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| असम | मात्रा | 13507.99 | 0 | 0.52 | 0 | 0.33 | 0.14 | 14110.900 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0.30 |
| | गिरफ्तारियां | 90 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| बिहार | मात्रा | 1495.05 | 17.50 | 35.82 | 0 | 0 | 0 | 400.00 | 759.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 58 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | मात्रा | 3.58 | 44.88 | 1.04 | 0 | 0 | 38.43 | 9.03 | 0.95 | 0.56 | 0 | 0 | 0.03 |
| | गिरफ्तारियां | 6 | 7 | 33 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| छत्तीसगढ़ | मात्रा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | मात्रा | 3.14 | 25.71 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 43,82 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | मात्रा | 2582.59 | 190.30 | 80.97 | 38 | 0 | 36.88 | 240.17 | 19.05 | 21.46 | 0 | 0 | 3.87 |
| | गिरफ्तारियां | 114 | 34 | 69 | 0 | 0 | 21 | 25 | 20 | 8 | 0 | 0 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरियाणा | मात्रा | 112.24 | 124.31 | 2.76 | 0 | 0 | 122 | 18363.74 | 75.09 | 1.47 | 0 | 0 | 62.01 |
| | गिरफ्तारियां | 42 | 219 | 34 | 0 | 0 | 109 | 117 | 105 | 20 | 0 | 0 | 63 |
| हिमाचल प्रदेश | मात्रा | 2.55 | 371.40 | 8.03 | 0 | 0 | 30.28 | 0.340 | 297.92 | 27.52 | 0 | 0 | 2.71 |
| | गिरफ्तारियां | 2 | 249 | 13 | 0 | 0 | 31 | 1 | 159 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| जम्मू-कश्मीर | मात्रा | 74.55 | 174.54 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.87 | 14.59 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 3 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| झारखण्ड | मात्रा | 229.80 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 58.62 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 42 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | मात्रा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.72 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| केरल | मात्रा | 95.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | मात्रा | 3332.95 | 26.92 | 155.76 | 0 | 15.30 | 381.48 | 5454.18 | 18.56 | 138.58 | 0 | 11.70 | 515.25 |
| | गिरफ्तारियां | 298 | 15 | 293 | 0 | 14 | 95 | 191 | 6 | 152 | 0 | 4 | 60 |
| महाराष्ट्र | मात्रा | 9888.35 | 66.58 | 170.85 | 496 | 0 | 211.98 | 10609.75 | 113.79 | 167.42 | 0 | 0 | 551.19 |
| | गिरफ्तारियां | 411 | 65 | 177 | 8 | 0 | 10 | 291 | 46 | 120 | 0 | 0 | 7 |
| मणिपुर | मात्रा | 2488.20 | 1 | 19.24 | 0 | 0 | 36.19 | 3319.00 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 13.20 |
| | गिरफ्तारियां | 26 | 1 | 89 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 |
| मेघालय | मात्रा | 1915.90 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1139.50 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | मात्रा | 155.67 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 160 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैण्ड | मात्रा | 8558 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 6.10 | 23554.90 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 4.02 |
| | गिरफ्तारियां | 44 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | मात्रा | 4173.62 | 1138.67 | 180.01 | 59.28 | 4 | 65.46 | 15772.96 | 371.52 | 235.01 | 27.73 | 0 | 156.45 |
| | गिरफ्तारियां | 105 | 105 | 1154 | 1 | 2 | 14 | 43 | 52 | 652 | 1 | 0 | 16 |
| उड़ीसा | मात्रा | 1982.66 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 18.80 | 446.65 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2.20 |
| | गिरफ्तारियां | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| पांडिचेरी | मात्रा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | मात्रा | 90.51 | 190.53 | 23.62 | 0 | 0 | 326.23 | 41.04 | 45.91 | 28.30 | 0 | 0 | 210.03 |
| | गिरफ्तारियां | 11 | 77 | 487 | 0 | 0 | 337 | 7 | 51 | 251 | 0 | 0 | 208 |
| राजस्थान | मात्रा | 327.66 | 4.54 | 23.94 | 0 | 0 | 284.19 | 0 | 0 | 32.29 | 0 | 0 | 34.01 |
| | गिरफ्तारियां | 29 | 15 | 164 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| तमिलनाडु | मात्रा | 6106.98 | 2.47 | 150.37 | 0 | 23.85 | 7.74 | 0 | 0 | 115.93 | 0 | 0 | 0.46 |
| | गिरफ्तारियां | 4551 | 7 | 138 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | मात्रा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | मात्रा | 8152.32 | 564.27 | 76.80 | 0 | 64.37 | 143.52 | 4338.49 | 2145.13 | 39.99 | 0 | 37.38 | 54.03 |
| | गिरफ्तारियां | 2372 | 797 | 3426 | 0 | 252 | 218 | 820 | 393 | 879 | 0 | 134 | 101 |
| उत्तरांचल | मात्रा | 80 | 67.15 | 0.48 | 0 | 0 | 0.38 | 24 | 14.71 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 4 | 157 | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | मात्रा | 3416.44 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0.11 | 747.29 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 |
| | गिरफ्तारियां | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

नोट: सभी मात्राएं किलोग्राम में है।

**समितियों का गठन**

**2186. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में मंत्रालय द्वारा कितनी समितियां गठित की गई हैं;

(ख) इनको पुनर्गठित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक समिति में कौन-कौन शामिल हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**संरक्षित क्षेत्र संबंधी परमिट**

**2187. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय ने मणिपुर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इस राज्य में आने वाले प्रत्येक पर्यटक हेतु अनिवार्य रूप से संरक्षित क्षेत्र परमिट लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी इस हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय या मणिपुर सरकार से इस मामले से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

*[अनुवाद]*

**दाभोल विद्युत परियोजना**

**2188. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से निष्क्रिय दाभोल पावर कॉरपोरेशन में जेनरल इलेक्ट्रीक और बेक्टेल की इक्विटी धारिता ग्रहण करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**राष्ट्रीय एकता परिषद**

**2189. श्री अर्जुन सेठी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक का एक दशक से अधिक समय से आयोजन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्थिति की समीक्षा और परिषद् का पुनर्गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ङ) राष्ट्रीय एकता परिषद (एन.आई.सी.) की अंतिम बैठक 1992 में हुई थी। एन.आई.सी. के पुनर्गठन का प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में शीघ्र ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। पुनर्गठित एन.आई.सी. की बैठक निकट भविष्य में आयोजित किए जाने की संभावना है।

**कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को अनुदान**

**2190. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के आई.ए.एस. कोचिंग केन्द्र के अनुदान को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अनुदान को पुनर्बहाल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए वर्ष 1998 से तीन वर्षों की अवधि के लिए उपचारी शिक्षण कक्षाओं की योजना को कार्यान्वित करने के लिए 4.5 लाख रु. का अनुदान दिया गया था। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार यह सहायता की राशि विश्वविद्यालय के एक भाग एम.जी.ए.आई.एस. कोचिंग संस्थान द्वारा उपयोग की गई थी।

इस योजना को तीन वर्षों तक कार्यान्वित करने के पश्चात् इसकी एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की गई जिसने इस योजना के लिए आगे सहायता न देने की सिफारिश की है।

**दिल्ली विश्वविद्यालय में अनियमितताएं**

2191. **श्री उदय सिंह:**
**श्री अधीर चौधरी:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत कई वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में नियमित रूप से वित्तीय अनियमितता बरती जा रही हैं और यहां इसके वित्तीय प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार सरकार के निर्देशों का अनुपालन न करने पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (घ) सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु कोई सामान्य दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। विश्वविद्यालय की संविधि के अनुसार, विश्वविद्यालय के राजस्व तथा संपत्ति के प्रबंधन तथा प्रशासन का कार्य, न्यायालय के नियंत्रणाधीन रहते हुए कार्य परिषद्, जो विश्वविद्यालय की सर्वोच्च अधिकार-प्राप्त संस्था है, द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आवधिक रूप से की जाती है तथा लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को, यदि कोई हों, विश्वविद्यालय के संबद्ध अधिकारियों द्वारा सुधारा जाता है।

**शिशु सदनों और नर्सरी स्कूलों की स्थापना हेतु सहायता**

2192. **श्री सुरेश कलमाडी:**
**श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा उसके बाद कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नर्सरी स्कूलों और शिशु सदनों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितनी वित्तीय और संगठनात्मक दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में नर्सरी स्कूल या शिशु सदन की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) उक्त नर्सरी स्कूलों और शिशु सदनों की स्थापना राज्यवार कब तक किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) कामकाजी एवं बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृहों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम तथा राष्ट्रीय शिशुगृह कोष स्कीम के अन्तर्गत संगठनात्मक लागत के लिए 4000/- रुपए तथा आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए प्रति शिशुगृह प्रतिमाह 1540/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*राष्ट्रीय शिशुगृह कोष तथा कामकाजी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृहों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक निर्मुक्त किए गए अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 71.52 | 83.91 | 88.19 | 119.22 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 0.74 | 42.90 | 20.97 | 3418 |
| 4. | बिहार | 4.69 | 11.24 | — | |
| 5. | दिल्ली | — | — | 24.02 | |
| 6. | गोवा | — | — | — | |
| 7. | गुजरात | 6.18 | 2.80 | 3.69 | 1.91 |
| 8. | हरियाणा | 7.46 | 35.97 | 5.72 | 20.24 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.77 | — | — | |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | — | — | — | |
| 11. | झारखण्ड | 1.51 | — | — | |
| 12. | कर्नाटक | 5.81 | 11.30 | 2.77 | 6.46 |
| 13. | केरल | — | — | — | |
| 14. | मध्य प्रदेश | 12.69 | 9.86 | 1.84 | 0.55 |
| 15. | महाराष्ट्र | 14.15 | 21.17 | 13.08 | 11.83 |
| 16. | मणिपुर | 1.01 | — | 6.08 | |
| 17. | मेघालय | 0.49 | — | — | |
| 18. | मिजोरम | — | — | — | |
| 19. | नागालैण्ड | — | — | — | |
| 20. | उड़ीसा | 14.84 | 5.82 | 1.84 | |
| 21. | पंजाब | 4.16 | — | — | |
| 22. | राजस्थान | 2.20 | 0.74 | — | |
| 23. | सिक्किम | — | — | — | |
| 24. | तमिलनाडु | 13.24 | 22.81 | 17.72 | 5.91 |
| 25. | त्रिपुरा | — | — | — | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 16.99 | 21.22 | 9.98 | 3.69 |
| 27. | उत्तरांचल | 3.97 | 33.72 | 9.24 | 14.78 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3.14 | 103.68 | 47.12 | 14.78 |
| 29. | अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह | — | — | — | |
| 30. | चण्डीगढ़ | — | — | — | |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | — | — | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | दमन व दीव | — | — | — | |
| 33. | लक्षद्वीप | — | — | — | |
| 34. | पाण्डिचेरी | — | — | — | |
| | कुल | 185.56 | 407.14 | 252.98 | 236.32 |

**योजना और गैर-योजना स्कीम के अंतर्गत**

**(करोड़ रुपये)**

| क्र.सं. | कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों के नाम | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केसक बोर्ड | 16.85 | 17.99 | 15.37 | 8.99 |
| 2. | भारतीय बाल कल्याण परिषद् | 2.55 | 2.67 | 1.66 | 0.82 |
| 3. | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ | 2.03 | 2.03 | 2.20 | 1.03 |
| | कुल | 21.43 | 22.69 | 19.23 | 10.84 |

**विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति**

2193. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
**श्री रामदास आठवले:**
**श्री दुष्यंत सिंह:**
**श्री सनत कुमार मंडल:**
**श्री गिरिधारी यादव:**
**श्री काशीराम राणा:**
**श्री सुनिल कुमार महतो:**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**
**श्री इलियास आजमी:**
**श्री रघुवीर सिंह कौशल:**
**श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
**चौधरी लाल सिंह:**
**श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**

क्या **विद्युत मंत्री** 17 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2895 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उक्त सूचना को कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (घ) दिनांक 17 अगस्त, 2004 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2895 के उत्तर में दिए गए आश्वासन के संबंध में क्रियान्वयन रिपोर्ट दिनांक 3.12.2004 को ही लोक सभा पटल पर रख दी गयी है।

*[हिन्दी]*

**बायो-गैस को बढ़ावा देने हेतु नई प्रौद्योगिकी**

2194. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बायो-गैस की खपत और उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बायो-गैस के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नई प्रौद्योगिकी का उपयोग और अनुसंधान जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बायो-गैस के उपयोग पर नई प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा है?

**अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) और (ख) जी हां, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों के संवर्धन एवं स्थापना हेतु राज्यों को उनके कार्यान्वयन संगठनों के माध्यम से केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2004-05 के लिए राज्यवार आबंटित लक्ष्य और संगत स्वीकृत राशि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां, मंत्रालय माइक्रो जैविक, जैव-रासायनिक और इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से प्रक्रिया सुधार और मिथेन उत्पादन को बढ़ाने के लिए बायोगैस के क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता कर रहा है। बायोगैस और स्लरी का विभिन्न रूप से उपयोग करने के लिए भी प्रयास जारी हैं।

(ङ) पूर्वनिर्माण तकनीकों और वैकल्पिक सामग्रियां जैसे फैरो सीमेंट का प्रयोग करते हुए नए डिजाइनों को विकसित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए लागत में कमी आई है। बायोगैस के उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड-स्टॉक के प्रयोग को भी मान्यता दी गई है जिससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का आगे अधिक विस्तार होगा।

***विवरण***

*वर्ष 2004-05 के दौरान पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों हेतु लक्ष्यों और केन्द्रीय वित्तीय सहायता का आबंटन*

| क्र. सं. | राज्य | वर्ष 2004-05 के लिए लक्ष्य | केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) (लाख रु.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 11500 | 483.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 200 | 25.00 |
| 3. | असम | 100 | 12.50 |
| 4. | बिहार | 1000 | 42.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1500 | 63.00 |
| 6. | गोवा | 90 | 3.78 |
| 7. | गुजरात | 4000 | 168.00 |
| 8. | हरियाणा | 1000 | 42.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 200 | 8.40 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 10 | 0.42 |
| 11. | झारखंड | 100 | 4.20 |
| 12. | कर्नाटक | 11500 | 483.00 |
| 13. | केरल | 2500 | 105.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 7000 | 294.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | 8000 | 336.00 |
| 16. | मणिपुर | 200 | 25.00 |
| 17. | मेघालय | 200 | 25.00 |
| 18. | मिजोरम | 400 | 50.00 |
| 19. | नागालैंड | 300 | 37.50 |
| 20. | उड़ीसा | 8000 | 336.00 |
| 21. | पंजाब | 1500 | 63.00 |
| 22. | राजस्थान | 100 | 4.20 |
| 23. | सिक्किम | 200 | 25.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 1500 | 63.00 |
| 25. | त्रिपुरा | 200 | 25.00 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 7000 | 294.00 |
| 27. | उत्तरांचल | 400 | 16.80 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 11500 | 483.00 |
| 29. | के.वी.आई.सी. एवं अन्य | 16000 | 796.50 |

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास विकास योजना**

**2195. श्री रामदास आठवले:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पांच वर्षों की अवधि के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवास विकास योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से प्रारूप समिति की सिफारिशों से संबंधित कोई सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली का मास्टर प्लान, 2001**

**2196. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र में कितने स्थानों पर दिल्ली के मास्टर प्लान, 2001 के अनुसार फार्म हाऊस, आवासीय स्थलों और व्यावसायिक परिसरों/दुकानों को स्थापित किया गया है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने क्षेत्रों और स्थानों पर आवासीय स्थलों, फार्म हाउसों और दुकानों आदि को मास्टर प्लान, 2001 के अनुसार नहीं बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप मास्टर प्लान का उल्लंघन हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण आरंभ किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (घ) दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 के अनुसार, फार्महाउसों की अनुमति, केवल ग्रामीण उपयोग जोनों में ही दी जाती है। विभिन्न अन्य उपयोग जोनों में वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों की अनुमति अनुमत्य मानदंडों के अध्यधीन दी जाती हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार दिल्ली नगर निगम द्वारा फार्महाउसों के लिए योजनाएं मंजूर की जाती हैं। जब कभी किसी उल्लंघन की जानकारी मिलती है, दिल्ली नगर निगम द्वारा कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उसने दिल्ली मास्टर प्लान-2001 का उल्लंघन करके निर्मित किए गए फार्महाउसों, दुकानों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने विकास क्षेत्रों में स्थित फार्महाउसों का एक सर्वेक्षण किया है और दिनांक 29.11.2002 की स्थिति अनुसार उनके निष्कर्ष इस प्रकार है:—

(i) फार्महाउसों की कुल संख्या —406

(ii) स्वीकृति और खाली भूमि के अनुसार फार्महाउसों सहित भूखंड —217

(iii) स्वीकृति योजना और भवन उपनियमों के उल्लंघन वाले फार्महाउस, जिन पर कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। —189

जहां तक वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों का संबंध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया और जब कभी भी उन्हें उल्लंघन की जानकारी मिलती है, कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

*[अनुवाद]*

**अनुसूचित जनजाति समुदायों की जनसंख्या का घटना**

**2197. श्री परसुराम माझी:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में उन अनुसूचित जनजाति समुदायों की पहचान की है जिनकी जनसंख्या प्रतिवर्ष घट रही है;

(ख) क्या इन समुदायों को विलुप्त होने से बचने तथा उनके आर्थिक उत्थान के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा क्या प्रस्ताव किए गए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) 2001 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों की जनसंख्या के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं। 1981 और 1991 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित आदिम जनजातीय समूहों की जनसंख्या में मामूली कमी हुई है:—

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | आदिम जनजातीय समूह का नाम | जनसंख्या | |
|---|---|---|---|
| | | 1981 की जनगणना के अनुसार | 1991 की जनगणना के अनुसार |
| अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | ग्रेट अण्डमानी | 42 | 32 |
| —वही— | शोम पेन | 223 | 131 |
| कर्नाटक | जेनू कुरुबा | 34747 | 29371 |

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना से ही जनजातीय उपयोजना रणनीति के तहत 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 75 आदिम जनजातीय समूहों सहित सभी अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कृषि, पशुपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह मंत्रालय 1998-99 से सिर्फ आदिम जनजातीय समूहों के हित के लिए विशेष केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत "आदिम जनजातीय समूहों का विकास" नामक योजना चला रहा है। इस योजना के तहत आदिम जनजातीय समूहों के लिए सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न क्रियाकलाप चलाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और गैर सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार ने जेनू कुरुबा सहित आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। 16.11.2004 को आयोजित समीक्षा-सह-चयन समिति की बैठक में प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है। समिति ने "जेनू कुरुबा" के भूमि विकास एवं सचल शिक्षा और सचल स्वास्थ्य परिचर्या की परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की है। इस संबंध में अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

### पारेषण और वितरण घाटा

**2198. श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
**श्री टी.के. हमजा:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने विद्युत पारेषण और वितरण के घाटे को कम करने के लिए अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (ग) जी हां। राज्य वितरण नेटवर्क के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत करते हैं ताकि पारेषण एवं वितरण हानियों से बचा जा सके/विद्युत मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं को त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत मंजूर करता है। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के तहत 17619.07 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की है, इसमें 2004-05 में 1008.88 करोड़ रुपये की मंजूर की गई परियोजनाएं शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। राज्य ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत जारी की गई निधियों के उपयोग के बारे में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्यों ने 31.10.2004 तक 4762.18 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया है।

### बोकारो इस्पात संयंत्र में हड़ताल

**2199. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के निर्णय की जानकारी है जिसमें उसने सुलह की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक बोकारो इस्पात संयंत्र में हड़ताल पर रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो सुलह प्रक्रिया को पूरी करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुलह इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रबंधन ने हड़ताल की एक साथ सूचना देने वाले संघों के साथ सुलह करने से इंकार कर दिया और प्रत्येक संघ के साथ अलग से विचार-विमर्श करने पर जोर देता रहा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पिछली बार संयुक्त विचार-विमर्श एक साथ हड़ताल का नोटिस देने वाले सभी संघों के साथ हुआ था और श्रम आयुक्त, झारखंड ने भी बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन से संयुक्त रूप से सुलह प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कहा था; और

(च) यदि हां, तो प्रबंधन के इनकार करने का क्या औचित्य है और शीघ्र सुलह के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 2003 के केस सं. 5263 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) के प्रबंधन ने उप श्रम आयुक्त एवं समाधान अधिकारी से संघों के साथ पृथक्-पृथक् रूप से सुलह प्रक्रियाएं शुरू करने का अनुरोध किया था क्योंकि संघों द्वारा पृथक् रूप से हड़ताल और मांगों के चार्टर पेश किए गए थे। समाधान के तरीके को निश्चित करना समाधान अधिकारी का विशेषाधिकार है। उप श्रम आयुक्त और समाधान अधिकारी ने संघों के साथ पृथक्-पृथक् रूप से समाधान किया। प्रबंधन के प्रतिनिधि ने सभी समाधान बैठकों में भाग लिया और इस प्रकार किसी भी स्तर पर प्रक्रियाएं बाधित नहीं हुईं।

इस मामले पर श्रम आयुक्त झारखंड सरकार, रांची ने भी संघों के साथ बैठक/समाधान के संबंध में बैठकें की थी और बी.एस.एल. के प्रतिनिधि बैठक के लिए निर्धारित सभी तारीखों पर बैठक में उपस्थित हुए।

(ङ) और (च) जहां तक श्रम आयुक्त के परामर्श के अनुसार सुलह प्रक्रियाओं में दिनांक 24 और 25 दिसंबर, 2002 को बोकारो स्टील सिटी में तथा श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई उत्तरवर्ती तारीख को रांची में संयुक्त रूप से उपस्थित रहने का संबंध है, प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने बिना किसी आपत्ति के बैठकों में भाग लिया। श्रम आयुक्त द्वारा बुलाई गई सुलह बैठकों में भाग लेने से प्रबंधन ने कभी इंकार नहीं किया और मामला सुलह की प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाएगा।

**प्रतिबंधित संगठन**

**2200. श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न सुरक्षा अधिनियमों उदाहरणार्थ पोटा, मोका के अंतर्गत किन-किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ख) इन संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ):** (क) 32 प्रतिबंधित संगठनों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पोटा, 2002 के निरस्त होने के बाद से 32 आतंकवादी संगठन, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 जिसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004 के द्वारा यथासंशोधित किया गया था, के तहत प्रतिबंधित संगठन बने रहे। मोका में संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं है।

(ख) केन्द्र सरकार ने आतंकवाद से लड़ने हेतु एक रणनीति अपनाई है जिसमें बातचीत, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और विधि सम्मत शासन को प्रमुखता दी गई है। आतंकवाद की समस्या से निपटने हेतु दृष्टिकोण यह रहा है कि इस समस्या से समग्र रूप से राजनीतिक विकास और सुरक्षा मोर्चों पर निपटा जाए। जहां कहीं आवश्यकता होती है प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

***विवरण***

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स
3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5. लश्कर-ए-तैयबा/पासबान-ए-अहले हदीस
6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान
7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
8. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट
9. अल-उमर-मुजाहिद्दीन
10. जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यू.एल.एफ.ए.)
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)
13. पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
14. यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
15. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)
16. कानलेईपाक काम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
17. कानलेई याओल कन्बा लुप (के.वाई.के.एल.)
18. मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)
19. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स

20. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21. लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल.टी.टी.ई.)
22. स्टूडेन्टस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया
23. दीनदार अंजुमन
24. कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-पीपल्स वार, इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
25. माओवादी कॉम्यूनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.), इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
26. अल बदर
27. जमायत-उल-मुजाहिद्दीन
28. अल-कायदा
29. दुखतरन-ए-मिल्लत (डी.ई.एम.)
30. तमिलनाडु लिब्रेशन आर्मी (टी.एन.एल.ए.)
31. तमिल नेशनल रिट्रीवॅल ट्रुप्स (टी.एन.आर.टी.)
32. अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ए.बी.एन.ई.एस.)

**ऑडिटोरियम का निर्माण**

2201. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गाराचर्मा-I गांव के बाबुबस्ती सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में एक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**बाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण**

2202. **श्री सुग्रीव सिंह:**

**डा. सत्यनारायण जटिया:**

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किन-किन राज्यों में आरंभ की गई है;

(ख) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का जिलेवार ब्यौरा क्या है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) अखिल भारत आधार पर एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के रूप में दिसम्बर, 2001 में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। "वाम्बे" एक मांग-मूलक स्कीम है और राज्य/संघ शासित प्रदेश केन्द्रीय सब्सिडी जारी कराने के लिए पात्र बनने हेतु स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार हर तरह से परिपूर्ण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अब तक 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

(ग) दिनांक 31.10.2004 की स्थिति अनुसार, 538 रिहायशी यूनिटों के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य को 107.6 लाख रु. की केन्द्रीय सब्सिडी जारी की गई है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

## विवरण

*मध्य प्रदेश राज्य के दिनांक 31.10.2004 की स्थिति अनुसार उन वाम्बे स्कीमों के संचित स्कीमवार ब्यौरे, जिनमें भारत सरकार की सब्सिडी जारी की गई है*

(लाख रु में)

| क्र. सं. | राज्य | स्कीम नं. | स्थिति | एजेंसी | 2001-2002 में भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी | 2002-2003 में भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी | 2003-2004 में भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी | 2004-2005 में भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी | अब तक भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी | | | जारी भारत सरकार सब्सिडी के अंतर्गत शामिल रिहायशी यूनिट | जारी भारत सरकार के अंतर्गत शामिल शौचालय यूनिट | उपलब्ध भौतक प्रगति (30.9.2004 तक) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | आवासीय यूनिट | शौचालय यूनिट | कुल | | | आवास यूनिट | | शौचालय यूनिट | |
| | | | | | | | | | | | | | | पूर्ण | प्रगति पर | पूर्ण | प्रगति पर |
| 1. | म.प्र. | 17583 | भोपाल | एम.पी. एच.बी. | 20075 | | | | 200.750 | 0.000 | 200.750 | 803 | 0 | 523 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | म.प्र. | 17744 | राघोगढ़ | राघोगढ़ विजयपुर न.नि. | | 10.000 | | | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 50 | 0 | 0 | 50 | | |
| 3. | म.प्र. | 17745 | छिन्दवाड़ा | छिन्दवाड़ा न.नि. | | 20.000 | | | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 100 | 0 | 0 | 15 | | |
| 4. | म.प्र. | 17746 | सिंगरौली | सिंगरौली न.नि. | | 20.000 | | | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 100 | 0 | 18 | 22 | | |
| 5. | म.प्र. | 17747 | इन्दौर | इन्दौर वि.प्रा. | | 33.0080 | 116.920 | | 150.000 | 0.000 | 150.000 | 604 | 0 | 304 | 300 | | |
| 6. | म.प्र. | 17768 | कटनी | कथनी नि.परि | | 46.000 | | | 40.000 | 6.000 | 46.000 | 200 | 30 | | | | |
| 7. | म.प्र. | 17788 | भोपाल | भोपाल नि.परि | | 331.500 | | | 331.500 | 0.000 | 331.500 | 1326 | 0 | 280 | 296 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | म.प्र. | 17791 | सागर | सागर नि.परि | | 60.000 | | 38.600 | 22.000 | 60.600 | 193 | 110 | | | | |
| 9. | म.प्र. | 17864 | रेवा | रेवा नि.परि | | 20.800 | | 20.800 | 0.000 | 20.800 | 104 | 0 | 0 | 104 | | |
| 10. | म.प्र. | 17865 | शिवपुरी | शिवपुरी न.नि. | | 34.600 | | 34.600 | 0.000 | 34.600 | 173 | 0 | 90 | 0 | | |
| 11. | म.प्र. | 17866 | इन्दौर | इन्दौर नि.परि | | 86.000 | | 86.000 | 0.000 | 86.000 | 344 | 0 | 0 | 100 | | |
| 12. | म.प्र. | 17867 | गुना | गुना नि.परि | | 20.000 | | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 100 | 0 | 0 | 50 | | |
| 13. | म.प्र. | 17868 | उज्जैन | उज्जैन नि.परि | | 60.000 | | 60.000 | 0.000 | 60.000 | 300 | 0 | | | | |
| 14. | म.प्र. | 17869 | देवास | देवास नि.परि | | 76.000 | | 70.000 | 6.000 | 76.000 | 350 | 30 | | | | |
| 15. | म.प्र. | 17870 | सेहोर | सेहोर नि.परि | | 12.400 | | 12.400 | 0.000 | 12.400 | 62 | 0 | 2 | 18 | | |
| 16. | म.प्र. | 17871 | देवास | देवास वि.प्रा. | | 21.000 | | 21.000 | 0.000 | 21.000 | 105 | 0 | 105 | 0 | | |
| 17. | म.प्र. | 17950 | रतलाम | रतलाम नि.परि | | 82.800 | | 82.800 | 0.000 | 82.800 | 414 | 0 | | | | |
| 18. | म.प्र. | 18081 | भोपाल | भोपाल नि.परि | | | 138.300 | 138.300 | 0.000 | 138.300 | 553 | 0 | 222 | 117 | | |
| | म.प्र. के लिए कुल | | | | 200.750 | 934.780 | 255.220 | 1356.750 | 34.000 | 1390.750 | 5881 | 170 | 1544 | 1172 | 0 | 0 |

**स्कूली पाठ्यक्रम में एच.आई.वी./एड्स विषय को शामिल किया जाना**

2203. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
**श्रीमती किरण माहेश्वरी:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एच.आई.वी./एड्स निवारण पर राष्ट्रीय कार्य योजना के भाग के रूप में स्कूली पाठ्यक्रमों में एच.आई.वी./एड्स के प्रसार, नियंत्रण और निवारण के बारे में कटु सत्य को जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय से भी परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर मंत्रालय द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए हैं; और

(ङ) उक्त पाठ्यक्रम के कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, नहीं। सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के तहत एच.आई.वी./एड्स किशोर शिक्षा, जो इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, का मुख्य घटक रहा है। किशोर शिक्षा में संक्रमण के कारणों, इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण, एच.आई.वी. ग्रस्त व्यक्तियों एवं एड्स रोगियों के प्रति वैयक्तिक और सामाजिक जिम्मेदारी आदि जैसे सभी बुनियादी तत्वों को समाहित किया गया है। इस संबंध में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम सहगामी दृष्टिकोणों को अपनाया जा रहा है। पाठ्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों तथा अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया में एच.आई.वी./एड्स के तत्वों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करना है। पाठ्यक्रम सहगामी दृष्टिकोण के माध्यम से विशेष रूप से अभिकल्पित पाठ्यक्रम सहगामी कार्यकलापों को स्कूलों में चरणबद्ध रूप में आयोजित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अंतर-मंत्रालयीन पहल का अभिन्न अंग है तथा यह एच.आई.वी./एड्स के किशोर शिक्षा का अभिन्न अंग बनाए जाने के लिए सहमत है। विभिन्न अवयवों के प्रभावी समेकन का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रमंडल खेल गांव**

2204. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी के तट पर प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल गांव संबंधी दुविधा अभी भी बनी हुई है जैसाकि दिनांक 28 सितंबर, 2004 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राष्ट्रमंडल खेल गांव के लिए समय पर भूमि आबंटन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रमंडल खेल गांव के स्थल के संबंध में लिए गए निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है।

(घ) राष्ट्रमंडल खेल गांव के लिए स्थल, एक छोटे से हिस्से को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, डी.डी.ए. के पास पहले से ही उपलब्ध है।

*[अनुवाद]*

**दुर्गा-दुआनी ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र**

2205. **श्री सनत कुमार मंडल:**
**श्री हन्नान मोल्लाह:**

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में दुर्गा दुआनी ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस परियोजना के पूरा होने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने के कार्य में विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) और (ख) जी नहीं। दुर्गा-दुआनी, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में कोई ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है। तथापि, दुर्गा-दुआनी में ज्वारीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में शहरी विकास**

**2206. श्री राजेश वर्मा:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

**क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001 से जून, 2004 के बीच केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितना वित्तीय आबंटन किया गया;

(घ) चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ परियोजनाओं के लिए और अधिक सहायता का अनुरोध किया है;

(ज) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) क्या विश्व बैंक शहरों के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ञ) यदि हां, तो उक्त वित्तीय सहायता के प्रावधान के बाद सरकार द्वारा परियोजनावार क्या सफलता प्राप्त की गई?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ञ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**शैक्षिक संस्थानों में नि:शक्त छात्रों के लिए कोटा**

**2207. श्री कुलदीप बिश्नोई:**
**श्री गुरुदास कामत:**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकन हेतु शारीरिक रूप से नि:शक्त छात्रों के लिए कोटा का प्रावधान होने के बावजूद उन्हें उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकन नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शारीरिक रूप से नि:शक्त छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा हाल में क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 39 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में 3 प्रतिशत आरक्षण संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही सभी विश्वविद्यालयों को परिपत्र जारी कर दिया है।

उपर्युक्त के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए विशिष्ट शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है:

- विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए देश में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को प्रोत्साहन देना।
- उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में नि:शक्त व्यक्तियों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना।
- नि:शक्त व्यक्तियों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर शिक्षा के कार्यकर्ताओं में जागृति लाना।
- नि:शक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा सुलभ करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को सुविधाओं से युक्त बनाना।

- उच्चतर शिक्षा में बनाए रखने के लिए नि:शक्त व्यक्ति को उपयुक्त सहायता प्रदान करना।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों में शिक्षित नि:शक्त स्नातकों के लिए उपयुक्त पदस्थापना अवसरों का पता लगाना।
- नि:शक्तता अधिनियम और नि:शक्त व्यक्तियों की उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना।

*[अनुवाद]*

**शहरों में फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु योजना**

**2208. श्री जुएल ओराम: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या केन्द्र सरकार की शहर में फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) प्रत्येक राज्य में फुटपाथ पर रहने वाले कितने व्यक्तियों की पहचान की गई है; और

(घ) उन्हें उचित पुनर्वास प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी हां।

(ख) से (घ) "रैन बसेरा योजना या सामुदायिक रैन बसेरा योजना" सभी शहरी आश्रयहीनों को रैन बसेरा तथा भुगतान आधारित शौचालय सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए 1988-89 में प्रारंभ की गई। इस स्कीम को आगे अगस्त 1992 में संशोधित किया गया जिससे कि फुटपाथ पर रहने वालों/बेघरों की अधिकता वाले सभी शहरों केन्द्रों को शामिल किया जा सके और इसे "शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए आश्रय तथा स्वच्छता सुविधाएं" नाम दिया गया। अक्तूबर, 2002 में इस स्कीम को संशोधित किया गया है तथा इसका नाम "शहरी आश्रयहीनों के लिए रैन बसेरा" रखा गया है। इस स्कीम को अब शहरी आश्रयहीनों के लिए सामुदायिक शौचालय तथा स्नानागार सहित संयुक्त रैन बसेरा बनाने तक सीमित रखा गया है। यह मांग आधारित स्कीम है तथा इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार या स्थानीय नगरपालिका निकाय या राज्य प्रयोजित एजेंसियों द्वारा किया जाता है तथा प्रस्ताव उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्माण लागत का 50 प्रतिशत भाग आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रु. प्रति बिस्तर है।

अक्तूबर, 2004 तक 99 रैन बसेरा/भुगतान आधारित शौचालय योजनाएं स्वीकृत की गई है जिनमें 17599 बिस्तरों, 17165 डब्ल्यू.सी., 2637 स्नानागारों तथा 2372 मूत्रालयों के निर्माण का प्रावधान है। इन योजनाओं के लिए हडको से 1159.05 लाख रुपये ऋण के रूप में जारी होने के अतिरिक्त 1580.21 लाख रुपये की सरकारी आर्थिक सहायता जारी कर दी गई है।

*[हिन्दी]*

**गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति**

**2209. श्री राजाराम पाल: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार को उन गरीब श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी है जो देश के अन्य स्थानों से देश के विकसित और अल्पविकसित महानगरों में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन महानगरों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कराए गए अध्ययन के आधार पर महानगरवार और राज्यवार क्या निष्कर्ष निकाला गया है; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों विशेषकर उत्तर प्रदेश में कानपुर के व्यक्तियों की समस्याओं को कब तक हल किए जाने की संभावना है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मेट्रो शहरों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों, जो देश के अन्य भागों से प्रव्रजन करके आये हैं, के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीबों की जीवन-दशाओं में सुधार के लिए मेट्रो शहरों सहित पूरे देश में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम उत्तर प्रदेश के शहरों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**कम लागत वाले मकानों का निर्माण**

**2210. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार को सही सामग्री का इस्तेमाल करके कम लागत वाले मकानों का निर्माण करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी हां।

(ख) कुछेक सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रस्ताव निम्नानुसार है:—

- सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट
- फ्लाई एश से निर्मित खोखले/ठोस सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक
- छत हेतु फिलर स्लेब
- माइक्रो कंक्रीट रूफिंग टाइल्स
- प्रीकास्ट रूफिंग घटक जैसे आर.सी.सी. तख्ते और कड़ियां
- दीवार और छत हेतु फरोसीमेंट घटक
- फास्फोजिप्सम (उर्वरक उद्योग से निकला औद्योगिक अपशिष्ट) के प्रयोग से बिल्डिंग पैनल सिस्टम, आस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी

(ग) न्यून लागत आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु देशभर में पहल प्रयास किए गए। न्यून लागत आवास निर्माण को लोकप्रिय बनाने और प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कदमों में से मुख्य नीचे दिए गए हैं:—

- वित्त वर्ष 2004-05 में बिल्डिंग मेटीरियल एंड टेक्नोलोजी प्रोमोशन काउंसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) के जरिए देशभर के 11 राज्यों में न्यून लागत आवास निर्माण तकनीकों का उपयोग करके नमूना मकानों का निर्माण किया गया।
- बी.एम.पी.टी.सी. ने कम लागत वाले मैटीरियल/तकनीकों जैसे दीवार हेतु ठोस कंक्रीट ब्लॉक, छत हेतु फिलर स्लैव, आर.सी.सी. दरवाजे तथा खिड़कियों के फ्रेम, क्वायर कंपोजिट दरवाजे आदि के प्रयोग से बंगलौर में ऐसे 252 आवासों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है।
- के.लो.नि.वि., राज्य आवास और निर्माण एजेंसियों के विशेष भागों में कम लागत वाले बिल्डिंग मैटीरियल/तकनीकों को अपनाना और लागत प्रभावी तथा निर्माण संबंधी तकनीकों को कवर करने हेतु ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स (बी.आई.एस.) द्वारा मानकों की तैयारी।
- लागत प्रभावी तकनीकों के बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग हेतु व्यवस्था को सुदृढ़ करना और मूल स्तर पर बिल्डिंग केन्द्रों और बिल्डिंग मैटीरियल और तकनीकी प्रमोशन कौंसिल के जरिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कम लागत के मैटीरियल कोर घटकों के नवप्रवर्तन के उत्पादन का व्यवसायीकरण।
- लागत प्रभावी बिल्डिंग मैटीरियल के उत्पादन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन (उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में छूट) और नाजुक मशीनरी और उपकरणों का आवास जैसे फ्लाईएश, फॉसफोजिप्सम और रेड मड सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट।
- कम लागत के आवासों का निर्माण करने हेतु बहुत सी तकनीकों का विकास और प्रोत्साहन। कम लागत के आवास हेतु लागत प्रभावी प्रीफैब बिल्डिंग घटकों के उत्पादन हेतु बहुत सी मशीनों को विकसित किया गया है। अब तक देशभर के विभिन्न हिस्सों में इन मशीनों में से 1000 से अधिक काम में लाई जा रही है।
- बिल्डरों और निर्माण एजेंसियों में फ्लाईएश ईंटों, टाइलों और ब्लॉक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं।

### गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं

**2211. श्री काशीराम राणा:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं और आवास को प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का इस्तेमाल करने की योजनाएं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनों हेतु सरकार द्वारा पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसा नियम है जो यह कहता है कि शहर आधारित सामाजिक कार्य के लिए सरकार से केवल दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठनों को भूमि, संरक्षण और धनराशि प्राप्त होगी: और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने "शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति" नामक परियोजना पर सहयोग के लिए अक्तूबर, 2003 में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का विकासपरक उद्देश्य, शहरी गरीबी के कारणों तथा संभावित हल के संबंध में सूचित वाद-विवाद, स्थानीय/अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तथा शोध निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र और राज्य स्तर पर शहरी गरीबी उपशमन के लिए एक नयी राष्ट्रीय कार्यनीति को अपनाने में मदद करना है।

परियोजना नीतियों और विनियमों पर बातचीत के लिए शोध और नेटवर्क निर्माण जैसे मिश्रित पहल-प्रयासों में मदद करेगी तथा दो अलग लेकिन आपसी प्रबलित संघटकों, यथा राष्ट्रीय संघटक तथा एन.सी.आर. संघटक के जरिए वास्तविक बुनियादी कार्य के लिए समुदाय संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों की मदद करेगी। इस समय गैर सरकारी संगठनों की केवल एन.सी.आर. संघटक के लिए ही पहचान की गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. परियोजना में प्रायोगिक प्रयासों के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें परियोजना के एन.सी.आर. संघटक के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। एन.सी.आर. संघटक के लिए गैर सरकारी संगठनों के चयन में उन गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिकता दी गई है, जिनका दिल्ली में पूर्व का अनुभव हो।

**प्रमुख सम्पत्तियों के पट्टे को निरस्त करना**

2212. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1975-85 के दौरान सरकार ने वर्ष 1947 से पूर्व तत्कालीन मुख्य आयुक्त द्वारा आबंटित और भूमि एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रत्यक्षत: प्रबन्धित लीज-होल्ड/नजूल भूमि पर कनॉट प्लेस, खान मार्केट, बंगाली मार्केट आदि की वाणिज्यिक और रिहायशी क्षेत्र दोनों में बनाई गई कई प्रमुख सम्पत्तियों की लीज को निरस्त किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पत्तियों के वास्तविक अधिभोगी किराये/भाड़े के आधार पर हैं और पूर्व पट्टेधारकों को अदा कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो अनुमानित बकाया राशियों और अब तक वसूल की गई बकाया राशियों का उल्लेख करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बिना कोई राजस्व/ग्राउण्ड किराया अदा किये पुन: खरीदी गई सम्पत्ति के गुप-चुप एवं गैर कानूनी हस्तांतरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत उन पट्टे-धारकों के विरुद्ध आरम्भ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिनका पट्टा निरस्त कर दिया गया था और तृतीय पक्ष को मुख्तार नामे पर सम्पत्ति हस्तांतरित कर दी तथा कार्यवाहियों की वर्तमान स्थिति क्या है एवं इन मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण**

2213. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी बच्चों को 10 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ कोई बैठक की गई है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली/की गई कार्यवाही क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) 'माध्यमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण' विषय पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति इस विषय की रूप-रेखा तैयार कर रही है।

(ग) से (ङ) दिनांक 21.09.2004 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधियों को बैठक में, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उक्त समिति के विचारार्थ विषय से अवगत कराया गया।

*[हिन्दी]*

**अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ**

2214. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने केन्द्र सरकार को नया कानून बनाने के लिए अपना मसौदा प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक लोग आज की तिथि तक साम्प्रदायिक दंगों में सबसे अधिक प्रभावित हुए है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा नये कानून को बनाने और लागू करने की कब तक सम्भावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (घ) देश में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी तरफ से कोई नया कानून तैयार करने के लिए कोई भी विधायन मसौदा प्रस्तुत नहीं किया है। यह सही नहीं है कि आयोग का यह मत है कि वे अल्पसंख्यक ही हैं जो देश में अभी तक हुए सांप्रदायिक दंगों में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् इस विधेयक को आगामी बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

**केंद्रीय और मानद विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता**

**2215. श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से स्वायत्तता संबंधी उनके सुझाव जानने के लिए पत्र लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और मानद विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान किये जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों से मांगे गए सुझाव प्राप्त हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों को उनके अपने-अपने अधिनियमों तथा उसके तहत बनाई गई संविधियों, अध्यादेशों, विनियमों आदि/संगम ज्ञापन की संरचना के भीतर स्वायत्तता प्राप्त है। तथापि, यह स्वायत्तता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्ष परिषद् जैसे विनियामक प्राधिकरणों को प्राप्त शक्तियों के अधीन है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझाव मुख्यत: उन्हें शैक्षिक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने से संबंधित हैं। ''उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता'' विषय पर गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की रिपोर्ट के आलोक में इनकी जांच की जाएगी।

**महाराष्ट्र को निधियों का आबंटन**

**2216. श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पृथक् रूप से विभिन्न परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को ऊर्जा वित्तीय निगम द्वारा आबंटित एवं जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शेष धनराशि को कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) विद्युत वित्त निगम (पी.एफ.सी.) ने महाराष्ट्र में विगत 3 वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक 4187.42 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार इस अवधि के दौरान 1263.03 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है।

(ख) पी.एफ.सी. परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति तथा उधारकर्त्ताओं से प्राप्त दावों के आधार पर ऋण वितरित करता है।

***विवरण***

*गत 3 वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक स्वीकृत किए गए ऋणों के ब्यौरे एवं उनका संवितरण*

| ऋणी | परियोजना का नाम | ऋण क्षेत्र | राशि भारतीय मुद्रा करोड़ रुपये में | संवितरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| विद्युत विभाग गोमोह | घाटघर एच.ई.पी. (2×125 मेगावाट) पंप स्टोरेज | हाइडल जेनरेशन | 400.00 | 117.58 |
| एम.एस.ई.बी. | बायर लाईन ऑफ क्रेडिट टू एम.एस.ई.बी. | बायर लाईन ऑफ क्रेडिट | 100.00 | 87.71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| एम.एस.ई.बी. | बाण्डस के विमोचन हेतु ऋण | बॉण्डस के विमोचन हेतु ऋण | 494.60 | 494.60 |
| एम.एस.ई.बी. | स्टेटिक टी.ओ.डी. मीटरों की अधिष्ठापना | मीटरिंग | 3.00 | 2.78 |
| एम.एस.ई.बी. | कोयना एच.ई.पी. चरण-1 व 2 (600 मेगावाट) का आर.एम. एंड यू | आर. एंड एम. हाइडल | 44.10 | 17.69 |
| एम.एस.ई.बी. | वैतरणा एच.ई.पी. (1×60 मेगावाट) का आर. एंड एम.यू. | आर. एंड एम. हाइडल | 5.60 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | कोयना हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-1 व 2 (600 मेगावाट) का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. हाइडल | 10.00 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | कोयना एच.ई.पी. चरण-3 (4×80 मेगावाट) का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. हाइडल | 13.30 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | कोराडी टी.पी.एस. आई.पी.टी.-120 मेगावाट की केसिंग व यूनिट-3 की विशेष मरम्मत | आर. एंड एम. थर्मल | 2.29 | 2.29 |
| एम.एस.ई.बी. | उरान जी.टी. पावर स्टेशन यूनिट-6 (108 मेगावाट) का आर. एंड एम. व एल.ई. | आर. एंड एम. थर्मल | 53.30 | 53.30 |
| एम.एस.ई.बी. | नासिक टी.पी.एस. में एश वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम का संवर्धन | आर. एंड एम. थर्मल | 1.71 | 0.91 |
| एम.एस.ई.बी. | चंद्रपुर टी.पी.एस. यूनिट 3 व 4 (2×210 मेगावाट) का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 5.45 | 5.45 |
| एम.एस.ई.बी. | 10 यूनिटों हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण ई.एस.पी. संवर्धन/उच्चीकरण | आर. एंड एम. थर्मल | 5.60 | 3.92 |
| एम.एस.ई.बी. | कोराडी टी.पी.एस. का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 22.50 | 8.17 |
| एम.एस.ई.बी. | भुसावल टी.पी.एस. का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 19.40 | 4.52 |
| एम.एस.ई.बी. | चंद्रपुर टी.पी.एस. का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 50.00 | 9.10 |
| एम.एस.ई.बी. | चन्द्रपुर टी.पी.एस. यूनिट 5 व 6 का फ्लूगैस डक्ट आधुनिकीकरण | आर. एंड एम. थर्मल | 11.00 | 11.00 |
| एम.एस.ई.बी. | नासिक टी.पी.एस. का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 34.10 | 33.35 |
| एम.एस.ई.बी. | चंद्रपुर टी.पी.एस. का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 28.50 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | उरान जी.टी. का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 176.80 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पारली टी.पी.एस. वाटर सप्लाई व आर. एंड एम. स्कीम का संवर्धन | आर. एंड एम. थर्मल | 31.30 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पारली टी.पी.एस. यूनिट का पुनर्स्थापन व आर. एंड एम. 1 और 2 (600 मेगावाट) | आर. एंड एम. थर्मल | 10.00 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | कोराडी टी.पी.एस. यूनिट-4 का आर. एंड एम. व एल.ई. (120 मेगावाट) | आर. एंड एम. थर्मल | 105.80 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| एम.एस.ई.बी. | मोदी कोल मिल्स का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 1.90 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पारस टी.पी.एस. यू.-II का आर. एंड एम. व एल.ई. | आर. एंड एम. थर्मल | 44.80 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | भुसावल टी.पी.एस.-1 का आर. एंड एम. व एल.ई. | आर. एंड एम. थर्मल | 48.00 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | खापरखेड़ा टी.पी.एस. का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 3.60 | 1.43 |
| एम.एस.ई.बी. | पारली टी.पी.एस. का आर. एंड एम. | आर. एंड एम. थर्मल | 11.20 | 1.03 |
| एम.एस.ई.बी. | नासिक यूनिट-4 में नियंत्रक प्रणाली का इंस्ट्रूमेंटेशन | आर. एंड एम. थर्मल | 4.20 | 4.20 |
| एम.एस.ई.बी. | हीटरेट ऑप्टीमाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स | आर. एंड एम. थर्मल | 1.60 | 1.08 |
| एम.एस.ई.बी. | एम.एस.ई.बी. से एस.टी.एल. | अल्पावधि ऋण | 40.00 | 40.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पारस टी.पी.एस. यू.-II (62.5 मेगावाट) का आर. एंड एम. व एल.ई. | अध्ययन | 0.67 | |
| एम.एस.ई.बी. | भुसावल टी.पी.एस. यू.-I (62.5 मेगावाट) का आर. एंड एम. व एल.ई. | अध्ययन | | |
| एम.एस.ई.बी. | कोराडी टी.पी.एस. यूनिट 1 से 4 का आर.एल.ए. व एल.ई. अध्ययन | अध्ययन | 0.32 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | डी. एंड आई. इंट. रेम. हेतु परामर्श | अध्ययन | 0.27 | 0.14 |
| एम.एस.ई.बी. | कोयना बांध फुट पावरहाऊस का (2×18 मेगावाट) आर.एम.यू. व एल.ई. अध्ययन | अध्ययन | 1.26 | 0.38 |
| एम.एस.ई.बी. | डी. एंड आई. इंटरेफ हेतु परामर्श | अध्ययन | 0.32 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | एम.एस.ई.बी. को सहायता देने के लिए परामर्शी सेवाओं हेतु अनुदान | अध्ययन | 0.25 | 0.25 |
| एम.एस.ई.बी. | नासिक टी.पी.एस. यूनिट-1 व 2 का आर.एल.ए. व एल.ई. | अध्ययन | 0.32 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | इंटीग्रेटिड मिस. का विकास करने के लिए परामर्शी सेवाएं | अध्ययन | 0.50 | 0.19 |
| एम.एस.ई.बी. | बिल सुधार हेतु अनुदान | अध्ययन | 0.24 | 0.21 |
| एम.एस.ई.बी. | वैतरणा एच.ई.पी. (60 मेगावाट) हेतु आर.एम. एंड यू. एल.ई. | अध्ययन | 0.14 | 0.14 |
| एम.एस.ई.बी. | पारली, भुसावल, बिजसावल, नासिक कोराडी टी.पी. एस. का आर.एल.ए. व एल.ई. | अध्ययन | 1.41 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पारस टी.पी.एस. विस्तार (1×250 मेगावाट) | अध्ययन | 0.47 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पारली टी.पी.एस. यूनिट-1, 2 (2×30 मेगावाट) का आर.एल. व एल.ई. | थर्मल जेनरेशन | 886.00 | 118.59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| एम.एस.ई.बी. | पारस टी.पी.एस. (1×250 मेगावाट) | थर्मल जेनरेशन | 820.00 | 46.91 |
| एम.एस.ई.बी. | 220/100/22 के.वी.एस. तलोजा-II व संबद्ध लाईन | पारेषण | 29.10 | 16.39 |
| एम.एस.ई.बी. | 220/132 के.वी. एस./एस.टी. मनकापुर एवं संबद्ध कार्य | पारेषण | 13.00 | 2.85 |
| एम.एस.ई.बी. | 132 के.वी. एस.एस. स्वामी विवेकानंद एस्टेट व संबद्ध कार्य | पारेषण | 5.70 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | 220/132 के.वी. एस./एस. टी. सांधवी एंड 132/33 के.वी. एस./एस. देवली में | पारेषण | 33.05 | 8.34 |
| एम.एस.ई.बी. | जम्बूखेड़ी में 110 के.वी. एस./एस. व संबंध कार्य | पारेषण | 9.20 | 0.44 |
| एम.एस.ई.बी. | 132/33 के.वी. एस./एस. खापरी व संबद्ध कार्य | पारेषण | 3.90 | 1.71 |
| एम.एस.ई.बी. | 400/220/33 के.वी. 400 के.वी. हरगार एस./एस. | पारेषण | 5.80 | 5.80 |
| एम.एस.ई.बी. | भिवंडी में 132 के.वी. एस./एस. संबंध कार्य | पारेषण | 4.10 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | 132 के.वी. थाणे (पिम्परी) व संबद्ध कार्य | पारेषण | 7.20 | 1.25 |
| एम.एस.ई.बी. | ई एच.वी. स्कीम-III का आर. एंड एम. | पारेषण | 41.00 | 4.42 |
| एम.एस.ई.बी. | अमरावती जोन में ई.एच.वी. एस./एस. का प्रतिस्थापना | पारेषण | 11.00 | 1.90 |
| एम.एस.ई.बी. | 220 के.वी. एस./एस. घनघाट व संबद्ध कार्य | पारेषण | 11.40 | 2.35 |
| एम.एस.ई.बी. | कोराडी में 200 के.वी. का आर. एंड एम. | पारेषण | 1.85 | 0.96 |
| एम.एस.ई.बी. | मुलुंड 220 के.वी. एस./एस. | पारेषण | 2.20 | 0.66 |
| एम.एस.ई.बी. | नागथीन लाईन 400 के.वी. एस./सी. लाईन | पारेषण | 20.00 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | चंद्रपुर में 400 के.वी. आर. एंड एम. | पारेषण | 7.25 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पारस टी.पी.एस. से विद्युत की निकासी | पारेषण | 9.00 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | 100 के.वी. गणेशशिंद-खोपली लाईन का नवीकरण | पारेषण | 11.30 | 2.77 |
| एम.एस.ई.बी. | ई.एच.वी. टी.आर.ए. लाईन का माड्यूलर इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम | पारेषण | 10.30 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | ई.एच.वी. एस. उपस्कार की प्रतिस्थापना | पारेषण | 9.50 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | ई.एच.वी. एस. उपस्कार की प्रतिस्थापना | पारेषण | 8.80 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | ई.एच.वी. एस. पुराने उपस्कार की प्रतिस्थापना | पारेषण | 10.40 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | कराड़ सर्किल में एच.ई.वी. ए. का आर. एंड एम. | पारेषण | 20.60 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | 220 के.वी. एस./एस. आर.एस.ई. व संबद्ध पारेषण कार्य जिला पुणे | पारेषण | 10.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| एम.एस.ई.बी. | गणेशखिंड महाराष्ट्र में आर. एंड यू. कार्य | पारेषण | 8.65 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | बीड़ में ई.एच.वी. का आर. एंड एम. | पारेषण | 3.20 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | छिंदवाडा जिला पुणे में 220 के.वी. आर. एंड एम. | पारेषण | 31.50 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | एस./एस. मॉनीटरिंग प्रणाली व उपस्कार का तुल्यकालन किया गया | शहरी वितरण | 20.30 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | नासिक नगर | शहरी वितरण | 5.00 | 0.12 |
| एम.एस.ई.बी. | पुणे सर्किल | शहरी वितरण | 50.25 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | भिवंडी सर्किल | शहरी वितरण | 22.75 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | सांगली सर्किल | शहरी वितरण | 2.22 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पिम्परी सर्किल | शहरी वितरण | 14.14 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | नांदेड़ सर्किल | शहरी वितरण | 1.99 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | मालेगांव सर्किल | शहरी वितरण | 13.75 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | कोल्हापुर सर्किल | शहरी वितरण | 16.69 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | अमरावती सर्किल | शहरी वितरण | 3.83 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | थाणे-बेलापुर क्षेत्र में वितरण प्रणाली में सुधार | शहरी वितरण | 17.00 | 2.55 |
| एम.एस.ई.बी. | औरंगाबाद नगर में वितरण प्रणाली में सुधार | शहरी वितरण | 5.80 | 2.32 |
| एम.एस.ई.बी. | परभणी जिले के विभिन्न उपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 4.00 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | नांदेड जिले के विभिन्न उपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 4.25 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | जलगांव जिले के विभिन्न ठपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 5.15 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | अमरावती जिले के विभिन्न उपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 1.50 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | पुणे सर्किल के विभिन्न उपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 1.50 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | अकोला सर्किल के विभिन्न उपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 2.50 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | बीड़ सर्किल के विभिन्न उपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 5.10 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | येवतमाल सर्किल के विभिन्न उपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 2.90 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| एम.एस.ई.बी. | अहमदनगर सर्किल के विभिन्न उपकेंद्रों के स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 3.70 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 2.60 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | स्विचगियरों का प्रतिस्थापन | शहरी वितरण | 4.60 | 0.00 |
| एम.एस.ई.बी. | डब्ल्यू.सी.एल. से एम.एस.ई.बी. | कार्यशील पूंजी | 141.00 | 141.00 |
| | | कुल | 4187.42 | 1263.03 |

**सरकारी मार्गों पर शामियाने**

**2217. मो. मुकीम:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण की सतर्कता में कमी की वजह से सम्पूर्ण दक्षिण दिल्ली के निवासी सरकारी मार्गों पर शामियाने लगाकर यातायात और पार्किंग को जाम करते हैं और पैदल यात्रियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पथ का इस्तेमाल संबंधित प्राधिकारियों से बिना कोई अनुमति लिये और धन अदा किये बिना करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण/ट्रैफिक पुलिस में प्रकोष्ठ स्थापित करने का है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान को छुपाकर फोन पर शिकायत कर सकता है जिससे कि असामाजिक तत्वों के खतरे से भद्र नागरिक बच सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन पुलिस कर्मियों को जो दक्षिण दिल्ली स्थित कालोनियों में नियमित तौर पर निगरानी करते हैं, यह सुझाव देने का है कि वे ये मामले अपने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाए और प्राधिकरण के अनुशासन में कुछ संतुलन एवं दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण को आय हो सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (च) दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सूचित किया है कि एक शिकायत कक्ष तथा ट्रैफिक हेल्पलाइन टेलीफोन नं. 23378888, जहां इस प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, पहले ही मौजूद है। यातायात अवरुद्ध करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है। भारतीय दंड संहिता के तहत वर्ष 2003 के दौरान एक मामले में और दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत तीन मामलों में कार्रवाई की गई थी। वर्ष 2004 के दौरान चार मामलों में दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। सड़कों पर अनुचित रूप से पार्किंग करने के लिए भी दिल्ली पुलिस द्वारा संलग्न विवरण में दिए अनुसार कार्रवाई की गई थी।

*विवरण*

*दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में अनुचित रूप से वाहनों की पार्किंग के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा*

| क्र. सं. | वर्ष | चालान जारी किए गए | क्रेन द्वारा उठाए गए | नोटिस चिपकाए गए |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003 | 82735 | 53778 | 24780 |
| 2. | 2004 (30.11.2004 तक) | 77344 | 48838 | 34264 |

**चंडीगढ़ में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार**

**2218. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पंजाब के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा शर्तों का अनुसरण करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने कार्य के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों हेतु नई नौकरियों की पांच प्रतिशत सीमा को समाप्त

कर दिया है और अब मृतक कर्मचारी के कम से कम एक आश्रित को ऐसा रोजगार देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इसे न अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ग-वार अनुकम्पा के आधार पर प्रदान किये गए रोजगारों की संख्या क्या है और चंडीगढ़ प्रशासन के समक्ष ऐसे लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) और (ख) जी, हां श्रीमान। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 13.1.1992 की अधिसूचना सं. 14012/2/88-सी.एच.डी. के तहत जारी, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों के सेवा नियम, 1992 की सेवा शर्तों के अनुसार प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं और समूह क, ख, ग और घ पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवा शर्तें, राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में किए गए किसी अन्य प्रावधान के अध्यधीन होंगी, चाहे वे पंजाब सिविल सेवाओं के तदनुरूपी पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवा शर्तों के अनुसार हों और वे उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित किए जाएंगे जो बाद की श्रेणी के व्यक्तियों पर फिलहाल लागू हो रहे हों।

(ग) पंजाब सरकार ने दिनांक 12.1.2004 के अपने पत्र सं. 11/94/2002 के तहत अनुकंपा की नियुक्तियों पर पहले की 5 प्रतिशत सीमा समाप्त कर दी है। इस आशय की सूचना एकत्र की जा रही है कि क्या पंजाब सरकार ने कम से कम एक आश्रित सदस्य को ऐसा रोजगार देने का निर्णय लिया है कि नहीं।

(घ) अनुकंपा की नियुक्तियों के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 9.10.1998 के का.ज्ञा.सं. 14014/6/94-स्था. (घ) के तहत जारी किए गए निदेशों का पालन करता है।

(ङ) गत 3 वर्षों के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने अनुकंपा के आधार पर समूह "ग" और "घ" पदों पर निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं:—

| | समूह "ग" | समूह "घ" |
|---|---|---|
| 2002 | 21 | 30 |
| 2003 | 17 | 05 |
| 2004 | 09 | 05 |

इस समय 328 आवेदन लंबित हैं।

**ग्रामीण क्षेत्रों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत**

2219. **श्री मोहन रावले:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को आत्म-निर्भर बनाने के मामले में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और पिछले वर्ष के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा की पहचान और विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) देश की पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा पर निर्भर राज्यवार जनसंख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा देश में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा के विकास और दोहन के लिए किसी स्वयंसेवी संगठन से कोई सहायता मांगी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** (क) मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा साधनों के माध्यम से कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर की आवश्यकताएं पूरी करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 25000 से अधिक दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और बस्तियों का विद्युतीकरण करने के उद्देश्य से दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करने के लाभों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के अलावा जिले में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए संबंधित राज्य द्वारा प्रत्येक जिले में जिला अक्षय ऊर्जा सलाहकार समिति गठित की जा रही है।

(ख) वर्ष 2001-02 से 2004-05 (31.10.2004 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई राज्यवार केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान, अपारंपरिक ऊर्जा साधनों के माध्यम से 613 दूरस्थ अविद्युतीकरण गांवों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त, लगभग 1.49 लाख बायोगैस संयंत्र, 20,000 सौर कुकर, 12490 सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां, 841 सौर पंप, 80 जल पंपन पवन चक्कियां और 123 किवा. के लघु एरो-जनरेटर संस्थापित किए गए हैं।

(ग) ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संभाव्यता का दोहन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं चल रही हैं। इन स्रोतों से संभाव्यता लगभग 80,000 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है जिसकी तुलना में देश में 30.9.2004 की स्थिति के अनुसार, 5000 मेगावाट से अधिक की ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संस्थापित की गई है। 10वीं योजना अवधि के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक लक्ष्य लगभग 3075 मेगावाट ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत प्रणालियां संस्थापित करना है। 10वीं योजना अवधि के पूर्वार्द्ध में लगभग 1670 मेगावाट की अक्षय विद्युत प्रणालियां पहले ही संस्थापित की जा चुकी हैं।

(घ) देश में 5 लाख से अधिक घर रोशनी के लिए प्रमुख रूप से सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का प्रयोग कर रहे हैं और लगभग 8.50 लाख घर कुकिंग आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में बायोगैस का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की 5000 मेगावाट से अधिक बिजली सामान्य अनुप्रयोगों के लिए संबंधित राज्य ग्रिडों को पहुंचाई जाती है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार के विभागों/राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से राज्यों में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की प्रकृति और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों द्वारा स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जा सकता है।

*विवरण*

*वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध राज्यवार केन्द्रीय वित्तीय सहायता (31.10.2004 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राशि (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 62.63 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 40.11 |
| 3. | असम | 4.86 |
| 4. | बिहार | 0.39 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 17.92 |
| 6. | गोवा | 0.78 |
| 7. | गुजरात | 17.50 |
| 8. | हरियाणा | 16.87 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 29.62 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 12.89 |
| 11. | झारखंड | 13.38 |
| 12. | कर्नाटक | 47.78 |
| 13. | केरल | 14.86 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 12.10 |
| 15. | महाराष्ट्र | 25.69 |
| 16. | मणिपुर | 12.38 |
| 17. | मेघालय | 10.33 |
| 18. | मिजोरम | 8.80 |
| 19. | नागालैंड | 7.09 |
| 20. | उड़ीसा | 16.46 |
| 21. | पंजाब | 43.48 |
| 22. | राजस्थान | 24.86 |
| 23. | सिक्किम | 21.54 |
| 24. | तमिलनाडु | 19.66 |
| 25. | त्रिपुरा | 29.18 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 62.09 |
| 27. | उत्तरांचल | 23.07 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 70.52 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार | 8.93 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0.52 |
| 31. | दादर एवं नगर हवेली | 0.00 |
| 32. | दमन एवं दीव | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 5.20 |
| 34. | लक्षद्वीप | 15.09 |
| 35. | पांडिचेरी | 0.85 |
| | कुल | 697.43 |

**राजस्व सहायक के न्यायालय द्वारा बन्द की गई कार्यवाही**

**2220. श्री विजय कृष्ण:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 के दौरान राजस्व सहायक के न्यायालय, नजफगढ़ द्वारा डी.एल.आर. अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनकी कार्यवाही बन्द कर दी गई;

(ख) ऐसे सभी मामलों में अपील दर्ज न करने के क्या कारण हैं जिनमें ग्राम सभा द्वारा नजफगढ़ न्यायालय द्वारा डी.एल.आर. अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत कार्यवाही बन्द कर दी गई है; और

(ग) जिलाधीश न्यायालय (दक्षिण/पश्चिम एवं दक्षिण) में लम्बित अपीलों का ब्यौरा क्या है और कब से है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

*[हिन्दी]*

**पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन**

**2221. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित होने वाले आवेदकों की औसत वार्षिक संख्या कितनी है;

(ख) देश की कुल जनसंख्या की तुलना में ऐसे छात्रों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इस संख्या को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) पिछले चार वर्षों के दौरान, दूरस्थ शिक्षा में नामांकित छात्रों के अलावा, विश्वविद्यालयों/कालेजों में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में प्रति वर्ष औसतन 78.50 लाख छात्र नामांकित होते हैं। यह 17-23 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का लगभग 6.7 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) सरकार का लक्ष्य दसवीं योजना (2002-2007) के अन्त तक अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके नामांकन बढ़ाना है। इसमें औपचारिक तथा दूरस्थ शिक्षा दोनों ही शामिल हैं।

*[अनुवाद]*

**तटीय क्षेत्रों के शहरों को पेयजल**

**2222. श्री एस.पी.वाई रेड्डी:**
**डा. राजेश मिश्रा:**
**श्री वी.के. थुम्मर:**
**श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:**
**श्री मधुसूदन मिस्त्री:**
**श्री वाई.जी. महाजन:**
**योगी आदित्यनाथ:**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तटीय क्षेत्रों के शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा पेयजल की कमी को दूर करने के लिए 1,750 करोड़ रुपये की लवणता दूर करने वाली महत्वाकांक्षी योजना के लिए 220 करोड़ रुपये की सहायता राशि की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता को जारी करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(च) कोरोमंडल तट के समीप प्रस्तावित लवणता दूर करने वाले संयंत्र इस उद्देश्य के लिए पहचान किए गए शहरों और प्रत्येक संयंत्र के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या लवणता दूर करने वाले संयंत्र की स्थापना के लिए कितनी सरकारी या निजी क्षेत्र इकाई का गठन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) जी नहीं। "जल आपूर्ति" राज्य विषय होने के कारण, जल आपूर्ति परियोजनाओं को डिजाइन करना, स्थापित करना और प्रचालन करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, कोरोमंडल तट के शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए लवणीयता दूर करने वाले संयंत्र स्थापित करने हेतु एक नई स्कीम को लगाने के दिशानिर्देशों को योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ग) जी हां।

(घ) इस मंत्रालय ने अगस्त, 2004 में तमिलनाडु सरकार को यह सूचित किया है कि भारत सरकार परियोजना में भागीदारी करने पर अनुकूल रूप से विचार करेगी तथा प्रतिष्ठित परामर्शी संगठनों के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु यदि आवश्यक होगा तो उपयुक्त सहायता भी प्रदान करेगी।

(ङ) इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इस मंत्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(च) कोरोमंडल तट पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित लवणता दूर करने वाले संयंत्र लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए गए नगरों का ब्यौरा निम्नवत है;

**तमिलनाडु**

1. रामनाथपुरम
2. कीलाकरई

**आन्ध्र प्रदेश**

3. भीमुनीपतनम
4. काकीनाडा
5. नरसापुर
6. मच्छलीपतनम
7. बपाता
8. चिराला

**उड़ीसा**

9. पुरी
10. कोनार्क
11. गोपालपुर

**पांडिचेरी**

12. मुथीयालपेट

इन नगरों के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

(छ) और (ज) चैन्नई के अतिरिक्त कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में आने वाले नगरों में लवणता दूर करने वाले संयंत्र स्थापित करने हेतु अभी तक कोई सार्वजनिक/निजी क्षेत्र भागीदारी नहीं की गई है। तमिलनाडु सरकार ने यह सूचित किया है कि उसने चैन्नई शहर के लिए लवणता दूर करने वाली परियोजना का कार्यान्वयन करने हेतु भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में चैन्नई लवणता दूर करने वाली कम्पनी शामिल की थी।

**औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940**

**2223. श्री चन्द्रकांत खैरे:**
**श्री अधीर चौधरी:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आवश्यक दवाईयों के मूल्यों में कमी लाने में लघु एककों का प्रमुख योगदान है;

(ख) क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ये छोटे भेषज एकक प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में लघु औषधि एककों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 में हाल ही में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसमें अंतिम बार 1995 में संशोधन किया गया था। तथापि, औषधों के उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से उच्च विनिर्माण प्रक्रियाओं और फार्मास्यूटिकल उत्पादों हेतु परिसरों, संयंत्र एवं उपस्करों की आवश्यकता से संबंधित औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियम, 1945 की अनुसूची 'ङ' को सा.का.नि. 894 (अ) दिनांक 11.12.2001 के माध्यम से संशोधित किया गया था। अतिरिक्त स्थान आदि से संबंधित कुछ प्रावधानों के बारे में विनिर्माताओं विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा व्यक्त कठिनाइयों पर और आगे विचार किया गया था और उपयुक्त रियायत प्रदान करने वाली प्रारूप नियमावली दिनांक 8.11.2004 को राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 738 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत लघु उद्योग औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स एककों को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। लघु उद्योग एककों को कुछ उन फार्मूलेशनों के मूल्यों को कार्यान्वित करने से छूट प्राप्त है जिनके लिए सरकार का.आ. सं. 134 (अ) दिनांक 2.3.1995 के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित करती है।

### आई.एस.आई. की गतिविधियां

2224. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हिंसक गतिविधियों को फैलने में आई.एस.आई. द्वारा समर्थित विभिन्न संगठन सक्रिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी गतिविधियों में संलग्न संदिग्ध नागरिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इसमें संलग्न विदेशियों की संख्या कितनी है और देश में घुसपैठ करने के लिए वे अक्सर कौन-सा मार्ग अपनाते हैं; और

(घ) देश में उनकी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि पाक आई.एस.आई., देश के कुछ भागों में सक्रिय लश्कर-ए-तैयब्बा (एल.ई.टी.), जैश-ए-मोहम्मद (जे.ई.एम.), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एच.एम.), युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) आदि जैसे कुछ आतंकवादी संगटनों को हथियारों के प्रशिक्षण, हथियार/गोलीबारूद, वित्तीय सहायता आदि के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार जांच पड़ताल की जाती है और मुकदमा चलाया जाता है।

(ग) विदेशी आतंकवादियों की संख्या बदलती रहती है। देश में विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ अधिकांशत: कुछ सीमावर्ती राज्यों के माध्यम से होती है।

(घ) पाक आई.एस.आई. समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को काबू करने के लिए सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को प्रेरित करना, केन्द्र और राज्यों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपस्करों की व्यवस्था करना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित अभियानों के जरिए आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र विरोधी तत्वों/आई.एस.आई. एजेंटों की योजनाओं को विफल करना शामिल है।

### दिल्ली में कृषि भूमि का दुरुपयोग

2225. **श्री रघुनाथ झा:** क्या शहरी विकास मंत्री 24 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3912 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फार्म हाउसों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, जो कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों के लिए दुरूपयोग करते पाए गए हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि वे उन फार्म हाउसों, जो मानकों का उल्लंघन करते हुए कृषि योग्य भूमि का कृषि से इतर उद्देश्य के लिए आंशिक रूप से अनुचित उपयोग करते पाये जाते हैं, के खिलाफ दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अंतर्गत कार्यवाही करते हैं। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वह मानदंडों के उल्लंघनों के लिए फार्म हाउसों के मालिकों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है।

### ए.पी.डी.आर.पी.

2226. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को एक्सीलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम के अंतर्गत कोई सहायता उपलब्ध करवाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रगति विवरण प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्य में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई विलंब हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड (जी.एस.ई.बी.) को त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के निवेश घटक के अंतर्गत 761.86 करोड़ रुपये की राशि से उप पारेषण एवं वितरण प्रणली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की हैं, इसमें से ए.पी.डी.आर.पी. घटक 380.93 करोड़ रुपये का है/भारत सरकार ने अब तक जी.एस.ई.बी. को 269.25 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा 2001-02 के दौरान जी.एस.ई.बी. द्वारा प्राप्त नकद हानि में कमी के लिए ए.पी.डी.आर.पी. के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत अनुदान के रूप में 236.38 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है।

(ग) से (ङ) जी हां, गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने ए.पी.डी.आर.पी. घटक से 189.75 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया है और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से काऊंटर पार्ट फंड के रूप में 129.35 करोड़ रुपये की शेष राशि प्राप्त कर ली गई है जबकि कुल व्यय 319.10 करोड़ रुपये हैं।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

**भेषज उत्पादों का दुरुपयोग**

**2227. श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भेषज फार्मों से उन भेषज उत्पादों और दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सहायता मांगी है जिनका उपयोग देश में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उत्पादकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) असहयोग करने वाली भेषज कंपनियों के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही क्या है; और

(ङ) पड़ोसी देशों को इन उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) और (ख) नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन.सी.बी.) ने कतिपय मन: प्रभावी औषधियों जैसे अर्थात् प्रोक्सिवोन, फेन्सिडिल/कोरेक्स, बुप्रोनोर्फिन, डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम, लोराजेपाम, टाइडिजेसिक, डेन्ट्रोप्रोफोक्सिफीन के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपाय निकालने के लिए कतिपय औषधीय कंपनियों और एसोसिएशनों से परामर्श किया था।

(ग) से (ङ) उन कंपनियों और एसोसिएशनों के नाम जिनसे एन.सी.बी. द्वारा परामर्श किया गया, इस प्रकार है:—

(i) ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मस्यूटिकल प्रॉड्यूसर्स ऑफ इंडिया।

(ii) इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन।

(iii) मैसर्स रुसन हैल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड।

(iv) मैसर्स निऑन लेबोरेट्रीज लिमिटेड।

(v) मैसर्स रैनबेक्सी लैब लिमिटेड।

(vi) मैसर्स निकोलस पिरामल लिमिटेड।

इस मामले में अधिकांश कंपनियां काफी प्रतिक्रियाशील और सहयोगशील रही हैं। सरकार द्वारा इन उत्पादों की तस्करी को रोकने हेतु उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) आयात और निर्यात स्थलों, भू सीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाक घरों इत्यादि पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन;

(ii) नशीली दवाईयों ले जाने के ज्ञात रास्तों के साथ-साथ गहन निवारक और निषेधात्मक प्रयास करना;

(iii) निषेधादेश हेतु व्यापक संशक्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उन्नत समन्वय;

(iv) ऑपरेशनल आसूचना का एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रसार में सुधार लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ करना;

(v) अपराधियों का एक इलैक्ट्रॉनिक डाटा बेस तैयार करना;

(vi) अवैध व्यापार करने वाले ग्रुपों के सदस्यों की पहचान करने के लिए पैसेन्जर प्रोफाइलिंग;

(vii) नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

*[हिन्दी]*

**उर्वरकों की खपत**

**2228. श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की खपत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरक-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार सरकार पर उर्वरक कंपनियों का 800 करोड़ रुपए बकाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बिहार राज्य में कई कंपनियों ने उर्वरकों की बिक्री का संव्यवहार बंद कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य के किसानों को उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) वर्ष 2002-03 के दौरान बिहार में उर्वरकों की खपत वर्ष 2001-02 की तुलना में थोड़ी अधिक रही। वर्ष 2003-04 में यूरिया की खपत पिछले वर्ष की तुलना में मामूली-सी कम रही।

(ख) वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान बिहार राज्य में खपत का उर्वरक-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा हजार टन में)

| उर्वरक | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|
| यूरिया | 1201.40 | 1256.10 | 1309.29 |
| अमोनिया सल्फेट | 13.30 | 13.50 | 10.38 |
| कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट | 0.00 | 4.00 | 11.38 |
| डाई-अमोनियम फॉस्फेट | 189.50 | 186.60 | 60.46 |
| सिंगल सुपर फॉस्फेट | 57.50 | 74.60 | 25.21 |
| 20 : 20 : 0 | 19.00 | 4.90 | 0.98 |
| 12 : 32 : 16 | 35.60 | 41.50 | 37.68 |
| 15 : 15 : 15 | 1.40 | 0.90 | 1.94 |
| म्यूरियेट ऑफ पोटाश | 72.60 | 33.30 | 31.86 |
| सकल योग | 1590.3 | 1615.4 | 1489.18 |

(ग) उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों को नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त (पी. एंड के.) उर्वरकों की बिक्री पर रियायत के बकाया भुगतान के रूप में 59.54 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का निपटान बिहार सरकार से बिक्री प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण रुका पड़ा है। तथापि, वास्तविक देय राशि बिक्री प्रमाणपत्र की सीमा पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, अक्तूबर, 2002 से अगस्त, 2003 के दौरान बेचे गए पी. एंड के. उर्वरकों के संबंध में रियायत का पूरा भुगतान राज्य से बिक्री प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

(घ) राज्य सरकार ने अक्तूबर/नवंबर, 1998 के बाद से पी. एंड के. उर्वरकों की बिक्री का प्रमाणपत्र जारी करना बंद कर दिया था। ऐसा राज्य सतर्कता विभाग द्वारा बैठाई गई जांच और तत्पश्चात् नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी की तत्कालीन निदेशक (कृषि), बिहार ने इस संबंध में राज्य के अनुदेशों का पालन किए बिना वर्ष 1994-95 से 1997-98 के लिए बिक्री प्रमाणपत्र जारी कर दिए थे, के कारण हुआ। बाद में, फरवरी 2002 में राज्य ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का अनुरोध किया। चूंकि राज्य बार-बार अनुरोध करने के बावजूद बिक्री प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को पुन: शुरू करने में असफल रहा, अत: उर्वरक विभाग ने अक्तूबर, 2002 से अगस्त, 2003 के दौरान बिहार में बेचे गए पी. एंड के. उर्वरकों पर रियायत की 'लेखागत' भुगतान सुविधा बंद कर दी।

(ङ) जहां तक यूरिया का संबंध है, क्योंकि संचलन ई.सी. आबंटनों द्वारा किया जा रहा है, अत: आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। तथापि, अन्य नियंत्रणमुक्त उर्वरक विशेषकर सिंगल सुपर फॉस्फेट और डाई-अमोनिया फॉस्फेट की आपूर्ति प्रभावित हुई है क्योंकि कुछ कंपनियों ने सरकार द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र न देने के कारण बिहार को आपूर्ति रोक दी है।

(च) बिहार सरकार से मामले को उठाने के उपरांत अक्तूबर, 1998 के बाद की गई बिक्री का प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया पुन: शुरू हो गई है। विभाग ने सितंबर, 2003 के बाद से की गई बिक्री पर रियायत की 'लेखागत' भुगतान सुविधा को भी बहाल कर दिया है। एक दीर्घकालिक नीति के उपाय के रूप में सरकार का रियायत योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए जाने वाले बिक्री प्रमाणपत्र की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है।

*[अनुवाद]*

## अमरीकी स्थापनाओं पर आतंकवादी हमले

**2229. श्री के.एस. राव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा एजेंसियों को देश में अलकायदा द्वारा अमरीकी स्थापनाओं पर आतंकवादी हमलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** (क) से (ग) ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। जब कभी ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तो राज्य सरकारों को सतर्क रहने और उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले अमरीकी हित के क्षेत्रों के चारों ओर सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने और उनकी समीक्षा करने के प्रति भी सुग्राही बनाया जाता है।

**अनुसूचित जनजातीय छात्रों को दसवीं पूर्व एवं दसवीं के बाद छात्रवृत्ति**

2230. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रदान की गई दसवीं पूर्व और दसवीं के बाद छात्रवृत्ति की धनराशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जनजातीय छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) इन वर्गों के लिए छात्रवृत्ति की दर निर्धारित करने की तिथि क्या थी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार बढ़ते हुए मूल्यों और खर्चों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए एक मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित सहायता अनुदान निर्मुक्त किया है :

(रुपए लाख में)

| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 (अब तक) |
|---|---|---|---|
| 368.61 | 165.02 | 391.92 | 1042.86 |

(ख) लाभांवित अनुसूचित जनजातीय छात्रों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है।

| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|
| 54286 | 55403 | 55449 | 67609 (अनुमानित) |

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय के दिनांक 19 फरवरी 2004 के आदेश के तहत हाल ही में मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किया गया है और संशोधित दरें 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी होंगी।

**शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम**

2231. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
**श्री फुरकान अंसारी:**
**श्री गुरुदास कामत:**
**श्री अनन्त नायक:**
**श्री अजीत जोगी:**
**श्री राकेश सिंह:**
**डा. सत्यनारायण जटिया:**
**श्री मदन लाल शर्मा:**

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया;

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को आबंटित तथा प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत रोजगार सृजन की स्थिति तथा लाभान्वित हुए लोगों की संख्या सहित महिलाओं के कुल प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्प-विकसित तथा पिछड़े राज्यों के लिए आबंटन को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान उड़ीसा के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी गरीबी उपशमन के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1.12.1997 से अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित कर रहा है। जो स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य घटकों में से एक है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II तथा III में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण-I*

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के लिए राज्य वार केन्द्रीय आबंटन तथा जारी राशि को दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | शहरी स्व रोजगार योजना (यू.एस.यू.पी.) | | शहरी मजदूरी रोजगार योजना (यू.डब्ल्यू.ई.पी.) | | सामुदायिक रचना | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | जारी | आबंटन | जारी | | | आबंटन | जारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 307.13 | 250.30 | 165.87 | 81.21 | 50.00 | 0.00 | 523.00 | 331.51 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 30.40 | 0.00 |
| 3. | असम | 97.99 | 0.00 | 181.05 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 312.04 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 38.26 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 38.22 | 29.68 | 49.50 | 37.26 | 10.00 | 61.50 | 97.72 | 128.44 |
| 6. | गोवा | 2.42 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 147.93 | 119.75 | 123.06 | 46.92 | 25.00 | 0.00 | 295.99 | 166.67 |
| 8. | हरियाणा | 25.13 | 18.93 | 16.63 | 7.97 | 5.00 | 23.50 | 46.76 | 50.40 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 6.31 | 3.48 | 14.03 | 0.50 | 10.05 | 20.00 | 30.39 | 23.98 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 17.67 | 12.81 | 9.77 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 32.44 | 12.81 |
| 11. | झारखंड | 18.26 | 13.29 | 23.65 | 34.27 | 15.00 | 19.08 | 56.91 | 66.64 |
| 12. | कर्नाटक | 178.06 | 144.49 | 200.68 | 166.27 | 45.00 | 84.40 | 423.74 | 395.16 |
| 13. | केरल | 244.43 | 198.83 | 13.59 | 0.00 | 29.20 | 67.40 | 287.22 | 266.23 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 196.21 | 159.24 | 187.59 | 77.28 | 30.00 | 67.50 | 413.80 | 304.02 |
| 15. | महाराष्ट्र | 192.40 | 0.00 | 229.99 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 472.39 | 0.00 |
| 16. | मणिपुर | 35.70 | 0.00 | 23.38 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 66.08 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 22.03 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 41.46 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 8.91 | 5.62 | 39.57 | 39.90 | 12.50 | 25.00 | 60.98 | 70.52 |
| 19. | नागालैंड | 15.20 | 10.78 | 9.95 | 0.22 | 5.00 | 26.00 | 30.15 | 37.00 |
| 20. | उड़ीसा | 3.51 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 15.00 | 0.00 | 318.51 | 300.00 |
| 21. | पंजाब | 8.10 | 0.00 | 32.42 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 45.52 | 0.00 |
| 22. | राजस्थान | 41.83 | 32.64 | 154.75 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 221.58 | 32.64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | सिक्किम | 5.50 | 2.82 | 4.00 | 4.04 | 4.51 | 22.00 | 14.01 | 28.86 |
| 24. | तमिलनाडु | 138.23 | 111.64 | 179.08 | 87.68 | 60.00 | 86.00 | 377.31 | 285.32 |
| 25. | त्रिपुरा | 22.04 | 16.39 | 30.57 | 30.98 | 18.81 | 37.62 | 71.42 | 84.99 |
| 26. | उत्तरांचल | 9.32 | 5.95 | 12.05 | 11.93 | 5.00 | 10.00 | 26.37 | 27.88 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 599.78 | 490.54 | 260.70 | 242.53 | 60.00 | 0.00 | 920.48 | 733.07 |
| 28. | प. बंगाल | 197.55 | 192.82 | 104.67 | 101.04 | 30.93 | 0.00 | 333.15 | 293.86 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 12.61 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 21.83 | 0.00 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 1.39 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 12.71 | 0.00 |
| 32. | दमन एवं दीव | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.46 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 35.65 | 0.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 3.94 | 190.72 | 10.12 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 19.06 | 190.72 |
| | कुल | 2656.00 | 2010.72 | 2427.00 | 1270.00 | 627.00 | 550.00 | 5710.00 | 3830.72 |

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए राज्य वार केन्द्रीय आबंटन तथा जारी राशि को दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | शहरी स्व रोजगार योजना (यू.एस.ई.पी.) | | शहरी मजदूरी रोजगार योजना (यू.डब्ल्यू.ई.पी.) | | सामुदायिक संरचना | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | जारी | आबंटन | जारी | आबंटन | जारी | आबंटन | जारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 512.00 | 631.78 | 161.37 | 161.37 | 111.00 | 111.00 | 784.37 | 904.15 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 39.82 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 58.54 | 0.00 |
| 3. | असम | 318.18 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 64.85 | 0.00 | 478.03 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 309.88 | 0.00 | 67.14 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 427.02 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 184.43 | 236.41 | 29.98 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 236.41 | 236.41 |
| 6. | गोवा | 4.96 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 17.52 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 236.24 | 1594.50 | 74.45 | 74.45 | 56.00 | 48.12 | 366.69 | 1717.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | हरियाणा | 45.33 | 144.10 | 14.29 | 44.29 | 11.00 | 50.00 | 70.62 | 238.39 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 43.44 | 52.64 | 0.77 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 55.21 | 63.64 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 50.68 | 59.46 | 1.30 | 0.00 | 11.00 | 3.52 | 62.98 | 62.98 |
| 11. | झारखंड | 103.29 | 0.00 | 63.08 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 213.37 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 374.16 | 374.16 | 117.93 | 206.52 | 88.00 | 88.00 | 580.09 | 668.68 |
| 13. | केरल | 168.79 | 261.99 | 53.19 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 261.98 | 261.99 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 498.63 | 498.63 | 185.30 | 185.30 | 130.00 | 40.00 | 813.93 | 723.93 |
| 15. | महाराष्ट्र | 865.14 | 346.06 | 272.67 | 272.67 | 194.00 | 0.00 | 1331.81 | 618.73 |
| 16. | मणिपुर | 88.24 | 0.00 | 26.48 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 133.72 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 45.46 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 70.10 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 60.16 | 60.16 | 18.06 | 31.99 | 13.00 | 13.00 | 91.22 | 105.15 |
| 19. | नागालैंड | 37.43 | 57.78 | 11.24 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 59.67 | 68.78 |
| 20. | उड़ीसा | 213.61 | 381.48 | 67.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 330.94 | 381.48 |
| 21. | पंजाब | 36.08 | 67.38 | 11.37 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 58.45 | 67.38 |
| 22. | राजस्थान | 225.22 | 402.53 | 70.98 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 349.20 | 402.53 |
| 23. | सिक्किम | 14.48 | 13.54 | 0.11 | 6.66 | 11.00 | 11.00 | 25.59 | 31.20 |
| 24. | तमिलनाडु | 420.25 | 469.75 | 132.45 | 231.97 | 99.00 | 49.50 | 651.70 | 751.22 |
| 25. | त्रिपुरा | 65.51 | 80.65 | 19.66 | 19.66 | 14.00 | 14.00 | 99.17 | 114.31 |
| 26. | उत्तरांचल | 49.57 | 16.33 | 15.61 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 76.18 | 16.33 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 941.80 | 982.91 | 296.84 | 518.31 | 211.65 | 170.54 | 1450.29 | 1671.76 |
| 28. | प. बंगाल | 280.72 | 182.47 | 88.48 | 319.19 | 66.00 | 0.00 | 435.20 | 501.66 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 59.35 | 0.00 | 43.95 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 114.30 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 111.27 | 269.09 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 122.27 | 269.09 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 7.42 | 23.91 | 5.49 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 23.91 | 23.91 |
| 32. | दमन एवं दीव | 12.36 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 32.52 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 107.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 125.15 | 0.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 16.65 | 191.00 | 38.20 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 65.85 | 191.00 |
| | कुल | 6548.00 | 7398.71 | 2014.80 | 2072.38 | 1511.20 | 620.68 | 10074.00 | 10091.77 |

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के लिए राज्य वार केन्द्रीय आबंटन तथा जारी राशि को दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | शहरी स्व रोजगार योजना (यू.एस.यू.पी.) | | शहरी मजदूरी रोजगार योजना (यू.डब्ल्यू.ई.पी.) | | सामुदायिक रचना | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | जारी | आबंटन | जारी | | | आबंटन | जारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 510.67 | 1110.67 | 159.86 | 159.86 | 119.66 | 119.66 | 790.19 | 1390.19 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 39.82 | 0.00 | 7.84 | 7.84 | 5.97 | 0.00 | 53.63 | 7.84 |
| 3. | असम | 323.73 | 0.00 | 103.70 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 506.43 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 309.08 | 309.08 | 66.51 | 66.51 | 49.79 | 49.79 | 425.38 | 425.38 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 183.95 | 177.72 | 29.70 | 29.70 | 22.23 | 22.23 | 235.88 | 229.65 |
| 6. | गोवा | 4.95 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 235.62 | 131.22 | 73.76 | 73.76 | 55.21 | 55.21 | 364.59 | 260.19 |
| 8. | हरियाणा | 45.21 | 345.21 | 14.15 | 114.15 | 10.59 | 110.59 | 69.95 | 569.95 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 43.44 | 32.58 | 0.76 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 44.77 | 32.58 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 50.68 | 30.41 | 1.29 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 52.93 | 30.41 |
| 11. | झारखंड | 103.03 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 46.78 | 0.00 | 212.31 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 373.19 | 373.19 | 116.82 | 116.82 | 87.45 | 87.45 | 577.46 | 577.46 |
| 13. | केरल | 168.35 | 518.35 | 52.70 | 52.70 | 39.45 | 39.45 | 260.50 | 610.50 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 497.33 | 497.33 | 183.58 | 183.58 | 137.41 | 137.41 | 818.32 | 818.32 |
| 15. | महाराष्ट्र | 862.88 | 52.43 | 270.13 | 270.13 | 202.20 | 0.00 | 1335.21 | 322.56 |
| 16. | मणिपुर | 89.77 | 0.00 | 28.76 | 0.00 | 21.90 | 0.00 | 140.43 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 46.25 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 72.36 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 61.21 | 211.21 | 19.60 | 219.60 | 14.95 | 91.98 | 95.76 | 522.79 |
| 19. | नागालैंड | 38.09 | 1.90 | 12.20 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 59.58 | 1.90 |
| 20. | उड़ीसा | 213.06 | 0.00 | 66.70 | 0.00 | 49.93 | 0.00 | 329.69 | 0.00 |
| 21. | पंजाब | 35.99 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 55.69 | 0.00 |
| 22. | राजस्थान | 224.63 | 0.00 | 70.32 | 70.32 | 52.64 | 52.64 | 347.59 | 122.96 |
| 23. | सिक्किम | 14.48 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 17.47 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | तमिलनाडु | 410.24 | 287.17 | 128.30 | 128.30 | 96.22 | 96.22 | 634.76 | 511.69 |
| 25. | त्रिपुरा | 65.59 | 0.00 | 20.94 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 102.18 | 0.00 |
| 26. | उत्तरांचल | 48.36 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 74.82 | 0.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 919.41 | 275.82 | 287.54 | 287.54 | 215.66 | 215.66 | 1422.61 | 779.02 |
| 28. | प. बंगाल | 274.04 | 13.70 | 85.70 | 0.00 | 64.28 | 64.28 | 424.02 | 77.98 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 67.01 | 0.00 | 48.75 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 131.03 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 125.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.64 | 0.00 | 154.29 | 0.00 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 8.38 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 16.38 | 0.00 |
| 32. | दमन एवं दीव | 13.96 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 27.30 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | 0.00 | 132.47 | 0.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 16.77 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 58.53 | 0.00 |
| | कुल | 6444.00 | 2084.15 | 1981.00 | 1247.51 | 1485.00 | 692.18 | 9910.00 | 4023.84 |

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के लिए राज्य वार केन्द्रीय आबंटन तथा जारी राशि को दर्शाने वाला विवरण*

*(31.10.04 की स्थिति के अनुसार)*

(लाख रुपए में)

यू.एस.यू.पी.

| क्र. सं. | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | शहरी स्व रोजगार योजना (श.स्व.रो.यो.) | | शहरी मजदूरी रोजगार योजना (श.म.रो.यो.) | | सामुदायिक संरचना | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | जारी | आबंटन | जारी | आबंटन | जारी | आबंटन | जारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 499.81 | 274.90 | 156.31 | 156.31 | 117.23 | 0.00 | 773.35 | 431.21 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 39.82 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 53.26 | 0.00 |
| 3. | असम | 318.56 | 143.35 | 101.72 | 0.00 | 76.04 | 0.00 | 496.32 | 143.35 |
| 4. | बिहार | 302.52 | 302.52 | 94.61 | 94.61 | 70.96 | 70.96 | 468.09 | 468.09 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 180.05 | 63.01 | 56.30 | 56.30 | 42.23 | 0.00 | 278.58 | 119.31 |
| 6. | गोवा | 4.84 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गुजरात | 230.61 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 356.82 | 0.00 |
| 8. | हरियाणा | 44.25 | 44.25 | 13.84 | 13.84 | 10.38 | 10.38 | 68.47 | 68.47 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 43.44 | 2.17 | 0.75 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 44.75 | 2.17 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 50.68 | 20.27 | 1.26 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 52.88 | 21.21 |
| 11. | झारखंड | 100.84 | 0.00 | 31.53 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | 156.02 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 365.25 | 365.25 | 114.23 | 114.23 | 85.67 | 85.67 | 565.15 | 565.15 |
| 13. | केरल | 164.77 | 49.43 | 51.53 | 51.53 | 38.65 | 38.65 | 254.95 | 139.61 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 486.74 | 0.00 | 152.24 | 0.00 | 114.17 | 0.00 | 753.15 | 0.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | 844.54 | 211.13 | 264.12 | 264.12 | 198.09 | 0.00 | 1306.75 | 475.25 |
| 16. | मणिपुर | 88.34 | 0.00 | 28.21 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 137.64 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 45.51 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 70.91 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 60.23 | 18.07 | 19.23 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 93.84 | 18.07 |
| 19. | नागालैंड | 37.47 | 13.11 | 11.97 | 11.97 | 8.94 | 8.94 | 58.38 | 34.02 |
| 20. | उड़ीसा | 208.53 | 0.00 | 65.21 | 0.00 | 48.91 | 48.91 | 322.65 | 48.91 |
| 21. | पंजाब | 35.22 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 54.49 | 0.00 |
| 22. | राजस्थान | 219.86 | 0.00 | 68.76 | 68.76 | 51.57 | 51.57 | 340.19 | 120.33 |
| 23. | सिक्किम | 14.48 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 17.47 | 0.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 410.24 | 287.17 | 128.30 | 128.30 | 96.22 | 96.22 | 634.76 | 511.69 |
| 25. | त्रिपुरा | 65.59 | 0.00 | 20.94 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 102.18 | 0.00 |
| 26. | उत्तरांचल | 48.36 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 74.82 | 0.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 919.41 | 275.82 | 287.54 | 287.54 | 215.66 | 215.66 | 1422.61 | 779.02 |
| 28. | प. बंगाल | 274.04 | 13.70 | 85.70 | 0.00 | 64.28 | 64.28 | 424.02 | 77.98 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 67.01 | 0.00 | 48.75 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 131.03 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 125.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.64 | 0.00 | 154.29 | 0.00 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 8.38 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 16.38 | 0.00 |
| 32. | दमन एवं दीव | 13.96 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 27.30 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | 0.00 | 132.47 | 0.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 16.77 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 58.53 | 0.00 |
| | कुल | 6444.00 | 2084.15 | 1981.00 | 1247.51 | 1485.00 | 692.18 | 9910.00 | 4023.84 |

*विवरण-II*

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) 2001-02 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत रोजगार सृजन की स्थिति तथा महिलाओं की कुल प्रतिशतता सहित लाभान्वित पुरुषों की संख्या*

| क्र. सं. | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | निम्न के अंतर्गत स्व रोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त पुरुषों की कुल सं. | | प्रशिक्षित पुरुषों की कुल सं. | निम्न के अंतर्गत स्व रोज. उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त महिलाओं की सं. | | प्रशिक्षित महिलाओं की सं. | सहायता प्राप्त पुरुषों की कुल सं. के संदर्भ में सहायता प्राप्त महिलाओं की प्रतिशतता | | प्रशिक्षित पुरुषों की कुल सं. के संदर्भ में प्रशिक्षित महिलाओं की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1536 | 1006 | 63 | 461 | 1006 | 18 | 30.01 | 100 | 28.57 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. | असम | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 229 | 79 | 78 | 21 | 79 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 134 | 20 | 183 | 35 | 20 | 183 | 26.12 | 100 | 100.00 |
| 7. | गुजरात | 3935 | 0 | 23760 | 1368 | 0 | 10304 | 34.76 | 0 | 43.37 |
| 8. | हरियाणा | 2356 | 410 | 1555 | 558 | 410 | 1555 | 23.68 | 100 | 100.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 339 | 33 | 353 | 65 | 33 | 197 | 19.17 | 100 | 55.81 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 2168 | 51 | 6763 | 0 | 51 | 2738 | 0.00 | 100 | 40.48 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 8454 | 1120 | 13398 | 2535 | 1120 | 0 | 30.00 | 100 | 0.00 |
| 13. | केरल | 4117 | 4625 | 1069 | 3814 | 4625 | 1046 | 92.64 | 100 | 97.85 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 12190 | 2066 | 3968 | 2890 | 2066 | 2949 | 22.89 | 100 | 76.24 |
| 15. | महाराष्ट्र | 9677 | 441 | 16735 | 3946 | 441 | 5844 | 40.78 | 100 | 34.92 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 10 | 0 | 258 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 0 | 31.01 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 714 | 285 | 7 | 714 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 20. | उड़ीसा | 2296 | 7375 | 2877 | 561 | 7375 | 1042 | 24.43 | 100 | 36.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | पंजाब | 1251 | 20 | 1068 | 432 | 20 | 1068 | 34.53 | 100 | 100.00 |
| 22. | राजस्थान | 5197 | 106 | 3300 | 1099 | 106 | 3300 | 21.15 | 100 | 100.00 |
| 23. | सिक्किम | 72 | 0 | 224 | 15 | 0 | 224 | 20.83 | 0 | 100.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 933 | 160 | 146 | 0 | 160 | 55 | 0.00 | 100 | 37.67 |
| 25. | त्रिपुरा | 2238 | 540 | 308 | 968 | 540 | 92 | 43.25 | 100 | 29.87 |
| 26. | उत्तरांचल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 24698 | 700 | 3976 | 8032 | 700 | 900 | 32.52 | 100 | 22.64 |
| 28. | प. बंगाल | 0 | 10 | 4948 | 0 | 10 | 3273 | 0.00 | 100 | 66.15 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 46 | 0 | 190 | 6 | 0 | 170 | 13.04 | 0 | 89.47 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32. | दमन एवं दीव | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69.57 | 0 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 277 | 0 | 65 | 67 | 0 | 65 | 24.19 | 0 | 100.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 252 | 41 | 294 | 158 | 41 | 203 | 62.70 | 100 | 69.05 |
| | कुल | 83886 | 19517 | 85789 | 26960 | 19517 | 35306 | 32.14 | 100 | 41.15 |

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) 2002-03 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत रोजगार सृजन की स्थिति तथा महिलाओं की कुल प्रतिशतता सहित लाभान्वित पुरुषों की संख्या*

| क्र. सं. | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | निम्न के अंतर्गत स्व रोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त पुरुषों की कुल सं. | | प्रशिक्षित पुरुषों की कुल सं. | निम्न के अंतर्गत स्व रोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त महिलाओं की सं. | | प्रशिक्षित महिलाओं की सं. | सहायता प्राप्त पुरुषों की कुल सं. के संदर्भ में सहायता प्राप्त महिलाओं की प्रतिशतता | | प्रशिक्षित पुरुषों की कुल सं. के संदर्भ में प्रशिक्षित महिलाओं की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10734 | 6262 | 8611 | 5095 | 6262 | 2583 | 47.47 | 100 | 30.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 335 | 39 | 62 | 130 | 39 | 0 | 38.81 | 100 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 84 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4934 | 581 | 2634 | 1121 | 581 | 0 | 22.72 | 100 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 25 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 | 100.00 | 100 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 7574 | 10 | 6679 | 3738 | 10 | 3433 | 49.35 | 100 | 51.40 |
| 8. | हरियाणा | 1310 | 470 | 1827 | 402 | 470 | 1317 | 30.69 | 100 | 72.09 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 150 | 71 | 168 | 7 | 71 | 12 | 4.67 | 100 | 7.14 |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 3015 | 135 | 3936 | 167 | 135 | 1257 | 5.54 | 100 | 31.94 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 4178 | 1720 | 3658 | 1154 | 1720 | 0 | 27.62 | 100 | 0.00 |
| 13. | केरल | 1153 | 2631 | 1789 | 838 | 2631 | 966 | 72.68 | 100 | 54.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 14567 | 2820 | 6249 | 1965 | 2820 | 2317 | 13.49 | 100 | 37.08 |
| 15. | महाराष्ट्र | 12461 | 1447 | 31737 | 1830 | 1447 | 10248 | 14.69 | 100 | 32.29 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 1296 | 1 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 734 | 738 | 510 | 131 | 738 | 0 | 17.85 | 100 | 0.00 |
| 20. | उड़ीसा | 2631 | 197 | 2602 | 890 | 197 | 1001 | 33.83 | 100 | 38.47 |
| 21. | पंजाब | 940 | 30 | 1605 | 224 | 30 | 1207 | 23.83 | 100 | 75.20 |
| 22. | राजस्थान | 7321 | 258 | 1408 | 1558 | 258 | 1339 | 21.28 | 100 | 95.10 |
| 23. | सिक्किम | 109 | 0 | 210 | 77 | 0 | 210 | 70.64 | 0 | 100.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 10764 | 4864 | 1742 | 1899 | 4864 | 1405 | 17.64 | 100 | 80.65 |
| 25. | त्रिपुरा | 549 | 0 | 485 | 57 | 0 | 156 | 10.38 | 0 | 32.16 |
| 26. | उत्तरांचल | 659 | 170 | 202 | 183 | 170 | 202 | 27.77 | 100 | 100.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 7815 | 4037 | 3993 | 1151 | 4037 | 1059 | 14.73 | 100 | 26.52 |
| 28. | प. बंगाल | 6972 | 28 | 18606 | 6972 | 28 | 14061 | 100.00 | 100 | 75.57 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | चंडीगढ़ | 53 | 0 | 205 | 12 | 0 | 180 | 22.74 | 0 | 18.60 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 20 | 0 | 86 | 3 | 0 | 16 | 15.00 | 0 | 18.60 |
| 32. | दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 324 | 0 | 325 | 0 | 0 | 243 | 0.00 | 0 | 74.77 |
| 34. | पांडिचेरी | 405 | 247 | 43 | 326 | 247 | 0 | 80.49 | 100 | 0100 |
| | कुल | 101114 | 26766 | 99411 | 29955 | 26766 | 43212 | 29.62 | 100 | 43.47 |

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) 2003-04 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत रोजगार सृजन की स्थिति तथा महिलाओं की कुल प्रतिशतता सहित लाभान्वित पुरुषों की संख्या*

| क्र. सं. | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | निम्न के अंतर्गत स्व रोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त पुरुषों की कुल सं. | | प्रशिक्षित पुरुषों की कुल सं. | निम्न के अंतर्गत स्व रोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त महिलाओं की सं. | | प्रशिक्षित महिलाओं की सं. | सहायता प्राप्त पुरुषों की कुल सं. के संदर्भ में सहायता प्राप्त महिलाओं की प्रतिशतता | | प्रशिक्षित पुरुषों की कुल सं. के संदर्भ में प्रशिक्षित महिलाओं की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9181 | 24538 | 5635 | 879 | 24538 | 1685 | 9.57 | 100 | 29.90 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 39 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. | असम | 2872 | 195 | 548 | 1378 | 195 | 273 | 47.98 | 100 | 49.82 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1881 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 1981 | 33 | 4547 | 209 | 33 | 4547 | 10.55 | 100 | 100.00 |
| 8. | हरियाणा | 2486 | 479 | 3231 | 749 | 479 | 2563 | 30.13 | 100 | 67.04 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 135 | 40 | 625 | 108 | 40 | 419 | 80.00 | 100 | 67.04 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 681 | 0 | 838 | 422 | 0 | 838 | 61.97 | 0 | 100.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 6480 | 1906 | 19200 | 2044 | 1906 | 0 | 31.54 | 100 | 0.00 |
| 13. | केरल | 432 | 1766 | 5112 | 432 | 1766 | 4599 | 100.00 | 100 | 89.96 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3767 | 1032 | 8575 | 2278 | 1032 | 8329 | 60.47 | 100 | 97.13 |
| 15. | महाराष्ट्र | 12280 | 1325 | 39357 | 3661 | 1325 | 16244 | 29.81 | 100 | 41.27 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 939 | 1274 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 113 | 1019 | 100 | 113 | 1019 | 0 | 100.00 | 100 | 0.00 |
| 20. | उड़ीसा | 6982 | 1243 | 3439 | 2855 | 1243 | 1800 | 40.89 | 100 | 52.34 |
| 21. | पंजाब | 714 | 10 | 1302 | 214 | 10 | 1302 | 29.97 | 100 | 100.00 |
| 22. | राजस्थान | 3709 | 299 | 1696 | 904 | 299 | 1516 | 24.37 | 100 | 89.39 |
| 23. | सिक्किम | 47 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 61.70 | 0 | 0.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 3145 | 775 | 3033 | 2357 | 775 | 1624 | 74.94 | 100 | 53.54 |
| 25. | त्रिपुरा | 347 | 0 | 765 | 137 | 0 | 263 | 39.48 | 0 | 34.38 |
| 26. | उत्तरांचल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 5586 | 1282 | 14452 | 1219 | 1282 | 3234 | 21.82 | 100 | 22.38 |
| 28. | प. बंगाल | 2588 | 172 | 5880 | 0 | 172 | 7494 | 0.00 | 100 | 127.45 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 23 | 22 | 242 | 6 | 22 | 215 | 26.09 | 100 | 88.84 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32. | दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 72 | 0 | 155 | 60 | 0 | 190 | 83.33 | 0 | 122.58 |
| 34. | पांडिचेरी | 625 | 445 | 1774 | 473 | 445 | 686 | 75.68 | 100 | 38.67 |
| | कुल | 64286 | 36617 | 121594 | 21801 | 36617 | 59722 | 33.91 | 100 | 49.12 |

*स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.बाई.) 2003-04 के दौरान स्व.ज.श.रो.यो. के अंतर्गत शहरी स्वरोजगार योजना (श.स्व.रो.यो.) के रोजगार सृजन की स्थिति तथा महिलाओं की कुल प्रतिशतता सहित लाभान्वित पुरुषों की संख्या*

| क्र. सं. | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | निम्न के अंतर्गत स्व रोजगार उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त पुरुषों की कुल सं. | | प्रशिक्षित पुरुषों की कुल सं. | निम्न के अंतर्गत स्व रोज. उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त महिलाओं की सं. | | प्रशिक्षित महिलाओं की सं. | सहायता प्राप्त पुरुषों की कुल सं. के संदर्भ में सहायता प्राप्त महिलाओं की प्रतिशतता | | प्रशिक्षित पुरुषों की कुल सं. के संदर्भ में प्रशिक्षित महिलाओं की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | | श.स्व.रो.यो. (आर्थिक सहा.) उप घटक | डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए. (आर्थिक सहा.) उप घटक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 14304 | 4800 | 2609 | 4291 | 4800 | 789 | 30.00 | 100 | 30.24 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. | असम | 852 | 0 | 3812 | 256 | 0 | 0 | 30.05 | 0 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1016 | 0 | 1976 | 242 | 0 | 1348 | 23.82 | 0 | 68.22 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 1613 | 0 | 1648 | 709 | 0 | 0 | 43.96 | 0 | 0.00 |
| 8. | हरियाणा | 864 | 128 | 1439 | 154 | 128 | 1074 | 17.82 | 100 | 74.64 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 100 | 40 | 442 | 40 | 40 | 250 | 40.00 | 100 | 56.56 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 474 | 0 | 941 | 123 | 0 | 183 | 25.95 | 0 | 19.45 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 0 | 781 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 13. | केरल | 24 | 122 | 265 | 20 | 122 | 240 | 83.33 | 100 | 90.57 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 121 | 2700 | 0 | 121 | 1931 | 0.00 | 100 | 71.52 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3725 | 1527 | 15506 | 946 | 1527 | 2080 | 25.40 | 100 | 13.41 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | उड़ीसा | 0 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 965 | 0.00 | 0 | 68.96 |
| 21. | पंजाब | 319 | 0 | 1378 | 89 | 0 | 1298 | 27.90 | 0 | 94.19 |
| 22. | राजस्थान | 3148 | 78 | 8 | 764 | 78 | 0 | 24.27 | 100 | 0.00 |
| 23. | सिक्किम | 68 | 0 | 201 | 34 | 0 | 50 | 50.00 | 0 | 24.88 |
| 24. | तमिलनाडु | 223 | 212 | 1688 | 51 | 212 | 965 | 22.87 | 100 | 57.17 |
| 25. | त्रिपुरा | 34 | 200 | 3450 | 7 | 200 | 1165 | 20.59 | 100 | 33.77 |
| 26. | उत्तरांचल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1066 | 529 | 11207 | 201 | 529 | 2732 | 18.86 | 100 | 24.38 |
| 28. | प. बंगाल | 0 | 95 | 3524 | 116 | 95 | 2425 | 0.00 | 100 | 68.81 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 16 | 0 | 143 | 5 | 0 | 142 | 31.25 | 0 | 99.30 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 10 | 0 | 98 | 6 | 0 | 61 | 60.00 | 0 | 62.24 |
| 32. | दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 58 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | कुल | 27954 | 8633 | 54426 | 8090 | 8633 | 17698 | 28.94 | 100 | 32.52 |

*विवरण-III*

*वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक के दौरान स्व.ज.श.रो. योजना के यू.डब्ल्यू.ई.पी. घटक के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि सृजित कार्य के श्रम दिवसों की वर्ष-वार संख्या (31.10.04 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3.17 | 1.70 | 1.94 | 0.00 | 6.81 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.19 | 0.71 | 3.07 | 0.00 | 3.97 |
| 3. | असम | 0.43 | 0.65 | 1.23 | 0.00 | 2.31 |
| 4. | बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गोवा | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 7. | गुजरात | 3.71 | 1.06 | 7.94 | 0.00 | 12.71 |
| 8. | हरियाणा | 0.46 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.92 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.13 |
| 11. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 20.45 | 4.67 | 7.56 | 1.76 | 34.44 |
| 13. | केरल | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 2.68 | 1.81 | 0.74 | 0.00 | 5.23 |
| 15. | महाराष्ट्र | 7.17 | 5.93 | 3.19 | 0.00 | 16.29 |
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 17. | मेघालय | 0.00 | 1.00 | 0.63 | 0.00 | 1.63 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 0.00 | 0.13 | 0.32 | 0.00 | 0.45 |
| 20. | उड़ीसा | 0.19 | 3.37 | 0.92 | 0.00 | 4.48 |
| 21. | पंजाब | 0.82 | 0.03 | 0.34 | 0.00 | 1.19 |
| 22. | राजस्थान | 2.56 | 3.82 | 0.80 | 0.00 | 7.18 |
| 23. | सिक्किम | 0.44 | 0.30 | 0.55 | 0.00 | 1.29 |
| 24. | तमिलनाडु | 3.96 | 1.19 | 2.24 | 0.00 | 7.39 |
| 25. | त्रिपुरा | 0.97 | 0.14 | 0.42 | 0.00 | 1.53 |
| 26. | उत्तरांचल | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 5.34 | 3.12 | 3.63 | 0.00 | 12.09 |
| 28. | प. बंगाल | 2.85 | 0.91 | 2.42 | 0.00 | 6.18 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.47 | 0.29 | 1.58 | 0.00 | 2.34 |
| 30. | चंडीगढ़ | — | — | — | — | 0.00 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.22 |
| 32. | दमन एवं दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | — | — | — | — | 0.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.00 | 0.41 |
| | कुल | 57.49 | 31.26 | 45.30 | 1.76 | 135.81 |

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जनजाति का दर्जा**

**2232. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ''बावरिया'' समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1982 में ''बावरिया'' समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णय किया था;

(घ) यदि हां, तो कई आयोगों/समितियों की इस संबंध में सिफारिश के बावजूद ''बावरिया'' समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) ''बावरिया'' समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर सरकार ने इस समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए क्या नए कदम उठाए हैं?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) से (ग) जी हां, पंजाब सरकार ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ''बोरिया'' सहित छः समुदायों को पंजाब की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। तथापि, उक्त प्रस्ताव में ''बावरिया'' नामक किसी समुदाय का उल्लेख नहीं है।

(घ) और (ङ) उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही की गई है।

**तकनीकी शिक्षा परिषद का पुनर्गठन**

**2233. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा परिषद के पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके पुनर्गठन के क्या कारण हैं; और

(ग) तकनीकी शिक्षा परिषद के पुनर्गठन से किस प्रकार की तकनीकी शिक्षा प्रदान करनी संभव हो पाएगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 4(1) के अनुसार पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए है। दिनांक 2.11.2004 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि समाप्त होने पर परिषद के लिए ऐसे सदस्यों को नामित करने हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, प्रबन्धन, होटल प्रबन्धन, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम और विषय सम्मिलित हैं जिनकी केन्द्र सरकार परिषद् के साथ परामर्श करके सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करना चाहती है।

*[अनुवाद]*

**सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों को विदेशों में प्रशिक्षण**

**2234. श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को रसायनिक, परमाणु तथा जैविक हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों का मुकाबला करने की दक्षता प्राप्त करने के लिए इस्राइल, ब्रिटेन और अमरीका आदि देशों में भेजने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षुओं पर होने वाले खर्च के लिए कोई आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) से (घ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 12 अधिकारियों सहित केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों, अग्निशमन सेवाओं और राज्य पुलिस के 34 अधिकारियों को 20 मई से 14 जून, 2002 तक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फर्स्ट रिस्पोंडर आपरेसंस कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनियुक्त किया गया था। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 7 अधिकारियों सहित 22 अधिकारियों के एक और बैच को 21 अक्तूबर से 22 नवम्बर, 2002 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडिकल अमरजेंसी इन मास कैजुअल्टीज कोर्स में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का व्यय यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा वहन किया गया था। सामूहिक विनाश के हथियारों का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा के कार्मिकों को इस्राइल, युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में भेजने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

**वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता**

**2235. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक से वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार को अतिरिक्त मकानों की मंजूरी के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (च) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान जारी केन्द्रीय सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वित्त वर्ष (2004-05) में सरकार के विचार के लिए प्राप्त अतिरिक्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ये प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

***विवरण-I***

*वर्ष 2004-05 के दौरान वाम्बे योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी केन्द्रीय सबसीडी का राज्य-वार ब्यौरा*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | अंतरिम आबंटित केन्द्रीय सबसिडी | 2004-05 के दौरान प्रदान की गयी कुल सबसिडी (30.11.04 तक) | निवास इकाइयों की सं. | शौचालय सीटों की सं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2731.00 | 3360.900 | 15582 | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 17.00 | | | |
| 3. | असम | 264.00 | | | |
| 4. | बिहार | 1207.00 | | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 343.00 | | | |
| 6. | गोवा | 52.00 | | | |
| 7. | गुजरात | 1561.00 | | | |
| 8. | हरियाणा | 457.00 | | | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 73.00 | | | |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 353.00 | | | |
| 11. | झारखंड | 402.00 | 718.800 | 3504 | 90 |
| 12. | कर्नाटक | 806.00 | | | |
| 13. | केरल | 747.00 | | | |
| 14. | मध्य प्रदेश | 926.00 | | | |
| 15. | महाराष्ट्र | 4873.00 | 3232.608 | 10024 | 6010 |
| 16. | मणिपुर | 51.00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | 53.00 | | | |
| 18. | मिजोरम | 52.00 | | | |
| 19. | नागालैंड | 28.00 | | | |
| 20. | उड़ीसा | 509.00 | 4.400 | 22 | |
| 21. | पंजाब | 859.00 | | | |
| 22. | राजस्थान | 1482.00 | 600.000 | 2500 | |
| 23. | सिक्किम | 6.00 | | | |
| 24. | तमिलनाडु | 1978.00 | 1291.000 | 5164 | |
| 25. | त्रिपुरा | 41.00 | | | |
| 26. | उत्तरांचल | 175.00 | | | |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 3324.00 | | | |
| 28. | प. बंगाल | 2986.00 | | | |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 23.00 | | | |
| 30. | चंडीगढ़ | 97.00 | | | |
| 31. | दादर एवं नगर हवेली | 2.00 | | | |
| 32. | दमन एवं दीव | 6.00 | | | |
| 33. | दिल्ली | 1478.00 | | | |
| 34. | पांडिचेरी | 97.00 | | | |
| 35. | लक्षद्वीप | 0.00 | | | |
| | कुल | 28058.00 | 9207.708 | 36796 | 6100 |

*विवरण-II*

*वर्ष 2004-05 के दौरान वाम्बे योजना के अंतर्गत प्राप्त अगले प्रोजेक्ट प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/एजेंसी का नाम | लागत/परियोजना का नाम | केन्द्रीय सबसिडी के लिए अनुरोध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश/ए.पी.एस.एच.सी. | विशाखापटनम में आवास योजना/रुपए 2500.00 लाख | रु. 1250.00 लाख |
| 2. | गुजरात/अहमदाबाद नगर निगम | निरमल भारत अभियान के अंतर्गत अहमदाबाद, गुजरात में पे एंड यूज शौचालय का निर्माण, (योजना सं. 18062)/रुपए 702.40 लाख | रु. 351.20 लाख |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | जम्मू एवं कश्मीर/श्रीनगर विकास प्राधिकरण | बेमिना, श्रीनगर में 1032 निवास इकाइयों के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर राज्य में वाम्बे योजना/रुपए 1610.00 लाख | रु. 232.20 लाख |
| 4. | केरल/कुडुंमश्री | वर्ष 2004-05 के लिए केरल राज्य में वाम्बे योजना/रुपए 2768.00 लाख | रु. 1384.00 लाख |
| 5. | मध्य प्रदेश/देवास विकास प्राधिकरण | देवास मध्य प्रदेश में वाम्बे योजना (योजना सं. 17871)/रुपए 139.20 लाख | रु. 11.00 लाख |
| 6. | मध्य प्रदेश/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी), भोपाल नगर निगम कार्यान्वयन एजेंसी | मीरा मंदिर, शाहपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश फेस-II में वाम्बे योजना (योजना सं. 18081)/रुपए 384.50 लाख | रु. 53.95 लाख |
| 7. | मध्य प्रदेश/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी), हारदा नगर निगम, (कार्यान्वयन एजेंसी) | हारदा मध्य प्रदेश में वाम्बे योजना/रुपए 191.25 लाख | रु. 84.20 लाख |
| 8. | महाराष्ट्र/एम.एच.ए.डी.ए. | महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र के खामगांव तथा अकोला में वाम्बे योजना/रुपए 507.60 लाख | रु. 253.80 लाख |
| 9. | महाराष्ट्र/एम.एच.ए.डी.ए. | महाराष्ट्र के पुना क्षेत्र के इचलकरंजी में वाम्बे योजना/रुपए 673.20 लाख | रु. 336.60 लाख |
| 10. | महाराष्ट्र/एम.एच.ए.डी.ए. | महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र के नासिक, मालेगांव, मनमाड, श्रीरामपुर नंदूरबार,, भसावल, चौपाड़ा, चालीसगांव तथा अहमदनगर में वाम्बे योजना/रुपए 960.90 लाख | रु. 480.45 लाख |
| 11. | महाराष्ट्र/एम.एच.ए.डी.ए. | महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र के अमरावती में वाम्बे योजना (योजना सं. 18260)/रुपए 3116.80 लाख | रु. 1558.40 लाख |
| 12. | महाराष्ट्र/एम.एच.ए.डी.ए. | नासिक क्षेत्र के नासिक में निरमल भारत अभियान योजना (योजना सं. 18259)/रुपए 949.95 लाख | रु. 321.00 लाख |
| 13. | उड़ीसा/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) भद्रक नगर (कार्यान्वयन एजेंसी) पीपली एन.ए.सी., पोलसारा एन. ए.सी., गोपालपुर एन.ए.सी. | पीपली, पोलसारा, गोपालपुर तथा भद्रक, उड़ीसा में वाम्बे योजना/रुपए 24.00 लाख | रु. 12.00 लाख |
| 14. | उड़ीसा/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) पुरी नगर (कार्यान्वयन एजेंसी) | पुरी, उड़ीसा में वाम्बे योजना/रुपए 40.00 लाख | रु. 20.00 लाख |
| 15. | पांडिचेरी/पी.एस.सी.बी. | पांडिचेरी तथा यनम क्षेत्र के विभिन्न शहरी स्लमों में आवास इकाइयों का निर्माण/रुपए 167.20 लाख | रु. 83.60 लाख |
| 16. | तमिलनाडु/टी.एन.एस.सी.बी. | 5 हजार नये आवासों का निर्माण (योजना सं. 18294)/रुपए 2000 लाख | रु. 412 लाख |
| 17. | तमिलनाडु/टी.एन.एस.सी.बी. | 168 स्थानों पर टी.एम.एस.सी.बी. कोठरियों सुधार (योजना सं. 17454)/रुपए 893.06 लाख | रु. 46.63 लाख |
| 18. | तमिलनाडु/नगर निगम कमिश्नरेट (सी.एम.ए.) | तमिलनाडु के विभिन्न स्थानीय निकायों में कम्यूनिटी सेंनिटरी कम्प्लैक्स का निर्माण/रुपए 3620.00 लाख | रु. 1810.00 लाख |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19. | उत्तर प्रदेश/एस.यू.डी.ए., यू.पी. | कपतूर, जानीस तथा गाजियाबाद में अम्बोय योजना/रुपए 939.60 लाख | रु. 469.80 लाख |
| 20. | उत्तर प्रदेश/एस.यू.डी.ए., यू.पी. | उत्तर प्रदेश/एस.यू.डी.ए., उत्तर प्रदेश/रुपए 468.50 लाख | रु. 234.25 लाख |
| 21. | उत्तरांचल/एस.यू.डी.ए. | चमोली तथा उद्यमसिंह नगर के शहरी क्षेत्र में 501 इकाइयों के निर्माण के लिए ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजना (फेस-III, योजना सं. 18410)/रुपए 210.15 लाख | रु. 105.075 लाख |
| 22. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. | प. बंगाल के वर्धमान, पुराना मालदाह, कृषनगर तथा कोलकाता के शहरों में आवास योजना (योजना सं. 17863)/रुपए 1088.62 लाख | रु. 159.30 लाख |
| 23. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. | प. बंगाल के बीरनगर, रिश्रा, श्रीरामपुर, रानाघाट तथा मिरीक शहरों में आवास योजना (योजना सं. 17949)/रुपए 318.40 लाख | रु. 4.40 लाख |
| 24. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) रिसरा नगर एवं खारदा म्यूनिसपलिटी (कार्यान्वयन एजेंसी) | रिश्रा एवं खारदा, प. बंगाल में आवास योजना (योजना सं. 18087)/ रुपए 132.00 लाख | रु. 40.40 लाख |
| 25. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) | दिनहाता, कल्याणी, पुजाली तथा मिदनापुर (III), प. बंगाल के नगरों में आवास योजना/रुपये 106.00 लाख | रु. 53.00 लाख |
| 26. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) भद्रेश्वर म्यूनिसप्लेटी एवं (कार्यान्वयन एजेंसी) कांडी म्यूनिसपलेटी | भद्रेश्वर तथा कांडी, प. बंगाल के नगरों में आवास योजना/रुपये 175.60 लाख | रु. 87.80 लाख |
| 27. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) दिनहाता म्यूनिसप्लेटी (कार्यान्वयन एजेंसी) | दिनहाता, पश्चिम बंगाल के नगरों में आवास योजना/रुपये 58.80 लाख | रु. 29.40 लाख |
| 28. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) दिनहाता म्यूनिसपलेटी (कार्यान्वयन एजेंसी) मिदनापुर म्यूनिसपलेटी | दिनहाता (IV) तथा मिदनापुर (iii), पश्चिम बंगाल के नगरों में आवास योजना/रुपये 89.80 लाख | रु. 44.90 लाख |
| 29. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) इग्रा म्यूनिसप्लेटी एवं (कार्यान्वयन एजेंसी) | इग्रा, पश्चिम बंगाल के नगरों में आवास योजना (योजना संख्या 18085)/रुपये 74.80 लाख | रु. 34.80 लाख |
| 30. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) मेमारी म्यूनिसपलेटी (कार्यान्वयन एजेंसी) माथाभंगा म्यूनिसपलेटी | मेमारी तथा माथाभंगा, पश्चिम बंगाल के नगरों में आवास योजना/ रुपये 310.00 लाख | रु. 155.00 लाख |
| 31. | प. बंगाल/एस.यू.डी.ए. (नोडल एजेंसी) तारकेश्वर म्यूनिसपलेटी (कार्यान्वयन एजेंसी) | तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल के नगरों में आवास योजना/रुपये 28.40 लाख | रु. 14.20 लाख |

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को स्मारकों में बदलना**

**2236. श्री रामदास आठवले:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नेताओं के दिल्ली में स्थित ऐसे आवासों की संख्या कितनी है तथा उनका क्या ब्यौरा है, जिन्हें आज की तारीख तक स्मारकों में बदल दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार बाबू जगजीवन राम के आवास को भी एक स्मारक बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के निम्नलिखित निवास स्मारकों में परिवर्तित किए गए हैं:—

(i) तीन मूर्ति भवन

(ii) 1, सफदरजंग रोड और 1, अकबर रोड, तथा

(iii) 1, मोती लाल नेहरू प्लेस

(ख) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के वर्ष 2000 में लिए गए निर्णय में दिवंगत नेताओं के सरकारी बंगलों को स्मारकों में बदलने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

*[अनुवाद]*

**बोकारो इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को पंचाट**

**2237. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में नियमित प्रकृति का कार्य कर रहे 59 ठेका मजदूरों को औद्योगिक न्यायाधिकरण, रांची से 30 मई, 2003 को उनके अनियमित करने के पक्ष में पंचाट प्राप्त हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचाट मिलने के बावजूद उन्हें ड्यूटी नहीं दी गई;

(घ) क्या संयंत्र के प्रबंधन ने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में पंचाट के विरुद्ध याचिका दायर की परंतु उसे स्थगन आदेश नहीं मिला;

(ङ) यदि हां, तो क्या बोकारो के उप श्रम आयुक्त ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2004 के पत्र में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न मिलने की स्थिति में प्रबंधन से पंचाट को लागू करने को कहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) मैसर्स टी.टी.जी., एक स्वतंत्र ठेकेदार, ने बोकारो इस्पात संयंत्र में परचेज आर्डर पर उच्च दाब वाटर जेट के निर्माण, उसको चालू करने और उसकी स्थापना के कार्य हेतु 59 ठेका मजदूर लगाए थे। मैसर्स टी.टी.जी. ने ठेका पूर्ण हो जाने के पश्चात् 30.9.1992 को मजदूरों की छंटनी की थी। रांची, औद्योगिक अधिकरण ने केस सं. 12/94 के संदर्भ में दिनांक 30.5.2003 के अपने आदेश द्वारा इन 59 ठेका मजदूरों को नियमित करने के निदेश दिए थे।

(ग) और (घ) बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) ने औद्योगिक अधिकरण, रांची के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 30.5.2003 को दिए गए निर्णय को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में चुनौती दी है और निर्णय के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का निवेदन करते हुए एक रिट याचिका भी दायर की है। इन दोनों को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने हाजिर होने के लिए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रतिवादियों के हाजिर होने के पश्चात रोक लगाने के निवेदन पर विचार किया जाएगा।

तदनन्तर, बी.एस.एल. ने केस सं. 12/94 में दिनांक 30.5.2003 के निर्णय पर रोक लगाने का निवेदन करते हुए एक संवादात्मक आवेदन 2004 का (आई.ए.) सं. 1811, दायर किया। दिनांक 6/11.10.2004 को आई.ए. पर सुनवाई के बाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय के कार्यान्वयन पर इस शर्त पर रोक-आदेश दिया कि मजदूरी का भुगतान नितांत रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-बी के अनुसार किया जाए।

(ङ) जी हां।

(च) उप श्रम आयुक्त (डी.एल.सी.), बोकारो को सूचित किया गया है कि मामला माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है और न्यायालय द्वारा रोक आदेश दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**वर्षा जल संचयन**

**2238. श्रीमती करुणा शुक्ला:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा 3 जून, 2004 को वर्षा जल संचयन हेतु एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों, संस्थानों, स्कूलों/छात्रावासों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों और फार्म हाऊसों ने इस सूचना का पालन किया है;

(ग) क्या सरकार ने इसे बढ़वा देने हेतु कोई प्रोत्साहन योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि उन्होंने 3 जून, 2004 को कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की थी। तथापि, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिम जिलों के नगर निगम में आने वाली समूह आवास समितियों, संस्थानों/विद्यालयों, होटलों व औद्योगिक संस्थानों द्वारा 30 जून, 2005 तक छत पर बरसाती पानी का संग्रहण करने की प्रणाली अपनाने के संबंध में 29 जुलाई, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने विभिन्न समूह आवास समितियों, संस्थानों, विद्यालयों आदि को तकनीकी मार्गदर्शन दिए हैं जिनके विवरण इस प्रकार हैं:—

| | |
|---|---|
| समूह आवास समितियां, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, डी.डी.ए. कालोनियां आदि | 233 |
| संस्थान, विद्यालय, कालेज, विश्वविद्यालय | 262 |
| होटल, गेस्ट हाऊस | 17 |
| उद्योग/औद्योगिक संस्थान | 112 |
| फार्म हाऊस | 41 |

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने दिनांक 28.7.2001 को दिल्ली के एकीकृत भवन निर्माण उपनियमों को संशोधित करते हुए 100 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक क्षेत्रफल के प्लाटों पर सभी भवनों में जल संग्रहण को अनिवार्य कर दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा सहकारी समूह आवास समितियों को बरसाती पानी संग्रहण प्रणाली अपनाने में मदद करने के लिए उनकी एक प्लान योजना है। इस योजना के अंतर्गत नगर के उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों को छोड़कर संपूर्ण दिल्ली के लिए पंजीकृत रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों तथा सहकारी समूह आवास समितियों, निजी/सहकारी विद्यालयों, औद्योगिक भवनों, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों, गैर सरकारी संगठन भवनों आदि को 50,000/- रु. अथवा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा रही है।

इसके अलावा, बरसाती पानी के संग्रहण तथा भूमिगत पानी की कृत्रिम रूप से पूर्ति करने के संबंध में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रानिक प्रचार साधनों, विज्ञापन पोस्टर आदि का प्रयोग किया जाता है।

*[अनुवाद]*

## आश्रम स्कूलों की स्थापना

**2239. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिसूचित क्षेत्रों में राज्यवार कितने आश्रम स्कूल खोले गए;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों में 2004-05 में खोले जाने वाले नए आश्रम स्कूलों के लिए अनुदान को मंजूरी दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05 में 130 आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 300.00 लाख रुपये की धनराशि दूसरी किस्त के रूप में स्वीकृत की गई है।

*विवरण*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | आश्रम स्कूलों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7 | — | 38 |
| 2. | गुजरात | 43 | — | — |
| 3. | मध्य प्रदेश | — | 130 | — |
| 4. | कर्नाटक | 9 | 5 | — |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 46 | — | — |
| 6. | त्रिपुरा | 1 | — | — |

[हिन्दी]

**छात्राओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें**

2240. **श्री संतोष गंगवार:**
**श्री महावीर भगोरा:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों विशेषकर, महाराष्ट्र ने 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार वर्तमान स्थिति तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों को अपेक्षित सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा-i-viii की सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें वितरित किए जाने का प्रावधान है, यदि इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की कोई मौजूदा योजना न हो तो वर्ष 2004-05 के लिए महाराष्ट्र सहित सभी पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए निधियां संस्वीकृत कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

**अस्पतालों/डिस्पेंसरियों द्वारा भूमि आबंटन की शर्तों का उल्लंघन**

2241. **श्री राजेश पाठक:**
**श्री सीता राम यादव:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में 50 अस्पतालों तथा 15 डिस्पेंसरियों के भूमि आबंटन की ओर दिलाया गया है, जिसके समझौते में शर्त थी कि वे अपने कुल बिस्तरों में से 25 प्रतिशत को गरीबों के लिए आरक्षित रखेंगे तथा सरकार द्वारा प्रयोजित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं सोसाइटी गरीब मरीजों को अपनी क्षमता की 40 प्रतिशत सेवा मुफ्त उपलब्ध कराएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह संस्थान समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूमि के आबंटन को रद्द करने सहित सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि वाले 23 अस्पतालों के लिए गरीबों हेतु नि:शुल्क बिस्तर तथा नि:शुल्क इलाज की शर्त लगाई गई थी। इनमें से निम्नलिखित 10 अस्पतालों के बारे में आबंटन की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन किए जाने की सूचना दी गई थी।

1. अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, कड़कड़डुमा, विकास मार्ग, दिल्ली
2. गुर्दे व पाचन संबंधी बीमारियों के लिए पुष्पावति सिंघानियां रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली
3. धर्मशिला कैंसर अस्पताल, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली
4. एस्कोर्ट हार्ट इंस्टिट्यूट रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, दिल्ली
5. जयपुर गोल्डन अस्पताल, दिल्ली
6. शान्ति मुकंद अस्पताल, विकास मार्ग, दिल्ली
7. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली
8. राजीव गांधी कैंसर सोसायटी, रोहिणी, दिल्ली
9. भगवती अस्पताल (सर्वोदय फाउंडेशन), दिल्ली
10. माई कमली वाली जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली

(घ) नि:शुल्क इलाज करने की शर्त का उल्लंघन करने वाले जिन 10 अस्पतालों की जानकारी मिली थी, उन्हें पट्टा निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 3 को छोड़कर सभी अस्पतालों ने इस संबंध में यह उत्तर दिया है कि वे नि:शुल्क वाली शर्त का पालन कर रहे हैं। नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों व तथ्यों की पुष्टि किए जाने पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।

**विद्यालयों को टेलीविजन के लिए धनराशि का आवंटन**

2242. **श्री सचत कुमार मंडल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों को विद्यालयों के लिए टेलीविजन उपलब्ध कराने हेतु राज्यवार तथा वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** शैक्षिक प्रौद्योगिकी स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टेलीविजन उपलब्ध कराने हेतु कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है।

### डी.डी.ए. फ्लैटों के लिए गृह कर

**2243. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. फ्लैटों के मालिकों ने अब तक गृह कर के परिकलन के संबंध में अपने लिए एक अलग श्रेणी की मांग की है, जैसा कि दिनांक 16 सितंबर, 2004 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.डी.ए. फ्लैट मालिकों की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गृह कर के परिकलन के मामलें में की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का क्या ब्यौरा है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने यह सूचित किया है कि आवास कर की गणना करने के लिए डी.डी.ए. फ्लैटों की अलग श्रेणी बनाने की मांग करते हुए व्यक्तिगत डी.डी.ए. फ्लैट स्वामियों/एसोसिएशनों से विभिन्न अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) डी.डी.ए. फ्लैट स्वामियों की मांग पर विचार करते हुए दिल्ली नगर निगम ने एम.सी.डी. के विभिन्न जोनों में स्थित डी.डी.ए. के सभी जनता फ्लैटों को निम्नवत श्रेणीबद्ध किया है:—

| | |
|---|---|
| साउथ एंड सेंट्रल जोन | "ई" |
| वेस्ट एंड नजफगढ़ जोन | "एफ" |
| सिविल लाइन, शाहदरा (दक्षिण) शाहदरा (उत्तर), नरेला और रोहिणी जोन | "जी" |

10 प्रतिशत की रियायत जो पहले 50 वर्ग मीटर तक थी, को सभी डी.डी.ए. फ्लैट स्वामियों के लिए 100 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया है।

### उत्तर प्रदेश द्वारा धनराशि का उपयोग

**2244. श्री राजेश वर्मा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया है तथा उसका अन्यत्र प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान न देने के कारण कितनी धनराशि का उपयोग नहीं हो सका;

(घ) शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न निधियों की योजनावार उपयोग संबंधी स्थिति क्या है;

(ङ) लेखापरीक्षकों तथा विशेषज्ञों ने इस संबंध में क्या टिप्पणियां की हैं; और

(च) केन्द्र सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### रैनबसेरा योजना

**2245. श्री गुरुदास कामत:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रैनबसेरा योजना विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार इस योजना को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं कर पा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) विगत समय से रैन बसेरा स्कीम के तहत निष्पादन कम रहा है। स्कीम मांग आधारित है और उसका सफल कार्यान्वयन राज्य सरकार के स्थानीय निकायों अथवा राज्य प्रायोजित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्भर करता है। स्कीम के कार्यान्वयन में मुख्य बाधा स्कीम के लिए भूमि की अनुपलब्धता है जो कि राज्य सरकार/एजेंसियों द्वारा मुहैया की जानी है। राज्य सरकारों के साथ नियमित विचार-विमर्श द्वारा इस स्कीम को ज्यादा उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। बेहतर कार्यान्वयन के लिए स्कीम को पहले 1992 में और बाद में 2002 में संशोधित किया गया। इसके बावजूद राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है।

## ट्रेवल माफिया

**2246. श्रीमती किरण माहेश्वरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ट्रेवल माफिया' और दिल्ली पुलिस में मिलीभगत है, जैसा कि दिनांक 19 अक्तूबर, 2004 के 'द पायनियर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) से (घ) 19 अक्तूबर, 2004 को पायनियर में "इज दिस वॉट यू कॉल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में ट्रेवल माफिया और दिल्ली पुलिस कार्मिकों के बीच सांठगांठ के आरोप दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच के दौरान साबित नहीं हो सके। तथापि, उन अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है जो अवैध ट्रेवल ऑपरेटरों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में असफल रहे।

*[हिन्दी]*

## लौह अयस्क का उत्पादन तथा भंडार

**2247. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
**श्री जार्ज फर्नान्डीज:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लौह अयस्क के अत्यधिक उत्पादन से लौह अयस्क भंडारों के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या सरकार का देश में लौह अयस्क के नए भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा उसके बाद से कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या लौह अयस्क के निर्यात का रूझान बढ़ता जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अच्छी किस्म के अयस्क के निर्यात से भारतीय इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो लौह अयस्क भंडारों के संरक्षण तथा उपयोगिता के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भू-विज्ञान और खनन संबंधी विभिन्न राज्य निदेशालय और खनिज गवेषण संस्थाएं केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड तथा राज्य भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्डों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार लौह अयस्क सहित खनिजों का गवेषण कार्य कर रही हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा तथा इस पर अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

| वर्ष | निर्यातित मात्रा (मिलियन टन) | अर्जित विदेशी मुद्रा (मिलियन यू.एस. डॉलर) | विदेशी मुद्रा के बराबर मूल्य (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|---|
| 2001-02 | 41.64 | 688.60 | 3321.83 |
| 2002-03 | 48.02 | 796.85 | 3655.15 |
| 2003-04 | 62.58 | 1564.91 | 7042.08 |
| 2004-05 (अप्रैल, 04 से जुलाई, 04) | 16.12 | अप्रयोज्य | 2621.97 |

स्रोत : एम.एम.टी.सी./डी.जी.सी.आई. एंड एस.

(घ) और (ङ) जी, हां। चीन से लौह अयस्क की मांग में वृद्धि हुई है जिससे लौह अयस्क का निर्यात बढ़ा है। निम्न तालिका में इस वृद्धि की मात्रा दर्शाई गई है:—

(मात्रा: मिलियन टन)

| देश | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|
| चीन | 19.22 | 26.27 | 42.12 |

स्रोत : मैटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन (एन.एम.टी.सी.) लि.।

(च) जी, नहीं। देश में लौह अयस्क का पर्याप्त उत्पादन होता है और घरेलू मांग को पूर्णत: पूरा किया जा रहा है।

(छ) उपर्युक्त (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## भागीदारी प्रणाली

**2248. मो. मुकीम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण दिल्ली जैसे पंचशील इन्कलेव जैसी लगभग सभी कालोनियों में

भागीदारी प्रणाली हेतु किए गए दावों के बावजूद कुछ निवासियों के मकान के बाहर फुटपाथ पर बगीचे, कांटेदार तार, भारी फूलदान रखकर उसे अवरुद्ध कर दिया है ताकि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित कोई भी फुटपाथ पर न चल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह काम आवासीय कल्याण संघों, सरकारी स्टाफ और पुलिस को देने का है जो ऐसे सभी अतिक्रमणों के बारे में रिपोर्ट देंगे तथा सरकारी सम्पत्ति और भूमि का दुरुपयोग करने वालों पर प्रतिदिन के हिसाब से भारी अर्थदंड लगाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे निवासियों, जो कानून का पालन करते हैं, को प्रोत्साहित करने का है जो स्पष्ट कारणों से अपनी पहचान को प्रकट किए बिना नामजद प्राधिकारियों को रिपोर्ट देंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (च) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि दक्षिण दिल्ली की कालोनियों जैसे पंचशील एन्क्लेव के कुछ निवासियों ने बगीचों, कांटेदार तार, भारी फूलदानों से फुटपाथों को अवरुद्ध कर दिया है तथा समय-समय पर पुलिस की मदद से इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस या कोई सामान्य व्यक्ति प्राधिकारियों से ऐसे अतिक्रमणों से संबंधित मामले की रिपोर्ट कर सकता है और उन अतिक्रमणों को हटाने के लिए निरपवाद रूप से कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में एसीटी की अनुमति एवं नियमों के अनुसार दुरुपयोग प्रभार/जुर्माना लगाया जाता है।

### राष्ट्रीय विद्युत प्रशुल्क नीति

2249. **श्री सुरेश अंगड़ि:**

**श्री असादुद्दीन ओवेसी:**

**श्री मोहन रावले**

**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशुल्क नीति के बारे में एक मसौदा-पत्र सभी राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति तैयार करने में राज्य सरकारों के सुझावों/टिप्पणियों को ध्यान में रखा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार सभी राज्य सरकारों को स्वीकार्य राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति तैयार करने में एक उचित परामर्शदात्री संस्थागत प्रणाली बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्युत क्षेत्र में नई राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (3)(i) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति तैयार किया जाना अपेक्षित है।

राज्यों के साथ प्रारंभिक परामर्श करने के पश्चात् तैयार की गई राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति का प्रारूप राज्य सरकारों को उनसे मत प्राप्त करने के लिए भेजा गया था।

विद्युत नीति के प्रारूप पर परामर्श करने के लिए क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई थीं। विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य स्टेक होल्डरों से प्राप्त की गई टिप्पणियों के आधार पर राष्ट्रीय विद्युत नीति को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के आधार पर टैरिफ नीति को बाद में अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

### बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय चार्टर

2250. **श्री मोहन रावले:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय चार्टर को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मसौदा चार्टर तैयार किया गया है तथा विभिन्न मंत्रालयों में वितरित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) से (ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003

को अंगीकृत किया गया, जिसे 9-12-2004 को अधिसूचित किया गया है। इसे संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा विशेषज्ञों के साथ परामर्श से तैयार किया गया है। इस दस्तावेज में बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, जीवन स्तर, खेलकूद एवं अवकाश, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा, बालिका के संरक्षण, किशोरियों को सशक्त बनाने, समानता, जीवन और स्वतंत्रता, नाम व राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने तथा शान्तिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, परिवार में रहने तथा उन्हें आर्थिक शोषण एवं समस्त प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाए जाने के अधिकार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। यह दस्तावेज कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, अक्षम बच्चों, सीमान्त एवं वंचित समुदायों के बच्चों, तथा बाल पीढ़ितों को भी संरक्षण प्रदान करता है। यह माता-पिता को अपने बच्चों को पालने-पोसने की जिम्मेदारियां भी सौंपता है तथा कानून तोड़ने वाले बच्चों की विशेष देखभाल और संरक्षण के लिए बाल-अनुकूल कार्यविधियों को सुनिश्चित करता है।

यह दस्तावेज महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

### दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत आबंटन

**2251. श्री विजय कृष्ण:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 31 अगस्त, 1995 को सी.ए. नं. 7933/95, डॉ. जी.एन. खजूरिया व अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की है और उस जांच से दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया है जिन्होंने अनधिकृत आबंटन तथा अनधिकृत निर्माण की अनुमति दी थी;

(घ) यहि हां, तो उक्त अनधिकृत आबंटन/निर्माणों में सम्मिलित अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय/दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस मामले की वर्तमान में क्या स्थिति है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

### चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा निवासियों को सुविधाएं

**2252. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा शहर के विभिन्न सैक्टरों में निर्मित अपने फ्लैटों के निवासियों को आम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाऊसिंग बोर्ड की फ्लैटों के आबंटन से पूर्व वॉटर वर्क्स, सड़कों और सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण को पूरा करने की जिम्मेदारी है; और

(ङ) यदि हां, तो उन परिसरों का ब्यौरा क्या है जहां यह सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है?

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ग) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि चंडीगढ़ आवास प्रबंध बोर्ड द्वारा अपने आवास स्कीमों में आवास एककों के निवासियों को मात्र कुछ निश्चित सामान्य सुविधाएं स्कीम की शर्तों पर तथा चंडीगढ़ प्रशासन के निदेशानुसार दी जाती हैं। फिर भी डाकघर, विद्यालय, औषधालय, पुलिस थान आदि जैसी सामान्य सुविधाएं आदि चंडीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा दी जाती है क्योंकि ये ही चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती हैं।

चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने आंतरिक सहायक आंतरिक सड़कें, आंतरिक जल आपूर्ति वितरण प्रणाली, वर्षा जल नालियों, मलजल व्यवस्था, पथ प्रकाश तथा आधुनिक आवास परिसर मणिमाजरा तथा एम.आई.जी. आवास परिसर सेक्टर 61 में एकबारगी आधार पर खुले स्थानों का विकास जैसी संपदा सेवाएं प्रदान की हैं। कुछ उन्नयन तथा अतिरिक्त संपदा सेवाएं चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी जाती हैं।

(घ) और (ङ) चडीगढ़ आवास बोर्ड आवास स्कीमों में जल आपूर्ति तथा पथ सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है जिसके लिए टुकड़े आधार पर भूमि आबंटित की गई है। फिर भी चंडीगढ़ आवास बोर्ड सामुदायिक केन्द्र प्रदान करने के लिए जिम्मेवार नहीं है।

*[अनुवाद]*

**कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल की स्थापना**

**2253. श्री विनोद कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कामकाजी महिलाओं के लिए उपलब्ध होस्टलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्यवार कितने होस्टलों का निर्माण किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन होस्टलों के निर्माण के लिए कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया है;

(घ) इन होस्टलों में महिलाओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को ऐसे होस्टलों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती कान्ति सिंह ):** (क) पूरे देश में 31.3.2004 तक 914 कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य-वार स्थिति महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04 के अनुलग्नक-VIII में दी गई है, जो विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) विभिन्न कामकाजी महिला होस्टल भवनों के निर्माण हेतु उक्त अवधि में कुल 17.24 करोड़ रुपये के अनुदान प्रदान किए गए हैं।

(घ) इन होस्टलों में महिलाओं को आवास के अलावा, साझा रसोईघर, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, बच्चों हेतु दिवस देखभाल केन्द्र आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:-

| | |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2 |
| असम | 10 |
| केरल | 9 |
| मणिपुर | 14 |
| नागालैंड | 29 |
| तमिलनाडु | 2 |

(छ) प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा स्कीम के मानदण्डों को पूरा करने वाले प्रस्तावों की संस्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

*विवरण*

*राज्यवार, वर्ष-वार संस्वीकृत होस्टल*

| राज्य | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 3 | 2 | 1 | |
| छत्तीसगढ़ | 1 | | | |
| चण्डीगढ़ | | 1 | 1 | |
| हरियाणा | | | 1 | |
| कर्नाटक | 2 | 1 | 1 | |
| केरल | 2 | 3 | 3 | |
| मध्य प्रदेश | | 1 | | |
| मणिपुर | 2 | | | |
| महाराष्ट्र | 3 | 5 | 1 | |
| नागालैंड | 5 | | | |
| उड़ीसा | 1 | | | |
| राजस्थान | 1 | | 1 | |
| तमिलनाडु | 1 | 3 | 2 | |
| उत्तरांचल | | | 1 | |
| उत्तर प्रदेश | | 3 | 1 | |
| पश्चिम बंगाल | | 2 | | |
| कुल | 21 | 21 | 13 | |

**बड़ी विद्युत परियोजनाएं**

**2254. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

**श्री रायापति सांबासिवा राव:**

**क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण ने दीर्घ आवधिक

ठेकों के माध्यम से विद्युत की खरीद में निजी और सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की सुविधा के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धा हेतु कोई प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे निर्मित मानकों में बड़ी क्षेत्रीय परियोजनाओं और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता पर बल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विलंब और लक्ष्य प्राप्त न करने के संबंध में कोई शास्ति, खंड भी बनाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन दिशानिर्देशों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) से (च) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 में अपेक्षा की गई है कि उपयुक्त आयोग टैरिफ को अंगीकार करे यदि यह टैरिफ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित की गई हो।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने दीर्घकालिक अनुबंध पर उत्पादन हेतु "प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के लिए प्रारूप दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। इन प्रारूप दिशानिर्देशों में टैरिफ आधारित बोली का सुझाव दिया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही जारी किए जाने का अनुमान है।

## वित्तीय सहायता

**2255. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले विशेषकर गुजरात के अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्यार्थ राज्य-वार, विशेषकर गुजरात को कितनी धनराशि आबंटित की गई है।

(ग) इन शैक्षिक योजनाओं को किन-किन राज्यों में आरंभ किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से अनुसूचित जनजातियों के छात्र किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं अथवा लाभान्वित हो रहे हैं?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ग) जी, हां।

जनजातीय कार्य मंत्रालय इस समय गुजरात सहित देश के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय छात्रों की शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चला रहा है:-

(1) अनुसूचित जनजातीय लड़कियों एवं लड़कों के लिए छात्रावास की योजना।

(2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना।

(3) अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक एवं प्रतिभा उन्नयन की योजना।

(4) अ.ज. जातियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध की योजना।

(5) कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर।

(6) आवासीय/गैर आवासीय स्कूल, छात्रावास चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान।

(7) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आवासीय स्कूल।

(ख) और (घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04 तक) के दौरान जारी की गयी निधियों तथा लाभार्थियों की संख्या के ब्यौरे जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

## सफदरजंग विमानपत्तन का विकास

**2256. श्री के.एस. राव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सफदरजंग विमानपत्तन की भूमि को शहरी वन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का अंतिम रूप से निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और हस्तांतरित की गई भूमि की वर्तमान में क्या स्थिति है; और

(ग) शहरी वन क्षेत्र के कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

## दिल्ली में न पीने योग्य जल की आपूर्ति

**2257. श्री मुनव्वर हसन:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने दिल्ली के अधिकतर क्षेत्रों के पेयजल को न पीने योग्य पेयजल करार दिया है, जैसा कि 24 नवम्बर, 2004 के दैनिक जागरण में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ग) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि दिनांक 24.11.2004 के दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार की विषयवस्तु, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। दिल्ली के कुछ भागों विशेषत: दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तरी दिल्ली में भूतलीय खराब किस्म का है। फिर भी केन्द्रीय भूजल बोर्ड के साथ परामर्श से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गहरे ट्यूबवैल लगाए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ट्यूबवैल के जल की गुणवत्ता निरापद तथा वह अपेक्षित मानकों को पूरा करता है। इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक जांच की जाती है।

16.10.2004 से 31.10.2004 की अवधि के दौरान पश्चिमी, दक्षिण, पश्चिमी तथा उत्तरी दिल्ली से जल के कुल 2284 नमूने लिए गए जिनमें से 57 नमूने जीवाणु प्रदूषण से मुक्त होने की दृष्टि से असंतोषजनक पाए गए थे। इसका कारण जैसे सर्विस पाइपों में रिसाव जैसी स्थानीय त्रुटियां थीं।

दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि यह समाचार सही नहीं है कि अप्रैल, 2004 में दक्षिणी दिल्ली से जल के 270 नमूने लिए गए तथा कीटनाशक अपशिष्ट (डी.डी.टी.) के लिए उनकी जांच की गई थी।

दिल्ली जल बोर्ड ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी थी जिसमें यह कहा गया हो कि 75 प्रतिशत जल पीने लायक नहीं है और उसमें कीटनाशक अपशिष्ट की मौजूदगी है।

*[अनुवाद]*

## स्टाम्प पेपर घोटाला

**2258. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:**
**श्री मोहन रावले:**
**श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) करोड़ों रुपए के स्टाम्प पेपर घोटालों में राज्य-वार, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) अभी तक राज्य-वार कितनी राशि के जाली स्टाम्प पेपर बरामद किए गए हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस घोटाले में अभी तक दर्ज किए गए मामलों की स्थिति क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार जाली स्टाम्प पेपर से संबंधित 63 मामलों जिनकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है में कुल 560 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | [illegible] | तमिलनाडु | 11 |
| आंध्र प्रदेश | 78 | गुजरात | 19 |
| बिहार | 8 | दिल्ली | 36 |
| उत्तर प्रदेश | 9 | कर्नाटक | 103 |
| पश्चिम बंगाल | 11 | महाराष्ट्र | 264 |
| केरल | 5 | | |

इसके अतिरिक्त, रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के 8 और भारतीय प्रतिभूति प्रेस के 2 कार्मिक भी गिरफ्तार किए गए हैं।

(ख) इन मामलों के तहत कुल 33,960.257,180/- रुपए (लगभग) मूल्य के जाली स्टाम्प पेपर जब्त किए गए हैं। चूंकि इन मामलों का अंतर-राज्य विस्तार है इसलिए जब्त किए गए स्टांप पेपर का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(ग) भारत सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—(i) सभी सुरक्षा एजेंसियों को घोटाले के बारे में सचेत कर दिया गया है, (ii) आई.एस.पी., नासिक की सुरक्षा के पहले चरण में इसके बाद

परिसर की सुरक्षा अक्तूबर, 2002 में सी.आई.एस.एफ. को सौंपी गई थी, (iii) आसूचना एजेंसियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर आई.पी.सी. के महाप्रबंधक को पहले वहां से बाहर स्थानांतरित किया गया, निलंबित किया गया और फिर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आई.एस.पी. के सात अन्य अधिकारियों को भी निलंबित किया गया और तीन उप महाप्रबंधकों का तबादला कर दिया गया है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, (iv) सी.आई.एस.एफ. को तैनात करने का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है, (v) इस आशय के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि पुरानी मशीनरी का निपटान उसे जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति में विखण्डित करके और तोड़ कर किया जाना चाहिए तथा उसे स्क्रैप के रूप में बेचा जाना चाहिए, (vi) सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए कई नए उपाय किए गए हैं, (vii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, (viii) सरकार ने कंप्यूटरीकृत स्टांप ड्यूटी प्रशासन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। स्टांप अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि राज्य सरकारों के राजस्व के इस महत्वपूर्ण स्रोत को सही वसूली के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके।

63 मामलों में से 22 मामलों में आरोप पत्र/अनुपूरक आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं।

**अति विशिष्ट व्यक्तियों को बंगलों और फ्लैटों का आबंटन**

**2259. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय मंत्रियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों को आबंटित करने हेतु कितने बंगले और फ्लैट उपलब्ध हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अक्तूबर, 2004 तक केन्द्रीय मंत्रियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों को कितने बंगले और फ्लैट आबंटित किए गए हैं; और

(ग) ऐसे मंत्रियों और विशिष्ट व्यक्तियों को बंगला और फ्लैट आबंटित करने हेतु क्या मानदंड हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) टाइम VII-102

टाइप VII-87

टाइप VI-47

(ख)

| वर्ष | टाइप | | | फ्लैट | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | VIII | VII | VI | | |
| 2001 | 03 | 01 | 02 | - | 06 |
| 2002 | 10 | 13 | 05 | - | 28 |
| 2003 | 04 | 06 | 06 | 01 | 17 |
| 2004 | 31 | 24 | 12 | - | 67 |

(ग) मंत्रियों, उपाध्यक्ष एवं योजना आयोग के सदस्यों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अटार्नी जनरल तथा मंत्रिमंडल सचिव एवं प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव को शामिल करते हुए सभी व्यक्तियों को सामान्य पूल आवासों के आबंटन के लिए अलग-अलग प्राथमिकता दी गई है। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी मकानों की कमी की वजह से उनकी पात्रताओं से निचले स्तर के मकान आबंटित किये जा रहे हैं।

सांसदों को मकानों का आबंटन, राज्य सभा एवं लोक सभा की संबंधित आवास समितियों द्वारा संबंधित पूल से किया जाता है। सांसदों को सामान्य पूल मकानों के आबंटन के दिशानिर्देश निर्धारित हैं।

**बच्चों हेतु योजनाएं**

**2260. श्रीमती करुणा शुक्ला:** क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एम.एस. एक्ट, 2003 में शिशु दूध के विकल्पों, दूध पिलाने वाली बोतलों, शिशु आहार के उत्पादन, आपूर्ति और विपणन से संबंधित किए गए संशोधनों का कठोरतापूर्वक पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक जानकारी में आई इस अधिनियम के उल्लंघन की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं तथा क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) से (घ) भारतीय स्तनपान संवर्धन नेटवर्क, जो कि शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 के अतिक्रमण को रोकने के लिए प्राधिकृत है, को जनवरी से अगस्त, 2004 के बीच इस अधिनियम के अतिक्रमण के 20 मामलों की जानकारी मिली है। इन मामलों की जांच प्रारंभिक स्तर पर है। इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*वितरण*

*वर्ष 2003 में यथा-संशोधित शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलें और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियमन 1992 के अतिक्रमण के संबंध में स्तनपान संवर्धन नेटवर्क इंडिया द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा*

**जनवरी, 2004 से जून, 2004**

**(पहली एवं दूसरी तिमाही)**

**जनवरी, 2004**

| क्र.सं | विवरण | की गई कार्रवाई | कानूनी विश्लेषण | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बोम्बे डाइंग ने महिलाओं के लिए अपनी पत्रिका 'ग्लैड्रेग्स' के अक्तूबर-नवम्बर, 2003 के अंक में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसमें ग्लेड्रेग्स मिसेज इण्डिया के साथ एक आहार बोतल दर्शायी गयी। | शिशु दुग्ध अनुकल्प विधेयक, 1992 को ध्यान में रखते हुए एक आन्तरिक विश्लेषण किया गया। विशेषज्ञों के साथ परामर्श भी किया गया। विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह विज्ञापन शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम की धारा 3 का अतिक्रमण करता है। 'ग्लैड्रेग्स' पत्रिका के संपादक श्री रितुराज शर्मा एवं भारतीय विज्ञापन परिषद को एक पत्र लिखा गया। | | भारतीय विज्ञापन परिषद ने पत्र के माध्यम से उत्तर दिया कि विज्ञापन ने कानून का उल्लंघन किया है, किन्तु विज्ञापन एक बार ही प्रकाशित किया गया तथा विज्ञापनकर्ता ने इसे पुन: प्रकाशित नहीं किया था, इसलिए फाइल बंद कर दी गई। |
| 2. | दिल्ली के डा. जे.पी. दधीच को एक परिसंवाद में हिस्सा लेने के लिए 'नैस्ले' से एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के निमंत्रण का विज्ञापन डी.एम.ए. बुलेटिन में दिया गया। | सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया तथा संशोधित शिशु दुग्ध अनुकल्प को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया गया। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय भी ली गई। | कानूनी राय ली गई। | कानूनी एवं आन्तरिक विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम की धारा 9 (2) का अतिक्रमण है। |
| **फरवरी, 2003** | | | | |
| 3. | ग्वालियर के डा. अजय गौड़ ने शिशु दुग्ध अनुकल्प एवं शिशु खाद्य बनाने वाली एक कम्पनी रेप्टाकोस, ब्रेट एण्ड कम्पनी द्वारा शैक्षिक सामग्री एवं पोस्टर वितरित करने के सम्बन्ध में शिकायत की। | कम्पनी द्वारा वितरित सामग्री की मूल प्रतियां हासिल की गई। 2003 में यथा-संशोधित शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम, 1992 को ध्यान में रखते हुए सामग्री का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह सामग्री शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम का पूर्णत: उल्लंघन है। उसे विधि विशेषज्ञों की टिप्पणियों के लिए उनको भेजा गया। | कानूनी राय ली गई। | कानूनी एवं आन्तरिक विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम की धारा 7 (1) क-ख तथा शिशु दुग्ध अनुकल्प नियमों के नियम 9 का अतिक्रमण है। |
| **अप्रैल, 2004** | | | | |
| 4. | 'फेमिना बुक ऑफ गुड पैरेन्टिंग' पत्रिका के मुख | समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में अधिनियम के अतिक्रमण के संबंध में भारतीय स्तनपान | | फेमिना से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा है कि वे अपने |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | पृष्ठ के साथ-साथ अंदर के पृष्ठों पर बोतल से दूध पीते एक शिशु का चित्र था। | संवर्धन नेटवर्क द्वारा कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि ''फेमिना बुक ऑफ गुड पेरोन्टिंग'' में बोतल से दूध पीते एक बच्चे का चित्र छापा गया था। चित्र की जांच की गई और यह पाया गया कि यह चित्र शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के निहितार्थ का उल्लंघन करता है। फेमिना के प्रकाशक श्री सत्य सरन और भारतीय विज्ञापन परिषद् को पत्र लिखा गया। | | जुलाई के अंक में शुद्धि-पत्र प्रकाशित करेंगे। |
| 5. | नैस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा डॉक्टरों से अनुरोध करने तथा पर्चों के वितरण के सम्बन्ध में चिदाम्बरम के डा. ए. मुथुस्वामी से शिकायत प्राप्त हुई। | अपने सदस्य से लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद, शिशु दुग्ध अनुकल्प के सम्बन्ध में साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि नैस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों की यह कार्रवाई शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम का अतिक्रमण करती है। साक्ष्यों को विधि विशेषज्ञों के पास विश्लेषण के लिए भेजा गया। | कानूनी राय ली गई। | कानूनी विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि यह शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम की धारा 3 (ग) और धारा 8 (1) का अतिक्रमण है। |
| **मई, 2004** | | | | |
| 6. | यह देखा गया कि 6 मई को अपराह्न 6.10 बजे डी.डी. न्यूज चैनल पर 'हैल्थ' कार्यक्रम में, जो ''हाल-चाल ठीक-ठाक है'' के नाम से लोकप्रिय है, ''छोटे बच्चों को भोजन कराते समय कप एवं चम्मच का उपयोग'' पर टिप्पणियां की गईं। | निदेशक, दूरदर्शन, आकाशवाणी भवन को ऐसे कार्यक्रमों, जो देश में कृत्रिम आहारों को बढ़ावा देते हैं, का प्रसारण बंद करने के लिए पत्र लिखा गया। इस कार्यक्रम द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया। | | कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। |
| **जून, 2004** | | | | |
| 7. | जी टी.वी. पर प्रसारित कार्यक्रम सा रे गा मा के बीच में दिखाए जाने वाले ''मॉर्टिन रैट किल'' के विज्ञापन में बच्चे को चुसनी पीता दिखाया गया है। | किचन एप्लाइंसिज इण्डिया लिमिटेड के प्रबंधक को ऐसे चित्र, जो देश में कृत्रिम आहार को बढ़ावा देते हैं, दिखाना बंद करने के लिए पत्र लिखा गया। भारतीय विज्ञापन परिषद् को भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। | | कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। |
| 8. | नैस्ले इण्डिया लिमिटेड द्वारा टीकाकरण रिकार्ड कार्ड एवं अन्य मुद्रित | साक्ष्यों को एकत्रित किया गया तथा शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के मद्देनजर इनका विश्लेषण किया गया। विस्तृत विश्लेषण के बाद | कानूनी राय ली गई। | कानूनी विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि यह शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम की धारा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | सामग्री संवितरित करने के संबंध में लुधियाना के डा. राजिन्दर गुलाटी से शिकायत प्राप्त हुई। | यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम का अतिक्रमण है। हमने अपनी राय के साथ साक्ष्यों को कानूनी विश्लेषण के लिए भेजा। | | 3 (ग) और धारा 8 (1) का अतिक्रमण है। |
| 9. | अप्रैल, 2004 को रेप्टाकोस, ब्रेट एण्ड कम्पनी द्वारा डॉक्टरों को भेजे गए पत्रों के सम्बन्ध में शिकायत। | साक्ष्यों को एकत्रित किया गया तथा शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के मद्देनजर इनका विश्लेषण किया गया। विस्तृत विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम का अतिक्रमण है। हमने अपनी राय के साथ साक्ष्यों को कानूनी विश्लेषण के लिए भेजा। | कानूनी राय ली गई। | कानूनी विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि यह शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम की धारा 3 (ग) और धारा 8 (1) का अतिक्रमण है। |
| **जुलाई, 2004** | | | | |
| 10. | आहार बोतलें एवं तत्संबंधी अन्य उत्पादों सहित शिशु उत्पादों की निर्माता "हैलो बेबी" नामक कंपनी ने "ग्रोथ रिकार्ड बुक" शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें शिशुओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर संदेश दिए गए थे। | वर्ष 2003 में यथा-संशोधित शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम 1992 को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तिका का आन्तरिक विश्लेषण किया गया। विशेषज्ञों से भी सलाह मांगी गई। तत्पश्चात् यह पुस्तिका कानूनी मत प्राप्त करने हेतु भेजी गई। | इस पुस्तिका के कानूनी एवं आन्तरिक विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस पुस्तिका में शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है। | कोई कार्रवाई नहीं की गई। |
| 11. | हेन्ज नामक कम्पनी द्वारा उत्पादित "फैरेक्स" नामक शिशु दुग्ध अनुकल्प एवं शिशु आहार के डिब्बे पर सितम्बर, 2003 की पैकिंग की तारीख पाया जाना। | बी.पी.एन.आई. ने बाजार में उपलब्ध शिशु दुग्ध अनुकल्प एवं शिशु आहारों के लेबल आदि का विश्लेषण करने हेतु बाजार का सर्वेक्षण किया। फैरेक्स का एक डिब्बा खरीदा गया, जिस पर सितम्बर, 2003 की उत्पादन की तारीख दी गई थी। शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों के आधार पर इस डिब्बे का विश्लेषण किया गया और कानूनी सलाह मांगी गई। | कानूनी सलाह मांगी गयी। डिब्बे के कानूनी एवं आन्तरिक विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह डिब्बा शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के नियम 7 और धारा 6 के अनुरूप नहीं है। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | ''मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड'' द्वारा उत्पादित ''अमूल स्प्रे'' के डिब्बे पर सितम्बर, 2003 की पैकिंग की तारीख पाया जाना। | बी.पी.एन.आई. ने बाजार में उपलब्ध शिशु दुग्ध अनुकल्प एवं शिशु आहारों के लेबल आदि का विश्लेपण करने हेतु बाजार का सर्वेक्षण किया। ''अमूल स्प्रे'' का एक डिब्बा खरीदा गया, जिस पर सितम्बर, 2003 की पैकिंग की तारीख दी गई थी। शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों के आधार पर इस डिब्बे का विश्लेषण किया गया तथा कानूनी सलाह मांगी गई। | कानूनी सलाह मांगी गई। डिब्बे के कानूनी और आन्तरिक विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह डिब्बा शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के नियम 7 की धारा 6 के अनुरूप नहीं है। | |
| 13. | नैस्ले द्वारा निर्मित 'लैक्टोजन-1' नामक शिशु दुग्ध अनुकल्प के डिब्बे पर मार्च, 2004 की पैकिंग की तारीख पाया जाना। | बी.पी.एन.आई. के बाजार में उपलब्ध शिशु दुग्ध अनुकल्पों एवं शिशु आहारों के लेबल आदि का विश्लेषण करने हेतु बाजार का सर्वेक्षण किया। लैक्टोजन का एक डिब्बा खरीदा गया, जिस पर मार्च, 2004 की निर्माण की तारीख दी गई थी। शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों के आधार पर इस डिब्बे का विश्लेषण किया गया और कानूनी सलाह मांगी गई। | कानूनी सलाह मांगी गयी। डिब्बे के कानूनी और आन्तरिक विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त डिब्बा शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के नियम 7 के उपबंधों 6 के अनुरूप नहीं है। | |
| 14. | नैस्ले द्वारा उत्पादित 'लैक्टोजन-3' नामक शिशु दुग्ध अनुकल्प के डिब्बे पर फरवरी, 2004 की पैकिंग की तारीख पाया जाना। | बी.पी.एन.आई. के बाजार में उपलब्ध शिशु दुग्ध अनुकल्पों एवं शिशु आहारों के लेबल आदि का विश्लेषण करने हेतु बाजार का सर्वेक्षण किया। लैक्टोजन का एक डिब्बा खरीदा गया, जिस पर मार्च, 2004 की निर्माण की तारीख दी गई थी। शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों के आधार पर इस डिब्बे का विश्लेषण किया गया और कानूनी सलाह मांगी गई। | कानूनी सलाह मांगी गई। डिब्बे के कानूनी और आन्तरिक विश्लेषण के उपरात यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त डिब्बा शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के नियम 7 के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | नैस्ले द्वारा निर्मित ''सेरेलेक'' नामक शिशु आहार के डिब्बे पर फरवरी, 2004 की पैकिंग की तारीख पाया जाना। | बी.पी.एन.आई. के बाजार में उपलब्ध शिशु दुग्ध अनुकल्पों एवं शिशु आहारों के लेबल आदि का विश्लेषण करने हेतु बाजार का सर्वेक्षण किया। लैक्टोजन का एक डिब्बा खरीदा गया, जिस पर फरवरी, 2004 की निर्माण की तारीख दी गई थी। शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों के आधार पर इस डिब्बे का विश्लेषण किया गया और कानूनी सलाह मांगी गई। | कानूनी सलाह मांगी गयी। इस डिब्बे के कानूनी और आन्तरिक विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त डिब्बा शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के नियम 7 के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। | |
| 16. | नैस्ले द्वारा निर्मित ''नेस्टम'' नामक शिशु आहार के डिब्बे पर फरवरी, 2004 की पैकिंग की तारीख पाया जाना। | बी.पी.एन.आई. के बाजार में उपलब्ध शिशु दुग्ध अनुकल्पों एवं शिशु आहारों के लेबल आदि का विश्लेषण करने हेतु बाजार का सर्वेक्षण किया। लैक्टोजन का एक डिब्बा खरीदा गया, जिस पर फरवरी, 2004 की निर्माण की तारीख दी गई थी। शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों के आधार पर इस डिब्बे का विश्लेषण किया गया और कानूनी सलाह मांगी गई। | कानूनी सलाह मांगी गयी। डिब्बे के कानूनी और आन्तरिक विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त डिब्बा शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के नियम 7 के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। | |
| 17. | इन्डियन पैडिएट्रिक्स वॉल्यूम 41, संख्या 7, जुलाई, 2004 में प्रकाशित 'निपकेयर' नामक मरहम का विज्ञापन। उक्त मरहम का प्रयोग सूखे और दर्द एवं दरारों से पीड़ित चूचकों के उपचार हेतु किया जाता है। | आन्तरिक विश्लेषण एवं विचार-विमर्श के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त विज्ञापन में शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। | | इन्डियन पैडिएसट्रिक्स के सम्पादक को इस आशय का पत्र लिखा गया कि वे ऐसे विज्ञापन प्रकाशित न करें, जो कि स्तनपान कराने के संबंध में महिलाओं के आत्म-विश्वास में कमी लाएं और शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम का उल्लंघन करते हों। अब तक उक्त पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | नैस्ले द्वारा 7 अगस्त, 2004 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा व्यवसायिओं हेतु ''एप्रोच टू ए चाइल्ड विद क्रोनिक कफ एण्ड इन्फेक्शन्स व इन्ट्रोडक्शन टू इन्टेग्रेटिड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल सण्ड चाइल्डहुड इलनैस'' विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन। | उक्त विचार-गोष्ठी में भाग लेने हेतु चिकित्सा व्यवसायिओं को भेजा गया निमंत्रण पत्र तथा इस विचार गोष्ठी में उपस्थित होने के लिए संकाय सदस्यों रेजीडेंड और स्नातकोत्तर डॉक्टरों हेतु बाल चिकित्सा एवं नियोनेटोलॉजी विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया निमंत्रण पत्र बी.पी.एन. आई. को मिले। इन निमंत्रण पत्रों का आंतरिक विश्लेषण किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि इनमें शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम की धारा 9 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। | कानूनी सलाह मांगी गई और परिवार कल्याण विभाग के सचिव, आयुक्त, सहायक आयुक्त को पत्र लिखे गए, ताकि ये निमंत्रण पत्र उनके ध्यान में लाए जा सकें। | डा. डी.के. दीवान, राज्य मातृ एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण निदेशालय ने चिकित्सा अधीक्षक रा.म.लो. अस्पताल को पत्र लिखा, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक को बताया गया कि उन्होंने ''नैस्ले पोषण'' के तत्वावधान में विचार-गोष्ठी का आयोजन करके शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है और भविष्य में ऐसा कोई कार्य न किया जाए। |
| 19. | 7 अगस्त, 2004 को पंजाब केसरी, तथा 12 अगस्त, 2004 को राष्ट्रीय सहारा नामक समाचार-पत्रों में प्रकाशित शिशु आहार से संबंधित लेख। | शिशु आहार संबंधी उक्त दो लेखों पर बी.पी. एन.आई. का ध्यान गया। शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इन लेखों की विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के उपरांत यह पाया गया कि इस अधिनियम के नियम 9 और धारा 7 में यथा-विनिर्दिष्ट कतिपय विवरण इन लेखों में नहीं दिए गए हैं। | कानूनी सलाह मांगी गई। कानूनी और आंतरिक विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन लेखों में शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के नियम 9 और धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है। | |
| 20. | दिल्ली के एक प्ले स्कूल में नैस्ले द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम का आयोजन | 7 अगस्त, 2004 को प्रिस्कूल में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए नैस्ले द्वारा मयूर विहार, नई दिल्ली में लगाए गए बैनरों पर बी.पी.एन.आई. का ध्यान गया। | कानूनी सलाह मांगी गई। | सलाह प्राप्त नहीं हुई है। |

**पालीमर्स और नाप्था पर शुल्क में कटौती**

2261. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पालीमर्स और नाप्था पर शुल्क में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देसी बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) इससे प्राप्त लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 30 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 103/2004- सीमाशुल्क के अनुसार, विशिष्ट रूप से उल्लिखित ऐसे पालीमरों के उत्पादन हेतु विशिष्ट पालीमरों और नेफ्था पर सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत की कटौती की गई। परिवर्तन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

| क्र.सं. | वस्तु | सीमा शुल्क में कटौती | |
|---|---|---|---|
| | | से | तक |
| 1 | एथेलिन के पालीमर नामत: एलडीपीई, एलएलडीपीई, एचडीपीई, एलएमडीपीई और एलएचडीपीई, प्रोपीलीन के पालीमर और को-पालीमर, स्टाइरीन के पालीमर और को-पालीमर, विनायल लोराइड के पालीमर | 20% | 15% |
| 2. | उपरोक्त क्रम सं. 1 पर उल्लिखित पालीमरों के उत्पादन हेतु नेफ्था | 10% | 5% |

(ग) सीमा शुल्क में हुए उपरोक्त परिवर्तनों से पालीमरों की उतराई लागत में कमी होने की आशा थी जिससे पालीमरों के घरेलू मूल्यों में कमी आई। नेफ्था और फीडस्टॉकों/बिल्डिंग ब्लाकों पर सीमा शुल्क में कमी पालीमरों और उनके कच्चे माल के बीच सीमा शुल्क अन्तर बनाए रखने के लिए की गई।

(घ) उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले मूल्य प्रभार मांग और आपूर्ति की बाजार मांग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और आदानों की लागत, उत्पादन, गुणवत्ता, विक्रय संवर्धन लागत, व्यापार लाभों और करों इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। सीमाशुल्क कानून में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है जिससे कि सीमा शुल्क में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। तथापि, सीमा शुल्क में की गई कटौती से देश में पालीमर मूल्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ने की आशा है और इस प्रकार मूल उपभोक्ता को लाभ मिलने की आशा है।

**इंजीनियरों की बेरोजगारी की समस्या**

**2262. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंजीनियर बेरोजगारी की बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी यू.आर. राव समिति ने देश में इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों की संख्या संबंधी कतिपय सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) तकनीकी शिक्षा पर यू.आर. राव समिति के अनुसार देश में विशेष तौर पर विगत दो दशकों के दौरान तकनीकी संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि अपेक्षित संख्या में अर्हताप्राप्त संकाय की अनुपलब्धता, धीमी आर्थिक विकास के साथ अपर्याप्त अवसंरचना संबंधी सुविधाओं, औद्योगिक अपगमन एवं भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति के कारण बड़ी संख्या में इंजीनियरों को उपयुक्त रोजगार नहीं मिल सका है। योजना आयोग के हाल के अनुमान के अनुसार स्नातक इंजीनियरों की बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

1. विशेष तौर पर दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों में नई संस्थाओं को अनुमोदन देने में अत्यधिक नियंत्रण बरता जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में संस्थाओं की अत्यधिक वृद्धि को कम किया जा सके।
2. अवर स्नातक तकनीकी संस्थाओं का और विस्तार नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे राज्यों में नई संस्था के लिए अनुमोदन को 5 वर्षों तक रोक दिया जाना चाहिए जहां अवर स्नातक विद्यार्थियों की दाखिला संख्या 150 प्रति मिलियन जनसंख्या की राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो।
3. हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह न केवल पूर्ण हो बल्कि अद्यतन प्रौद्योगिक और बाजार के अनुकूल भी हो।

यू.आर. राव समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को रिपोर्ट की जांच करने तथा समिति की सिफारिशों पर पैरा-क्रम में अपनी टिप्पणियां/विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां/विचार देने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है।

## राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

**2263. श्री गुरुदास कामत:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के नियत वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है;

(ख) क्या आबंटित धनराशियों का समुचित उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने यह जानकारी दी है कि नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान परिषद संस्वीकृत निधियों में से वह केवल 78 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग कर पाई थी। यह 22 प्रतिशत की कमी शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन के निर्माण कार्य को पूरा न कर पाने के कारण थी।

(ख) और (ग) इन निधियों का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया गया जिसके लिए उन्हें निर्धारित किया गया था।

## पानी के दोषपूर्ण मीटर

**2264. श्री रघुनाथ झा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहर में, जहां आम आदमी पानी के अधिक बिल की समस्या का सामना कर रहा है, वहीं विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों से अनन्तिम आधार पर बिल लिया जा रहा है क्योंकि उनके निवास स्थलों पर लगाए गए पानी के मीटर दोषपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण के दौरान पानी के कितने मीटर दोषपूर्ण और कार्य नहीं करते हुए पाए गए;

(ग) इसके परिणामस्वरूप औसतन हर महीने कितने राजस्व की हानि हुई है;

(घ) दोषपूर्ण पानी के मीटर को बदले जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) पानी के नए मीटर कब तक लगाए जाने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) से (ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि रिकार्ड किये गये मीटर-पठन (रीडिंग) के आधार पर विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों सहित उपभोक्ताओं को पानी के बिल भेजे जाते हैं। पानी के दोषपूर्ण मीटरों के संबंध में कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, यदि मीटर दोषपूर्ण पाये जाते हैं तो उन्हें बदलने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाती है तथा उपभोक्ता की औसत खपत के आधार पर पानी के बिल भेजे जाते हैं। औसत आधार पर बिल लिये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व की कोई हानि नहीं होती है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अधीन क्षेत्र में पानी के मीटर एन.डी.एम.सी. द्वारा उपभोक्ता के यहां लगाये जाते हैं। एन.डी.एम.सी. ने यह बताया है कि जब कभी मीटर-रीडर को मीटर में किसी दोष को पता चलता है या उपभोक्ता से मीटर की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो पानी के मीटरों को प्राथमिकता आधार पर बदला जाता है। पानी के मीटर के दोषपूर्ण होने की अवधि में गत वर्ष की खपत के आधार पर पानी के अनंतिम बिल भेजे जाते हैं। बाद में पिछले वर्ष की खपत तथा बाद के वर्ष की खपत के औसत के आधार पर पानी के मीटर के दोषपूर्ण रहने की अवधि के दौरान खपत का अंतिम आकलन किया जाता है ताकि खपत से अधिक का बिल नहीं लिया जाये। एन.डी.एम.सी. ने आगे बताया है कि नवंबर 2004 के बिलिंग चक्र के दौरान पानी के 502 मीटर दोषपूर्ण पाये गये थे। एन.डी.एम.सी. अच्छे मीटर खरीदने के लिए कदम उठा रहा है ताकि वे दोषपूर्ण न हो जायें।

## राष्ट्रध्वज का अपमान

**2265. श्री खीरिन रिजीजू:**
**श्री राजनरायन बुधौलिया:**
**श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उस घटना की जानकारी है कि जिसके दौरान अलवर (राजस्थान) की हरित पट्टी में ऋतम्भरा रिसोर्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन (एन.आई.एफ.डी.) द्वारा आयोजित एक फैशन शो में एक मॉडल ने रैंप पर अपने आपको तिरंगे में लपेट लिया था और उसने राष्ट्रध्वज को कई बार लहराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा एन.आई.एफ.डी. तथा उक्त माडल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) राष्ट्रध्वज के प्रति अपमान प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** (क) और (ख) जी, हां श्रीमान। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 2.11.2004 को अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 373/04 दायर की गई है।

(ग) और (घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में प्रत्येक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के उपबंधों को समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। राज्य सरकारों को सलाह भी भेजी गई है।

**असम के एन.डी.एफ.बी. के साथ शांति वार्ता**

**2266. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (असम का एन.डी.एफ.बी.) ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की है तथा केन्द्र सरकार के साथ प्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक शांतिवार्ता करने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो शांति वार्ता में शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों सहित केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का काफी समय से चल रहे "बोडोलैण्ड इम्ब्रोग्लियों" स्थायी राजनैतिक समाधान करने के उपाय के रूप में एवं अलग बोडोलैण्ड राज्य बनाने तथा क्षेत्र में शांति तथा सामान्य हालात बहाल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्र सरकार ने असम सरकार को सूचित किया है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.) के साथ वार्ता आयोजित करे। यह सूचित किया गया है कि वार्ता के दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधि भी सम्बद्ध किए जाएंगे।

(ग) सरकार ने भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत असम राज्य में बोडोलैण्ड टेरिटोरिअल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बी.टी.ए.डी.) नाम से पहले ही एक स्वायत्त जिला बना दिया है। अलग से एक बोडोलैंड राज्य के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

*[हिन्दी]*

**विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से प्रस्ताव**

**2267. श्री सीताराम सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों विशेषकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई योजनाओं का विश्वविद्यालय-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई और कितनी योजनाएं विश्वविद्यालय-वार तथा राज्य-वार लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ग) अनुमोदन देने में देरी के क्या कारण हैं तथा तीव्रतापूर्वक अनुमोदन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) से (ग) सूचना एक एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली अनुसूचित-जनजातियां**

**2268. श्री मनसुखभाई डी. वसावना:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए तथा उन्हें अन्य जातियों के लोगों के बराबर लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) अपने प्रयास में सरकार को किस सीमा तक सफलता मिली है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के लिए योजना आयोग द्वारा बनाए गए गरीबी के अनुमान के अनुसार 45.86% ग्रामीण और 34.75% शहरी अनुसूचित जनजाति आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही थी।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों को अन्य जातियों के लोगों के समकक्ष लाने के लिए अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अनेक केन्द्रय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है।

इस मंत्रालय की योजनाएं सभी अनुसूचित जनजातियों की आय और रोजगार सृजन, अवस्थापना विकास, शैक्षिक विकास और साक्षरता में सुधार से संबंधित है। कुछ योजनाएं जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त जनजातियों के लघु वन उत्पादन के उचित मूल्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) योजना आयोग के अनुमान के अनुसार वर्ष 1993-94 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 51.94% और शहरी क्षेत्र में 41.14% था, सरकारी प्रयासों के माध्यम से वर्ष 1999-2000 में इसमें कमी आई है। देश में अनुसूचित जनजातियों का सेवा में प्रतिनिधित्व बढ़ा है और शैक्षिक दर में वृद्धि हुई है।

***विवरण***

*अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम*

1. कोचिंग और सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान
2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
3. कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर
4. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को निवेश/मूल्य समर्थन
5. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान
6. ग्राम अन्न बैंक
7. आदिम जनजातीय समूहों का विकास
8. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन
9. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा उन्नयन की स्कीमें
10. अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्कीमें
11. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
12. अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य
13. जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
14. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान

*[अनुवाद]*

**अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास**

**2269. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 से वर्तमान तिथि तक कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावासों की मंजूरी दी गई है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास अनुमादनार्थ कितने आवेदन लंबित पड़े हुए है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे छात्रावासों के आबंटन में वृहद स्तर पर मंत्रालय के अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मंत्रालय के संज्ञान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है,

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

*जनजातीय कार्य मंत्रालय तीन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु छात्रावासों के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। तीनों योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-*

| योजना का नाम | विभिन्न वर्षों के दौरान स्वीकृत छात्रावासों की संख्या | | | लंबित प्रस्तावों का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | |
| अनु. जनजाति छात्रों/छात्राओं हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना | शून्य | 12 | शून्य | कर्नाटक सरकार से वर्ष 2003-04 के दौरान स्वीकृत 12 छात्रावासों एवं 3 नए छात्रावासों के निर्माण हेतु 150 लाख रुपये की दूसरी किस्त के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव अपूर्ण था क्योंकि उसमें पूर्व में दिए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र, एवं पूर्व वर्षों में स्वीकृत छात्रावासों की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रचलित दरों के अनुसार सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अनुमानित लागत शामिल नहीं की गयी थी। राज्य सरकार को सम्पूर्ण प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है। |
| गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान | 1 | 1 | शून्य | |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) | 235 | शून्य | शून्य | शून्य |

**केन्द्रीय विद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति**

2270. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर**
**श्री टी.के. हमजा:**
**श्री अजय चक्रवर्ती:**
**श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
**श्री सुशील कुमार मोदी:**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में वर्ष 1999 में हुई 300 प्राध्यापकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ये नियुक्तियां केन्द्रीय विद्यालयों के नियमों तथा सरकार के आरक्षण नियमों की अवहेलना करते हुए की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राध्यापकों की अनुपस्थिति में स्कूलों का कार्य प्रभावित न हो तथा और अधिक विलंब के बिना प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान प्रतिनियुक्ति आधार पर 340 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से 140 प्रधानाचार्यों की बाद में नियमित आधार पर नियुक्ति हो गए। प्रत्यावर्तन, मृत्यु, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि के कारण प्रधानाचार्यों के ऐसे 5 पद रिक्त हो गए। चूंकि प्रधानाचार्यों की ये नियमित नियुक्तियां भर्ती नियमावली तथा संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करके की गई थी और जबकि आरक्षित/सामान्य श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रधानाचार्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, शेष 135 प्रधानाचार्यों जो अभी तक नियमित आधार पर कार्यरत हैं, की नियुक्ति 18 नवम्बर, 2004 को रद्द कर दी गई और उनसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उनके स्थायी पदों पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त शेष 200 प्रधानाचार्यों में से 13 प्रधानाचार्यों ने स्वयं प्रत्यावर्तन की मांग की तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर शेष 187 प्रधानाचार्यों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 18 नवम्बर, 2004 के आदेश द्वारा अपने वास्तविक पद/मूल विभागों में प्रत्यावर्तन का आदेश दिया गया था।

(ग) प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में स्कूल का कार्य उप-प्रधानाचार्य/सबसे वरिष्ठ शिक्षक देखेगा ताकि स्कूल की कार्यप्रणाली प्रभावित न हो। इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

**एल.पी.जी. गोदामों की जगह बदलना**

**2271. श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एल.पी.जी. गोदामों की जगह बदलने संबंधी दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति क्या है;

(ख) डी.डी.ए. को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार एल.पी.जी. गोदामों की जगह बदलने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) डी.डी.ए. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों में से वर्षवार एल.पी.जी. गोदामों की लिए कितने मामलों में वैकल्पिक भूमि आबंटित की है;

(घ) डी.डी.ए. के पास कितने आवेदन लंबित हैं तथा आवेदनों के स्थान और पेट्रोलियम कंपनी के नाम क्या-क्या हैं;

(ङ) क्या डी.डी.ए. वैकल्पिक स्थानों के आबंटन के लिए कोई वरिष्ठता सूची रख रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि 20.6.2003 से प्रभावी मौजूदा नीति के अनुसार स्थान बदलने पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग किसी ऐसी नियोजित परियोजना/स्कीम के लिए किया जा रहा है जिसके लिए गैस गोदाम को बंद करना आवश्यक है। किसी भी अन्य आधार पर स्थान नहीं बदला जाएगा। वैकल्पिक स्थान, कम्प्यूटरीकृत ड्रा द्वारा आबंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मौजूदा नीति के अनुसार नए गैस गोदाम स्थल नीलामी के जरिए दिए जाएंगे।

(ख)

| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|
| शून्य | शून्य | एक |

(ग) शून्य

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान प्राप्त एकमात्र आवेदन नीति के अनुसार ग्राह्य नहीं था और अस्वीकृत किया गया, वर्तमान में स्थान बदलने के लिए कोई मामला लंबित नहीं है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त 'घ' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**सत्र अवधि को कम किया जाना**

**2272. श्रीमती मनोरमा माधवराज:**

**श्री हन्नान मोल्लाह:**

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद के सत्रों/बैठकों की अवधि को काफी कम किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में सरकारी विधेयक संसद के विचारार्थ लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सत्रों की पूरी अवधि को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** (क), (ख) और (ङ) नहीं, सामान्यत: संसद के सत्र की अवधि का निर्णय, सत्र के दौरान निष्पादित किए जाने वाले संभावित सरकारी कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सत्र की वास्तविक समाप्ति भी सरकारी कार्य की आवश्यकता को देखते हुए की जाती है। सरकारी कार्य के अतिरिक्त, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने वाले विभिन्न नियमों के अन्तर्गत और माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के अन्तर्गत सदन द्वारा चर्चा के लिए विभिन्न मदें ली जाती हैं।

(ग) और (घ) बजट सत्र, 2004 की समाप्ति पर लोक सभा में केवल दो विधेयक अर्थात (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2004 और (ii) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (निरसन) विधेयक, 2004 लम्बित थे।

**इंडिया कैम, 2004 के लिए बजट व्यय**

**2273. श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडिया कैम 2004 का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बजट में कितने व्यय का प्रावधान किया गया है और विभाग द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(घ) व्यय और भत्तों का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त के लिए विदेशी दौरों पर गए अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) और (ख) जी, हां, रसायनों, पेट्रोरसायनों फार्मास्यूटिकल्स एवं प्रौद्योगिकियों, प्रसंस्करण संयंत्र मशीनरी, नियंत्रण एवं स्वचलन प्रणालियों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन इंडिया केम, 2004 का आयोजन 3-5 नवम्बर, 2004 के दौरान मुंबई में आयोजन किया गया था। इसे भारतीय रसायन उद्योग के प्रवर्तन के उद्देश्य से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की सहायता से आयोजित किया गया था।

(ग) भारतीय रसायन उद्योग को प्रोत्साहित करने संबंधी कार्यकलापों के लिए वर्ष 2004-05 के बाजार में 340 लाख रु. का प्रावधान किया गया था। इसमें से इंडिया केम, 2004 से संबंधित कार्यकलापों पर 15.87 लाख रुपये खर्च किए गए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| मद | व्यय |
|---|---|
| (1) डी.ए.वी.पी. के माध्यम से विज्ञापन जारी करना | 9.87 लाख रु. |
| (2) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए व्यवस्था | 6.00 लाख रु. |

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ङ) उक्त आयोजन सफल रहा और इसमें भाग लेने वालों तथा प्रदर्शकों से प्राप्त फीडबैक से पता चला है कि वे उपरोक्त आयोजन से संतुष्ट थे।

*विवरण*

| क्र.सं. | नाम | देश, जिनका दौरा किया गया | अवधि | व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री विनय कोहली, सचिव (रसा. एवं पेट्रो) | जापान, उन्हें भागीदार देश के रूप में आमंत्रित करने हेतु | 4-6 अगस्त, 2003 | 2.54 लाख (रु.) |
| 2. | श्रीमती वीनू गुप्ता, निदेशक | जापान | 4-6 अगस्त, 2003 | ऊपर 1. में शामिल |
| 3. | श्री प्रत्यूष सिन्हा सचिव (रसा. एवं पेट्रो) | यू.एस.ए. | 14-22 सितम्बर, 2004 | 5.5 लाख (रु.) |
| 4. | श्री आर.आई. सिंह संयुक्त सचिव | जापान, थाइलैंड, ताइवान | 24 अप्रैल से 4 मई 2004 | 2.5 लाख (रु.) |
| 5. | श्री शरद गुप्ता संयुक्त सचिव | यूके, फ्रांस और इटली | 30 मई से 9 जून 2004 | 1.5 लाख (रु.) |

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## अध्यक्ष द्वारा घोषणा

## संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करने हेतु दो समर्पित सेटेलाइट चैनलों का आरम्भ

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यो, मुझे आप सभी को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण हेतु समर्पित सैटेलाइट चैनलों की व्यवस्था किए जाने संबंधी हमारे द्वारा लगातार जारी प्रयास अब सफल हुए हैं। आज सुबह जब केन्द्रीय कक्ष में हुए एक समारोह में दो सैटेलाइट चैनल आरंभ किए गए, तो देश की जनता से सीधे संपर्क की हमारी आशाएं पूर्ण हुई। अब डिश एंटीना या केबल नेटवर्क के जरिए पूरे देश में संसद की कार्यवाही देखी जा सकती है। मुझे आशा है कि इन चैनलों के माध्यम से संसद लोगों के और करीब होगी और ये चैनल अत्यंत ही सूचनात्मक और शिक्षाप्रद सिद्ध होंगे। मैं इस अवसर पर प्रसारण के लिए बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रसार भारती को धन्यवाद देता हूं।

---

अपराह्न 12.01 बजे

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील)**: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1080/04]

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)**: महोदय, मैं श्री रामविलास पासवान की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1081/04]

(ख) (एक) एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1082/04]

(ग) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1083/04]

(घ) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1084/04]

(ङ) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1085/04]

(च) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1086/04]

(छ) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1087/04]

(ज) (एक) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1088/04]

(झ) (एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1089/04]

(2) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1090/04]

**संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1091/04]

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1091ए/04]

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नॉर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1092/04]

(ख) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड शिलांग के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1093/04]

**विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1094/04]

[श्री पी.एम. सईद]

(ख) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1095/04]

(ग) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1096/04]

(घ) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1097/04]

(ङ) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1098/04]

(2) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1099/04]

(3) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1100/04]

**अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रिन्युएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रिन्युएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1101/04]

**शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1102/04]

(2) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1103/04]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** महोदय, मैं आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश, 2004 की धारा 63 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) का.आ. 1185 (अ) जो 26 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया है।

(2) का.आ. 1232 (अ) जो 4 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए दो पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1104/04]

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** महोदय, मैं श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1105/04]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1106/04]

---

अपराह्न 12.03 बजे

## राज्य सभा से संदेश

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** महोदय, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:—

''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2004 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 8 दिसम्बर, 2004 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।''

---

अपराह्न 12.03½ बजे

## सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

*[अनुवाद]*

### पांचवें से दसवां प्रतिवेदन

**श्री एम.एम. पल्लम राजू** (काकीनाड़ा): महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित ''हार्डवेयर और साफ्टवेयर की समस्याएं और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की आवश्यकताएं'' के बारे में समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन;

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित ''डायरेक्ट टू होम (डी.टी.एच.) प्रसारण'' के बारे में समिति के चालीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन;

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित ''क्षेत्र प्रचार निदेशालय (डी.एफ.पी.) का कार्यकरण'' के बारे में समिति के पचपनवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन;

(4) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित ''राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) का कार्यकरण'' के बारे में समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन;

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित ''विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का कार्यकरण'' के बारे में समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन;

(6) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित ''साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क (एस.टी.पी.) योजना का कार्यान्वयन'' के बारे में समिति के साठवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन;

---

अपराह्न 12.04 बजे

## ''सर्वशिक्षा अभियान'' के बारे में दिनांक 6.7.2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि किए जाने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

*[अनुवाद]*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मैं दिनांक 6 जुलाई, 2004 को तारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में अनुबंध 1 से 4 के स्थान पर, अनुबंध 1 से 4 सभा पटल पर रखता हूं जिनमें सही प्रविष्टियों को दिखाया गया है।

विलम्ब का कारण है: 14वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान उत्तर में शुद्धि के लिए 20 अगस्त, 2004 को लोक सभा सचिवालय को एक सूचना भेजी गयी थी। जिसे 31 अगस्त, 2004 को जिस दिन मंत्रालय के प्रश्न लिए जाने थे को, लोक सभा में रखा जाना था। परन्तु सभा की कार्यवाही इससे पूर्व 26 अगस्त, 2004 को ही स्थगित हो गयी थी।

*विवरण-I*

*योजना-वार आवंटन तथा उपयोग*

वर्ष: 2001-02

(आंकड़े एम.डी.एम. के मामले में लाख मीट्रिक टन और अन्य योजनाओं के मामले में करोड़ रु. में है)

| राज्य | एस.एस.ए. | | डी.पी.ई.पी. | | एम.डी.एम* | | शिक्षक शिक्षा | | एल.जे.पी. | | एस.के.पी. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | उपयोग** | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उठान | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उपयोग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आंध्र प्रदेश | 22.85 | | 228.14 | 82.04 | 2.33 | 1.68 | 19.43 | | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | 2.81 | | | | 0.04 | 0.01 | 2.02 | 1.73 | | | | |
| असम | 34.73 | | 68.53 | 41.67 | 0.92 | 0.32 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| बिहार | 29.65 | | 204.15 | 49.36 | 2.18 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| छत्तीसगढ़ | 4.09 | | 22.51 | 13.01 | 0.82 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| गोवा | 0.00 | | | | 0.02 | 0.01 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| गुजरात | 20.86 | | 28.57 | 20.48 | 0.87 | 0.22 | 11.13 | 8.79 | | | | |
| हरियाणा | 3.65 | | 96.11 | 53.00 | 0.48 | 0.37 | 16.07 | 5.99 | | | | |
| हिमाचल प्रदेश | 1.52 | | 41.25 | 16.24 | 0.20 | 0.19 | 18.77 | 7.38 | | | | |
| जम्मू-कश्मीर | 1.55 | | | | 0.21 | 0.00 | 5.97 | 2.84 | | | | |
| झारखंड | 6.73 | | 49.01 | 16.64 | 0.63 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| कर्नाटक | 28.04 | | 85.45 | 77.69 | 1.56 | 1.35 | 14.05 | 14.05 | | | | |
| केरल | 10.81 | | 49.55 | 20.13 | 0.47 | 0.43 | 6.37 | 6.37 | | | | |
| मध्य प्रदेश | 28.91 | | 141.90 | 76.18 | 1.91 | 1.67 | 19.68 | 12.23 | | | | |
| महाराष्ट्र | 48.18 | | 133.02 | 61.34 | 2.94 | 2.50 | 9.21 | 3.02 | | | | |
| मणिपुर | 1.10 | | | | 0.08 | 0.06 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| मेघालय | 8.58 | | | | 0.13 | 0.08 | 0.59 | 0.00 | | | | |
| मिजोरम | 4.33 | | | | 0.03 | 0.02 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| नागालैंड | 0.76 | | | | 0.05 | 0.05 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| उड़ीसा | 31.77 | | 123.32 | 57.48 | 0.99 | 0.80 | 14.98 | 11.98 | | | | |
| पंजाब | 57.09 | | | | 0.50 | 0.29 | 4.76 | 2.73 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | 3.20 | | 129.06 | 8.43 | 1.87 | 1.47 | 11.29 | 11.22 | 60.00 | 58.13 | 10.00 | 15.21 |
| सिक्किम | 1.00 | | | | 0.02 | 0.02 | 1.07 | 0.06 | | | | |
| तमिलनाडु | 29.61 | | 84.12 | 55.34 | 1.16 | 0.81 | 12.66 | 12.66 | | | | |
| त्रिपुरा | 4.92 | | | | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 1.01 | | | | |
| उत्तरांचल | 12.20 | | 28.74 | 16.50 | 0.21 | 0.16 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| उत्तर प्रदेश | 76.63 | | 537.42 | 398.08 | 4.75 | 3.74 | 21.39 | 17.04 | | | | |
| प. बंगाल | 16.19 | | 106.54 | 43.58 | 2.87 | 2.08 | 11.97 | 5.16 | | | | |
| कुल | 497.76 | 0.00 | 2157.39 | 1107.19 | 28.38 | 20.65 | 223.11 | 164.38 | 60.00 | 58.13 | 10.00 | 15.21 |

* मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को अनाज का नि:शुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए इस योजना के मामले में आवंटित अनाज और उठाए गए अनाज की स्थिति लाख मीट्रिक टन में दी गई है।

** सर्व शिक्षा अभियान देर से शुरू किए जाने के कारण उपयोग नहीं हो सका।

एस.एस.ए.—सर्व शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी.—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एल.जे.पी.—लोक जुंबिश परियोजना

एस.के.पी.—शिक्षा कर्मी परियोजना

*विवरण-II*

*योजना-वार आवंटन तथा उपयोग*

वर्ष: 2002-03

(आंकड़े एम.डी.एम. के मामले में लाख मीट्रिक टन और अन्य योजनाओं के मामले में करोड़ रु. में है)

| राज्य | एस.एस.ए. | | डी.पी.ई.पी. | | एम.डी.एम* | | शिक्षक शिक्षा | | एल.जे.पी. | | एस.के.पी. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | उपयोग** | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उठान | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उपयोग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आंध्र प्रदेश | 82.26 | 39.52 | 327.01 | 101.64 | 2.24 | 1.85 | 0.19 | 0.00 | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | 14.12 | 0.00 | | | 0.05 | 0.01 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| असम | 101.76 | 85.26 | 87.01 | 62.40 | 0.92 | 0.44 | 6.73 | 6.73 | | | | |
| बिहार | 79.15 | 34.52 | 132.40 | 40.53 | 2.43 | 1.33 | 16.68 | 16.68 | | | | |
| छत्तीसगढ़ | 36.40 | 24.13 | 16.39 | 14.69 | 0.75 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| गोवा | 0.00 | 0.00 | | | 0.02 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुजरात | 140.04 | 118.39 | 55.79 | 30.12 | 0.65 | 0.27 | 24.30 | 23.37 | | | | |
| हरियाणा | 27.36 | 25.71 | 103.19 | 36.36 | 0.46 | 0.43 | 29.78 | 29.78 | | | | |
| हिमाचल प्रदेश | 17.18 | 19.12 | 32.94 | 21.86 | 0.19 | 0.19 | 30.75 | 30.75 | | | | |
| जम्मू-कश्मीर | 19.49 | 5.00 | | | 0.25 | 0.00 | 6.77 | 3.63 | | | | |
| झारखंड | 32.44 | 42.11 | 61.84 | 50.26 | 0.52 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| कर्नाटक | 82.70 | 95.95 | 74.55 | 52.04 | 1.54 | 1.17 | 14.37 | 14.20 | | | | |
| केरल | 22.51 | 31.22 | 58.62 | 26.47 | 0.47 | 0.47 | 6.18 | 6.18 | | | | |
| मध्य प्रदेश | 110.17 | 108.01 | 64.23 | 50.54 | 2.12 | 1.86 | 19.03 | 11.57 | | | | |
| महाराष्ट्र | 110.00 | 96.71 | 130.85 | 78.35 | 2.98 | 2.52 | 16.22 | 13.64 | | | | |
| मणिपुर | 0.00 | 0.00 | | | 0.09 | 0.08 | 1.98 | 0.17 | | | | |
| मेघालय | 7.11 | 6.35 | | | 0.13 | 0.13 | 3.10 | 1.02 | | | | |
| मिजोरम | 9.03 | 4.33 | | | 0.03 | 0.02 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| नागालैंड | 9.73 | 1.10 | | | 0.05 | 0.05 | 5.06 | 2.43 | | | | |
| उड़ीसा | 22.14 | 25.94 | 131.51 | 91.76 | 1.24 | 1.05 | 11.84 | 8.84 | | | | |
| पंजाब | 48.68 | 84.92 | | | 0.49 | 0.36 | 12.96 | 10.92 | | | | |
| राजस्थान | 99.96 | 55.74 | 215.10 | 135.09 | 1.58 | 1.41 | 12.73 | 10.54 | 62.62 | 85.75 | 15.02 | 15.02 |
| सिक्किम | 4.25 | 1.68 | | | 0.02 | 0.02 | 2.07 | 1.07 | | | | |
| तमिलनाडु | 135.27 | 101.89 | 37.55 | 30.77 | 1.08 | 0.79 | 17.34 | 17.34 | | | | |
| त्रिपुरा | 11.62 | 7.27 | | | 0.14 | 0.10 | 1.37 | 0.40 | | | | |
| उत्तरांचल | 20.68 | 18.56 | 26.14 | 17.93 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| उत्तर प्रदेश | 202.45 | 220.61 | 426.60 | 274.92 | 4.46 | 4.11 | 28.34 | 22.32 | | | | |
| पश्चिम बंगाल | 108.68 | 51.48 | 171.93 | 66.37 | 2.93 | 2.18 | 14.60 | 8.22 | | | | |
| कुल | 1555.18 | 1305.52 | 153.65 | 1182.10 | 28.08 | 21.71 | 288.29 | 245.70 | 62.62 | 85.75 | 15.02 | 15.02 |

* मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को अनाज का नि:शुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए इस योजना के मामले में आवंटित अनाज और उठाए गए अनाज की स्थिति लाख मीट्रिक टन में दी गई है।

** सर्व शिक्षा अभियान देर से शुरू किए गए जाने के कारण उपयोग नहीं हो सका।

एस.एस.ए.—सर्व शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी.—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एल.जे.पी.—लोक जुंबिश परियोजना

एस.के.पी.—शिक्षा कर्मी परियोजना

*विवरण-III*

*योजना-वार आवंटन तथा उपयोग*

वर्ष: 2003-04

(आंकड़े एम.डी.एम. के मामले में लाख मीट्रिक टन और अन्य योजनाओं के मामले में करोड़ रु. में है)

| राज्य | एस.एस.ए. | | डी.पी.ई.पी. | | एम.डी.एम* | | शिक्षक शिक्षा | | एल.जे.पी. | | एस.के.पी. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | उपयोग** | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उठान | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उपयोग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आंध्र प्रदेश | 98.84 | 201.83 | 210.78 | 108.14 | 1.78 | 1.52 | 19.52 | 19.52 | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | 6.75 | 14.54 | | | 0.05 | 0.02 | 0.91 | 0.77 | | | | |
| असम | 121.90 | 185.01 | 34.47 | 34.47 | 0.96 | 0.77 | 5.93 | 5.00 | | | | |
| बिहार | 195.16 | 246.89 | 170.98 | 48.37 | 2.45 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| छत्तीसगढ़ | 65.89 | 76.27 | 2.05 | 2.05 | 0.57 | 0.62 | 9.51 | 9.51 | | | | |
| गोवा | 0.00 | 0.00 | | | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| गुजरात | 116.60 | 128.44 | 56.97 | 44.32 | 0.60 | 0.40 | 5.88 | 4.94 | | | | |
| हरियाणा | 68.96 | 89.31 | 57.92 | 57.92 | 0.46 | 0.42 | 3.26 | 3.04 | | | | |
| हिमाचल प्रदेश | 54.62 | 66.62 | 15.72 | 15.72 | 0.18 | 0.18 | 6.32 | 6.32 | | | | |
| जम्मू-कश्मीर | 53.27 | 74.26 | | | 0.22 | 0.01 | 3.34 | 0.20 | | | | |
| झारखंड | 114.74 | 111.28 | 111.92 | 71.84 | 0.52 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| कर्नाटक | 104.27 | 135.92 | 20.75 | 20.75 | 1.46 | 0.87 | 10.38 | 10.21 | | | | |
| केरल | 49.66 | 63.17 | 6.54 | 6.54 | 0.43 | 0.43 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| मध्य प्रदेश | 352.38 | 360.77 | 17.51 | 17.51 | 1.66 | 1.50 | 18.09 | 17.35 | | | | |
| महाराष्ट्र | 205.27 | 322.03 | 45.36 | 45.36 | 2.24 | 1.85 | 13.06 | 7.73 | | | | |
| मणिपुर | 5.00 | 0.00 | | | 0.09 | 0.08 | 3.01 | 2.83 | | | | |
| मेघालय | 8.26 | 22.85 | | | 0.10 | 0.09 | 2.28 | 0.20 | | | | |
| मिजोरम | 11.82 | 9.52 | | | 0.02 | 0.02 | 3.90 | 1.35 | | | | |
| नागालैंड | 0.00 | 13.62 | | | 0.05 | 0.04 | 5.58 | 2.96 | | | | |
| उड़ीसा | 134.53 | 158.12 | 92.78 | 65.98 | 1.23 | 1.14 | 5.40 | 5.37 | | | | |
| पंजाब | 64.92 | 103.05 | | | 0.45 | 0.24 | 7.93 | 5.89 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | 156.27 | 214.23 | 258.34 | 186.91 | 1.69 | 1.37 | 12.13 | 9.94 | 147.00 | 143.93 | 10.00 | 28.80 |
| सिक्किम | 2.70 | 6.57 | | | 0.02 | 0.01 | 1.63 | 0.63 | | | | |
| तमिलनाडु | 105.06 | 245.32 | 8.59 | 8.59 | 1.11 | 0.79 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| त्रिपुरा | 27.52 | 45.98 | | | 0.09 | 0.09 | 2.42 | 1.44 | | | | |
| उत्तरांचल | 35.22 | 65.67 | 29.70 | 20.24 | 0.16 | 0.20 | 7.88 | 7.88 | | | | |
| उत्तर प्रदेश | 340.43 | 474.27 | 216.59 | 172.63 | 4.91 | 4.10 | 22.63 | 13.94 | | | | |
| पश्चिम बंगाल | 167.48 | 169.46 | 179.56 | 58.55 | 3.06 | 2.52 | 7.01 | 0.63 | | | | |
| कुल | 2667.52 | 3605.00 | 1536.53 | 985.89 | 26.57 | 21.23 | 187.76 | 147.41 | 147.00 | 143.93 | 10.00 | 28.80 |

* मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को अनाज का नि:शुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए इस योजना के मामले में आवंटित अनाज और उठाए गए अनाज की स्थिति लाख मीट्रिक टन में दी गई है।

** सर्व शिक्षा अभियान देर से शुरू किए जाने के कारण उपयोग नहीं हो सका।

एस.एस.ए.—सर्व शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी.—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एल.जे.पी.—लोक जुंबिश परियोजना

एस.के.पी.—शिक्षा कर्मी परियोजना

*विवरण-IV*

*योजना-वार आवंटन तथा उपयोग*

वर्ष: 2004-05

(आंकड़े एम.डी.एम. के मामले में लाख मीट्रिक टन और अन्य योजनाओं के मामले में करोड़ रु. में है)

| राज्य | एस.एस.ए. | | डी.पी.ई.पी. | | एम.डी.एम* | | शिक्षक शिक्षा | | एल.जे.पी. | | एस.के.पी. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | उपयोग** | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उठान | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उपयोग | आवंटन | उपयोग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आंध्र प्रदेश | 50.00 | | | | 2.13 | | 0.19 | | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | | 0.04 | | | | | | | |
| असम | 25.00 | | | | 1.02 | | | | | | | |
| बिहार | 0.00 | | | | 2.78 | | | | | | | |
| छत्तीसगढ़ | 50.00 | | | | 0.57 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गोवा | 0.00 | | | | 0.01 | | | | | | | |
| गुजरात | 0.00 | | | | 0.60 | | | | | | | |
| हरियाणा | | | | | 0.46 | | | | | | | |
| हिमाचल प्रदेश | 10.00 | | | | 0.18 | | | | | | | |
| जम्मू-कश्मीर | 20.00 | | | | 0.22 | | | | | | | |
| झारखंड | 0.00 | | | | 0.82 | | | | | | | |
| कर्नाटक | 30.00 | | | | 1.17 | | | | | | | |
| केरल | 10.00 | | | | 0.42 | | | | | | | |
| मध्य प्रदेश | 0.00 | | | | 1.60 | | | | | | | |
| महाराष्ट्र | 50.00 | | | | 2.22 | | | | | | | |
| मणिपुर | 0.00 | | | | 0.09 | | | | | | | |
| मेघालय | 0.00 | | | | 0.10 | | | | | | | |
| मिजोरम | 5.00 | | | | 0.02 | | | | | | | |
| नागालैंड | 9.72 | | | | 0.03 | | 3.22 | | | | | |
| उड़ीसा | 25.00 | | | | 1.23 | | | | | | | |
| पंजाब | 0.00 | | | | 0.43 | | | | | | | |
| राजस्थान | 30.00 | | | | 1.69 | | | | 29.41 | 0.00 | 39.04 | 0.00 |
| सिक्किम | 4.42 | | | | 0.02 | | | | | | | |
| तमिलनाडु | 50.00 | | | | 0.86 | | | | | | | |
| त्रिपुरा | 0.00 | | | | 0.09 | | | | | | | |
| उत्तरांचल | 16.00 | | | | 0.16 | | | | | | | |
| उत्तर प्रदेश | 50.00 | | | | 5.10 | | 7.18 | | | | | |
| पश्चिम बंगाल | 0.00 | | | | 2.97 | | | | | | | |
| कुल | 435.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 39.04 | 0.00 |

* मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को अनाज का नि:शुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए इस योजना के मामले में आवंटित अनाज और उठाए गए अनाज की स्थिति लाख मीट्रिक टन में दी गई है।

** सर्व शिक्षा अभियान देर से शुरू किए जाने के कारण उपयोग नहीं हो सका।

एस.एस.ए.—सर्व शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी.—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एस.के.पी.—शिक्षा कर्मी परियोजना

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मंत्री जी एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में सुधार कर रहे हैं। सामान्यतया हमें एक तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अत: जब मंत्री जी बाद में उत्तर में सुधार करने वाला वक्तव्य देंगे तो हम अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ पायेंगे। हम सही किए गए उत्तर के बारे में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। अत: या तो माननीय संसद सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए या मंत्री जी...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हम यह देखेंगे कि भविष्य में ऐसा कैसे किया जा सकता है।

---

...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब हम मद संख्या 14 लेंगे—श्री पी.सी. थामस द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिवीलेज का सवाल पूछा था, आपने कहा था कि वह आपके अंडर कंसीडरेशन है। इस सदन में सरकार के दो मंत्रियों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगाए हैं। उसको सारे हिन्दुस्तान ने देखा है। प्रधान मंत्री जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** निश्चितरूप से आप सही हैं। मैं आज या कल आपको बता दूंगा।

...(*व्यवधान*)

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया): हमने भी इनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बैठिए।

*[अनुवाद]*

मैंने इससे इन्कार नहीं किया है। मैं आज या कल आपको बता दूंगा।

...(*व्यवधान*)

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** प्रधान मंत्रीजी से भी कहेंगे कि वे यहां आकर उत्तर दें।...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम): मैंने एक सूचना दी है। मुझे इसे 'शून्य काल' में उठाने की अनुमति दी जाए...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** यह किसपर है?

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** यह 'शून्य काल' नहीं है। आप एक बहुत वरिष्ठ संसद सदस्य हैं।

...(*व्यवधान*)

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** कृपया मुझे इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद उठाने की अनुमति दी जाए...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले नहीं। एक बार मैंने अपवाद स्वरूप इसकी अनुमति दी थी। 'शून्य काल' से पूर्व केवल एक ही मामला है।

---

**अपराह्न 12.07 बजे**

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के कारण कॉफी, चाय, काली मिर्च, वैनिला, इलायची तथा सुपारी की कीमतों में भारी गिरावट से उत्पन्न स्थिति

*[अनुवाद]*

**श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के कारण कॉफी, चाय, काली मिर्च, वैनिला, इलायची तथा सुपारी की कीमतों में भारी गिरावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ):** माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल के वर्षों में कॉफी, चाय, काली मिर्च, वैनिला और इलायची जैसी वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सामान्यतया

[श्री कमलनाथ]

दबाव में रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि आपूर्ति की तुलना में मांग कम है। इन वस्तुओं का घरेलू मूल्य इनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों व वृहद वैश्विक परिस्थितियों के कारण बदलता रहता है और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते आवश्यक रूप से वर्तमान घरेलू मूल्यों को निर्धारित करते हैं। जब से केन्द्र में हमारी सरकार आई है तब से चालू वर्ष के दौरान चाय और कॉफी जैसी वस्तुओं के मूल्यों में सुधार हुआ है।

गत कुछ वर्षों के दौरान कॉफी उत्पादक देशों द्वारा कॉफी का अतिरिक्त उत्पादन किए जाने के कारण कॉफी का उत्पादन उसकी मांग से अधिक हो गया जिससे कॉफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आई है। उच्च गुणवत्ता वाली जिस अरेबिका कॉफी का मूल्य वर्ष 1997 में 130 रुपये प्रति किलो था और जिस रोबुस्ता कॉफी का मूल्य 56 रुपये प्रति किलो था वह वर्ष 2003 में गिरकर लगभग 56 रुपये और 34 रुपये प्रति किलो ही रह गया। चालू वर्ष के दौरान विशेषकर अरेबिका कॉफी के घरेलू मूल्यों में सुधार हुआ है। अक्तूबर, 2004 में अरेबिका कॉफी का मूल्य 80 रुपये प्रति किलो था तथा रोबुस्ता कॉफी का मूल्य 37 रुपये प्रति किलोग्राम था। चूंकि भारत में उत्पादित कॉफी का लगभग 80 प्रतिशत भाग निर्यात होता है अत: यह उद्योग मुख्यत: कॉफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर करता है और क्षेत्रीय व्यापार समझौते कॉफी के मूल्यों को प्रभावित नहीं करते हैं।

विशेष कॉफी आवधिक ऋण, जिसमें कॉफी उत्पादकों को ऋण संबंधी कुछ रियायतें दी जाती हैं जिससे कि उनकी समस्याएं कम हो सकें, को जारी रखते हुए ऋणों में कमी करने हेतु कॉफी क्षेत्र को एक विशेष पैकेज दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

वर्ष 1999 और उसके पश्चात् चाय के मूल्यों में कमी आनी आरंभ हुई थी और वर्ष 1998 में अखिल भारतीय नीलामी मूल्य 76 रुपये प्रति किलो से गिरकर वर्ष 2003 के दौरान 56 रुपये प्रति किलो पर आ गए। तथापि वर्ष 2004 के दौरान, जबसे हमारी सरकार केन्द्र में आई है औसत नीलामी मूल्य पुन: ऊपर चढ़े हैं।

भारतीय नीलामियों में इस वर्ष चाय के बिक्री मूल्यों में वृद्धि दर्ज की गई है और अक्तूबर 2004 में यह 67 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है। चाय का कुल आयात लगभग 8 मिलियन किलोग्राम रहा है जो कि वर्ष 2003-2004 के दौरान हमारे यहां उत्पादित 850 मिलियन किलोग्राम की तुलना में एक बहुत छोटी मात्रा है।

सरकार ने भारतीय चाय उद्योग की सहायता हेतु बहुत से कदम उठाए है जिनमें चाय उद्योग के लिए विशेष चाय आवधिक ऋण (एस.टी.टी.एल.), फरवरी से मई 2004 तक चार माह की अवधि के लिए छोटे चाय उत्पादकों के लिए मूल्य राजसहायता योजना तथा छोटे चाय उत्पादकों और चाय निर्माताओं के बीच मूल्यों में हिस्सेदारी संबंधी सूत्र आदि सम्मिलित हैं। चाय बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण और पुनर्वास हेतु चाय पर एक रुपया प्रति किलो की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर उससे एकत्रित की जाने वाली राशि से एक विशेष कोष स्थापित किया गया है। भारतीय चाय उद्योग के सम्मुख आ रही चुनौतियों के संबंध में नई दिल्ली में 16 और 17 सितम्बर को इससे संबंधित व्यक्तियों का एक सम्मेलन हुआ था। मैं उस सम्मेलन में कई घंटों तक उपस्थित रहा था। उस सम्मेलन के दौरान जो सिफारिशें सामने आईं वे विचाराधीन हैं। मेरे विचार से मैंने 21 तारीख को चाय उत्पादक क्षेत्रों के सभी माननीय संसद सदस्यों की एक बैठक आमंत्रित की है। अगले सप्ताह एक दिन मैंने चाय उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित सभी माननीय संसद सदस्यों की एक बैठक आमंत्रित की है।

भारतीय काली मिर्च के मूल्यों में वर्ष 1995-96 से वृद्धि होनी आरंभ हुई और वर्ष 1999-2000 तक लगभग तीन गुना वृद्धि हो गई। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान काली मिर्च के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप वियतनाम जैसे नए उत्पादक देशों का उदय हुआ। काली मिर्च का अधिक उत्पादन तथा इन देशों में उसकी नगण्य खपत के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च की आपूर्ति मांग से अधिक हो गई जिससे मूल्यों में गिरावट आई। तथापि, एक विचार यह भी है कि भारत में काली मिर्च का आयात किए जाने के कारण भी इसके घरेलू मूल्यों में गिरावट आई। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं।

वैनिला का मूल्य गत तीन वर्षों के दौरान असाधारण और अभूतपूर्व रूप से बढ़कर लगभग 500 अमरीकी डालर प्रति किलो तक पहुंच गया था और ऐसा विशुद्ध रूप से मैडागास्कर जैसे उत्पादक देशों में आई प्राकृतिक आपदाओं व उसके परिणामस्वरूप होने वाली कमी के कारण हुआ था। तदनुसार, 'ग्रीन बीन्स' का घरेलू मूल्य भी बढ़कर 4000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था जो कि अब घटकर 250 रुपये से 300 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में काली मिर्च, चाय, कॉफी, वैनिला और इलायची आदि बहुत सारी वस्तुएं सम्मिलित कर ली गई हैं और मेरे विचार से मेरी ओर से एक ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इन सारी वस्तुओं को सम्मिलित कर लेना बहुत अनुचित है।

**अध्यक्ष महोदय:** इन्हें आप की योग्यता पर विश्वास है।

**श्री कमलनाथ:** इलायची के मूल्यों में गिरावट भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतिबिंब ही है। ग्वाटेमाला में इलायची के उत्पादन में

भारी वृद्धि होने से विश्व बाजार में इसकी आपूर्ति मांग की तुलना में अधिक हो गई जिससे इसके मूल्य गिर गए। हाल ही में घरेलू बाजार में भी बढ़े हुए उत्पादन से नीलामी स्थलों पर आपूर्ति में वृद्धि हो गई। इसके परिणामस्वरूप, इलायची के मूल्य जो वर्ष 2001-2002 में 623 रुपये प्रति किलो तक थे, वे अब घटकर 300 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। इलायची के आयात में भारी गिरावट आई है।

सुपारी के मूल्य जो वर्ष 1999-2000 में औसतन 13181 रुपये प्रति क्विंटल पर थे वे वर्तमान में लगभग 6094 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। तथापि ये मूल्य वर्ष 2001-02 के 4646 रुपये प्रति क्विंटल तथा वर्ष 2002-03 के 4804 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में अभी भी अधिक हैं। वर्ष 2003-04 में आयात की गई 30737 टन सुपारी की मात्रा घरेलू उत्पादन की तुलना में बहुत कम है।

कॉफी, चाय, रबर और तम्बाकू जैसे बागान-उत्पादों के छोटे उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि से एक कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है। इस योजना की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ताकि इसे उत्पादकों के लिए और उपयोगी और आकर्षक बनाया जा सके।

महोदय, यह उत्साहवर्द्धक है कि कुछ सामग्रियों की कीमतें चालू वर्ष के दौरान बढ़ी हैं। बागान-क्षेत्र पर इसका सकारात्मक असर होने की संभावना है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप हम इसमें और सुधार की अपेक्षा करते हैं।

**श्री पी.सी. थामस:** महोदय, माननीय मंत्री के बयान से ही यह बात साफ हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत में भारी गिरावट के कारण किसान इस समय वास्तव में कठिन समय से गुजर रहे हैं। उन्होंने विशेष तौर पर बताया है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत में तेजी से गिरावट आई है। यद्यपि, कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन इन अधिकांश मदों के मामले में ये कारगर साबित नहीं हुए हैं।

यद्यपि, मंत्री महोदय ने कहा है कि चाय और कॉफी के मामले में कुछ सुधार हुआ है लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिला है। किसान अभी भी डवाडोल स्थिति में हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि श्रीलंका, जैसे कुछ नजदीकी देशों से बड़े पैमाने पर आयात हुआ है जहां आयात-शुल्क बिल्कुल नगण्य है। चाय के लिए यह शुल्क 7.5 प्रतिशत रह गया है। पिछली सरकार ने इसे 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया था और यह किसानों के लिए भी फायदेमंद था। श्रीलंका समझौता के कारण तथा वहां चाय की अधिक मात्रा के कारण हमारे देश में इसका आना जारी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि विश्व-स्तर पर इन सामग्रियों की कीमतों में गिरावट के कारण हमें घाटा हो रहा है। हम वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। लेकिन हम निर्यात क्यों नहीं करते? हम निर्यात कर सकते हैं। हमें बाजार उपलब्ध हो सकता है।

उदाहरण के लिए रबड़ को लें। रबड़ एक ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलो हो गया था और अब 20 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। वस्तुत: पिछली सरकार ने इसमें तब हस्तक्षेप की थी जब किसानों ने इसका विरोध किया। भारत में यह पहला मौका था जब निर्यात सब्सिडी पर विचार किया गया। एक किलो रबड़ के निर्यात के लिए 3.50 रुपये दिए गए। इसलिए, इस मामले भी यह असंभव नहीं है। विश्व समझौता या विश्व व्यापार संगठन इसमें आड़े नहीं आएगा।

इसलिए, इनमें से प्रत्येक वस्तु के लिए निर्यात सब्सिडी देने पर हम विचार क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार किसानों को बाजार भी उपलब्ध होगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह चाय, कॉफी, और वनीला के लिए निर्यात सबसिडी दे। वनीला के मामले में मंत्री महोदय ने कहा कि इसकी कीमत 350 रु. से घटकर 200 प्रति किलो। या इससे भी कम हो गई है। यही हालत सुपारी उत्पादक किसानों की भी है जो वास्तव में समस्याओं से गुजर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि केरल के उत्तरी हिस्से में कसारगड के पास, एक तालुका में ही 90 से 95 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यह सुपारी की कीमत में गिरावट के कारण हुआ है।

इसलिए किसानों की सहायता के लिए बैंकों को भी आगे आना पड़ेगा। वस्तुत:, 50,000 रुपये या इससे अधिक पर ब्याज को माफ करने की योजना थी। लेकिन अब यह योजना नहीं है और सरकार ने इस सम्बंध में न तो किसानों का ब्याज माफ करने पर विचार किया है न ही उनको कोई नई राहत देने के बारे में सोचा है।

महोदय, श्री लंका से काली मिर्च का आयात, जो पहले 1759 टन था 2002-03 में बढ़कर 6,099 टन हो गया है। सिर्फ इसी साल अप्रैल से अक्तूबर तक के लिए यह 2,471 टन है। इसका आयात श्रीलंका से किया जा रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ श्रीलंका का उत्पाद नहीं है। जैसा कि मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा था कि वियतनाम जैसे अन्य देश भी इन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे है लेकिन हमारे उत्पाद की तुलना में उनकी उत्पाद की गुणवत्ता बहुत ही निम्नकोटि की है। हमारी चाय, कॉफी, काली मिर्च तथा

[श्री पी.सी. थामस]

इलायची सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली है। मैं कहना चाहूंगा कि शुल्क शून्य होने या समझौता के कारण अन्य देशों से श्रीलंका आ रही है तथा वहां से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की जा रही है।

इसलिए हम जो कदम उठा रहे हैं वे यह रोकने के लिए या इसकी जांच के लिए काफी नहीं हैं कि निर्यातक देश अपनी उत्पाद का या दूसरे देशों से खरीदे गए सामानों का निर्यात कर रहा है। लाभ कमाने वाले व्यापारी इस क्षेत्र में लगे है और वे इन्हें ला रहे हैं।

उदाहरण के लिए हम इलायची को लें—यह श्रीलंका से नहीं आ रही है, यह कलकत्ता पत्तन से होते हुए नेपाल से आ रही है, पहले केवल विनिर्दिष्ट पत्तनों से ही आयात किया जाता था लेकिन अब वह भी खत्म हो गया है। हम रबड़ को लें, इसे शुल्क मुक्त कर दिया गया है लेकिन इसका आयात केवल कलकत्ता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों से ही किया जाता था। इसका उद्देश्य बे-रोक-टोक आयात को रोकना था और उसे रोका गया। ऐसा करना सही था और इससे किसानों को फायदा हुआ। इसके कारण भारत को काफी लाभ हुआ लेकिन अब इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इस सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर इसे पूरी तरह से उठा लिया गया। मुझे ज्ञात नहीं कि उद्योग की ओर से किसी दबाव के कारण ऐसा हुआ कि आयात पर प्रतिबंध को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब रबड़ की कीमत में भी कमी आ रही है।

मसाला बोर्ड जो इलायची से सम्बंधित मसले की देखरेख करता है ने सुझाव दिया है, वास्तव में व्यापार सचिव को लिखा है—कि इलायची की कीमत नीलामी से तय की जाती है। नीलामी की कीमतों में बहुत भारी कमी हुई है। यह 1000 रुपये प्रति किलो था जो घटकर 600 रुपये प्रति किलो हो गया है। अब यह लगभग 200 रुपये प्रति किलो है। लगभग एक वर्ष पूर्व इसकी कीमत 327 रुपये था, मसाला बोर्ड ने सुझाव दिया है कि आयात-शुल्क प्रतिशत आधार पर तय किए जाने के बदले इसे नीलामी कीमत के आधार पर क्यों नहीं तय किया जाए। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया है कि वर्ष 2003 में नीलामी में कीमत 327 रुपये प्रति किलो थी इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि आयात-शुल्क 70 प्रतिशत है और यह इलायची पर लगाई जानी वाले शुल्क की राशि के प्रतिशत के आधार पर की जाए। इलायची के लिए यह लगाई जानी चाहिए क्योंकि नीलामी की कीमतें बदलती है और किसान...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** आप अपना प्रश्न पूछें।

**श्री पी.सी. थामस:** वास्तव में किसी ने भी इन किसानों के बारे में नहीं सोचा। मैं इस बात से खुश हूं कि पिछली सरकार ने 500 करोड़ रुपये की एक कीमत स्थिरीकरण कोष का गठन करके एक अच्छा काम किया है। किसी ने भी कुछ नहीं किया है। किसी ने भी कोई राशि नहीं दी है। मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि पिछली सरकार ने 500 करोड़ रुपये के एक कोष का निर्माण किया। यह केवल पिछली सरकार द्वारा ही किया गया और मैं खुश हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में पुन: कहा है कि...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया जिरह न करें।

**श्री पी.सी. थामस:** मैंने सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा है लेकिन मंत्री महोदय ने भी इसके बारे में कहा, मैंने केवल सुझाव दिया...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** जहां तक आपका संबंध है, आपको बोलने की अनुमति है। केवल समय की बाध्यता है।

**श्री पी.सी. थामस:** मैं सार्थक बात ही करूंगा। 500 करोड़ रुपये का कीमत स्थिरीकरण कोष, जो पहली बार किसानों के लिए राहत राशि के रूप में निर्धारित की गई है, को बढ़ाया जाना चाहिए। यह केवल चार मदों, रबड़, कॉफी, तम्बाकू और एक और वस्तु के लिए है। इसे सभी वस्तुओं के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसके कोष को भी बढ़ाया जाना चाहिए। समय बदल चुका है इसलिए इसके प्रचालन तरीके में भी कुछ बदलाव की जरूरत है।

मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय, इस बात के लिए कि किसानों वेहत मूल्य मिल सके, कोई तत्काल सकारात्मक कदम उठाएंगे? जब तक किसानों को अच्छा लाभ नहीं होगा, भले ही विश्व-स्तरीय स्थिति जो भी हो, उत्पादन में हमें पिछड़ जाने की संभावना है। इसलिए लागत मूल्य कम करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या सरकार कुछ कदम उठाएगी? दूसरी बात, क्या सरकार किसानों की एक बैठक बुलाएगी? वस्तुत:, संसद सदस्यों को एक बैठक के लिए बुलाया गया है और मंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हम लोग आएंगे, आपनी बात रखेंगे और कोई तरीका पाने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें किसानों को भी बुलाया जाए। आप उत्पादक राज्यों केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों को जाएं और वहां के वास्तविक किसानों को बुलाएं क्योंकि वे सही में समस्याओं से रू-ब-रू हुए है और वे आपको उनके बारे में बताएंगे।

हम भी उनकी समस्याओं को रख रहे हैं लेकिन आपको जमीनी समस्या से अवगत कराएंगे। बागान कृषक वास्तव में कठिनाई

में है। केरल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के बहुत-से बागान बंद हो गए हैं। बहुत-से बागान मजदूर वास्तव में कठिनाई में हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। यही स्थिति है। इसलिए क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करने हेतु कि बड़ी संख्या में बागान किसान और कामगार तथा उनके परिवार के जीवनयापन हेतु कर सकें और कदम उठायेंगे? सरकार को किसानों और उनके संघों के साथ परामर्श करके कुछ सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

**श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** (कालीकट): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास मंत्री महोदय का वक्तव्य है जिसमें भी यह कहा गया है कि पूरा बागान क्षेत्र खराब हालत में है। 500 करोड़ लिए के बारे में जो कि कॉफी की फसल के किसानों की मदद के रुपए रखे गए हैं एक या दो टिप्पणियां की गई हैं। हमारा अपना अनुभव है कि एक पैसा भी किसानों तक नहीं पहुंचा है। किसान ऐसी स्थिति में हैं कि कॉफी काली मिर्च और सुपारी पैदा करने वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक आत्महत्याएं हो रही हैं। एक रिपोर्ट मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। 12 दिसम्बर, 2004 के 'दि हिंदू' प्रकाशित यह रिपोर्ट श्री साईंनाथ द्वारा लिखित है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि स्थिति कितनी निराशाजनक है। यह पुल्लपल्ली और मुल्लमकोल्ली क्षेत्रों से संबंधित है जहां विश्व में सबसे अच्छी काली मिर्च का उत्पादन होता हैं। इसे मालाबार काली मिर्च कहा जाता है। एक किसान ने कहा है कि उन्हें 90 एकड़ भूमि से 5,000 रुपए मिलते हैं जबकि पहले उन्हें उसी भूमि से 20 लाख रुपए मिलते थे। इसलिए, यह आय में असमानता है।

अब, मैं कॉफी की बात करता हूं। एक कॉफी बोर्ड है जिसका कार्य किसानों की सहायता करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि घरेलू बाजार में तेजी आये क्योंकि हम कॉफी का उत्पादन मुख्यत: निर्यात के लिए कर रहे हैं। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों में गिरावट आ रही है। हमें घरेलू बाजार को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं? भारत में घरेलू बाजार को बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। कॉफी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों को प्रभावित करती है। इन सभी क्षेत्रों में कॉफी उत्पादक बहुत गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे राज्य में 99 प्रतिशत किसानों के पास केवल एक या डेढ़ एकड़ भूमि है। मेरे जिले में सैंकड़ों और हजारों लघु कॉफी उत्पादक किसान हैं। वे संकट में हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। केरल में मेरे अपने जिले में गत एक या दो वर्षों में आत्महत्या के 116 मामले प्रकाश में आए हैं।

अब मैं चाय की बात करता हूं। श्री बसुदेव आचार्य ने चाय और इसके आयात के बारे में प्रश्न उठाया है। यह आयात की जा रही है और मूल्य संबर्धित किया जाता है। परन्तु क्या मूल्य संबर्धित किया जाता है? कितने बागानों को बंद किया गया? महोदय, आपके अपने राज्य में इतने सारे बागानों को बंद किया गया है। मेरे अपने पड्डूर जिले तथा असम ब्लूके में इतने सारे बागानों को बंद किया गया है। यही बात असम में है। यही चाय बागानों की हालत है।

अब, मैं काली मिर्च की बात करता हूं। हमें पड़ौसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिएं। इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु एफ.टी.ए. की क्या स्थिति है? हमें अपने पड़ौसियों के साथ समझौतों का सम्मान करना पड़ेगा परन्तु हमारे अपने राज्यों के बारे में क्या होगा? श्रीलंका में काली मिर्च का कुल उत्पादन लगभग 8000 टन है। वे लगभग 4000 से 5000 टन का उपभोग करते हैं। केवल शेष जो लगभग 2000 से 3000 टन है वह निर्यात के लिए है। फिर भी श्रीलंका से आयात में 600 प्रतिशत बढ़ोतरी है। लगभग 80,000 टन काली मिर्च यहां पड़ी है और केवल 20,000 टन का निर्यात किया जा रहा है। हमने लगभग 15,000 से 16,000 टन का पहले ही आयात कर लिया है। अपनी काली मिर्च का हम क्या करेंगे? हमें कुछ बाजार तलाशने पड़ेंगे। हम बाजार की कैसे तलाश कर सकते हैं? यदि आप काली मिर्च का आयात करते रहेंगे तो आप काली मिर्च का निर्यात नहीं कर सकते। मूल्य संवर्द्धन क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्रों विशेषकर कोलंबो के माध्यम से वियतनाम और अन्य स्थानों से घटिया काली मिर्च आ रही है। वही हो रहा है।

जो किया जा रहा है वह यह है कि इसे मालाबार काली मिर्च में मिलाया जा रहा है। मालाबार काली मिर्च काली मिर्च की एक बहुत अच्छी किस्म है। जब वास्को-डि-गामा मालाबार आया था तो वह काली मिर्च की इस किस्म को पुर्तगाल ले गया था। वर्ष 1948 में काली मिर्च की इस किस्म की 3/4 टन की कीमत 4,500 रुपए थी। परन्तु अब मिर्च की इस किस्म को घटिया काली मिर्च के साथ मिलाया जा रहा है और इसका निर्यात किया जा रहा है। हम इसके कारण विदेशी बाजार को खो रहे हैं। यूरोपीय देशों में और जहां भी हम निर्यात कर रहे हैं इसे इस आधार पर अस्वीकार किया जा रहा है कि इसमें घटिया काली मिर्च मिलाई जा रही है। इस प्रक्रिया में हम अपने विदेशी बाजार को खो रहे हैं। क्या इसके बारे में कुछ भौगोलिक सूचक और विनियमन नहीं हो सकते? हमें अपने लोगों और किसानों का बचाव करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमें अपने लोगों के हितों की रक्षा करके उनके साथ बेहतर संबंध बनाने पड़ेंगे।

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

महोदय, मुझे माननीय मंत्री से कुछ विशेष स्पष्टीकरण चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रियायती शुल्क की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए तैयार है या नहीं? क्या सरकार श्रीलंका से काली मिर्च के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है? सरकार उत्पत्ति के नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? क्या सरकार किसानों की सहायता करने के लिए पुनर्निर्यात हेतु रियायती आयात संबंधी नीति में परिवर्तन करने के लिए तैयार है? क्या समझौते में किसानों की रक्षा करने के लिए कोई सुरक्षोपाय उपलब्ध हैं? क्या कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई रणनीति है? क्या सरकार कृषि का पुनरुद्धार करने के लिए एक पैकेज की घोषणा करने के लिए तैयार है? क्या सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भौगोलिक सूचक रखने पर विचार करेगी?

महोदय, सुपारी और इलायची से संबंधित मामले भी हैं। लगभग 31,000 मी. टन सुपारी आयात की जा रही है और कीमतें गिर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब कीमतें गिर रही हैं तो क्या सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए इस संबंध में पूरी नीति की समीक्षा करने पर विचार करेगी या नहीं।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं दो और सदस्यों को अवसर दूंगा बशर्ते कि वे स्पष्ट प्रश्न रखें। उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहने की कोशिश करनी चाहिए।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य किसी भी तरह से वस्तु स्थिति के करीब नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न रखिये। कृपया भूमिका मत बनाइये।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, यहां महत्वपूर्ण प्रश्न बाजार के स्थायित्व का है। जहां तक कृषि उत्पादों का संबंध है तो न तो मेरे राज्य में और न ही घरेलू बाजार में स्थायित्व है। अपनी बात की व्याख्या करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया कोई व्याख्या न कीजिए। कृपया प्रश्न रखिये।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, यदि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं?...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका विशेष सहयोग कर रहा हूं।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, मैं चाय कामगारों की दशा के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न इससे संबंधित है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपने कभी सूचना नहीं दी ताकि आप इस बारे में अपना निवेदन कर सकें।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां महीनों से चाय बागान बंद पड़े हैं। उनमें से किसी को भी पुन: खोला नहीं गया है। हजारों गरीब कामगार मुख्यत: महिला कामगार बाजार में अस्थिरता के कारण बेरोजगार हो गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया इन वस्तुओं के मूल्यों के बारे में अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री ने स्वयं माना है कि न केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बल्कि घरेलू बाजार में भी चाय के मूल्यों में गिरावट आई है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका प्रश्न क्या है?

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, काली मिर्च के संबंध में मेरा निवेदन है कि हजारों कामगार काली मिर्च के उत्पादन में लगे हुए हैं परन्तु अब उनकी दशा दयनीय है। अब काली मिर्च की फसल बहुत खराब हालत में है और किसान मौसम के दौरान अपने उत्पाद को बेच नहीं पा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि तुरंत कदम उठायें और चाय और काली मिर्च उत्पादकों की रक्षा करें।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** (इदुक्की): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल काली मिर्च और इलायची के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं।

महोदय, जहां तक इलायची का मामला है, जैसा कि मेरे साथी सदस्य ने कहा है, मंत्रालय ने इस पर घोषित 'सिफ' मूल्य का 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगा रखा है। इसकी कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए इसमें परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार प्रति किलो 327 रुपया आयात शुल्क निर्धारित करेगी अथवा नहीं। सामान्यतया, आयात शुल्क प्रति किलो आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब घोषित 'सिफ' मूल्य के 70 प्रतिशत के बजाय इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि विश्वभर में इलाचयी की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो रही है। हम लगभग 12,000 मीट्रिक टन इलायची का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा ग्वाटेमाला से लगभग 20,000 मीट्रिक टन तथा कोलकाता के रास्ते

नेपाल से लगभग 1200 मीट्रिक टन इलायची भारत पहुंच रही है। ऐसी परिस्थितियों में इसके मूल्यों में और अधिक गिरावट हो सकती है। मुझे पता नहीं है कि मंत्री महोदय ने ये आंकड़े कहां से एकत्र किये हैं कि इलायची का औसत मूल्य गिरकर 300 रुपये प्रति किलो के आसपास हो गया है। वास्तविकता तो यह है कि इसका औसत मूल्य गिरकर 250 रुपये प्रति किलो हो गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका प्रश्न क्या है?

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर शुल्क प्रति किलो आधार पर लगाया जायेगा अथवा नहीं और क्या इसे औसत दर 327 रुपये प्रति किलो के हिसाब से निर्धारित किया जायेगा।

महोदय, काली मिर्च के बारे में यह कहा गया है कि श्रीलंका से इसका बहुत अधिक आयात हो रहा है और इसमें संदेह नहीं कि मूल्य गिरकर 60 रुपया प्रति किलो तक आ गया है। वर्ष 1999 में यह 236 रुपया प्रति किलो के आसपास था। किसान इसे अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार श्रीलंका से आयात होने वाली काली मिर्च की मात्रा तय करेगी और श्रीलंका के घरेलू उत्पादन से अधिक के निर्यात को अनुमति नहीं देगी और उनसे इस बात का प्रमाण पत्र लेगी कि इसका उत्पादन श्रीलंका में हा हुआ है। इसके अलावा, सरकार पुनर्निर्यात हेतु आयात पर 10 प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम मूल्य संवर्धन करेगी तथा केवल चुनिंदा बंदरगाहों से संगरोध तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को ध्यान में रखकर आयात करेगी।

महोदय, इस बारे में मूल्यस्थिरीकरण कोष की चर्चा की गयी है...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** अब आप सारे नियमों को ताक पर रख रहे हैं। आप मेरे लचीलेपन का फायदा उठा रहे हैं।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** महोदय, मैं श्री थामस के कथन से सहमत हूं। लेकिन उस योजना में केवल 100 किसान शामिल हुए हैं। इस योजना को पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है और इसमें सभी बाग-बगीचों तथा उद्यान फसलों को शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान में यह योजना केवल चाय, कॉफी, तम्बाकू तथा रबड़ जैसी फसलों तक सीमित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह मूल्यस्थिरीकरण कोष की स्थापना की दिशा में कार्य करेंगे और इन सभी फसलों को मूल्यस्थिरीकरण कोष के अंतर्गत लायेंगे।

महोदय, वर्तमान में इन सभी फसलों को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी शामिल किया जाना चाहिए। केरल में बाग-बगीचों में पैदा होने वाली किसी भी फसल को अभी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। मंत्री जी द्वारा इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में मैं मंत्री जी से सकारात्मक उत्तर की आशा करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपने इस विषय पर कभी भी मेरे कार्यालय में सूचना नहीं दी और बाद में आप इस विषय पर बोलने के लिए अवसर दिये जाने की मांग कर रहे हैं। मैंने आपको बोलने का अवसर भी दिया है लेकिन आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

**श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा):** महोदय, जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है कि कर्नाटक कॉफी का विशेष रूप से विश्वविख्यात कुर्ग कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन इसके मूल्यों में अस्थिरता के कारण मेरे राज्य में कॉफी उत्पादक बहुत अधिक परेशानी में हैं। उत्तर कर्नाटक में मिर्च उत्पादक भी मूल्य अस्थिरता के कारण परेशान हैं।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने के लिए कदम उठाये। इससे किसानों को कॉफी सहायता मिलेगी।

**श्री कमलनाथ:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां कई मुद्दे उठाये हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मूल्य स्थिरता कोष की बात पर आता हूं।

महोदय, मूल्यस्थिरीकरण कोष वस्तुत: 500 करोड़ रुपये वाली एक योजना थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह योजना शुरू न हो सकी। यह एक ऐसी योजना थी जिसे अच्छी तरह से आत्मसात नहीं किया जा सका। यदि माननीय सदस्य विस्तार से इस योजना का अध्ययन करें तो उन्हें इस बारे में स्वयं ही पता चल जायेगा। इस योजना में सुधार लाने और इसे व्यावहारिक बनाने के लिए हमने योजना आयोग के सलाहकार प्रो. प्रणव सेन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो इस बात पर विचार करेगी कि समिति किस तरह बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है। स्पष्टत: एक ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ हो। अपने वर्तमान रूप में यह योजना बिलकुल प्रयोज्य नहीं है। इस योजना की धनराशि 500 करोड़ रुपये या 1000 करोड़ रुपये हो सकती है, लेकिन अंतत: यह एक ऐसी योजना होनी चाहिए

[श्री कमलनाथ]

जिससे किसानों को अधिकाधिक लाभ हो। अपने वर्तमान स्वरूप में यह योजना प्रयोज्य नहीं है। माननीय सदस्य अपने इस वक्तव्य पर गौर करें कि यह एक बहुत अच्छी योजना थी। वास्तव में सरकार ने इस बारे में केवल घोषणा की थी पर यह योजना कभी भी शुरू नहीं हुई थी।

इसलिए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का ज्यादा जोर, जैसा कि कहा गया है, व्यापार समझौते के कारण मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव से है।

महोदय, मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही गलत धारणा है कि ये जो व्यापारिक समझौते हो रहे हैं उनके कारण सभी वस्तुओं की कीमतें गिर जायेंगी और किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। काली मिर्च के अलावा दूसरे मामले में, काली मिर्च के बारे में मैं बाद में बोलूंगा, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि श्रीलंका के साथ व्यापार समझौता पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया था। यह समझौता अभी नहीं हुआ है। वास्तव में इनमें से अधिकतर वस्तुओं के लिए समझौता पूर्व में हुए थे लेकिन हम इनका बहुत ही सावधानी से निरीक्षण कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनसे घरेलू उद्योग, विशेषकर हमारे किसान, प्रभावित न हों। जहां तक काली मिर्च का संबंध है, यह सच है कि काली मिर्च के मूल्यों में गिरावट आयी है। यह सच है कि इस पर 70 प्रतिशत सीमा शुल्क है लेकिन श्रीलंका से आने वाली काली मिर्च पर आयात शुल्क शून्य है। तथापि, भारत में सबसे अधिक मात्रा में काली मिर्च वियतनाम और इंडोनेशिया से आयात होती है। वियतनाम और इंडोनेशिया से लगभग 9000 टन काली मिर्च आयात होती है, जबकि श्रीलंका से गत वर्ष केवल 4900 टन काली मिर्च का ही आयात हुआ था...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** जब तक माननीय मंत्री महोदय अपनी बात समाप्त नहीं कर लेते मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री कमलनाथ:** यदि वह इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** मसाला बोर्ड कहता है कि इस वर्ष देश में 70 प्रतिशत की दर से काली मिर्च का आयात बिलकुल नहीं हुआ है। शून्य प्रतिशत सीमा शुल्क पर केवल श्रीलंका से आयात हुआ है और निर्यात करने के उद्देश्य से भी शून्य प्रतिशत पर आयात हुआ है। वास्तविकता यह है...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय के उत्तर के बाद यदि आपके कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं तो आप उन्हें बाद में पूछ सकते है।

**श्री कमलनाथ:** वास्तव में, मैं इसी बिंदु पर आ रहा था। मैं कह रहा था कि वियतनाम और इंडोनेशिया से जो 9000 टन काली मिर्च आयात हुआ उस पर 70 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क अदा किया जाना चाहिए था। मैं इन तथ्यों की जांच करा रहा हूं। लेकिन मेरी समझ से यह आयात अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत सीमा शुल्क का भुगतान किये बिना किया गया है। अब हमने काली मिर्च के लिए अग्रिम लाइसेंस की व्यवस्था को रोक दिया है। इसलिए अब श्रीलंका के साथ हुए व्यापार समझौते के अलावा किसी अन्य देश शून्य सीमा शुल्क पर काली मिर्च का आयात नहीं किया जायेगा।

जहां तक श्रीलंका का संबंध है हम इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठा रहे हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मामले को वहां के मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया है और उन्हें बताया है कि भारत में जो काली मिर्च भेजी जा रही है वह श्रीलंका की पैदावार नहीं है। श्रीलंका सरकार भी इससे परिचित है और हम श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, यदि हम आंकड़ों पर दृष्टि डालें और यह देखें कि इसके मूल्यों में किस तरह गिरावट आयी है तो हम यह सच्चाई देख पायेंगे कि 1999 में इसकी कीमत 215 रुपये प्रति किलो से गिरकर अब 70 रुपये प्रति किलो पर आ गयी है।

**एक माननीय सदस्य:** अब यह 64 रुपये प्रति किलो है।

**श्री कमलनाथ:** ठीक है, यह 64 रुपये प्रति किलो है। यह एक सच्चाई है कि एक मुश्किल स्थिति है और सरकार के लिए चिंता वाली बात है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए, हमने श्रीलंका से अधिकतम 10,000 टन काली मिर्च आयात करने के विषय पर बात कर रहे है। हम इस दिशा में आगे कार्यवाही करेंगे। लेकिन इन सब में एक समान बात यह है कि इन वस्तुओं के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर निर्भर करते हैं। आपके समक्ष मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 'वैनिलिन' की कीमत 10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। शुद्ध वैनिलीन का मूल्य 10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है और 250 किलोग्राम हरी बीन्स या 50 किलोग्राम संरक्षित बीन्स से एक किलोग्राम वैनिलीन प्राप्त होता है।

महोदय, जहां तक सिंथेटिक भाग का संबंध है तो यदि हम सिंथेटिक वैनिला का आयात करते हैं तो वैनिला बीन्स के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। यह असामान्य परिस्थिति मैडागास्कर में आए चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई थी। अत: वनीला बीन्स मूल्य बढ़ गए। हमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा घरेलू मूल्यों में परस्पर सम्बन्ध

को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। वस्तुत: वैनिला के मूल्य इतने अधिक बढ़ गए कि किसानों ने सभी प्रकार के ऋण ले लिए और असामान्य परिस्थितियों में दिए गए ऋणों से उत्पन्न गंभीर समस्याओं से निपटने में हमें बहुत कठिनाइयां हुईं।

महोदय, जहां तक चाय का संबंध है, चाय हमारी चिंता का विषय है। मैं सभा में यह कह चुका हूं कि चाय हमारी चिंता का विषय है। हमने कई वर्षों से अपने बागानों का कायाकल्प नहीं किया है। हमने नए पौधे नहीं लगाए हैं। उच्च लागत तथा पौधों को पुन: न उगाना ही समस्या की जड़ है। यह सत्य है कि बागान बंद हुए हैं।

लगभग 34 बागान, जिनमें से चार असम में, 10 पश्चिम बंगाल में, 19 केरल में तथा एक त्रिपुरा में है, बंद हो चुके हैं, जिससे लगभग 21,000 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक बैठक आयोजित कर रहा हूं। मैंने इस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के साथ एक चाय सम्मेलन किया है। मैं संसद सदस्यों के साथ भी बैठक कर रहा हूं। हम एक चाय पैकेज पर विचार कर रहे हैं। चाय उद्योग की समस्या यह है कि औद्योगिक मूल्यों में वर्ष 1999 से तेजी से गिरावट आई लेकिन गत छह माह के दौरान चाय के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

जहां तक कॉफी का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा कि यह सत्य है कि हमारी कॉफी का 80 प्रतिशत भाग निर्यात होता है और पुन: मांग-आपूर्ति की स्थिति से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रभावित होते हैं। इसका आयात से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक व्यापार समझौतों का सम्बन्ध है इनके अन्तर्गत कॉफी का आयात नहीं होता है। इलायची की नगण्य मात्रा में आयात होता है 59 टन इलायची का आयात किया गया था, जिसका हिस्सा केवल आधा प्रतिशत है। अत: यह सोचना कि आयात और वह भी व्यापार समझौतों के अन्तर्गत किया गया आयात, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, मेरे विचार से उचित नहीं है। केवल 59 टन इलायची का आयात किया गया है। इलायची का मूल्य वर्ष 2001-02 में विश्व बाजार में 622 रुपये से गिरकर वर्तमान में लगभग इसका आधा हो चुका है। अत: यही जीवन का सत्य है। इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ वस्तुओं के मामले में हम इस चक्र के तल में रहे हैं। हमने ऊपर बढ़ना आरम्भ किया। लेकिन कुछ वस्तुओं के मामले में हम सबसे नीचे ही बने हुए हैं। कभी-कभी, यह बहुत ही असामान्य परिस्थिति दो वर्षों तक बनी रहती है, जैसा कि वैनिला आदि के मामले में हुआ है।

अब, विशेष प्रश्नों के सम्बन्ध में, मैंने कहा है कि हम 'मूल्य स्थिरता कोष' पर कार्य कर रहे हैं। एक समिति का गठन किया गया है। मैं उनके साथ सम्पर्क में हूं। सदस्य इससे अवगत हैं। लेकिन, जैसा कि माननीय संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है, मैं इन वस्तुओं के उत्पादकों तथा बागान क्षेत्र से और अधिक चर्चा करूंगा।

जहां तक काली मिर्च और मात्रात्मक प्रतिबंधों का सम्बन्ध है, मैं नहीं सोचता कि मात्रात्मक प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता है। मैंने इसके बारे में श्रीलंका सरकार से पहले ही बातचीत कर ली है। जहां तक मालाबार काली मिर्च हेतु भौगोलिक सूचनाओं का सम्बन्ध है, विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत सौदेबाजी में हम दार्जिलिंग चाय, असम चाय आदि जैसे सभी मुद्दों को उठा रहे हैं। हम यह देखेंगे कि क्या हम भौगोलिक सूचकांकों में मालाबार की काली मिर्च को सम्मिलित कर सकते हैं।

एक प्रश्न यह भी था कि क्या हम शुल्कों की विशेष दरें निर्धारित करने के इच्छुक हैं। यह परिवर्तन मूल्यनुसार दरों पर हुआ है। मेरे विचार से विशेष दरें निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से हमने घरेलू बाजार के लिए जो सुरक्षात्मक उपाय किए हैं वे पर्याप्त हैं। हमें बाध्यकारी दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी मामले में यह 70 प्रतिशत है। हमें इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अग्रिम लाइसेंसों की अवधि न बढ़ाने या उन्हें निरस्त करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने काली मिर्च के मामले में किया है, तो मेरे विचार से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हमें एक तथ्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। वह तथ्य यह है कि कई बार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक हो जाते हैं। हमारे किसान इन उच्च अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आदी हो जाते है और फिर यदि ये मूल्य नीचे गिरकर अपने पूर्ववर्ती सामान्य मूल्यों पर आ भी जाते हैं तो यहां चिंता होने लगती है कि मूल्य क्यों गिर रहे हैं। कृत्रिम रूप से बढ़े मूल्यों को, हमारे किसान समुदाय को सामान्य मूल्य मानकर नहीं चलना चाहिए।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** मूल्यों में गिरावट, बहुत छोटी अवधि के लिए नहीं हुई है। गत चार वर्षों से मूल्यों में गिरावट हो रही है। वे इसे कैसे बरकरार रख सकते हैं?

**श्री कमलनाथ:** यह केवल काली मिर्च का मामला है।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** इलायची के बारे में क्या कहना है?

**श्री कमलनाथ:** इलाचयी का मूल्य वर्ष 2001-02 में 622 रुपये था। वर्ष 2003-04 में यह 361 रुपये था। अब यह 300 रुपये है। लेकिन आयात के कारण ऐसा नहीं हुआ है। यह ग्वाटेमाला जैसे कुछ देशों द्वारा उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ है। यदि अन्य देश इसे उगाने लगते हैं तो मांग-पूर्ति की स्थिति प्रभावित हो

[श्री कमलनाथ]

जाएगी। अन्यथा हमारे देश में मांग बढ़नी चाहिए। अब, यदि हमारे देश में ही इलायची की मांग नहीं बढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। अन्य देशों ने इसे उगाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, वियतनाम को ही लें। वियतनाम में 15 वर्ष पूर्व काली मिर्च नहीं उगाई जाती थी। आज वे काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक में से एक हैं और भारत को वे सबसे अधिक निर्यात भी करते हैं।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** इलाचयी के मामले में उत्पादकों की यह शिकायत है। अब इलायची और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में ऑन-लाइन व्यवसाय आरम्भ हो गया है। ऑन-लाइन बाजार में केवल वही मूल्य उद्धृत किया जाता है जो उन्हें नीलामी बाजार में मिलता है। जमीनी वास्तविकता यह है कि नीलामी स्थल पर उन्हें 200 और 250 रुपये के बीच मूल्य मिलता है। लेकिन नई दिल्ली में, हम एक किलो इलायची के लिए लगभग 1000 रुपये का भुगतान करते हैं। इन दो आंकड़ों के बीच की राशि कहां चली जाती है? हमें यह समझ नहीं आता। अत: क्या सरकार इन ऑन-लाइन व्यवसाय पर गंभीरता से दृष्टिपात करेगी?

**श्री कमलनाथ:** यह सत्य है कि वहां ऑन-लाइन व्यवसाय की नई विधियां हैं। आज, इन सभी वस्तुओं का मूल्य ऑन-लाइन पर उपलब्ध है। आप इसे उसमें रखें और यह इंटरनेट पर उपलब्ध है। आजकल व्यापारी बहुत चतुर हो गए हैं। यह निसंदेह सत्य है। अत: हमें कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। यहां कोई निर्देश रणनीति नहीं हो सकती है। हमें एक तरीका निकालना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि इससे घरेलू मूल्य प्रभावित न हों...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** लेकिन कृपया इस पर अपनी चिंता से अवगत कराएं और इसपर ध्यान दें।

अब श्री थामस अपनी बात कहेंगे। लंबा भाषण न दें। इस विषय के महत्त्व को देखते हुए मैं बहुत समय दे रहा हूं।

**श्री पी.सी. थामस:** महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पूरी सभा आपकी शुक्रगुजार है। मैंने निर्यात पर राजसहायता संबंधी सुझाव दिया है...(*व्यवधान*) मैंने निर्यात पर राजसहायता संबंधी सुझाव दिया है। इससे निपटने का यह एक मार्ग है। इसमें दो मामले सम्मिलित हैं। किसानों के इन सभी उत्पादों पर निर्यात सम्बन्धी राजसहायता दी जा सकती है। किसानों को बढ़ावा देने तथा उनकी सहायता करने का यह एक नया तरीका है। यह रबड़ के मामले में भी किया गया है। यद्यपि अब इसे वापस ले लिया गया है, पर यह किया गया है। इससे यह पता चला है कि यह किया जा सकता है। अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप चाय, कॉफी, वैनिला, इलायची, सुपारी, तम्बाकू और ऐसे ही अन्य उत्पादों पर निर्यात संबंधी राजसहायता देना आरम्भ कर सकते हैं? दूसरे, यहां उत्पादन लागत की बात भी है। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** मैं नहीं जानता कि उत्पादन लागत के बारे में वे क्या कर सकते हैं। मंत्री महोदय, क्या आप निर्यात संबंधी राजसहायता देने पर विचार कर रहे हैं?

**श्री कमलनाथ:** राजसहायता संबंधी शासन प्रणाली का हमें विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा...(*व्यवधान*)

**श्री पी.सी. थामस:** आप पहले ही रबड़ के लिए यह दे चुके हैं। इसे अन्य उत्पादों के लिए क्यों नहीं दिया जा सकता?

**श्री कमलनाथ:** सभी प्रकार की राजसहायता को विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होना पड़ेगा। यदि हम अपनी निर्यात वस्तुओं—जैसे उदाहरण के लिए रबड़ पर राजसहायता देने लगें तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम हमारे साथ ही प्रतियोगिता करने के लिए अंतिम उत्पाद तैयार करने हेतु दूसरों को सस्ती रबड़ उपलब्ध करा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** मेरे विचार से माननीय मंत्री जी केरल के सभी संसद सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं। वे इसके बारे में बहुत परेशान हैं।

...(*व्यवधान*)

**श्री जे.एम. आरून रशीद** (पेरियाकुलम): तमिलनाडु के सदस्य भी क्षुब्ध हैं...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** मैं समझता हूं कि तमिलनाडु के सदस्य भी क्षुब्ध हैं। सभी राज्य जो इन उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, क्षुब्ध हैं।

...(*व्यवधान*)

**श्री कमलनाथ:** इन सब पर पूर्ण रूप से विचार करना पड़ेगा। एक है हमारा घरेलू बाजार, हमारी घरेलू मांग, और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय बाजार और मांग का प्रश्न...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपकी ओर से वकालत कर रहा हूं। मैंने पहले ही इस संबंध में उनसे अनुरोध किया है।

अब, हम तात्कालिक लोक महत्व के मामलों को लेंगे। श्री रामजीलाल सुमन।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री रामजीलाल सुमन, शीघ्रली बोलिए, ज्यादा समय नहीं है।

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद): मैं संक्षेप में ही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी दवाओं का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। अमरीका और यूरोप के देशों ने जिन घातक दवाओं के प्रयोग पर पाबंदी लगाई थी, पेटेंटधारी व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत जैसे देश को वे दवाएं बेचने का अड्डा बना लिया है। जहां अमरीका और यूरोप, जिन्होंने वहां उन दवाओं पर पाबंदी लगा दी है, वे हमारे देश के बाजारों में बिक रही हैं। वहीं बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं, उनमें से 35 प्रतिशत नकली दवाएं हमारे देश में ही बनती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन नकली दवाएं पकड़े जाने के समाचार समाचार पत्रों में न छपते हों। अभी हाल ही में गाजियाबाद के साहिबाबाद में 7 करोड़ रुपये की नकली दवाएं पकड़ी गईं। इंदौर के आवासीय क्षेत्र में दवाओं का बीस वर्ष पुराना अवैध कारखाना पकड़ा गया है। अलीगढ़ और आगरा में अभी छापे पड़े हैं जहां से करोड़ों रुपये की अवैध दवाएं बरामद हुई हैं। उन दवाओं का बहुत ही बुरा प्रभाव लोगों के ऊपर हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो घातक अवैध अंग्रेजी दवाएं बिक रही हैं, उनके लिए सख्त कानून बनाने के लिए, जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब उस समय की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा था कि हम बहुत कठोर कानून बनाने वाले हैं और उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। अभी राज्य सभा में इस सरकार ने कहा है कि नकली दवाएं खतरनाक रूप से ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं।

यह बहुत गंभीर मामला है। इसके लिए दंड का जो प्रावधान है, वह बहुत ही लचीला और कम है। जब उस साइड के लोग सरकार में थे तब उन्होंने वायदा किया था कि हम इस संबंध में एक बिल लायेंगे जिसमें बहुत ही सख्त कानून का प्रावधान करेंगे। यह सरकार भी कहती है कि उस बिल का मसौदा तैयार हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस अनिश्चितता के वातावरण में ज्यादा समय तक नहीं रहा जा सकता। हम जरूर जानना चाहेंगे कि सरकार यह बिल कब तक लायेगी क्योंकि इन घातक दवाइयों से लोगों की जिंदगी बच नहीं रही है। यह जहर बिक रहा है। इससे लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह बिल कब तक लायेगी?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री जी इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान दें।

*[हिंदी]*

**श्री टेक लाल महतो** (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के हजारीबाग, जिला विष्णुगढ़, थाना विष्णुगढ़ नेरकीपथ, विष्णुगढ़ बगोदर पथ-टाटीझरिया पथ में आये दिन डकैती एवं लूट की घटनाएं घटती रहती हैं। आरक्षी अधीक्षक, गिरिडीह श्री संजय लटेकर को भी इसका शिकार होना पड़ा है। दिनांक 10-12-04 को शाम साढ़े आठ बजे विष्णुगढ़ नेरकीपथ पर मेरे ऊपर बम एवं पिस्तौल से हमला किया गया। इस हमले में मैं बाल-बाल बच गया किन्तु मेरे अंगरक्षक से सर्विस रिवाल्वर तथा कार्यकर्त्ताओं से मोबाइल, घड़ी एवं नकद रुपया छीन लिया गया। लुटेरे को ग्रामीणों द्वारा पकड़ कर थाना प्रभारी विष्णुगढ़ को दिया गया किन्तु लुटेरा फरार होने में सफल हो गया।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री टेक लाल महतो, मैं गृह मंत्रालय से एक तथ्यात्मक नोट मंगा रहा हूं और मैं इस पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने एक रिपोर्ट मंगाई है। तत्पश्चात्, मैं स्वयं इस पर विचार करूंगा।

*[हिंदी]*

**श्री टेक लाल महतो:** अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ दो बार ऐसी घटना घट चुकी है। मुझे इस बात की आपत्ति है कि विष्णुगढ़ के थाना प्रभारी ने लुटेरे को छोड़ दिया।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपके लाभ के लिए कुछ मांग रहा हूं।

*[हिंदी]*

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पूर्व में एन.डी.ए. सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी जिसके तहत साढ़े सात सौ की आबादी के जितने भी गांव हैं, उनको मुख्य सड़क से जोड़ा जाना था। इसके साथ एक योजना यह भी थी कि वर्ष 2005 तक 500 की आबादी के सारे गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जायेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह योजना अभी भी है? क्या 500 की आबादी के जितने भी गांव हैं, उन्हें वर्ष 2005 तक मुख्य सड़क से जोड़ने का कोई प्रावधान

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

है? अगर है तो वह भी बताया जाये अन्यथा अभी तो यह स्थिति है, खासकर राजस्थान की बात लें तो वहां पर सिर्फ 900 की आबादी के गांव को ही मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। उसके आगे वहां कोई योजना केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं है। इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें।

---

## सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) **इंडो-नेपाल समझौते के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात के कारण पूर्वी क्षेत्र में घरेलू वनस्पति उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, मेरे सामने 48 सूचनाएं हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं। मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया धीरज रखिये।

**अपराह्न 12.57 बजे**

**श्री रूपचंद पाल** (हुगली): माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 दिसम्बर 1996 को भारत-नेपाल संधि के नवीकरण से घरेलू वनस्पति उद्योग को कठिनाई हो रही है और अभी हाल ही में 4 अक्तूबर, 2004 को विदेश व्यापार महानिदेशक ने राज्य व्यापार निगम, जिसे नेपाल से वनस्पति का आयात करने के लिए अधिकृत किया गया है, को ऐसे एसोशिएट नियुक्त करने, जो वनस्पति का वितरण भी कर सकें, की अनुमति देते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप, हम देखते हैं कि घरेलू वनस्पति उत्पादकों, विशेषकर जो भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है, को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए, मेरी मांग है कि राज्य व्यापार निगम को स्वयं सामग्री का आयात करना चाहिए और किसी एसोशिएट के माध्यम से नहीं, जैसा कि हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी सूचना में अधिसूचित किया गया है। एक लाख मी. टन के कोटे के समक्ष आयात यथानुपात मासिक आधार पर किया जाना चाहिए और घरेलू उद्योग की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आयात की कोई सीमा नहीं है।

**अपराह्न 1.00 बजे**

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात के लिए यह भारत-नेपाल संधि घरेलू वनस्पति उद्योग को कोई गम्भीर नुकसान न पहुंचाए। माननीय मंत्री यहां हैं। वह उत्तर देने के लिए सहमत हो गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। उत्तर देना उन पर निर्भर करता है।

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ):** महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि नेपाल से शुल्क मुक्त संधि के अंतर्गत आयात का समान विस्तार होना चाहिए ताकि नेपाल से आने वाला इसका स्थानिक प्रभाव एक संकट न बने।

राज्य व्यापार निगम इसका स्वयं आयात नहीं कर सकता। कोलकाता उच्च न्यायालय में एक न्यायिक मामला है। एक या दो न्यायिक मामले थे जिनमें उन्होंने करोड़ों रुपए का भारी शुल्क लगाया है। यह उस पक्ष को दुरुस्त करने के लिहाज से करना पड़ा। परन्तु मैं समझता हूं कि एक नई योजना शुरू करनी पड़ेगी। हम इस सच्चाई के प्रति सचेत हैं कि इसे एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं किया जा सकता और इसे समय-समय पर संपूर्ण देश में फैलाना पड़ेगा। हम इसे सुनिश्चित करेंगे...(*व्यवधान*)

**श्री रूपचंद पाल:** एसोशिएट की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।

**श्री कमलनाथ:** एसोशिएट की व्यवस्था को समाप्त करना ही एकमात्र उत्तर नहीं है। यह उद्देश्य पूरा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें अच्छा जवाब ढूंढना होगा।

---

*[हिंदी]*

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, केरोसिन तेल का जो वितरण देश में होता है, वह दो तरह से किया जाता है। एक तो ओपन मार्केट में मिलता है और दूसरे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग आते हैं, उनको जन वितरण प्रणाली द्वारा केरोसिन तेल वितरित किया जाता है। लेकिन कठिनाई यह है कि जिन लोगों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से मिलना चाहिए, उनको जन वितरण प्रणाली की दुकानों से समय पर नहीं मिलता है। इन दुकानों में आने के दो-तीन महीनों के बाद यह केरोसिन तेल ब्लैक मार्केट में चला जाता है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि चीनी पर नियंत्रण इसी तरह से पहले था जिसे हटा लिया गया और समस्या खत्म हो गई। इसी तरह से केरोसिन तेल से भी नियंत्रण समाप्त कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। चोरबाजारी लोग नहीं करेंगे और सरकार इस पर नियंत्रण समाप्त करे, यही हमारी मांग है।

**श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, झारखंड में इस बार एक दर्जन से ज्यादा जिलों में अकाल और सुखाड़ एवं आधे दर्जन से भी ज्यादा जिलों में एक दाना भी अनाज का नहीं रोपा गया जिसके कारण वहां उन इलाकों में बहुत भुखमरी हो रही है। सौ से ज्यादा लोग भूख से मर गये हैं और डेढ़ लाख लोग झारखंड से पलायन कर रहे हैं। झारखंड की सरकार कुछ करने में अक्षम है। केन्द्रीय सरकार की टीम वहां गई थी और सर्वेक्षण करके भी आई थी। गढवा, पलामू, लतिहार, हजारीबाग, चतरा आदि जिलों में दस प्रतिशत भी पैदावार नहीं हुई है और सरकार इस समस्या पर काबू नहीं कर पाई है और लोग भूख से मर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आज भूख और अकाल से जो लोगों की मृत्यु हो रही है और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, केन्द्र सरकार स्पेशल पैकेज देकर लोगों को भूख से बचाए और लोगों को वहां से पलायन करने से रोके।

**श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे** (उस्मानाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र राज्य में हो रहे जल संकट की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। पिछले तीन वर्षों से महाराष्ट्र में समय पर बारिश न होने के कारण राज्य में पानी की अत्यधिक कमी हो रही है जिसके कारण किसानों को खेतों के लिए तथा जन मानस को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की कमी से कृषक वर्ग पर बहुत अधिक ऋण का बोझ पड़ रहा है और दिनों-दिन खेतों में लाखों रुपये की फसल का नुकसान हो रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 15 शुगर फैक्टरीज हैं और इनमें हजारों लोग काम करते हैं। लेकिन बारिश के कम होने के कारण गन्ने के उत्पादन में कमी हो रही है और शुगर की फैक्टरी बंद होने के कारण लोगों को काम नहीं मिल रहा है और हजारों मजदूर काम न होने के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस जल संकट के समाधान और बेकारी से निपटने की दिशा में सरकार ने क्या उपयुक्त कदम उठाए हैं?

**श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर** (कृष्णा नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान खिलाड़ियों को पेंशन मिलने से सम्बन्धित विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। 1994 में केन्द्र सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई थी कि जो खिलाड़ी ओलम्पिक में, एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल लेकर आएंगे, उनको पेंशन दी जाएगी। करीब 250 खिलाड़ियों को इस योजना के तहत पेंशन का फायदा मिल रहा था। लेकिन जुलाई, 2004 में इस सरकार द्वारा उस योजना को रिवाइज करके कहा गया कि जो ऐसे खिलाड़ी हैं और नौकरी कर रहे हैं, उनको इस योजना के तहत पेंशन नहीं मिलेगी। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूं कि 2002 में भारत की कबड्डी की टीम गोल्ड मैडल लेकर आई थी। उसके पांच सदस्यों ने 2003 में पेंशन के लिए एप्लाई किया। लेकिन उन लोगों को 2004 में लागू हुई इस नीति के तहत नौकरी में होने के कारण इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उसने पुरानी योजना को जो रिवाइज किया है, उस पर विचार करे और 1994 वाली जो योजना है, उसको लागू करे, जिससे पूरे देश के इन विजेताओं को पेंशन का लाभ मिल सके।

**अध्यक्ष महोदय:** आज मेल सदस्यों को कम मौका देंगे।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती मनोरमा माधवराज** (उदुपी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले विवादों तथा कड़े जनविरोध के कारण मंगलोर में प्रस्तावित अमरीका कोर्जेंट्रिक्स कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित की जाने वाली कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना का विचार छोड़ना पड़ा था। अब, नागार्जुन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सक्षम प्राधिकारियों यथा सी.ई.ए. और के.ई.आर.सी. से कोई वैध अनिवार्य मंजूरी के बिना उसी स्थान पर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इस परियोजना से, क्षेत्र में वनस्पति और समुद्री जीवन दोनों को भारी पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय क्षति पहुंचेगी। इस क्षेत्र के लोग इस परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसके विपरीत लोग तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा गैस-आधारित ताप विद्युत संयंत्र हेतु लाई गई परियोजना का स्वागत करेंगे, जिससे ऐसा कोई पर्यावरणीय अथवा समुद्री प्रदूषण का संकट उत्पन्न नहीं होगा।

मैं केंद्र से अनुरोध करती हूं कि क्षेत्र के निवासियों के व्यापक हित में हस्तक्षेप करें और नागार्जुन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आगे मंजूरी न दें।

*[हिंदी]*

**श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** (वडोदरा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ग्रामीण इलाकों में, सैमी रूरल एरियाज में जो ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्माल एंटरप्रिन्योर कहे जाते हैं, ब्रिक निर्माण करते हैं। जो नई पर्यावरण नीति है, उसमें सरकार द्वारा कई बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों के तहत इन ईंट बनाने वाले छोटे एंटरप्रिन्योर्स को और निर्माताओं को अपनी-

[श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर]

अपनी यूनिट्स में हाई टावर चिमनी लगाने के लिए कहा गया है। गांवों में सड़कों आदि की सहूलियतें नहीं हैं, ऊपर से इस नियम के कारण ये ब्रिक यूनिट्स बंद हो रही हैं और कई बंद हो चुकी हैं। इस वजह से कंस्ट्रक्शन्स के काम बंद हो गए हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए उद्योगों से जिन लोगों को काम मिलता था, वे उद्योग भी बंद हो गए हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि इस नीति को अगर रिव्यू करना पड़े तो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे-छोटे एंटरप्रिन्योर्स हैं, ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये वह टावर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए सरकार को उनके प्रति ध्यान देना चाहिए और इस पर विचार करे।...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप क्यों बोल रहे हैं? जब तक मैं अनुमति न दूं, तब तक कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*...

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे कुछ विषयों का चयन करना पड़ेगा। सभी महत्वपूर्ण विषय हैं।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने धान की सामान्य किस्म और धान की अच्छी किस्म के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कपास के मामले में, उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश में किसानों को अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और परिणामस्वरूप कपास उगाने वाले किसान संकट में हैं। महाराष्ट्र में सरकार 'मार्कफेड' के माध्यम से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीद रही है। आंध्र प्रदेश में कपास निगम ने अभी तक केवल 10 प्रतिशत कपास की खरीद की है। शेष 90 प्रतिशत कपास को किसानों द्वारा औने-पौने दाम पर बेचा जा रहा है। भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 200 दिनों के शासन के दौरान 2000 किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार में अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में कुछ करें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं इस मामले पर माननीय गृह मंत्री से जवाब देने के लिए कहता हूं।..(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया तुरंत उत्तर देने के लिए बाध्य करने की आदत को छोड़ दीजिये।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** महोदय, आंध्र प्रदेश में बहुत ही खतरनाक स्थिति है...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** यदि आप सहयोग नहीं कर सकते तो मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी।

...(*व्यवधान*)

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** महोदय, गृह मंत्री यहां हैं। मैं उनसे उत्तर देने का अनुरोध करता हूं...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** आप एक दल के नेता हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं किसी को उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूं।

श्री हंसराज जी. अहीर, श्री जी.एम. सिद्दीश्वर, श्री प्रहलाद जोशी और श्री एस. मल्लिकार्जुनैया इस मामले से सम्बद्ध होने की कृपा करेंगे।

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** कोई भाषण नहीं।

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** आपने इस सप्ताह एक मामला उठा दिया है। एक सप्ताह में, दूसरा विषय उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अब, श्री अनंत कुमार।

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** मैं संभावित कार्रवाई के लिए केवल आपके नाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं।

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अनंत कुमार की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

**अपराह्न 1.12 बजे**

**(दो) कर्नाटक के किसानों को फसल बीमा देयों का भुगतान न किए जाने के बारे में**

**श्री अनन्त कुमार** (बंगलौर दक्षिण): महोदय, कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इसका कारण है फसल बीमा का भुगतान न होना, विशेषकर भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा, जिसने वर्ष 2003-04 की रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों हेतु 221 करोड़ रुपये का वितरण नहीं किया है। किसान इसकी मांग कर रहे हैं...(*व्यवधान*) वह आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें बीमा धन प्राप्त

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं हो रहा है। वे सरकार को दिये गये प्रीमियम को वापस चाहते हैं। उनकी दशा बहुत शोचनीय है। महिलाओं ने प्रीमियम राशि का भुगतान करने के लिए अपने मंगलसूत्र बेच दिये और अब उन्हें कोई राहत नहीं दी जा रही है। बीमा धन न पाने, और प्रीमियम स्वरूप चुकता की गयी राशि के भी वापस न हो पाने के कारण कर्नाटक के किसान बहुत अधिक परेशानी में हैं। आज इस मुद्दे पर भाजपा के सभी सांसद धरने पर बैठे थे। कर्नाटक में भी हमारे सभी विधायक कर्नाटक विधानसभा के सामने धरने पर बैठ रहे हैं।

अत: महोदय, आपके माध्यम से हम केन्द्र सरकार से यह मांग करते हैं वह इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करे और कर्नाटक के किसानों को उनकी त्रासदी से उबारने के लिए 221 करोड़ रुपये की बीमा राशि का वितरण कराये। माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील यहां बैठे हैं, जो किसानों के बहुत हितैषी हैं। महोदय, आपके माध्यम से मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड 221 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान करे ...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** दुर्भाग्य से उनके पास किसानों को वितरित करने के लिए इतना पैसा नहीं है।

...(*व्यवधान*)

**श्री अनन्त कुमार:** महोदय, वह बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं। 221 करोड़ रुपये की यह धनराशि भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा कर्नाटक के किसानों को दी जानी चाहिए। इस राशि का भुगतान तुरन्त किया जाना चाहिए क्योंकि किसानों ने कृषि बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान किया है और यह वर्ष 2003-04 के लिए देय है। महोदय, मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कर्नाटक के किसानों को यह आश्वासन दें...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** वह कैसे आश्वासन दे सकते हैं। उनका इससे कोई संबंध नहीं है।

...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** जब अध्यक्ष किसी मामले को उठाने की अनुमति देते हैं तो सरकार को उस मामले को गंभीरता से लेना होता है। यह एक सीधी सी बात है।

...(*व्यवधान*)

**श्री अनन्त कुमार:** महोदय, आपके माध्यम से मैं केवल सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गंभीरता से ले। महोदय, गृह मंत्री जी इसका उत्तर देने को तैयार हैं...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए।

...(*व्यवधान*)

**श्री अनन्त कुमार:** महोदय, गृहमंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं...(*व्यवधान*)

**अध्यक्ष महोदय:** वह इसे उपयुक्त मंत्री के संज्ञान में लायेंगे।

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** महोदय, मैं इसे कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा और उनसे इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने की बात करूंगा।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं श्री चन्द्र शेखर दूबे को बोलने की अनुमति देता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र शेखर दूबे** (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, आदिवासी बाहुल्य प्रान्त झारखंड में धनबाद जिले के टुण्डु में स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के लेड स्मेलटर की स्थापना 1942 में सुरक्षा-सामग्री लेड के उत्पादन हेतु की गई थी। मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया नामक इस कारखाने ने प्रारम्भ काल से न सिर्फ सराहनीय उत्पादन सेवा की बल्कि देश की सेवा में तीन विशाल एवं गौरवशाली कारखाने एक विशाखापट्टनम में तथा दो राजस्थान के देवारी एवं चन्देरिया में प्रदान किए। 1966 में भारत सरकार द्वारा इस प्रतिष्ठान समूह का नामाकरण कर इसे हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का नाम दिया गया। भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत 11-4-2002 को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का 26 प्रतिशत शेयर व सम्पूर्ण प्रबन्धकीय प्रभार मैसर्स स्टार लाइट एंड वैन्चर्स लिमिटेड को दिया गया।...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, आप इस तरह लिखे हुए भाषण को यहां नहीं पढ़ सकते। भविष्य में मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र शेखर दूबे:** लेकिन दो साल के भीतर ही मैसर्स स्टार लाइट ने दिनांक 23-2-2004 को हिन्दुस्तान जिंक की प्रमुख टुण्डु इकाई को बंद कर दिया।...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** विशेष उल्लेख के दौरान पढ़कर बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। श्री चन्द्रशेखर दूबे मैं भविष्य में इसकी अनुमति नहीं दूंगा। किसी को भी इस तरह की अनुमति नहीं दी जायेगी।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र शेखर दूबे:** मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि टुंडु इकाई जिस की श्रमिक संख्या 742 थी, मैनेजमैंट के मजदूर विरोधी रवैये के चलते अब घट कर मात्र 292 रह गई है।...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री चन्द्रशेखर दूबे, आपको इस तरह यहां दो पेज पढ़कर बोलने की अनुमति नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र शेखर दूबे:** अध्यक्ष महोदय, वे आज करीब एक साल से वेतन न मिलने के कारण भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री चन्द्रशेखर दूबे, आप मेरी सदाशयता का फायदा उठा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र शेखर दूबे:** मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मैसर्स स्टार लाइट एंड वैन्चर्स लिमिटेड के प्रबन्धन ने सारे नियम कानून को तोड़ कर इस कारखाने को बंद किया है। केन्द्र सरकार मजदूर हित में कठोर से कठोर कदम शीघ्र उठाए जिससे लेड स्मेलटर टुण्डु इकाई पुन: चालू हो सके। साथ ही सभी मजदूरों को वेतन का भुगतान कर भुखमरी से बचाया जा सके।

**अपराह्न 1.16 बजे**

*तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.15 बजे**

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत हुई।

**(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)**

## मंत्री द्वारा वक्तव्य*

## उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जालंधर पठानकोट खंड पर रेल दुर्घटना

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू):** उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के पठानकोट सैक्शन पर आज जो ट्रेन हादसा हुआ है...(*व्यवधान*) जनाब, मैं वही मंत्री जी से कहूंगा...(*व्यवधान*)

**श्री संतोष गंगवार (बरेली):** हम चाहते हैं कि उस दुर्घटना के वास्तविक तथ्य और सारी बातें सामने आयें।

**उपाध्यक्ष महोदय:** अभी लालू जी बतायेंगे।

...(*व्यवधान*)

**उपाध्यक्ष महोदय:** अभी लालू जी बोल रहे हैं।

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** उपाध्यक्ष जी, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि ट्रेन एक्सीडैन्ट की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं बहुत भरे दिल से सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि जब मैं हाउस में आया तो मुझे यह सूचना मिली कि आज दिनांक 14-12-2004 को जालंधर से पठानकोट जा रही पैसेंजर जम्मू-तवी एक्सप्रैस से करीब 12 बजे टकरा गई। जालंधर-पठानकोट का एक पैसेंजर डिब्बा उलट गया है तथा जम्मू-तवी एक्सप्रैस का इंजन एवं एक डिब्बा पटरी से उतर गया है। घटनास्थल जालंधर-पठानकोट सैक्शन में बंगर-मिरथला स्टेशन के बीच में है। यह स्थान रेलवे के फिरोजपुर मंडल में है तथा पंजाब के होशियारपुर जिले में है। मुझे अभी जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक इस दुर्घटना में लगभग 25 व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना है तथा लगभग 30 व्यक्ति घायल हो सकते हैं। मैडिकल रिलीफ वैन पठानकोट-अमृतसर भेज दी गई है। घायलों को अस्पताल भिजवाया जा रहा है। मैं स्वयं सारे बोर्ड के सदस्यों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो रहा हूं और सारे कारणों का मुआयना करके जो भी दोषी होंगे तथा जो भी कार्यवाही करनी होगी, वह करेंगे और रिलीफ तथा मुआवजे का काम भी मैं देखूंगा तथा यह भी देखूंगा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना क्यों हुई।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 1106-ए/04

**श्री संतोष गंगवार:** उपाध्यक्ष जी, जो दुर्घटना हुई है, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी कल के बाद उसकी जानकारी करवायें। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें जा रही थीं।..*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अभी उन्होंने स्टेटमैन्ट दे दिया है।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): ऐसी दुर्घटना होना ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन उन्होंने स्टेटमैन्ट दे दिया है।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या रेल मंत्री जी इस पर इस्तीफा देंगे, इस पर कैसे और क्या होगा। यह बहुत ही भयंकर दुर्घटना है।..*(व्यवधान)*

**श्री संतोष गंगवार:** दोनों स्टेशनों के बीच में...*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): आपके समय में भी रेल दुर्घटनाएं हुई थीं।..*(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 2.18 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) तमिलनाडु में नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री धनुषकोडी आर. अतिथन** (तिरूनेलवेली): महोदय, तमिलनाडु के थूथुकुडि जिले में नमक उत्पादन महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। यहां लगभग 15,000 एकड़ भूमि का उपयोग नमक उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगभग 50,000 श्रमिक नमक उत्पादन के कार्य में संलग्न हैं। लेकिन अब यह उद्योग बंद होने की कगार पर है।

अब, नमक वाले क्षेत्र में बोर-वेल की गहराई 150 से 200 फुट हो गयी है और बिजली की खपत तीन से चार गुना बढ़ गयी है। साथ ही, बिजली का शुल्क भी असाधारण रूप से बढ़ गया है। नमक उत्पादन अधिक होने के कारण, नमक उत्पादकों को अपना नमक 250 रुपये प्रति टन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जबकि बालू (रेत) 450 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेची जा रही है। इतना ही नहीं, नमक उत्पादकों को अनावश्यक रूप से मिलावट के मामलों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि इस बारे में सचाई यह है कि नमक में किसी अन्य वस्तु से मिलावट नहीं की जा सकती क्योंकि यह बालू से भी सस्ता है। 90 प्रतिशत से कम सोडियम क्लोराइड वाला नामक थोड़ी कम गुणवत्ता वाला नमक है लेकिन इसे मिलावटी नमक नहीं माना जा सकता।

मेरा केन्द्र व राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह तमिलनाडु विशेषकर थूथुकुडि जिला में नमक उद्योग की सुरक्षा के लिए आगे आयें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसानों की तरह नमक उत्पादकों को भी नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराये। सरकार अधिकारियों को यह निदेश भी दे कि वह नमक उत्पादकों और व्यापारियों पर मिलावट के मामले दर्ज न करे। नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कम किराये पर प्राथमिकता आधार पर रेल वैगनों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। नमक के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार निर्यात सब्सिडी देने की घोषणा करे क्योंकि दूसरे देश इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की सब्सिडी प्रदान करते हैं। सरकार नमक उद्योग से जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा, आवास सहित वे सभी सुविधाएं उसी प्रकार प्रदान करे जिस तरह केन्द्र सरकार बीड़ी श्रमिकों को ये सुविधाएं प्रदान करती है। श्रम आधारित इस उद्योग को रुग्णता से बचाने का यही एक उपाय है।

### (दो) जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवकों के लिए केन्द्रीय तथा अर्द्धसैनिक सेवाओं में रोजगार पैकेज तैयार करने की आवश्यकता

**श्री मदन लाल शर्मा** (जम्मू): जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद के कारण उसकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों विशेषकर जम्मू के राजौरी और पुंछ जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, को गहरा धक्का पहुंचा है। ये क्षेत्र लगभग भुखमरी की कगार पर हैं। यहां के पढ़े-लिखे युवक बहुत अधिक हताश हैं और वे ऐसी गतिविधियों की ओर मुड़ सकते हैं जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हों। केन्द्र सरकार से बार-बार यह अनुरोध किया गया है कि वह आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित इन पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए अर्धसैनिक बलों तथा दूसरी केन्द्रीय सेवाओं में एक रोजगार पैकेज दे लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है और इसका परिणाम यह रहा है कि इनमें से अधिकतर युवा सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। राज्य में औद्योगिक रोजगार की गुंजाइश शून्य होने के कारण सरकारी सेवाओं पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गयी है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार विशेषकर केन्द्र सरकार में गृह मंत्रालय इन बेरोजगार युवाओं को आयु सीमा। अर्हता में छूट देते हुए विशेष रोजगार अभियान चलाकर इनकी रक्षा के लिए आगे आयेगा।

(तीन) **पोलोवरम और पुलिचिंतला सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़े जाने पर विचार किया गया है, संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री के.एस. राव** (एलूरू): बाढ़ तथा सूखे के कारण फसलों और सम्पति को हुई भारी क्षति को देखते हुए देश में नदियों को जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो गया है। प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपये की क्षति होती है। किसानों और ग्रामीण लोग जो कि कुल जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत हिस्सा है, के ज्ञान तथा जिज्ञासाओं में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए सिंचाई योग्य भूमि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और महानदी जैसी कुछ नदियों का पानी भारी मात्रा में समुद्र में व्यर्थ जा रहा है। इसलिए अब राज्य और केंद्र के बजट में और अधिक धनराशि आवंटन करने को प्राथमिकता दिये जाने का समय आ गया है अथवा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऋण लिए जाने संबंधी शर्तों को उदार बनाया जाये। ठीक उसी प्रकार जनजातीय तथा विस्थापित लोगों के हितों को देखते हुए जल संसाधन मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति और अनुमोदन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और वन क्षेत्र में आयी कमी को पूरा करने के लिए नये क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना चाहिये।

इस संदर्भ में, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गयी पुलोवरम् और पुलिचिंताला सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाए जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के जोड़ने से लगभग 25 लाख एकड़ भूमि को जल उपलब्ध करायेगी, जिससे न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों को भी लाभ होगा।

(चार) **उत्तरांचल में रानीखेत छावनी बोर्ड को नगरपालिका का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत रानीखेत कैन्टोनमैंट बोर्ड स्थित है। इस बोर्ड को बने हुए 100 साल से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस बोर्ड की सीमा क्षेत्र के भीतर लगभग 30 हजार नागरिक आबादी है जिसमें व्यापारी, कर्मचारी, उद्यमी, हर वर्ग के लोग हैं। यहां निवास करने वालों के अपने आवासीय मकान, दुकान, होटल प्रतिष्ठान आदि हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहित दर्जनों अन्य शिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय व प्रादेशिक कार्यालय आदि भी स्थित हैं। कैन्टोनमैंट बोर्ड के साथ सेना की तैनाती रहने के कारण नागरिकों के आवागमन तथा अन्य विकास कार्यों पर सेना के अधिकारियों द्वारा रोक-टोक रहती है तथा नगर का विकास अवरुद्ध होने के साथ-साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है।

इन्हीं कारणों के चलते यहां की जनता आजादी के बाद से ही इस कैन्टोनमैंट बोर्ड को नगरपालिका बनाये जाने की मांग करती आ रही है। इसके लिए समय-समय पर उग्र आंदोलन, धरने, प्रदर्शन भी हुए हैं। कुछ वर्ष पूर्व अम्बाला कैन्टोनमैंट बोर्ड को नगरपालिका का दर्जा दिया जा चुका है। रानीखेत कैन्टोनमैंट बोर्ड को नगरपालिका बनाये जाने हेतु उत्तरांचल शासन द्वारा अपनी सहमति भी प्रकट की गई है। मेरे द्वारा पूर्व में भी लोक सभा में इस विषय को समय-समय पर उठाया गया है और रक्षा मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार भी किया गया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि रानीखेत कैन्टोनमैंट बोर्ड क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

(पांच) **महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरोली जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग और सिंचाई संबंधी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए वन संबंधी कानून में संशोधन किए जाने की आवश्यकता**

**श्री हंसराज जी. अहीर** (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर-गढ़चिरोली जिलों में कुल भूमि की 44 तथा 68 प्रतिशत वन भूमि है। आदिवासी जनजातीय बहुल क्षेत्र में वन अधिनियम, 1980-1982 के कानून संशोधन की वजह से इन वन-बहुल क्षेत्र जिलों के किसान व सामान्य जनता प्रचुर मात्रा में मिनरल्स के भंडारण तथा अनेक नदियों के होते हुए भी वह क्षेत्र उद्योग व सिंचाई विकास से वंचित है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं तथा खनिज संपदा का खनन करने हेतु अनुमति दिए जाने के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी, लेकिन मंत्रालय अनुमति देने से इंकार कर रहा है। वन संवर्धन कानून, केन्द्र सरकार द्वारा, वर्ल्ड बैंक के दबाव के कारण अमल में लाया जा रहा है।

इन बेकसूर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, बेरोजगार युवकों तथा ग्रामीणों को विकास व रोजगार से वंचित रखने से इस क्षेत्र के युवक-युवतियों के नक्सली जैसे संगठनों से जुड़ने की आशंका बनी हुई है। इस दुरावस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। देश के

अधिकांश वन क्षेत्र में आदिवासी जनता भारी संख्या में रहती है। इन आदिवासी तथा गैर-आदिवासी भाइयों को विकास की ओर ले जाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है।

मैं, भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि इन 33 प्रतिशत से ज्यादा वन क्षेत्र बहुल जिलों को वन संवर्धन कानून से रियायत दें तथा वन संरक्षण कानूनों में आवश्यक संशोधन कर, सिंचाई परियोजनाओं एवं खनिज संपदा उद्योग तथा अन्य विकास कार्यों को करने के लिए तुरन्त अनुमति दें।

(छह) **श्रीगंगानगर, राजस्थान के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए "नरमा-कपास" के समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता**

**श्री निहाल चन्द** (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, नरमा-कपास की फसल सी.सी.आई. श्रीगंगानगर, राजस्थान में बहुत ही कम दामों पर खरीद रही है। 1990 में कौटन (जीन्स) के भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल थे, परन्तु वर्तमान वर्ष 2004 में कॉटन जीन्स के भाव गिरकर मात्र 1600 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। किसान को जीन्स के सही भाव नहीं मिल रहे हैं। डीजल, खाद व कीटनाशक पदार्थों के भावों में दिनोंदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। किसानों का जीना भी दुर्लभ हो गया है। कृपा कर के केन्द्र सरकार किसानों की उपज के भावों में वृद्धि करे ताकि किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके।

(सात) **उड़ीसा में कोनिहा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहीत करने के कारण तल्चर तहसील के लोगों को एक समान दर पर मुआवजा मिलना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगढ़): महोदय, अंगुल जिले के तालचेर तहसील में आठ गाँवों की भूमि अभिग्रहण कर कोनिहा ओपन कास्ट परियोजना आरम्भ की जा रही है। यह चिंता का विषय है कि तालचेर कोयला क्षेत्र में 1961 से भूमि अभिग्रहण के संबंध में समानता के नियमों का अनुसरण किया जाता रहा है, परन्तु कोनिहा ओपन कास्ट परियोजना के संबंध में इन नियमों की अनदेखी की गयी है। प्रभावित गांवों को नियमेतर दो समूहों में बांटा गया है और उन्हें दो विभिन्न दरों से मुआवजा दिया गया है। पहले समूह के संबंध में यह दर 2,90,500 रु. से 2,75000 रु. तक है जबकि दूसरे समूह के संबंध में यह राशि 62,500 रु. से 50,000 रु. है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 का उल्लंघन है। यह राज्य सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.ई. (जी I)III/71/30769/आर का भी उल्लंघन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस विषय में हस्तक्षेप करें।

(आठ) **केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सुनिश्चत रोजगार का उपबंध करने के लिए एक विधेयक लाए जाने की आवश्यकता**

**श्री पी. राजेन्द्रन** (क्विलोन): महोदय, केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का प्रावधान है। यह नियुक्ति कुल भर्तियों का पांच प्रतिशत तक सीमित है। मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अधिकांश उन विभागों में नौकरियां दी जाती थी जहां वह कार्य करता था।

चूंकि अधिकांश विभागों में भर्तियां बिल्कुल नहीं अथवा नाम मात्र की बची है इसलिए मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर मिलने वाली नियुक्तियों पर विचार नहीं किया जाता। जब नौकरियां उपलब्ध ही ना हो अथवा बहुत कम नौकरियां हो तो पांच प्रतिशत की यह भर्ती कोई मायने नहीं रखती है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए हर विभाग में हजारों की संख्या में आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। अनुकम्पा के आधार पर भरे जाने वाले इन पदों के बारे में हर विभाग टाल-मटोल कर रहा है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जब बहुत अधिक भर्तियां नहीं हो रही हैं तब पांच प्रतिशत की शर्त को हटा देना चाहिये। क्योंकि यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, सरकार को कानून के माध्यम से नियमों में परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिये। महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में कानून बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

(नौ) **उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र की हवाई पट्टी को एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री कीर्ति वर्धन सिंह** (गोंडा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल श्रावस्ती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रावस्ती बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी एवं पर्यटक जापान और विश्व के अन्य भागों से आते हैं। यहां एक हवाई पट्टी है, जो वर्षों से बन्द पड़ी है।

अत: मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उपरोक्त हवाई पट्टी का आधुनिकीकरण करके श्रावस्ती को नियमित हवाई सेवा

[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

से जोड़ा जाये और श्रावस्ती को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाये, जिससे यहां के निवासियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकें और बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार को भी गति प्रदान की जा सके।

**(दस) बिहार में गोपालगंज स्थित अप्रयुक्त रक्षा हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता**

**श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले हाथवा हवाई अड्डे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह हवाई अड्डा गोपालगंज, बिहार में स्थित है, जो कई वर्षों से बन्द पड़ा है और इस पर अनधिकृत रूप से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। यह हवाई अड्डा नेपाल सीमा के समीप है, अत: यह देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस हवाई अड्डे के आसपास की जमीन का अधिग्रहण करके इसका आधुनिकीकरण किया जाये, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

**(ग्यारह) तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में सूखा राहत उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरूपत्तूर): महोदय, वेल्लूर जिले विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तिरूपत्तूर, नत्तराम्पली, वनिआम्बदी के आस-पास के क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों से लगातार वर्षा न होने के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है पानी की कमी कृषि और ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। हाल ही में तमिलनाडु में वर्षा हुई परन्तु इन क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण इन क्षेत्रों की हालत और अधिक खराब हो गयी है। पूंजी के अभाव में कृषि व्यवसाय को जारी रखने में किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान ऋण को दीर्घ-कालिक ऋण में बदलने की मांग के संबंध में सरकार का आश्वासन अभी तक लम्बित है। उदार ऋण सुविधा तथा बीज और खाद के लिए आवश्यक सहायता के अभाव तथा सूखे के कारण यहां के हजारों किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वो छोटे और मझोले किसानों को निराशा और अभाव की स्थिति में युद्ध स्तर पर सूखा राहत सुविधाएं उपलब्ध कराये। वित्त मंत्री तथा कृषि मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कृषि एजेंसियों को आवश्यक सहायता और निवेश प्रदान करने के संबंध में समुचित दिशानिर्देश जारी करें।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंगेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

**(बारह) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील** (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी के आसपास काफी सब्जी एवं फलों का उत्पादन होता है और इनकी किस्म भी उच्च कोटि की है। कुछ लोग यहां से सब्जी एवं फलों का व्यापार अन्य शहर को करते हैं परन्तु अन्य लोग सब्जी एवं फलों का व्यापार अन्य शहर को करने में असमर्थ हैं जिसके कारण लाखों रुपये की सब्जी एवं फल खराब हो जाता है। अगर यहां पर कृषि आधारित किसी उद्योग की स्थापना इस क्षेत्र में हो जाए तो यहां के लोगों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह क्षेत्र अभी भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है तथा कृषि आधारित उद्योग की स्थापना के बाद इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि परभनी जिले के आसपास के इलाकों में कृषि आधारित उद्योग केन्द्र स्तर पर स्थापित किए जाएं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री एम. शिवन्ना—उपस्थित नहीं।
श्रीमती रंजीत रंजन— उपस्थित नहीं।
श्री फुरकान अंसारी—

**(तेरह) झारखंड में बीड़ी मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता**

**श्री फुरकन अंसारी** (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य अन्तर्गत देवधर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह और साहिबगंज जिलों में लगभग 2 लाख बीड़ी मजदूरों की दशा अत्यन्त खराब है। स्थिति यह है कि 30 प्रतिशत बीड़ी मजदूर यक्ष्मा रोग से तथा 15 से 20 प्रतिशत मोतियाबिन्द रोग से पीड़ित हैं। लगभग 80 प्रतिशत मजदूरों को रहने के लिए मकान नहीं हैं। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। केन्द्र सरकार से मिलने वाली स्वास्थ्य लाभ योजना, आवास योजना एवं पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृति इत्यादि से भी मजदूर वंचित हैं। विभाग से अधिकतर मजदूरों का पंजीकरण भी नहीं किया गया है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त हस्तक्षेप करे और केन्द्र से मिलने वाली सभी सुविधाएं बीड़ी मजदूरों को शीघ्र उपलब्ध कराएं।

**(चौदह) मदुरै हवाई अड्डे को पुनः "मथुरामलिंगम थेवर हवाई अड्डा" नाम दिए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री सुव्रत बोस** (बारासाट): प्रतिष्ठित नेता और भूतपूर्व संसद सदस्य स्वर्गीय श्री मथुरामलिंगम थेवर की प्रतिमा को संसद के आहते में स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके अपने पैतृक कस्बे में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिए राष्ट्र के प्रति की गयी उनकी सेवाओं को मान्यता दिये जाने के संबंध में उन्हें सम्मानित किए जाने के बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

मैं माननीय नागर विमानन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से आग्रह करता हूं कि वे मदुरै हवाई अड्डे का नाम बदल कर "मथुरमलिंगम थेवर हवाई अड्डा" किये जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही करें।

---

अपराह्न 2.40 बजे

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश में आंतरिक सुरक्षा—जारी

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई और कल का दिन ऐसा था जब इस सदन पर आतंकवादियों ने तीन साल पहले हमला किया था। इस सदन की और इस सदन में काम करने वाले लोक प्रतिनिधि और अधिकारियों की रक्षा करते हुए इस सदन के कुछ भाइयों ने अपनी जानें गंवायीं। मैं उनकी स्मृति में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। इसी प्रकार देश के अलग-अलग हिस्सों में जो हादसे हुए हैं, उसमें लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हुए बहुत सारे सैनिकों ने, अर्द्ध सैनिक दल के लोगों ने और प्रांत के पुलिस कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। उनकी स्मृति को भी हम अभिवादन करना चाहते हैं।

यह बहुत अच्छी बात है कि इस सदन ने आंतरिक सुरक्षा पर बहस की। जिन भाइयों ने यह बहस शुरू की और इसमें हिस्सा लिया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यह बहस ऐसी रही जिसमें अपने विचार बड़ी स्पष्टता से मगर किसी के खिलाफ, किस पक्ष के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कहे गये। मेरी दृष्टि में यहां जो चर्चा हुई, उसका स्तर बहुत ऊंचा था। इसके लिए मैं अपने भाइयों के प्रति, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है, आदर की भावना व्यक्त करना चाहूंगा। कुछ भाइयों को बहुत कम वक्त मिला। अगर उनको ज्यादा वक्त मिलता तो शायद वे ज्यादा बोल लेते लेकिन जो थोड़ा बहुत वक्त उन्हें मिला, उस वक्त में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनको हमें ध्यान में जरूर रखना होगा। उन्हें हम जरूर ध्यान में रखेंगे और आंतरिक सुरक्षा के संबंध में जो नीति बनायी जायेगी, वह इन बातों को ध्यान में रखकर बनायी जायेगी।

यहां कुछ भाइयों ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ ने कहा कि यह सुधरी हुई है और कुछ ने कहा कि यह बिगड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि ये तीनों विधान गलत नहीं माने जायेंगे। पहला विधान यह था कि स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके खिलाफ हम झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आज परिस्थिति अच्छी होती तो हम सब लोगों का समाधान हो जाता। कुछ भाइयों ने कहा कि बिगड़ी हुई है—हां, कुछ प्रांतों में यह जरूर बिगड़ी हुई है और कुछ भाइयों ने कहा कि यह सुधरी हुई है—हां, कुछ प्रांतों में यह जरूर सुधरी हुई है। ये तीनों विधान न तो पूरी तरह से गलत हैं और न पूरी तरह से सही हैं।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, आप ही की पार्टी के हैं और आप ही बोल रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** इस परिस्थिति के जो आंकड़े हैं, उन्हें मैं बड़े संक्षेप में देना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** उन्होंने बोलना बंद किया है तो अब आप बोलना न शुरू कर दें।

*...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** हमने प्रयास किया है कि इन आंकड़ों को चार्ट के रूप में माननीय सदस्यों को दें। अब पूरे आंकड़े देना मुश्किल है इसलिए हमने लिखित रूप में माननीय सदस्यों को कुछ आंकड़े भेजे हैं। वे उसे देखेंगे, मगर कुछ आंकड़े मैं यहां पर जरूर देना चाहूंगा।

जिसकी वजह से जो परिस्थिति है, उसकी स्पष्टता हमारे सामने आ जाएगी। जम्मू और कश्मीर की क्या हालत है? हमने कहा कि वहां की हालत सुधरी हुई है और हमारा जो विधान है, उसकी

[श्री शिवराज वि. पाटील]

मजबूती के लिए हमने आंकड़े दिये थे। आज भी मैं थोड़े से आंकड़े उस संबंध में देना चाहता हूं। वहां जो घुसपैठ हो रही थी, वह 60 प्रतिशत से कम हुई है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वह 60 प्रतिशत से कम हुई है। वहां पर जो घटनाएं हो रही थीं, वह 24 प्रतिशत से कम हुई हैं और वहां पर जो लोग मारे गये हैं, उनकी संख्या 12 प्रतिशत से कम हुई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर की जो परिस्थिति है, वह सुधरी हुई है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इसके सुधरने का क्या कारण है। उसका जवाब यह है कि वहां पर जो फेंस खड़ी हुई हैं, उसकी वजह से घुसपैठियों की संख्या कम हुई है। हमारे सैनिक, अर्धसैनिक और प्रांत की जो पुलिस है, उन्होंने जो काम किया है, उसकी वजह से भी इन घटनाओं की संख्या में कमी हुई है और घटनाओं की संख्या और मृत्यु की संख्या जो घटी है, वह उनकी वजह से हुई है।

इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। और वह यह है कि घटनाओं की संख्या कम हुई है। मृत्यु की संख्या कम हुई है लेकिन इसके बाद भी आतंकवादी दूसरे तरीके से वहां पर आतंकवाद खड़ा कर रहे हैं। एक तरीका ग्रेनेड फेंकने का है। हथियार बंदूक नहीं है लेकिन ग्रेनेड, माइन्स, रॉकेट्स वगैरह हैं। हमले राजनीतिज्ञों और पुलिस पर ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। यह वस्तुस्थिति मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उत्तर पूर्व के प्रांतों में परिस्थिति क्या है? उत्तर पूर्व के प्रांतों में परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, ऐसा लिखा गया और बोला गया है और उसके लिए कुछ लोगों को दोष दिया गया है। यहां तक कि गालियां दी गई हैं। मगर बड़ी नम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर परिस्थिति सुधरी हुई है और किस प्रकार से सुधरी हुई है, आंकड़ों के आधार पर हम जान सकते हैं। वहां की घटनाओं की संख्या में 22 प्रतिशत कमी हुई है। वहां के सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की संख्या 7 प्रतिशत से कम हुई है और आम आदमियों पर हमला होने की वजह से जो मृत्यु होती थी, उसकी संख्या 26 प्रतिशत से कम हुई है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां की परिस्थिति सुधरी हुई है। इसका मतलब पूरी तरह से परिस्थिति काबू में है, पूरी तरह से बेहतर है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि परिस्थिति सुधरी हुई है।

मणिपुर की चर्चा बहुत हुई और कल भी यहां पर एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मणिपुर जल रहा है। इन दिनों में मणिपुर जला नहीं है। तीन साल पहले जला था मगर मैं उस प्रकार की चर्चा में नहीं जाना चाहता। वहां उस प्रकार की परिस्थिति हो गई। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं लगाना चाहता। इस प्रकार की घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। मैं उसका दोष किसी एक आदमी को या किसी एक सरकार पर नहीं लगाना चाहता वह परिस्थिति कहीं भी हो सकती है। मगर मणिपुर की परिस्थिति जो हुई है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मणिपुर में जो घटना हुई, उसके बारे में कुछ भाइयों में, अपने लोगों के मन में गुस्सा आया है और उन्होंने उस गुस्से का प्रदर्शन रास्ते पर आकर किया और उन्होंने वहां पर अपने क्षोभ का प्रदर्शन किया।

मगर इसके खिलाफ सरकार ने क्या किया। सरकार ने उन लोगों के खिलाफ गोलियां नहीं चलाईं। सरकार ने उन्हें जेल में नहीं रखा। सरकार ने वहां की प्रदेश सरकार को नहीं हटाया और सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। मगर वहां के भाइयों में गुस्सा था, उनसे बातचीत की जिन्हें यह कहा गया कि गुनाह हुआ है। उन्हें बताया गया कि उसका दंड मिलेगा और कोर्ट से मिलेगा, लेकिन वह जरूर मिलेगा। ऐसा भी कहा गया कि वहां कांगला फोर्ट को खोला गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स एक्ट में जो प्रोविजन रखे गए हैं, वे ड्रैकोनियन प्रोविजन हैं, शैतानी प्रोविजन हैं। उसे देखने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। इन सब बातों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां की हालत में अच्छी तरह से सुधार हुआ है।

यहां कई सदस्यों द्वारा कहा गया कि वह जल रहा है। उसके लिए कुछ लोगों को गालियां दी गईं और कुछ लोगों की क्षमता पर अपने विचार भी प्रकट किए गए। मैं समझता हूं अगर इस प्रकार का काम कहीं होता है, तो उससे आतंकवाद को काबू में रखने में मदद नहीं मिलती। वह तो आग में पेट्रोल डालने जैसा होता है। अगर गलत बात का फैलाव हो जाए, तो उससे डर पैदा होता है। डर पैदा करने के लिए हथियार लाए जाते हैं, किसी निरपराध व्यक्ति पर गोलियां चलाई जाती हैं। डर पैदा करने के लिए अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं। ऐसे भाषण भी दिए जा सकते हैं कि दूसरे लोगों के मन में डर की भावना पैदा हो।

एक जमाना था जब कोई घटना होती थी, तो लोगों के मन में डर नहीं रहता था। लेकिन आज का जमाना है कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो पांच मिनट के अंदर हम घर में बैठकर उसे देख सकते हैं। उससे डर पैदा हो जाता है। लगता है यह तो मेरे पड़ोस में हो रहा है, मणिपुर में नहीं हो रहा है। इसलिए यह जो टैरर और डर की भावना है, मैं यह नहीं कहता कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए या न्यूजपेपर्स या टी.वी. पर नहीं दिखाना चाहिए, सदन में नहीं बोलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि डर की भावना ऐसे फैलती है। और जब हम कोई गलत बात करते हैं तो डर की भावना और जोर से फैलती नजर आती है।

आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज से हमारे सदन की कार्यवाही का लाइव टैलीकास्ट हो रहा है। हम लोग सदन में क्या करते हैं, यह बात लोगों के घरों तक, दरवाजों तक पहुंचेगी। हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वे लोग इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वे अनुमान लगा सकते हैं कि अपनी नीतियों पर सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। किस प्रकार की नीतियां सरकार बना रही है। किस प्रकार का कानून सरकार बना रही है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कह रहा था कि यह पूरे देश के लिए यूनिवर्सिटी बनाने जैसा हो गया। राजकीय यूनिवर्सिटी जो है, उसके कानून हैं, हमारी संसद क्या कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं और विरोधी पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, यह सब कुछ आज से जनता देखेगी। इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। मैं इसके लिए अध्यक्ष महोदय के प्रति, आपके प्रति और राज्य सभा के चेयरमैन साहब के प्रति आदर की भावना व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह मालूमात लोगों में पहुंचना चाहिए। अगर यह नहीं जाएगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहां क्या कर रहे हैं।

मणिपुर के बारे में कुछ बातें कही गई थीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर की स्थिति सामान्य बनती जा रही है। वहां पर दो दुर्घटनाएं हुई थीं। दो लोगों की मृत्यु उनमें हुई थी। उससे ज्यादा जानें तो अन्य किसी प्रांत में चली जाती हैं। किसी राज्य में 20 तो किसी राज्य में 25 लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। मैं किसी दूसरे प्रांत की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं कोई तुलना भी नहीं कर रहा हूं। मणिपुर हमारा सरहदी राज्य है। वहां के लोग कला प्रेमी हैं, संवेदनशील हैं, देश के प्रति प्रेम रखने वाले हैं और शांति भी चाहते हैं। वहां जो परिस्थिति पैदा हुई थी, उसको अगर हम गलत रीति से नहीं लेते तो अच्छा होता, ऐसा मुझे लगता है।

अब नक्सलवादी प्रांतों में क्या हो रहा है यह देखें। उस सदन में और इस सदन में भी यह कहा गया है कि नक्सलवादी गतिविधियां कुछ जिलों में बढ़ी हैं। हां, उन जिलों की संख्या बढ़ी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये गतिविधियां इन पांच महीनों में ही बढ़ी नहीं हैं। सन् 2002 में जितनी थीं, उनसे बढ़कर सन् 2003 में हो गयीं और सन् 2003 में जितनी थीं उनसे बढ़कर आज हो गयी हैं। ये घटनाएं 135 से बढ़कर 140 और 140 से बढ़कर 155 तक गयी हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन घटनाएं बढ़ी हैं और इसे हमें ध्यान में रखना होगा। इसे हम भूला नहीं सकते हैं। नक्सलवादी गतिविधियों की संख्या बढ़ी हैं, लेकिन यहां पर जो हादसे हुए हैं उनमें मृतकों की संख्या कम हुई है और हादसों की संख्या बढ़ी है। नक्सलवाद का बढ़कर अब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यू.पी. में विस्तार हुआ है। इसका हम विशलेक्षण करें तो पता चलता है कि ये गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये गतिविधियां न बढ़ें, इसके लिए हमें कदम उठाना जरूरी है। प्रांतों की सरकारों को सहायता देकर कदम उठाना जरूरी हैं। लेकिन केन्द्र भी अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालकर चुप नहीं रह सकता है। हम क्या करने जा रहे हैं वह मैं बाद में बताऊंगा। जैसे मणिपुर की चर्चा हुई, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की भी चर्चा हुई। नक्सलवादी प्रांतों के बारे में जब कहा गया तो आंध्र प्रदेश की भी चर्चा हुई। कहा गया कि जब नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं तब आप नक्सलवादियों से क्यों बातचीत कर रहे हैं। यह पूछा गया यह करने से क्या आपका काम हल्का हो जाएगा या भारी हो जाएगा। यह भी कहा गया कि ऐसा करने से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस बारे में बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टेटेटिक्स हैं। अगर आप नक्सलवाद प्रभावित चार प्रांतों को छोड़ दें, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो घटनाएं और मृतकों की संख्या भी दूसरे प्रांतों में कम हुई नजर आती है। आंध्र प्रदेश में बहुत कम हुई नजर आती है। मृतकों की संख्या जो 72 तक गयी थी वह अब केवल 2 पर आई हुई नजर आती है। घटनाओं की संख्या भी जो 52 पर थी वह घटकर कम हुई नजर आती है। आंध्र प्रदेश में बातचीत का सिलसिला जो उन्होंने चलाया है, उसका परिणाम यह हुआ है कि यह संख्या 72 से घटकर 2 तक आ गयी है। हम बातचीत से मसले को हल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बातचीत पर भी एतराज यहां पर जताया है। किसी ने यहां पर यह आरोप भी लगाया कि आप उनको भाई क्यों मान रहे हैं। जो लोग रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको आप भाई क्यों मान रहे हैं? हमने इसका उत्तर भी दिया है और मैं फिर बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जिसको रोटी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, घर नहीं है, घरवालों के लिए सहारा नहीं है, जो सहारा उसे चाहिए वह उसे मिलता नहीं है तो ऐसा आदमी गुस्से में आकर हथियार लेकर चला आया हो, उसे दुश्मन मानकर गोली चलाना तो अच्छी बात नहीं है।

ऐसे लोगों को वहां जिस प्रकार से मजबूरी ने पहुंचाया है, उन भाइयों के खिलाफ दुश्मनों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। हम उन भाइयों को समझाना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह सही रास्ता नहीं है। जिन-जिन लोगों ने हथियार हाथ में लिए हैं, मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हथियारों की मदद से, खून-खराबे की सहायता से कुछ नहीं मिल सकेगा।

**अपराह्न 3.00 बजे**

**(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)**

यदि कुछ हासिल हुआ तो वह बहुत कम होगा और उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन चर्चा के रास्ते से या दूसरे किसी

[श्री शिवराज वि. पाटील]

रास्ते से या सदन के माध्यम से जो भी काम करेंगे उसमें बहुत कुछ पा सकेंगे। दिल्ली की सरकार और प्रान्तों की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि हथियार या डर की वजह से बातचीत करे। हम डर की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। हम अपनेपन की वजह से बात कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिस की वजह से हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा शुरू की...(*व्यवधान*)

**श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी):** इस बारे में यूनियन गवर्नमैंट बातचीत नहीं करती है। इसे स्टेट्स के ऊपर छोड़ देती है।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** आपको मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। नागालैंड, मिजोरम और पंजाब में किस ने बातचीत की?

**श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:** मैं नकस्लवाद की समस्या की बात कर रहा हूं।...(*व्यवधान*)

**श्री शिवराज वि. पाटील:** आप मेरी बात थोड़ी शांति से सुनिए। मैं आपके प्रश्नों का अंत में जवाब दे दूंगा। आप उन्हें लिख कर रख लें। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, आप उसमें व्यवधान न डालें। बातचीत का जो मार्ग और दिशा है, वह गलत नहीं है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि मिजोराम में राजीव गांधी जी के जमाने में बातचीत हुई। वहां उस समय कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री ललथनवाला थे। उनको अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया था। उसके बाद श्री लालडेंगा वहां के मुख्यमंत्री बने। वहां चुनाव हुए और लालडेंगा जी की पार्टी हार गई। आज मिजोराम में पूरी शांति है। यहां श्री अर्जुन सिंह जी बैठे हैं जो एक वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने पंजाब में बातचीत शुरू की थी। पंजाब के अन्दर हथियारों का उपयोग किया गया या नहीं किया गया? अर्द्ध सैनिक बलों ने वहां बड़ी बहादुरी से काम किया लेकिन हमने बातचीत की। श्री राजीव गांधी जी के प्रोत्साहन से राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ। अर्जुन सिंह जी और राजीव जी ने मिल कर वहां शांति स्थापित की। आज पंजाब में स्थिति सुधरी हुई नजर आ रही है। बातचीत का रास्ता गलत रास्ता नहीं है, कमजोरी का रास्ता नहीं है। सरकार हथियार उठाने का काम कभी भी कर सकती है। उसके बाद शक्ति का कोई आधार नहीं है लेकिन हमारे ख्याल में हथियार द्वारा लोगों पर गोली चला कर और खून बहा कर काम करना ठीक नहीं है। हमारा विचार है कि बातचीत की शक्ति हथियार की शक्ति से ज्यादा है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि नागालैंड में भी बातचीत की गई। इस कारण वहां सात साल से शांति है। वहां एक दिन से नहीं, सात साल से शांति है। जिन्होंने पहले बातचीत की, वे अभी फिर बातचीत करने के लिए यहां आए हैं जिसका हम स्वागत करते हैं। हमें यह बात अच्छी लगती है। देखते हैं कि क्या अमल में आता है लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि वहां शांति रहे। बातचीत का रास्ता पराया रास्ता नहीं है, वह लोकतंत्र का रास्ता है। हम किसी को भाई समझते हैं, किसी को घर वाला समझते हैं लेकिन आप यहां उठ कर पूछते हैं कि उन्हें कैसे भाई समझते हैं? हम सब एक जैसे हैं। कौन कहता है कि हम एक दूसरे के भाई नहीं हैं। अंत में हम एक दूसरे के भाई हैं। अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे सही रास्ते में लाने का प्रयास, उनके घर वालों को करना पड़ेगा, उनके पड़ोसियों को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा। समाज की उन्नति और शांति के लिए उनको सही रास्ते पर लाकर काम करना पड़ेगा। इसमें क्या गलती है? हमारे अध्यक्ष जी ने सदन में कहा कि हम बातचीत का रास्ता अख्तियार करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने लालकिले से कहा कि हम बातचीत का रास्ता अख्तियार करेंगे। मैंने राज्य सभा में कहा था कि बातचीत का रास्ता हमारे लिए पराया नहीं है। हम उसे अपनाएंगे।

बातचीत का रास्ता अपनाने का मतलब कोई कमजोरी का लक्षण नहीं है। बातचीत का रास्ता अपनाने का मतलब एक समझदारी का रास्ता अपनाना है। हम अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहते हैं। हथियार उठाने का काम जो हमारे भाई कर रहे हैं, और बलिदान कर रहे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए हमारे नेताओं ने जो बलिदान दिये हैं, वे सबको मालूम है। देश के स्वतंत्र होने के बाद अगर सारी लड़ाइयों का हिसाब लगायें तो अब तक छः लड़ाइयां हुई हैं और उनमें से पांच लड़ाइयां हमने जीती हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे नेताओं ने जो बलिदान दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इंदिरा जी का बलिदान, श्री राजीव गांधी जी का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। वह बलिदान देश की एकता के लिए था, दूसरे किसी कारण के लिए नहीं था। मगर श्री राजीव जी ही ऐसे नेता थे, जिन्होंने बातचीत करके नागालैंड की परिस्थिति सुधारने की कोशिश की, मिजोरम की परिस्थिति सुधारने की कोशिश की और पंजाब की स्थिति सुधारने की कोशिश की। इसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमने जो बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है, जो रास्ता हमने अपनाया है, वह ठीक है।

सभापति महोदय, यहां पर अभी माननीय सदस्य खड़े होकर बोले, हालांकि वह बहुत कम देर के लिए बोले, परंतु उन्होंने बहुत अच्छा भाषण किया। उन्होंने कहा "कि बातचीत करनी है तो जरूर कीजिए, मगर बातचीत एहतियात से करो, सावधान रहकर करो।

ऐसा न हो कि आप बातचीत में रहें और कोई आपको और देश को धोखा देकर चला जाए।" मैंने उनके कहे हर शब्द को बड़े ध्यान से सुना और हम वही करेंगे। हम अपनेपन से बातचीत करेंगे। जैसे अपने भाई के साथ बातचीत कर रहे हैं, वैसे बातचीत करेंगे। मगर उसके साथ-साथ हम सावधानी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम चौकसी में कमी नहीं आने देंगे। हमारा गार्ड कभी भी लोअर नहीं किया जायेगा हम चौकस रहेंगे। हम हर समय सतर्क रहेंगे। इसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने यह बात बहुत अच्छे तरीके से कही। तथा अपने अर्थपूर्ण भाषण में जो कुछ कहा, यहां चर्चा करने का मतलब वही है। यहां जो चर्चा हुई है, मैं उसका अर्थ यह निकालता हूं कि यहां एक-दो सदस्यों को छोड़कर, अन्य किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। सारे सदस्यों ने कहा कि बातचीत का रास्ता गलत नहीं है, इसे अख्तियार कीजिए, लेकिन बातचीत संभल कर और सोच-समझकर कीजिए। बातचीत करते समय इस देश की रक्षा का जो आपका दायित्व है, उसमें कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिये। यह बात माननीय सदस्यों ने सदन में कही है और हम इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे। इस बात को हम ध्यान में रखकर हमेशा आगे चलते जायेंगे।

सभापति महोदय, हमें बड़ी खुशी है कि जिन्होंने इस चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने इस चर्चा की मर्यादा को बहुत सीमित नहीं रखा। उन्होंने उसे सही परिप्रेक्ष्य में इस सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से अगर हमें लड़ना है, केवल बंदूक से और हथियारों से नहीं लड़ना है। हमें दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और वे दूसरी चीजे हैं—आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता। मुझे बड़ी खुशी है कि चर्चा सही दिशा में शुरू हुई और सही दिशा में गई। मैं उन माननीय सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूंगा, आज वे यहां उपस्थित नहीं है, शायद किसी मीटिंग में चले गये हैं। फिर भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस चर्चा को एक सही दिशा दी और उसी दिशा में सारे लोगों ने यहां बातचीत की। हम सदन के सामने आ रहे हैं और सदन का मत क्या है, हम जानना चाहते हैं। सदन का मत यह रहा कि बातचीत करो। सदन का मत यह रहा कि इस प्रश्न को केवल हथियारों के आधार पर छुड़ाने की कोशिश मत करो। बल्कि आर्थिक उन्नति करो, आर्थिक न्याय करो, सामाजिक उन्नति करो, सामाजिक न्याय करो। इसके साथ ही जो हमारी भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्कृतियां है, उसे ध्यान में रखकर काम करो। उसके बाद अपनी फौज और पुलिस को ताकत दें। हम इस बात को भी नहीं भूलेंगे। मैं समझता हूं कि यह मैनडेट है, जो आपने हमें दिया है और इस मैनडेट को हम ध्यान में रखेंगे।

आर्थिक विकास पर भी आपने सही बात की। इस बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से ज्यादा बोलने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की ओर से आर्थिक क्षेत्र में क्या काम किया जा रहा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में पूरी सरकार की तरफ से क्या काम किया जा रहा है।

मैं बहुत संक्षेप में यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे प्रांतों की सरकार की ओर से आर्थिक क्षेत्रों में किस प्रकार का काम किया जा रहा है ताकि पता चले कि यह जो बात हमारे सदस्यों ने बताई है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं।

यहां पर बेरोजगारी का सवाल भी बहुत से माननीय सदस्यों ने उठाया और कहा कि रोजगार नहीं मिलने के कारण नौजवान आतंकवादी बनते हैं। यह बात सही है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ आतंकवादी आइडियोलॉजिस्ट हैं, कुछ आतंकवादी एनार्किस्ट हैं और कुछ आतंकवादी ऑपॉर्चुनिस्ट हैं। जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, उनको बदलना मुश्किल है, मगर जिनको काम नहीं मिल रहा है और उस कारण वे आतंकवादी बन रहे हैं, उनको तो काम दिया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। जो पैसे के लिए आतंकवादी बन रहे हैं, उनके लिए कुछ दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है। मगर इन लोगों को काम देने के लिए मैं संक्षेप में कहूंगा कि हमने प्रांतों की सरकारों को बताया है कि वह अपने स्टेट्स में कुछ इंडिया रिजर्व बटालियन खड़ी करें। हर प्रांत को हमने दो-तीन बटालियन खड़ी करने के लिए कहा है और कुछ राज्यों को तो हमने कहा है कि 10-15 बटालियन तक खड़ी कर सकते हैं। एक बटालियन खड़ी करने पर 1000 लोगों को काम दिया जा सकता है और 10 बटालियन खड़ी करने पर 10000 लोगों को काम दिया जा सकता है। हमने कहा है कि ऐसी बटालियन खड़ी करो और जो लोग हथियार लेकर आतंकवादी बन रहे हैं, उनको पुलिस में आने दो, स्टेट पुलिस में आने दो और उनको काम दो। उसके बार हर प्रांत में जो आतंकवाद प्रभावित जिले हैं, उन जिलों के विकास के लिए वहां का इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए हम होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक साल में एक जिले के लिए 15 करोड़ रुपये दे रहे हैं और ये तीन साल तक देने का वायदा हमने किया है। 45 करोड़ रुपये एक जिले को हम दे रहे हैं और उनको हमने वायदा किया है। उसके बाद हमारी तरफ से जम्मू-कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। वहां पर बिजली बनाने के लिए प्रोजैक्ट्स लगाए गए हैं और होम

[श्री शिवराज वि. पाटील]

मिनिस्ट्री के द्वारा और डिफैन्स मिनिस्ट्री के द्वारा जहां पर बॉर्डर एरिया है, वहां पर मिनी पावर प्लांट्स बनाने के लिए भी हमने पैसा दिया है। हमारी तरफ से अगर 10-20 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं तो डिफैन्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी उतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है और मिनी पावर प्लांट्स बनाये जा रहे हैं। बड़े पावर प्लांट्स तो बनाये ही जा रहे हैं जिनमें 1500 मैगावाट तक बिजली का उत्पादन हो सकता है। रेलवे बनाई जा रही है। इसके साथ-साथ नेशनल हाइवेज को चौड़ा करने के लिए भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं। इन सब कार्यों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, काम दे रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। उसके बाद मिनी हाइडल पावर प्लांट्स बना रहे हैं। टूरिज्म के लिए पैसा दे रहे हैं, दूसरे कारखाने बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, फॉरेस्ट डैवलपमैंट के लिए पैसा दे रहे हैं और इस प्रकार से आर्थिक उन्नति का काम कर रहे हैं। परसों ही प्रधान मंत्री जी ने 14 तारीख को आंध्र प्रदेश में जाकर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया है। काम के बदले अनाज स्कीम लोगों को मदद करने का ही एक तरीका है। कुछ दिनों में हम आपके सामने एक कानून बनाएंगे जो बताएगा कि किस प्रकार से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देने का कानून हम लाएंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार की एक स्कीम बनी थी। उसके बाद कानून बना था। यहां भी हमने जवाहर रोजगार योजना बनाई, उसको चलाया और उसी के आधार पर हम एक नया कानून बनाने जा रहे हैं और इस प्रकार से देने जा रहे हैं काम। नक्सलवाद और आतंकवाद कहां है? यह झाड़ी और पहाड़ी के इलाकों में है। जहां पर जंगल हैं, जहां पर पहाड़ हैं, जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर बीमारी है, जहां पर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। और लोग टीवी पर देख रहे हैं कि दूसरे लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनको कैसे जीना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के हालात सुधारने के लिए हमारी ओर से प्लानिंग कमीशन को यह बताया गया है कि जिन हिस्सों में नक्सलवाद है या आतंकवाद है, उन प्रांतों के लिए आप जितना ज्यादा पैसा दे सकते हैं, दें, ताकि उन पैसों को उन जिलों में खर्च करके वहां की आर्थिक उन्नति हो सके।

महोदय, प्रान्तों का काम है सड़कें बनाना, बिजली पैदा करना, उसका वितरण करना, स्कूल खोलना, दवाखाने खोलना, खेती के काम में मदद करना, व्यापार के अवसर पैदा करना। इसके लिए भी हमारी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। मैं समझता हूं कि उनका यह जो दृष्टिकोण है वह ठीक नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक कठिनाइयों के कारण अगर हमारे बच्चे गुस्से में आकर कहीं जा रहे हैं, तो हम उन्हें जाने दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम आर्थिक नीति ऐसी बनाएं जिससे आर्थिक विकास तेज गति से हो, यह एक मार्ग है।

महोदय, सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय की बात यहां कही गई। इसका भी मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमारा दृष्टिकोण भी बिलकुल ऐसा ही है। जिन माननीय सदस्य ने चर्चा शुरू की, उन्होंने सामाजिक न्याय देने की बात कही। हमें उनकी यह बात अच्छी लगी। उन्होंने बहुत सही बात कही। हमारे जो नेता थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। यही बात हमारे संविधान में भी है। "इक्वैलिटी" और "सोश्यल जस्टिस" की बात हमारे संविधान के प्रीएम्बल में कही गई है। यही बात हमारे संविधान के डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स में कही गई है। इसलिए हमने प्रिवेंशन आफ अनटचेबिलिटी एक्ट शुरू किया। हमने महिलाओं को सामाजिक न्याय देने के लिए ही एक हिन्दू कोड बिल लाया था और हिन्दू सक्सैशन एक्ट जैसा कानून बनाया।

महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बातना चाहता हूं कि हमारी नेता ने हमें कहा है कि हम एक ऐसा कानून बनाएं जो हमारे समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा करे न कि वैमनस्य। हमारे दैश में साम्प्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहे और इस आधार पर हमारे समाज में कोई खलल पैदा न कर पाए। हम आजकल उसी पर काम कर रहे हैं। हमने उसका एक ड्राफ्ट बनाया है। वह पेपर हमने लॉ मिनिस्ट्री को दिया है। लॉ मिनिस्ट्री से एप्रूव होने के बाद हम उसे इंटरनैट पर रखेंगे और देश के सारे लोगों की राय मांग कर एक नया ड्राफ्ट सदन में लाएंगे। उसे स्टेंडिंग कमेटी में रखेंगे, जिस पर आप चर्चा कर सकते हैं। हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो सदैव रहे। ऐसा न हो कि कोई कानून हम इस साल बना लें उसे अगले साल खत्म करना पड़े। हम सदैव सतत् चलने वाला कानून बनाना चाहते हैं। हमारे देश में एवीडेंस एक्ट, क्रिमीनल प्रोसीजर कोड जैसे कानून हैं, जो सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं, वैसा कानून हम इस संबंध में भी बनाना चाहते हैं। उसमें सभी बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाएगा और सभी चीजों की परिभाषा होगी। उसमें यह भी होगा कि साम्प्रदायिक सौहार्द क्या है, कम्युनल डिस्टरबेंस किसे कहेंगे, कौन इसकी इनवैस्टीगेशन करेंगे। इनवैस्टीगेशन करने के बाद किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि जिन्होंने गुनाह किया है, उन्हें क्या सजा मिलेगी, लेकिन जिसके खिलाफ किया है, उसे मुआवजा भी दिया जाएगा या नहीं। यह भी बताया जाएगा कि जो परिस्थिति निर्मित हुई, वह भविष्य में न हो,

उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। यह सब काम हम आपकी मदद से करेंगे।

महोदय, देश में पहले से कानून हैं, इसलिए हम नए कानून नहीं बनाएं, यह चर्चा भी यहां पर हुई। उस पर थोड़ा दुख हुआ। यहां कहा गया कि बांग्लादेश से कितने लोग आ रहे हैं। किसी ने कहा कि मदरसों में क्या हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये चिन्ता के विषय नहीं हैं। ये चिन्ता के विषय हैं, ये प्रश्न हैं, इन पर सोचना पड़ेगा, मगर इनके ऊपर जोर देना और दूसरी किसी बात को टच नहीं करना, ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके मन में, इस प्रश्न को लेकर, अपना एक दृष्टिकोण है और उसके सिवाय आप और कुछ न देखते हैं, न सुनते हैं। किसी माननीय सदस्य ने ऐसे व्यवहार को देखकर यहां कहा कि उनका ऐसा नजरिया साम्प्रदायिकता का नजरिया है। वे इसे साम्प्रदायिक चश्मे से देखने का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो शायद अच्छा होता।

महोदय, स्पीकर साहब ने भी कहा कि बांग्लादेश से कितने लोग आए हैं और कितनों को हमने वापस किया है। यह बताएं अगर बांग्लादेश से लोग आए हैं, तो हम उन्हें जरूर वापस करेंगे।

हम उनमें फर्क करते हैं। जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो हाथ में हथियार लेकर यहां के लोगों की जान और माल का नुकसान पहुंचाने के लिए आने वाले हैं। उनमें और जिन्हें खाने को नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, यह समझकर आने वाले लोग हैं, उनकी तरफ देखें। इसका मतलब, वे आयें तो हम उनको रहने देंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब उनकी ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण अलग रहेगा और उनको हम वापस भी कराएंगे। और करवाने के लिए ही कानून बनाया गया है। इसके लिए फारेनरस एक्ट बनाया गया है, आई.एम.डी.टी. कानून बनाया गया है, ट्रिब्यूनल्स बनाये गये हैं। उसके द्वारा ही हम यह काम करेंगे, मैं इतना ही इस संदर्भ में कहना चाहता हूं।

अब सवाल पैदा होता है कि हम हमारी सेना...(*व्यवधान*)

**श्री सुशील कुमार मोदी** (भागलपुर): गृह मंत्री जी, जो लोग रोजगार के लिए आये हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे, आप कह रहे हैं कि जो लोग रोजगार के लिए आएंगे?...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मुझे आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लिखकर रखिये, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको मेरा जवाब पसन्द आये, नहीं आये, वह अलग बात है।

सबसे अहम बात जो है, जिसके ऊपर हमें यहां पर चर्चा करनी है, वह है हमारे सशस्त्र बलों की शक्ति की और संख्या की। यहां का आज का जो काम हो रहा है, वह कैसा हो रहा है। कुछ लोगों ने प्रयास किया कि हमारी जो भूमि है, उसके खिलाफ लड़ाई करके कुछ भूमि लेजा सकेंगे, लेकिन वह नहीं हो सका। जो लड़ाई से नहीं हो सका, वह आतंकवाद से नहीं होगा, मैं इस सदन में खड़ा होकर कहना चाहता हूं। लड़ाई कैसे की जाती है, यह मैंने देखा है और आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, वह भी आज मैं देख रहा हूं और मैं यहां खड़ा होकर कहूंगा कि जो बात लड़ाई से नहीं होगी, वह बात आतंकवाद से भी नहीं होगी। हम कहेंगे कि इस लो इंटेंसिटी वार से हमारी भूमि के ऊपर कोई आंच हम नहीं आने देंगे। इस काम में कौन मदद कर रहे हैं? इस काम में हमारी सेना मदद कर रही है, बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही है। वे सैनिक जो काम करते हैं, जिनका नाम भी हमारे सामने और याद में नहीं रहता। मगर सरहद पर खड़े होकर अपनी छाती के ऊपर गोलियां झेलते हैं और अपने प्राणों का अर्पण करते हैं और बस इतिहास के अंधेरे में गायब हो जाते हैं, वे सैनिक कर रहे हैं। इसके बाद अर्धसैनिक बल यह काम कर रहे हैं, जो पुलिस फोर्स हमारी सैण्ट्रल गवर्नमेंट के पास है, वे कर रहे हैं। तीसरे, हमारे प्रान्त की पुलिस यह काम कर रही है।

किसी एक भाई ने कहा कि पुलिस रिफार्म्स के बारे में बहुत सारी कमेटियां और कमीशंस बिठाये गये हैं, उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ, बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, पुलिस कमीशंस और पुलिस कमेटियां यहां पर निर्मित हुई थीं और उन्होंने रिपोर्ट्स दी थीं। उनके कुछ सजेशंस हैं, उनके ऊपर हमारे पहले की सरकार ने, हम सब लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं जिन पर अमल नहीं हुआ है। उस बारे में नई कमेटी बनाने जा रहे हैं। सरकार ने यह तय किया है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें जो रिकमेण्डेशंस की गई थीं और जिन रिकमेण्डेशंस पर अमल नहीं किया गया, वे कौन सी रिकमेण्डेशंस हैं, उसे बताएं और उनमें से कितनी रिकमेण्डेशंस पर हम अमल कर सकते हैं, यह बताएं और उन पर तुरन्त हम अमल करना शुरू कर देंगे। जिन रिकमेण्डेशंस पर अमल नहीं कर सकते हैं हम

[श्री शिवराज वि. पाटील]

कहेंगे कि इन रिकमेण्डेशंस पर हम अमल नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो पुराना काम पुलिस रिफोर्म्स के लिए हुआ है, उसमें पुलिस का कानून बदलना हो या पुलिस की हायरार्की बदलनी हो, पुलिस का ट्रेनिंग सिस्टम बदलना हो, चाहे पुलिस का रिक्रूटमेंट बदलना हो, पुलिस की फैसिलिटीज के बारे में हो, पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में हो, ये सारी चीजें हम देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे।

उसके बाद हम एक कमीशन बिठाएंगे, जो देखेगा कि आज के नये जमाने में किस प्रकार की पुलिस होनी चाहिए। आज के जमाने में पुलिस के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं और उनका सामना वे कैसे करेंगे, देहात में उनको जाकर काम करना पड़ेगा, हमारी कैपीटल्स में जाकर, हमारी राजधानियों में जाकर काम करना पड़ेगा और दूसरे देशों में भी जाकर काम करना पड़ेगा, वे यह सारे काम किस प्रकार से करेंगे, उन्हें नये गेजेट्स और इक्विपमेंट्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, यह सारा विचार करके हमें रिपोर्ट दी जाएगी और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। यह काम तुरंत होने वाला काम नहीं है, यह बहुत ही दक्षता से करने वाला काम है। हम यह काम जरूर करेंगे। और इसके ऊपर अमल करेंगे। इतना मैं इस सदन में खड़ा होकर आपको बताना चाहता हूं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उन भाइयों के लिए क्या किया है।...(*व्यवधान*) हमारा दृष्टिकोण क्या है। सैनिक दल को उपयोग करने की हमारी नीति क्या है, उसे मैं बताना चाहता हूं। आज हम आतंकवाद से लड़ने के लिए सैनिक शक्ति का ज्यादा उपयोग नहीं करते, लेकिन बहुत जगहों पर हमने कभी-कभी उनका उपयोग किया है। इसे हम कम करेंगे। हमारे सैनिक यह काम नहीं करेंगे, पुलिस फोर्स यह काम करेगी, हम ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे। अर्ध-सैनिक बल, जो केन्द्र सरकार के मातहत उनके साथ काम करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाएंगे। इसके लिए हम 209 नए बटालियन्स खड़े करने के बारे में विचार कर रहे हैं। 209 बटालियन्स का मतलब दो लाख 90 हजार, करीब-करीब इतनी संख्या पुलिस की बढ़ाएंगे। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे। उनके लिए नए प्रकार की ट्रेनिंग होगी। उन्हें सिर्फ पहाड़ और जंगल में जाकर लड़ना नहीं है या गोलियों का सामना ही नहीं करना है, यदि उन्हें ग्रेनेड का सामना करना पड़े, माइन्स का सामना करना पड़े तो वे क्या करेंगे, इस बारे में हम उनको ट्रेनिंग देंगे। उनको उसी प्रकार के हथियार देंगे। आतंकवादियों के हथियार हमारे लोगों से अच्छे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी पुलिस का एक भाई बंदूक लेकर जा रहा है और आतंकवादी ए.के. 47 लेकर आ रहा है तो उसकी तुलना नहीं हो सकती। हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे और इसमें बदलाव करेंगे।

जिस व्हीकल्स में वे लोग जाते हैं, वे भी उनको अलग प्रकार के देंगे। पुलिस वालों को आर्मर्ड व्हीकल्स देने की कोशिश रहेगी ताकि उनको जंगल में जाने पर या शहर में घूमने में डर नहीं लगे। शहर की लड़ाई और जंगल की लड़ाई बड़ी भयानक होती है। घर बैठकर लड़ाई कुछ करते हैं और रास्ते में रहकर कुछ और करते हैं। ऐसा जंगल में भी होता है। आर्मर्ड व्हीकल्स मिलने के बाद इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। इसके बाद हम उनके टेलीकम्युनीकेशन सिस्टम में बहुत मदद करने वाले हैं। देश में एक पोल-नेट क्रिएट करने जा रहे हैं। पोल-नेट का मतलब यहां का हर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट के एस.पी. ऑफिस से जुड़ा रहेगा, वह ऑफिस कैपिटल से जुड़ा रहेगा और कैपिटल में पुलिस का ऑफिस देश से जुड़ा रहेगा और जो मालूमात एक क्षण में एक जगह से जहां पहुंचाते हैं, वहां पहुंचाए जाने का इंतजाम होगा। इसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। इसके लिए हमने करीब-करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा कर लिया है। मैं ऐक्जैक्ट फिगर्स नहीं दे रहा हूं, यह 3700 करोड़ रुपये के करीब है।

हम सिर्फ अपने पैरा-मिलिट्री फोर्सेज पर पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है, हम स्टेट पुलिस को भी पैसा दे रहे हैं। वह आंकड़ा बढ़कर हर साल के लिए 1700 करोड़ रुपये तक आया है और अगर ज्यादा की जरूरत हुई तो वह भी बढ़ा देंगे। स्टेट्स पुलिस की अब और बटालियन खड़ी करने का इंतजाम करें ताकि उनकी संख्या ज्यादा हो। स्टेट पुलिस के पास ट्रेनिंग सैंटर्स हैं, उनको भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। केन्द्र के ट्रेनिंग सैंटर्स को भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम प्रान्तों में ट्रेनिंग देंगे, देश के स्तर पर देंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों में भेजकर भी देंगे। इस प्रकार हम पुलिस फोर्सेज की माडर्नाइजेशन का काम करने जा रहे हैं। उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। आतंकवाद का मुकाबला करने में तोप, हवाई जहाज, फ्रिगेट्स या सबमैरिन का उपयोग होता है, मगर हर जगह, हर वक्त नहीं होता है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अगर ऐसे हथियारों का उपयोग किया जाये तो मक्खी को मारने के लिए एक हैमर का उपयोग करने जैसा हो जाता है। मक्खी तो मरती नहीं है लेकिन हैमर पर असर पड़ता है। इसके लिए सबसे जरूरी बात इंटेलीजैंस की है। इंटेलीजैंस मशीनरी ऐसी होना चाहिए जिसमें देरी न हो। जहां से मैसेज निकलता है, वहां से निकलने के बाद, जहां उसका उपयोग करना है वहां पहुंचने तक देरी न हो। इंटेलीजैंस मशीनरी को हमें यहां स्ट्रांग करना है। मिलिटरी इंटेलीजैंस, पुलिस इंटेलीजैंस

को हमें नैशनल लैवल पर स्ट्रांग करना है। स्टेट की इंटेलीजैंस को भी हमें स्ट्रांग करना है। हमें केवल इंटेलीजैंस कलैक्ट करने का ही काम नहीं करना है, इंटेलीजैंस ऐनोलाइस करने का भी हमें काम करना है। इंटेलीजैंस ऐनोलाइस करने का काम ही हमें नहीं करना है, जहां पर उसका उपयोग होगा, वहां तक पहुंचाने के लिए भी काम करना है। यह काम बड़ा पेचीदा है, बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है और उसकी गहराई में जाकर हमें देखना होगा। इसमें काम करने वाले लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वे भी अपनी जान की जोखिम लेकर काम करते हैं। काम करते-करते वे नष्ट हो जाते हैं मगर उनका नाम किसी को मालूम नहीं होता है कि वे नष्ट हुए हैं। हम उसके प्रति आदर की भावना भी प्रकट नहीं कर सकते, सैल्यूट भी नहीं कर सकते कि उन्होंने जान दी है। ये ऐसे भाई हैं जिनके कारण आपको और हमें नींद अच्छी आती है, आपका और हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। आपके हाथ पैर और हमारे हाथ पैर और हमारी हमारी जान की सुरक्षा होती है। वे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए घूमते हैं, रात और दिन घूमते हैं। जब हम सोते हैं तो वे जागते हैं। इसलिए हम सो सकते हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे यहां पर तैयारी हो रही है।

एक बात और है कि केन्द्र के स्तर पर क्या किया जा रहा है? एक बात बड़े अच्छे ढंग से उठाई गयी। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर यहां चर्चा होनी चाहिए। कुछ भाइयों ने यहां कहा कि कभी कभी यहां से होम मिनिस्टर साहब कह देते हैं कि यह काम प्रांत की सरकार का है, हमारा काम नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा कि यह काम प्रांत की सरकार का है, हमारा नहीं है। हमने इसे गलती से भी नहीं कहा कि यह प्रांत सरकार का काम है, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। हम इसे कहेंगे भी नहीं कि प्राथमिकता से यह काम प्रांत की सरकार को करना है। इस में केन्द्र सरकार को काम देना है। बड़े-अजीब-अजीब अनुभव आते हैं, मैं आपको वह बताना चाहूंगा। माफ कीजिए, मैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारी जो समझ में आया, वह मैं कह रहा हूं। मणिपुर में झगड़ा हुआ तो आप हमें कहेंगे कि आप वहां पर क्यों नहीं गये? किसी एक प्रांत में झगड़ा हुआ और हमारे मंत्री वहां जाकर पूछें—कि क्या हुआ तो कहा गया कि तुम कौन होते हो—ये दोनों बातें गलत हैं। वहां पूरी तरह से जाना भी सही नहीं और पूरी तरह से नहीं जाना भी सही नहीं है। इसमें कोई रास्ता निकालना है इसलिए हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि जहां तक कानून और सुरक्षा का प्रश्न है, पहले प्रांत की सरकार को, प्रांत की पुलिस को काम करना है। अगर यहां से होम मिनिस्टर आर्डर दे दें तो हमारे डी.आई.जी. वहां पहुंचकर इन्वेस्टीगेशन शुरू करें तो बात गलत होगी। मगर उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद की जरूरत है तो हम वहां जरूर जायेंगे। हमने बार-बार कहा है कि आप पुकारेंगे तो हम आयेंगे। आप पुकारो, हम आयेंगे। यह भी छोड़िये, अगर हमको लगा कि हमारा वहां जाना जरूरी है तो हम वहां जाकर पूछेंगे कि क्या हो रहा है? अगर आपने बोला कि आप आइये तो हम जायेंगे और आपने नहीं कहा कि हमको आने की जरूरत नहीं है लेकिन हमको लगेगा कि वहां की परिस्थिति अच्छी नहीं है, वह बिगड़ती जा रही है और हजारों लोगों की जान माल को उससे धोखा हो सकता है, जैसे कुछ प्रांतों में हुआ, वहां हम कुछ दिन पहले कुछ नहीं कर सके, अगर वहां ऐसी परिस्थिति हुई तो हम वहां पहुंचेंगे और काम करके दिखायेंगे। मगर इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है? इसे ध्यान में रखना चाहिए। लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन स्टेट लिस्ट में है लेकिन यह कंकरेंट लिस्ट में भी है। हम वहां जा सकते हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि हम वहां जाकर क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हर साल हमारे जो स्पेशल सैक्रेट्री हैं, उनके अधिपत्य में एक कमेटी बनी है।

जिसको हम कोआर्डिनेटिंग टॉस्क फोर्स कहते हैं। पूरे डी.आई.जी. वगैरह सबको बुलाकर ये जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, उसके संबंध में वे विचार करते हैं। दूसरे होम सैक्रेटरी के लैवल पर कोआर्डिनेशन कमेटी बनी है, वह भी विचार करती है और होम मिनिस्टर के लैवल पर साल में मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के साथ भी मीटिंग्स होती हैं। उसमें हम तय करते हैं कि हम सब लोगों को मिलकर किस प्रकार का काम करना है और जो भी तय होता है, उसके ऊपर हम अमल करते हैं कि अगर किसी प्रांत को ज्यादा पुलिस फोर्स की आवश्यकता है तो हम देते हैं। अगर किसी प्रांत को ज्यादा पैसे की आवश्यकता है तो हम देते हैं।

**अपराह्न 3.36 बजे**

**(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)**

हमारे पास जो इंटेलीजेंस है, वह हम देते हैं। हमारे पास जो हथियाह हैं, वह हम देते हैं। हमारे पास जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, वह भी हम देते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि यह तुम्हारा ही काम है और इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। आप ही देखें और हम इसे बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर कोई पूछता है कि यह केस किसी के ऊपर चल रहा है तो आप क्यों नहीं इसमें इंटरफेअर कर रहे हैं और पांच-छह लोगों की हत्या हो गई और हम पूछने के

[श्री शिवराज वि. पाटील]

लिए गए तो वे लोग कहते हैं कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। दोनों चीजें भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति यहां पर बनी हुई है।

अंत में, यह जो सुरक्षा का काम है, हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनी हुई है, इसमें इस पर विचार होता है और जो भी विचार होता है, वह होम मिनिस्टर पर लागू होता है, वह सबको लागू होता है।

मणिपुर और कश्मीर में जो हुआ, आज आतंकवादी प्रांतों में जो कुछ हो रहा है, वह अकेले के विचार का फल नहीं है। वह सारे लोगों के विचार का फल है। वह जो अच्छाई निकल कर आ रही है, उसके हकदार सारे लोग हैं, सारे कुलीग हैं जिन्होंने हमें राय दी है। यह मैं यहां खुलेआम कहना चाहूंगा। मगर इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहिए कि अच्छा काम हुआ तो इनकी वजह से और बुरा काम हुआ तो इनकी वजह से हुआ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी सी खटास पैदा हो जाती है।

अब प्रश्न है कि हम पड़ोसी राष्ट्रों के साथ क्या कर रहे हैं। अब यहां पर जो विरोधी पक्ष के जो हमारे साथी हैं, मल्होत्रा जी यहां पर नहीं हैं और मैंने कहा था,...(*व्यवधान*) मीटिंग हो रही है। उसमें मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं। स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई है। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो पड़ौसी राष्ट्र हैं, उसका असर भी हमारे ऊपर हो रहा है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर में हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं तथा पड़ोसी राष्ट्र हमारे पूर्व और उत्तर दोनों में हैं। बंग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, वह सबसे लम्बा बॉर्डर है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि करीब-करीब 4000 कि.मी. से ज्यादा लम्बा बॉर्डर है और वहां पर भी कुछ हो रहा है तो हम क्या करने जा रहे हैं। एक बात यह है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का जो बॉर्डर हैं, उसके अंदर हमने फैंस लगाने का काम करीब-करीब पूरा कर दिया है। 20-25 कि.मी. का काम बाकी रह गया है। वह काम बड़े अच्छे ढंग से हुआ है। खासकर जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर का जो काम है, जो आर्मी के लोगों ने किया है, बहुत अच्छे ढंग से किया है। दूसरा काम भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। मगर बंग्लादेश के बॉर्डर का काम बहुत तेजी से नहीं चल रहा है। डेढ़ हजार कि.मी. का काम तो हुआ है मगर बाकी काम नहीं हुआ है, उसका कारण यह है कि वहां पर जंगल और दरिया बहुत हैं। जो काम जिन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, उन एजेंसियों की उतनी पूरी तैयारी नहीं है। खासकर जिस स्टेट की एजेंसी को काम करने के लिए कहा है, स्टेट की एजेंसी ने दूसरी एजेंसी को काम करने के लिए दे दिया है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह काम भी पूरी तरह से हो जाए।

म्यांमार और हमारे हिन्दुस्तान में तो कोई बॉर्डर लगाने का प्रश्न नहीं है। हिन्दुस्तान, नेपाल और भूटान, यहां पर भी बॉर्डर लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। वहां पर पैट्रोलिंग की मदद से इन्फ्लट्रेशन को रोकना होगा। एक इंस्टीट्यूशनेलाइज काम हो गया है। एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। होम सैक्रेटरी के लैवल पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के होम सैक्रेटरी मिलकर इसकी चर्चा करते हैं। बंग्लादेश के होम सैक्रेटरी हिन्दुस्तान और बंग्लादेश के मिलकर करते हैं और म्यामार के होम सैक्रेटरी भी उसके साथ चर्चा करते हैं। सिर्फ होम सैक्रेटरी के लैवल पर चर्चा होती है, ऐसा नहीं है। भूटान और नेपाल में भी चर्चा होती है। कभी होम सैक्रेटरी, कभी डिफेंस सैक्रेटरी और कभी फॉरेन सैक्रेटरी, ये सब इन लोगों के साथ बात करते हैं।

मंत्री स्तर पर भी बातें होती है। उसके बाद आगे चलकर प्रधान मंत्री स्तर पर भी बातें होंगी। पाकिस्तान के अध्यक्ष और भारत के प्रधान मंत्री में भी बात हुई है। देश में और देश के बाहर भी बात हुई हैं। इसके अलावा सार्क में या अन्य किसी मौकों पर भी बात होती है। यह बात बाई लैटरल हो सकती है, मल्टी लैटरल नहीं। हम लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से बात कर रहे हैं। म्यांमार के अध्यक्ष जी को हमने यहां बुलाया था। वह यहां आए थे और उन्होंने कहा कि आपने जो चिंता व्यक्त की है, उसे उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आतंकवाद न हिन्दुस्तान में हो, या म्यांमार में हो, उसके लिए जो वह कर सकते हैं, करेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने भी यही कहा है। भूटान के नरेश ने तो हमारे देश की बहुत मदद की है। उसका जितना आभार व्यक्त करें, वह कम है। नेपाल के लोग भी मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, वह हमने उनसे कहा है। वे कहते हैं कि हम जरूर मदद करेंगे, मगर आप जो कह रहे हैं, वह पूरा सही है या नहीं, हम इसे देखेंगे। हमने उन्हें बताया है कि आपके वहां ऐसा है। यदि भारत में आतंकवाद पनपा तो यहां के लोगों को नुकसान होगा और यदि बांग्लादेश में पनपा तो उनको नुकसान होगा। हमें आशा है कि इस बात को वे भी मानेंगे और इस बारे में काम करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई घटना हो, उसके लिए पूरी सरकार को दोष देते रहें, यह ठीक नहीं है। हमारे जो अच्छे सम्बन्ध उनसे हैं, वे बिगड़ जाएंगे। और भी कई बातें हैं, लेकिन

परिस्थितियां आज ऐसी नहीं रहीं कि एक देश दूसरे देश के साथ काम करते हुए ऐसा नहीं कर सकता। श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो या नेपाल हो। यहां की सरकारों और लोगों ने कहा है कि हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद भी हमें मिल सके तो लेंगे। यह हमारा प्रयास है।

कहीं पर अच्छा काम हुआ है, उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, मैं यह भी मानता हूं। हमारे देश में अगर ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं तो हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे और आतंकवादी हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरे देश हैं, वे भी कर सकते हैं। लेकिन हम वहां जाकर ऐसा नहीं कर सकते। वहां की सरकार की मदद से कर सकते हैं, और कर रहे हैं।

एक बात पोटा के बारे में कही गई। यह कहा गया कि उसको रिपील करने से, हटाने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गलत संदेश गया है। उसको हटाकर बेकार कर दिया गया है। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस बात को हमने भी ध्यान में रखा था। हमने इसको भूलकर काम नहीं किया। हमने पोटा रिपील जरूर किया है, लेकिन उसकी जगह हमने अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट भी पास किया है। उस सम्बन्ध में हम जो संशोधन यहां लाए थे, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र में जो रिजोल्यूशन आया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए था। उसके मुताबिक भारत को काम करने के लिए कानून होना चाहिए, इसका ध्यान रखा गया है। इसलिए हमने यह एक्ट बनाया है। हमने इस कानून में बताया है कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद जिस संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित कर देगी, उसको हम भी अपनी लिस्ट में आतंकवादी संस्था मान लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। यही हमने किया है।

संयुक्त राष्ट्र में यह बात भी आई कि आतंकवाद के लिए पैसा बैंक से, हवाले से या अन्य दूसरे माध्यमों से देश में आता है। हम इस तरह का जो पैसा बाहर से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए अपने देश में आता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह बैंकों के माध्यम से आ रहा है, हवाला के माध्यम से आ रहा है, गन रनिंग या नारकोटिक्स के माध्यम से आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इस बारे में पहले से प्रोविजंस कर रखे हैं। कृपया, ऐसा न कहें, जिससे बाहर के लोगों को लगे कि भारत जहां आतंकवाद की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, वह ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए हमने जो संशोधन किए हैं, उसमें प्रोविजंस किए हैं।

दूसरी बात जो दुनिया में चल रही है वह यह है कि आतंकवाद ऐसी परिस्थिति है जिससे हमें डरना चाहिए। भविष्य में शायद लड़ाइयां नहीं होंगी लेकिन आतंकवाद चलता रहेगा। आतंकवादी नारकोटिक्स का, गन रनिंग का पैसा एक देश से दूसरे देश में भेजकर यह काम कर रहे हैं। इसको रोकना चाहिए। करीब 18 देशों के साथ एक दूसरे को कानूनी सहायता देने के करार हुए हैं। इंवैस्टीगेशन के लिए, कैसेज चलाने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए 18 देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं तथा और भी देशों के साथ एग्रीमेंट करने का काम चल रहा है। करीब 30 देशों के साथ हमने प्रत्यार्पण संधि पर साइन किये हैं और उनसे कहा है कि आपके पास जो गुनहगार होंगे, उनको हमारे देश में प्रत्यार्पण करके भेजेंगे। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यह कार्य किया जा रहा है। समुद्र और आकाश में भी आतंकवाद हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आतंकवादियों के हाथ में रेडियोलॉजिकल बायोलोजिकल हथियार आ जाएं तो उनका मुकाबला करने के बारे में भी युनाइटेड नेशन्स के लोग, दूसरे लोग तथा हम भी विचार कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, यह उसका बहुत थोड़ा हिस्सा है और जो कुछ भी हमको करना चाहिए, उसका भी बहुत थोड़ा हिस्सा है। आपको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अकेला आदमी, मंत्रालय या केवल सरकार ही इसे कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। सब लोगों को यह काम करना है। इस बारे में जो चर्चा हुई है वह पक्ष अभिनिवेश से चर्चा नहीं हुई है बल्कि पक्ष अभिनिवेश को बाजू में रखकर चर्चा हुई है और सही बातों को आपने बताने की कोशिश की है और उन सभी बातों का हम आदर करते हैं और उनको लेकर के हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहे तो आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकेंगे। हमें उम्मीद है कि जिस दृष्टि से आपने चर्चा की, उसी दृष्टि से आप हमें आगे भी मदद करेंगे।

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): सभापति जी, आप तो कृपालू हैं, नियम तो नहीं है लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

**सभापति महोदय:** रिप्लाई हो गया है प्रश्न पूछने का कोई नियम नहीं है।

*[अनुवाद]*

**श्री तापिर गाव** (अरुणाचल पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए...(*व्यवधान*)

**सभापति महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं। आखिरकार, आप निर्णय लेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन जिस तरह से यह चर्चा हुई है, उसके अनुसार आपको माननीय सदस्यों को एक या दो प्रश्न पूछने की ही अनुमति देनी चाहिए ताकि मैं उन्हें उत्तर दे सकूं।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह:** सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत ढंग से अपनी बात को कहा है। लेकिन एक बात मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। बर्मा और भूटान ने जिस तरह से मदद की है वह विश्वसनीय बात है और इसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन नेपाल के बारे में परिस्थिति दूसरी है। आज नेपाल खुद ही नक्सलवादी आतंकवाद से इस तरह घिर गया है कि वहां के लोकतंत्र की हिफाजत बहुत मुश्किल बात हो रही है और इस बात का मुकाबला करने के लिए केवल अमरीका के जिम्मे, वहां की सुरक्षा छोड़ दी जाए, यह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल बात नहीं होगी। जिस तरह से अमरीका ने यूक्रेन में अस्थिरता पैदा करके रूस को परेशान करने की कोशिश की है उसी तरह से नेपाल में भी अस्थिरता पैदा करके वह हमें भी परेशान कर सकता है। खबरें इस बात की भी हैं कि जिस नक्सलवाद ने नेपाल में अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं, वह उत्तर प्रदेश और बिहार के भी नक्सलवाद को प्रशिक्षित कर रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नेपाल की सरकार को, वहां के नक्सलवाद को और वहां के द्वारा प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश और बिहार का जो नक्सलवाद है, उसको समाप्त करने की भारत सरकार की रणनीति क्या होगी?

*[अनुवाद]*

**श्री तापिर गाव:** सभापति महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि हम बातचीत का विरोध नहीं कर रहे हैं। बातचीत का निष्कर्ष समझौता अथवा सहमति है। आपने मिजोरम का उल्लेख किया है। भारत सरकार ने समझौता करके मिजोरम की जनता को धोखा दिया है। वर्ष 1960 में नागालैण्ड हैदर समझौता हुआ था; वर्ष 1970 में नागालैंड में समझौता हुआ था; वर्ष 1975 में नागालैंड के साथ समझौता हुआ था; इसके बाद असम समझौता हुआ; इसके बाद बोडोलैंड समझौता हुआ। इस एकॉर्ड में डेवलपमैंट एक्टिविटीज का उल्लेख था। मैं जानना चाहता हूं कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास बनाए रखने हेतु इन सभी समझौतों पर ध्यान देंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): सभापति जी, आंतरिक सुरक्षा देश के लिए एक चिन्ता का विषय है विशेष कर जो विदेशी घुसपैठिए हैं जो अलग-अलग देशों से और खास तौर पर बांग्लादेश से हमारे देश में घुसपैठ करके आए हैं, उनका अधिकतर संबंध आपराधिक तत्वों से होता है। देश के किसी भी क्षेत्र में जहां बड़े-बड़े अपराध होते हैं वे, उनमें लिप्त रहते हैं। यदि उनकी जांच की जाए तो अधिकतर बांग्लादेशी घुसपैठिए आपराधिक तत्वों में लिप्त पाए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विशेष सीमा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। असम के सिल्चर डिस्ट्रिक्ट के करीमगंज क्षेत्र में जो एक तरफ हिन्दुस्तान में है और आधा बांग्लादेश में है, अधिकतर बांग्लादेशी उसी रूट से आते हैं। वे करीमगंज से सिल्चर होते हुए असम से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से सारे देश में बड़ी संख्या में फैल गए हैं। इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या आप करीमगंज और सिल्चर क्षेत्र में किसी विशेष योजना का इंतजाम करेंगे? क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई इंतजाम किया है?

**चौधरी लाल सिंह** (उधमपुर): सभापति महोदय, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पुलिस के बारे में बहुत कुछ कहा है। हमारी जम्मू-कश्मीर रियासत है। उन्होंने बी.डी.सी. के बारे में यहां कुछ नहीं कहा। जब वे लोग मारे जाते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता क्योंकि वे कॉन्स्टेबल नहीं हैं। आपने वहां एस.पी.ओ. और बी.डी.सी. लगाए हैं। सरकार उनके लिए क्या इंतजाम कर रही है? वहां पॉलिटिकल लोगों पर भी अटैक हो रहे हैं। इसे रोकने का सरकार ने क्या इंतजाम किया है? मैंने इस बारे में अपना भी उल्लेख किया था।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खास तौर पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा में जो उग्रवादी संगठन और नक्सलवादी संगठन काम कर रहे हैं और कुछ संगठन जो जातीय संगठन हैं जिन्हें बड़े-बड़े पदाधिकारियों और सरकारी लोगों का कहीं-कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्या उन संगठनों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से बात की है? भारत सरकार उन उग्रवादी संगठनों से लड़ने के लिए कौन सी कार्रवाई करने जा रही है?

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** (बारामूला): मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से छोटे से नुक्ते की वजाहत चाहता हूं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत सारी बातों की यहां सदन में वजाहत करके सरकार की नीयत का मुजाहिरा किया जिस के लिए हम शुक्रगुजार हैं।

लेकिन कल हमारे एक साथी श्री लाल सिंह ने यहां तकरीर में कहा कि उनकी राय है कि रियासते जम्मू-कश्मीर में सो-काल्ड ट्राइफर्केशन पर अमल किया जाए। जम्मू को अलग रियासत बनाया जाए, लद्दाख अंतरिम खुद-मुख्तायारी नहीं चाहता है और कश्मीर को अंतरिम खुद-मुख्तायारी दें या क्या करें। में ऑनरेबल होम मिनिस्टर से इसकी वजाहत चाहता हूं। मुझे मालूम है कि कांग्रेस की मंशा ऐसी नहीं है। लेकिन इस बात की वजाहत इस सदन में होनी चाहिए कि सो-काल्ड ट्राइफर्केशन के जो ख्यालात हैं या इस किस्म के जो जज्बात हैं, इसके बारे में सरकार की क्या राय है।

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, लिपुले खबर भारत-तिब्बत बॉर्डर और भारत-नेपाल बॉर्डर से जो क्षेत्र लगे हैं, इसमें काली नदी पर चूंकि एस.एस.बी. की तैनाती है, नेपाल बॉर्डर पर पिथौरागढ़ और चंपावत जिले स्थित हैं, इन जिलों में तैनात एस.एस.बी. की बहुत समय से यह मांग रही है और वे इस बारे में पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि उन्हें मोटरबोट की सुविधा दी जाए। वहां का पहाड़ी एंरिया इतना खतरनाक है कि उसमें गश्त नहीं हो पाती है। तार के जरिये या किसी अन्य तरीके से माओवादी इधर आयेंगे, यह खतरा वहां हमेशा बना रहता है। इसलिए हम यह मांग माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहते हैं कि वहां के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वहां पर तैनात एस.एस.बी. को तत्काल मोटरबोट की सुविधा प्रदान की जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रबोध पाण्डा** (मिदनापुर): महोदय, मैं विशेषरूप से माननीय गृह मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं। भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से सीमा सुरक्षा बल के लोगों के व्यवहार के विरुद्ध काफी शिकायतें आ रही हैं। क्या माननीय मंत्री को इन शिकायतों के बारे में पता है? उन किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनकी भूमि का उपयोग सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए किया गया है।

मेरा अगला प्रश्न है कि विदेशी अंत:क्षेत्र का क्या हुआ। विदेशी अंत:क्षेत्र की समस्या है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, बांग्लादेश सरकार के साथ वे अंत:क्षेत्र बदलने के लिए वार्ता करने की इच्छुक है।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने बड़े विस्तार से और सार्थक ढंग से सरकार की नीतियों को सदन में रखने का काम किया है। माननीय सदस्यों ने हर पहलू पर अपनी बातें सदन में रखीं, उन पर भी गृह मंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि गोली या बंदूक के माध्यम से उग्रवाद या नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता और यह सरकार की भी नीति नहीं है। हम सख्ती भी बरतेंगे, मगर उन्हें प्यार भी करेंगे। हम उनका ध्यान खासकर अपने क्षेत्र बिहार और झारखंड की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे बिहार और झारखंड की वर्षों से जो स्थिति रही है, वह किसी से छिपी नहीं है। वहां कई जिलों में लगातार नक्सलवादियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण स्थिति बहुत खराब हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि बिहार और झारखंड में पिछले दिनों जो नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, उनकी रोकथाम के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आपकी जो नीति है, उस नीति के तहत आप कौन से कदम उठायेंगे, ताकि बिहार, झारखंड और साथ में उत्तर प्रदेश के इलाकों में शांति और अमन-चैन कायम हो सके। वहां पर लोगों का जीना दूभर हो गया है। बिहार से आने वाले कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी भावनाएं रखी हैं। हम और वे सब भी जानना चाहते हैं कि आप ऐसे कौन से कदम उठाने जा रहे हैं जिनसे वहां अमन-चैन कायम हो सके और नक्सलवाद में कमी आ सके।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकपुरा): महोदय, जहां तक हमारी राष्ट्रीयता अथवा आंतरिक सुरक्षा का संबंध है, हमारे राष्ट्र को हमारे पत्रकार समुदाय द्वारा किए जा रहे सबसे जोखिमपूर्ण पेशे की बारे में जानकारी है। सशस्त्र बलों की भांति, हमारे पत्रकार अपने कर्त्तव्य का पालन करने हेतु अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। जम्मू और कश्मीर अथवा आंध्रप्रदेश में नक्सली संचालन क्षेत्र में उनके जीवन की रक्षा हेतु क्या कोई विशेष उपाय किये गये है? ऐसे मामलों में, पत्रकार ही सबसे पहले पहुंच रहे हैं। आज मीडिया के लोग विशेषरूप से दृश्य मीडिया तथा प्रिंट मीडिया घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंच रहे हैं। कई बार हमारी आसूचना से जुड़े लोग सूचना प्राप्त नहीं कर पाते हैं लेकिन मीडिया के लोग हमेशा इन्हें प्राप्त करते रहे हैं। वीरप्पन अथवा कारगिल युद्ध आदि के मामले में मीडिया के लोगों ने शानदार कार्य किया है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप केवल प्रश्न पूछिए।

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश:** महोदय, कृपया मुझे एक मिनट दीजिए। सशस्त्र बलों के संबंध में, विशेषरूप से जब मणिपुर का मामला हो, जहां बलात्कार और अन्य बातें हुईं—यह आरोप है—महिला सांसद होने के कारण यह मेरे लिए बहुत दु:खद है। मैं इसे सामाजिक समस्या मानती हूं। हमारी सशस्त्र बलों के कार्मिक इन दिनों मानसिक दबाव में कार्य कर रहे हैं। वे अपने परिवारों तथा प्रियजनों से दूर रह रहे हैं।

**अपराह्न 4.00 बजे**

फिर भी वे वीरतापूर्ण और साहसपूर्ण अपना दायित्व निभा रहे है तथा मातृभूमि की रक्षा करने हेतु सियाचिन जैसे सर्वोच्च चौकी की चौकसी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके मानसिक दबाव को कम करने हेतु विशेष उपाय करने चाहिए तथा पत्रकार समुदाय की सेवाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री जुएल ओराम** (सुन्दरगढ़): मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उग्रवादी फाल्स सर्टिफिकेट और आइडैन्टिटी देकर फाल्स सरैन्डर कर रहे हैं, और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो नक्सलवादी कह रहे हैं कि बातचीत भी करेंगे और वैपन लेकर भी प्रदर्शन करेंगे, उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? बहुत सारे प्रदर्शन खुलेआम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुए हैं। आंध्र प्रदेश में जिस दिन से चीफ मिनिस्टर ने लोगों की कॉनफ्रैन्स की है, उसके बाद से ही नक्सलवादी खुलकर सामने आ रहे हैं और अस्त्र लेकर शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में केन्द्र सरकार की क्या नीति है, वह भी स्पष्ट रूप से बताएं।

*[अनुवाद]*

**श्री मधुसूदन रेड्डी** (आदिलाबाद): महोदय, मैं भारत सरकार को इस शानदार चर्चा के लिए बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। इस माह की 16 तारीख को माओवादी तथा आंध्रप्रदेश सरकार के बीच युद्ध विराम समाप्त हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार आंध्रप्रदेश सरकार को 16 तारीख के बाद युद्ध विराम बढ़ाने हेतु कोई पत्र या सूचना भेज रही है।...*(व्यवधान)*

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** महोदय, क्या मैं एक बात का सुझाव दे सकता हूं? माननीय सदस्यों को लिखित में उत्तर भेजे जा सकते हैं। हम एक और वाद-विवाद नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री बृजभूषण शरण सिंह** (बलरामपुर): अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नेपाल से हमारे ऐसे संबंध हैं कि वहां पर बाड़ लगाना संभव नहीं है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी अभी नेपाल की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं सीमा पर लगे हुए क्षेत्र से चनकर आता हूं। अभी पिछले दिनों तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें यह बात बात उजागर हुई है कि चाहे देश के अंदर आर.डी.एक्स पकड़ा गया हो या हथियार पकड़े गए हों, सब नेपाल के रास्ते से हमारे देश में आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वहां विशेष निगरानी की व्यवस्था करेंगे जिससे नेपाल की खुली सीमा से हमारे देश में हथियार या आर.डी.एक्स न आ सकें।

*[अनुवाद]*

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद):** महोदय, हम दो चर्चाएं किस तरह कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** ऐसा कोई प्रिसिडैन्स नहीं है। स्पेशल केस में माननीय मंत्री जी की रिक्वैस्ट पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री इलियास आजमी** (शाहाबाद): नेपाल के बार्डर के बारे में सवाल हो सकते हैं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** इस पर कोई डिसकशन नहीं हो सकता। ऐसा कोई प्रिसिडैन्स नहीं है कि इस पर डिसकशन हो सकता है। रिप्लाई के बाद कोई डिसकशन नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

**श्री सुनिल कुमार महतो** (जमशेदपुर): सभापति जी, झारखंड की जो स्थिति है, अलग झारखंड राज्य की लड़ाई हम लोग 34 साल लड़े। वहां पहले चार जिलों को ही उग्रवाद प्रभावित सुनते थे, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पूरे 22 जिले उग्रवाद प्रभावित हो चुके हैं। 200 पुलिस कर्मी वहां मारे गए हैं, 38 सी.आर.पी.एफ. के जवान मारे गए हैं और 58 उग्रवादी मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी): माननीय सभापति महोदय, भारत के 20 आतंकवादियों की पहचान भारत के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में हुई है और वे देश छोड़कर भाग गए हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार इन्हें विभिन्न देशों से वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रही है...(*व्यवधान*)

*[हिन्दी]*

**श्री सुनिल कुमार महतो:** मैं एक बात और कहना चाहता हूं।...(*व्यवधान*)

**सभापति महोदय:** आपकी बात रिकार्ड पर आ गई है। आप बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

...(*व्यवधान*)

**सभापति महोदय:** माननीय मंत्री की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)*

**श्री बिक्रम केशरी देव:** महोदय, हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि अल कायदा भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सरकार इस चुनौती का सामना किस तरह से करेगी? दूसरा, 20 आतंकवादी, जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन है तथा जो मुम्बई बम कांड में शामिल है, भारत से भाग गए हैं। सरकार उन्हें वापस लाने हेतु क्या कदम उठाएगी?

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): सभापति जी,...(*व्यवधान*)

**सभापति महोदय:** रामदास आठवले जी, जो प्रश्न किए हैं, उनके जवाब तो मंत्री जी से सुन लीजिए।

**श्री रामदास आठवले:** सभापति जी, मेरा एक सवाल यह है कि स्मृति रानी ने गुजरात सरकार को बर्खास्त करने की बात की थी, उनके ऊपर दबाव डाला गया है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ...(*व्यवधान*)

**कुछ माननीय सदस्य:** यह छोटी रानी कौन है?...(*व्यवधान*)

*[अनुवाद]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, पहला प्रश्न नेपल से संबंधित है। मैं किसी सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन भारत नेपाल सरकार से राजनयिक स्तर, राजनैतिक स्तर आदि पर बात करती रही है और इस मामले से उचित रूप से निपटा जाएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। शायद, विदेश मंत्रालय बेहतर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है।

दूसरा प्रश्न बोडो समझौते तथा अन्य समझौतों के बारे में है। मैं सभा में सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि सभी समझौते क्रियान्वित हो। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जो समझौते क्रियान्वित नहीं हुए हैं, वे क्रियान्वित हों। हम ऐसा करने हेतु कदम उठा चुके हैं।

श्री गीते ने संगठित अपराधों के बारे में कहा। संगठित अपराधों को देखने के लिए हमारे देश में एक प्रकोष्ठ है तथा संगठित अपराधों में लिप्त लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

श्री लाल सिंह ने पी.डी.सी. तथा अन्य मुद्दों के बारे में कहा। मैं आपके साथ मामले पर चर्चा करूंगा और इन लोगों को जो भी सहायता दी जा सकती है, दी जाएगी। हमने कुछ प्रावधान बनाए हैं ताकि अन्य लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। हम इन लोगों को भी सहायता देना चाहते हैं।

जहां तक झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों का संबंध है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह केवल राज्यों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार इन राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने तथा इन्हें रोकने की जिम्मेदारी में हाथ बंटाना चाहती है। मेरा माननीय सदस्यों तथा इन राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे हमारे साथ मामले पर चर्चा करे और हमें बताएं कि उन्हें हमसे किस तरह की सहायता चाहिए। हम बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा किस अन्य राज्य को इस मामले में सहायता प्रदान करेंगे।

जहां तक तीन भागों में बांटने का प्रश्न है, मैं इससे अधिक कुछ और नहीं कहना चाहता कि भारत सरकार की नीति को जनता के बीच तथा कई मंचों में स्पष्ट किया गया है और वह नीति जारी है। हम राज्यों को समृद्ध होता हुआ देखना चाहते हैं।

एक प्रश्न यह था कि क्या कालीनदी में मोटरबोट चलाने दी जाएंगी। जी हां, हमारी ऐसी योजना है और हम मोटरबोट तथा अन्य किस्मों के वाहन जो झीलों और तालाबों में चलाये जा सकते हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से इस मुद्दे की जांच करेंगे और यदि मोटरबोट दी जा सकती होंगी, तो देंगे।

जहां तक बी.एस.पी. का संबंध है, मुझे खेद है कि कभी-कभी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से किये गए अच्छे कार्यों और हमारे साहसी भाइयों और बहनों द्वारा किये गए बलिदानों को भी भुला दिया जाता है। यदि ऐसी कोई घटना होती है तो निश्चित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

रूप से उसकी जांच करेंगे और अधिकारियों को इस विषय में समुचित कार्यवाही करने के लिए कहेंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो।

'इन्कलेव' और अन्य बातों के संबंध में हमारे गृह सचिव बंगलादेश गये थे। 'एन्कलेव' और अन्य मुद्दों पर बंगलादेश के गृह सचिव तथा राजनीतिक नेताओं से विचार-विमर्श हुआ और हम इन मुद्दों की जांच कर रहे हैं।

कुछ पत्रकारों को जान का खतरा है। बीते समय में कुछ पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ था और इनमें कुछ पत्रकारों की जानें भी गयी। यह हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए और हम इसमें असफल नहीं होंगे।

जहां तक हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों का संबंध है, हमारी नीति है कि यह देखा जाए कि उन्हें रोजगार दिया जाए। जो लोग पहले नक्सलवादी तथा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गए थे वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि वे फिर से नक्सलवादी और आतंकवादी समूहों से न मिल जाएं जिनके साथ वे पहले इन गतिविधियों में संलिप्त थे। जब यह नीति है तो नक्सलवादी गुट में शामिल न हुए लोगों को रोजगार देने में कठिनाई क्यों होगी। यदि वे लोग हमारे पास आयेंगे तो हम अवश्य उनकी सहायता करेंगे। हम केवल यही बात कहना चाहेंगे कि वे गलत रास्ते से यहां न आएं। हम उन्हें उचित मार्ग अपनाने की राय देंगे और उन्हें रोजगार दिलायेंगे।

यहां किसी ने कहा है कि यदि 'बातचीत' 'हथियार' आदि पर वार्ता विफल रही तो क्या किया जाएगा। मैंने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। अतएव, मुझे इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है...(*व्यवधान*)

यदि कोई व्यक्ति हमसे सुरक्षा चाहता है तो चाहे वह सीधे आए या किसी माननीय संसद सदस्य के माध्यम से, उसे सुरक्षा दी जाएगी...(*व्यवधान*)

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): वह सुरक्षा की मांग नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने केवल उन्हें सौंपे गए वक्तव्य को ही पढ़ा था।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई अन्य मुद्दा नहीं है जिसका जवाब देने की आवश्यकता हो...(*व्यवधान*)

**सभापति महोदय:** श्री इलियास आजमी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

---

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक*, 2004

**अपराह्न 4.13 बजे**

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्यो, हम मद संख्या 17 और 18 को एक साथ लेंगे। अब मैं श्री बची सिंह रावत 'बचदा' को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा): माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

*[अनुवाद]*

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा':** माननीय सभापति जी, मैं लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 75(2) के भाग (क) के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर 20 मार्च, 2005 तक राय प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु इसे परिचालित किया जाए।"

इसी के साथ मैं जो अध्यादेश लाया गया है, उसके अनुशरण में जो पुन: विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उसका विरोध करता हूं और वास्तव में जिस तरीके से लाया गया है, जिस कारण से लाया गया है, उसके पीछे जो उद्देश्य हैं, वह वास्तव में आज एक प्रकार का एक गम्भीर प्रश्न सदन के सामने, संसद के सामने उपस्थित करता है।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

प्रारम्भ में ही यह बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि हमारा जो राजनैतिक दल है और जिस एन.डी.ए. गठबंधन में हम लोग हैं, वह संविधान के अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा तथा अन्य कार्यों की गारण्टी दी गई है, उसका पूरी तरीके से समर्थन करता है। उसके पक्ष में हमेशा हम लोग रहे हैं, लेकिन यह जो विधेयक आया है या उसके पहले जो 11 नवम्बर को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया, इसकी भूमिका तीन जुलाई को सामने आई है और तीन जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी कोष से, सरकारी खर्चे पर एक आयोजन किया गया और उसमें विशेष रूप से, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को केन्द्रित करके ऐसा प्रतीत होता है, जैसा समाचार-पत्रों में जाहिर हुआ है।

समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी संसद में सैकिंड लार्जैस्ट पार्टी है। उनके विचार जानने के लिए या सुझाव के लिए न किसी नेता और न ही किसी सांसद को उसमें आमंत्रित किया गया। लिहाजा जो भी डैलीब्रेशन्स हुए, उनकी जानकारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं। जो जानकारी मिली है, वह समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। आज के विधेयक को देखने से मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि एक ऐफीलिएशन की सुविधा उन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं को उनके इच्छित विश्वविद्यालयों से मिल सके, इस प्रावधान के लिए यह विधेयक लाया गया है। लेकिन विधेयक के साथ जो कारण और उद्देश्य दिए गए हैं, उनमें केवल मात्र एक कारण दिया गया है। पैरा 2 में दिया गया है—

*[अनुवाद]*

> तत्पश्चात् 27 अगस्त, 2004 को अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति की बैठक में अनेक विशेषज्ञों द्वारा इसी प्रकार की राय व्यक्त की गई थी। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से भाग लेने वालों ने ऐसी संस्थाओं की सहबद्धता के संबंध में विश्वविद्यालयों की वर्तमान प्रास्थिति द्वारा बहुधा अधिरोपित निर्बंधित शर्तों की दृष्टि से ऐसी सहबद्धता प्राप्त करने के लिए उपबंध करने की आवश्यकता की पुष्टि की।

*[हिन्दी]*

इसके आगे तमाम बातें कही गईं कि उनका ऐसा स्टेटस नहीं है, इस कारण वह अलग-थलग पड़ गए। इस अध्यादेश को लाने, उसके बाद विधेयक, जो मैनडेटरी है, लेकर आने के पीछे जो कारण बताया गया, वह यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालय जिनके द्वारा उनका ऐफिलिएशन होना है, वहां जो ऐग्जिसटिंग स्टेट्यूट्स (statutes) है, उनके कारण कठिनाई है। मैं विनम्रता के साथ मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि देश में यदि कोई विधान है और आर्टिकल 30 के भीतर संवैधानिक अधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग के ऐफीलिएशन में कोई विधान बाधा उत्पन्न करता है तो उस विधान को, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है या आपने छः यूनीवर्सिटीज का जो शैड्यूल प्रस्तुत किया है—दिल्ली यूनीवर्सिटी, नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी, पॉडीचेरी यूनीवर्सिटी, असम, नागालैंड, मिजोरम—वहां मुख्य रूप से सभी जगह आपके या आपके समर्थित दल का शासन है। कोई भी व्यवधान या बाधा पैदा करने वाला स्टेट्यूट जो ऐब इनीशियो नल एंड वॉयड है, न तो उनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कराएं, न ही उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। वे अपने स्थान पर यथावत रहें और हम संसद से नया लेजिसलेशन लेकर आ जाएं। लेजिसलेशन में कोई तात्कालिक कारण नहीं था। जिस आर्डीनेंस को मैंने डिसऐप्रूव किया है, तात्कालिक ऐसा कौन सा विषय आ गया जिसके कारण हाबड़-ताबड़ में आर्डीनेंस लाए, इसके पीछे कोई कारण मुझे मालूम नहीं पड़ता। जो कारण दिया गया है, वह वेग है। यह कहा जा सकता है कि इसके पीछे जो हेतु है, 3 जुलाई की जो प्रक्रिया हुई, आमंत्रित करने में जो भेदभाव हुआ, उसके बाद जो प्रक्रिया चली, उससे जाहिर होता है कि इसके पीछे एकमात्र हेतु राजनैतिक उद्देश्य है। हम एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जब पांच साल तक एन.डी.ए. की सरकार रही, शिक्षा में सुधार के प्रयास हुए, पाठ्यक्रम में सुधार के प्रयास हुए। उसे सैफ्रनाइजेशन ऑफ ऐजुकेशन कहा गया। और तो और, सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी गई कि उसे निरस्त किया जाए, पाठ्यक्रम गलत है, संविधान के विपरीत है. साम्प्रदायिक है। तीन जजों की जो फुल बेंच आई, जिसे जस्टिस साहा हैड कर रहे थे, उन्होंने जो फैसला दिया, उसके बाद सारे आरोप और प्रचार तंत्र पर विराम लग गया। उन्होंने पाया कि जो कुछ हुआ, नियमानुसार, देश की परिस्थिति और संविधान की मर्यादा के भीतर शिक्षा के सुधार के प्रयास हुए। आज ठीक उसके विपरीत जो व्यवस्था लेकर आप आए हैं। मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, यह इसलिए आवश्यक हो गया कि वह आपकी ओर से आना चाहिए था, मंत्रालय की ओर से आना चाहिए था।

सरकार की ओर से आना चाहिए था और इस बिल को सर्कुलेट किया जाना चाहिए था। इसमें एक डेफीनेट समय तक राय ली जानी चाहिए क्योंकि यह इफैक्ट किसको करने वाला है? यह इफैक्ट एक मात्र दिल्ली यूनीवर्सिटी नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटीज,

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

पांडिचेरी, असम, नागालैंड और मिजोरम के बारे में है। संविधान में देखने से मालूम पड़ा कि उसमें आंध्र यूनीवर्सिटी जरूर है। इसके अलावा अलीगढ़ यूनीवर्सिटी है तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालय हैं लेकिन बाकी सारी स्टेट यूनीवर्सिटीज हैं। हमारी समवर्ती सूची में, बाद में हमारे संविधान संशोधन द्वारा लाया गया कि हमारी सातवीं अनुसूची की लिस्ट 3 में आइटम नम्बर 25 पर हायर एजुकेशन है। जब समवर्ती सूची में विषय हो और केवल एक दिल्ली यूनीवर्सिटी को छोड़कर बाकी यूनीवर्सिटीज स्टेट की हों और स्टेट की राय न ली जाये, इसको सर्कुलेट न किया जाये तो इससे सरकार की जो मंशा है, उस मंशा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा होता है।

राज्यों से उसको ओवर राइट करने के लिए बहुत जल्दबाजी में यह आर्डिनैंस लाया गया है जिसकी तात्कालिक आवश्यकता कहीं प्रदर्शित नहीं होती। इसके बाद बिल को सर्कुलेट करने के बजाय सीधे-सीधे लाया गया। जो दूसरी व्यवस्था है, इसी माननीय संसद में एक परम्परा के रूप में बिल को सलैक्ट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में इसलिए भेजते हैं ताकि उस पर गंभीरता से विचार हो, गहन मंथन हो। इसके दूरगामी प्रभाव क्या होने वाले हैं, क्योंकि मंत्री जी विधेयक लेकर आये हैं उसमें जो परिभाषाएं हैं, वे परिभाषाएं भी आपने सारी क्लीयर कर दी हैं। आपने सात यूनीवर्सिटी रख ली है। सैकड़ों की तादाद में विश्वविद्यालय हैं। इसमें कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे विशाल प्रदेश में जहां विश्वविद्यालय आदि हैं, वह शामिल नहीं है। लेकिन इसमें प्रावधान दिया गया है कि बाद में सैंट्रल गवर्नमैंट उसको जोड़ और घटा सकेगी। आज तो वह शैड्यूल हमारे सामने है लेकिन भविष्य में वह इसको पार्लियामेंट में ले कर देंगे। ले होने के बाद बाकी जानकारी नहीं आयेगी। इसमें गंभीरता से बहुत अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है। जहां यह कंकरेंट लिस्ट में हो, अगर यूनियन लिस्ट में होता, तो भी बात समझ में आती। हम सैंट्रल यूनीवर्सिटी का एक्ट पास करने जा रहे हैं, तो भी बात समझ में आती। मैं यह मानता हूं कि संसद का अधिकार सार्वभौम है लेकिन हमारी मंशा भी जरूर साफ होनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय किया गया है।

*[हिन्दी]*

इसमें न्याय नहीं हो रहा है। राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, उनके साथ क्या व्यवस्था हो। हमने यह कह दिया कि उन यूनीवर्सिटीज के कानून गलत हैं, उनके कानून के कारण बाधा है। बजाय कानून ठीक करने के हम ऊपर से एक नया बिल लेकर आ गये हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मेरी इसमें घोर आपत्ति है, डिस्एप्रूवल है। इसकी मैरिट में थोड़ी सी बात करें, तो अच्छा होगा। जब माननीय मंत्री जी बिल लेकर आये हैं, उसके धारा-4 में आपने अध्यक्ष और सदस्य नामित करने हैं, दोनों के लिए जो कंडीशन्स है, वे कॉमन हैं। वे कंडीशन्स यह हैं कि उसमें किसी न किसी अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो न तो वह सदस्य होगा और न ही वह चेयरमैन होगा। इसके बाद आपने जो व्यवस्था दी है, उस आयोग के जो अधिकार दिये गये हैं, आयोग के कृत्य और शक्तियां धारा 11 से लेकर धारा 13 में दिये गये हैं, उसमें विवाद की शिकायतों की जांच पड़ताल तो वह आयोग करेगा ही लेकिन उसकी जो धारा 12 है, वह घोल आपत्तिजनक है क्योंकि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, वह उसका घोर उल्लंघन करती है। धारा-12 में दिया गया है कि यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था और किसी अनुसूचित विश्वविद्यालय, जो शैड्यूल में दे दिये गये हैं, के बीच उनके ऐसे विश्वविद्यालय से सहबद्ध होने के संबंध में कोई विवाद उठता है तो उस पर आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

**(श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*)**

**अपराह्न 4.24 बजे**

मैं परिभाषा की धारा-2 को पढ़ना चाहूंगा। इसके 'च' भाग में दिया गया है कि अल्पसंख्यक से क्या तात्पर्य है—"इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वह समुदाय विपरीत है कि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए।" जिसका नोटिफिकेशन होगा, वह अल्पसंख्यक समुदाय आएगा और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वह होगी जो किसी विश्वविद्यालय से भी है तो महाविद्यालय या संस्था से मतलब है जो अल्पसंख्यक में से किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित हो क्योंकि विधेयक है और यह मानकर विदाउट एनी प्रिजुडिस योग्य चेयरमैन होंगे, सारा कुछ होगा लेकिन यह चीज कॉमन आ रही है कि अल्पसंख्यकों को तो आपने पारिभाषित करना है। लेकिन शैक्षणिक संस्थाएं भी अल्पसंख्यक के द्वारा संचालित होनी है और जो आयोग है, उसमें तीनों सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग से है, यह अनुचित है। जहां धारा 12 की बात है, आपका निर्णय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने का है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नॉर्म्स हैं, जहां मानक बनता नहीं है या ए.आई.सी.टी. का मानक नहीं बनता है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मानक नहीं बनता, सारी

तकनीकी शिक्षा तथा हायर एजुकेशन के लिए आपने अंतिम फैसला किसके हाथ में दे दिया है।

जो कमीशन आप बनाने जा रहे हैं और आपने यह कहकर कि संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम फैसला दे दिया। अब जो यूनिवर्सिटी है तो उसके रूल्स होंगे या उसकी दिक्कत होंगी या आपने नॉर्म्स पूरे नहीं किये कि इस चीज की कमी है, शिक्षण स्तर की कमी है, स्टॉफ, कक्ष, भवन नहीं है और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी यू.जी.सी. के भीतर सैक्शन 3 में आपको बनानी है, उसके लिए भी और एफीलिएशन हम ला रहे हैं। उसके बाद जो संस्थाएं हमें मिलनी हैं, उसमें भी एक बात है। आपका तो फैसला फाइनल हो गया और फैसला फाइनल हो गया तो हर जगह अपील की गुंजाइश रहती है। अपील की गुंजाइश नहीं है तो रिवीजन तो कर लिया जाए। लेकिन उसको डिप्राइव कर दिया गया है यानी दोनों पक्ष समान नहीं हैं और पूरी-पूरी संभावना रहती है क्योंकि आयोग, उसके मैम्बर्स और तकनीकी संस्था सारे आल्पसंख्यक वर्ग से होने पर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक ही बात रहती है कि वहां पर जो मामला कमीशन में आया और उसके बाद फाइनल हो गया, उसको यह एफिलिएशन प्रदान किया ही जाना है। मेरा ख्याल है कि यह बिंदु जो इसमें दिया गया है, बहुत आपत्तिजनक है। फिर आप कोई संशोधन लेकर आएं तो उस पर मैं दुबारा बल दूंगा। मैं जो संशोधन सरकुलेशन के बारे में लेकर आया हूं, उसमें यह राय बननी चाहिए क्योंकि हमें हर चीज से ऊपर उठकर राय देनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा है कि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को जो गारंटी दी गई है, हम पूरे-पूरे समर्थक हमेशा से रहे हैं और साढ़े पांच वर्ष के अपने शासन में जितना कुछ मॉइनॉरिटीज की एजुकेशन के लिए तथा उर्दू के प्रमोशन के लिए हो सकता था, हम उन सारे विषयों में आगे बढ़े हैं जिनकी सराहना भी स्थान-स्थान पर हुई है। लेकिन यह जो विषय आया है, आपके यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी. इन सबसे हटकर मैंने शुरू में ही उल्लेख किया कि हमें सेमीनार, बैठक में नहीं बुलाया गया था और न ही हमारे किसी प्रतिनिधि को बुलाया गया था। हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। वहीं से ही दुर्भावना मालूम पड़ती है। जो पॉचनियर, नई दिल्ली, 13 अगस्त में रिपोर्ट की गई है और उसमें कहा गया है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। उसके बारे में कहा गया है:

*[अनुवाद]*

"इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि उच्च शिक्षा विनियमन संबंधी सर्वोच्च संस्था है, द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करेंगे। इससे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) तथा भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) की भूमिका निरर्थक हो सकती है।"

*[हिन्दी]*

यानी वह अनावश्यक हो जाएगा। उसको बाईपॉस करके आप चलेंगे। यह जो एप्रीहेंशन है, उसके अलावा और आगे समाचार-पत्र में दिया गया है। एक समस्या आ सकती है। अब ये मॉइनोरिटीज कौन होंगी कि जिन मॉइनोरिटीज के लिए अगर हम जा रहे हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, रिलीजन के आधार पर हो सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पर हो सकते हैं तो उसमें क्या समस्या आ सकती है और जो आशंका जताई गई है, उससे मैं समझता हूं कि हम सभी लोग सहमत होंगे। आशंका यह जताई है कि:—

*[अनुवाद]*

"यदि कोई उड़िया, मलयाली, तेलुगू, तमिल या बंगाली अपने निवासी राज्य से बाहर अल्पसंख्यक होने का दावा करते है तो समस्या हो सकती है। इसी तरह हिन्दी भाषी लोग केरल के किसी जिले में अल्पसंख्यक होने का दावा कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने टिप्पणी की है कि देश के सभी भागों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच इसी तरह का दर्जा दिये जाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है।"

*[हिन्दी]*

यह एक्सपर्ट की ओर से आया है। आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इनके द्वारा कहा गया है। उसको भी मैं संक्षेप में कोट करना चाहूंगा:—

*[अनुवाद]*

"बहुत से निजी चिकित्सीय व इंजीनियरिंग कालेजों ने कैपिटेशन शुल्क के माध्यम से काफी धनराशि अर्जित की है..."

*[हिन्दी]*

यानी जिसकी ओर से ज्यादा खतरा दिखाई पड़ता है।

*[अनुवाद]*

"...धार्मिक या भाषायी आधार पर अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त करने की परतिस्पर्धा हो रही थी। उदाहरणार्थ तेलुगू व

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

तमिल लोगों के अल्पसंख्यक होने के दावों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कालेज अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में कम से कम 30 अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थान कार्यरत हैं।''

*[हिन्दी]*

इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया कि यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा। हमारे नार्म्स पूरे नहीं हैं, हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं है, हमारे कालेज में पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं, और जिस बात को रोका जा रहा है कि शिक्षा का स्तर समान रूप से हर भारतीय और हर वर्ग के लिए रहे, तो उसमें बाईपास करेंगे तो उसमें ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसके बारे में मीडिया या एक्सपर्ट्स के विचार भी हमारे सामने आए हैं।

इसी का दूसरा पहलू है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद का मसला आया था। सभी को मालूम है कि उस समय सारे समाचार पत्रों में और दूसरे मीडिया के माध्यम से या अन्य तरीकों से भी केवल यही विषय उभरा था कि एन.डी.ए. की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से यूनिवर्सिटी की आटोनमी पर आघात पहुंचाया जा रहा है, उसके अंदर दखल दिया जा रहा है। जबकि वह विषय नहीं था। विषय केवल एकेडमिक आटोनॉमी और दूसरी बात फाइनेंशियल आटोनॉमी का ही था। उसमें भी फीस से सम्बन्धित विषय था कि एक सामान्य व्यक्ति को भी वहां प्रवेश मिल सके। इसलिए फीस का स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए कि जिससे आई.आई.एम.ए. को भी नुकसान न हो और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी शिक्षा मिल सके। यह व्यवस्था बनाई गई थी। उस व्यवस्था को काफी बल मिला, कोर्ट के बाहर भी, कोर्ट के वर्डिक्ट से भी और कोर्ट के डायरेक्शन से भी और एक जनमत मिला कि हां, यह न्यायोचित है तथा यह उसकी एकेडमिक आटोनॉमी के भीतर दखल नहीं है। कौन सा पाठ पढ़ाना है, कौन से नार्म्स हैं, कौन सा कालेज एफिलिएट होगा, इस सम्बन्ध में कोई दखल नहीं था। लेकिन आज जो बिल आया है, यह निश्चित रूप से जो विश्वविद्यालय हैं, जिनको आटोनॉमस कहते हैं, उसको ओवरराइट करके, ऊपर से कमीशन बिठाकर उसके फैसले को फाइनल कर दिया जाएगा, तो इससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी आटोनॉमी के खिलाफ सीधे-सीधे प्रहार होगा।

मैंने यहां कुछ ही समाचार पत्रों का उल्लेख किया है। मेरे पास और भी कई जानकारियां हैं, पूरा बंच है। लेकिन मैं सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहता। इन सबमें आटोनॉमी के बारे में कहा है, यू.जी.सी. ए.आई.टी.सी.ई., एम.सी.आई. आदि को बाईपास करके ऐसा खतरा सामने आ सकता है, जिस तरीके से आप इसे लेकर आए हैं।

मैं उल्लेख कर रहा था कि हम इसके समर्थन में हैं कि सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। जिस समय संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, तो वहां पर जो वाद-विवाद हुए हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समक्ष अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट आई, जो परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट थी। उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उनका यहां उल्लेख करना चाहूंगा। यह बैठक 29 मई, 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी के सभापतित्व में हुई थी। यह पुस्तक है संविधान सभा के वाद-विवाद संख्या 5 और पृष्ठ है 510। इस मसले पर काफी लम्बी और डिटेल में बहस हुई थी। उनके विचार भी बहुत विस्तार से हैं। लेकिन मैं यहां उसमें से एक छोटा सा पैरा ही पढ़ना चाहूंगा। पेज नम्बर 510 में लिखा है:—

''मैं यह चाहता हूं कि इस मसले पर चाहे अल्पसंख्यकों के लिए जगहों का या आरक्षण का सवाल हो या किसी प्रकार के संरक्षण का प्रश्न हो, आप वस्तुस्थिति को दृष्टि में रखते हुए विचार करें। ऐसा संरक्षण या अन्य प्रकार के किसी संरक्षण का उस हालत में तभी मायने है, जबकि आपके यहां कोई निरंकुश या विदेशी शासन हो। पर जब आपके देश में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था चालू है, तो उस हालत में इस तरह की आरक्षण की व्यवस्था रखने से उस वर्ग को जिसके लिए व्यवस्था की जाती है, वस्तुतः लाभ के बदले नुकसान की ही ज्यादा सम्भावना रहती है...।

जबकि देश में बाहरी हुकूमत हो, निरंकुश राजा हो तो उस हालत में तो जरूरी है कि आपके लिए लाभप्रद हो, क्योंकि राजा आपमें फूट पैदा करा सकता है''। ये पंडित नेहरू जी के विचार हैं। ''लेकिन जब आप लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के भीतर हैं और आप छोटे अल्पसंख्यक वर्ग को भी संरक्षण देते हैं तो वह अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा के लिए आपसे कट जाएगा। हो सकता है कि संरक्षण से कुछ परित्राण उसे प्राप्त हो लेकिन यह भी सोचिये कि उसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है।'' शिक्षा का जो क्षेत्र है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे सुरक्षा, कृषि आदि, लेकिन शिक्षा और वह भी सार्वभौम शिक्षा और उसमें भी शिक्षा का स्तर और शिक्षा के बारे में मापदंड।

अगर हम इन सबकी अनदेखी करके वन-साइड जैसी की आशंका व्यक्त की गयी है, कई संस्थाएं खड़ी करके, मान्यता लेकर कमीशन के माध्यम से अफिलिएशन लेंगे तो विश्वविद्यालय की शिक्षा का जो स्वरूप है, उसका जो स्तर है और देश के अंदर जो चिंता है, उसको बल मिलेगा। "जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय से वंचित करने जैसा ही है।" इसमें चिंता करने का विषय है और इसे अन्यथा न लेते हुए जो परिचालन का संशोधन आया है माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद, इसमें अगर आपको लगता है कि इसमें और अधिक चिंता करने की जरूरत है और आने वाले समय में इसके और कौन से प्रभाव हो सकते हैं तो बिना संकोच के इसका विशलेषण हो। मार्च में जब बजट का सत्र आता है तो उस समय इसको प्रस्तुत किया जाए। आज तो इतना ही कहा जा सकता है आपकी इजाजत से कि "आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने"। शुरुआत तो ठीक लगती है लेकिन जिस जल्दबाजी में और बिना इसके प्रावधानों के, जो उसके कानूनी अधिकार होने चाहिए, विश्वविद्यालय को भी अवसर होना चाहिए कि अपनी बात कह सके। उसके खिलाफ फैसला हो रहा है तो वह कहां जाए। उसके संबंध में विचार नहीं हुआ। मैं तो यहां तक कहूंगा कि माननीय पाटिल जी, पोटा को हटाकर, दूसरे कानून की बात कर रहे हैं कि पोटा में कमी थी, तो आज अगर इसमें कमी है, यूनिवर्सिटीज के एक्ट्स में, तो तत्काल उसके भीतर कार्यवाही होनी चाहिए और लॉ-मिनिस्टरी को इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय आगे बढ़कर, देश भर में जहां-जहां ऐसी कमियां पाएं उनको दूर करने का कार्य करेंगे। मैं एक उल्लेख करते हुए कि 12 सितम्बर 2002 का जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बैंच का फैसला जो एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम का, उन्होंने उल्लेख किया है कि क्या हिंदुइज्म है, क्या धर्म है, क्या संप्रदाय है, इसका विशद विवेचन किया है और माइनोरिटीज से जुड़े हुए 200 मामलों को कंसोलिडेट करके सुप्रीम कोर्ट उन पर विचार कर रहा है। तब तक उनकी भी राय आ जाए, स्टेट की भी राय आ जाए, अन्य संस्थाओं की राय भी आ जाए और अगर वास्तव में स्टेच्यूट गलत है, उसका समाधान तो हो ही जाएगा और अगर फिर भी कोई गलत है तो उसके लिए पैनल क्लाजेज, दंडनीय प्रावधान भी लेकर आएं। जब माननीय सदस्यों के विचार सामने आयें क्योंकि इसमें अभी तक मैनडेटरी क्लॉजेज नहीं आया है। हमने 7 यूनिवर्सिटीज तो बता दीं, अब जिसको लेना है मैनडेटरी नहीं है, कोई आयेगा भी या नहीं आयेगा। इसमें आकर के यूनिवर्सिटी को अपनी चोइस के लिए कहा गया है कि

*[अनुवाद]*

"वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अपनी पसंद के अनुसार किसी अनुसूचित विश्वविद्यालय के सहबद्ध कालेज के रूप में फिलहाल मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।"

*[हिन्दी]*

वह मैंडेटरी नहीं है। डिसक्रिश्नरी है। फर्ज करिए कोई नहीं आता है, कमीशन बना दिया, कमीशन के लिए फाइनैंशल मैमोरंडम लग गया और पब्लिक मनी उसमें खर्च होनी है, जैसे दफ्तर लगाना है, स्टाफ रखना है, सैक्रेटरी रखना है, सभी काम होना है, अगर मैंडेटरी नहीं है तो जिस की मर्जी आए आ जाए जिस की मर्जी नहीं है न आए, यह प्रावधान है। इस पर विचार होना चाहिए। यदि आप इसे लेकर आ रहे हैं और सारी चीजें तय कर रहे हैं, फिर सारे के सारे एफिलिएशन इसके माध्यम से आएंगे। जो कमियां इसमें परिलक्षित हो रही हैं, उन पर गहराई से चिन्तन हो। इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए और सर्कुलेट किया जाए।

शुरुआत के दौर आए। उसमें पोटा आया। अब विपरीत तरीके से यह विधेयक आया है। हम लोगों ने उसका विरोध भी किया। इसमें संविधान के विपरीत व्यवस्था है। आरक्षण का लाभ कोटे के आधार पर हो सकता है लेकिन यहां धर्म के आधार पर करने का प्रयास हुआ है। न्यायालय ने भी...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री बची सिंह रावत के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा':** हम इस बात से सहमत हैं कि कमियों को सब के सामने लाना चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लासिज में जुलाहा, मल्लाह हैं लेकिन धोबी और पासा नहीं हैं। उन्हें इसकी सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।..*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**साभापति महोदय:** श्री बची सिंह रावत के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'**: सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब से यू.पी.ए. की सरकार आई है, इस प्रकार की कई चीजें आई हैं। यहां पोटा आया। आन्ध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण हुआ। अब माइनॉरिटी कमीशन बना कर केवल एक संदेश देने का कार्य किया है कि हम मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। आप इसके द्वारा माइनॉरिटीज के वोट को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश में ऐसी राजनीति चली है जिससे अल्पसंख्यकों को खुश किया जा सके। हमारा मानना है कि उनका वास्तव में उत्थान किया जाए, उनकी स्थिति में सुधार किया जाए और शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए लेकिन ऐसा कोई इरादा मौजूदा सरकार का नहीं है। मैं अंत में अपनी बात पर बल देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि "इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या"

*[अनुवाद]*

**साभापति महोदय:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक-6) का निरनुमोदन करती है।"

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन करने वाले और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर 20 मार्च, 2005 तक राय प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु इसे परिचालित किया जाए।"

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** (साबरकंठा): सभापति महोदय, मैं बोलने का समय देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस सरकार को यह बिल लाने के लिए बहुत बधाई देता हूं। यूपीए की सरकार ने कॉमन मीनिमम प्रोग्राम के अन्दर जो वचन दिया था, उसे प्रधानमंत्री ने पूरा किया। कॉमन मीनिमम प्रोग्राम की चेयर पर्सन ने भी देश की जनता को दिया वचन पूरा किया। माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक लाकर उस वचन को पूरा करने की कोशिश की है। मैं इसकी वजह से उनको बधाई देता हूं।

इशू क्या है? इशू यह है कि माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन्स अपनी चॉयस से शेड्यूल यूनिवर्सिटी के साथ अपनी एफिलिएशन चाहे तो मांग सकते हैं। इसके बारे में कमीशन बनाया जाएगा। यह कमीशन ऐसे जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, जो एफिलिएशन ढूंढ रहे हैं या एफिलिएशन मांग रहे हैं, स्टेट की यूनिवर्सिटी या वहां ज्यॉन हो सकती है। अगर वहां नहीं हो सकते तो सैंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्यॉन हो सकते हैं।

यह विधेयक एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, जो हमेशा स्टेट को खासकर माइनोरिटीज के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। हम बाहर चाहे कितना भी कहें, अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि उन्होंने 6-7 साल के अन्दर जितना हो सका, उतना माइनोरिटीज के लिए किया। लेकिन मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसने उनकी मानसिकता इस राज्य के अंदर नहीं, इस देश के अन्दर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी क्या मानसिकता है, उसे उजागर करने का काम किया है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें अन्दर ढूंढकर कोई ऐसा आदमी है, रिजर्वेशन की बात आप जाने दीजिए, रिक्रूटमैन्ट के अन्दर और वहां से शन्टिंग करने की एक पूरी साजिश स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वर्षों से चला रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं, जिसे जानकर आपको थोड़ा शॉक लगेगा। मेरी कांस्टीटुएंसी के अन्दर आर.टी.ओ. ऑफिस चालू किया गया। यह आर.टी.ओ. ऑफिस जहां बना था, गुजरात में रॉयट्स के बाद उस जगह के आसपास माइनोरिटीज की पापुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। वहां पर सैन्ट्रल स्कूल भी पहले से ही बन रहा था। लेकिन बाद में ये सब लोग उसके इर्द-गिर्द आ गये। वहां पर एक लेडिज स्कूल भी बन रहा था। इस मकान के अन्दर आर.टी.ओ. के ऑफिस दूसरी जगह से शिफ्ट होकर माइनोरिटी के इलाके के अंदर जा रहा था। इस तरह से वह जो एक खुला मैदान था, वहां पर आज हजारों लोग बसे हैं। वहां पर आर.टी.ओ. का मकान भी बन ररा था। सिर्फ माइनोरिटीज के इलाके में यह आर.टी.ओ. ऑफिस और मकान जा रहा था। वहां के विधायक, जो इनकी पार्टी के हैं, चीफ मिनिस्टर के पास जाकर उसे रुकवाया और उसे बंद करवाया। उसके बारे में माइनोरिटीज का एक ग्रुप हाईकोर्ट में गया है, ताकि इसे वापस लाया जा सके। उसके लिए आज वह लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यह मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि यह एक्सप्लिसिट है। इनका रवैया जाहिर नहीं है, यह हिडन है। यह जो हिडन सेगरिगेशन है, जिसे हिडन रेसिज्म कहते हैं, इस तरह से जो हरिजन सेगरिगेशन है, वह हर एक स्टेज पर आता है। वह स्टैप रिक्रूटमैन्ट में भी आता है। वह स्टैप माइनोरिटीज के आदमी को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो एपेरेन्ट रीजन्स देने पड़ते हैं, उसमें भी आता है। वही माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन, अगर स्कूल चालू करना चाहते हैं तो उसे रिकॉग्निशन और अप्रूवल

देने में भी आता है और अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कालेजेज और दूसरे वोकेशनल इंस्टीट्यूशन चालू करना चाहते हैं, उसमें भी यह आता है। इस तरह से एक जाति की जो प्रोग्रैस हैं, उस प्रोग्रैस में एजूकेशन ऐसी चीज है जो जाति को एक सीढ़ी देती है, जिस पर आदमी चलकर अपनी पूरी कम्युनिटी का विकास कर सके। इनके हिडन सेगरिगेशन और डिस्क्रिमिनेशन से वह जो पूरा रास्ता है, वह रास्ता हमेशा से ऐसे राज्यों के अन्दर और विशेष रूप से मेरे राज्य के अन्दर बंद किया गया है। यह जो मैकेनिज्म है, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाने का और उन्हें एफिलिएशन देने का, वह रास्ता खुल रहा है और स्टेट का जो ऑब्लिगेशन है, वह स्टेट अपना ऑब्लिगेशन इस बिल से पूरे देश के जो माइनोरिटीज ग्रुप्स हैं, जो पापुलेशन है, उसके फुलफिलमैन्ट की ओर जाता है। इसलिए मैं इस सरकार को जितनी भी बधाई दूं, वह कम है। इससे क्या होगा? इस देश के अंदर जनता के जो लोअर तबके हैं, जिनमें एस.सी., एस.टी., माइनोरिटीज और ओ.बी.सी. ये चार बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। इनमें आप टोटल नम्बर ऑफ पूअर ले लीजिए, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ले लीजिए, ये इन्हीं चार तबको में से आते हैं। इसमें चाहे आप अनइम्पलॉयड ले लीजिए, वे भी इन्हीं चार तबकों में से आते हैं।...*(व्यवधान)*

**योगी आदित्यनाथ** (गोरखपुर): आपको मंत्री नहीं बनाया।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री:** आप इसकी चिंता मत करिये। मंत्री बनाना होगा तो आपको पूछने के लिए नहीं आयेंगे। आप अपनी बात करिये।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। कृपया विचलित न हो।

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री:** इनका काम यहां बोलना नहीं है, इनका काम तो आग लगाने का है। वह हमेशा आग लगाते आए हैं। उनको हम यहां सुनते आए हैं। इनसे क्या बात करूं, इनकी पार्टी जो आज बता रही है कि हमने सात सालों के अंदर माइनारिटीज के लिए यह किया, आज की तारीख तक इनका कोई भी गुजरात का मंत्री जो लोग दंगों में निराश्रित हुए, उन बेघरबार हुए लोगों से एक भी कैम्प के अंदर जाकर नहीं मिला, यह इनका इतिहास है। एक एकड़ जमीन भी उनको नहीं दी, यह इनका इतिहास है। आज भी ये मारो-काटो की मानसिकता नहीं छोड़ते, यह इनका इतिहास है। ये क्या इस बिल को सपोर्ट करेंगे, ये तो हमेशा इसको राजनीति से देखते आए हैं। इनकी तकलीफ क्या है वह मैं बताना चाहता हूं। इनके दो माइन्ड्स हैं। ये यहां पर विरोध करेंगे, लेकिन इनके बच्चे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स में पढ़ते हैं, जैसे सेन्ट जेवियर्स और माउंट कारमल में ही पढ़ते हैं। ये सिर्फ माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स में ही पढ़ने जाएंगे, दूसरी जगह पढ़ने नहीं जाएंगे, भले ही यहां विरोध करते रहें। इसलिए इनके ये दो नकाब हैं, जो हमेशा इस सदन के अंदर भी कितनी बार देख गए। 13वीं लोक सभा में भी देखे गए और आज भी हम देख रहे हैं। मैं अपनी बात पर आता हूं। यह जो तबका शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज तथा ओ.बी.सी. और माइनॉरिटीज का है, यह इस देश के अंदर हमेशा ही नीचे से नीचे रहा है और उसको आगे लाने के लिए शिक्षण के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इस चारे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और राज जब हिडन एजेन्डा को इंप्लीमैंट करने का ट्राई करता है तो उसका विकास कुंठित होता है, वह विकास नहीं हो सकता। इस मैकेनिज्म की वजह से जो तीन-चार तबके हैं, उसमें से पूरी माइनॉरिटी का जो ग्रुप है, उसके लिए जो डैवलपमैंट के एवेन्यूज हैं, वे ओपन करेंगे। एक बार यहां पर बात उठी, कल इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि मदरसों में ज्यादा से ज्यादा दूसरी किस्म की शिक्षा दी जाती है। ये बोलते हैं कि मेनस्ट्रीम एजुकेशन देनी चाहिए। मेनस्ट्रीम एजुकेशन जो कालेज में दी जाती है और ऐसे कालेज जो युनिवर्सिटी पसंद करते हैं, उनका भी ये विरोध करते हैं। कल यहां पर बताया गया कि मदरसों में कई जगहों पर ऐसी एक्टिविटीज चलती हैं जो इस देश के साथ सुसंगत नहीं होतीं। 13वीं लोक सभा में इनके मंत्री से एक प्रश्न पूछा गया कि इस देश में कितने ऐसे मदरसे हैं जिनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति चलती है जो इस देश के इंटरस्ट के खिलाफ है। आप रिकार्ड देख लीजिए, उस डिबेट में मैं भी हाजिर था और हमारे व्हिप प्रियरंजन दासमुंशी जी भी थे। इनके मिनिस्टर इस देश में एक मदरसा ऐसा नहीं बता सके जिसमें इस देश के विरुद्ध कोई कंट्रोवर्सी चलती हो। यह रिकार्ड की बात है, आस्था की बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

**श्री सुशील कुमार मोदी** (भागलपुर): बिल पर बोलिये। ...*(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री:** मैं उसी पर आ रहा हूं। चिन्ता मत करिये। मैं आपको उजागर कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

यहीं पर बात चली जब नियम 193 के तहत चर्चा हुई थी कि इस देश के अंदर बार्डर्स पर सब मदरसे मशरूम हो रहे हैं। जब पूछा गया कि कहां पर मदरसे बढ़े हैं तो ये बता नहीं सके। जब पूछा गया कि कौन से इंटरनैशनल बॉर्डर के पास है तो इन्होंने कहा

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

कि भारत की सरहद के अंदर नहीं, नेपाल की सरहद के अंदर बढ़ रहे हैं, बंग्लादेश की सरहद में बढ़ रहे हैं, गुजरात की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री मिस्त्री के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** आप इंटरप्शन मत करिये। बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री:** महोदय, मैं बैठने वाला नहीं हूं। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद उन्हें जो कहना होगा कहेंगे।

*[हिन्दी]*

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, वह अपने आप में जो सैलेबस और एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको खुद के कैरैक्टैरिस्टिक्स को रखने के लिए उनका भी आप विरोध करें। अगर नई स्ट्रीम का प्रबन्ध करें, तो उसका भी विरोध करना। आपकी ये दोनों बातें कुछ समझ नहीं आईं।

**सभापति महोदय:** श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप कृपया चेयर को एड्रेस करिए।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री:** सर, मैं चेयर को ही एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजर उस तरफ चली जाती है, मैं क्या करूं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जो बिल लाई है, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, वे इस देश के अंदर पूरी कम्युनिटी के लिए डैवलपमेंट के नए-नए ऐवेन्यूज खोलेंगे। आज यदि देखा जाए, तो मायनॉरिटी कम्युनिटी, देश की सबसे लोएस्ट कम्युनिटी में आती है। उनके लोग नौकरियों में बहुत कम हैं। वे लोग ज्यादातर औटोमोबाइल में हैं, बाप-दादाओं के जमाने से चले आ रहे बिजनैस को ही कर रहे हैं, नए छोटे-छोटे धंधे करते हैं और अपनी रोजी चलाते हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि किसी जाब में इन्हें लिया जाए, तो आज भी उस जाब के लिए जो क्वालीफिकेशन चाहिए, जितना क्वालीफाइड आदमी चाहिए, इस कम्युनिटी में उतना क्वालीफाइड आदमी नहीं मिलेगा। मुझे खुद इस बात पर शंका है कि जाब के लिए जो निर्धारित क्वालीफिकेशन होती है, वह मायनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं मिल पाएगी क्योंकि एजूकेशन आज से नहीं, वर्षों से पूरी की पूरी एजूकेशन, इनके शासन के आने के बाद, इस कम्युनिटी के लिए बन्द कर दी गई जिससे पूरा का पूरा मायनॉरिटी समाज कुंठित हो गया। इसलिए मैं खासकर सरकार से कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अब विषय पर आ रहा हूं। मेरे दल को कुछ ज्यादा समय मिला है।

**सभापति महोदय:** मिस्त्री जी, आपकी पार्टी के ही नौ मैम्बर बोलने वाले और हैं।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री:** ठीक है सर। मैं दो-चार मिनट ज्यादा ले लेता हूं। यह विधेयक एक व्यक्तिगत पहल है।

इसकी वजह से, मायनॉरिटी ग्रुप के अंदर, जो लोग रैड टेपिज्म की वजह से, दूसरी वजहों से इंस्टीट्यूशन्स नहीं चलाना चाहते थे, वे लोग खुद आगे आकर अपनी कम्युनिटी के उत्थान के लिए ट्रस्ट बनाएंगे और कम्युनिटी को मदद करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि उनके जो कैरेस्टरिस्टिक्स हैं, वे उनको खुद प्रिजर्व कर सकेंगे। इसमें उनकी चायस भी दी गई है। इन चायसेस की वजह से जो चीज वापस उनके पास जानी चाहिए, वह जाएगी। उसकी वजह से पूरी मायनॉरिटी कम्युनिटी मैन स्ट्रीम में आएगी और वे खुद उसमें मदद करेंगे।

*[अनुवाद]*

वे मिलाने की बात नहीं करते है। वे इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे है क्योंकि उनके दिमाग में शैतानी सोच है, हमेशा नफरत और अलगाव की सोच जैसे कि देश की सारी समस्या अल्पसंख्यकों के कारण ही है। वे इसी विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं। यही कारण है कि व इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। और कोई बात उनके दिमाग में नहीं है।

*[हिन्दी]*

इसकी वजह से संविधान का खुलासा दिया है। संविधान की आज की परिस्थिति बहुत बदल गई है। 1950 में जब नेहरू जी ने यह कहा, तो उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी, जैसी आज है। ऐसे लोग भी उस समय नहीं थे, जैसे आज हैं। इस सरकार से पूर्व जो एजूकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस प्रकार से चुन-चुन कर कानूनों में अमेंडमेंट किए, सिलेबस चेंज किए, उससे सारी परिस्थिति बदल गई और उसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मायनॉरिटी

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाले दब गए। इस बिल से वे अपने आप अपनी तरक्की का रास्ता सोच सकेंगे। इसलिए इस बात का हवाला देना मेरे ख्याल से कतई अच्छा नहीं होगा कि इसे न किया जाए।

सर, मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ एफीलिएशन का ही प्रावधान नहीं बल्कि और प्रावधान भी करिए। यदि वे कहते हैं कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी दीजिए। इतना ही नहीं यदि वे अपने स्कूल इत्यादि खोलना चाहें, तो मेरी गुजारिश है कि उन्हें वैसा करने की परमीशन भी दी जाए। इससे उनके विकास के रास्ते खुलेंगे।

*[अनुवाद]*

यदि वे अलग से पंजीकरण चाहते हैं तो इसे होने दीजिए। मैं नहीं समझता कि ऐसा करने में हमें कोई संकोच होगा।

**अपराह्न 5.00 बजे**

*[हिन्दी]*

आप जो उनके लिए सैकिंड सिटिजंस के दर्जे के बारे में सोच रहे हैं, वे भी इस देश के नागरिक हैं। वे भी यहां पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी पीली नजर के चश्मे से मत देखिए। मैं विनती करता हूं कि आप अपना पीला चश्मा उतारें। आप महाराष्ट्र में हार गए हैं, गुजरात में छः सीटों की जगह 12 सीटें हुईं और अब दूसरे राज्यों में, बिहार और अन्य जगह, जहां इनके इलैक्शन होने वाले हैं, वहां भी इनके सुपड़े साफ हो जाएंगे। ये लोग सामने बैठने योग्य भी नहीं रहेंगे। इसलिए ये अपना पीले चश्मे वाला नजरिया बदलें। पूरे देश के अंदर इनका जो भगवा कलर है, उन्हें हम नमन करते हैं। हम इस भगवा कलर को इसलिए नमन करते हैं, क्योंकि वह त्याग की निशानी है। उसके अंदर त्याग और प्रेम है, आदमी के प्रति भाईचारे की भावना है, उसके अंदर नफरत एवं तिरस्कार नहीं है।

महोदय, इनके यहां जो लोग भगवे कलर के कपड़े पहन कर बैठे हुए हैं, वे अगर पूरे देश में आग लगाने का काम करते हैं तो उन्हें ऐसे कपड़े पहनने का कोई अधिकार हिन्दू धर्म में नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**डा. सिबैस्टियन पॉल** (एर्णाकुलम): सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अंतर्निहित दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की दिशा में यू.पी.ए. सरकार द्वारा उठाया गया एक और सकारात्मक कदम है।

संभवतः, शुरू में इस प्रकार के अधिनियमन की संवैधानिक वैधता के बारे में थोड़ा संशय था। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण से पूर्व संवैधानिक संशोधन की जरूरत महसूस की गई। अब इस चरण में मैं वर्तमान कानून की संवैधानिक पवित्रता पर नहीं जाना चाहता। बल्कि मेरा मतलब प्रस्तावित कानून के तहत विभिन्न अस्पष्ट पहलुओं की जांच से है।

जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा पर 3 जुलाई को हुई बैठक को सम्बोधित करते हुए अपने तीसरे उद्घाटन भाषण में कहा था कि शिक्षा ही सशक्तिकरण है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के शासन संबंधी मामले के लिए एक स्वायत निकाय के रूप में एक सांविधिक आयोग का गठन सरकार द्वारा घोषित सकारात्मक पहल संबंधी नीति के अनुरूप है। ऊपरी तौर पर इसके इरादे नेक है लेकिन क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से इस प्रकार की संस्थाओं को सीधे सम्बद्ध करने का प्रावधान अल्पसंख्यकों की सशक्तिकरण के चिर-प्रतीक्षित लक्ष्य को पूरा करता है? इस चरण में हमें इसी प्रश्न का हल ढूंढना चाहिए।

अल्पसंख्यकों का हित एक निहित हित बन गया है। अनुच्छेद 30(1) की संरक्षा में स्थापित तथा शासित शैक्षिक संस्थाएं वास्तव में गैर-अल्पसंख्यक वर्ग के सम्पन्न लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के उन लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है जो निजी संस्थानों द्वारा मांगी गई राशि को देने में सक्षम हैं। उनीकृष्णन के मामले से शुरू करके अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार कहा है कि किसी भी स्वयं-वित्तपोषित व्यावसायिक महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की लाभ पहुंचाने की बात या कैपिटेशन फीस नहीं हो सकती। लेकिन असंगति और भ्रम की स्थिति अभी भी बरकरार है। पाई फाउंडेशन मुकदमे के निर्णय तथा इस्लामिक अकादमी मुकदमे में व्याख्यात्मक निर्णय ने शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त व्यवसाय की अवधारणा को स्वीकृति दे दी है और इसने बाजार ताकतों को व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र अप्रत्याशित रूप से हस्तक्षेप करने की छूट दे दी है।

वर्तमान विधेयक की सबसे बड़ी कमी यही है कि यह व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने हेतु स्वयं-वित्तपोषित निजी संस्थानों को सख्त सामाजिक नियंत्रण के तहत लाने में असफल रहा है।

विधेयक का खंड 2(ख) इस बात की अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति—मैं दोहराना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक

[डा. सिबैस्टियन पॉल]

संस्था की स्थापना तथा देखरेख कर सकता है। यह वास्तव में बहुत ही खतरनाक प्रावधान है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यापारी चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग का हो या नहीं, यदि आवश्यक हुआ तो बेनामी के माध्यम से, अल्पसंख्यक का स्थान पा सकता है और अल्पसंख्यक का दर्जा पाने का दावा कर सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति हर जगह पाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत संचालकों को समाप्त करके कम से कम समुदाय विशेष के भीतर सामाजिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यहां अनेक नामों का उल्लेख किया जा सकता है लेकिन शिष्टाचार के नाते मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मेरे राज्य, केरल, में अपने अनुभवों से मैं कह सकता हूं कि वहां अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों के संगठनों जैसे—मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, या अनेक महाविद्यालय और क्रिश्चियन समुदाय द्वारा चलाई जा रही शिक्षण संस्थाएं है जिनमें जवाबदेही, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की अंतर्निहित कारगर प्रणाली है जिसका शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत संचालकों के मामले में अभाव होगा।

शिक्षण संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना समय की मांग नहीं है बल्कि शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने की जरूरत है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संरक्षण में इन संस्थाओं को लाकर इन शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का जो भी नियंत्रण है उसे भी समाप्त करना इस विधेयक की मंशा है।

योग्यता के आधार पर प्रवेश, समान प्रवेश परीक्षा तथा संकायों में नियुक्ति के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के बजाए यह विधेयक अल्पसंख्यकों के नाम पर चलाए जा रहे शिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशासन में खुला अधिकार देना को प्रोत्साहन दे रहा है। इससे निश्चित ही भानुमती का पिटारा खुलने वाला है जिससे निजी व्यावसायिक संस्थाओं की बाढ़ सी आ जाएगी।

जहां तक संवैधानिक प्रावधानों की बात है अल्पसंख्यक दोनों तरह के हैं—धार्मिक और भाषायी। इससे ऐसे संस्थाओं की पहचान में समस्या खड़ी होगी। हर प्रकार के लोग इस समर में कूद पड़ेंगे और कानून के तहत विशेषाधिकार का दावा करेंगे क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री की बाजार में मूल्य अधिक होगी। इससे तथाकथित अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओं को बड़ी केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही संघीय भावना के विपरीत होगा।

विधेयक के अनुसार अल्पसंख्यकों की पहचान केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार या सिफारिश को समायोजित करने और उनको तरजीह देने की यथा संभव कोशिश करें।

दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि परिभाषानुसार, महाविद्यालय का मतलब किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्था से है न कि केवल व्यावसायिक महाविद्यालय। मेरे दिमाग में एक ऐसा दृश्य उभर रहा है जिसमें अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थान एफिलिएशन द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आ जाएंगे और देश के विभिन्न भागों में मौजूद विश्वविद्यालय अनावश्यक हो जाएंगे।

अल्पसंख्यक समुदाय के सेनापति इस विधायन का स्वागत करेंगे लेकिन उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब एक राज्य विशेष अल्पसंख्यक हितैषी बन रही है और केन्द्र अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होगा। यह कोई असंभव स्थिति नहीं है।

इस आयोग का गठन ही अवांछित है या संविधान की भावना के विपरीत है। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को सदस्य के रूप में नियुक्त करें। लेकिन यह कहना अपमानजनक होगा कि सभापति, जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होगा भी अल्पसंख्यक समुदाय का होगा। केवल अल्पसंख्यक ही अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करेगा, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा में बहुसंख्यक समुदाय की अच्छी भावना ही सबसे बड़ा बचाव रहा है।

इस विधेयक का इरादा अल्पसंख्यकों के कथित और कल्पित नेताओं के निहित स्वार्थों की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है न कि अल्पसंख्यक समुदाय की हितों की रक्षा करना। जो चीज जरूरी है वह है शिक्षा को शक्तिशाली शिक्षा माफिया के खतरनाक चंगुल से मुक्त कराना। शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। जिस जल्दीबाजी से—मैं जल्दीबाजी शब्द का इस्तेमाल बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूं—अध्यादेश को संसद के सत्र में ठीक एक दिन पहले प्रख्यापित किया गया, इससे संशय उत्पन्न होता है।

यह अपेक्षित होगा यदि सरकार ज्ञात और अज्ञात कारणों से इस विधेयक को स्थायी समिति के समक्ष विचार करने के लिए भेजे। इस दौरान सरकार एक कानून बनाने पर विचार करे जो शुल्क के निर्धारण तथा प्रवेश की प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा ताकि शिक्षा का मौलिक अधिकार गरीबों के लिए एक सच्चाई बन सके लेकिन यह समाज के मेधावी वर्ग के लिए हो।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह (देवरिया) :** सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन

कुछ उलाहना के साथ। 3 जुलाई को जहां से इस विधेयक के अध्यादेश की उत्पत्ति हुई, माननीय मंत्री जी ने एक सम्मेलन बुलाया लेकिन जाने या अनजाने, जिस पार्टी के लोक सभा और राज्य सभा में कुल मिलाकर 50 सांसद हैं, उन्हें काट दिया गया।...*(व्यवधान)* श्रेय लेकर भी अच्छा काम कर दें तो बधाई देनी चाहिए। हमें श्रेय न मिले लेकिन अल्पसंख्यकों का कल्याण हो तो भी हमें बहुत खुशी होगी। आलोचना की गई कि यह विधेयक संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है लेकिन बात इसके उलट है। उस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, अपनी परम्परा, अपनी शिक्षा का इंतजाम करने का जो दायित्व दिया गया है, उसकी हिफाजत और रखवाली के लिए कोई सेफगार्ड इस देश में नहीं है। यह कमीशन उस सेफगार्ड की कमी को पूरा करेगा। इस पूरे विधेयक की जो आत्मा है, धारा 11 और 12, जिसकी निन्दा हमारे मित्र श्री रावत ने की, उसकी आत्मा यही है। यह बात सही है कि किसी भी डीम्ड यूनीवर्सिटी की मान्यता का आधार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तैयार करता है। इस तरह की टैक्नीकल ऐजूकेशन से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, उनकी मान्यता भारत सरकार से, टेक्नीकल बोर्ड से मिलती है। लेकिन उन्हें भी किसी न किसी विश्वविद्यालय से अपनी मान्यता हासिल करनी पड़ती है। यह विधेयक, जो टेक्नीकल बोर्ड का अधिकार है, यू.जी.सी. का अधिकार है, उसे छीनता नहीं है, अदर दैन यूनीवर्सिटी ऐफीलिएशन की बात इसमें कही गई है और उन्हीं विश्वविद्यालयों से ऐफीलिएशन देने की बात कही गई है जो केन्द्र सरकार द्वारा सौ प्रतिशत फंडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं। उनको ही इस शैडयूल में रखा गया है। इसलिए इस मामले में श्री रावत की आपत्ति बहुत तार्किक नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। जहां तक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार है, आप जानते हैं कि भारत सरकार ने पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो विधेयक पेश किया था, इसी संसद ने उसका अल्पसंख्यक स्टेटस समाप्त कर दिया था। उसके लिए पूरे समाज को, पूरे समुदाय को संघर्ष करना पड़ा और बहुत संघर्ष के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक कैरेक्टर या स्टेटस बहाल करने का काम इस संसद में किया गया।

मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं। जो अल्पसंख्यक संस्थाओं का स्टेटस बनाने वाली कमेटी है, उसकी लगातार छह वर्ष से कोई बैठक नहीं हुई। ढाई सौ संस्थाओं के अल्पसंख्यक चरित्र का दरख्वास्त देकर, छह साल से हम इस इंतजार में थे कि कमेटी की बैठक हो और हमें अल्पसंख्यक स्टेटस देकर अपनी संस्था चलाने का अधिकार मिले। सात वर्ष के बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो दस महीने के भीतर उन सभी संस्थाओं को डिस्पोजल करके उनका जो अल्पसंख्यक स्वरूप था, उसे बहाल किया गया। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने दो बार मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक पास कर दिया लेकिन पास करने के बावजूद वहां के राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में कितनी दुश्वारियां हैं, उनके सामने कितने अवरोध हैं, और कैसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। इन अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान में अपनी शिक्षा, संस्कृति, परम्परा, भाषा के विस्तार और उसके अनुसरण के जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को आगे बढ़ाने में बहुत सी बाधाएं पैदा होती हैं। भारत का संविधान, कानून के समक्ष सबको समता का अधिकार देता है। हमारे संविधान ने सबको बराबर समझा है लेकिन जो कमजोर और अल्पसंख्यक हैं, उनके हित संवर्धन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें अलग से कार्यवाही कर सकती हैं, इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में है। यह विधेयक उसी अधिकार के तहत आया है। इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे मित्रों ने जो अभी मैंने भाषण सुनें, श्री बची सिंह रावत जी की आपत्ति विधेयक से नहीं है, लेकिन यह विधेयक जिस रूप में पेश किया गया है, संभवत: उनकी आपत्ति उस रूप से है। वह इसे अध्यादेश के रूप में नहीं चाहते थे। हमारे सी.पी.एम. के मित्र की बात से जो भाषा ध्वनित हुई, वह भी इसे इस रूप में नहीं चाहते थे। वह चाहते थे और हमारे मित्र भी चाहते हैं कि किसी संसदीय समिति के सामने यह विधेयक की शक्ल में आता जिससे इसमें उनका योगदान भी समाहित हो जाता।

मैं अपेक्षा करूंगा कि जो इनकी प्रक्रिया संबंधी आपत्ति है, उस आपत्ति को आप वापस लेंगे और इस विधेयक को संसद में सर्वसम्मति से पेश करके, ऐतिहासिक निर्णय लेकर अपने को भी भागीदार बनायेंगे। ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सभी पक्ष हमारे इस विधेयक को पास करेंगे जिससे ऐसा संदेश जाये और हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, कम से कम अब इनके सहयोगी बनें। जो हमारे अकाली दल के साथी हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करें। माइनोरिटी के मायने, अल्पसंख्यक के मायने को लेकर हमेशा इनके अंदर दोष पैदा होता है। अल्पसंख्यक का अर्थ ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक मायने सिर्फ मुसलमान होता है। अल्पसंख्यकों की बहुत सारी कोटियां हैं जो हमारे संविधान में दी गयी हैं और यह विधेयक भी कहता है कि संविधान में जो अल्पसंख्यक की कसौटी निर्धारित की गयी है, उसी कसौटी के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था के सामने जो दुश्वारी है, उस दुश्वारी की निगरानी यह आयोग करे और इन

[श्री मोहन सिंह]

विश्वविद्यालयों और उन संस्थाओं के बीच में कोई भी विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति यह कमीशन करेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत ही बुद्धि और विवेक सम्मत यह विधेयक है, इसलिए इस विधेयक का हम सबको समर्थन करना चाहिए।

**श्री विजय कृष्ण** (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय सदस्य श्री बची सिंह रावत ने जिन आशंकाओं को उठाया है और माननीय सांसद श्री मोहन सिंह ने कहा है, खासकर मोहन सिंह जी की बातों से मैं पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो वादा किया गया था, जो बातें कही गईं थीं, उसको अध्यादेश और फिर बिल की शकल में यहां लाने का काम किया है। संविधान की 30 और 31 धारा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करती है, संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है, यह बात सही है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए और जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, खासकर अल्पसंख्यक संस्थाओं के एफिलिएशन के मामले में, उनको दूर करने के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों में बढ़ाया गया यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसलिए मैं इस सदन से अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग सर्व सम्मति से इस बिल को पास करने का काम करेंगे।

मैं देखता रहा हूं कि चाहे बंग्लादेश से घुसपैठ का सवाल हो, चाहे मदरसा का सवाल हो, चाहे उर्दू का सवाल हो, जैसे ही किसी न किसी रूप में अल्पसंख्यकों के मसले सामने आते हैं, एक अजीब तरह के विरोध का स्वर इस सदन में दिखने लगता है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए तथा इस देश में एक समरस समाज बनाने के लिए, भारत को एक नये स्वरूप में आगे बढ़ाने के लिए यह विरोध एक खतरनाक स्थिति है।

इसलिए हम सदन के दूसरे पक्ष के सदस्यों से कहना चाहते हैं कि जब इन बातों को आप कहते हैं तो आप देखें कि इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, वह इस दिशा में क्या सोचता है, आपके बारे में क्या राय बनाता है। मैं खासकर इन बातों के लिए आग्रह करना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों की जिन संस्थाओं को व्यावहारिक कठिनाइयां एफिलिएशन लेने में होती हैं, मानसिकता के कारण एफिलिएशन नहीं मिलता है, नियम-कानून-कायदे के कारण नहीं है लेकिन हमारी मानसिकता है कि हमें नहीं देनी है। कुछ लोगों ने दिमाग बनाया हुआ है। पिछली सरकार में देखने का मौका मिला। ऐसा ही एक मामला था। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के संबंध में था और दो साल तक वह फाइल प्रधान मंत्री सचिवालय में पड़ी रही। आखिर में उच्चतम न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ये बातें आईं। अल्पसंख्यक भाइयों को जो व्यवहारिक दिक्कतें, कठिनाइयां आई हैं, उनको दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसको सदन में हर तरफ का सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए, यह बहुत क्रांतिकारी कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो संस्थाओं को सेफगार्ड देने की दिशा में कमीशन को जो ज्यूडिशिअल अधिकार दिये गये हैं, वह बहुत बड़ा कदम है। यदि आप ज्यूडिशिअल अधिकार इनको नहीं देते तो यह कमीशन बेमानी हो जाता। आपने ज्यूडिशिअल अधिकार दिये हैं। विवाद की स्थिति यदि कोई पैदा हो तो वैसी स्थिति में इसको आपने हथियार से लैस किया है। इसको ताकत दी है, इसके लिए भी हम शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस विधेयक को इस सदन का पूरा समर्थन मिलेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं 6 विश्वविद्यालय के बारे में यहां चर्चा की गई, मोहन सिंह जी ने की। इसका प्रावधान आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस दिशा में वह आगे कदम बढ़ाएंगे। एक आशंका जो आम तौर पर है कि जो व्यवसायिक संस्थाएं हैं, जो शिक्ष माफिया है, वह भी ऐसे बिलों की आड़ में खड़ा रहता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो शिक्षा माफिया है, वह इसी की आड़ में कोई लाभ न उठा ले, यह आशंका सदन के कुछ सदस्यों के मन में होगी, मेरे मन में भी है। इसलिए सरकार के समर्थक होने के बावजूद मैं आपसे अपील करूंगा कि वैसे सारे होल्स को आप बंद करने का काम करेंगे। ताकि ऐसा न हो कि जहां सरकार की अनुकूलता है, जो सैक्यूलर गवर्नमेंट है, जहां संस्थाएं मान्यताएं ले रही हैं, उनको मान्यता मिल रही है और किन्हीं कारणों से जो मान्यता प्राप्त करने लायक संस्थाएं नहीं हैं, मान लो वैस्ट बंगाल या बिहार या त्रिपुरा में हैं, वे कहें कि हमें यहां सूट नहीं करता, हम दूसरी जगह से लेंगे, हम नियम-कायदों का पालन करते हैं या नहीं, हमें तो कोई रास्ता मिलना चाहिए। इसलिए उनको रास्ता मिलने का रास्ता इस बिल के द्वारा नहीं मिलना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्रांतिकारी विधेयक का जो अल्पसंख्यकों के हित में है, समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं सदन से और खासकर दूसरे पक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे खुले हृदय से इसका समर्थन करने का काम करें। जिससे भारत जो एकता और अखंडता की दिशा में चलने का तेज प्रयास कर

रहा है, उसमें आगे बढ़े और हम एक नई ताकत और जोश के साथ दुनिया में आगे बढ़ सकें।

**श्री सुशील कुमार मोदी** (भागलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 11 नवम्बर को यह अध्यादेश जारी किया गया है। 1 दिसम्बर से संसद का सत्र शुरू होने वाला था, तो मात्र 20 दिन पूर्व ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता कि आप 20 दिन लोक सभा का इंतजार नहीं कर सकते थे। 11 नवम्बर को अध्यादेश जारी हुआ और 26 नवम्बर को उसका नोटिफिकेशन हुआ यानी लोक सभा के शुरू होने से चार पहले आपने नोटिफिकेशन किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विज्ञान भवन में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें प्रधान मंत्री जी भी मौजूद थे। प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा,

*[अनुवाद]*

"मैं, जीवन के कई क्षेत्रो में, निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में, अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कम प्रतिनिधित्व से दुःखी हूं।"

*[हिन्दी]*

उन्होंने इसी बात पर दुख प्रकट किया कि इतने वर्षों के बाद भी सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 45 साल तो राज आप ही लोगों ने किया है। जिनके दम पर राज किया, अगर 45 साल या 50 साल के बाद भी उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब आपको देना चाहिए? हम लोग तो केवल छः साल तक ही शासन में रहे हैं।

सभापति महोदय, जिन सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, उसके अंदर आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव को नहीं बुलाया गया। जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया तो उन्होंने उत्तर दिया, "क्योंकि यह एक राष्ट्रीय दल नहीं है।" जबकि जे.एम.एम. के नेताओं को बुलाया गया था। मायावती जो को बुलाया गया, लेकिन वह नहीं गईं। बीजेपी को बुलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बिल के पीछे राजनीति है। यह बिल अल्पसंख्यकों के हित के लिए नहीं है, उल्टे यह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विरुद्ध है। मुझे लगता है कि जब वहां कांफ्रेंस हो रही थी, शिक्षा मंत्री जी बताएंगे, अखबारों में छपा है,

*[अनुवाद]*

"दारूल-उल-देबंठ और दर-उल-नदवाकुल-उलूम के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार द्वारा थोपा गया आयोग उन्हें स्वीकार्य नहीं है।"

*[हिन्दी]*

यानी जो देश की सर्वोच्च मुस्लिम संस्थाएं हैं, उन लोगों ने उस सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि हमारे ऊपर यह थोपा जा रहा है, इस प्रकार का कमीशन हमें स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है, मैं बहुत छोटा हूं और इस सदन में पहली बार आया हूं, कांग्रेस पार्टी के भीतर का जो सत्ता संघर्ष है, वह इसके द्वारा सामने आया है। वह यह है कि मैं प्रधान मंत्री नहीं बनाया गया, तो भी मैं प्रधान मंत्री से ज्यादा ताकतवर हूं, मैं पैरेलल सैक्टर हूं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बैठिए, बीच में व्यवधान न डालें। कृपया इन्हें बोलने दें।

**श्री सुशील कुमार मोदी:** जैसा मैंने कहा कि यह बिल अल्पसंख्यक समुदाय के हित में नहीं, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। वह कैसे होगा, यह मैं आगे बताऊंगा।

सभापति महोदय, इन्होंने जो इसके फंक्शन्स लिखे हैं, एम्स लिखे हैं 'अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार को सलाह देना।' मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो अल्पसंख्यक आयोग है, क्या वह इस काम को नहीं कर रहा था, क्या उससे यह काम नहीं हो सकता था। आपने लिखा है कि,

*[अनुवाद]*

'अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार को सलाह देना।' इसे अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रेषित कर दिया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

यह काम तो अल्पसंख्यक आयोग भी कर रहा था। आपने लिखा है कि अगर कोई स्पैसिफिक शिकायत मिलती है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अगर कोई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने में उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए आयोग है। यह काम तो अल्पसंख्यक आयोग भी कर रहा था। ऐसी स्थिति में किसी कमीशन के बनाने का क्या औचित्य है और

[श्री सुशील कुमार मोदी]

इसके पीछे शुद्ध राजनीति दिखाई पड़ती है। आज एक गलतफहमी लोगों में पैदा हो रही है कि इस कमीशन के द्वारा देश भर के तमाम अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता मिलने वाली है। लेकिन 95 प्रतिशत जो शैक्षिक संस्थान हैं वह प्राइमरी लेवल पर हैं, सैकिंडरी लेवल पर हैं। इनका तो उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे विद्यालयों का क्या होगा? आप तो शिक्षा मंत्री हैं। अगर कोई अल्पसंख्यक विद्यालय कहे कि हमें सी.बी.एस.ई. से एफिलिएशन चाहिए तो क्या आपने इस बिल में उसका प्रावधान किया है। आपने केवल एक प्रतिशत हायर एजुकेशन के लिए ही प्रावधान किया है। हायर एजुकेशन में भी अल्पसंख्यक संस्थाएं कितनी हैं? केवल एक प्रतिशत अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए आप यह बिल लाए हैं और 99 प्रतिशत मदरसे, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, उनके लिए न कोई गारंटी और न कोई प्रावधान आपने इसमें किया है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कृपया, व्यवधान न डालिए।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): आप अमेंडमेंट लाइये, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री सुशील कुमार मोदी:** यह एक त्रुटि है, यह भ्रामक है।

*[हिन्दी]*

इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप धोखा दे रहे हैं और एक प्रतिशत जो हायर एजुकेशन की संस्थाएं हैं, प्रोफैशनल संस्थाएं हैं, उनके लिए ही करने का प्रयास कर रहे हैं। सभापति महोदय, भारत के संविधान के आर्टिकल 30(1) के अंदर लिखा है कि:

*[अनुवाद]*

> "सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा से संबंधित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने और उसका अधिकार होना चाहिए।"

*[हिन्दी]*

भारत के संविधान ने अल्पसंख्यक समुदाय को तीन अधिकार दिये हैं। शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने का अधिकार, संचालन का अधिकार। उनको अपनी संस्थाओं की स्थापना का मूल अधिकार दिया है। आप उसका संचालन कर सकते हैं। संविधान ने तीसरा अधिकार जो उन्हें दिया है वह है, उनकी अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की प्रकृति निर्धारित करने का अधिकार। अपनी इच्छा से शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन आपने संविधान में संशोधन करके एक चौथा अधिकार दे दिया यानि राइट टू एफिलिएशन का अधिकार, केवल स्थापना करने का नहीं, केवल चोइस का नहीं, राइट टू एफिलिएशन का और यह कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। जब तक आप संविधान में संशोधन नहीं करेंगे और फंडामेंटली जब तक आप राइट टू एफिलिशएन का अधिकार नहीं देते हैं। प्रारम्भ के दिनों में जो अखबारों में समाचार आए वे यही थे कि संविधान में संशोधन आप करने की तैयारी कर रहे हैं। बाद में आप धीरे से एक बिल ले आए और आपने जो राइट टू एफिलिएशन का अधिकार दिया है, यह कल कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। आपको अधिकार नहीं है कि किसी बिल को लाकर आप इसके माध्यम से अधिकार दे सकें।

**अपराह्न 5.34 बजे**

**(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।*)**

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्य की बात जो मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वह यह है कि अभी कितनी अल्पसंख्यक संस्थाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता से नकार दिया गया। आप कल उत्तर देंगे तो बताएंगे कि 1000, 500 या 200 कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको कि विश्वविद्यालय से मान्यता नहीं मिली है। अगर सभी संस्थाओं को विश्वविद्यालयों से मान्यता मिल रही है तो अलग से कमीशन बनाने की क्या आवश्यकता थी?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया, सभा में बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी:** अगर कोई संस्थान यू.जी.सी. की शर्तों को पूरा नहीं करता है, कोई संस्थान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की शर्तों को पूरा नहीं करता है, कोई संस्थान ए.आई.सी.टी. की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो क्या उस संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करने का अधिकार दिया है?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** व्यवधानों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी:** मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगर मेडिकल कॉलेज खोलेगा लेकिन जब तक उसे मान्यता प्रदान नहीं होगी तो विश्वविद्यालय उसे एफिलिएशन नहीं दे सकता। अगर देगा तो उसकी डिग्री को मान्यता नहीं मिलेगी। पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपने ए.आई.सी.टी., मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया, डैंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के अधिकारों को एग्रीगेट करके एक कमीशन बना दिया। 6 विश्वविद्यालय कौन से हैं? नागालैंड का विश्वविद्यालय, मिजोरम का विश्वविद्यालय लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जे.एन.यू. का जिक्र नहीं किया। जिन 6 विश्वविद्यालयों से एफीलिएशन देंगे उनमें से 4 विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्ट के हैं— नेहरू, असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, मिजोराम विश्वविद्यालय। पटना, सीवान या धनबाद का विश्वविद्यालय क्यों मिजोराम के अन्दर जाकर एफिलिएशन लेना चाहेगा? उत्तर भारत में एक दिल्ली विश्वविद्यालय है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम को देख रहा था। क्या आपने इसमें संशोधन कर दिया? पिछले 50 सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भूटान के विश्वविद्यालय को छोड़ कर एक भी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दिया। अगर दिल्ली में विश्वविद्यालय है तो क्या वहां का वी.सी. सुदूर दक्षिण के किसी कॉलेज का नियंत्रण कर पाएगा? अगर गया में कोई कॉलेज खुलता है और वह असम से एफिलिएशन लेता है तो वहां के प्रिंसिपल को हर काम के लिए बार-बार असम जाना पड़ेगा। परीक्षा वहां से होगी। इस प्रकार ऐसे 6 मृतप्राय: विश्वविद्यालयों के नाम दे दिए हैं। क्या कोई भी आदमी पटना विश्वविद्यालय का शिक्षण स्वीकार करेगा बजाय मिजोराम विश्वविद्यालय के, या नागालैंड विश्वविद्यालय के या असम विश्वविद्यालय के? आपको यू.जी.सी. की शर्तों को स्पष्ट करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमैंट पढ़ना चाहूंगा।

*[अनुवाद]*

"उच्चतम न्यायालय का दृढ़ मत रहा है कि संबद्धता या मान्यता किसी अल्पसंख्यक संस्थान का मौलिक अधिकार नहीं है।"

*[हिन्दी]*

किसी भी संस्था को केवल अल्पसंख्यक संस्था के आधार पर किसी और जगह से एफीलिएशन का अधिकार नहीं मिल जाता है?

*[अनुवाद]*

"अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान मान्यता पाने के लिए राज्यों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि वे शैक्षणिक मानकों और कार्यकुशलता को विनियमित करने वाले सांविधिक उपायों का पालन करने में असफल रहते हैं, तो अध्ययन और दिशा-निर्देशों के निर्धारित पाठ्यक्रम...."

*[हिन्दी]*

मैं जानना चाहता हूं कि एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए किसी को 50 एकड़ जमीन चाहिए, शिक्षक चाहिए, बिल्डिंग चाहिए लेकिन वह मेडिकल काउंसिल, इंजीनियरिंग कॉलेज या सामान्य कॉलेज की शर्तों को पूरा नहीं करता है, कमीशन के द्वारा मान्यता मिलने पर क्या उनको एफीलिएशन मिलेगा? यह आप तय कीजिए या यू.जी.सी. को खत्म कर दीजिए लेकिन आप दोनों को रखे हैं, ऐसा करके भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार के कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने पहले कहा कि अगर इसके लिए व्यवस्था करनी थी तो कौन-कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिन को एफीलिएशन में कठिनाई आ रही है? आप उनकी कठिनाई दूर करते हुए उन्हें एफीलिएशन दिलाइए। हम इसके विरोधी नहीं है। देश में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय खुले है। बीजेपी के शासन काल में हमने किसी संस्थान को बंद नहीं किया लेकिन एक नाटक किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। आपने किया कुछ नहीं लेकिन ऐसी हवा बनायी जा रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। उनका इससे क्या हित होने वाला है?

श्री बची सिंह जी ने जिस बात का जिक्र किया, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। माइनॉरिटी का मतलब केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया, सभा में बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी:** अल्पसंख्यकों में भाषायी अल्पसंख्यक भी हैं। मैं जानता हूं कि दिल्ली में 30 से ज्यादा तेलगू या उड़िया

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुशील कुमार मोदी]

समाज के लोग इकट्ठे हो जाएं तो एक संस्था खोल लेंगे और कहेंगे कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हमें एफिलिएशन दीजिए। वास्तव में जो अल्पसंख्यक भाषायी संस्थाएं हैं वे बेचारी पीछे रह जाएंगी। जो पेशेवर संस्थाएं हैं, वे सैकड़ों की संख्या में एन.सी.आर. रीजन में काम कर रही हैं और अल्पसंख्यक विद्यालय के नाम पर अधिकतम लाभ वैसे ही लोगों ने उठाया है। अल्पसंख्यक समुदाय को अपने में सम्मिलित कराने के लिए एक होड़ मची है और इसका लाभ वास्तविक अल्पसंख्यकों को न मिलकर इस तरह की संस्थाओं को मिलने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब से आप शिक्षा मंत्री बने हैं, आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खुश करने का ठेका ले लिया है। आज जो सारे प्रयास हो रहे हैं, वे इस तरफ इशारा करते हैं। पचास साल से अगर उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति खराब है तो मंत्री जी इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप सरकार में लगातार बड़े पदों पर थे। पचास सालों में आपने उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और आज एक बार फिर से आप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धोखा देने और उन्हें छलने का काम कर रहे हैं। आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि यह बिल न तो देश के हित में है और न अल्पसंख्यकों के हित में है, इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब, मैं बोलने के लिए श्री आर.एल. जालप्पा को आमंत्रित करता हूं। उनके अतिरिक्त 22 और सदस्य बोलने वाले हैं, अत:, मैं आपसे संक्षेप में अपनी बात कहने का अनुरोध करता हूं।

**श्री आर.एल. जालप्पा** (चिकबलपुर): इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आरंभ में, मैं यह विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस मंत्रालय का कार्य संभालने के बाद से ही मंत्री महोदय बहुत सक्रिय रहे हैं तथा शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने कई बदलाव लाए हैं। पिछली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा लाए गए कई बदलावों को उन्होंने समाप्त कर दिया है। यह विधेयक अल्पसंख्यकों की जरूरत की हर चीज की पूर्ति नहीं कर सकता है। एक प्रकार से यह धारा 29 और 30 का समर्थन करता है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों को जल्द से जल्द राहत मिल सकती है। इसीलिए, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

महोदय, सरकार को सावधान रहना चाहिए क्योंकि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से भाषायी अल्पसंख्यकों, के नाम पर कुछ लोगों ने संस्थान खोल लिए हैं तथा अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले लाभों का फायदा उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, तेलगु या तमिल या कन्नड़ बोलने वाला कोई व्यक्ति पड़ोसी राज्यों में जाकर अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करके अपना संस्थान खोल सकते हैं तथा इस प्रकार उन सभी लाभों का फायदा उठा सकते हैं जो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें प्रदान किया है।

जब मैं अल्पसंख्यक संस्थानों के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा आशय विशेष रूप से व्यावसायिक संस्थानों से है। ये संस्थान बिना कोई परीक्षा आयोजित किए या बिना योग्यता सूची के अपनी 50 प्रतिशत सीटें अपने सम्प्रदाय के लोगों या उन व्यक्तियों को दे सकते हैं जो कन्नड़, मराठी या कोई अन्य भाषा बोलते हैं। शेष 50 प्रतिशत सीटें अन्य सम्प्रदाय या अन्य संगठनों के लोगों को दी जा सकती हैं। यदि उन्होंने एक संघ बना लिया है, तो वे उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। जब भी ऐसे संस्थानों को मान्यता दी जा रही हो, सरकार को ऐसे संगठनों पर अपना थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए नहीं तो ऐसी संस्थान बाढ़ लग जाएगी तथा विद्यार्थियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

पिछले सप्ताह, मंगलवार को प्रश्न संख्या 86 का जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि लगभग 34 विदेशी विश्वविद्यालयों ने ए.आई.सी.टी.ई. से संपर्क किया था तथा ये प्रस्ताव ए.आई.सी.टी.ई. के पास लंबित हैं। जहां तक मैं जानता हूं, ऐसे संस्थानों को देश में आने से रोकने के लिए सरकार उतने ज्यादा कानून नहीं बना सकती है।

अत:, जब वे संस्थान हमारे देश में आएंगे, तो हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन चुनौतियों का जवाब देने के लिए हमें अपने कॉलेजों, अपने विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए तैयार करना होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों को सुदृढ़ बनने के लिए प्रोत्साहित करने का यह एक अन्य तरीका है ताकि वे विदेशी विश्वविद्यालयों की चुनौतियों का सामना कर सकें। सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थानों को ही नहीं, अन्य संस्थानों को भी विदेशी विश्वविद्यालयों की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हमारी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह स्पष्टत: वर्णित था कि उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों तथा व्यावसायिक शिक्षा

संस्थानों की स्वायत्तता बनाए रखी जाएगी। मैं नहीं सोचता कि इन संस्थानों, सिवाय भा.प्र. संस्थानों (आई.आई.एम.) के, की स्वायत्तता बहाल किए जाने के लिए लेश मात्र कोशिश भी की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह स्वयं देखें कि इन निजी संस्थानों को क्या स्वायत्तता मिली हुई है। इन निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में—चाहे वह चिकित्सा, डेंटल या इंजीनियरिंग संस्थान हों—हजारों करोड़ रुपये लगाए गए हैं।

मेरे अपने राज्य कर्नाटक में ही 3000 करोड़ से ज्यादा रुपये का निवेश इन संस्थानों में किया गया है। सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है, एक पैसे का भी निवेश नहीं किया है। लेकिन इन संस्थानों को कितनी स्वायत्तता मिली हुई है? ये संस्थान अपनी इच्छा से पांच सीटें भी किसी को नहीं दे सकते हैं। वहां कोई समिति शुल्क के निर्धारण के लिए है; कोई समिति परीक्षाओं के आयोजन के लिए है; तथा सरकार की खुद अपनी सी.ई.टी. भी है। सीटों का बंटवारा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक संस्थानों के पास क्या बचा है? अवसंरचना, भवन, शिक्षकों की व्यवस्था करने और विद्यार्थियों के हितों की देख-रेख करने के अलावा, इन संस्थानों के पास एक भी अधिकार नहीं है। उन पर सारी जिम्मेदारियां लाद दी गई हैं। क्या आप इसे स्वायत्तता कहते हैं। यह कब तक चल पाएगा? ऐसे संस्थान इस प्रकार से कब तक चल पाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी, जो हमारे देश की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं, से इस पहलू पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

चिकित्सा और इंजीनियरिंग डिग्री लेने वाले हमारे हजारों विद्यार्थी अब विदेशों में कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश निजी कॉलेजों से हैं। ऐसी स्थिति में, आप उतनी ज्यादा पाबंदियों के साथ उन्हें बांध नहीं सकते। मैं माननीय मंत्री महोदय से इन संस्थानों को और ज्यादा स्वायत्तता देने का आग्रह करता हूं।

अंतिम बात, अल्पसंख्यक संस्थानों का पूरा ध्यान रखा जाता है। किन्तु न तो अनुसूचित जातियों के संस्थानों का ध्यान रखा जा रहा है और न ही पिछड़े वर्गों के संस्थानों का ध्यान रखा जा रहा है। दुर्भाग्यवश, एक कहावत है जो पिछड़े वर्गों के संस्थानों की स्थिति पर पूर्णत: चरितार्थ होती है, और वह कहावत है, 'धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का'। यह पिछड़े वर्गों के संस्थानों की स्थिति है। अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से पिछड़े वर्गों के संस्थानों के लिए भी कुछ करने का आग्रह करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आजमी** (शाहाबाद): शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप पांच मिनट में अपनी बात खत्म करें।

**श्री इलियास आजमी:** मैं तो अकेला अपनी पार्टी से बोलने वाला हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह तो मैं जानता हूं।

**श्री इलियास आजमी:** यहां तो मैम्बर्स 25 मिनट और आधे घंटे तक बोले हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह तो मैं जानता हूं। साढ़े छ: बजे मुझे खत्म करना है।

**श्री इलियास आजमी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारी मन से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ बहुत अजीब बातें बच्ची सिंह रावत जी ने पेश कीं। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। चूंकि यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का आयोग बनेगा इसलिए इसमें जितने भी होंगे, वे सब अल्पसंख्यक होंगे और देश के 95 प्रतिशत जो दूसरे संस्थान हैं, उनमें कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा। इसलिए जो इस आयोग में आएंगे वे सब अल्पसंख्यक ही होंगे और उनकी ही अर्जी मंजूर होगी। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक को वहीं से इंसाफ मिलेगा। अल्पसंख्यक को यहां से भी इंसाफ मिलता है और वहां से भी मिलेगा। इसी प्रकार से बहुसंख्यक को यहां से और वहां से भी इंसाफ मिलेगा। इसलिए जो बात यहां कही गई है वह सचमुच में बचपने जैसी बात को बताती है। उसमें थोड़ी तरमीम कीजिए।

महोदय, मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स के लिए आज कोई व्यवस्था नहीं है। आज कानून के अनुसार देश में कोई मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसे मायनॉरिटी ने कायम किया हो, जिसे मायनॉरिटी के लोग चला रहे हों या 10-12 लोग चला रहे हों। मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वह माना जाता है जिसे राज्य सरकार घोषित करे और आज हालत यह है कि किसी भी डिग्री कॉलेज को मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित नहीं किया गया है। मैं खुद से बानी हूं। एक बहुत अच्छा मायनॉरिटी डिग्री कॉलेज, जो सच्चे माने में मायनॉरिटी है, लेकिन उसे मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित नहीं किया गया। हालांकि उसे एफीलिएशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह इसलिए कि जो नार्म्स हैं, उनसे ज्यादा अच्छा बनाकर मैंने उसके एफीलिएशन की मांग की थी। इसलिए फौरन एफीलिएशन मिल गई।..*(व्यवधान)*

महोदय, सवाल यह है, मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं कि वहां कोई हायर एजूकेशन का इंस्टीट्यूशन, मायनॉरिटी

[श्री इलियास आजमी]

घोषित नहीं हुआ है। साढ़े तीन साल एप्लीकेशन दिए हुए हो गए, लेकिन उसे अभी तक मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित नहीं किया गया है। उसे न रिजैक्ट किया जाता है और न ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि रिजैक्ट कर दें, तो हम कोर्ट में चले जाएं। इसलिए उसे रिजैक्ट भी नहीं करते। इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री कार्यालय से भी चिट्ठी भिजवाई, लेकिन न उन्हें और न मुझे, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

महोदय, अगर किसी हायर एजूकेशन संस्था को एक साल आवेदन करने के बाद राज्य सरकार से कोई जवाब न आए, तो उसे मान्यता दे दी जाए और वह अल्पसंख्यक घोषित हो जाए, इस प्रकार की कानून में व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू.जी.सी. के कई प्रॉवीजन ऐसे हैं, मैं उनके बारे में बड़ी सफाई के साथ बताना चाहता हूं कि आज भी ऐसे कानून हैं, जो वाजिब नहीं है, जो प्रैक्टीकल नहीं हैं, जो निहायत अनप्रैक्टीकल हैं। मैं एक ही मिसाल दूंगा। जिस संस्था को बी.एड. क्लॉसेस चलाने की अनुमति मिलती है, उसमें वह टीचर होगा, जो या तो एन.ई.टी. हो या पीएच.डी. हो और उसके साथ एम.ए. भी हो। सैकड़ों और हजारों बी.एड. की संस्थाएं चल रही हैं जिन्हें मजबूर होकर रिटायर्ड लोगों को रखना पड़ रहा है, क्योंकि रिटायर्ड लोगों को रखने का प्रॉवीजन है। वह प्रॉवीजन प्रैक्टीकल नहीं है। नार्म्स भी ऐसे बने हैं जो प्रैक्टीकल नहीं हैं। यू.जी.सी. के नार्म्स सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके कई नॉर्म ऐसे हैं जिनका किसी को भी फायदा नहीं है। इसलिए मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि वे दो-चार आदमियों की एक कमेटी बनाकर यू.जी.सी. के नार्म्स का परीक्षण कराएं और जो पुराने तथा ठीक नॉर्म नहीं हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए।

महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक डिग्री कॉलेज एक टीचर को 30 हजार रुपए देता है और इमदाद-याफ्ता कॉलेज भी लगभग 25 हजार रुपए देता है, लेकिन इनकी दोहरी शिक्षा नीति अपनाने के कारण, जो निजी कॉलेज हैं वे इतनी तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक कॉलेज हो या बहुसंख्यक हो, क्योंकि वे इतनी तनख्वाह कहां से लाएं, लेकिन नॉर्म दोनों के सेंम रखे हैं। इसलिए नॉर्म ऐसे होने चाहिए कि 10-12 हजार रुपए महीने से ज्यादा टीचर की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए जिसे सभी कॉलेज वाले दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए यू.जी.सी. के नार्म्स प्रेक्टीकल नहीं हैं। एक बात मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूं कि इस बिल पर जो इधर-उधर से तकरीर हुई हैं, वे एक-दूसरे पर सिर्फ अटेक के रूप में हुई हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि जिस तरह इन्होंने राम को बाजार में खड़े होकर वोटों में कैश किया, लेकिन आरजी साबित हुए। उसी तरह अगर गुजरात के मुसलमानों के खून को कांग्रेस भाई हर जगह कैश करते फिरेंगे, हो सकता है कि आपको बेवकूफ बना कर कर लें। मैं कहता हूं कि मर्द की तरह संसद में बोलिए। अगर सन् 2002 के गुजरात का, *.....* तब मैं मानूंगा कि आप इंसाफ के साथ बात करते हैं। उसी गुजरात में दो बार ऐसा हो चुका...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** नाम निकाल दें।

**श्री इलियास आजमी:** आप बोले हैं आप हमारे खून को कैश करें, आपके लिए जायज है।...*(व्यवधान)**...* आप सब की बात कीजिए।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने पहले भी कहा है कि नाम नहीं लेने हैं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह सदन में उपस्थित नहीं हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आजमी:** आपको कुदरत ने चांस दिया है, उस चांस को परमानेंट बनाने का तरीका यही है।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने आब्जेक्शनेबल एक्सपंज करने के लिए कहा है।

*...(व्यवधान)*

**श्री इलियास आजमी:** आप इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे तो ज्यादा दिन राज चलेगा। मुझे खुशी हुई कि पोटा पर बात हो रही थी।...*(व्यवधान)* मैंने सब का जवाब दिया। माननीय गृह मंत्री जी ने श्रीकृष्ण कमीशन पर अमल करने का चुनाव घोषणा-पत्र में डाल कर वोट लिया और चुनाव जीत कर आए। वे उनके बारे में बोल कर चले गए, उनका जिक्र नहीं किया। आप इंसाफ का राज कायम कीजिए, यह ज्यादा दिन तक चलेगा और आप ही फायदे में रहेंगे। मैं उस जगह पर पहुंचने वाला नहीं हूं, मैं दिल की गहराई से बात कह रहा हूं कि आपका और इनका फायदा हो सकता है, मेरा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप इंसाफ का राज कायम कीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप समाजिक इंसाफ कायम कीजिए, अगर टेरेरिज्म खत्म न हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए।...*(व्यवधान)* अगर आप समाजिक इंसाफ का राज कायम करेंगे तो कोई आदमी ऐसा नहीं जो अपने शरीर पर बम बांध कर आत्महत्या करे।

---

*....*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

महोदय, यहां मानव संसाधन विकास मंत्री जी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें एक तरमीम कर दी जाए कि जिस माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन को राज्य सरकारें एक साल के अंदर उनके आवेदन को रिजेक्ट या मंजूर न करें तो उस इंस्टीट्यूशन को यह राइट हो जाए कि अपने को माइनोरिटी डिक्लेयर कराने के लिए कमीशन के यहां आए और कमीशन को यह हक हो कि वह देखे, अगर वाकई वह माइनोरिटी के नार्म में आता है तो उसे वह माइनोरिटी डिक्लेयर कर दे। जब कोई इंस्टीट्यूशन माइनोरिटी डिक्लेयर नहीं होगा तो आप कौन से माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए एक्ट ला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, आपकी बात का ऐतराम करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मेरी चंद बातें रह गई हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** अगर हाउस के माननीय सदस्य एग्री करें तो मैं चाहता हूं कि आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है, उसके मुताबिक अभी 21-22 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो माननीय सदस्य बोलने वाले रह गए हैं, उन्हें आप कल बोलने के लिए कहिए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** आज हम सायं 6.30 बजे तक बैठ सकते है और उसके बाद हम सभा की बैठक स्थगित कर सकते है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आधे घंटे का समय बढ़ा देते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** उपाध्यक्ष महोदय, 22 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, अभी केवल दो ही माननीय सदस्य बोल पाएंगे, 20 तो बचेंगे ही।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कुछ काम तो निबटेगा।

**सायं 6.00 बजे**

*[अनुवाद]*

**प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन** (वेल्लौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सदन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अत्यन्त आभारी हूं। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक 2004 का समर्थन करता हूं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 से इस देश के प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह अपनी पसन्द का शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकता है और उसे संचालित कर सकता है। लेकिन किसी विश्वविद्यालय के साथ उस संस्था को सम्बद्ध करने को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। वह कमी जो पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से विद्यमान है को इस विधेयक से दूर किया गया और संशोधित किया गया है। अत: मैं वर्तमान सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सभी नेताओं को बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं।

इस तरह का विधेयक सदन में लाए जाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय काफी लम्बे समय से मांग करता आया है। तमिलनाडु में प्रजातंत्रिक प्रगतिशील गठबंधन ने हमारे महान नेता डा. कालिगनार ने ऐसी ही मांग की थी और वेलूपुरम, विरुद्धनगर और सेलम सम्मेलनों में इसकी मांग के लिए एक संकल्प भी पारित किया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने भी इस प्रकार का विधान लाने के बारे में गारंटी दी थी।

हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि शान्ति, सामंजस्य, सहास्तित्व और विकास पर आधारित एक नयी विश्व व्यवस्था बनायी जाए। वह यह सोचते होंगे कि हमारे देश में भी हमारा समाज इन्हीं चार सिद्धान्तों—शान्ति, सामंजस्य, सहअस्तित्व और विकास—पर आधारित होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए ऐसा विधेयक अत्यन्त आवश्यक है। अत: यह इस सरकार द्वारा उठाया गया एक स्वागतयोग्य कदम है।

यह विधेयक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ अल्पसंख्यक संस्थाओं को सम्बद्ध करने का प्रावधान करता है। इस विधेयक में सूचीबद्ध कुछ विश्वविद्यालय है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि इस प्रकार का जोड़ वैध है। वर्ष 1974 में सेंट जेवियर बनाम गुजरात राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का विचार है कि "भाषागत अल्पसंख्यक राज्य से बाहर के समुचित निकायों के साथ सम्बद्ध हो सकते है।" इसे अनुच्छेद 30 के प्रावधानों के आवश्यक निष्कर्ष के रूप में माना जाए। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्य से बाहर के समुचित निकायों के साथ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्ध करने की अनुमति देना किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि यह उनमें सुरक्षा की भावना और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए किया जा

[प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन]

रहा है। इस देश में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना लाने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है। इसलिए मैं उनका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं।

महोदय, जहां तक तमिलनाडु का संबंध है तमिलनाडु में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय और उर्दू भाषी समुदायों ने अपनी संस्थाएं लाने का प्रयास किया है। लेकिन अभी तक कोई भी मुस्लिम प्रशिक्षण कालेज हमारे राज्य में सम्बद्ध नहीं किया गया है। उस राज्य में कोई उर्दू कालेज सम्बद्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति तमिलनाडु में ही विद्यमान नहीं है यह भारत के अन्य राज्यों में भी विद्यमान हो सकती है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए राज्यों में विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध होना अत्यन्त कठिन कार्य है। अतः इस विधेयक का सैकड़ों बार स्वागत है। इसे विगत में की गई गलतियों को सुधारने की शुरुआत माना जाए मैंने देखा है कि पूर्व सरकार ने अल्पसंख्यकों से अलगाव की नीति को अपनाया था लेकिन इस देश में अपनाई जा रही अलगाव की नीति को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अनुराग की नीति में बदला गया है। यह निःसन्देह स्वागतयोग्य विशेषता है। इस विधेयक से अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार लौटा दिए गए है। अल्पसंख्यक समुदाय की चिरकालिक समस्या का समाधान इस विधेयक को प्रस्थापित करके किया गया है। अतः मैं एक बार पुनः इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ मैं इस बात को यहां रख रहा हूं। वैसे आज सारे देश में बड़ी मात्रा में शिक्षा का व्यापार हो रहा है। यह शिकायतें लगभग हर राज्य से हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह मेडीकल हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें सबसे ज्यादा व्यापार होता है। इस विधेयक को पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया, अब विधेयक के रूप में पारित कराना, सरकार की ओर से जो विधेयक लाया गया है, मेरे मन में यह भय है कि जिस तरह आज शिक्षा का व्यापार हो रहा है, शायद यह विधेयक शिक्षा के व्यापार का एक नया अवसर न साबित हो। यह मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि जब श्री इलियास आजमी बोल रहे थे, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि जो संस्थाएं माइनॉरिटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली हैं, यदि राज्य सरकारों ने उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा मान लिया है, नए कानून के तहत पात्र होंगी। यदि वह किसी देश के विश्वविद्यालय से, आपने छः विश्वविद्यालयों का चयन किया है, जिनका जिक्र यहां किया गया—दिल्ली विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, पॉडीचेरी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय। यदि इन छः विश्वविद्यालयों से वे ऐफीलिएशन चाहती हैं तो सबसे पहले उस संस्था के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार उसे माइनॉरिटी संस्था माने। सबसे पहली शिकायत यहां यह की गई कि इस प्रकार की कई शिकायतें आती हैं कि राज्य सरकार उन संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं देती या माइनॉरिटी संस्था नहीं मानती। फिर इस प्रकार का अध्यादेश लाने की इतनी जल्दी क्या थी। अब अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया गया है तो जिस आयोग का गठन होगा, उसके कृत्य और शक्तियां क्या हैं, आयोग क्या करेगा, उसके अधिकार क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, आयोग कौन से कार्य करेगा, उनमें सबसे पहली जिम्मेदारी विधेयक के 'क' भाग में लिखी गई है, जिसमें कहा गया है—

अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित यदि किसी प्रश्न पर उसे निर्देशित किया जाये तो वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को सलाह देगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद जो आयोग बनेगा, वह राज्य सरकारों को सलाह देगा और राज्य सरकारों को उस पर अमल करना है। इतना बड़ा निर्णय करने से पहले, आयोग का गठन करने से पहले, विधेयक लाने से पहले, सरकार ने इस बात को महसूस नहीं किया कि यदि हम एक नए आयोग का गठन करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध देश के कई अल्पसंख्यकों के साथ है, तो कम से कम जिन राज्य सरकारों को वह सलाह देने वाला है और उनकी सलाह पर राज्य सरकार अपना निर्णय करेगी, उन राज्य सरकारों से कुछ सलाह-मशविरा करे कि उनके सामने क्या कठिनाइयां हैं, क्या बाधाएं हैं, वह समझ लें। इन सारी बातों को किए बिना यह विधेयक यहां पर लाया गया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं राजनीतिक बात यहां नहीं करना चाहता। लेकिन हर बार जब सदन के इस ओर से हम बोलने के लिए खड़े होते हैं और जब किसी हिन्दू धर्म से जुड़ी हुई बात आती है तो लगभग सामने बैठे हुए लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या आप ही हिन्दुओं के ठेकेदार हैं? आज जब इस सदन में चल रही चर्चा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें छोड़कर बाकी सारे लोग मुसलमानों के मसीहा हैं। यह जो तरीका है, जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर यहां बोलने और विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है जब मैं 11वीं लोक सभा में पहली बार इस सदन का सदस्य चुनकर आया था, उस समय मौलाना अबुल कलाम उर्दू विश्वविद्यालय का विधेयक इस सदन में चर्चा के लिए आया था। हमने उस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा था कि किसी

एक भाषा के विश्वविद्यालय या विद्यालय बनने से भाषा समृद्ध हो सकती है, भाषा का महत्व बढ़ सकता है, भाषा की पहचान दुनिया में बढ़ सकती है। लेकिन केवल भाषा समृद्ध होने से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। यदि उसके जीवन में परिवर्तन लाना है तो जब से वह पैदा होता है, तब से उसको सारी शिक्षा देने की चिंता करने की आवश्यकता है। चाहे वह देश का बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, हम चाहते हैं कि इस देश का हर जवान, हर युवक और आने वाली पीढ़ी अच्छा पढ़े-लिखे। उसको अच्छे संस्कार मिलें वह विद्याविभूषित हो और उसे विद्वता मिले। जब वह पढ़ेगा, होशियार होगा और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ-साथ राष्ट्र की भी तरक्की होगी, इसे मानने वाले हम लोग हैं। उस समय हमने यह सुझाव दिया था कि केवल विश्वविद्यालय के निर्माण से कार्य पूरा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों में जो बहुसंख्यक हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यक जब हम कहते हैं तो सबसे पहले यह मान लिया जाता है कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान है। यह व्याख्या गलत है। इस देश में अल्पसंख्यक कई हैं। अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं। ऐसे कई धर्म हैं जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं। जब हम रीजन या भाषा पर बात करते हैं तो हमारे देश में कई भाषाएं हैं। देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक की व्याख्या अलग-अलग है। इसलिए उस समय हमने सुझाव दिया था कि बुनियादी शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा देनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा उसे मातृभाषा से मिलती है, लेकिन उच्च शिक्षा दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी मतृभाषा से नहीं मिलती। चाहे वह इंजीनियर की शिक्षा हो चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, वह हमें अंग्रेजी में ही सीखनी है। फिर अल्पसंख्यक और खास तौर पर यदि हम मुसलमानों का जिक्र करें तो मुसलमानों की कुल आबादी में से कितने बच्चे उच्च शिक्षा पाते हैं या उच्च शिक्षा ले सकते हैं या उनके परिवार की ताकत है कि वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकें।

आप यदि देश का सारा हिसाब-किताब लगाएं तो एक प्रतिशत भी नहीं होगा। आप सारी संख्या देखें तो एक प्रतिशत भी आपको उच्च शिक्षा पाने वाले युवक नहीं मिलेंगे जिनमें मुसलमान एक प्रतिशत भी हों। हम विरोध नहीं करना चाहते हैं। आप यहां पर आयोग का गठन करेंगे, राज्य सरकारों को आदेश देंगे, वह जो विद्यालय शुरू होगा, विद्यालय खुलेगा, वह मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अब यदि कॉलेज खोलने के लिए उसको राज्य सरकार की या सरकार की या संस्थाओं की मान्यता चाहिए तो उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या यू.जी.सी. या ए.आई.सी.टी. के पास जाना पड़ेगा और जब उनसे मान्यता मिलेगी, तब वह विद्यालय शुरू कर सकते हैं। अब इस स्थिति में इनको क्या जल्दी थी कि आप इस तरीके से इस विधेयक को लाए हैं। इसके ऊपर यदि चर्चा होती, सबकी राय ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। हम इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं। यह जो अल्पसंख्यक विशेषकर जब मुसलमानों का जिक्र होता है, यदि एक अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा पाता है तो उसमें देश का भला होगा, देश का बुरा नहीं होगा। इसलिए देश का बुरा नहीं होगा क्योंकि उसको वास्तविकता का ज्ञान होगा। वह अज्ञान से बाहर आएगा। उसको दुनिया की पहचान होगी। वह आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री गीते कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** आज जो स्थिति है, उस स्थिति का कारण अल्पसंख्यकों का अज्ञान है। इसी के कारण उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल रही है। वह शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। वह देश, समाज और दुनिया को नहीं समझ पा रहे हैं और उस अज्ञान को उकसाने का काम हम राजनीतिज्ञ लोग करते हैं और उसी का फायदा राजनीतिक मतलब के लिए उठाया जाता है। हम विधेयक का विरोध करने के लिए यहां पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यदि सचमुच में अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमानों के हितों की बात करनी है तो इन सारी बातों पर सोचने की आवश्यकता थी और उन पर सोचे बगैर यह विधेयक यहां पर आप लाए हैं और जब मोहन सिंह जी यहां पर खड़े हो गये तो हमने बैठे-बैठे जोर दिया था कि शिक्षा मंत्री ने सम्मेलन बुलाया तो समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया। वह तो हमने यहां से कहा था कि इसका जरूर कुछ राजनीतिक लाभ होगा और उसमें ये आपको भागीदार नहीं बनाना चाहते हैं। यदि यही वास्तविकता होगी तो इस आयोग से हमें क्या मिलेगा? इस मानसिकता को हमें बदलने की आवश्यकता है। जब हम खड़े होते हैं तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, शिव सेना मुसलमानों के खिलाफ है। यह बार-बार...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बीच में टीका-टिप्पणी न कीजिए। वह शीघ्र ही समाप्त करने जा रहे है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** आपको जवाब इलियास आजमी जी ने दिया है। हमें बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है। हम एन.डी.ए. के रूप में 5-6 साल के लिए इस देश में रूलिंग में आए और 50 साल तक आप लोगों ने ही राज किया था। इन 50 सालों के राज में आज भी अल्पसंख्यकों का मुख्य वर्ग जो मुसलमान है, उनकी स्थिति में क्या सुधार हुआ है? हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। जो भारतीय मुसलमान हैं, जो इस धरती को प्यार करते हैं, इस धरती को मां मानते हैं, वे हमारे भाई हैं। इसमें विवाद कहां आता है? यह हमारी मानसिकता है। मैं जिस क्षेत्र रत्नागिरि से आता हूं, हमारे अंतुले साहब यहां पर उपस्थित हैं। वहां एक लाख से ज्यादा मुसलमान भाई हैं और मुझे यहां कहते हुए फख्र होता है कि जब वोटिंग होती है तो एक लाख में से लगभग 30 से 35 प्रतिशत लोगों के वोट शिव सेना के अनंत गंगाराम गीते को मिलते हैं। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है लेकिन हम राजनीतिक लाभ के लिए...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया उनका ध्यान भंग न कीजिए। कृपया उनके भाषण में बाधा मत उत्पन्न कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** जो कोई मेरी परमिशन के बगैर बोलेगा, उसकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*[अनुवाद]*

कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि):** आप मुसलमानों को दंगे से मत जोड़िए।...*(व्यवधान)* यही तो मानसिकता है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया व्यवधान मत डालिए।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बीच में टीका-टिप्पणी न कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** मैं बस खत्म कर रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, पिछले 50-55 साल से जो नीतियां पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाई थीं, उनमें कोई बदलाव मुझे यहां दिखाई नहीं देता है। न ही इस सरकार की यह मंशा मुझे दिखाई देती है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगी। इस विधेयक से और इस आयोग से क्या लाभ होगा, मुझे पता नहीं। अच्छा होता अगर इस प्रकार के आयोग का गठन करने से पहले सभी राज्यों से सलाह-मशविरा किया जाता, उनकी राय ली जाती। फिर अल्पसंख्यक चाहे वे सिख हों, मुसलमान हों, क्रिश्चियन हों, पारसी हों, जैन हों या भाषाई अल्पसंख्यक हों, उनके हितों के लिए इस प्रकार का आयोग होता, तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन मैं इस राजनीतिक विधेयक का विरोध करता हूं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

**श्री रामजीलाल सुमन**—आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद):** मैं आठ मिनट में अपने अपनी बात खत्म कर दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपको पांच मिनट में खत्म करना है।

**श्री रामजीलाल सुमन:** उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, विधेयक 2004 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उधर से सुशील कुमार मोदी साहब और हमारे मित्र अनंत गीते जी ने अपने-अपने भाषण किए। उपाध्यक्ष महोदय, तर्क क्या होंगे, भाषा क्या होगी, यह अलग सवाल है। लेकिन सही अर्थों में भाव यह है कि जब भी इस देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण की कोई बात की जाती है, तो ये उसे किसी भी कीमत पर पचाने को तैयार

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं होते। हमारे बारे में कहा गया कि सरकार ने जो बैठक बुलाई थी, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास और उनकी हालत के बारे में जो चर्चा होनी थी, उसमें समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया। हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमें कोई फिक्र भी नहीं है और न उसकी कोई शिकायत है। अल्पसंख्यकों के प्रति समाजवादी पार्टी का जो दृष्टिकोण है, वह जग जाहिर है और किसी प्रमाण पत्र की हमें आवश्यकता नहीं है। सही मायनों में यह जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इससे अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक हालत में कोई बुनियादी तब्दीली या सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह एक छोटे से काम तक ही सीमित है। इसका मकसद यह है कि इस आयोग द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को जिन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता नहीं मिलती थी उन्हें सम्बद्धता मिलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप इस विधेयक का सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

**श्री रामजीलाल सुमन:** हम तो समर्थन ही कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। इस आयोग का असली काम यह है कि अल्पसंख्यकों के जो महाविद्यालय हैं या शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं, उनको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, यही इसका मतलब है।

इसका दूसरा मतलब यह है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में जो डिग्री मिलेगी, उसे केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता मिलेगी। हमने भी उत्तर प्रदेश में अली जौहर महाविद्यालय की बात कही थी और विधान सभा में इससे सम्बन्धित विधेयक को पास किया था। मैं राज्यपाल जी की पद और गरिमा के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करना चाहता, लेकिन एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपालों का जो आचरण है निश्चित रूप से चिंता का विषय है। दो-दो बार विधान सभा से विधेयक के पास करने के बाद भी राज्यपाल महोदय ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये। मेरे कहने का मतलब यह है कि सही मायनों में अल्पसंख्यकों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनके लिए हम कुछ काम नहीं करेंगे तो सतही कामों को करने का कोई मतलब नहीं है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो बैठक बुलायी गयी थी, उसका सार यह था जो बिल के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है, मैं उसे जरूर पढ़ना चाहूंगा। "अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि द्वारा उठाए गये विभिन्न मुद्दों में से एक मुद्दा, इस संबंध में उनके द्वारा प्रदान की गयी संवैधानिक गारंटियों के बावजूद उनकी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करना और उनके चलाने में उनके द्वारा महसूस की गयी कठिनाइयों के दूर करने का था।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ महाविद्यालय चलते थे उनको विश्वविद्यालय दिक्कतें पैदा करते थे और कुछ शर्तें ऐसी हो जाती थी जिनको पूरा करने में निश्चित रूप से उनको सम्बद्धता में दिक्कत होती थी। आज इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थाएं जो चलती हैं उनको वित्तीय मदद करने की आवश्यकता है, उनको प्रशासनिक मदद करने की आवश्यकता है। उनकी शैक्षणिक संस्थाओं को चलाने में आकर्षण पैदा कैसे हो, ऐसा करने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। आज देश के स्तर पर जो शिक्षा है उसका राष्ट्रीय औसत 63 फीसदी है और अल्पसंख्यकों का उसमें केवल 51 प्रतिशत है। अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं वे दसवीं कक्षा तक आते-आते घर बैठ जाते हैं और सिर्फ 7 प्रतिशत बच्चे ही 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। स्नातक शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत केवल 5.4 है और तकनीकी शिक्षा में 3.2 प्रतिशत है।

जो महाविद्यालय हैं वे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो जाएं वह तो एक अलग सवाल है। माननीय अर्जुन सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। आज मुसलमानों को तालीम नहीं मिल रही है। जब तक उनकी तालीम का प्रतिशत आगे नहीं बढ़ेगा, एक वातावरण उनके लिए आप तैयार नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि सतही तौर पर काम करने के परिणाम ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। यह काम जो सरकार कर रही है, इससे कोई बुनियादी परिवर्तन अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक माहौल में आने वाला नहीं है। उनकी स्थिति के आकलन में जो समस्या निकलकर आयेगी, उसमें प्रमुख समस्या तालीम की कमी है। एक तरफ जहां मैं इसका समर्थन करता हूं वहीं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सतही काम मत करिये। असल सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा में सुधार हो और उनकी शिक्षा का प्रतिशत बढ़े। शिक्षा का एक वातावरण बने और सरकार उनको संरक्षण देने का काम करे, तभी कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं समझता हूं कि यह चर्चा कल जारी रहेगी।

अब सभा कल 15 दिसम्बर 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 6.29 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 15 दिसम्बर 2004/24 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

## अनुबंध-I

### तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा<br>श्री काशीराम राणा | 181 |
| 2. | श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील | 182 |
| 3. | श्री बालासाहिब विखे पाटील | 183 |
| 4. | श्री चंद्रकांत खैरे<br>श्री एन.एस.वी. चित्तन | 184 |
| 5. | श्री विजय कृष्ण<br>श्री कीर्ति वर्धन सिंह | 185 |
| 6. | श्री अवतार सिंह भडाना | 186 |
| 7. | श्री लोनाप्पन नम्बाडन | 187 |
| 8. | श्री मोहन सिंह<br>श्री तथागत सत्पथी | 188 |
| 9. | श्री भर्तृहरि महताब | 189 |
| 10. | श्री बी. विनोद कुमार<br>श्री एन.एन. कृष्णदास | 190 |
| 11. | श्री रघुनाथ झा | 191 |
| 12. | श्री धर्मेन्द्र प्रधान<br>श्री संतोष गंगवार | 192 |
| 13. | श्री असादूद्दीन ओवेसी | 193 |
| 14. | श्री पी.के. वासुदेवन नायर<br>श्री गुरुदास दासगुप्त | 194 |
| 15. | श्री डी.वी. सदानन्द गौडा | 195 |
| 16. | श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ | 196 |
| 17. | प्रो. रासा सिंह रावत | 197 |
| 18. | श्री सुनील खां<br>श्री पी. करुणाकरन | 198 |
| 19. | श्री सुशील कुमार मोदी<br>श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा | 199 |
| 20. | श्री रायापति सांबासिवा राव<br>श्री रामदास आठवले | 200 |

### अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आचार्य, श्री बसुदेव | 2129, 2199, 2237 |
| 2. | आदित्यनाथ, योगी | 2097, 2222 |
| 3. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 2075, 2117, 2166, 2230, 2054 |
| 4. | अहीर, श्री हंसराज जी. | 2061, 2194 |
| 5. | अनंत कुमार, श्री | 2143 |
| 6. | अंगडि, श्री सुरेश | 2086, 2215, 2249 |
| 7. | अंसारी, श्री फुरकान | 2231 |
| 8. | आठवले, श्री रामदास | 2096, 2193, 2195, 2236 |
| 9. | आजमी, श्री इलियास | 2109, 2193 |
| 10. | बैठा, श्री कैलाश | 2060 |
| 11. | बंसल, श्री पवन कुमार | 2046, 2150, 2218, 2252 |
| 12. | बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई | 2174, 2226, 2255 |
| 13. | बखला, श्री जोवाकिम | 2050, 2151 |
| 14. | भगोरा, श्री महावीर | 2240 |
| 15. | भक्त, श्री मनोरंजन | 2105, 2142, 2201 |
| 16. | भार्गव, श्री गिरधारी लाल | 2103, 2124 |
| 17. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 2057, 2190, 2207, 2232 |
| 18. | वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र | 2063 |
| 19. | बुधौलिया, श्री राजनरायन | 2265 |
| 20. | बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर | 2266 |
| 21. | चक्रवर्ती, श्री अजय | 2085, 2188, 2231, 2270 |
| 22. | चालिहा, श्री किरिप | 2185 |
| 23. | चंदेल, श्री सुरेश | 2175 |
| 24. | चन्द्र कुमार, प्रो. | 2175 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 25. | चन्द्रप्पन, श्री सी.के. | 2104 |
| 26. | चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र | 2049, 2115, 2265 |
| 27. | चिन्ता मोहन, डा. | 2177 |
| 28. | चौधरी, श्री निखिल कुमार | 2111, 2185 |
| 29. | चौहान, श्री शिवराज सिंह | 2130, 2200 |
| 30. | चौधरी, श्री अधीर | 2078, 2119, 2191, 2223 |
| 31. | दासगुप्त, श्री गुरुदास | 2088 |
| 32. | फर्नान्डीज, श्री जार्ज | 2247 |
| 33. | गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर | 2088 |
| 34. | गढ़वी, श्री पी.एस. | 2112 |
| 35. | गंगवार, श्री संतोष | 2098, 2167, 2240 |
| 36. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 2070, 2097, 2184 |
| 37. | गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द | 2269 |
| 38. | गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश | 2222 |
| 39. | हमजा, श्री टी.के. | 2198, 2270 |
| 40. | हसन, श्री मुनव्वर | 2101, 2214, 2257 |
| 41. | हेगड़े, श्री अनंत कुमार | 2193 |
| 42. | जगन्नाथ, डा. एम. | 2108, 2182 |
| 43. | जटिया, डा. सत्यनारायण | 2202, 2231 |
| 44. | झा, श्री रघुनाथ | 2126, 2154, 2225, 2264 |
| 45. | जिन्दल, श्री नवीन | 2055 |
| 46. | जोगी, श्री अजीत | 2231 |
| 47. | जोशी, श्री प्रहलाद | 2092 |
| 48. | कलमाडी, श्री सुरेश | 2084, 2192, 2234 |
| 49. | कामत, श्री गुरुदास | 2135, 2207, 2231, 2245, 2263 |
| 50. | करुणाकरन, श्री पी. | 2176 |
| 51. | कस्वां, श्री राम सिंह | 2127, 2147 |
| 52. | खैरे, श्री चंद्रकांत | 2173, 2223 |
| 53. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 2045, 2162, 2193 |
| 54. | कृष्ण, श्री विजय | 2101, 2155, 2220, 2251 |
| 55. | कृष्णदास, श्री एन.एन. | 2168 |
| 56. | कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह | 2138 |
| 57. | कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार | 2090, 2110, 2179, 2247 |
| 58. | माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई | 2073, 2163 |
| 59. | माधवराज, श्रीमती मनोरमा | 2101, 2114 |
| 60. | महाजन, श्रीमती सुमित्रा | 2105 |
| 61. | महाजन, श्री वाई.जी. | 2115, 2222 |
| 62. | महतो, श्री बीर सिंह | 2048, 2172 |
| 63. | महतो, श्री सुनिल कुमार | 2107, 2109, 2193 |
| 64. | माहेश्वरी, श्रीमती किरण | 2117, 2118, 2203, 2213, 2246 |
| 65. | माझी, श्री परसुराम | 2047, 2197 |
| 66. | मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार | 2170 |
| 67. | मंडल, श्री सनत कुमार | 2124, 2133, 2193, 2205, 2242 |
| 68. | मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा | 2185 |
| 69. | माने, श्रीमती निवेदिता | 2129, 2144 |
| 70. | मरन्डी, श्री सुदाम | 2149 |
| 71. | मेघवाल, श्री कैलाश | 2053, 2088, 2153, 2177, 2233 |
| 72. | मेहता, श्री आलोक कुमार | 2132, 2203 |
| 73. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 2148 |
| 74. | मैन्या, डा. टोकचोम | 2087, 2185 |
| 75. | मिश्रा, डा. राजेश | 2222 |
| 76. | मिस्त्री, श्री मधुसूदन | 2222 |
| 77. | मोदी, श्री सुशील कुमार | 2126, 2180, 2228, 2270 |
| 78. | मुकीम, मो. | 2145, 2217, 2248 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 79. | मोल्लाह, श्री हन्नान | 2205 |
| 80. | मूर्ति, श्री ए.के. | 2054, 2117 |
| 81. | मुन्शी राम, श्री | 2067, 2090, 2126 |
| 82. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 2094, 2196, 2259 |
| 83. | नायर, श्री पी.के. वासुदेवन | 2270 |
| 84. | नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश | 2052, 2088 |
| 85. | नायक, श्री अनन्त | 2183, 2231 |
| 86. | निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद | 2069, 2136 |
| 87. | नीतीश कुमार, श्री | 2177 |
| 88. | ओराम, श्री जुएल | 2068, 2208 |
| 89. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 2158, 2221, 2249, 2254 |
| 90. | पाल, श्री राजाराम | 2136, 2209 |
| 91. | पलनिसामी, श्री के.सी. | 2071, 2171 |
| 92. | पाण्डा, श्री प्रबोध | 2110, 2183 |
| 93. | पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण | 2098, 2177 |
| 94. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 2088, 2095 |
| 95. | पासवान, श्री राम चन्द्र | 2077, 2212 |
| 96. | पासवान, श्री सुकदेव | 2102, 2126 |
| 97. | पाठक, श्री ब्रजेश | 2093, 2125, 2204, 2241 |
| 98. | पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब | 2123 |
| 99. | पिंगले, श्री देविदास | 2066 |
| 100. | प्रसाद, श्री हरिकेवल | 2106, 2181, 2193, 2206, 2268 |
| 101. | प्रसाद, श्री लालमणि | 2072 |
| 102. | राजेन्द्र कुमार, श्री | 2140 |
| 103. | रामदास, प्रो. एम. | 2076 |
| 104. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 2100, 2178, 2227, 2261 |
| 105. | राणा, श्री काशीराम | 2193, 2211 |
| 106. | राव, श्री के.एस. | 2074, 2165, 2177, 2229, 2256 |
| 107. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 2126, 2186, 2254 |
| 108. | राव, श्री डी. विट्टल | 2079 |
| 109. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 2080, 2216 |
| 110. | राबले, श्री मोहन | 2152, 2219, 2249, 2250, 2258 |
| 111. | रावत, प्रो. रासा सिंह | 2161 |
| 112. | रेड्डी, श्री जी. करुणाकर | 2121, 2193, 2235 |
| 113. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 2117, 2183 |
| 114. | रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. | 2160, 2222, 2258 |
| 115. | रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर | 2085, 2088, 2187 |
| 116. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 2048, 2193 |
| 117. | रिजीजू, श्री खीरेन | 2265 |
| 118. | सज्जन कुमार, श्री | 2137 |
| 119. | सांगवान, श्री किशन सिंह | 2146 |
| 120. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 2110, 2117, 2122, 2126, 2186 |
| 121. | सतीदेवी, श्रीमती पी. | 2099, 2116 |
| 122. | सेन, श्रीमती मिनाती | 2124, 2185 |
| 123. | सेठी, श्री अर्जुन | 2081, 2189 |
| 124. | शाहीन, श्री अब्दुल रशीद | 2125 |
| 125. | शाक्य, श्री रघुराज सिंह | 2111, 2144, 2164 |
| 126. | शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम | 2056, 2175 |
| 127. | शर्मा, श्री मदन लाल | 2231 |
| 128. | शिवाजी, श्री अधलराव पाटील | 2117, 2144, 2164, 2230, 2249 |
| 129. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 2067, 2169 |
| 130. | शुक्ला, श्रीमती करुणा | 2062, 2238, 2260 |
| 131. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 2134, 2192 |
| 132. | सिद्धू, श्री नवजोत सिंह | 2091, 2210 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 133. | सिंह, श्री रामसेवक | 2044, 2120 |
| 134. | सिंह, श्री बृज भूषण शरण | 2113, 2271 |
| 135. | सिंह, श्री चन्द्रभूषण | 2128, 2173, 2198, 2270 |
| 136. | सिंह, श्री चौधरी लाल | 2139, 2193 |
| 137. | सिंह, श्री दुष्यंत | 2193 |
| 138. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 2117, 2156, 2243, 2262 |
| 139. | सिंह, श्रीमती प्रतिभा | 2175 |
| 140. | सिंह, श्री राकेश | 2231 |
| 141. | सिंह, श्री सीताराम | 2127, 2131, 2177, 2267 |
| 142. | सिंह, श्री सुग्रीव | 2089, 2202, 2239 |
| 143. | सिंह, श्री उदय | 2119, 2191 |
| 144. | सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह | 2258 |
| 145. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 2064 |
| 146. | ठुम्मर, श्री वी.के. | 2141, 2222 |
| 147. | त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि | 2082, 2177 |
| 148. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 2144 |
| 149. | वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास | 2097 |
| 150. | वसावा, श्री मनसुखभाई डी. | 2107, 2193, 2268 |
| 151. | वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह | 2058 |
| 152. | वर्मा, श्री राजेश | 2065, 2206, 2244 |
| 153. | विनोद कुमार, श्री बी. | 2159, 2224, 2253 |
| 154. | यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु | 2144, 2185 |
| 155. | यादव, श्री बालेश्वर | 2055, 2059, 2157 |
| 156. | यादव, श्री गिरिधारी | 2048, 2172, 2193 |
| 157. | यादव, श्री राम कृपाल | 2102 |
| 158. | यादव, श्री रमाकान्त | 2077, 2083 |
| 159. | यादव, श्री सीताराम | 2241 |
| 160. | जाहेदी, श्री महबूब | 2051 |

## अनुबंध-II

### तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| रसायन और उर्वरक | : | |
| उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास | : | |
| गृह | : | 181, 188, 194, 197 |
| मानव संसाधन विकास | : | 183, 187, 199 |
| अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | : | 193 |
| संसदीय कार्य | : | |
| विद्युत | : | 182, 192, 198, 200 |
| इस्पात | : | |
| जनजातीय कार्य | : | |
| शहरी विकास | : | 184, 185, 186, 196 |
| शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन | : | 189, 190, 191, 195 |


---

### अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| रसायन और उर्वरक | : | 2067, 2072, 2088, 2112, 2127, 2130, 2133, 2145, 2146, 2147, 2163, 2184, 2223, 2228, 2261, 2273 |
| उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास | : | 2087 |
| गृह | : | 2046, 2057, 2058, 2064, 2077, 2079, 2080, 2081, 2084, 2085, 2092, 2104, 2106, 2109, 2114, 2122, 2131, 2136, 2139, 2140, 2143, 2144, 2150, 2167, 2168, 2173, 2177, 2181, 2185, 2187, 2189, 2200, 2214, 2218, 2224, 2227, 2229, 2234, 2246, 2258, 2265, 2266 |
| मानव संसाधन विकास | : | 2045, 2051, 2056, 2062, 2075, 2082, 2083, 2091, 2093, 2097, 2099, 2105, 2107, 2108, 2111, 2115, 2116, 2117, 2124, 2126, 2137, 2153, 2162, 2166, 2171, 2175, 2180, 2186, 2190, 2191, 2192, 2201, 2203, 2207, 2213, 2215, 2221, 2233, 2240, 2242, 2250, 2253, 2260, 2262, 2263, 2267, 2270 |
| अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | : | 2059, 2070, 2071, 2194, 2205, 2219 |
| संसदीय कार्य | : | 2272 |
| विद्युत | : | 2049, 2066, 2098, 2101, 2123, 2142, 2152, 2157, 2158, 2161, 2164, 2182, 2183, 2188, 2193, 2198, 2216, 2226, 2249, 2254 |

| | | |
|---|---|---|
| इस्पात | : | 2047, 2061, 2073, 2110, 2120, 2129, 2148, 2154, 2178, 2199, 2237, 2247 |
| जनजातीय कार्य | : | 2068, 2090, 2125, 2128, 2138, 2169, 2176, 2179, 2197, 2230, 2232, 2239, 2255, 2268, 2269 |
| शहरी विकास | : | 2044, 2048, 2050, 2053, 2055, 2060, 2063, 2069, 2076, 2078, 2086, 2094, 2096, 2100, 2102, 2103, 2113, 2118, 2119, 2132, 2134, 2135, 2141, 2149, 2151, 2155, 2156, 2160, 2165, 2170, 2172, 2196, 2204, 2206, 2212, 2217, 2220, 2222, 2225, 2236, 2238, 2241, 2243, 2244, 2248, 2251, 2256, 2257, 2259, 2264, 2271 |
| शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन | : | 2052, 2054, 2065, 2074, 2089, 2095, 2121, 2159, 2174, 2195, 2202, 2208, 2209, 2210, 2211, 2231, 2235, 2245, 2252. |

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।